विषय सूची

	पृष्ठ
निदेशक मंडल	03
वर्ष 2010-11 की प्रमुख बातें	14
महत्त्वपूर्ण वित्तीय सूचक	16
सूचना	18
निदेशकों की रिपोर्ट	20
प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण	25
कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट	44
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	66
तुलन-पत्र	68
लाभ एवं हानि लेखा	69
अनुसूचियाँ 1 से 18	70
नकदी प्रवाह विवरण	95
समेकित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	97
समेकित तुलन-पत्र	98
समेकित लाभ एवं हानि लेखा	99
समेकित अनुसूचियाँ 1 से 18	100
नकदी प्रवाह विवरण	116
जोखिम प्रबंधन	118

CONTENTS

	Page
Board of Directors	03
Highlights of 2010-11	15
Key Financial Indicators	130
Notice	132
Directors' Report	134
Management Discussions & Analysis	139
Corporate Governance Reprot	157
Auditors' Report	178
Balance Sheet	180
Profit & Loss Account	181
Schedules 1 to 18	182
Cash Flow Statement	205
Consolidated Auditors' Report	207
Consolidated Balance Sheet	208
Consolidated Profit & Loss Account	209
Consolidated Schedules 1 to 18	210
Consolidated Cash Flow Statement	226
Risk Management	228

प्रधान कार्यालय

यूनियन बैंक भवन
239, विधान भवन मार्ग,
नरीमन पॉइंट,
मुंबई - 400 021.

Head Office

Union Bank Bhavan,
239, Vidhan Bhavan Marg,
Nariman Point,
Mumbai - 400 021.

केंद्रीय कार्यालय

यूनियन बैंक भवन,
239, विधान भवन मार्ग,
नरीमन पॉइंट,
मुंबई - 400 021.

Central Office

Union Bank Bhavan,
239, Vidhan Bhavan Marg,
Nariman Point,
Mumbai - 400 021.

निवेशक सेवा प्रभाग

यूनियन बैंक भवन,
239, विधान भवन मार्ग,
नरीमन पॉइंट,
मुंबई - 400 021.

Investor Services Division

Union Bank Bhavan,
239, Vidhan Bhavan Marg,
Nariman Point,
Mumbai - 400 021.

रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट डाटामैटिक्स फायनांशियल सर्विसेस लि.

प्लॉट क्र. ए 16-17, पार्ट बी,
क्रॉस लेन, एमआईडीसी, अंधेरी (पूर्व),
मुंबई-400 093.

Registrar & Share Transfer Agent Datamatics Financial Services Ltd.

Plot No.B-5, Part B, MIDC,
Crosslane, Marol, Andheri (East),
Mumbai - 400 093.

लेखा परीक्षक AUDITORS

कृते जी. डी. आप्टे एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट

For G. D. APTE & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

कृते जगन्नाथन एंड सर्वेश्वरन
चार्टर्ड अकाउंटेंट

For JAGANNATHAN & SARABESWARAN
CHARTERED ACCOUNTANTS

कृते अरुण के. अग्रवाल एंड असोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट

For ARUN K. AGARWAL & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

कृते जे.एल. सेनगुप्ता
चार्टर्ड अकाउंटेंट

For J. L. SENGUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

कृते ओम प्रकाश एस. चपलोत एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट

For OM PRAKASH S. CHAPLOT & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

कृते जी. एस. माथुर एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट

For G. S. MATHUR & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS

श्री एम वी नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

SHRI M. V. NAIR
Chairman &
Managing Director

श्री एम. वी. नायर 1 अप्रैल 2006 से बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं. उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत कार्पोरेशन बैंक से की, जहां नकदी प्रबंधन सेवाएं आरंभ करने में उनकी अहम भूमिका थी. श्री नायर यूनियन बैंक में कार्यग्रहण करने से पूर्व देना बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक थे.

उनकी अगुवाई में बैंक ने प्रासेस, उत्पाद एवं कर्मचारियों में उत्कृष्टता लाने के लिए रुपांतरण प्रक्रिया के अधीन कई पहल की हैं. मार्च 2008 में, यूनियन बैंक की सभी शाखाओं को कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के अधीन लाये जाने के समय यूनियन बैंक देश के बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पहला बैंक था, जिसने यह उपलब्धि हासिल की थीं. जल्दी ही, बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सभी शाखाएं भी सीबीएस (सितंबर 2009) में शामिल हो गईं. यूनियन बैंक लोगों की पसंद का पहला बैंक बने, अपने इस विज़न के साथ बैंक ने *नव निर्माण* के रुप में अत्यंत सफलतापूर्वक रुपांतरण प्रक्रिया पूरी की. उन्नतपूर्ण प्रौद्योगिकी, प्रासेसिंग में बदलाव और कर्मचारियों के सशक्तीकरण के साथ आज बैंक एक ग्राहक केन्द्रित बैंक बन गया है. श्री नायर ने वैश्विक उपस्थिति के साथ बैंक को एक वित्तीय सुपर मार्केट बनाने की दिशा में कई कदम उठाए. आज, बैंक के पास संयुक्त उपक्रम के रुप में एक जीवन बीमा कंपनी एवं असेट मैनेजमेंट कारोबार के लिए एक अनुषंगी ईकाई है. बैंक की हांगकांग में एक शाखा एवं विदेश में पांच प्रतिनिधि कार्यालय हैं. पिछले पांच वर्षों में, बैंक का कारोबार 2.8 गुणा बढ़ा है. बैंक की दो पहलें, ग्राहक सेवा उत्कृष्टता एवं एच आर ट्रांसफार्मेशन प्रक्रियाधीन हैं. उनका यह प्रयास यूनियन बैंक को उसके शताब्दी वर्ष में एक प्रभावशाली सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

आप भारतीय रिज़र्व बैंक एवं भारत सरकार द्वारा गठित कई महत्वपूर्ण समितियों से जुड़े हुए हैं. आप वर्तमान में *बैंकों में ग्राहक सेवा पर गठित समिति*, *सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एचआर मामलों पर गठित समिति* और अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा के लिए भारिबैं. द्वारा (श्रीमती ऊषा थोराट, उप गवर्नर की अध्यक्षता में) गठित *उच्चस्तरीय समिति* के भी सदस्य हैं. इसके पूर्व, श्री नायर विभिन्न समितियों से भी संबद्ध रहे, जिनमें *देश में ग्रामीण विकास से संबंधित समस्याओं पर विचार करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति*, योजना आयोग द्वारा *समावेशी बैंकिंग के लिए आईसीटी आधारित मोबाइल बैंकिंग सेवा केन्द्रों के लिए वैकल्पिक मॉडलों का सुझाव* देने के लिए गठित अध्ययन दल, सेबी द्वारा गठित *प्राइमरी मार्केट एडवाइज़री समिति* और *निर्यातकों को डालर निर्यात ऋण के प्रवाह की निगरानी* के लिए गठित समिति प्रमुख हैं.

श्री नायर जून 2009 से एक वर्ष तक भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष भी रहे. इस अवधि के दौरान, उन्होंने सशक्त और किफायती रिटेल भुगतान प्रणाली के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई), ऋण प्रदाता को संपत्ति के विरुद्ध वित्त प्रदान करने में निहित जोखिम का उचित आकलन करने की सुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रानिक रजिस्ट्री कार्यालय और बासल II के अंतर्गत उन्नत दृष्टिकोण में संक्रमण के लिए आंतरिक हानि आंकड़ों के पूरकीकरण में सहायता के लिए कोरडेक्स जैसी कई संस्थाओं के गठन में सक्रिय भूमिका निभाई है. आप भारतीय बैंक संघ की वेतन समझौता समिति के भी अध्यक्ष थे. उन्होंने बैंकों में वित्तीय समावेशन की अवधारणा लागू कराने में गहरी रुचि दिखाई.

वर्तमान में, श्री नायर बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) के गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष हैं एवं इसकी वित्तीय समिति से भी जुड़े हुए हैं. आप भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (आईआईबीएफ) के उपाध्यक्ष और संस्थान की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष भी हैं. आप जीआईसी-आरई के बोर्ड में निदेशक, भारतीय बैंक संघ की प्रबंधन समिति के सदस्य, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य और "ओवरसीज़ इंडिया फैसिलिटेशन सेंटर" की गवर्निंग काउन्सिल के मेंबर ट्रस्टी भी हैं. आप अपने नवोन्मेषी अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. श्री नायर एक महान उत्प्रेरक एवं उत्कृष्ट वक्ता हैं. अपनी नवोन्मेषी पहलों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जड़ों तक बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं पहुंचाने में आपकी गहरी रुचि है.

Shri M. V. Nair is the Chairman & Managing Director of the Bank since 1st April, 2006. Having started his career in Corporation Bank, where he was instrumental in establishing the Cash Management Services, Shri Nair was the Chairman & Managing Director of Dena Bank prior to joining the current position.

A series of transformation initiatives have taken place in the Bank under his leadership with focus on bringing excellence in process, product and the people. In March 2008, when Union Bank networked all its branches under the Core Banking Solution (CBS), it was the first large Public Sector Bank having achieved this feat. Soon, Bank was the first to have all branches of its sponsored RRBs under CBS (Sep 2009). His vision that Union Bank be the 'bank of first choice' resulted into a successful transformation process called *Nav Nirman.* By leveraging technology, changing processes and empowering people bank has today become a customer-centric organization. Shri Nair also pursued the vision of becoming a financial supermarket with global presence for the Bank. Today, Bank has a Joint Venture Life Insurance Company and a subsidiary for Asset Management business. Bank has one branch at Hong Kong and five representative offices. In the preceding five years, Bank's business has grown by 2.8 times. The two initiatives of the Bank currently underway are for customer service excellence and HR transformation. He is spearheading these initiatives to position Union Bank as the leading nationalized bank in its centenary year.

He has been associated with many important committees set up by the Reserve Bank of India and the Government. He is presently a member of the '*Committee on Customer Services in Banks*' and was also a member of the '*Committee on HR issues of Public Sector Banks*' and the member of 'High powered Committee' set up by the RBI (Chairperson - Smt. Usha Thorat, Dy Governor) to review the Lead Bank Scheme. Prior to this, Shri Nair has been associated with various committees, namely '*High Level Committee to Deliberate Issues Concerning Urban Development in the country'*, a study group constituted by the Planning Commission to examine various '*alternate models for establishing ICT based mobile banking service centres for inclusive banking'*, '*Primary Markets Advisory Committee*' set up by SEBI, '*Committee to Monitor Flow of Dollar Export Credit to Exporters'*.

Shri Nair was also the Chairman of Indian Banks' Association for one-year term beginning June 2009. During this period, he was instrumental in several institution-building initiatives like formation of *National Payments Corporation of India* (NPCI) for a robust and affordable retail payment mechanism, *Central Electronic Registry Office* for home loans to equip the lender better for making a fair assessment of the risk undertaken while providing finance against property and *CORDEX* to help in complementing internal loss data while migrating to advanced approaches under Basel II. He was also the Chairman of *Wage Negotiation Committee* of Indian Banks' Association. He also took a special interest in promoting financial inclusion initiatives of banks.

Presently Shri Nair is also the Chairman of the Governing Board of the Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) and serves on its Finance Committee. He is the Vice President of Indian Institute of Banking and Finance (IIBF) and also serves as Chairman of the Institute's Executive Committee. He is a Director on the board of GIC-Re, member on the Management Committee of Indian Banks' Association, member of the Governing Board of the National Institute of Bank Management and member trustee on the Governing Council of 'Overseas India Facilitation Centre'. He is known for his innovative approach, is a great motivator and a prolific speaker. Shri Nair has a passion for deepening banking and financial services to the rural hinterland through innovative ways.

श्री एस. सी. कालिया
कार्यपालक निदेशक

SHRI S. C.KALIA
Executive Director

श्री कालिया ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में 21 नवंबर 2009 को कार्यभार ग्रहण किया. इससे पहले वे 08 अक्तूबर 2008 से विजया बैंक के कार्यपालक निदेशक थे. श्री कालिया बैंक ऑफ बड़ौदा के केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई में होलसेल बैंकिंग पोर्टफोलियो के प्रभारी महा प्रबंधक रह चुके हैं. राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर स्वर्णपदक विजेता श्री कालिया एक व्यावसायिक बैंकर के रूप में देश और विदेश में विभिन्न पदों पर 35 वर्ष से अधिक अवधि से कार्य कर रहे हैं. बैंक ऑफ बड़ौदा में सेवा करते समय उन्होंने आगरा एवं बरेली क्षेत्र के प्रमुख के रूप में सफलतापूर्वक कार्य किया है. देश एवं विदेश में व्यापक रूप से कार्य कर चुके श्री कालिया विशेषकर ऋण एवं अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग संबंधी मामलों में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं. वर्ष 1990 में वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में अपनी पदोन्नति पर आपको लंदन में बैंक के ग्रुप कंट्रोल ऑफिस में नियुक्त किया गया था. आप बैंक के अंचल कार्यालय - उत्तर प्रदेश में पश्चिमांचल के ऋण एवं अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग कारोबार के प्रभारी भी रहे. श्री कालिया बैंक ऑफ बड़ौदा के संयुक्त उद्यमों - बड़ौदा पायनियर एसेट मैनेजमेंट कं. लि. और बड़ौदा एल एंड जी लाइफ इंश्योरेंस कं. के शिल्प-निर्माता थे. आप मॉरिशस में बैंक के परिचालनों के मुख्य कार्यपालक, आईसीआईसीआई वेंचर फंड द्वारा प्रायोजित सुपरवाइजर बोर्ड ऑफ इंडिया एडवांटेज फंड के बोर्ड सदस्य थे. आप बैंक ऑफ बड़ौदा (बोट्सवाना) लि. के बोर्ड में, तत्कालीन बरेली कार्पोरेशन बैंक लि., नैनीताल बैंक लि., एवं बैंक ऑफ बड़ौदा (हांगकांग) लि. के निदेशक मंडल में निदेशक भी थे. श्री कालिया प्रतापगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष भी रह चुके हैं. श्री कालिया को अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें बैंकर शिरोमणि पुरस्कार और उत्तरकाशी पुरस्कार शामिल हैं. इस समय श्री कालिया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं केबीसी बेल्जियम की संयुक्त उद्यम कंपनी यूबीआई केबीसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लि. के निदेशक मंडल के सदस्य हैं.

Shri Kalia assumed charge as Executive Director of Union Bank of India w.e.f. November 21, 2009. He was earlier the Executive Director of Vijaya Bank with effect from October 8, 2008. Prior to taking charge at Vijaya Bank, Shri Kalia was General Manager in charge of the Wholesale Banking portfolio at the Bank of Baroda's Corporate Centre, Mumbai. A post-graduate gold medalist in Political Science, Shri Kalia has been a professional banker for over thirty eight years in various capacities across the country and abroad. While serving Bank of Baroda, he headed its Agra and Bareilly Regions successfully. Widely traveled within and outside the country, Shri Kalia is known for his expertise, especially in credit related matters and international banking. On his promotion as Senior Manager in the year 1990, he was posted to the Bank's Group Control Office in London. He was also in-charge of credit and International Banking Business of the Bank's Zonal Office Western Zone in UP. Shri Kalia was the architect of the Bank of Baroda's Joint Ventures Baroda Pioneer Asset Management Company Ltd. and Baroda L & G Life Insurance Company. He was the Chief Executive of the Bank's operations in Mauritius and the Board Member of the Supervisory Board of India Advantage Fund sponsored by ICICI Venture Fund. He was also Director on the Board of Bank of Baroda (Botswana) Ltd. Director on the Board of Directors and Audit Committee of the Board of Erstwhile Bareilly Corporation Bank Ltd., Nainital Bank Limited and Bank of Baroda (Hong Kong) Ltd. Shri Kalia was also the Chairman of Pratapgarh Kshetriya Gramin Bank. Shri Kalia is the recipient of several awards including Banker Shiromani Award and Utakarsh Award. Shri Kalia is presently a Director on the Board of Union KBC Asset Management Company Ltd. a Joint Venture Company of Union Bank of India and KBC, Belgium.

श्री एस. एस. मूंदड़ा
कार्यपालक निदेशक

SHRI S. S. MUNDRA
Executive Director

श्री मूंदड़ा ने 1 सितंबर 2010 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया है. 18 जुलाई 1954 को जन्मे श्री मूंदड़ा पुणे विश्वविद्यालय से कामर्स में पोस्ट गेजुएट और इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के प्रमाणित एसोसिएट हैं.

यूनियन बैंक में कार्यग्रहण से पूर्व श्री मूंदड़ा बैंक ऑफ बड़ौदा में महाप्रबंधक के वर्ग में थे और उनको 7 जनवरी 2008 से बैंक के यूरोपियन परिचालनों का मुख्य कार्यपालक बनाया गया था. इसके पूर्व वे मुंबई में ट्रेजरी व संसाधन प्रबंधन के प्रभारी महाप्रबंधक थे.

उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा में सीधे भर्ती अधिकारी के तौर पर 21 मार्च 1977 को सेवा आरंभ की थी. अपने तीन दशक के बैंकिंग कैरियर में उन्होंने देश और विदेश में कई पदों पर काम किया है. कैरियर के आरंभ में वे बैंक की कई शाखाओं के शाखा प्रबंधक और बैंक के क्षेत्रीय और अंचलीय कार्यालयों में क्रेडिट के प्रभारी रहे थे. 1994-97 के दौरान उन्होंने उगांडा में बैंक की सहायक कंपनी में काम किया. श्री मूंदड़ा 2001 से 2005 तक और पुन: 2007 में ट्रेजरी में रहे. इस दौरान उन्होंने मनी मार्केट परिचालन के प्रभारी, ट्रेजरी बैक आफिस के प्रमख, ट्रेजरी फ्रंट आफिस के प्रमुख आदि के रूप में काम किया और बाद में संपूर्ण ट्रेजरी के महाप्रबंधक पद पर आसीन हुए.

2005-2007 के दौरान उनको "फालो ऑन पब्लिक ऑफर" का कार्य सौंपा गया जो जनवरी 2006 में अभूतपूर्व सफलता के साथ पूरा हुआ. इसके बाद वे बैंक के महाराष्ट्र और गोवा अंचल के अंचल प्रमुख बने इसमें 204 शाखाएं थीं और ₹ 10 बिलियन का कारोबार था तथा इसका विशाल भौगोलिक क्षेत्र था.

उनके कार्य काल में अंचल में बैंक की कई नई पहल यथा "एसएमई लोन फैक्टरी" और "जेन नेक्स्ट ब्रांच" लांच लिये गये थे जो बाद में बैंक के कारोबार को बहुत बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुए.

वर्ष 2006 में वे बैंक के निदेशक मंडल के सचिव भी रहे थे और लंबे समय तक वे बैंक के निवेशक संबंध कार्य से भी जुड़े रहे थे.

उन्होंने बैंक के कार्य, सेमिनार में भाग लेने और कुछ विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए कई देशों की यात्रा की हैं

वे बैंक के प्रशिक्षण संस्थान तथा अन्य बैंकों के प्रशिक्षण संस्थानों ओर बैंकिंग संस्थाओं में अतिथि फैकल्टी भी रहे हैं.

भारत में श्री मूंदड़ा ने मिटकान, पुणे, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लि. (सीडीएसएल), मुंबई, क्लीयरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सीसीआईएल), मुंबई और बॉब असेट मैनेजमेंट कंपनी जैसी कंपनियों के बोर्ड में बैंक का प्रतिनिधित्व किया है.

वे बैंक ऑफ बड़ौदा में लंदन कार्यकाल के दौरान इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) के बोर्ड में भारत सरकार के नामित निदेशक रहे हैं. इस समय वे स्टार यूनियन दाइ ईची लाइफ इंश्योरेंस और नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया के बोर्ड में हैं.

श्री मूंदड़ा एक अच्छे पाठक हैं और उनके पठन का क्षेत्र नेतृत्व, साहित्य, बैंकिंग से लेकर योग और दर्शन तक विस्तृत है.

Shri Mundra assumed charge as Executive Director of Union Bank of India w.e.f. September 1, 2010. Born on 18th July, 1954, Shri Mundra is a Post Graduate in Commerce from the University of Pune and is also a Certified Associate of Indian Institute of Banking and Finance.

Prior to joining Union Bank, Shri S. S. Mundra was in the rank of General Manager of Bank of Baroda and was posted as Chief Executive of Bank's European Operations w.e.f. 7th January, 2008. Prior to this, he was holding the charge as General Manager Treasury and Resource Management at Mumbai.

He joined Bank of Baroda on 21st March, 1977 as a Directly Recruited Officer. In a Banking Career, spanning over three decades, he has held various positions across the country as well as overseas. Early in his career, he had been Branch Manager at various branches of the Bank as also in charge of Credit Functions of various Regional/Zonal offices of the bank. During the years 1994-1997 he was posted at Bank's subsidiary at Uganda. Shri Mundra had been in Bank's Treasury function from the year 2001 to 2005 and again in the year 2007. During the stint, he has worked in various Treasury functions including in charge of Money Market Operations, Heading the Treasury Back Office, Heading the Treasury Front Office and finally rising to the post of General Manager of entire Treasury Operations.

During the period 2005-2007, he was assigned to steer the bank's "follow on Public Offer" which was completed in the month of January, 2006 with a resounding success. Thereafter, he took over as the Zonal Head of Bank's Maharashtra and Goa Zone, spanning over a large geographical area consisting of 204 branches and business level of Indian ₹ 10 Bn.

Bank's new initiatives viz. "SME Loan Factory", "Gen- Next Branch" etc. were launched in the Zone during his stint which later developed as a robust business model for the bank.

He was also Secretary to the Board of Directors of the Bank in the year 2006 and has also been associated with Investor Relationship Function of the Bank for a long time.

He has travelled widely and has visited several countries in the course of Bank's assignments, seminars and also for a few specialised trainings.

He has also been a visiting faculty to the Bank's Training Institutions as well as Training Institutions of other Banks and Banking Bodies.

In India, Shri Mundra has represented the Bank as a Director on the Board of many companies viz. MITCON, Pune, Central Depositary Services Limited (CDSL), Mumbai, Clearing Corporation of India Limited (CCIL), Mumbai and Bob Asset Management Company.

He was also a Nominee Director of Govt. of India on the Board of India Infrastructure Finance Company (UK) Limited, London during his stint with Bank of Baroda, London. He is presently on the Board of Star Union Dai-Ichi Life Insurance and National Payments Corporation of India.

Shri Mundra is an avid reader and his reading interests range from Leadership literature, banking to Yoga and Philosophy.

श्री के.वी. ईप्पन
भारत सरकार नामिती

SHRI K.V. EAPEN
Government of
India Nominee

श्री ईप्पन दिनांक 10 जून 2008 से बैंक के निदेशक मंडल में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं. वे असम-मेघालय कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और संप्रति भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग, नई दिल्ली में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के सेंट स्टीफेन कालेज के अल्युम्नी श्री ईप्पन बी ए एवं अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं. आपने एम डी आई, गुड़गांव से मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं ब्रॉडफोर्ड युनिवर्सिटी, यू के से मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी एवं प्लानिंग में एमएससी भी की है.

आपने असम एवं मेघालय के विभिन्न जिलों में एक दशक से भी अधिक समय तक जिला प्रशासन का कार्यभार संभाला है. इसके अलावा, आपके पास स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पर्यटन, योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, कृषि एवं उद्योग के क्षेत्र का व्यापक अनुभव है. आप दो वर्ष तक असम के वित्त सचिव भी रह चुके हैं. आपने वाणिज्य एवं उद्योग, पर्यटन और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग जैसे विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों में भी कार्य किया है.

श्री ईप्पन के वर्तमान कार्यभार में कृषि ऋण, वित्तीय समावेशन, ग्रामीण बैंकिंग के साथ ही साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में मानव संसाधन एवं संगठन संबंधी मामले शामिल हैं.

Shri Eapen represents Government of India on the Board of Directors of the Bank with effect from 10th June, 2008. He is an IAS Officer of the Assam-Meghalaya cadre of 1984 batch and is presently Joint Secretary, (Banking Administation), Department of Financial Services, Government of India, New Delhi. An alumni of St. Stephen's College, University of Delhi, he has a Bachelor of Arts degree and a Post Graduate degree in Economics. He also holds a Post Graduate Diploma in Management from Management Development Institute Gurgaon and an M.Sc. in Macro Economic Policy and Planning from the University of Bradford, United Kingdom.

He has worked in different districts of Assam and Meghalaya spanning more than a decade in District Administration. In addition he has experience in areas such as Health and Family Welfare, Tourism, Planning and Programme Implementation, Agriculture and industries. He was also Finance Secretary of Assam for two years. He has also served in various Central Ministries such as Commerce and Industry, Tourism and the Department of Personnel and Training.

Shri Eapen is looking after issues relating to Agriculture Credit, Financial Inclusion, Rural Banking besides HR and Establishment issues of Public Sector Banks in his current assignment.

श्रीमती मीना हेमचंद्र

SMT. MEENA HEMCHANDRA

बैंक के निदेशक मंडल में बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 के खंड (3) (जी)और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) स्कीम, 1970/1980 के खंड 3 के उप खंड (1) के अंतर्गत दिनांक 30 जुलाई, 2010 से भारत सरकार द्वारा नामित. सुश्री मीना हेमचंद्र ने 1982 में भारतीय रिजर्व बैंक में सेवा आरंभ की थी. वे अर्थशास्त्र में स्नातक और आईसीएफएआई हैदराबाद से सीएफए हैं. रिजर्व बैंक में उन्होंने मुख्यत: बैंकिंग पर्यवेक्षण और विदेशी मुद्रा विभाग में कार्य किया है. रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय में तीन वर्ष से अधिक समय तक संकाय रहने के साथ वे 1996 से 2001 के मध्य भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लि. में भी कार्य कर चुकी हैं. मुख्य महा प्रबंधक के रूप में वे 2004 से 2005 के बीच बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय की प्रमुख रही हैं और बैंक द्वारा आरंभ किये गये जोखिम आधारित पर्यवेक्षण से सक्रिय रूप से संबद्ध रही हैं. दिसंबर 2005 से फरबरी 2011 के मध्य वे विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करने वाले बाहरी निवेश और परिचालन विभाग की प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक रही हैं. मार्च, 2011 से वे विदेशी मुद्रा विभाग में मुख्य महाप्रबंधक के पद पर हैं.

Nominated by Government of India, as Director with effect from 30th July, 2010, under clause (c) of Sub-section 3 of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act,1970/1980 read with sub-clause (1) of clause 3 of The Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme,1970/1980. Ms. Meena Hemchandra, joined Reserve Bank of India in 1982. She holds a degree in economics and is a CFA from ICFAI, Hyderabad. In Reserve Bank, she has largely been in the areas of banking supervision and foreign exchange. Apart from being a faculty for over three years with the Reserve Bank Staff College, she was also associated with the Bhartiya Reserve Bank Note Mudran Ltd. for four years between 1996 to 2001. As Chief General Manager, she was in-charge of the Mumbai Regional Office of the Department of Banking Supervision between 2004 to 2005 and was also actively associated with the Risk Based Supervision initiated by the Bank. Between December 2005 to February 2011 she was Chief General Manager-in-Charge of the Department of External Investments & Operations which manages the foreign exchange reserves. She is Chief General Manager-in-Charge of Foreign Exchange Department since March 2011.

श्री बी. एम. शर्मा
Shri B.M.SHARMA

श्री बी. एम. शर्मा बैंक के निदेशक मंडल में बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 के सनदी लेखाकार श्रेणी खंड (3)(जी) के अंतर्गत दिनांक 16 अप्रैल, 2010 की अधिसूचना के जरिये नियुक्त किए गए हैं.

श्री शर्मा अर्हताप्राप्त सनदी लेखाकार हैं जो 27 से अधिक वर्ष से प्रैक्टिस कर रहे हैं. इसके अतिरिक्त, आप अर्हताप्राप्त सूचना प्रणाली लेखापरीक्षक भी हैं. आपने अपने दो दशकों से अधिक के अनुभव के दौरान समवर्ती लेखापरीक्षा तथा बैंकों के कई अन्य कार्यों का संचालन भी किया है तथा वित्त, बैंकिंग एवं कराधान में विशेषज्ञता प्राप्त की है.

यूनियन बैंक में अपने नामांकन से पहले श्री शर्मा सनदी लेखाकार श्रेणी के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त विजया बैंक के निदेशक मंडल में थे.

श्री शर्मा वर्ष 2009 के दौरान इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स ऑफ इंडिया की व्यावसायिक विकास समिति में विशेष आमंत्रित थे. व्यावसायिक विकास समिति से जुड़े होने के कारण आपको सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी इक्विटी वित्तपोषण और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के क्षेत्रों में गहन अनुभव है.

Shri B.M. Sharma has been appointed on the Board of the Bank vide notification dated 16th April, 2010 under the clause 9 (3)(g), chartered Accountant Category of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980.

Shri B.M. Sharma is qualified Chartered Accountant practicing for more than 27 years. In addition he is also qualified Information System Auditor. During his span of experience of over two decades he has handled Concurrent Audit and various other assignments of banks and has gained expertise in the field of Finance, Banking & Taxation.

Prior to his nomination to Union Bank Shri Sharma had been on the Board of Vijaya Bank appointed by Central Government under Chartered Accountant Category.

Shri Sharma was also a special invitee to Professional Development Committee of the Institute of chartered Accountants of India during the year 2009. During his association with Professional Development Committee he has worked very closely in the fields of Public Sector Undertakings, Private Equity Financing and Regional Rural Banks.

श्री एन. शंकर
SHRI N. SHANKAR

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (ई) के अंतर्गत निदेशक के रुप मे नामित हैं. 1979 से बैंक के कर्मचारी हैं एवं वर्तमान में एम.एस.मार्ग शाखा, मुंबई में विशेष सहायक के रुप में पदनामित है. संप्रति यूनियन बैंक स्टाफ यूनियन, मुंबई के महासचिव एवं बैंक में बहुमत प्राप्त यूनियन के रुप में मान्य एआईयूबीईए के संगठन सचिव हैं. आप महाराष्ट्र राज्य बैंक कर्मचारी संघ, जिसमें 50000 से अधिक कर्मचारी शामिल हैं, के संयुक्त सचिव तथा नेशनल जनरल कौंसिल के सदस्य भी हैं. आप एआईबीईए आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अनेक स्तरों पर गठित विभिन्न समितियों के भी सदस्य, विज्ञान स्नातक तथा आईसीडब्ल्यूए के सदस्य हैं.

आप पिछले 8 वर्षों से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट में कर्मचारी प्रतिनिधि के रुप में पीएफ ट्रस्टी भी हैं. यूनियन परिवार के जरिये विभाग का कार्य सुसंगत बनाने एवं उसमें सुधार लाने हेतु आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसके फलस्वरुप भविष्य निधि ऋण एवं सेवानिवृत्ति देयों का त्वरित संवितरण संभव हो सका है.

आप नवी मुंबई में सहकारिता समिति आंदोलन में भी सक्रिय हैं तथा म्यूनिसिपल कर आदि लागू करने हेतु नवी मुंबई म्यूनिसिपल कार्पोरेशन एवं नागरिकों द्वारा बनायी गयी कार्य समिति के प्रमुख सदस्य हैं.

Government nominated Director under Clause (e) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980. A Bank employee since 1979 and is presently a Special Assistant in M. S. Marg branch, Mumbai. Currently, he is the General Secretary, Union Bank Staff Union, Mumbai and Organizing Secretary of AIUBEA the majority recognized Union in the Bank. He is also the Working Committee Member of Maharashtra State Bank Employees Federation covering more than 50,000 employees and is also the National General Council member. He is also a member of many Committees at various levels that take up updating AIUBEA movement. He is a Graduate in the faculty of Science and a member of the Institute of Cost and Works Accountants of India.

An employee representative on the PF Trustee in the Union Bank of India employees PF Trust for the last eight years, he has been instrumental in bringing about various improvements and streamlining the functioning of the department through Union Parivar resulting in speedy disbursement of PF Loans and Retirement dues.

He is also involved in the Cooperative Society movement in Navi Mumbai and is the key member of the action committee formed by Navi Mumbai Municipal Corporation and Citizens to implement Municipal tax etc.

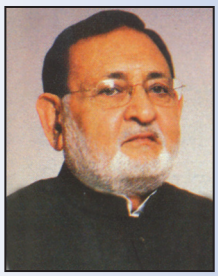

डॉ गुलफाम मुज़ीबी
DR. GULFAM MUJIBI

दिनांक 29 जनवरी 2009 से बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा 3(एच) तथा (3-ए) के अंतर्गत अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रुप में भारत सरकार द्वारा नामित हैं. डॉ गुलफाम मुज़ीबी रांची विश्वविद्यालय से स्वर्ण पदक सहित परास्नातक हैं. आपको रांची विश्वविद्यालय से पीएचडी एवं एलएलबी की उपाधि भी प्राप्त है. डॉ मुज़ीबी अपने कालेज की उम्र से विभिन्न सामाजिक सेवाओं में सक्रिय रहे हैं. आपने अपना कॅरियर जिला युवक कांग्रेस के महासचिव पद से आरंभ किया था. इस समय आप झारखंड अल्प संख्यक आयोग के अध्यक्ष, झारखंड राज्य कांग्रेस समिति के उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य, राज्य निर्वाचन समिति, झारखंड के सदस्य, अल्प संख्यक शैक्षिक संस्थानों के राष्ट्रीय आयोग के समन्वयक, रांची विश्वविद्यालय की सीनेट के सदस्य और मिल्ली तालीमी मिशन (बिहार और झारखंड) के अध्यक्ष हैं. इसके अतिरिक्त आप बहुत से सामाजिक और शैक्षिक संस्थानों, जैसे बिहार प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग कालेज के निदेशक, महेन्द्र महिला कालेज के अध्यक्ष तथा अल हबीब महिला व विधि महाविद्यालय, बोकारो के संरक्षक और मौलाना आजाद कालेज, रांची के सचिव भी हैं.

Nominated by Government of India as a part-time non-official Director w.e.f. 29th January, 2009, under sub-section 3(h) and (3-A) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980. Dr. Gulfam Mujibi is a Post Graduate (MA) with a gold medal from Ranchi University. He also holds a Ph.D and LLB degree from Ranchi University. Dr. Mujibi has been involved in social service right from his college days. He started his career as a General Secretary of District Youth Congress. At present is Chairman Jharkhand Minority Commission, Vice President of Jharkhand State Congress Committee, Member of All India Congress Committee, Ex-Member of State Election Committee (Jharkhand), Coordinator of National Commission for Minority Educational Institution, Member of Senate, Ranchi University and Chairman of Milli Talimi Mission (Bihar and Jharkhand). In addition, he is associated with many social and educational institutions such as Director of Millat Primary Teachers Training College, President of Mahendra Mahila College, Patron of Al Habib Women's and Law College of Bokaro, Secretary of Maulana Azad College, Ranchi.

प्रो. एम. एस. श्रीराम
PROF. M.S. SRIRAM

आप 14 जून 2006 को संपन्न असाधारण सामान्य बैठक में बैंक के निदेशक मंडल में चुने गए तथा शेयरधारकों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं. आप ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आणंद (ईरमा) (1984) से ग्रामीण प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारी हैं तथा भारतीय प्रबंध संस्थान, बेंगलूर (1992) के सह-सदस्य (फेलो) हैं. संप्रति, आप भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद में वित्तीयन एवं लेखा क्षेत्र में प्रोफेसर हैं. आपको अकादमी एवं परामर्श के क्षेत्र में दो दशकों से अधिक का अनुभव है. वित्तीय लेखांकन, कृषि वित्त, सामाजिक उद्यमिता और माइक्रोफाइनेंस आपकी विशेष योग्यता के क्षेत्र हैं. आपकी दो पुस्तकें एवं कई पेपर प्रकाशित हो चुके हैं. वे रूडी मल्टी ट्रेडिंग कंपनी, संघमित्रा रूरल फायनांशियल सर्विसेस, नाबार्ड फायनांशियल सर्विसेस के निदेशक मंडल के सदस्य है. प्रो. श्रीराम बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, लखनऊ की गवर्निंग काउंसिल, ट्रस्टी दस्तकार आंध्र मार्केटिंग एसोसियेशन, प्रथम बुक्स के ट्रस्टी बोर्ड, ट्रस्टी दस्तकार आंध्र, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मेनेजमेंट, आणंद के गवर्नर मंडल के भी सदस्य के

Represents shareholder interests on the Board having been elected to the Board at the EGM held on 14th June 2006 and re-elected for a further period of 3 years in EGM held on 22nd June, 2009. He holds a Post Graduate Diploma in Rural Management from Institute of Rural Management, Anand (IRMA) (1984) and is a Fellow of the Indian Institute of Management, Bangalore (1992). He has more than two decades of experience in academia and consulting. His fields of expertise are Financial Accounting, Agricultural Finance, Social Entrepreneurship and Microfinance. His publications include two books and several papers. He also holds Board membership of RUDI Multi Trading Company, Sanghmitra Rural Financial Services and NABARD Financial Services Ltd. Prof Sriram is also member, Governing Council of Banker's Institute of Rural Development, Lucknow, Advisory Board of Trustees Dastkar Andhra Marketing Association, Board of Trustees Pratham Books, Trustee Dastkar Andhra, Board of Governors, Institute of Rural Management, Anand.

श्री अरूण नंदा
SHRI ARUN NANDA

श्री अरूण नंदा कलकत्ता विश्वविद्यालय के विधि स्नातक और इंस्टीटयूट ऑफ चॉर्टर्ड एकांउटेंटस ऑफ इंडिया (एफसीए) एवं इंस्ट्रीटयूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज (एफसीएस) के फैलो हैं. श्री नंदा लंदन बिज़नेस स्कूल के वरिष्ठ कार्यपालक कार्यक्रम में सम्मिलित हो चुके है. वे 1973 में महिन्द्रा समूह में सम्मलित हुए थे. कंपनी के साथ अपने 37वर्ष के कार्यकाल में वे समूह में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं.

उनको अगस्त 1992 में महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लि. (एमएंडएम) के निदेशक मंडल में शामिल किया गया था और मार्च, 2010 में उन्होंने समाज सेवा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए कार्यपालक निदेशक के पद से त्याग पत्र दे दिया था.

इस समय वे महिन्द्रा हालिडेज एण्ड रिसार्ट (इं) लि., महिन्द्रा लाइफस्पेस डवलपर्स लि. महिन्द्रा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लि. और महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी डवलपर्स लि. के चेयरमैन और महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि., महिन्द्रा वाटर यूटिलिटीज़ लिमि, महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लि., मुंबई मंत्र मीडिया लि., और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक हैं. वे शिनेडर इलेक्ट्रिक इंडिया प्रा.लि., एडवेंट इंडिया पी ई एडवाइसर्स प्रा.लि. और अलवारेज एंड मार्सल इंडिया प्रा.लि. मि. के सलाहकार बोर्ड में भी हैं.

श्री नंदा इंडो-फ्रेंच चेंबर ऑफ कामर्स के अवकाश प्राप्त अध्यक्ष, भारत में ई यू चैंबर ऑफ कामर्स की कांउसिल की गवर्निंग बॉडी के सदस्य और 2010-2011 से सीआईआई के पश्चिम क्षेत्र के चेयरमैन हैं.

श्री नंदा को वर्ष 2008 में फ्रांस के राष्ट्रपति श्री निकोलस सरकोजी द्वारा **"Chevalier de la Legion d Honneur" (Knight of the National Order of the Legion of Honour)** पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.

श्री नंदा को 2008 जीआईआरईएम नेतृत्व अवार्ड द्वारा " **Real Estate Person of the Year** " पुरस्कार भी प्रदान किया गया है.

श्री नंदा को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकांउटेट्स ऑफ इंडिया अवार्ड 2009 में " **सीए बिज़नेस एचीवर कारपोरेट** " और गोल्डन स्टार एवार्ड्स द्वारा हास्पीटेलिटी उद्योग और सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए " **लाइफटाईम एचीवमेंट अवार्ड** " भी प्रदान किया गया है.

Mr. Arun Nanda holds a Degree in Law from the University of Calcutta, is a fellow member of the Institute of Chartered Accountants of India (FCA) and a fellow member of the Institute of Company Secretaries of India (FCS). Mr. Nanda has also participated in a Senior Executive Programme at the London Business School. He joined the Mahindra Group in 1973. He has held several important positions within the Group over the 37 years he was with the company.

He was inducted to the Board of Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M) in August 1992 and resigned as Executive Director in March 2010 to focus on the social sector and create a favourable ecosystem for senior citizens. He was immediately re-appointed as a non-executive director of M&M.

He is currently the Chairman of Mahindra Holidays & Resorts (I) Ltd., Mahindra Lifespace Developers Ltd., Mahindra Consulting Engineers Ltd., and Mahindra World City Developers Ltd., and Director of Mahindra & Mahindra Ltd., Mahindra Water Utilities Ltd., Mahindra World City (Jaipur) Ltd., Mumbai Mantra Media Ltd. and Union Bank of India. He is also on the Advisory Boards of Schneider Electric India Pvt. Ltd., Advent India PE Advisors Pvt. Ltd. and Alvarez & Marsal India Pvt. Ltd.

Mr. Nanda is also the Chairman Emeritus of the Indo-French Chamber of Commerce, member of the governing Boards of the council of EU Chambers of Commerce in India and Chairman of CII Western Region from 2010-2011.

Mr. Nanda has been honoured with an award **of "Chevalier de la Legion d'Honneur" (Knight of the National Order of the Legion of Honour)** by the President of the French Republic, **Mr. Nicolas Sarkozy** in 2008**.**

Mr. Nanda has also been awarded with the "**Real Estate Person of the Year**" Award from GIREM Leadership Awards in India in 2008.

Mr. Nanda has also been awarded with the **"CA Business Achiever Award - Corporate**" at The Institute of Chartered Accountants of India Award 2009 and "**Lifetime Achievement Award**" for his outstanding contribution to the Hospitality Industry and the Service Sector by the Golden Star Awards 2010.

श्री एस. रवि
SHRI S. RAVI

श्री रवि विज्ञान स्नातक एवं कॉमर्स में स्नातकोत्तर होने के अलावा एक पेशेवर सनदी लेखाकार हैं. आप अन्य सार्वजनिक बैंकों के निदेशक मंडल में शेयरधारक और सनदी लेखाकार वर्ग के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त, दोनों हैसियत से निदेशक रहे हैं. आप अन्य अनेक कंपनियों के निदेशक मंडल में भी हैं, जिनमें प्रमुख हैं - महिन्द्रा उजाइन स्टील लि., भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि., आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स लि., आईडीबीआई होम फायनांस लि., यूटीआई ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लि., एलआईसी हाउसिंग फायनांस कार्पोनेशन लि., महर्षि हाउसिंग डेवेल्पमेंट कार्पोनेशन लि., एस रवि फायनांशियल मैनेजमेंट सर्विसेज़ प्रा. लि., मेसर्ज़ रवि राजन & कं. प्रा. लि. आपको चुनिंदा क्षेत्र में निरंतर प्रेरक उपलब्धियों के लिए इंदिरा गांधी सोलीडेरिटी अवार्ड प्राप्त हुआ था.

Shri Ravi is practicing Chartered Accountant apart from being a Science graduate and Masters in Commerce. He had been on the Board of other Public Sector Banks both in the capacity of a Shareholder Director and as appointed by the Central Government under Chartered Accountant Category. He is also on the Board in number of other companies, major amongst them are Mahindra Ugine Steel Limited, Bharat Heavy Electricals Limited, IDBI Capital Markets Limited, UTI Trustee Company P Ltd., LIC Housing Finance Corporation Ltd., Maharishi Housing Development Corporation Ltd., S. Ravi Financial Management Services Pvt. Ltd., GMR Channai Outer Ring Road Pvt. Ltd., Canbank Venture Capital Fund Ltd. He was awarded the Indira Gandhi Solidarity Award for scoring a string of inspiring achievements in chosen Field.

श्री वैद्यनाथ भट्टचार्जी
SHRI BAIDYA NATH BHATTACHARJEE

केंद्र सरकार ने भारिबैं. से विचार विमर्श कर बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम 1970/ 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (एफ) के साथ-साथ राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970/ 1980 की धारा 9 की उपधारा (1) एवं (2) में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री बी.एन. भट्टाचार्जी को अधिकारी निदेशक के रूप में नामित किया है.

श्री भट्टाचार्जी एक सक्रिय ट्रेड यूनियन नेता हैं एवं ट्रेड यूनियन उनका शौक है. उन्होंने अधिकारियों के हित के लिए अपने कैरियर एवं व्यक्तिगत सुख-सुविधाओं का भी त्याग कर दिया. लखनऊ यूनिवर्सिटी से स्नातक श्री भट्टाचार्जी ने विधि का भी अध्ययन किया है. वे एआईयूबीओएफ से 1989 में जुड़े एवं 1991 में इसकी सेंट्रल कमेटी के सदस्य मनोनीत किए गए. 1997 में, आप ऑल इंडिया यूनियन बैंक आफिसर्स फेडरेशन के कोषाध्यक्ष चुने गए एवं अभी तक उस पद पर बने हुए हैं. वर्तमान में, आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आफिसर्स एसोसिएशन, बंगाल व सिक्किम इकाई के उपाध्यक्ष और एआईबीओसी एवं एआईएनबीओएफ की पश्चिम बंगाल ईकाई के भी उपाध्यक्ष हैं. आपका एआईएनओबीएफ की स्थापना में भी योगदान रहा. श्री भट्टाचार्जी की अनुशासनिक कार्रवाई संबंधी मामलों में काफी रूचि है एवं उन्होंने उप महा प्रबंधक स्तर के कार्यपालकों सहित बहुत से अधिकारियों को समुचित न्याय दिलाया है. आपकी फोटोग्राफी, अंकशास्त्र, हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत एवं लोकसंगीत में भी काफी रूचि है. आप सामाजिक राजनीतिक एवं आर्थिक विषयों से जुड़ी सम-सामयिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखते हैं.

देश में बैंकिंग गतिविधियों की अच्छी समझ एवं पकड़ होने के कारण आप एआईयूबीओएफ की गृहपत्रिका यूनियन विज़न के उप संपादक भी हैं. प्रौद्योगिकी के प्रति अपने रूझान के कारण ही आप एआईयूबीओएफ की वेबसाइट के प्रशासक की भूमिका निभा रहे हैं.

Central Government after consultation with Reserve bank of India nominated Shri B.N. Bhattacharjee as an Officer Employee Director in exercise of the powers conferred by clause (f) of sub- section(3)of section 9 of The Banking Companies(Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 read with sub-clause (1) & (2) of clause 9 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous provisions) scheme 1970/1980 w.e.f. May 4, 2011.

Shri Bhattacharjee is an active trade-unionist with a great passion and sacrificed his career and personal comforts for the cause of the officers' fraternity. Shri Bhattacharjee, a graduate from Lucknow University had pursued study of law. He became activist of the AIUBOF since 1989 and became central Committee member since 1991. In 1997, he was elected as the Treasurer of the All India Union Bank Officer's Federation and is continuing in the post till date. At present he is Vice President of Union Bank of India Officer's Association, WB & Sikkim, Vice President of the West Bengal state units of AIBOC and AINBOF. He is one of the founder activists towards formation of AINBOF. He takes keen interest in disciplinary proceedings and assisted number of cases of the officers including Deputy General Manager with flying colours. Shri Bhattacharjee takes keen interest in photography, numerology, Hindustani classical and folk music. He is a keen observer of contemporary issues on socio-political and economic developments. With his great ability and fascination in banking activities in the country, he performs the duty of the sub-editor of Union Vision, the house journal of AIUBOF. Being a tech-savvy person, he is administrator of website of the AIUBOF as well.

महा प्रबंधक - GENERAL MANAGER

1.	Shri V K Khanna	श्री वी. के. खन्ना
2.	Shri T K Sharma	श्री टी. के. शर्मा
3.	Shri N S Mehta	श्री एन. एस. मेहता
4.	Shri V A Mendonsa	श्री वी. ए. मेंडोन्सा
5.	Shri P Y Nagar	श्री पी. वाई. नागर
6.	Shri S S Ghugre	श्री एस. एस. घुगरे
7.	Shri C Abraham	श्री सी. अब्राहम
8.	Shri D S Tripathi	श्री डी. एस. त्रिपाठी
9.	Shri S Govindan	श्री एस. गोविन्दन
10.	Shri S Rajendran	श्री एस. राजेन्द्रन
11.	Shri M C Mittal	श्री एम. सी. मित्तल
12.	Shri R B Menon	श्री आर. बी. मेनन
13.	Shri S K Sangar	श्री एस. के. सांगर
14.	Shri S P Goel	श्री एस. पी. गोयल
15.	Shri T K Srivastava	श्री टी. के. श्रीवास्तव
16.	Shri P K Bansal	श्री पी. के. बंसल
17.	Shri B Vara Prasad	श्री बी. वर प्रसाद
18.	Shri D K Jain	श्री डी. के. जैन
19.	Shri V J Mhatre	श्री वी. जे. म्हात्रे
20.	Shri S K Bhargava	श्री एस. के. भार्गव
21.	Shri S Aftabuddin	श्री एस. आफताबुद्दीन
22.	Shri S K Verma	श्री एस. के. वर्मा
23.	Shri Lalit Sinha	श्री ललित सिन्हा
24.	Shri T R Sahni	श्री टी. आर. साहनी
25.	Smt. Jyotsna M Jamkhandi	श्रीमती ज्योत्सना एम. जामखंडी

उप महा प्रबंधक - Dy. GENERAL MANAGER

1.	Shri M N Joshi	श्री एम. एन. जोशी
2.	Shri R B Patel	श्री आर. बी. पटेल
3.	Shri A Sudhakar	श्री ए. सुधाकर
4.	Shri K J Tandon	श्री के. जे. टंडन
5.	Shri O P Dua	श्री ओ. पी. दुआ
6.	Shri D V V B S Raju	श्री डी. वी. वी. बी. एस. राजू
7.	Shri M K Patnayak	श्री एम. के. पटनायक
8.	Shri Pravin Ch M Patel	श्री प्रवीण चंद्र एम. पटेल
9.	Shri V S Dole	श्री वी. एस. डोले
10.	Shri R G Kelkar	श्री आर. जी. केलकर
11.	Shri A M Ghosalkar	श्री ए. एम. घोसालकर
12.	Shri R K Aggarwal	श्री आर. के. अग्रवाल
13.	Shri R B Raswalkar	श्री आर. बी. रसवलकर
14.	Shri J P Bahuguna	श्री जे. पी. बहुगुणा
15.	Shri D C Satapathy	श्री डी. सी. सतपथी
16.	Shri M V Arekar	श्री एम. वी. आरेकर
17.	Shri K C Charmanna	श्री के. सी. चरमणा
18.	Shri S N Tripathy	श्री एस. एन. त्रिपाठी
19.	Shri R C Lodha	श्री आर. सी. लोढ़ा
20.	Shri B P Dimri	श्री बी. पी. डिमरी
21.	Smt. M R Prabhu	श्रीमती एम. आर. प्रभु
22.	Shri B B Khattar	श्री बी. बी. खट्टर
23.	Shri G R Bhokare	श्री जी. आर. भोकरे
24.	Shri A K Thakur	श्री ए. के. ठाकुर
25.	Shri G S Sodhi	श्री जी. एस. सोढ़ी
26.	Shri S Murali	श्री एस. मुरली
27.	Shri S V Kumthekar	श्री एस. वी. कुमठेकर
28.	Shri S K Sidhanti	श्री एस. के. सिद्धांती
29.	Shri N L Baruah	श्री एन. एल. बरुआ
30.	Shri B C Mohapatra	श्री बी. सी. मोहापात्रा
31.	Shri S Padmanabhan	श्री एस. पद्मनाभन
32.	Shri R D Groh	श्री आर. डी. ग्रोह
33.	Shri A K Kataria	श्री ए. के. कटारिया
34.	Smt. Rekha P Nayak	श्रीमती रेखा नायक
35.	Shri Pankaj Sharma	श्री पंकज शर्मा
36.	Shri A J D Thangaraj	श्री ए. जे. डी. थंगराज
37.	Shri A R Manavi	श्री ए. आर. मानवी
38.	Shri Ashok Kr Gupta	श्री अशोक कुमार गुप्ता
39.	Shri Sumeet K Gupta	श्री सुमित कुमार गुप्ता
40.	Shri A B Bopte	श्री ए. बी. बोपटे
41.	Shri L K Sikree	श्री एल. के. सीकरी
42.	Shri R S Pandey	श्री आर. एस. पांडे
43.	Shri V M Potdar	श्री वी. एम. पोतदार
44.	Shri K K Tiwari	श्री के. के. तिवारी
45.	Shri C S P Rao	श्री सी. एस. पी. राव
46.	Shri K A Subba Rao	श्री के. ए. सुब्बा राव
47.	Shri Debajyoti Gupta	श्री देबज्योति गुप्ता
48.	Shri S K Singh	श्री एस. के. सिंह
49.	Shri Hrushekesh Behera	श्री हृषिकेश बेहरा
50.	Shri Ravi Kumar Gupta	श्री रवि कुमार गुप्ता
51.	Shri R Maheshwaran	श्री आर. महेश्वरन
52.	Shri K N Raghunathan	श्री के. एन. रघुनाथन
53.	Shri D M Vengurlekar	श्री डी. एम. वेंगुर्लेकर
54.	Shri K C Gupta	श्री के. सी. गुप्ता
55.	Shri H K Gurnani	श्री एच. के. गुरनानी
56.	Shri A B Dhavale	श्री ए. बी. धवले
57.	Shri P K Khandelwal	श्री पी. के. खंडेलवाल
58.	Shri J K Neog	श्री जे. के. नियोग
59.	Shri A Ajmera	श्री ए. अजमेरा
60.	Shri Asit Swarup	श्री असित स्वरुप
61.	Shri A R Manickam	श्री ए. आर. मणिक्कम
62.	Shri S C Jain	श्री एस. सी. जैन
63.	Shri V K Jain	श्री वी. के. जैन
64.	Shri S C Chitkara	श्री एस. सी. चितकारा
65.	Shri M K Mehta	श्री एम. के. मेहता
66.	Shri M M Vaidya	श्री एम. एम. वैद्या
67.	Shri A K Acharya	श्री ए. के. आचार्या
68.	Shri T N Ghosh	श्री टी. एन. घोष
69.	Shri K Chandrasekhar	श्री के. चंद्रशेखर
70.	Shri Kandasamy R	श्री आर. कंडासामी
71.	Shri S Jayamohan Nair	श्री एस. जयमोहन नायर
72.	Shri N P Harale	श्री एन. पी. हरले
1.	*Shri Ajith Kumar Rath	श्री अजीत कुमार रथ
2.	*Shri M S Rao	श्री एम. एस.राव

वर्ष 2010-11 की प्रमुख बातें

- 31 मार्च 2011 को कुल **कारोबार ₹ 3,55,483 करोड़,** 22.04% की वृद्धि.
- कुल जमाराशि **₹ 2,02,461 करोड़,** 19.07% की वृद्धि. कासा जमाराशि में 19.18% की वृद्धि
- कुल अग्रिम **₹ 1,53,022 करोड़,** 26.20% की वृद्धि. रिटेल अग्रिम में 20.22% की वृद्धि
- परिचालन लाभ ₹ 3,659 करोड़ से बढ़कर **₹ 4,305 करोड़** .
- शुद्ध लाभ ₹ 2,075 करोड़ से बढ़कर **₹ 2,082 करोड़** .
- कोर शुल्क आय ₹ 896 करोड़ से बढ़कर ₹ 934 करोड़ हो गयी.
- शुद्ध ब्याज आय ₹ 4,192 करोड़ से बढ़कर ₹ 6,216 करोड़. 48.28% की वृद्धि
- शुद्ध ब्याज मार्जिन (अर्जक आस्तियों पर) 2.71% से सुधरकर **3.33%** हुआ.
- 31 मार्च 2011 को बासल II के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता अनुपात **12.95%,** नियामक अपेक्षा **9.0**% है. टियर I पूंजी पर्याप्तता अनुपात **8.69%** है**.**
- प्रति शेयर बही मूल्य **₹ 213.17**, पिछले वर्ष से **22.95%** अधिक.
- प्रस्तावित लाभांश 55% से बढ़कर **80%**
- अखिल भारतीय शाखा नेटवर्क 31 मार्च 2011 को 3,015 शाखाएं और 2,634 एटीएम.

Highlights of 2010-11

- Total Business size of ₹ **3,55,483 crore** as on March 31, 2011 an increase of 22.04%.
- Total Deposits of ₹ **2,02,461 crore**, an increase of 19.07%. CASA deposits grew at 19.18%.
- Total Advances of ₹ **1,53,022 crore**, an increase of 26.20%. Retail advances grew at 20.22%.
- Operating Profit increased from ₹ 3659 crore to ₹ **4,305 crore**.
- Net Profits increased from ₹ 2075 crore to ₹ **2,082 crore.**
- Core Fee Income increased from ₹ 896 crore to ₹ **934 crore.**
- Net Interest Income increased from ₹ 4,192 crore to ₹ **6216** crore, the growth being 48.28%.
- Net Interest Margin (On Earning Assets) improved from 2.71% to **3.33**%.
- Capital Adequacy Ratio (CRAR) under Basel II at **12.95%,** as on March 31, 2011 against the regulatory minimum of 9.0%. Tier I CRAR ratio at **8.69**%.
- Book Value per share of ₹ **213.17,** an increase of 22.95% over the previous year.
- Proposed Dividend up from 55% to **80%.**
- Pan India reach – Network of **3,015 branches** and **2634 ATM**s as on March 31, 2011.

महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक

क्र. सं.	विवरण (प्रतिशत में)	31.03.2002	31.03.2003	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2006	31.03.2007	31.03.2008	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2011
1	ब्याज आय / औसत कार्यशील निधियां (ए डब्ल्यू एफ)	9.96	9.20	8.43	7.96	7.49	8.08	8.35	8.78	8.04	8.33
2	ब्याज व्यय / ए डब्ल्यू एफ	6.65	6.00	5.19	4.65	4.46	5.03	5.76	5.96	5.51	5.19
3	ब्याज स्प्रेड / ए डब्ल्यू एफ	3.31	3.20	3.24	3.31	3.03	3.05	2.80	2.82	2.53	3.14
4	गैर-ब्याज आय / ए डब्ल्यू एफ	1.24	1.76	1.55	1.23	0.63	0.75	0.98	1.09	1.19	1.03
5	परिचालन व्यय / ए डब्ल्यू एफ	2.39	2.17	2.02	2.01	1.79	1.61	1.44	1.63	1.52	2
6	लागत आय अनुपात	52.66	43.82	42.26	44.42	48.90	42.45	38.17	41.81	40.66	47.85
7	सकल (परि.) लाभ / ए डब्ल्यू एफ	2.16	2.79	2.77	2.52	1.87	2.19	2.34	2.28	2.21	2.18
8	शुद्ध लाभ / ए डब्ल्यू एफ	0.78	1.18	1.33	1.15	0.86	0.92	1.26	1.27	1.25	1.05
9	नेट वर्थ पर प्रतिलाभ	14.90	21.53	27.36	22.90	16.55	17.88	24.70	24.79	23.69	18.63
10	वर्षांत आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.71	1.08	1.22	0.99	0.76	0.82	1.12	1.07	1.06	0.88
11	औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.75	1.16	1.32	1.10	0.84	0.92	1.26	1.27	1.25	1.05
12	अग्रिमों पर प्रतिफल	10.95	10.02	9.03	8.33	8.18	8.98	10.12	11.06	9.94	9.86
13	जमाराशियों की लागत	7.03	6.46	5.64	4.97	4.75	5.23	6.19	6.5	5.94	5.53
14	शुद्ध लाभ का लाभांश भुगतान अनुपात (कार्पोरेट लाभांश कर सहित)	14.33	19.72	25.51	25.32	30.78	24.20	17.04	17.11	15.66	23.44
15	ऋण जमा अनुपात	56.45	59.55	61.17	67.96	75.50	76.46	75.55	73.22	73.71	78.11
16	ऋण + गैर एस एल आर निवेश (अनुषंगी ईकाइयों में निवेश को छोडकर) - जमा अनुपात	63.30	67.36	73.74	77.86	84.29	81.49	78.44	76.75	80.75	84.08
17	पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल I)	11.07	12.41	12.32	12.09	11.41	12.80	12.51	12.01	12.51	12.95
	टीयर -I	6.16	6.86	6.47	6.07	7.32	7.79	7.45	7.40	7.91	8.69
	टीयर - II	4.91	5.55	5.85	6.02	4.09	5.01	5.06	4.61	4.6	4.26

महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक

क्र. सं.	विवरण	31.03.2002	31.03.2003	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2006	31.03.2007	31.03.2008	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2011
1	कर्मचारी (संख्या)	25822	25706	25630	25645	25421	25969	25722	27510	27772	27746
2	शाखाएं (संख्या)	2023	2020	2020	2051	2082	2206	2361	2558	2805	3016
3	प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ करोड़ में)	2.15	2.50	2.86	3.46	4.36	5.09	6.20	6.94	8.53	10.43
4	प्रति कर्मचारी सकल लाभ (₹ लाख में)	3.37	5.07	5.79	6.13	5.77	7.70	10.03	11.2	13.18	15.52
5	प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (₹ लाख में)	1.22	2.15	2.78	2.81	2.66	3.25	5.39	6.28	7.47	7.50
6	प्रति शाखा कारोबार (₹ करोड़ में)	27.41	31.78	36.35	43.35	53.29	59.94	67.52	74.61	84.49	95.93
7	प्रति शाखा सकल लाभ (₹ करोड़ में)	0.43	0.65	0.73	0.77	0.70	0.91	1.09	1.20	1.30	1.43
8	प्रति शाखा शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	0.16	0.27	0.35	0.35	0.32	0.38	0.59	0.68	0.74	0.69
9	प्रति शेयर आय (रुपयों में)	9.29	13.95	15.47	15.64	14.58	16.74	27.46	34.18	41.08	39.71
	प्रति शेयर बही मूल्य (रुपयों में)	39.03	40.70	55.71	67.18	80.77	93.60	111.19	137.87	173.38	213.17

नोट : * औसत कारोबार

परिभाषाएं :

औसत कार्यशील निधियां (ए डब्ल्यू एफ)	:	कुल आस्तियों का पाक्षिक औसत
औसत जमाराशियां	:	कुल जमाराशियों का पाक्षिक औसत
औसत अग्रिम	:	कुल अग्रिमों का पाक्षिक औसत
औसत कारोबार	:	औसत जमाराशियों और औसत अग्रिमों का योग
औसत निवेश	:	कुल निवेश का पाक्षिक औसत
ब्याज आय / ए डब्ल्यू एफ	:	कुल ब्याज आय को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
ब्याज खर्चे / ए डब्ल्यू एफ	:	कुल ब्याज आय को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
ब्याज स्प्रेड / ए डब्ल्यू एफ	:	कुल ब्याज आय में से कुल ब्याज व्यय को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
गैर-ब्याज आय / ए डब्ल्यू एफ	:	कुल गैर ब्याज आय/ एडब्ल्यूएफ
परिचालन व्यय	:	कुल ब्याज में से ब्याज व्यय घटायें
परिचालन व्यय / ए डब्ल्यू एफ	:	एडब्ल्यूएफ से परिचालन व्यय को भाग दें
लागत आय अनुपात	:	परिचालन खर्च/ गैर ब्याज आय + ब्याज स्प्रेड
सकल लाभ / ए डब्ल्यू एफ	:	परिचालन लाभ को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
शुद्ध लाभ / ए डब्ल्यू एफ	:	शुद्ध लाभ को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
नेट वर्थ पर प्रतिलाभ	:	शुद्ध लाभ/नेट वर्थ (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित राशि एवं अर्मूत आस्तियों को छोड़कर)
आस्तियों पर प्रतिफल	:	शुद्ध लाभ/ कुल आस्तियां
औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ	:	शुद्ध लाभ/एडब्ल्यूएफ
जमाराशियों की लागत	:	जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज को औसत जमाराशियों से भाग दें
लाभांश भुगतान अनुपात	:	कार्पोरेट लाभांश कर सहित लाभांश / शुद्ध लाभ (कार्पोरेट लाभांश कर सहित)
ऋण जमा अनुपात	:	कुल अग्रिम / ग्राहकों की जमाराशियां (यथा कुल जमाराशियां - अंतर बैंक जमाराशियां)
ऋण + गैर सांविधिक तरलता अनुपात निवेश (अनुषंगी ईकाइयों में निवेश को छोड़कर)		
जमाराशि अनुपात	:	कुल अग्रिम +गैर एसएलआर निवेश - अनुषंगी ईकाइयों में निवेश / ग्राहकों की जमाराशियां
प्रति कर्मचारी कारोबार	:	औसत जमाराशियां (बैंक जमाराशियों को छोड़कर) + औसत अग्रिम / कर्मचारियों की कुल संख्या
प्रति कर्मचारी सकल लाभ	:	कर्मचारियों की कुल संख्या से सकल लाभ को भाग दें
प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ	:	शुद्ध लाभ / कर्मचारियों की कुल संख्या
प्रति शाखा कारोबार	:	औसत जमाराशियां (बैंक जमाराशियों को छोड़कर) + औसत अग्रिम को शाखाओं की संख्या से भाग दें
प्रति शाखा सकल लाभ	:	सकल लाभ / शाखाओं की संख्या
प्रति शाखा शुद्ध लाभ	:	निवल लाभ / शाखाओं की संख्या
प्रति शेयर आय	:	शुद्ध लाभ को इक्विटी से विभाजित कर दस से गुणा करें
प्रति शेयर बही मूल्य	:	नेट वर्थ (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित राशि एवं अमूर्त आस्तियों को छोड़कर) को इक्विटी से विभाजित कर दस से गुणा करें.

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की 9 वीं वार्षिक साधारण सभा बुधवार, 29 जून, 2011 को शाम 3.30 बजे **रामा वाटुमल ऑडिटोरियम,** के सी कालेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुंबई - 400 020 में निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगी.

मद क्र. 1

दिनांक 31 मार्च 2011 के तुलन पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा, लेखों में कवर की गयी अवधि के लिए बैंक की गतिविधियों तथा कार्यकलापों पर निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट तथा तुलन पत्र और लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा.

मद क्र.2

वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए इक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा करना.

निदेशक बोर्ड के आदेश से

एम वि नायर

(एम. वी.नायर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई
दिनांक : 06 मई, 2011

नोट :

(i) परोक्षी की नियुक्ति

बैठक में भाग लेने तथा वोट देने के हकदार शेयरधारक अपने स्थान पर भाग लेने तथा वोट देने हेतु एक परोक्षी नियुक्त कर सकते हैं और आवश्यक नहीं कि ऐसा परोक्षी बैंक का शेयरधारक हो. परोक्षी फार्म को प्रभावी बनाने के लिए वह बैंक के प्रधान कार्यालय में वार्षिक साधारण सभा की तिथि से कम से कम **चार दिन** पूर्व अर्थात् शुक्रवार, 24 जून, 2011 की कार्य-समाप्ति अर्थात् सायं 5.00 बजे तक या उससे पूर्व अवश्य प्राप्त होना चाहिए.

(ii) प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

किसी कंपनी या किसी निकाय, निगम जो बैंक के शेयरधारक हैं, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं हो सकता, जब तक उसे विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने के संकल्प की प्रति उस बैठक, जिसमें वह संकल्प पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति को बैंक के प्रधान कार्यालय में वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि से **कम से कम चार दिन** पूर्व अर्थात् **शुक्रवार, 24 जून, 2010** की कार्य-समाप्ति अर्थात् सायं 5.00 बजे तक या उससे पूर्व जमा न करा दिया गया हो.

(iii) उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र इस सूचना के साथ संलग्न है, शेयरधारकों / परोक्षियों/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र में निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें तथा उसे बैठक के स्थान पर सौंप दें. शेयरधारक के परोक्षी/ प्रतिनिधि द्वारा उपस्थिति पर्ची पर परोक्षी या प्राधिकृत प्रतिनिधि जैसी भी स्थिति हो, का उल्लेख किया जाना चाहिए.

(iv) बुक क्लोजर

वार्षिक साधारण बैठक के उद्देश्य एवं लाभांश की पात्रता का पता लगाने के लिए बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण रजिस्टर शनिवार दिनांक 18 जून, 2011 से बुधवार दिनांक 29 जून, 2011 (दोनों दिन को मिलाकर) तक बंद रहेगा.

(v) लाभांश का भुगतान

बैंक के निदेशक मंडल द्वारा यथा प्रस्तावित शेयरधारकों के लिए लाभांश का भुगतान भौतिक रुप में रखने वाले उन शेयरधारकों को किया जाएगा, जिनके नाम बैंक के सदस्यों के रजिस्टर में दि. 29 जून 2011 को दर्ज हैं तथा डीमैट शेयरों के मामलों में, दिनांक 17 जून, 2011 को कारोबार समाप्ति पर डिपॉजिटरी द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार हिताधिकारी स्वामित्व के आधार पर ही प्रस्तावित लाभांश का भुगतान किया जाएगा तथा लाभांश का भुगतान 8 जुलाई, 2011 को किया जाएगा.

(vi) अंतरण

अतंरण विलेख के साथ शेयर प्रमाणपत्र रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट को अंतरण हेतु भेजा जाना चाहिए.

(vii) राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस)/ यूनियन बैंक खाते में सीधे जमा के माध्यम से लाभांश के भुगतान के लिए बैंक मैन्डेट.

ए) शेयरधारकों को अपना बैंक खाता क्रमांक, एम आई सी आर चेक पर अंकित 9 अंकों का एमआईसीआर कोड, बैंक तथा शाखा का नाम प्रस्तुत करना होगा, जहां वे अपना लाभांश वारंट नकदीकरण के लिए जमा करना चाहते हों. यदि लाभाशं की राशि सीधे शेयरधारकों के खाते में जमा न की जा रही हो, तो लाभांश वारंट के चेक के हिस्से पर शेयरधारक के नाम के अलावा बैंक खाते का विवरण भी मुद्रित किया जायगा, ताकि लाभांशों का कपटपूर्ण नकदीकरण टाला जा सके. भौतिक रुप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को उक्त जानकारी प्रथम / एकल शेयरधारक द्वारा उनका फोलियो क्रमांक दर्शाते हुए रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेंट को सीधे एवं डीमैट फार्म में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को संबंधित डिपॉज़िटरी सहभागी को प्रस्तुत की जानी चाहिए.

बी) बैंक लाभांश भुगतान के लिए ये सुविधाएं भी प्रदान करता है :

i) राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा

ii) यूनियन बैंक खाताधारकों के खातों में सीधे जमा

यह सुविधा शेयरधारक द्वारा लाभांश के जमा को प्राप्त करने के लिए बैंक आदेश प्रणाली के स्थान पर प्रयोग की जा सकती है. विकल्प फॉर्म इस रिपोर्ट के साथ भी संलग्न है और बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर भी उपलब्ध है.

(viii) अदावाकृत लाभांश, यदि कोई है.

ऐसे शेयरधारकों, जिन्होंने पिछली अवधियों के अपने लाभांश वारंट, यदि कोई हैं, का नकदीकरण नहीं कराया है या लाभांश प्राप्त नहीं किया है, से अनुरोध है कि वे डुप्लीकेट लाभांश वारंट जारी करने के लिए बैंक शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करें. संबंधित क्षतिपूर्ति बांड बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर भी उपलब्ध है.

बैंक कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण अधिनियम 1970) में धारा 10बी के अनुसार 7 वर्ष की अवधि के अप्रदत्त या अदावाकृत रहने वाली लाभांश की राशि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी के अधीन केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को अंतरित की जानी अपेक्षित है तथा उसके उपरांत लाभांश के भुगतान के संबंध में बैंक या आईईपीएफ पर किसी भी प्रकार का दावा नहीं किया जाएगा.

(ix) पते / बैंक ब्यौरों / बैंक खाता मैन्डेट में परिवर्तन की सूचना :

(क) जिनके पास भौतिक रुप में शेयर उपलब्ध हैं :

जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रुप में शेयर मौजूद हैं, उनसे अनुरोध है कि उनके पंजीकृत पते और / या बैंक खाते में यदि कोई परिवर्तन हो तो वे इसकी सूचना बैंक के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट को निम्न पते पर दें :

डाटामैटिक्स फायनांशियल सर्विसेज लि.,
यूनिट : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
प्लॉट क्र. ए-16 एवं 17, पार्ट बी, क्रॉस लेन, एमआईडीसी,
मरोल, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 093

(ख) जिनके पास डीमैट रुप में शेयर उपलब्ध हैं :

डीमैट रुप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि उनके पंजीकृत पते तथा बैंक मैन्डेट / ब्यौरे में कोई परिवर्तन होने की स्थिति में उसकी सूचना केवल अपने डिपॉजिटरी सहभागी(गियों) को दें.

(x) निवासी स्थिति में परिवर्तन

अनिवासी भारतीय शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित के बारे में बैंक के शेयर अंतरण एजेंट डाटामैटिक्स फायनांशियल सर्विसेज लि. को तत्काल सूचित करें.

ए. स्थायी निवास हेतु भारत वापसी पर निवासी स्थिति में परिवर्तन.

बी. भारत में संचालित बैंक खाते का पूर्ण विवरण यथा पूरा नाम, शाखा, खाते का स्वरुप, खाता संख्या तथा बैंक का पता, पिन कोड आदि यदि पहले नहीं दिया गया हो.

(xi) फोलियो का समेकन

एक से अधिक खाते में एक जैसे नाम से या नामों से या उसी क्रम में संयुक्त नाम से भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उन सभी शेयरों का एक ही खाते में समेकन करने हेतु अपने शेयर प्रमाणपत्र बैंक के शेयर अंतरण एजेंट, डाटामैटिक्स फायनांशियल सर्विसेज लि.को प्रेषित करें.

(xii) शेयरधारक / परोक्षीधारक / प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वार्षिक साधारण सभा में आते समय वे अपने साथ वार्षिक रिपोर्ट तथा नोटिस की प्रतियां साथ लाएं.

(xiii) शेयरधारक अपने लेखों पर किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हों तो उनसे अनुरोध है कि वे बैंक को लिखें, जो वार्षिक साधारण बैठक की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले प्राप्त हो जाना चाहिए, ताकि प्रबंधन वह सूचना तैयार रख सके. उत्तर केवल वार्षिक साधारण सभा में ही दिये जाएंगे.

निदेशक बोर्ड के आदेश से

एम वि नायर

(एम. वी.नायर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई
दिनांक : 06 मई, 2011

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारक,

निदेशक गण, आपके बैंक की 92वीं वार्षिक रिपोर्ट और 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष का एकल व समेकित लेखापरीक्षित तुलनपत्र, लाभ एवं हानि लेखा, नकदी प्रवाह विवरण और प्रबंधकीय चर्चा और विश्लेषण पर रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करते हैं . कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट भी वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग है.

1. परिदृश्य

ए. आपके बैंक ने अपनी पसंद के क्षेत्र में प्रथम पसंद का बैंक बनने के अपने विज़न और मिशन लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में अग्रसर होते हुए वर्ष 2010-11 में बेहतर कामकाज की परंपरा को बनाये रखा है. इनमें अल्पावधि और दीर्घावधि, दोनों प्रकार की उपलब्धियों का समावेश है. अल्पावधि में ग्राहकों की संख्या बढ़ाना, कारोबार का विस्तार करना और लाभप्रद विकास प्रमुख लक्ष्य हैं जबकि दीर्घावधि में बैंक का उद्देश्य कार्यप्रणाली की दक्षता, उत्पादों की विविधता और व्यक्तियों की उत्पादकता में चिरस्थायी सुधार करना है. हमारे विज़न को पूरा करने के प्रयासों का उद्देश्य अपने ग्राहकों, अपने कर्मचारियों और आप शेयरधारकों के लिये संपदा सृजित करना है.

बी. वित्त वर्ष 2010-11 का माहौल कारोबार की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं था किंतु आपके बैंक के कारोबारी परिणाम अच्छे रहे हैं. वर्ष के दौरान बैंक ने ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता हासिल करने और बैंक में कुशल मानव संपदा विकसित करने के लिये दो नयी पहल की हैं. इन दो पहलों और पिछले सालों में किये गये कार्यों से आपके बैंक को वर्तमान ग्राहकों के साथ-साथ युवाओं और बैंकिंग के दायरे में आने वाले नये लोगों का सर्वाधिक पसंदीदा बैंक बनने में मदद मिलेगी. आपका बैंक भविष्य के सुस्थिर विकास के लिये मजबूत नींव तैयार कर रहा है, जिससे बाजार में हिस्सेदारी और हिस्सेदारों की संपदा, दोनों में वृद्धि होगी.

तालिका 1:

वित्तीय कार्यनिष्पादन की प्रमुख बातें **(रु करोड़ में)**

	वि. व.2010	वि. व.2011	% वर्षानुवर्ष
कुल कारोबार	291289	355483	22.04%
शुद्ध ब्याज आय	4192	6216	**48.28%**
परिचालन लाभ	3659	4305	**17.66%**
प्रावधान	1584	2223	**4034%**
निवल लाभ	2075	2082	**0.34%**
शुद्ध ब्याज मार्जिन	**2.71%**	**3.33%**	62 आधार बिंदु
पूंजी पर्याप्तता अनुपात	**12.51%**	**12.95%**	**44** आधार बिंदु
प्रति कर्मचारी सकल लाभ (लाख ₹)	13.18	15.52	**17.75%**
लाभांश (₹ प्रति शेयर)	5.5	8.0	**45.45%**
प्रति शेयर बही मूल्य (रुपये में)	173.38	213.17	**22.95%**

सी. बैंक के कामकाज की प्रमुख बातों पर नीचे चर्चा की गई है और उसके बाद प्रबंधकीय चर्चा और विश्लेषण पर विस्तृत रिपोर्ट दी गई है :

2. कारोबार निष्पादन :

ए. 31 मार्च, 2011 को बैंक का कुल कारोबार 31 मार्च, 2010 के ₹ 2,91,289 करोड़ में 22.04% की वृद्धि के साथ ₹.3,55,483 करोड़ रहा.

बी. इसमें जमाराशियों में ₹ 1,70,040 करोड़ से 19.07% बढ़कर ₹ 2,02,461 करोड़ होना तथा अग्रिमों का ₹1,21,249 करोड़ से 26.20% बढ़कर ₹ 1,53,022 करोड़ होना शामिल है.

सी. बैंक की भारत से बाहर एक शाखा हांगकांग में है. छोटे आधार के बावजूद हांगकांग शाखा का कारोबार 94.53% बढ़ा है. शाखा की जमाराशियां ₹ 370 करोड़ से बढ़कर ₹ 570 करोड़ और अग्रिम ₹ 2,977 करोड़ से बढ़कर ₹ 5,941 करोड़ हो गए.

2. वित्तीय निष्पादन :

ए. शुद्ध ब्याज आय : वर्ष 2009 -10 की शुद्ध ब्याज आय ₹ 4,192 करोड़, 48.28% बढ़कर वर्ष 2010-11 में ₹ 6,216 करोड़ हो गई है.

बी. बैंक की कुल आय ₹15,277 करोड़ से 21.04% बढ़कर ₹18,491 करोड़ हो गई. इसमें सर्वाधिक योगदान ब्याज आय का है, जो अग्रिमों पर ₹ 9,696 करोड़ से 24.08% बढ़कर ₹ 12,031 करोड़ हो गई. निवेशों पर ब्याज आय ₹ 3,482 करोड़ से 14.93% बढ़कर ₹ 4,002 करोड़ हो गई. वर्ष 2010-11 में अग्रिमों पर प्रतिफल पिछले वर्ष के 9.94% की तुलना में 2010-11 में 9.86% रहा. निवेशों पर प्रतिफल पिछले वर्ष के 6.32% से बढ़कर 2010-11 में 6.55% हो गया, जिसका कारण सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज दर अधिक होना है. निधियों पर कुल प्रतिफल 8.04% से 29 आधार बिंदु बढ़कर 8.33% हो गया.

सी. इस वर्ष की ₹ 2039 करोड़ की गैर ब्याज आय पिछले वर्ष की ₹ 1975 करोड़ से 3.24% अधिक रही. इसमें कमी का मुख्य कारण वर्ष के दौरान बाजार की अनिश्चित और उथल-पुथल भरी परिस्थितियों का होना था, जिसकी वजह

से निवेशों की बिक्री के लाभ से होने वाली आय में 19.02% की कमी हुई. यदि इसे छोड़ दें, तो गैर ब्याज आय में 12.34% की वृद्धि हुई होती.

तालिका 2:

(रु.करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष - 2010	वित्तीय वर्ष - 2011	वृद्धि %
देशी कमीशन	352	365	3.69
ट्रेज़री आय	573	464	-19.02
विदेशी मुद्रा लेनदेनों से आय	323	429	32.82
राइट ऑफ खातों में वसूली	183	212	15.85
विविध	544	569	4.60
योग	**1975**	**2039**	**3.24**

डी. कुल व्यय ₹ 11,618 करोड़ से 22.10% बढ़कर ₹ 14,186 करोड़ हो गए. विवेकपूर्ण देयता प्रबंधन की वजह से ब्याज व्यय में केवल 12.36% की वृद्धि हुई. ब्याज व्यय ₹ 9,110 करोड़ से बढ़कर ₹ 10,236 करोड़ हुआ. जमाराशियों की लागत पिछले वर्ष की 5.94% की तुलना में मार्च 2011 को 5.53% तक सीमित रखी गई. वित्तीय बाजार में तरलता की कमी और ऊंची पालिसी दरों के बावजूद निधियों की लागत 5.51% से घटाकर 5.19% पर ले आई गई.

ई. निधियों की लागत में कमी और निधियों पर प्रतिफल की वृद्धि से वर्ष 2009-10 का 2.71% शुद्ध ब्याज मार्जिन वर्ष 2010-11 में 62 आधार बिंदु बढ़कर 3.33% हो गया. वित्त वर्ष की चारों तिमाहियों में शुद्ध ब्याज मार्जिन 3% से ऊपर ही रहा और पिछली दो तिमाहियों में यह 3.44% तक पहुंच गया.

एफ. द्विपक्षीय वेतन समझौते के कार्यान्वयन, पेंशन के द्वितीय विकल्प और सांविधिक ग्रैच्युटी की सीमा ₹ 3.50 लाख से बढ़कर ₹ 10.00 लाख होने के कारण स्थापना व्यय ₹ 1,355 करोड़ से 91.88% बढ़कर ₹ 2,600 करोड़ हो गए. वर्ष 2010-11 में पेंशन की देयता पिछले वर्ष के ₹ 178 करोड़ से बढ़कर ₹ 1,146 करोड़ हो गयी. इस अतिरिक्त प्रावधान ने बैंक की लाभप्रदता को प्रभावित किया. इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ₹ 1,352 करोड़ की पेंशन देयता और ₹ 260 करोड़ की ग्रेच्युटी देयता आगे ले जायी गयी है, जिसे अगले चार सालों में प्रभावित किया जायगा.

तालिका -3

(₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष -2010	वित्तीय वर्ष -2011	वृद्धि %
स्टाफ व्यय	1355	2600	91.88
अन्य परिचालन व्यय	1153	1350	17.09
कुल परिचालन व्यय	2508	3950	57.50

जी. 2010-11 वर्ष का परिचालन लाभ ₹ 4,305 करोड़ था जो पिछले वर्ष के ₹ 3,659 करोड़ से 17.66% अधिक था.

एच. वर्ष 2010-11 में ₹ 2,223 करोड़ के प्रावधान किये गये हैं जो पिछले वर्ष के ₹ 1,584 करोड़ से 40.34% अधिक हैं. अधिक प्रावधान मुख्यत: गैर निष्पादक आस्तियों के कारण करना पड़ा है.

आई. पेंशन और गैच्युटी की अधिक देयता, गैर निष्पादक आस्तियों के लिये प्रावधान और ट्रेज़री से हुई आय में कमी ने मिलकर बैंक के निवल लाभ को प्रभावित किया है. पिछले वर्ष के ₹ 2,075 करोड़ की तुलना में 2010-11 में निवल लाभ ₹ 2,082 करोड़ हुआ , लेकिन बैंक के निवल लाभ को लगा यह झटका एकबारगी घटना है.

चार्ट 1

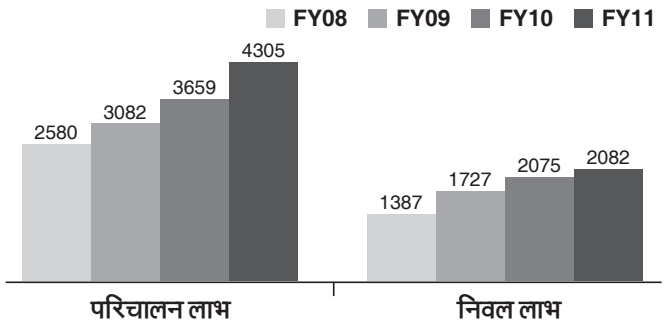

जे. निवल लाभ को प्रभावित करने वाले कारकों से बैंक के कार्यक्षमता और लाभप्रदता अनुपात भी प्रभावित हुए हैं. इस वर्ष 2010-11 में औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ 1.05% रहा जबकि पिछले वर्ष यह 1.25% था. इसी दौरान स्थापना व्ययों में तीव्र वृद्धि के कारण लागत आय अनुपात भी 40.66% से बढ़कर 47.85% हो गया है.

4 उत्पादकता अनुपात :

ए. पिछले चार सालों के दौरान प्रति कर्मचारी औसत कारोबार में 18.93% की सालाना वृद्धि रिकार्ड हुई है. इसी अवधि में प्रति शाखा औसत कारोबार और प्रति कर्मचारी सकल लाभ क्रमश: 12.42% और 15.66% बढ़ा है. बैंक के उत्पादक संकेतकों में प्रगति देखी गयी है .

तालिका 4:

(₹ लाख में)

	वि.वर्ष -08	वि.वर्ष -09	वि.वर्ष -10	वि.वर्ष -11	सीएजीआर(%)
प्रति कर्मचारी औसत कारोबार	620	694	853	1043	18.93
प्रति शाखा औसत कारोबार	6752	7461	8449	9593	12.42
प्रति कर्मचारी सकल लाभ	10.03	11.2	13.18	15.52	15.66
प्रति शाखा सकल लाभ	109	120	130	143	9.47

5. लाभांश

आपके निदेशक वर्ष 2010-11 के लिए ₹ 10.00 अंकित मूल्य वाले प्रत्येक शेयर पर 80% अर्थात ₹ 8/- प्रति शेयर लाभांश भुगतान करने की सहर्ष घोषणा करते हैं. पिछले वर्ष यह लाभांश 55% था. लाभांश कर सहित लाभांश की मद में कुल ₹ 488.06 करोड़ भुगतान किया जायगा. आपके बैंक की लाभांश नीति कारोबार विकास के लिये पर्याप्त पूंजी बनाये रखते हुए शेयरधारकों को पुरस्कृत करने की है.

6. शेयरधारकों को लाभ

आपके बैंक की शुद्ध मालियत पिछले साल के ₹ 8758 करोड़ से 27.56% बढ़कर ₹ 11172 करोड़ हो गयी है. इस प्रकार पिछले साल का ₹ 173.38 का शेयर बही मूल्य इस साल ₹ 213.17 पर पहुंच गया . प्रति शेयर आय पिछले वर्ष के ₹ 41.08 के समक्ष इस वर्ष ₹ 39.71 रही. वर्ष 2010-11 में इक्विटी पर प्रतिलाभ भी 18.63% रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 23.69% था.

चार्ट - 2

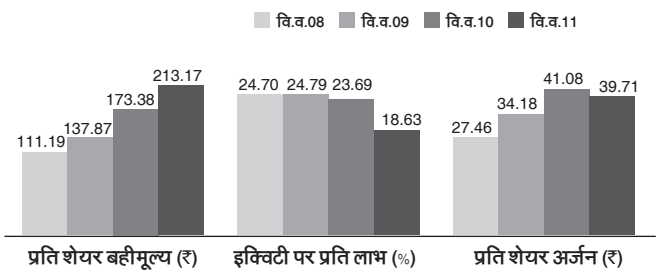

7. रेटिंग और पूंजी संग्रह

ए. यूनियन बैंक के अपर टियर II बांड के लिये क्रिसिल ने एएए/स्थिर रेटिंग की है. यह रेटिंग यूनियन बैंक की बाजार में अच्छी स्थिति, आश्वस्तिकारक संसाधन प्रोफाइल और पर्याप्त अर्जन प्रोफाइल दर्शाती है.

बी. बैंक ने वित्त वर्ष 2010-11 में ₹ 500 करोड़ के टियर II बांड जारी करके पूंजी जुटायी है.

सी. बैंक को 14 जुलाई 2010 को केंद्र सरकार से शाश्वत असंचयी वरीयता शेयर में उनके अंशदान के रूप में ₹ 111 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है. बैंक ने भारत सरकार को ₹ 10/- मूल्य के 11,10,00,000 शाश्वत असंचयी वरीयता शेयर आवंटित किये हैं, जिन पर परिवर्तनशील ब्याज दर रेपो दर से 100 आधार बिंदु अधिक होगी जिसे संबधित तारीख को लागू दर के हिसाब से प्रतिवर्ष समायोजित किया जायगा.

डी. बैंक ने भारत सरकार को वरीयता आधार पर ₹ 10/- के 1,92,14,515 शेयर ₹ 344.94 के प्रीमियम पर आवंटित किये हैं. इस प्रकार बैंक में भारत सरकार की हिस्सेदारी 55.43 % से बढ़कर 57.06% हो गयी है. भारत सरकार को इस वरीयता निर्गम के कारण बैंक की पूंजी में ₹ 682 करोड़ की वृद्धि हुई है.

8 पूंजी पर्याप्तता अनुपात

बासल II के अनुसार 31 मार्च 2011 को पूंजी पर्याप्तता अनुपात 12.95% था जो पिछले वर्ष के 12.51% से 44 आधार बिंदु अधिक है आपके बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात, नियामक बैंचमार्क 9% से पर्याप्त अधिक है. टियर I पूंजी पर्याप्तता अनुपात पिछले वर्ष के 7.91% की तुलना में 8.69% है.

तालिका 5

(₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2009-10	वित्तीय वर्ष 2010-11
कुल जोखिम भारित आस्तियां	122598	140095
पूंजी निधि	15336	18146
टियर -I पूंजी	9697	12178
सीएआर - बासल II	12.51%	12.95%
टियर -I	7.91%	8.69%
टियर -II	4.60%	4.26%

9. डिलीवरी चैनल

ए. वर्ष 2010-11 के दौरान आपके बैंक की शाखाओं की संख्या 3000 को पार कर गयी, 31 मार्च 2011 को बैंक की देश में शाखाओं की संख्या 3015 तक पहुंच गईं, जिसमें 2010-11 के दौरान खोली गयी 211 नई शाखाएं भी शामिल हैं. बैंक की हांगकांग में भी एक शाखा है. विस्तार पटलों एवं सेवा शाखाओं की संख्या को शामिल करते हुए बैंक के कुल आउटलेटों की संख्या 31 मार्च, 2010 के 2910 से बढ़कर 3104 पर पहुंच गई. 31 मार्च, 2011 को कुल एटीएम 2,634 थे, जिसमें से 307 एटीएम वर्ष 2010-11 के दौरान खोले गए.

बी. आपके बैंक की सोच है कि ग्राहकों को वैकल्पिक चैनलों सहित डिलीवरी चैनलों के चयन की सुविधा उपलब्ध रहे. इस दिशा में बैंक, शाखाओं और एटीएम के साथ कॉल सेंटर, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के चैनल भी उपलब्ध करा रहा है. इन वैकल्पिक चैनलों से दी जा रही सेवाओं की संख्या निरंतर बढ़ रही है और इनको ग्राहकों से अच्छा प्रतिसाद भी मिल रहा है.

सी. विदेशों में बैंक की एक शाखा और शंघाई, बीजिंग (चीन), आबू धाबी (यूएई), सिडनी (आस्ट्रेलिया), और लंदन (यूके) में पांच प्रतिनिधि कार्यालय हैं. लंदन कार्यालय 2010-11 में खोला गया है.

डी. चालू वर्ष के दौरान, बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक से सिडनी प्रतिनिधि कार्यालय को शाखा एवं लंदन के प्रतिनिधि कार्यालय को अनुषंगी में बदलने का अनुमोदन प्राप्त हो गया है. बैंक के पास एंटवर्प (बेल्जियम) में शाखा खोलने और जोहान्सबर्ग (साउथ अफ्रीका) एवं टोरंटो (कनाडा) में प्रतिनिधि कार्यालय खोलने का अनुमोदन है. भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के उपरांत इस दिशा में कार्य जारी है.

10. ब्रांड बिल्डिंग

आज के प्रतिस्पर्धात्मक बैंकिंग जगत में ब्रांड बिल्डिंग अत्यंत आवश्यक हो गई है. आपके बैंक द्वारा वर्ष 2008-09 के दौरान की गई री-ब्राडिंग प्रक्रिया सहित विगत वर्षों में की गई कई पहलों के माध्यम से ब्रांड क्षमता में इज़ाफा हुआ है. इस री-ब्राडिंग प्रक्रिया को विभिन्न ग्राहक केन्द्रित उपायों एवं प्रचार अभियानों के माध्यम से वर्ष 2010-11 के दौरान भी जारी रखा गया. *"यूनियन होम 10 / 10"* अभियान को मीडिया के सभी माध्यमों से व्यापक प्रचार मिला. ठीक इसी प्रकार, आईसीसी वर्ल्ड कप के दौरान बैंक की ब्रांड क्षमता में काफी वृद्धि हुई. आपका बैंक ग्राहकों के प्रति उत्तरदायी और शेयरधारकों की संपत्ति में वृद्धि करने वाले ब्रांड का सृजन कर रहा है. ब्रांड निर्माण का एक अन्य पहलू यह भी है कि आपका बैंक एक अच्छे नियोक्ता के रुप में स्थापित होने के लिए प्रयासरत है, जिससे कि बैंक अच्छी प्रतिभाओं को आकर्षित कर सके और रोक कर रख सके.

11. पुरस्कार और प्रशंसा :

आपके बैंक को अपने कार्यों और पहलों के लिये कई क्षेत्रों में सराहना और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं :

ए. डेल कारनगी प्रशिक्षण द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को बैंक के रूपांतरण के लिये नव निर्माण परियोजना के माध्यम से की गयी पहलों के लिये डेल कारनगी लीडरशिप अवार्ड दिया गया. इससे बैंक फोर्ड मोटर कंपनी, कोका कोला, आदिदास, बोइंग और विप्रो टैक्नालाजीस जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार विजेताओं पंक्ति में शामिल हो गया है.

बी. कार्पोरेट गवर्ननेंस में उत्कृष्टता, 2010 के लिये 10 वें आईसीएसआई राष्ट्रीय अवार्ड में कार्पोरेट गवर्ननेंस में अवार्ड फॉर एक्सीलेंस दिया गया.

सी. आउटलुक मनी ने बैंक को सर्वश्रेष्ठ होम लोन प्रदाता के रूप में मान्यता दी है.

डी. वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में नवोन्मेषी कार्यों विशेषत: प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कृषक सदस्यों के वित्तपोषण के लिये स्कॉह फाइनेंशियल इनक्लूज़न अवार्ड 2011 प्राप्त हुआ.

ई. बैंक को मोबाइल बैंकिंग और भुगतान एपलीकेशन के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिये आईडीआरबीटी से विशेष पुरस्कार मिला.

एफ. बैंक को मिडलवेअर के उत्कृष्ट कार्यान्वय के लिये "एशियन बैंकर (सिंगापुर)" पुरस्कार प्राप्त हुआ.

जी. बैंक को मार्केटिंग और ब्रांड कम्युनिकेशन के लिये एबीसीआय (एसोशियन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन ऑफ इंडीया) पुरस्कार प्राप्त हुआ.

एच. बैंक को एबीसीआय के 50 वे पुरस्कार समारोह में बैंक की गृह पत्रिका यूनियन धारा को "अति प्रतिष्ठित मैगजीन ऑफ द ईयर ॲवार्ड" के साथ 7 पुरस्कार प्राप्त हुए.

आई. राजभाषा के प्रोत्साहन के लिये बैंक को रिजर्व बैंक राजभाषा शील्ड के अंतर्गत वर्ष 2009-10 के लिये भाषिक क्षेत्र ख में प्रथम पुरस्कार मिला. बैंक को भारत सरकार से इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड (2008-09) के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार मिला.

12. निदेशक :

वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल में निम्नांकित परिवर्तन हुए :

1. श्री बी. एम. शर्मा, चार्टर्ड एकाउंटेंट को भारत सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा 3(जी) के अधीन 16 अप्रैल 2010 से चार्टर्ड एकाउंटेंट संवर्ग में गैर-कार्यपालक निदेशक के रुप में नामित किया गया.

2. श्रीमती मीना हेमचंद्र को भारत सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा 3(सी) और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970/1980 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन 30 जुलाई 2010 से श्री के. शिवरामन, जिनका कार्यकाल 29.07.2010 को पूरा हुआ, के स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक के रुप में नामित किया गया.

3. श्री एस. एस. मूंदड़ा, को भारत सरकार द्वारा श्री एस. रामन के स्थान पर कार्यपालक निदेशक नियुक्त किया गया, जिन्होंने दिनांक 01 सितंबर 2010 को कार्यभार ग्रहण किया.

4. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान श्री अशोक सिंह, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक का कार्यकाल उनके त्यागपत्र देने के

कारण दिनांक 25.01.2011 को पूरा हुआ. भारत सरकार द्वारा उनके स्थान पर नियुक्ति की जानी है.

5. सभी नए निदेशकों का स्वागत करते हुए बोर्ड श्री के. शिवरामन, श्री एस. रामन एवं श्री अशोक सिंह द्वारा दी गई बहुमूल्य सेवाओं के प्रति आभार व्यक्त करता है.

13. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

निदेशक गण पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक लेखे तैयार करते समय:

1. लागू होने वाले लेखा मानकों का पालन किया गया है और निर्धारित लेखा मानकों से कोई सारवान विचलन नहीं हुआ है.

2. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बनायी गयी लेखा नीतियों को दृढ़ता से लागू किया गया है.

3. उचित निर्णय किये गये हैं एवं विवेकपूर्ण अनुमान लगाये गये हैं ताकि वित्त वर्ष की समाप्ति पर बैंक के कार्यकलापों तथा 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ की सही और उचित तस्वीर प्रस्तुत की जा सके.

4. भारत में बैंकों के लिए लागू नियंत्रक कानूनों के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड रखने के लिए समुचित सावधानी बरती गयी है और,

5. लेखे निरंतर कारोबार करने वाले संस्थान के लेखों के सिद्धांत के आधार पर तैयार किये गये हैं.

14. कार्पोरेट गवर्नेंस :

बैंक का निदेशक मंडल श्रेष्ठ कारपोरेट गर्वेनेंस पद्धतियों को पूरी तरह लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है. कारपोरेट गवर्नेंस पर एक विस्तृत रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट के अलग खंड में दी गयी है. बैंक को 10वें आईसीएसआई राष्ट्रीय पुरस्कारों के कार्पोरेट गवर्नेंस खंड में उत्कृष्टता के लिए सर्टिफिकेट ऑफ रिकागनीशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया. बैंक इंस्ट्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एवं कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के लिए कारपोरेट गवर्नेंस में श्रेष्ठता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु चयनित टॉप 25 कारपोरेट में शामिल था. वर्ष 2010-11 की कारपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट पर लेखा परीक्षा की कोई अभ्युक्ति शेष नहीं है.

15. कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व :

ए. आपका बैंक समाज और समुदाय विकास के कार्य में सक्रिय है और इस कार्य के लिए विशेष रुप से बनाए गए यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन के माध्यम से यह कार्य संपन्न कराता है. प्रत्येक वर्ष बैंक द्वारा फाउंडेशन को निवल लाभ के 1% के बराबर राशि समाज में दृश्यमान परिवर्तन लाने वाले सामाजिक कार्यों पर व्यय करने के लिए प्रदान की जाती है. देश भर में स्थित 202 ग्राम ज्ञान केंद्रों, 103 यूनियन आदर्श ग्रामों, 8 वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केंद्रों, 13 आर सेटी (रुरल सेल्फ इम्प्लायमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर) के माध्यम से विभिन्न कार्य संपन्न होते हैं. इनमें इस वर्ष खोले गए 1 ग्राम ज्ञान केंद्र और 7 वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केंद्र शामिल हैं.

बी. प्रत्येक ग्राम विकास केंद्र, विभिन्न विकास एजेंसियों / सरकारी विभागों के तालमेल से गांव के समग्र विकास में मदद करता है और कृषकों को खेती के नवीनतम तरीकों, उर्वरकों एवं कीटनाशकों के सही उपयोग आदि के बारे में जानकारी प्रदान करता है. यूनियन आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत बैंक इसे आदर्श गांव बनाकर इसके समग्र विकास के लिए प्रयास करता है. इसी प्रकार, आर सेटी और एफएलसीसी जरुरतमंदों को वित्तीय जानकारी, परामर्श और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जिससे कि वे मुख्य धारा के अंग बन सकें.

सी. वर्ष 2010-11 में आपके बैंक ने शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा आकस्मिकता, राहत, मूलभूत सुविधाओं आदि के लिए विभिन्न संस्थाओं को ₹ 175.65 लाख की सहायता दी है. आपका बैंक 103 यूनियन आदर्श ग्रामों में सौर लालटेन उपलब्ध कराने की संभावनाओं का आकलन कर रहा है. विद्युत रहित इन गांवों में उजाला फैलाने का उद्देश्य ग्रामीण उद्यमियों के कार्य समय को बढ़ाकर जीवन यापन को सुगम बनाना, शिक्षा के प्रसार में सहायता देना, स्वास्थ्य में सुधार, जैव संरक्षण और इससे भी आगे सभी के जीवन में आशा की एक नई जोत जलाना है.

16. आभार :

निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन और समर्थन के लिये आभार व्यक्त करता है. निदेशक मंडल वित्तीय संस्थाओं, संपर्की बैंकों के प्रति भी उनके सहयोग और समर्थन के लिये आभारी है. बोर्ड अपने ग्राहकों, शेयरधारकों एवं अन्य स्टेकधारकों के निरंतर सहयोग के लिये आभार व्यक्त करता है. निदेशक मंडल बैंक के समग्र कार्यनिष्पादन के लिये स्टाफ-सदस्यों की समर्पित सेवा और उनके योगदान की सराहना करता है.

निदेशक मंडल के लिये तथा की ओर से,

स्थान : मुंबई
दिनांक : मई 20, 2011

(एम. वी. नायर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

प्रबंधकीय परिचर्चा और विश्लेषण

1 वृहद् आर्थिक परिदृश्य

1.1 वैश्विक अर्थव्यवस्था

ए. कैलेंडर वर्ष 2010 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में, पिछले वर्ष की आधा प्रतिशत गिरावट की तुलना में 5% की विकास दर रिकार्ड की गई है. विकसित देशों, विशेषत: अमेरिका, जापान और कनाडा में सुधार हुआ है, लेकिन उभरती हुई और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सुधार अधिक उल्लेखनीय है, जिनमें 7.3% की विकास दर दर्ज हुई है. विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बेरोजगारी चिंता का विषय बनी हुई है और अमेरिका में आवास क्षेत्र के विकास की गति कमजोर है. इस वर्ष की उल्लेखनीय घटनाएं, जिन्सों और कच्चे तेल की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि और मध्यपूर्व और उत्तरी अमेरिका का राजनीतिक घटनाक्रम है. इसके अलावा, 2011 के आरंभ में जापान के विनाशकारी भूकंप ने निवेशकों की भावनाओं को प्रभावित किया है.

बी. विकसित विश्व में मौद्रिक और वित्तीय कदम उदारवादी थे, किंतु भारत सहित बहुत से उभरते बाजारों के केंद्रीय बैंकों ने मौद्रिक अप्रसार की नीति अपनाना जारी रखा जहां अर्थव्यवस्था लगभग अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंच चुकी थी. उभरती अर्थव्यवस्थाओं की चुनौती, खाद्य और ईंधन के बहुत ऊंचे भावों के कारण मुद्रास्फीति की आशंकाओं और मांग के दबाव को सीमित रखना था.

सी. वर्ष 2010 में विश्व के वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में 12.4% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि पिछले साल यह 10.9% तक कम हो गया था. विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में आयात और निर्यात की मात्रा में वृद्धि हुई थी. उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का आयात संकट पूर्व के स्तर तक फिर से आ गया था.

डी. विकसित देशों में विकास के प्रति नजरिया सकारात्मक है. उत्पादन और सेवा क्षेत्रों के लिए वैश्विक क्रय प्रबंधन सूचकांक से निरंतर विस्तार के संकेत मिल रहे हैं. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2011 में विकसित देशों के लिए 2.4% और उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए 6.5% विकास का अनुमान लगाया है. विकास में कमी की प्रमुख जोखिम कच्चे तेल के मूल्यों में और वृद्धि होना है, जो वर्ष के दौरान औसतन 107 डालर प्रति बैरल के आसपास तक रह सकती है. उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति मुख्य जोखिम है, क्योंकि अर्थव्यवस्था पूरी क्षमता तक पहुंचने की ओर अग्रसर है. विकसित अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष तीन चुनौतियां हैं : राजकोक्षीय साख स्थापित करना, वित्तीय क्षेत्र में सुधार करना और बेरोजगारी में कमी लाना.

1.2 घरेलू अर्थव्यवस्था

ए. **विकास :** केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के संशोधित अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2010-11 में भारत की अर्थव्यवस्था ने 6.5% की विकास दर दर्ज की है. कृषि क्षेत्र में मुख्य रुप से सुधार हुआ है, जहां अच्छे मानसून की वजह से पिछले वर्ष के 0.4% की तुलना में इस वर्ष 6.6% की विकास दर रिकार्ड की गई है. वर्ष की दूसरी छमाही में उद्योग की प्रगति मंद हो गई, जैसाकि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक खासकर पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन सूचकांक से परिलक्षित होता है. तथापि, सेवा क्षेत्र के अग्रणी संकेतकों यथा सेवा क्षेत्र को अग्रिम, वाणिज्यिक वाहनों का उत्पादन, टेलीकॉम कनेक्शन आदि में तेजी रही. भारत एक आकर्षक निवेश केंद्र बना रहा. विश्व निवेश रिपोर्ट 2010 में 2010-12 में भारत को विश्व का सर्वाधिक आकर्षक निवेश केन्द्र बताया गया है.

बी. **विदेशी सेक्टर :** भारत से माल का निर्यात 37.5% बढ़कर 246 बिलियन डालर तक पहुंच गया, जबकि आयात 21.6% बढ़कर 351 बिलियन डालर तक हो गया. विकसित अर्थव्यवस्थाओं में सुधार की दर धीमी रही. अधिकांश विकास अपेक्षाकृत नए बाजारों में हुआ है. व्यापार घाटा 105 बिलियन अमेरिकी डालर रहा. विकसित अर्थव्यवस्थाओं में सुधार जारी रहने के कारण निर्यात का कार्य निष्पादन अच्छा बने रहने की आशा है, लेकिन कच्चे तेल के भावों में तेजी से आयात बिल में बढ़ोत्तरी होने की आशंका है. इंजीनियरिंग सामान का निर्यात 84.8% बढ़कर 60.1 बिलियन डालर, पेट्रोलियम पदार्थों का 50.6% बढ़कर 42.5 बिलियन अमेरिकी डालर, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का 34.5% बढ़कर 7.4 बिलियन डालर, टेक्सटाइल्स का 21 बिलियन डालर, औषधि और फार्मास्युटिकल्स का 10.3 बिलियन डालर और कार्पेट का 1.1 बिलियन डालर रहा. इस वर्ष कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2009-10 के 37.8 बिलियन डालर की अपेक्षा कम होकर 27.0 बिलियन डालर रहा. देश को विकास कार्यों और चालू खाते के घाटे की भरपाई के लिए अधिक विदेशी निवेश की आवश्यकता है.

सी. **मुद्रा स्फीति :** वर्ष 2010-11 में संरचनात्मक एवं अस्थायी दोनों ही कारकों से कीमतों का स्तर ऊंचा बना रहा. मुद्रा

स्फीति का आरंभिक दौर, देश के कुछ हिस्सों में मुख्यत: बेमौसम की बरसात के कारण आपूर्ति में बाधा के कारण था. व्यक्तियों की आय में बढ़ोत्तरी के कारण खाद्य आदतों में परिवर्तन होना एक दूसरा प्रमुख कारण था, जिसकी वजह से दूध, अंडा, मांस, मछली जैसे प्रोटीन बहुल उत्पादों की मांग में वृद्धि हुई. यद्यपि, देश में ईंधन की कीमतें कुल मिलाकर स्थिर रहीं, लेकिन कच्चे तेल और जिन्सों की ऊंची कीमतों के कारण बहुत हद तक आयात मूल्य स्फीति की स्थिति बनी. मुद्रा स्फीति के बढ़ने के कई कारण है.

1.3 वित्तीय बाजार

ए. **तरलता** - वर्ष 2011 में तरलता की स्थिति पर संरचात्मक और प्रतिरोधात्मक कारणों का प्रभाव पड़ा. वर्ष का आरंभ तरलता की अच्छी स्थिति के साथ हुआ था, किंतु 1 जून 2010 में मोबाईल सेवा प्रदाताओं द्वारा 3 जी और बीडब्ल्यूए सेवाओं के लिए स्पैक्ट्रम शुल्क के भुगतान के कारण तरलता में कमी आयी. इसके तुरंत बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने तरलता कम बनाये रखने के लिए नीतिगत परिवर्तन किये, जिससे कि मौद्रिक नीति के प्रसार की प्रभावितामें वृद्धि हो सके. भारतीय रिजर्व बैंक के पास सरकार की बड़ी मात्रा में जमा नकदी, जमा वृद्धि दर अपेक्षा से कम होने के कारण तरलता की कमी ने बैंकिंग प्रणाली की शुद्ध मांग और समय देयता के 1 प्रतिशत के अपेक्षित स्तर से नीचे ला दिया. मुद्रा की आधार मांगने की तरलता की स्थिति को बिगाड़ा. भारतीय रिजर्व बैंक ने तरलता की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए एसएलआर पोर्टफोलियो के समक्ष अपनी शुद्ध मांग और देयता के 1% के बराबर राशि उधार लेने जैसे कई कदम उठाये हैं.

बी. **मुद्रा आपूर्ति -** भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थूल मुद्रा आपूर्ति में 17% वृद्धि का अनुमान लगाया. जमाराशि में कम वृद्धि और जनता के पास करेंसी की उपलब्धता में आशा से अधिक वृद्धि के कारन 2010-11 में धन की आपूर्ति में वास्तविक वृद्धि 15.9% रही. वित्त वर्ष 2010-11 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सकल जमा की वृद्धि दर 15.9% रही. ब्याज दर आकर्षक होने के कारण सावधि जमा में 18.7% की वृद्धि हुई और मांग जमा में 0.6% की मामूली कमी आयी

सी. **बैंक ऋण -** खाद्येतर ऋण की मांग लक्षित स्तर से अधिक रही. गैर बैंकिंग स्त्रेतों से निधियों का प्रवाह, वृद्धिगत बैंकिंग ऋण के प्रवाह से कम रहा. बैंक के खाद्येतर ऋण में 21.3% की वृद्धि हुई बैंक ऋण के क्षेत्रवार नियोजन में असमानता दिखाई दी. उद्योगों को दिए गए ऋणों का बड़ा हिस्सा इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को गया जबकि वर्ष के दौरान वाहन और आवास ऋणों के लिए मांग फिर से बढ़ी.

डी. **पॉलिसी परिवेश-**भारतीय रिजर्व बैंक ने पॉलिसी दरों को सामान्य रखने का प्रयास किया, जिसमें वैश्विक वित्तीय संकट की उथल-पुथल के बाद बहुत कमी आ गयी थी. पहला कदम 2010 में ही उठाया गया, जिसमें रेपो और रिवर्स रेपो दर दोनों में ही 25 आधार बिंदु की वृद्धि की गयी थी वर्ष के दौरान कुलमिलाकर रेपो दर में 175 आधार बिंदु और रिवर्स रेपो दर में 250 आधार बिंदु की वृद्धि की गयी थी. कीमतों में वृद्धि के साथ-साथ स्फीति जन्य अपेक्षाओं का संतुलन करने के लिए पॉलिसी दरों में परिवर्तन किये गये. पॉलिसी दरों को आधार प्रभावी बनाने और अंतर बैंक मुद्रा बाजार के दर के उतारचढ़ाव को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने तरलता समायोजन सुविधा के स्प्रैड को 50 आधारबिंदु कम कर 24 प्रतिशत कर दिया. पॉलिसी का समग्र उद्देश्य स्फीतिजन्य आशंकाओं को कम रखने और ब्याज दर को, कीमत, उत्पादन. वित्तीय स्थिरता के अनुरुप बनये रखना था. जुलाई 2010 में बैंको ने उधारीदर के लिए बेंचमार्क के रूप में बैंक दर की प्रणाली प्रारंभ की. इसका उद्देश्य मौद्रिक नीति ट्रांसमिशन प्रणाली के ब्याज दर चैनलों में वृद्धि करना है.

ई. **पूंजी बाजार -** वर्ष 2010-11 में पूंजी बाजार में मिला जुला रुख रहा. जुलाई-नवंबर 2010 के मध्य विदेशी संस्थागत निवेशकों से भारी मुद्रा प्रवाह के कारण शेयर बाजार में काफी तेजी आयी, लेकिन अगले 4 माह में विदेशी संस्थागत निवेश में निवल कमी आने से यह रुख बदल गया. 31 मार्च 2011 को बेंचमार्क सेंसेक्स में 10.9% की वार्षिक बढ़ोत्तरी हुई थी. प्राथमिक बाजार से इस वर्ष, गत वर्ष की तुलना में 15.4% अधिक संसाधन जुटाये गये थे.

एफ. **ऋण बाजार -** तरलता में कमी, मुद्रा स्फीति की दर अधिक जारी रहने के कारण तथा पॉलिसी रेट अधिक रहने के कारण, बांड मार्केट में ब्याज दर और सरकारी प्रतिभूतियों में प्रतिलाभ की दर अधिक रही. बाजार से केंद्र सरकार ने रु. 4,37,000 करोड़ और राज्य सरकारों ने रु. 1,04,309 करोड़ का ऋण लिया. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों पर भारित औसत प्रतिलाभ वर्ष 2009-10 के 7.2% की तुलना में इस वर्ष 7.9% रहा. वाणिज्यिक प्रपत्र रु.5000 करोड़ अधिक के जारी किये गये, जबकि बैंक का जमा प्रमाणपत्र पोर्टफोलियो रु.80000 करोड़ से अधिक रहा.

जी. **विदेशी मुद्रा बाजार** - भारी मात्रा में प्रवाह के बावजूद विदेशी मुद्रा बाजार सुव्यवस्थित बना रहा. अमेरिकी डालर की तुलना में भारतीय रुपये का मूल्य ₹ 44.03 से ₹ 47.58 के मध्य घटता-बढ़ता रहा. अक्तूबर, 2010 में रुपये के मूल्य में तीव्र वृद्धि के कारण सभी परिपक्वताओं के लिए वायदा प्रीमियम बढ़ गया था, जो वायदा कवर के लिए अधिक मांग का परिचायक था. बाद में वायदा प्रीमियम कम हो गया, लेकिन वर्ष 2010-11 की प्रथम दो तिमाहियों से अधिक ही रहा. विदेशी मुद्रा आस्तियां मार्च 2010 के 254.9 बिलियन यूएसडालर की तुलना में मार्च 2011 के अंत में 274.6 बिलियन यूएसडालर हो गईं. रुपए का मूल्य यूएसडालर, पौंड स्टर्लिंग और जापानी येन की तुलना में तो बढ़ा, परंतु फरवरी 2011 के यूरो मूल्य की तुलना में मार्च 2011 में इसके मूल्य में कमी दर्ज की गई.

1.4 बैंकिंग उद्योग का निष्पादन

ए. वित्त वर्ष 2010-11 की प्रथम छमाही में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको की जमा राशि वृद्धि दर मंद रही, किंतु टेलीकॉम कंपनियों की मांग और विभिन्न क्षेत्रों के सामान्य विस्तार के कारण ऋण की मांग अच्छी मात्रा में थी. बैंकों द्वारा जमाराशि पर ब्याज दर में वृद्धि के कारण वर्ष की दूसरी छमाही में जमाराशि अर्जन में गति आयी, किंतु जमाराशि की वार्षिक वृद्धि दर 15.9% रही, जो रिजर्व बैंक के 17% वृद्धि के अनुमानों से कम थी. दूसरी और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण की वृद्धि दर 20.00% के अनुमानों से अधिक अर्थात 21.4% रही. आवास और वाहन ऋणों सहित खुदरा ऋण खंड की मांग में पुन: वृद्धि परिलक्षित हुई.

बी. अधिकांश बैंकों के लाभ में वृद्धि की दर पिछले वर्ष 2009-10 की वृद्धि दर से कम रही. बैंकों की लाभप्रदता, ट्रेजरी से आय में कमी और अधिक प्रावधान से प्रभावित हुई. सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट आई तथा कुल अग्रिम में कुल गैरनिष्पादक आस्तियों के अनुपात में वृद्धि हुई.

2. नेक्स्टेप-नवनिर्माण

ए. आपके बैंक ने 2007 के आरंभ में, चयनित क्षेत्रों में पहली पसंद का बैंक बनने के उद्देश्य से रुपांतरण प्रक्रिया आरंभ की थी. इसके लिए तकनीक अपनाना, केंद्रीकरण, विपणन संस्था बनाना, मानव पूंजी को सशक्त बनाना तथा बैंक की ब्रांड वैल्यू में वृद्धि करने के लिए आवश्यक उपाय करान बैंक ने इन सब क्षेत्रों में बहुत से उपाय किये है. बैंक का विकास बैंकिंग उद्योग से अधिक हुआ. आपका बैंक, देश के आर्थिक रुपांतरण से पैदा होने वाले अवसरों का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है. यह जरुरी है कि बैंक एक सफल ग्राहक सेवा मॉडल बनाये और इसे अपने आंतरिक ग्राहकों अर्थात कर्मचारियों से एकीकृत करे.

बी. इसलिए आपके बैंक ने ग्राहक सेवा उत्कृष्टता और मानव संसाधन रुपांतरण के लिए दो नयी पहल आरंभ की है. ये है नेक्स्टेप, नवनिर्माण. बैंक ग्राहकों को प्रदत्त सेवाओं से लाभान्वित होता है. बैंक की मंशा है कि वह 2012 तक ग्राहक सेवा उत्कृष्टता में नं.1 रिटेल बैंक बने. इसके 7 आधार हैं:-

i. कार्य के प्रवाह, शाखाओं के स्वरुप, कार्य के तरीके और स्टाफ की संख्या पुनर्व्यवस्थित कर शाखा का नया मॉडल बनाना.

ii. कॉल सेंटर और अन्य वैकल्पिक चैनलों के परिचालन को सरल बनाना.

iii. कृश सिद्धान्तों का पालन करते हुए वास्तविक अनुभूति को पुन: डिज़ाइन करना.

iv. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एक छोर से दूसरे छोर तक उन्नयन पहलों के स्थिरीकरण के लिए परिवर्तन लीडर कार्यक्रम का निर्माण.

v. ग्राहक शिकायत कक्ष बनाना.

vi. ग्राहक सेवा उत्कृष्टता अकादमी की स्थापना करना.

vii. विश्वस्तरीय ग्राहक आसूचना ईकाई बनाना.

सी. इस दिशा में प्रथम कदम के रुप में मुंबई की 3 लाख "भविष्य की शाखा" संकल्पना का प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वयन किया गया है. ग्राहक फीड बैक, कारोबार में वृद्धि और स्टाफ की सहभागिता के पैमाने पर मापने से इसके परिणाम संतोषजनक पाए गए हैं. यह पंक्ति प्रबंधन प्रणाली, विक्रय और सेवा टीम, स्वयं सेवा कियोस्क और ग्राहक सेवा प्रबंधन जैसी कई नई पहलों से संभव हुआ है. मार्च 2012 की समाप्ति तक 250 और शाखाओं में इसका विस्तार किया जाएगा.

डी. इसके साथ ही बैंक एटीएम और कॉल सेंटर परिचालनों पर ध्यान दे रहा है और एक ग्राहक सेवा ईकाई स्थापित की जा रही है. यह ग्राहक सेवा ईकाई ग्राहकों को निर्बाध अनुभव प्रदान करने के लिए सेवा समाधान उपलब्ध कराएगी और शिकायतों का निवारण करेगी. इसके अंतर्गत प्रणाली और प्रक्रियाओं को पुन:परिभाषित करने के लिए मूल कारण विश्लेषण और ग्राहक सेवा पहलों को आधार बनाया जाएगा.

ई. एक और महत्वपूर्ण पहल मानव संसाधन के क्षेत्र में है. मानव संसाधन की चुनौतियां जनबल की भर्ती, प्रशिक्षण और उनको रोककर रखने से आरंभ होकर, उत्तराधिकार आयोजन, नेतृत्व विकास, निष्पादन प्रबंधन प्रणाली आदि तक विस्तृत है. सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों के समक्ष एक जैसी ही चुनौतियां हैं, किंतु आपके बैंक ने इस दिशा में समाधान के लिए पहल की है. मानव संसाधन रुपांतरण परियोजनामें 3 चरण हैं : निदान, डिजांइन और कार्यान्वयन. 2010-11 के दौरान बैंक की मौजूदा एच आर और प्रशिक्षण प्रक्रियाओं और नीतियों का गहन अध्ययन कर और इसको सर्वश्रेष्ठ परंपराओं के बेंचमार्क के निकट लाकर प्रथम दो महत्वपूर्ण कार्य पूरे कर लिए हैं. इसके बाद डिजाइन के चरण में एचआर संरचना, एचआर नीतियां, जॉब विकास, निष्पादन प्रबंधन प्रणाली, सक्षमता मॉडल, उत्तराधिकार योजना, कैरियर मार्ग और लनबल आयोजन मिलाकर 8 चरण शामिल हैं. वित्त वर्ष 2011-12 में इन सभी क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य आरंभ किए जाएगें.

एफ. आपके बैंक का दृढ़ विश्वास है कि इन पहलों की सहायता से बैंक को अपना ग्राहक आधार बढ़ाने और देश का सर्वाधिक पसंदीदा बैंक बनने में मदद मिलेगी.

कारोबार खंड अद्यतन

3. संसाधन

ए. संसाधन वर्ष के दौरान बैंक के जमा अर्जन की गति मंद रही, जिसका कारण वर्ष की अधिकांश अवधि में जमाराशि पर वास्तविक ब्याज नकारात्मक रहना और मुद्रास्फीति के कारण जनता की मुद्रा की मांग अधिक होना था. तथापि, आपका बैंक ग्राहक रिलेशनशिप बनाकर और पोषित करके ग्राहक आधार का विस्तार करने पर ध्यान दे रहा है. इसके परिणामस्वरुप, 26.75 लाख नए बचत खाते, 6900 नए चालू खाते खोले गए, जिसमें रु.8200.00 करोड़ की राशि आई. 2010-11 की द्वितीय छमाही में बैंक ने **यूनियन 500/700/1100 दिन** नाम से नई स्कीमें आरंभ कीं, जिनके अंतर्गत 6.45 लाख खातों में ₹ 10600 करोड़ जमाराशियां जुटाई गईं. बैंक की कुल जमाराशियां ₹ 1,70,640 करोड़ से 19.07% बढ़कर ₹ 2,02,461 करोड़ हो गईं.

बी. चालू और बचत खाते (कासा) में कम लागत की जमाराशि बैंक का कोर फोकस क्षेत्र बना रहा. कासा जमाराशि 31.03.2010 के ₹ 93,957 करोड़ से ₹ 10,350 (19.18%) बढ़कर 31.03.2011 को ₹ 64,307 करोड़ हो गईं. कुल जमा राशि में कासा की हिस्सेदारी 31.76% है. औसत कासा जमा राशियां 26.07% की दर से बढ़ीं जो सुस्थिर विकास दर्शाती हैं.

तालिका - 6 खंडवार जमाराशि

(₹ करोड़ में)

पैरामीटर	**वित्त वर्ष 2009-10**	**वित्त वर्ष 2010-11**	**वर्षानुवर्ष वृद्धि%**	**% हिस्सेदारी ****
कुल जमाराशियां	1,70,040	2,02,461	19.07	
बचत बैंक जमाराशियां	37,728	44,689	18.45	22.07
करेंट जमाराशियां	16,229	19,618	20.88	9.69
कासा	53,957	64,307	19.18	31.76
मीयादी जमाराशियां	1,16,083	1,38,154	19.01	68.24

** (कुल जमाराशि में हिस्सेदारी)

4 ऋण प्रबंधन

ए. बैंक का अग्रिम पोर्टफोलियो 2010-11 में पिछले वर्ष के ₹ 1,21,249 करोड़ से 26.20% से बढ़कर ₹ 1,53,022 करोड़ हो गया है. 31 मार्च 2011 को गैर खाद्य ऋण 26.11% बढ़कर ₹ 1,50,324 करोड़ हो गया है. ऋण का विस्तार सभी क्षेत्रों में देखा गया किंतु इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में विशेष वृद्धि परिलक्षित हुई है.

बी. रिटेल अग्रिमों में 20.23% वृद्धि हुई, जबकि कृषि और एमएसएमई में क्रमश: 13.98% और 9.04% की वृद्धि दर्ज हुई. ऋण पोर्टफोलियो की स्थिति इस प्रकार है:

तालिका 7 : अग्रिम पोर्टफोलियो

(₹ करोड़ में)

	वित्त वर्ष 2009-10	**वित्त वर्ष 2010-11**	**वर्षानुवर्ष वृद्धि%**
एमएसएमई अग्रिम	**22,685**	**24,735**	**9.04%**
कृषि अग्रिम	**18,464**	**21,046**	**13.98%**
रिटेल अग्रिम	**13,506**	**16,238**	**20.23%**

4.1. रिटेल बैंकिंग

ए. वर्ष 2010-11 में आपके बैंक के रिटेल पोर्टफोलियो में 20.23% की वृद्धि हई है. ऋण पोर्टफोलियो 31 मार्च, 2010 के ₹ 13,506 करोड़ के स्तर से बढ़कर 31 मार्च, 2011 को ₹

16,238 करोड़ हो गया. 31 मार्च 2011 को कुल घरेलू ऋण में रिटेल ऋण की हिस्सेदारी 11.04% थी.

तालिका 8 : रिटेल अग्रिम पोर्टफोलियो

(₹ करोड़ में)

	वित्त वर्ष 2009-10	वित्त वर्ष 2010-11	वर्षानुवर्ष वृद्धि%	रिटेल अग्रिमों में हिस्सेदारी
रिटेल अग्रिम	**13506**	**16238**	**20.23%**	**100%**
- यूनियन होम	8115	9211	13.51%	56.72%
- यूनियन माइल्स	1189	1230	3.45%	7.57%
- यूनियन एजूकेशन	1301	1582	21.60%	9.74%
- अन्य रिटेल ऋण	2901	4215	45.29%	25.97%

बी. यूनियन लोन पाइंट: नवनिर्माण रुपांतरण के दौरान लोन पॉइंट रिटेल उधारी पर ध्यान देने के लिए स्थापित किए गए थे. ये केन्द्र बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं. देश के विभिन्न स्थानों में बैंक के कुल रिटेल ऋण का 1/5 कारोबार केन्द्रित है. बैंक 2011-12 में इन यूनियन लोन पाइंट को सशक्त बनाने और इनके कामकाज में सुधार सुनिश्चित करता रहेगा.

सी. ग्राहकों की विभिन्न प्रकार की मांगों को पूरा करने और रिटेल अग्रिमों में जोरदार वृद्धि सुनिश्चित करने के लिये उत्पादों में विभिन्नता लायी जा रही है और कई विपणन पहलें की जा रही हैं. इनमें स्टार यूनियन दाई ईची के साथ रिवर्स बंधक ऋण सम्मिलित एन्यूटी प्लान और बैंक के स्टाफ के लिये प्रोत्साहन योजना आदि का समावेश है.

डी. वित्त वर्ष 2010-11 में बैंक ने यूनियन शिक्षा स्कीम के अंतर्गत ₹ 414 करोड़ के ऋण संवितरित किये थे. आईआईएम, आईएसबी, एक्सएलआरआई आदि प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाओं के विद्यार्थियों के लिये विशेष शैक्षिक ऋण योजनाओं को प्रोत्साहित किया गया.

4.2. कार्पोरेट क्रेडिट

ए. लार्ज कार्पोरेट ग्राहको की ऋण जरुरते 11 होलसेल बैंकिंग शाखाओं, 9 औद्योगिक वित्त शाखाएं और 2 विदेश व्यापार शाखाओं के माध्यम से पूरी की जाती हैं. इससे उद्योग विशेष के लिए विशेषीकृत सेवाएं देकर कार्पोरेट ग्राहको के प्रस्तावों पर शिघ्रता से निर्णय होता है. लार्ज कार्पोरेट वर्टिकल का कार्य निष्पादन निम्न प्रकार रहा है :

तालिका - 9 - लार्ज कार्पोरेट का निष्पादन

(₹ करोड़ में)

	मार्च 2009 (वास्तविक)	मार्च 2010 (वास्तविक)	वृद्धि %	मार्च 2011 (वास्तविक)	वृद्धि%
कुल अग्रिम	35,336	40,618	14.95	54,428	34
कोर अग्रिम	22,011	27,852	26.53	34,041	22.22
गैर ब्याज आय	151	226	49.66	250	10.62
गैर निधि आधारित कारोबार	-	9,750	-	13,497	38.43
आय	10.05%	9.05%	-	9.58%	-

बी. बड़े कार्पोरेट को कुल ऋण मार्च 2011 में ₹ 50,000 करोड़ को पार कर गया है. जो बैंक के कुल अग्रिम का 36% हैं. गैर निधि आधाारित कारोबार में 38% की वृद्धि हुई है और यह ₹ 10,000 करोड़ के स्तर को पार कर गया है.

सी. गैर निधि आधारित लिमिटों में अधिक हिस्सा प्राप्त करने और गैर ब्याज आय में वृद्धि के उद्देश्य से रिलेशनशिप मूल्य में वृद्धि के मिशन के साथ कार्पोरेट रिलेशनशिप संकल्पना को अपनाया गया था.

4.3. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

ए. इस वित्त वर्ष 2010-11 में बैंक का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पोर्टफोलियो वर्ष 2009-10 के ₹ 22,685 से 9.04%.बढ़कर ₹ 24,735 करोड़ हो गया है. इस कम वृद्धि का कारण वर्ष 2009-10 में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पुन: वर्गीकरण के कारण आधार का बड़ा हो जाना है. कुल अग्रिम में एमएसएमई अग्रिम का हिस्सा 16.16% है. एमएसएमई एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और बैंक सुनिश्चित समय में निर्णय (टीएटी), वहन करने योग्य लागत पर ऋण प्रदान करने, विशिष्ट रूप से निर्मित उत्पादों, एमएसएमई ग्राहकों की संख्या बढ़ाने और कुशल जनबल और संसाधन पर जोर दे रहा है.

बी. एमएसएमई ऋणों के प्रोत्साहन के लिये बैंक ने 250 व्यवसाय बैंकिंग शाखाएं और 17 सरल (केंद्रीय प्रोसेसिंग केंद्र) चिन्हित किये हैं. ये व्यवसाय बैंकिंग शाखाएं और सरल पूरे देश में संभावना युक्त केंद्रों पर बनाये गये हैं और एमएसएमई अग्रिमों की वृद्धि में इनका बहुत योगदान है.

4.4. ग्रामीण और कृषि कारोबार

ए. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र - बैंक अपने ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी शाखाओं के विस्तृत शाखा नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण जनसंख्या के विकास और सशक्तीकरण की राष्ट्रीय नीति का सक्रियता से अनुसरण करता है. 31 मार्च 2011 को बैंक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम में 13.27% की वृद्धि हुई है और यह ₹ 50,967 करोड़ हो गया है, जो समायोजित शुद्ध बैंक ऋण के 40% होने की आवश्यक शर्त के समक्ष 43.46% है.

बी. कृषि : बैंक के लिए कृषि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है. 31 मार्च 2011 को बैंक के कृषि अग्रिम पिछले वर्ष के ₹ 18,464 करोड़ से ₹ 2,582 करोड़ (13.98%) बढ़कर 21,046 करोड़ हो गये हैं. समायोजित शुद्ध बैंक ऋण में कृषि अग्रिम की हिस्सेदारी, 31 मार्च 2011 को 14.52% है. इस वर्ष विशेष कृषि ऋण प्लान (एसएसीपी) के अंतर्गत कुल संवितरण रु 7,500 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में ₹ 8,304 करोड़ किया गया, जो लक्ष्य का 107.12% होता है. वर्ष 2011-12 में ₹ 845 करोड़ की ऋण सुविधा युक्त 1,38,997 अतिरिक्त किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये.

सी. लघु उद्यम: लघु उद्यम को कुल अग्रिम पिछले वर्ष के ₹ 15,790 करोड़ की तुलना में 31.03.2011 को ₹ 17,543 करोड़ रहे. यह पिछले वर्ष से 11.10% अधिक है.

डी. अन्य क्षेत्र: 31.03.2011 को अन्य क्षेत्र का बकाया ऋण 31.03.2010 के ₹ 10,739 करोड़ की तुलना में ₹ 12,378 करोड़ था.

ई. सामाजिक उत्थान के लिये ऋण : महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और उनको स्वयं-पूर्ण बनाने के लिये आपका बैंक महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान कर रहा है. बैंक ने 5.35 लाख महिला उद्यमियों का वित्तपोषण किया है और महिला उद्यमियों को बकाया ऋण की राशि 5,066 करोड़ से बढ़कर ₹ 6,307 करोड़ हो गयी है. यह राशि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समायोजित शुद्ध बैंक ऋण के 5% के बैंच मार्क से अधिक (5.38%) है. कमजोर वर्ग को सहायता की राशि 9,449 करोड़ से 25.59% बढ़कर ₹ 11,867 करोड़ हो गयी है. अजा/अजजा को अग्रिम की राशि, 31 मार्च 2010 के ₹ 1,427 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2011 को ₹ 1,450 करोड़ (215609 लाभार्थी) हो गया है.

एफ. अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण: अल्पसंख्यकों के कल्याण के संबंध में भारत सरकार के दिशाानिर्देशों के अनुसरण में 2010-11 के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदत्त सहायता की राशि ₹ 4,624.64 करोड़ से बढ़कर ₹ 5,836.17 करोड़ हो गयी. इससे 3,31,400 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं. 31 मार्च 2011 को कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में इन अग्रिमों का हिस्सा 11.45% है.

4.5 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)

एसएचजी बनाकर और उसे क्रेडिट लिंकेज देना, बैंकिग प्रणाली के लिये निर्धनों को बैंकिग सुविधा प्रदान करने का किफायती तरीका है. इस वर्ष 16,086 समूह बनाये गये और 12,459 को ₹ 166.27 करोड़ की वित्तीय सहायता की लिंक दी गयी. स्वयं सहायता समूह बनाने की प्रगति नीचे दी गयी है:

तालिका 10: स्वयं सहायता समूह

(₹ करोड़ में)

विवरण	मार्च 2010	मार्च 2011	समग्र वृद्धि	% वृद्धि
बनाये गये समूह (संख्या)	138160	154246	16086	11.64
वित्तपोषित समूह (संख्या)	101362	113821	12459	12.29
वित्त पोषित राशि (रुपये करोड़ में)	1006.37	1172.64	166.27	16.52
जिनमें महिला स्वयं सहायता समूह (संख्या)	87828	98295	10467	11.92
राशि (रुपये करोड़ में)	886.91	1020.76	133.85	15.09

एसएचजी कार्यक्रम को अधिक आकर्षक बनाने के लिये आपके बैंक ने महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिये एलआईसी की जनश्री बीमा योजना आरंभ की है, जिसमें ₹ 200 का नाममात्र का प्रीमियम देकर ₹ 50,000/- का बीमा कवर मिलता है. यह प्रीमियम एसएचजी सदस्य और भारत सरकार द्वारा आधा-आधा वहन किया जाता है.

5 अग्रणी बैंक स्कीम

ए. बैंक के पास 4 राज्यों के 14 जिलों उत्तर प्रदेश में आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी,गाजीपुर, मऊनाथ भंजन, भदोही, और चंदौली मध्य प्रदेश में रीवा, सीधी और सिंगरौली केरल में एरनाकुलम और इडुक्की तथा बिहार में खगड़िया और समस्तीपुर का अग्रणी बैंक का दायित्व है. इन जिलों में बैंक की 428 शाखाएं हैं. इन जिलों में बैंक की जमाराशि और अग्रिम मार्च 2010 के ₹ 16,461 करोड़ और र. 4,937 करोड़ से बढ़कर मार्च 2011 में क्रमश: ₹ 19,461 करोड़ और ₹ 5,846 करोड़ हो गये हैं.

6 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

ए. बैंक ने 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजित किये हैं, जिसमें एक है उत्तर प्रदेश में काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक (केजीएसजीबी), वाराणसी है तथा दूसरा है मध्य प्रदेश में रीवा सीधी ग्रामीण बैंक (आरएसजीबी). दोनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लाभ अर्जक स्थिति में है. दोनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं को शत प्रतिशत सीबीएस के तहत लाया गया है और ग्रामीण ग्राहकों को प्रौद्योगिकी/वैकल्पिक चैनलो का लाभ पहुंचाने हेतु प्रमुख शाखाओं/स्थानों पर एटीएम लगाए जा रहे हैं.

7. वित्तीय समावेशन

7.1 परिदृश्य

ए. देश उच्च विकास के पथ पर चल पड़ा है. विकास की इस गति को बनाए रखने तथा इसमें और तेजी लाने के लिए आर्थिक विकास की इस प्रक्रिया में आबादी के आर्थिक रूप से वंचित तबकों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करना अत्यावश्यक है. अब तक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया से वंचित रहे आबादी के उस तबके को इस प्रक्रिया में शामिल करना इसका महत्वपूर्ण पक्ष है. वित्तीय समावेशन बैंकिग गतिविधियों का प्रमुख अंग रहेगा.

बी. आपका बैंक आर्थिक सुविधाओं से वंचित समाज के इस तबके को उनके द्वार पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर अर्थपूर्ण वित्तीय समावेशन मुहैया कराने की दिशा में अग्रसर है. इस दिशा में बोर्ड द्वारा अनुमोदित वित्तीय समावेशन योजना 2010-13 के अनुसार बैंक कार्य कर रहा है, जिसके अंतर्गत 2013 तक बैंक 32000 बैंक-रहित गावों तक पहुंचने के लिए कटिबद्ध है, इसके लिए आईसीटी आधारित तकनीक तथा 20,000 कारोबार संपर्की / ग्राहक सेवा केंद्रों के माध्यम से इस योजना के अंत तक 10 मिलियन ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध होंगी.

7.2 उपलब्धि

ए. वित्तीय समावेशन प्रयासों के तहत बैंक ने निम्नलिखित उपलब्धियां हासिल की हैं :

बी. माननीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2010-11 के अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि बैंक 2012 तक 2,000 से अधिक जनसंख्या वाली सभी बस्तियों को बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराएगें. तदनुसार, आपके बैंक को कुल 3,159 गांव आवंटित किए गए थे, जिनमें से मार्च 2011 तक 2500 गांवों तक बैंकिंग सेवा पहुंचानी थी. आपके बैंक ने इसके अंतर्गत लक्ष्य से अधिक 2,511 गांव कवर किए हैं. आपके बैंक ने 16,242 गांवों में शाखा रहित डोरस्टेप बैंकिंग की स्थापना की है.

सी. वर्ष के दौरान बैंक ने 31 लाख नो फ्रिल खाते खोले. इस प्रकार गत वर्ष के 44 लाख नो फ्रिल खातों के सापेक्ष मार्च11 तक नो फ्रिल खातों की संख्या 75 लाख हो गयी.

डी. ग्रामीण / शहरी गरीबों में बैंकिंग की आदत डालने तथा आर्थिक गतिविधियों को बढावा देने और नाममात्र के खर्च पर बीमा की सुविधा प्रदान करने हेतु बैंक सूक्ष्म ऋण और सूक्ष्म बीमा दे रहा है.

ई. प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपके बैंक ने प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के सदस्य किसानों को, मै. को-ऑप्शन टेक्नॉलॉजी लिमिटेड के साथ मिलकर विकसित की गयी तकनीक के माध्यम से शाखा रहित बैंकिंग के तहत वित्तपोषण हेतु मै. को-ऑप्शन टेक्नॉलॉजी लिमिटेड के साथ टाई अप किया है. इसके तहत आपका बैंक आंध्र प्रदेश के 650 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के 1.25 लाख सदस्य किसानों को ₹ 500 करोड़ का ऋण संवितरित करेगा. इस अभिनव परियोजना के लिए आपके बैंक को स्कोह वित्तीय समावेशन पुरस्कार प्राप्त हुआ है.

एफ. बैंकिंग संपर्की मॉडल के माध्यम से प्रवासियों के लिए दी जानेवाली सूक्ष्म प्रेषण सुविधा का विस्तार कोलकाता-बिहार/उ.प्र., सूरत-गंजम और जालंधर/लुधियाना से पूर्वी उ.प्र.जैसे नए स्थानों पर किया गया है. इन्हें मिलाकर प्रवासी कामगारों के लिए बैंक की प्रेषण सुविधा 6 कॉरीडोर में उपलब्ध है.

जी. बैंक ने सह भागीदार नोकिया के साथ मिलकर "यूनियन बैंक मनी" के नाम से मोबाईल आधारित एक अनुपम पूर्वदत्त बैंकिंग सेवा आरंभ की है. बड़े पैमाने पर यह भारत की अपनी तरह की पहली सेवा है, जो मिलियनों मोबाइल उपयोगकर्ताओं के धन संबंधी संव्यवहारों को आसान, सरल और सुरक्षित बनाती है और ऐसे लोगों तक बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराती है, जिनके पास तक मोबाइल सेवा पहुंच गई है किंतु बैंकिंग सेवा उन स्थानो`पर नहीं पहुंच पायी है. ग्राहक अपने मोबाइल फोन का प्रयोग कर दूसरे व्यक्ति को धन अंतरित कर सकता है, यूटिलिटी बिलों का भुगतान कर सकता है, अपने प्रीपेड सिम को रीचार्ज करा सकता है और वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए व्यापारी को भुगतान कर सकता है. यूनियन बैंक मनी सेवा का उपयोग करके धन प्रेषित करना एक टेलीफोन कॉल करने या

टेक्स्ट संदेश भेजने जितना आसान है और प्रत्यक्ष धन लेनदेन से अधिक सुरक्षित है. यह सेवा गुड़गांव, दिल्ली, नोयडा और फरीदाबाद में आरंभ की गई है. वर्ष 2011 की समाप्ति तक यह सेवा अखिल भारतीय कवरेज के साथ सभी प्रमुख शहरों और प्रवासी कोरीडोर के लिए उपलब्ध होगी.

एच. वित्तीय समावेशन के प्रयास अर्थपूर्ण और प्रभावी करने हेतु वित्तीय साक्षरता का प्रसार अनिवार्य है. बैंक ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और केरल में 8 वित्तीय साक्षरता और ऋण सलाहकारी केंद्रों की स्थापना की है. ये केंद्र औपचारिक बैंकिंग की जागरुकता निर्माण करने का प्रयास और विविध वित्तीय सेवाओं पर सलाह देने का कार्य कर रहे हैं.

आई. ग्रामीण / अर्ध शहरी इलाकों के बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु और शहरी इलाकों में उनके पलायन को रोकने हेतु बैंक ने 13 अग्रणी जिलों यथा एर्णाकुलम, इडुक्की, वाराणसी, मऊ, आजमगढ, गाजीपुर, जौनपुर, भदोही, चंदौली, समस्तीपुर, खगड़िया, रीवा एवं सीधी जिलों में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये हैं. मार्च, 2011 तक इन ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों में 755 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गये, जिसमें 17,419 लाभार्थियों ने प्रशिक्षण लिया, जिसमें से 11,673 लाभार्थियों को लाभजनक रोजगार प्राप्त हुआ, जिसका प्रतिशत 67.01 आता है.

8. आस्ति गुणवत्ता

ए. बैंक का सकल एनपीए ₹ 2,671 करोड़ से बढ़कर ₹ 3,623 करोड़ और निवल एनपीए ₹ 965 करोड़ से बढ़कर ₹ 1,803 करोड़ हो गया. प्रतिशत की दृष्टि से सकल एनपीए 2.20% से बढ़कर 2.37% हो गया, जबकि निवल एनपीए 0.81% से बढ़कर 1.19% हो गया. गैर निष्पादक ऋणों की वृद्धि का कारण कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना के अंतर्गत कृषि ऋण खातों का निपटान न होना और निर्यात बाजार पर निर्भर कुछ बड़े मूल्य के खाते स्लिप हो जाना है. दूसरे, आपके बैंक ने इस वर्ष गैर निष्पादक आस्तियों की पहचान सिस्टम के द्वारा की है, जिसके कारण बहुत से खाते गैर निष्पादक हो गए हैं

बी. लेकिन अब स्लिपेज में कमी आ रही है, जो आने वाले सालों में आस्ति गुणवत्ता के लिए बेहतर भविष्य का सूचक है. सितंबर 2010 में रु.1,130 करोड़ का स्लिपेज था, जो क्रमवार घटकर रु.765 करोड़ (दिसंबर 2010) और फिर चौथी तिमाही में रु.406 करोड़ हो गई.

सी. एनपीए खातों का संचलन नीचे दर्शाया गया है :

तालिका - 11 - एनपीए का संचलन

(₹ करोड़ में)

ब्यौरे	31 मार्च 2011		31 मार्च 2010	
सकल एनपीए (प्रारंभिक)	2671		1923	
वृद्धि	2924		1785	
घटायें :				
(I) अपग्रेडेशन	268		123	
(II) वसूली	578		401	
(III) अपलिखित	1126	1972	513	1037
सकल एनपीए (अंतिम)	3623		2671	
निवल एनपीए				
- प्रारंभिक	965		326	
- अंतिम	1803		965	

डी. वर्ष के दौरान नकद वसूली एवं अपग्रेडेशन ₹ 846 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष ₹ 524 करोड़ था. प्रारंभिक एनपीए स्तर के सापेक्ष वसूली / अपग्रेडेशन का अनुपात पिछले वर्ष के ₹ 27.24% की तुलना में चालू वर्ष 31.67% रहा. बैंक ने अपलिखित खातों में अब तक की सर्वाधिक ₹ 212 करोड़ की वसूली की.

ई. बैंक ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्संरचना एवं प्रतिभूति हीत का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESIA) के अंतर्गत 9,457 चूककर्ता खातेदारों के बीच ₹ 1,444 करोड़ की बकाया राशि के लिए नोटिस जारी की है. एकमुश्त समझौते के अंतर्गत (OTS) ₹ 179 करोड़ के 562 मामलों को अनुमोदित किया गया. इसके अतिरिक्त बैंक 2,282 मामलों में ₹ 626 करोड़ की आस्तियों को कब्जे में लेकर इनसे ₹ 85 करोड़ वसूल करने में सफल रहा.

एफ. ओटीएस योजना के तहत बैंक ने 78,500 से अधिक मामलों में ₹ 329.99 करोड़ का समझौता किया, जिसमें से ₹ 207.55 करोड़ की वसूली हो चुकी है.

जी. उच्च मूल्य के एनपीए खातों में वसूली करने हेतु बैंक ने देश भर में 10 आस्ति वसूली शाखाओं की स्थापना की है. उनके द्वारा वसूली प्रयासों पर काफी जोर दिया गया है. वर्ष के दौरान इन शाखाओं द्वारा ₹ 97.29 करोड़ की वसूली की गयी.

एच. बैंक ने ₹ 1.00 लाख से कम बकाया मूल्य के एनपीए खातों में समझौते हेतु एक विशेष योजना तैयार की है. इस वर्ष बैंक ने

₹ 104.56 करोड़ की समाधान राशि के 69,376 मामलों का निपटान करते हुए ₹ 79.78 करोड़ की वसूली की.

आई. वसूली के प्रभावी उपाय के रुप में लोक अदालत मंच का भी उपयोग किया गया. वर्ष के दौरान बैंक ने 139 लोक अदालतों के माध्यम से ₹ 25.53 करोड़ के 5545 मामलों का निपटान किया.

जे. बैंक ने देश भर में 5,528 वसूली कैंप लगाये, जिनमें 45,276 मामलों का निपटान कर ₹ 155.82 करोड़ की वसूली की गयी.

के. एनपीए श्रेणी के बड़ी राशि के उधार खातों की समीक्षा नियमित अंतराल पर नियंत्रक कार्यालयों में विभिन्न स्तरों पर की जाती है. बैंक की एनपीए की स्थिति की समीक्षा तिमाही अंतराल पर निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति द्वारा की जाती है.

9. ट्रेजरी :

ए. बैंक का कुल निवेश संविभाग 31 मार्च 2010 के ₹ 54,483 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2011 को ₹ 58,505 करोड़ (जिसमें भारत के बाहर का ₹ 64 करोड़ का निवेश शामिल है) रहा. इसमें सरकारी प्रतिभूतियों, राज्य विकास ऋणों और सांविधिक तरलता अनुपात बनाये रखने के लिये अनुमोदित प्रतिभूतियों तथा इक्विटी शेयर, कार्पोरेट डिबेंचरों, पीएसयू बांडों, वाणिज्यिक प्रपत्रों, जमा प्रमाण पत्रों, प्रतिभूति रसीदों, म्युच्युअल फंड, जोखिम पूंजी निधि और सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में किया गया निवेश शामिल है. 31 मार्च 2011 को निवेश पर प्राप्ति की दर पिछले वर्ष की 6.32% की तुलना में 6.55% रही.

बी. इस वर्ष घरेलू और विदेशी मुद्रा बाजार में परिचालन से ट्रेजरी का लाभ पिछले वर्ष के ₹ 729.90 करोड़ की तुलना में ₹ 689.55 करोड़ रहा.

सी. बैंक डेरिवेटिव में स्वयं की ट्रेडिंग के साथ साथ ग्राहकों को भी डेरिवेटिव संव्यवहारों के माध्यम से हेजिंग की सुविधा प्रदान करता है. ये संव्यवहार भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किये जाते हैं.

डी. अपना बैंक एनएसई, एमसीएक्स - एसएक्स और यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज तीनों एक्सचेंज प्लेटफार्मों के करेंसी फ्यूचर मार्केट में लेनदेन करने वाले सक्रिय बैंकों में से एक है. बैंक अपने ग्राहकों को भी करेंसी वायदा उपलब्ध कराता है.

10. अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग

ए. वर्ष 2010-11 के दौरान भारत का निर्यात 246.00 बिलियन अमेरिकी डालर (अनंतिम) रहा, इससे बैंक के विदेशी मुद्रा कारोबार में वृद्धि हुई, जो 2009-10 की तुलना में 39.38% से अधिक रहा. बैंक का विदेशी मुद्रा व्यापार टर्नओवर 18.62% की दर से बढ़कर 31 मार्च,2011 को ₹ 1,02,789 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष ₹ 86,657 करोड़ था.

बी. बैंक का सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों पर 322 अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के साथ संपर्की संबंध है. 31 मार्च, 2011 को बैंक की 22 अंतर्राष्ट्रीय बैंकों और 22 विनिमय गृहों के साथ रुपया आहरण व्यवस्था थी. ग्राहक के खाते में तत्काल जमा के ऑन-लाइन प्रेषण उत्पाद को व्यापक सफलता मिली है.

सी. बैंक के निर्यात ऋण में मार्च,2011 तक पिछले वर्ष की 7.01% की कमी की तुलना में 1.63% की वृद्धि हुई. मार्च,2011 को निर्यात ऋण रु.6,375 करोड़ रहे, जो पिछले वर्ष 6,273 करोड़ थे.

11 विदेशी परिचालन

ए. बैंक की एक विदेशी शाखा 7 मई 2008 से हांगकांग में कार्य कर रही है. यह शाखा जमाराशि स्वीकार करने, व्यापात वित्त पोषण, बाहरी वाणिज्यिक उधारी और सिंडीकेट ऋण जैसे सामान्य बैंकिंग कार्य करती है. शाखा की जमाराशि 31 मार्च, 2011 को 128.15 मिलियन अमेरिकी डालर हो गई, जो मार्च 2010 के 82.00 मिलियन अमेरिकी डालर के स्तर से 56.28% अधिक है. शाखा के अग्रिम मार्च, 2010 के 664.00 मिलियन अमेरिकी डालर के स्तर से 101.50% बढ़कर 31 मार्च, 2011 को 1,337.95 मिलियन अमेरिकी डालर हो गये. परिचालन लाभ 31 मार्च, 2010 के 12.92 मिलियन डालर से 42.57% बढ़कर 31 मार्च, 2011 को 18.42 मिलियन अमेरिकी डालर के स्तर तक पहुंच गया.

बी. बैंक ने अपना प्रतिनिधि कार्यालय 1 अप्रैल, 2010 को लंदन (यूके) में खोला है. बैंक ने शंघाई (चीन), आबू धाबी(यूएई), बीजिंग (चीन) और सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) पहले ही अपने प्रतिनिधि कार्यालय खोले हैं.

सी. बैंक ने अपने मिड टर्म नोट प्रोग्राम के अंतर्गत 7 फरवरी, 2011 को स्विस मार्केट में सीएचएफ 160 मिलियन बांड जारी किये. यह संव्यवहार किसी भारतीय कंपनी द्वारा 23 वर्ष के अंतराल के बाद किया गया पहला स्विस बांड निर्गम था और भारत के बाहर तीसरा स्विस बैंक संव्यवहार था.

डी. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सिडनी प्रतिनिधि कार्यालय को शाखा में तथा लंदन प्रतिनिधि कार्यालय को सब्सिडियरी के रुप में परिवर्तित करने का अनुमोदन भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुआ है. बैंक के अँटवर्प (बेल्जियम) में शाखा खोलने एवं जोहांसबर्ग (दक्षिण अफ्रीका) और टोरंटो (कनाडा) में प्रतिनिधि कार्यालय खोलने का अनुमोदन प्राप्त है. भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई जारी है.

ई. बैंक की सभी शाखाओं में तीन प्रमुख मुद्रा में विदेशी मुद्रा अनिवासी खाते खोलने की व्यवस्था की है.

12. संव्यवहार बैंकिंग

12.1 वैकल्पिक चैनल - बेहतर ग्राहक सेवा के लिए बैंक पूर्ण सज्जित शाखा के साथ कई तरह के डिलीवरी चैनल उपलब्ध कराता है. एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और कॉल सेंटर ग्राहकों को सुविधा और तेज गति उपलब्ध कराते हैं. मार्च 2008 में हमारी सभी शाखाएं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के अंतर्गत आई थीं, उस समय तक केवल 8% संव्यवहार ही वैकल्पिक डिलीवरी चैनलों के माध्यम से होते थे. साल दर साल बढ़ते-बढ़ते यह मात्रा मार्च 2011 के अंत तक 50% तक पहुंच गई है.

चार्ट - 3 इलैक्ट्रॉनिक संव्यवहार

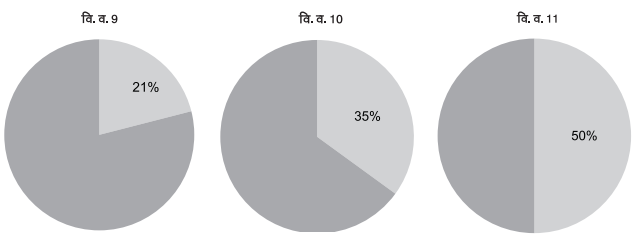

12.2 एटीएम और कार्ड

ए. बैंक ने अपने नेटवर्क में 307 एटीएम जोड़े हैं और 1.65 मिलियन डेबिट कार्ड वितरित किये. एटीएम के माध्यम से बिल भुगतान और टैक्स भुगतान की सुविधा मुहैया करायी गयी. ग्राहकों को एटीएम के माध्यम से अधिक से अधिक सुविधाएं देने पर बैंक ध्यान देता रहेगा.

बी. बैंक द्वारा अपने ग्राहको को उन्नत तकनीक आधारित सुविधायें यथा आईवीआर पर एटीएम का पिन पुन:व्यवस्थित करना, इंटरनेट के लिये सेल्फ यूज़र क्रियेशन सुविधा और बैंक की वेबसाईट से मोबाइल बैंकिंग की सुविधा आदि प्रदान की जा रही है.

चार्ट 4 - कार्ड संव्यवहार :

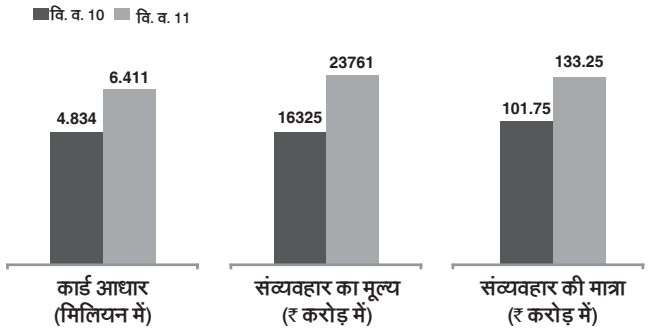

12.3 इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग

ए. इंटरनेट बैंकिंग संव्यवहारों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए दो फैक्टर अधिप्रमाणन प्रमुख पहल है. आपका बैंक आईएमपीएस (इंटरनेट मोबाइल पेमेंट सर्विस) सेवा का कार्यान्वयन करने वाले प्रथम कुछ बैंकों में एक है, जो ग्राहकों को वास्तविक समय के आधार पर मोबाइल के जरिये अंतर बैंक निधि अंतरण सुविधा देता है.

बी. बैंक ने भोपाल (मध्यप्रदेश) में एक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को नकदी रहित कैम्पस बनाने का प्रोजेक्ट कार्यान्वित किया है, जो छात्रों को शुल्क भुगतान, निधि अंतरण, कैंटीन भुगतान, इंटरनेट के प्रयोग द्वारा मोबाइल रिचार्ज करने और मोबाइल बैंकिंग जैसे सभी भुगतान करने में सक्षम बनाकर इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग को लोकप्रिय बनाने की दिशा में एक प्रमुख पहल है.

सी. बैंक ने कालेज/ विश्वविद्यालय पोर्टल पर भुगतान गेटवे की सुविधा दी है, जिससे शुल्क एकत्र किया जाता है और मोबाइल पाइंट ऑफ सेल टर्मिनल (पीओटी) शुरू किया है, जो भविष्य में अधिग्रहण का शक्तिशाली जरिया हो सकता है. बैंक देश भर के कई और कैम्पसों में इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की योजना बना रहा है और इन सुरक्षित तथा किफायती चैनलों के प्रति ग्राहकों को आकर्षित कर रहा है.

चार्ट - 5 - इंटरनेट / एसएमएस बैंकिंग / मोबाइल बैंकिंग के उपयोगकर्ता :

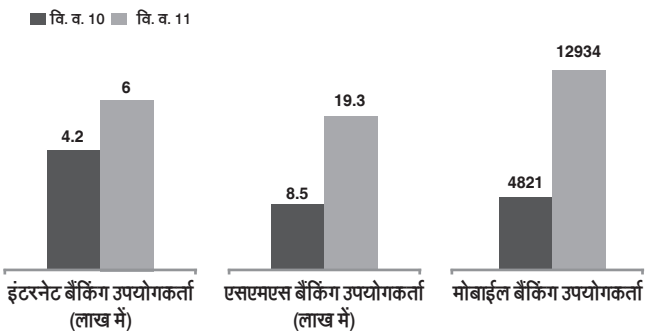

12.4 एक्वायरिंग उत्पाद:

ए. आपका बैंक, पाइंट ऑफ सेल (पीओएफ) पर नकदी प्राप्त करने की सुविधा शुरू करने वाला पहला बैंक है, जो बैंक सुविधा रहित क्षेत्रों में ग्राहकों को उनकी निकटतम दूकान से उनके डेबिट कार्ड के प्रयोग पर नाम मात्र के शुल्क पर नकदी आहरण की सुविधा उपलब्ध कराता है.

बी. बैंक ने चालू वर्ष के दौरान क्रेडिट/ डेबिट कार्ड भुगतान गेटवे भी कार्यान्वित किया है और इस सुविधा के लिए ऑनलाइन व्यापारियों को शामिल करना शुरू किया है.

सी. कार्ड के समृद्ध आधार से यह सेवा बैंक को भविष्य में महत्वपूर्ण शुल्क आधारित और कमीशन आधारित आय अर्जित करने में मददगार होगी.

12.5 करेंसी चेस्ट :

ए. बैंक साफ और बिना स्टैपल किए अच्छी गुणवत्ता के नोट जनता को उपलब्ध कराके भारतीय रिजर्व बैंक की स्वच्छ नोट नीति का पालन कर रहा है. 2009-2010 के दौरान रू.50 लाख और उससे अधिक की औसत नकदी प्राप्ति वाली 250 शाखाओं के अलावा इस वर्ष और 162 शाखाओं को उच्च गति की नोट छंटाई मशीन उपलब्ध कराई है.

बी. वर्ष के दौरान बैंक ने एर्णाकुलम क्षेत्रान्तर्गत पेरुम्बवूर में नया करेंसी चेस्ट खोला है.

सी. भारतीय रिज़र्व बैंक ने, "स्वच्छ नोट नीति" के अनुरूप बड़े कार्पोरेट ग्राहकों की नकदी प्रोसेस की सुविधा सुलभ कराने के लिए विभिन्न स्थानों पर "नकदी प्रोसेस केंद्र" खोलने की अपनी संकल्पना प्रस्तुत की है. बैंक का प्रथम "नकदी प्रोसेसिंग केंद्र" अक्तूबर, 2010 माह में वाराणसी क्षेत्रान्तर्गत लहरतारा में करेंसी चेस्ट में खोला गया.

डी. बैंक आंतरिक क्षमताओं के जरिये कुशल नकदी प्रबंधन और प्रतिष्ठित एजेंसी द्वारा व्यावसायिक नकदी संचालन सेवा की चयनित आउटसोर्सिंग द्वारा दक्ष नकदी प्रबंधन सुनिश्चित करता है. इससे बैंक, ग्राहकों को द्वार पर बैंकिंग सेवाएं शुरू करने की ओर भी अग्रसर हुआ. करेंसी चेस्ट में एयर कंडीशन के अलावा मास्क, एप्रन, दस्ताने, एयर प्योरिफायर, सुवाह्य आक्सीजन बोतल जैसे स्वास्थ्यकर उपकरण उपलब्ध कराकर सुविधाओं का उन्नयन किया गया है.

12.6 नकदी प्रबंधन सेवाएं (सीएमएस) :

ए. नकदी प्रबंधन सेवा प्रभाग ने इस साल, विभिन्न नकदी प्रबंधन सेवाओं के उत्पादों के लिए 201 नए ग्राहक जोड़े और रु.6.18 करोड़ शुल्क आय अर्जित की और इस साल का इस प्रभाग का टर्नओवर ₹ 36,211 करोड़ रहा.

बी. सीएमएस कार्पोरेट ग्राहकों को न्यूनतम लागत पर कस्टमाइज एमआइएस के साथ तीव्र गति से प्राप्यों और भुगतान प्रबंधन की विशेषीकृत सेवा देती है. विभिन्न स्थानों पर जमा चेकों का समाहरण तीव्र किया गया है और निधियां एक स्थल पर जमा की जाती हैं. इसी प्रकार सीएमएस, ग्राहकों को उनके किसी एकल पाइंट से थोक भुगतानों का प्रबंध करने में मदद करता है. स्थानीय चेक संग्रहण (एलसीसी), बाह्य देशी चेक संग्रहण (यूसीसी), आभासी खाता आदि संग्रहण उत्पाद हैं. दूरस्थ चेक मुद्रण, डीडी आहरण व्यवस्था व कार्पोरेट चेक भुगतान (सीसी पीएपी) भुगतान उत्पाद हैं. सीएमएस में, थोक आरटीजीएस/ एनईएफटी, केंद्रीयकृत चेक एवं अधिदेश आधारित नामे और जमा जैसी गतिविधियां भी संचालित की जाती हैं, जिससे म्यूचुअल फंड, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) आदि जैसे ग्राहकों को सुविधा होती है.

12.7. ट्रेड एवं चैनल वित्त, व्यापारी बैंकिंग :

ए. बैंक ने नेट बैंकिंग के माध्यम से पब्लिक इशू में आवेदन करने हेतु इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अस्बा (एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लाक्ड एमाउंट) सुविधा उपलब्ध कराई और आवेदक और उनके ब्यौरे के पंजीयन की सुविधा भी उपलब्ध कराई है.

बी. बैंक की 25 चुनी हुई शाखाओं में आईडीआरबीटी द्वारा संरचित वित्तीय संदेश सिस्टम (एसएफएमएस) के जरिए अंतर्देशीय व्यावसायिक संदेश ट्रांसमिशन की सुविधा प्रारंभ हो गयी है.

सी. बैंक का चैनल वित्त साफ्टवेयर प्रारंभ हो गया है और आने वाले दिनों में चैनल वित्त, कारोबार का महत्वपूर्ण क्षेत्र बनेगा.

डी. बैंक कार्पोरेट ग्राहकों/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अदायगी और संग्रहण कार्यों के संचालन में सक्रिय हुआ है.

12.8 तृतीय पक्ष उत्पाद संवितरण :

ए. तृतीय पक्ष उत्पाद वितरण विभाग अपने ग्राहकों को जीवन बीमा, गैर जीवन बीमा, म्यूचुअल फंड, स्टैंप बेंडिग आदि जैसे मूल्यवर्धित उत्पाद / सेवाएं देता है.

बी. वित्तीय वर्ष 2010-2011 के दौरान बैंक ने, गत वर्ष के ₹ 27.54 करोड़ की तुलना में बीमा उत्पादों (जीवन और गैर जीवन बीमा दोनों) म्यूचुअल फंड और अन्य तृतीय पक्ष उत्पादों के वितरण द्वारा ₹ 31.99 करोड़ की कमीशन आय अर्जित की.

सी. बैंक की संयुक्त उपक्रम म्यूचुअल फंड कंपनी, यूनियन केबीसी आस्ति प्रबंधन कंपनी को मार्च 2011 में उत्पाद जारी करने का अनुमोदन मिल गया है.

13. सूचना प्रौद्योगिकी :

13.1 उपलब्धि :

ए. बैंक ने तकनीकी कार्यान्वयन की दिशा में प्रबंधन रिपोर्ट और डैश बोर्ड, दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली, यूनिफाइड संप्रेषण और डिजिटल मीडिा साइनेज के लिए कोर बैंकिंग सॉल्यूशन और अन्य सहायक सिस्टमों यथा लेंडिंग आटोमेशन सॉल्यूशन, वैकल्पिक डिलीवरी चैनलों एवं बिज़नेस इंटेलीजेंस टूल्स के माध्यम से कई पहल की है. प्रौद्योगिकी के सघन उपयोग से उत्पादकता में वृद्धि के लिए उत्पाद विकास में मदद मिली है.

बी. संव्यवहारों की बढ़ती संख्या को संभालने के उद्देश्य से, डाटा सेंटर सरवरों की प्रतिदिन लगभग 36 लाख संव्यवहार की वर्तमान क्षमता को उन्नत कर 45 लाख संव्यवहार प्रतिदिन संभालने लायक बना गया है. डाटा सेंटर बिना किसी डाउन टाइम के 24X7X365 आधार पर परिचालित किया जा रहा है.

सी. विभिन्न डिलीवरी चैनलों के माध्यम से ग्राहक सेवा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए बैंक ने निम्न कई और सेवाएं यथा मोबाइल टॉप अप, अलग अलग राज्यों में एटीएम की स्क्रीन में उस राज्य की भाषा यथा:मलयालम, तेलुगु, उड़िया, कन्नड़, तमिल, बंगाली, मराठी में बहुभाषी स्क्रीन उपलब्ध हैं. एटीएम के माध्यम से प्रत्यक्ष कर भुगतान. एटीएम के माध्यम से ई कैश, आईवीआर के जरिये डेबिट कार्ड की पिन में परिवर्तन, लघु विवरण, अन्य बैंक के ग्राहकों के लिए पिन परिवर्तन (एनपीसीआई) प्रारंभ की हैं

डी. बैंक में वर्तमान में 2,634 एटीएम हैं. ये एटीएम सभी बैंकों के वीजा और मास्टर दोनों प्रकार के कार्ड धारकों के द्वारा प्रयोग किये जा सकते हैं. बैंक के ग्राहक देश भर में 60000 से ज्यादा एटीएम उपयोग में ला सकते हैं.

ई. बैंक ने लॉबी बैंकिंग शुरू की है, जिसके द्वारा ग्राहक स्वयं अपनी पास बुक अपडेट कर सकते हैं, विभिन्न खातों में अपना बैलेन्स देख सकते हैं और स्वयं जमा चेक मशीनों की मदद से चेक जमा कर सकते हैं.

एफ. बैंक देश भर में 1894 केंद्रों की शाखाओं में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) और तत्काल समय निपटान (आरटीजीएस) सेवाएं उपलब्ध करा रहा है. एनईएफटी और आरटीजीएस अन्य बैंकों को/ से निधि भेजने/ प्राप्त करने का अत्यंत सुरक्षित, दक्ष और तीव्र तरीका है. अतएव इसने बैंकिंग उद्योग में गति पकड़ ली है. बैंक ने आरटीजीएस के 13.99 लाख आवक एवं 18.97 लाख जावक संव्यवहार किए एवं एनईएफटी के अंतर्गत कुल 31.26 लाख आवक तथा 14.35 लाख जावक संव्यवहार किए.

जी. थोक अपलोड के जरिये शाखाएं एक बार में बड़ी संख्या में संव्यवहार अपलोड कर रही हैं और इसके द्वारा देशभर में फैले ग्राहकों को तीव्रतम सेवा दे रही हैं. हमारे सभी प्रेषणकर्ता ग्राहकों को एनईएफटी की पुष्टि उपलब्ध कराई जा रही है.

एच. नेटवर्किंग के अंतर्गत यूनिफाईड संप्रेषण कार्यान्वित किया गया, जो आवाज, विडियो और डाटा को डेस्कटॉप पर समन्वित करता है. यह अधिकारियों को दस्तावेजों/ प्रस्तुतीकरण शेयर करते समय श्रव्य व दृश्य पर एक-दूसरे से आपसी संवाद बनाने में मदद करेगा. यूनिफाईड संप्रेषण ने कार्यान्वयन में दक्षता को बढ़ाया है और लागत को कम किया है.

आई. देशभर की पचास शाखाओं में डिजिटल मीडिया साईनेज (डीएमएस) कार्यान्वित किया है. डीएमएस केंद्रीयकृत नियंत्रित सिस्टम है, जो ग्राहकों और कर्मचारियों के लिये सामग्री प्रदर्शित करता है. जहां डीएमएस के द्वारा ग्राहकों को बैंक के उत्पादों के गुणधर्म और लाभ ज्ञात होंगे, कर्मचारियों के लिए परिपत्र की सामग्री प्रदर्शित की जाएगी. डीएमएस के जरिये प्रदर्शित जानकारी का व्यापक आधार होगा.

जे. बैंक दस्तावेज प्रबंधन प्रक्रिया (डीएमएस) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसमें दस्तावेज इमेजिंग, प्रोसेस वर्कफ्लो और दस्तावेजों का अभिलेखीकरण समाविष्ट है. यह कारोबार और संगठनात्मक प्रक्रिया से संबंधित सूचना और डिजिटल रूप में दस्तावेजों को कैप्चर, मैनेज, स्टोर, संरक्षण और जानकारी देने का काम करेगा.

13.2 भावी योजनाएं :

ए. बैंक एक महत्वपूर्ण डाटा वेयरहाउसिंग प्रोजेक्ट और विश्लेषणात्मक और परिचालनात्मक सीआरएम का कार्यान्वयन कर रहा है. यह हमारे परिचालनों और एमआईएस

के कार्यों में दक्षता लाएगा. यह ग्राहक व्यवहार के विश्लेषण और उत्पादों के प्रतिविक्रय बढ़ाने में भी सहायक होगा.

14. जोखिम प्रबंधन :

14.1. परिदृश्य

ए. बैंक ने जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में आक्रामक दृष्टिकोण अपनाया है. इसकी जोखिम अवधारणा में जोखिम नियंत्रण एवं विनियामक फ्रेमवर्क के अंतर्गत एक सुदृढ़ पोर्टफोलियो तैयार करना एवं उसे बनाए रखना है. जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क को विशेष रूप से प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान करने, उनके परिमाण का पता लगाने, उनका अनुश्रवण करने एवं उनका कौशलपूर्ण प्रबंधन करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है. जिससे जोखिम और प्रतिफल के बीच समुचित समन्वय रखते हुए अंशधारकों की संपत्ति में वृद्धि की जा सके. बैंक का हमेशा यह सुनिश्चित करने का प्रयास रहता है कि कारोबारी भागीदार जोखिम प्रबंधन कार्यों से लाभान्वित हों तथा उपलब्ध पूंजी का अत्यधिक प्रभावी उपयोग हो.

बी. बैंक की जोखिम प्रबंधन संरचना में स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन संगठनात्मक ढांचा (कार्पोरेट एवं फील्ड दोनों स्तर पर), जोखिम प्रबंधन नीतियां, जोखिम के परिमाण के तरीके और जोखिम अनुश्रवण व प्रबंधन प्रणाली शामिल हैं. फील्ड में जोखिम प्रबंधन अधिकारियों की पदस्थी की बैंक की पहल से संपूर्ण संस्था में जोखिम के प्रति एक अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है. विभिन्न जोखिम क्षेत्रों हेतु बैंक एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के जोखिम प्रोफाइलिंग का कार्य तिमाही आधार पर किया जा रहा है. बैंक का एक सुपरिभाषित जोखिम क्षमता वक्तव्य है और स्वतंत्र जोखिम विभाग सुनिश्चित करता है कि बैंक अपने जोखिम क्षमता फेमवर्क के अंतर्गत कार्य करे.

सी. मुख्यत: जोखिम, पैरामीटरों के निर्धारण और एक समन्वित जोखिम प्रबंधन व नियंत्रण प्रणाली की स्थापना करना, बैंक के निदेशक मंडल की प्राथमिक जिम्मेदारी है. बैंक का बोर्ड जोखिम प्रबंधन नीतियां को अनुमोदित करता है और बैंक की जोखिम वहन करने की क्षमता के साथ ही साथ जोखिम प्रबंधन हेतु उपलब्ध कौशल को ध्यान में रखते हुए सीमाएं निर्धारित करता है. निदेशक मंडल की सहायता के लिए एक उपसमिति है, जिसे जोखिम प्रबंधन और एएलएम पर बोर्ड की पर्यवेक्षी समिति के नाम से जाना जाता है. इस समिति को ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), आस्ति देयता समिति (एल्को) और परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) से सहायता मिलती है. ये समितियां अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक की अध्यक्षता में गठित कार्यपालकों की समितियां हैं.

14.2 ऋण जोखिम :

ए. ऋण जोखिम प्रक्रिया में उन नीतियों और प्रैक्टिसों को शामिल किया गया है, जिनसे खाता स्तर एवं संविभाग स्तर पर ही ऋण जोखिम का पता लगा कर उनका अनुश्रवण सुनिश्चित किया जा सके. ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली के साथ ही साथ अंचल संपत्ति ऋण नीति और संपार्श्विक प्रबंधन नीति वित्तीयन से संबंधित ऋण जोखिम का समाधान करती है. ऋण अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी, विवेकपूर्ण ऋण सीमाएं, जोखिम मापन पद्धति, जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण, संविभाग प्रबंधन आदि ऋण जोखिम प्रबंधन की प्रमुख विधाएं हैं.

बी. बैंक ने सभी ऋण प्रस्तावों में व्याप्त ऋण जोखिम को न्यूनतम करने के लिए मानकीकृत और विस्तृत परिभाषित अनुमोदन प्रक्रिया तैयार की है. बैंक ने क्षेत्रीय कार्यालयों/ फील्ड महा प्रबंधक कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय में ऋण अनुमोदन ग्रिड की स्थापना की है. बैंक ने ₹ 2.00 लाख से अधिक की ऋण सीमा के लिए ऋण रेटिंग मॉडल और रिटेल लेंडिंग योजनाओं के लिए स्कोरिंग मॉडल विकसित किया है. बैंक का संपूर्ण ऋण संविभाग आंतरिक क्रेडिट रेटिंग के अध्यधीन होता है. इसके पास गत 9 वर्षों के क्रेडिट रेटिंग माइग्रेशन एवं चूक संभाव्य आंकड़े उपलब्ध हैं.

सी. यह उधारकर्ता, समूह, उद्योग, भौगोलिक आदि संकेन्द्रणों का निरंतर अनुश्रवण करता है और ऋण की गुणवत्ता सुधारने और ऐसी जोखिम प्रोफाइल बनाने के लिए तैयार रहता है. जो उधारकर्ताओं, उत्पादों, उद्योगों के प्रकार और भौगोलिक क्षेत्रों के मामले में विविधीकृत हों.

14.3 बाजार जोखिम

ए. आस्ति देयता प्रबंधन नीति एवं ट्रेज़री नीति बैंकिंग और व्यापार जगत में व्याप्त बाजार जोखिम का प्रबंधन करने में सहायक हैं. बाजार जोखिम के प्रबंधन की समग्र जिम्मेदारी आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) की है. समिति की नियमित बैठकें होती हैं, जिनमें विभिन्न आस्तियों एवं देयताओं के परिमाण, संमिश्र, अवधि, मूल्य एवं संरचना के बारे में निर्णय लिया जाता है. यह मुख्यत: बाजार जोखिम की पहचान, मापन, अनुश्रवण और तरलता व ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करती है. यह तरलता और ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन हेतु अनुपात

विश्लेषण, अंतर विश्लेषण रिपोर्ट - संरचनात्मक तरलता, डायनामिक तरलता, ब्याज दर संवेदनशीलता, जोखिम मूल्य, अवधि गैप विश्लेषण इत्यादि उपकरणों का उपयोग करती है. इसका मूल उद्देश्य आय परिदृश्य तथा आर्थिक मूल्य परिदृश्य दोनों दृष्टिकोणों से मूल्यवर्द्धन करना है. बैंक के पास एक स्वतंत्र मिड ऑफिस कार्यरत है, जो ट्रेज़री में स्थित है तथा जोखिम प्रबंधन को रिपोर्ट करता है. यह ऑफिस एक्सपोजर विश्लेषण, निर्धारित ऋणसीमाओं तथा जोखिम संवेदनशील मानदंडों यथा जोखिम पर मूल्य, पीवी01 (वर्तमान मूल्य), अवधि, विफलीकरण अवधि इत्यादि का अनुपालन एवं उनका विश्लेषण सुनिश्चित करता है

14.4. परिचालनात्मक जोखिम :

ए. परिचालन जोखिम के प्रबंधन के प्रारंभिक साधन के रूप में परिपूर्ण प्रणाली और प्रक्रिया तथा आंतरिक नियंत्रण और लेखपरीक्षा का प्रयोग किया जाता है. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की उसके बोर्ड द्वारा अनुमोदित परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति है. परिचालन जोखिम की जांच और समाधान के लिए सभी नये उत्पादों को नव उत्पाद अनुमोदन प्रक्रिया से गुजरना होता है. विगत 4 वर्षों के परिचालन जोखिम के आंकड़े एकत्रित किये गये हैं, जिन्हें 8 कारोबार लाइनों और 7 हानि इवेंट्स में बांटा गया है. बैंक की आय भी 8 कारोबार लाइनों में चित्रित की गई है और मानकीकृत दृष्टिकोण में अंतरित करने के उपाय किए जा रहे हैं. बैंक ने आईबीए की पहल एक्सटर्नल डाटा पूलिंग में भी शामिल होने की सहमति दी है.

बी. बैंक ने अपने कामकाज में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए अच्छे कार्पोरेट गवर्नेंस के उपाय के रूप में प्रकटन नीति बनायी है तथा कारोबार निरंतरता योजना बनाकर उसे कार्यान्वित किया है. कारोबार निरंतरता योजना में उथल-पुथल की स्थिति में अपने स्टाफ, आस्तियों और ग्राहकों के हितों के संरक्षण के लिए विभिन्न उपायों का विस्तृत खाका तैयार किया गया है. कारोबार निरंतरता योजना में वास्तविक जीवन की घटनाओं की चुनौतियों में रोकथाम एवं उनसे बचाव के उपायों का समावेश है.

14.5 बासल II का कार्यान्वयन :

ए. बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा में नया पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क कार्यान्वित किया है. बैंक ने शुरुआत के ऋण जोखिम के लिए मानक प्रणाली, बाजार जोखिम के लिए मानक ड्यूरेशन विधि और परिचालन जोखिम के लिए आरंभिक संकेतक प्रणाली को अपनाया है. इस दिशा में अब तक किये गये कार्य, बासल II समझौते में निर्धारित पूंजीमापन के अत्याधुनिक मानकों के पालन की दिशा में है.

बी. बैंक ने एकीकृत जोखिम प्रबंधन परामर्श हेतु एक सलाहकार नियुक्त किया है, जो उन्नत दृष्टिकोण को लाने की तैयारी का मूल्यांकन करेगा और आवश्यक ढांचा विकसित करने और उन्नत दृष्टिकोण के स्थानांतरण में बैंक की मदद करेगा.

सी. बैंक ने आंतरिक रेटिंग आधारित मॉड्यूल गठित किया है जो उन्नत दृष्टिकोण के लिए द्वि-आयामी ऑब्लीगर और अपेक्षित ऋण सुविधा मूल्यांकन की सुविधा देता है. इस मॉड्यूल को कार्यान्वित किया गया है और सभी खाते अब केवल इस सिस्टम के माध्यम से ही मूल्यांकित किए जाते हैं. मुख्य आईआरबी पैरामीटर यथा चूक की संभावना (पीडी), हानि वाली चूक (एलजीडी), चूक में एक्सपोज़र (ईएडी) एवं परिपक्वता (एम) की संगणना करने के लिए बैंक डाटा संग्रहण करने की प्रक्रिया में है और उसकी संगणना हेतु आवश्यक ढांचा प्रस्तुत कर रहा है. परिचालनगत जोखिम के क्षेत्र में बैंक ने एक जोखिम एवं नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) ढांचा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है. मुख्य जोखिम सूचकों के विकास का आधारभूत कार्य भी चल रहा है.

डी. जोखिम प्रबंधन में जनबल के कौशल में वृद्धि के लिए बैंक जोखिम प्रबंधन पर आंतरिक प्रशिक्षण प्रदान करता है. इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थाओं में जोखिम प्रबंधन के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधिकारियों को नामित किया जाता है. बैंक के पास अपनी स्वयं की उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रणाली है और अपना यूनियन बैंक प्रबंधन विद्यालय है, जिसके जरिये बैंक अपने कर्मचारियों के व्यावसायिक एवं प्रबंधन कौशल के विकास का प्रयास करता है. बैंक ने प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूलों से योग्य प्रोफेशनल्स की भर्ती भी की है, जिससे जोखिम प्रबंधन की परंपरा, मूल्यांकन और प्रबंधन उपायों को परिष्कृत करने में मदद मिलेगी.

ई. बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पिलर - 2 जोखिम की मात्रा के मापन के लिए एक ढांचा भी विकसित किया है और सम्पूर्ण आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (एसीएएपी) का ढांचा तैयार किया है. बैंक अपनी व्यवासायिक ईकाइयों, उत्पादों और ग्राहकों की लाभप्रदता के मूल्यांकन हेतु एक जोखिम आधारित कार्य-निष्पादन मापन पद्धति भी आरंभ करने हेतु प्रयासरत है.

एफ. बैंक अपने विविध कारोबारों से जुड़े जोखिमों की मदद के लिए मजबूत पूंजी आधार को बनाए रखकर अपने शेयरधारकों को अधिकतम प्रतिफल प्रदान करने में प्रयासरत है. बैंक के पास सभी परिस्थितियों में अपनी नियामक पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अपनी संवृद्धि योजनाओं एवं कारोबारी रणनीतियों के निष्पादन में मदद के लिए एक सुदृढ़ टियर 1 पूंजी पर्याप्तता अनुपात है.

15 अनुपालन

ए. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप तथा व्यवहार प्रक्रिया की सुदृढ़ता बनाने के लिए बैंक ने अनुपालन विभाग की स्थापना की है, जिसका मुख्य कार्य अनुपालन मामलों की पहचान और अनुपालन जोखिम का मूल्यांकन एवं उसे कम करने में समन्वय करने का है - दोनों ही कार्य संपूर्ण बैंक में एवं निरंतर किये जा रहे हैं. बैंक में एक सुदृढ़ अनुपालन परंपरा आरंभ करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं. अनुपालन नीति तैयार की गई है और परिचालन विभागवार अनुपालन संबंधी समस्याएं चिह्नित की गई हैं. बैंक के प्रत्येक टियर के लिये अनुपालन कार्य की भूमिका और दायित्व परिभाषित किये गये हैं. एक रिपोर्टिंग प्रणाली भी आरंभ की गई है, जिसमें

i. स्वत: प्रमाणन एवं

ii. जोखिम अधिकारियों के माध्यम से यदाकदा टेस्टिंग / निगरानी कराई जा रही है.

जिससे नियामक एवं सांविधिक अनुपालना संबंधी समस्याओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके .

बी. बैंक में विभिन्न अनुपालन मामलों पर एक व्यापक डाटाबेस विकसित किया गया है. हमारा प्रयास बैंक में एक शक्तिशाली अनुपालन संस्कृति का निर्माण करना है. स्टाफ में जागृति लाने के लिए अनुपालन पर व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए गए हैं. बैंक अपने विज़न 2020 के सफर में न केवल अपने कारोबार के विकास, बल्कि एक अत्यधिक विश्वसनीय कार्पोरेट नागरिक के रूप में बैंक के मूल्यों के सर्वांगीण विकास के सपने भी देख रहा है.

16. केवाईसी/एएमएल

ए. बैंक ने केवाईसी/एएमएल अनुपालना को सुदृढ़ बनाने हेतु विभिन्न उपाय किए हैं. खाता खोलने का नया फार्म बनाया गया है, जिसमें ग्राहक प्रोफाइल में अतिरिक्त सूचनाएं एवं केवाईसी जांच-बिन्दु शामिल किये गये हैं. अतिरिक्त सूचनाओं को शामिल करते हुए साक्षात्कार एवं ग्राहक ड्यू डिलिजेंस फार्म को संशोधित किया गया है. सभी खातों में ग्राहक प्रोफाइल, जोखिम श्रेणीकरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए गए हैं. केवाईसी/एएमएल साफ्टवेयर को भी अद्यतन किया जा रहा है, जिससे अतिरिक्त सूचनाओं एवं रिपोर्टों को इसमें शामिल किया जा सके. केवाईसी-एएमएल पर विशेष प्रशिक्षण सत्र/ कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं. इसके अलावा बैंक के सभी स्टाफ-सदस्यों में जागरुकता लाने हेतु सभी आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में केवाईसी/एएमएल पर एक सत्र अनिवार्य कर दिया गया है. बैंक केवाईसी/एएमएल अनुपालना में सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत है.

17. मानव संसाधन प्रबंधन

आपके बैंक के विकास में मानव संसाधन की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है. इसे ध्यान में रखते हुए, वर्ष के दौरान कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, कार्यनिष्पादन मूल्यांकन, स्टाफ की क्रमिक उपलब्धता, नेतृत्व क्षमता विकास आदि जैसी समस्याओं के समाधान के लिए एक एचआर रुपांतरण प्रोजेक्ट आरंभ किया गया है. इस परियोजना का कार्यान्वयन चल रहा है. वर्ष 2010-11 के दौरान, बैंक ने विभिन्न संवर्गों में कर्मचारियों की भर्ती के साथ ही साथ योग्य स्टाफ सदस्यों को उच्च संवर्ग / वेतनमान में पदोन्नति दी एवं स्टाफ संबंधी कई नई पहल कीं.

17.1 31.03.2011 को बैंक का कुल जनबल 29,462 है.

तालिका-12 - श्रेणी-वार कर्मचारी

पैरामीटर	अधिकारी	लिपिक	अधी.स्टाफ	योग
कुल कर्मचारी	13,343	8,914	7,205	29,462
जिसमें				
अनुसूचित जाति (एससी)	2,612	1,853	2,782	7,247
अनुसूचित जनजाति (एसटी)	808	431	590	1,829
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)	1,707	1,144	1,377	4,228
विकलांग (पीडब्ल्यूडी)	92	221	119	432
भूतपूर्व सैनिक	70	237	1,366	1,673
महिलाएं	1,804	2,412	876	5,092

17.2 भर्ती

ए. वर्ष के दौरान बैंक ने 2,122 पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण की, जिसमें 693 अधिकारी पद, 207 ग्राहक संबंध एक्जीक्यूटिव, 1,018 लिपिकीय पद और सब-स्टाफ के 204 पद शामिल हैं. इसमें 480 विशेषज्ञ अधिकारी भी शामिल हैं. वर्ष 2010-11 के दौरान कुल 1,735 नये कर्मचारियों ने कार्यग्रहण किया. इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बैंक के पास कैंपस चयन के जरिए 547 अधिकारियों, 1165 परिवीक्षाधीन अधिकारियों और 1640 लिपिकों चार भर्ती प्रोजेक्ट थे

17.3 पदोन्नति

ए. कर्मठ / प्रतिभाशाली कर्मचारियों को कैरियर उन्नयन का अवसर प्रदान करने तथा कार्मिकों को बेहतर कार्यनिष्पादन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से बैंक ने वर्ष 2010-11 के दौरान विभिन्न संवर्गों में कुल 1552 पदोन्नति दीं. विभिन्न संवर्गों में 3021 और रिक्तियां भरने की पदोन्नति प्रक्रिया वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर चल रही थी.

17.4 आरक्षण नीति

ए. मानव संसाधन प्रबंधन विभाग बैंक के विभिन्न एससी/एसटी एवं ओबीसी कल्याण संगठनों से नियमित बातचीत निरंतर जारी रखता है. नीतिगत मामलों से संबंधित समस्याओं सहित विभिन्न आरक्षित श्रेणी कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए इस मंच का पूरा उपयोग किया गया है. विभिन्न आरक्षित श्रेणियों को आरक्षण, राहतें एवं रियायतें वर्तमान सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार दिए गए हैं.

17.5 औद्योगिक संबंध

ए. प्रमुख ट्रेड यूनियनों के साथ निरंतर वार्तालाप तथा सभी विवादास्पद मामलों के समाधान के कारण बैंक के औद्योगिक संबंध सौहार्द्रपूर्ण रहे हैं. अनुशासनिक कार्रवाई के मामले अत्यंत न्यायपूर्ण तरीके से तथा मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए शीघ्रता से निपटाये गये हैं.

17.6 स्टाफ हितलाभ

ए. **पेंशन -** द्विपक्षीय समझौते के अनुसार 29.04.1995 के बाद सेवानिवृत्त सभी कर्मचारियों सहित सभी विद्यमान पीएफ-विकल्पी कर्मचारियों को द्वितीय पेंशन विकल्प का अवसर प्रदान किया गया है. 01.04.2010 से कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारियों हेतु केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रयोज्य नयी पेंशन स्कीम की तर्ज पर बैंक द्वारा एक डिफाइण्ड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम प्रारंभ की गई है.

बी. अन्य: दिनांक 27.04.2010 को हस्ताक्षरित उद्योग-व्यापी समझौते के फलस्वरूप बैंक कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते 01.11.2007 से संशोधित किए गए थे. भारत सरकार द्वारा ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 और आय कर अधिनियम 1961 में संशोधन के फलस्वरूप कर्मचारियों की सेवा की समाप्ति पर देय करमुक्त ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा दिनांक 24.05.2010 से ₹ 3,50,000/- से बढ़ाकर ₹ 10,00,000/ - कर दी गई. वर्ष के दौरान स्टाफ गृहनिर्माण ऋण, अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों हेतु किराये की अधिकतम सीमा जैसे कुछ महत्वपूर्ण स्टाफ-संबंधित हितलाभों में सुधार किया गया और उन्हें आकर्षक बनाया गया.

17.7 नीतिगत संशोधन

ए. बदलते कारोबारी परिदृश्य के अनुकूल एवं विज़न दस्तावेज में वर्णित उद्देश्यों को पूरा करने में बैंक को सुदृढ़ करने हेतु वर्ष के दौरान भर्ती एवं पदोन्नति प्रक्रिया में आवश्यक नीतिगत संशोधन किए गए.

बी. भर्ती प्रक्रियाओं में लगने वाले समय को कम करने के लिए बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ओर से आईबीपीएस द्वारा किए जाने वाले साझा भर्ती कार्यक्रम के प्रावधानों को समाहित करके अपनी भर्ती नीति संशोधित की है.

सी. 9वें द्विपक्षीय समझौते में विशेष वेतन रखने वाले पदों के औचित्य के फलस्वरूप बैंक प्रबंधन ने बहुसंख्यक वर्कमैन यूनियन के साथ अपने लिपिकीय स्टाफ हेतु संशोधित उच्च कार्यनिष्पादन नीति को संहिताबद्ध करने के लिए एक नया करार किया है.

डी. वर्ष के दौरान अंशकालीन हाउसकीपरों के पद को समाप्त करके पूर्णकालीन हाउसकीपरों में बदलने के बाद उसे 01.04.2011 से नया पदनाम पूर्णकालीन हाउसकीपर-कम-पिऊन का नाम देने का निर्णय लिया गया और इस आशय के समझौता ज्ञापन पर बैंक प्रबंधन एवं बहुसंख्यक वर्कमैन यूनियन द्वारा हस्ताक्षर किए गए.

18. राजभाषा कार्यान्वयन

वर्ष के दौरान बैंक ने हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनकी प्रमुख विशेषताएं नीचे दी गई हैं :

ए. शब्द संसाधन आवश्यकताओं के लिए यूनिकोड-सक्षम एपीएस सॉफ्टवेयर की उपलब्धता

बी. बैंकिंग विषयों पर हिन्दी में पुस्तकों का प्रकाशन-संव्यवहार बैंकिंग-विविध आयाम.

सी. हिन्दी में कॉमिक-स्ट्रिप्स का प्रकाशन-खुशहाली.

डी. स्टाफ के लिए बैंकिंग प्रॉडक्ट्स पर हिन्दी में ऑन-लाइन अखिल भारतीय स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन.

ई. एटीएम की पर्चियों में भाषा विकल्प (मराठी, हिन्दी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगला, उड़िया एवं बंगाली) का शुभारंभ.

19 यूनियन धारा

ए. बैंक की गृह पत्रिका यूनियन धारा प्रबंधन एवं कर्मचारियों के बीच आंतरिक संप्रेषण का उत्कृष्ट माध्यम बनी हुई है. यह स्टाफ सदस्यों में अपनत्व की भावना पैदा करने और उन्हें अपने कर्तव्य, निष्ठा एवं सृजनशीलता के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य में सफल रही है. इस वर्ष यूनियन धारा को विभिन्न प्रतियोगिताओं में कुल 7 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं. यूनियन धारा को भारतीय रिज़र्व बैंक से "द्विभाषी गृहपत्रिका" की श्रेणी में भी पुरस्कार प्राप्त हुआ है.

20 सुरक्षा :

ए. आलोच्य वर्ष के दौरान सुरक्षा प्रभाग ने सुरक्षा की मूलभूत संरचना को मजबूत करके, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके और शाखाओं के सुरक्षा मानकों में सुधार हेतु सुरक्षा निरीक्षण करके बैंक में सुरक्षा के स्तर में वृद्धि करने के लिए संगठित प्रयास किए हैं. इलैक्ट्रॉनिक निगरानी व्यवस्था को प्रमुखता से लागू करने के लिए बैंक की 1173 और शाखाओं में क्लोज़्ड सरकिट टेलीविज़न सिस्टम स्थापित किए गए, जिससे सीसीटीवी सिस्टम वाली शाखाओं की संख्या 1803 हो गई है.

बी. स्टाफ-सदस्यों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से सुरक्षा प्रभाग ने सुरक्षा के बारे में तिमाही न्यूजलैटर "यूनियन सेंटिनल" का प्रकाशन शुरु किया है, जो सभी शाखाओं एवं कार्यालयों में भेजा जाता है.

21. आंतरिक लेखापरीक्षा

ए. बैंक ने 1 अप्रैल 2009 से शाखाओं की लेखापरीक्षा को पूर्णत: जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा में परिवर्तित कर दिया है. विद्यमान वर्ष के दौरान बैंक ने विभिन्न संवर्ग की शाखाओं यथा यूएलपी /कारोबार बैंकिंग शाखाएं एवं कृषि बैंकिंग शाखाओं के लिए जोखिम पैरामीटर परिष्कृत कर लिये हैं. बैंक, क्षेत्रीय कार्यालयों का जोखिम आधारित आंतरिक प्रबंधकीय लेखापरीक्षा कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है. बैंक में नियमित लेखापरीक्षा एवं संगामी लेखापरीक्षा दोनों के लिए निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित सुपरिभाषित लेखापरीक्षा नीति 2010-12 उपलब्ध है.

बी. वर्ष के दौरान 2791 शाखाओं की नियमित लेखापरीक्षा एवं आईएस लेखापरीक्षा की गयी. इसके अतिरिक्त, 82 विदेशी विनिमय डीलिंग शाखाओं, 45 सेवा शाखाओं, 62 करेंसी चेस्ट, 54 क्षेत्रीय कार्यालयों एवं 1 महा प्रबंधक कार्यालय का प्रबंधकीय लेखापरीक्षण किया गया. बैंक की 641 शाखाओं / कार्यालयों का 68.34% कारोबार सनदी लेखाकारों की बाहरी फर्मों द्वारा समवर्ती लेखापरीक्षा के अधीन है. बैंक की निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति की वर्ष के दौरान 12 बैठकें संपन्न हुईं और इस दौरान परिचालनात्मक दक्षता एवं नियंत्रण प्रणाली में सुधार हेतु सुझाव दिए गए.

22. सतर्कता :

ए. किसी संस्था में उत्कृष्टता के लिये सतर्कता एक आवश्यक साधन है. संस्था के कामकाज में अनुशासन और सुरक्षा के साथ नैतिक वातावरण के सृजन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है. बैंक में परिचालनों की सुरक्षा के एक साधन के रूप में कार्य करने हेतु केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप एक विस्तृत एवं सुसंगत सतर्कता प्रणाली लागू है. बैंक सतर्कता निवारण पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि इससे हम धोखाधड़ी की रोकथाम कर कारोबार विकास एवं लाभ प्राप्त कर सकते हैं. क्षेत्र कार्यकर्ताओं में आवश्यक जागरूकता सृजित करने और उनके कौशल को परिमार्जित करने, सिस्टम और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी के स्तर के उन्नयन और खतरों के प्रति सजगता के स्तर में वृद्धि के लिए कई विचारमंथन सत्र आयोजित किये गए. वर्ष 2010 - 2011 के दौरान बैंक के विभिन्न कार्यालयों में ऐसे 197 निवारक सतर्कता निरीक्षण किए गए. इस दौरान आवश्यकतानुसार सिस्टम और प्रक्रियाओं में सुधारों हेतु सुझाव भी दिए जाते हैं.

23. ग्राहक सेवा और शिकायत निवारण प्रणाली :

23.1 ग्राहक सेवा उत्कृष्टता :

बैंक की "ग्राहक सेवा उत्कृष्टता" में नंबर 1 रिटेल बैंक बनने की स्पष्ट महत्वकांक्षा है, अत:ग्राहकों को उत्साहित फ्रंटलाइन स्टाफ के जरिए सरल प्रक्रियाओं द्वारा त्वरित, सही एवं दक्ष ढंग से सतत ग्राहक सेवा प्रदान करना ही हमारा लक्ष्य है. बैंक ने ग्राहक सेवा के विकास हेतु कई पहलें की हैं.

ए. शाखाओं को री-मॉडल करना, ताकि कार्यक्षम प्रक्रियाओं, सशक्त स्टाफ एवं स्वचालन के जरिए बेहतर ग्राहक सेवा दी जा सके.

बी. कॉल सेंटर एवं वैकल्पिक डिलीवरी चैनलों के परिचालन में सुधार लाना, ताकि प्रभावकारी विकल्प प्रदान किया जा सके.

सी. ग्राहक शिकायत कक्ष को मजबूत बनाना, ताकि शिकायतों का निवारण एवं क्रमबद्ध ढंग से शिकायतों के मूल कारणों को ही दूर किया जा सके. इस कक्ष का निर्माण चार मुख्य स्तंभों यथा व्यक्ति, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रक्रिया एवं कार्यनिष्पादन पर आधारित है. ग्राहक शिकायत कक्ष के लिए प्रणाली एवं प्रकिया के संबंध में आवश्यक ज्ञान वाले पर्याप्त जनबल प्रस्तावित हैं, जो शिकायत का काम देखने वाले संबंधित स्टाफ को उपयुक्त समाधान उपलब्ध करायेंगे एवं उनकी प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे. आशा है यह कक्ष जून, 2011 से कार्य करना आरंभ कर देगा.

डी. बैंक, विशेषत: पिछले 3 माह के दौरान पहल के द्वारा शिकायतकर्ताओं से समझौता करके लोकपाल मामलों की संख्या कम करने में सफल हुआ है. क्षेत्र प्रमुखों को व्यक्तिगत तौर पर बैंक के विरुद्ध मामलों की समग्र सुनवाई के लिए लोकपाल से आग्रह करने और उनका समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं. बैंक ने अपने स्टाफ को शिकायतों के उद्गम स्थल पर ही समाधान करने के लिए प्रेरितकर मामलों को लोकपाल स्तर तक ले जाने से रोकने के उपाय किए हैं.

ई. बैंक ने शिकायतों को कम करने की दृष्टि से कुछेक उपाय सुनिश्चित किए हैं : शिकायतों को कम करने की मुख्य कुंजी प्रोसेस फ्लो एवं सेंट्रलाइज्ड रिस्पांस सुविधा है. उदाहरण के लिए सेल्फयूजर क्रिएशन और आईवीआर आधारित पिन की रीसेटिंग से इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम की पिन संख्या न प्राप्त होने संबंधी शिकायतों में काफी कमी आयी है. काल सेंटर एवं वैकल्पिक डिलीवरी चैनलों को कारगर बनाया जा रहा है, ताकि ग्राहकों के लिए यह प्राथमिक जानकारी का स्रोत हो सकें.

24 भौगोलिक विस्तार :

वर्ष के दौरान बैंक ने 211 शाखाएं खोली, जिससे 31.03.2011 को भारत में शाखाओं की संख्या पिछले वर्ष के 2804 से बढ़कर 3015 हो गई. बैंक की हांगकांग में भी एक शाखा है. विस्तार पटलों एवं सेवा शाखाओं सहित बैंक के कुल 3104 आउटलेट हैं. ग्रामीण, अर्धशहरी, शहरी एवं मेट्रो केंद्रो में बैंक की शाखाओं की स्थिति निम्नानुसार है :-

चार्ट - 6

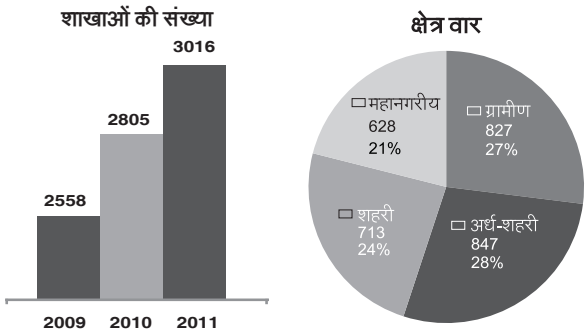

25. अवसर :

आपका बैंक प्रत्येक अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार है. उसकी देश भर में फैली शाखाएं और नए डिलीवरी चैनल, उत्कृष्ट उत्पाद और सेवाएं, युवा एवं समर्पित स्टाफ एवं ग्राहकों की आवश्यकताओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता वर्ष 2011-12 में लाभप्रद कारोबार विस्तार में सहायता प्रदान करेंगे. रिटेल क्षेत्र की मांग में सुधार हुआ है और आपका बैंक समर्पित यूनियन लोन पॉइटों के साथ ही साथ अन्य शाखाओं के माध्यम से ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के लिए तैयार है. जैसे "भविष्य की शाखा" के विस्तार के साथ, ग्राहकों के साथ हमारी वित्तीय रिलेशनशिप बढ़ती जाएगी. सामान्य मानसून और कृषि आधारित संरचनात्मक गतिविधियों की मांग में वृद्धि की संभावनाओं के चलते बैंक को इस क्षेत्र में ऋण का विस्तार करने के पर्याप्त अवसर मिलेंगे. यह देखा जा रहा है कि सरकारी योजनाओं के व्यापक विस्तार और उसका लाभ ग्रामीणों तक पहुंचने के कारण ग्रामीण बाजारों में सुदृढ़ता आई है. बैंक भी वित्तीय समावेशन के अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए निर्धारित समय सीमा में 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले आवंटित सभी 3159 गांवों में अपनी पहुंच सुनिश्चित करेगा.

26 चुनौतियां :

ए. वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था के साथ ही बैंकों के समक्ष मुद्रा स्फीति सबसे प्रमुख चुनौती होगी, जिनका प्रभाव वास्तविक

सकल घरेलू उत्पाद एवं कर्ड अन्य क्षेत्रों पर पड़ेगा. वर्ष 2011-12 के दौरान आर्थिक विकास पिछले साल की तुलना में कम रहने का अनुमान है क्योंकि मुद्रा संकुचन एवं विवेकपूर्ण राजकोषीय नीति से मांग कमी आयेगी. हाल के दिनों में सर्वोच्च स्तर पर रहे कच्चे तेल और जिंसों की कीमतों में और वृद्धि जैसी वैश्विक अर्थव्यवस्था में नकारात्मक घटनाओं से यह स्थिति और भी बिगड़ सकती है. यदि सामान्य मानसून का अनुमान गलत साबित हुआ तो घरेलू अर्थव्यवस्था से होने वाले खतरे से जूझना एक और चुनौती होगी.

27. संभावनाएं :

ए. भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2011-12 की अपने वार्षिक मौद्रिक नीति विवरण में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियों में 17% एवं अग्रिमों में 19% वृद्धि का अनुमान लगाया है. विभिन्न क्षेत्रों से ऋण की मांग के व्यापक रहने की संभावना है, तथापि, ब्याज दर की दृष्टि से आटोमोबाइल एवं उपभोक्ता वस्तुओं जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में ऋण की मांग कम हो सकती है. यह अनुमान है कि वर्ष के आखिर में निवेश की मांग बढ़ेगी, जिससे बैंकों को अवसर प्राप्त होगें. देयताओं के पक्ष में, उच्च ब्याज दरों के कारण बचत खातों के साथ ही साथ मियादी जमाराशियों में अच्छी वृद्धि हो सकती है.

बी. आपके बैंक के पास अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की वृद्धि दर से अधिक वृद्धि हासिल करने की क्षमता है. ऐसा विगत वर्षों में की गई विभिन्न पहलों से ही संभव हो सका है. बैंक में क्षमता संवर्द्धन करना एक सतत प्रक्रिया है. नेक्स्टेप नव निर्माण के रूप में नई पहल आरंभ की गई है. आपके बैंक को विश्वास है कि वर्ष के दौरान वृद्धि लाभप्रद होगी और शेयरधारकों को अच्छा प्रतिफल प्रदान करेगी.

कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

1. कार्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बैंक की मान्यता

1.1 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में श्रेष्ठ कार्पोरेट गवर्नेंस की परिपाटी रही है. शेयरधारकों की संपदा वृद्धि और हितधारकों के हितों के संरक्षण के लिए बैंक ने अपने सभी स्तर के कार्यों में औचित्य, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के सिद्धांत को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है.

1.2 बैंक स्वयं को अपने शेयरधारकों का ट्रस्टी मानता है और उनके लिए संपदा सृजन करने और उसकी रक्षा करने की जिम्मेवारी स्वीकार करता है. आलोच्य वर्ष के दौरान बैंक कार्पोरेट कार्यनीति लागू करने और उसका अनुश्रवण करने, सुविचारित कारोबार योजना बनाने, बैंक के कारोबार की प्रमुख जोखिमों का अनुश्रवण करने तथा कानूनी एवं नैतिक जिम्मेदारियों के निर्वाह के लिए नीतियों और कार्यपद्धतियों के पालन के माध्यम से उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहा है.

वर्ष के दौरान, 10 वें आईसीएसआई राष्ट्रीय पुरस्कार में श्रेष्ठ कार्पोरेट गवर्नेंस के लिये "मान्यता का प्रमाण पत्र" प्रदान किया गया है. भारतीय कंपनी सेक्रेटरी संस्थान और कंपनी कार्य मंत्रालय भारत सरकार ने मिलकर वर्ष 2008-2009 के दौरान, श्रेष्ठ गवर्नेंस पालन करने वाली सर्वश्रेष्ठ 25 कंपनियों में बैंक को शामिल किया है. इस पुरस्कार के चयन मानदंडों में बोर्ड की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली और प्रक्रिया, बोर्ड की गवर्नेंस, पारदर्शिता एवं प्रकटन, स्टेकधारकों की मूल्यवृद्धि, कार्पोरेट सामाजिक दायित्व, शीर्ष प्रबंधन की सृजनात्मक व सहयोगात्मक क्षमताएं, भावी योजनाओं और अच्छे कार्पोरेट गवर्नेंस संबंधी पहल शामिल हैं.

2. निदेशक मंडल

2.1 निदेशक मंडल का संघटन, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण),1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित है. 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल में भारत सरकार द्वारा नियुक्त 3 पूर्णकालिक निदेशक यथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और दो कार्यपालक निदेशकों के अतिरिक्त आठ अंशकालिक गैर-कार्यपालक निदेशक भी हैं, जो समाज के विभिन्न वर्गों से चुने गए श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं. विभिन्न क्षेत्रों में उनके बहुमूल्य एवं वृहद् अनुभव, बैंक की प्रगति एवं उपलब्धियों में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं.

2.2 निदेशक मंडल के उत्तरदायित्व में नीति निर्माण, नई पहल, कार्यनिष्पादन समीक्षा और बैंक के विभिन्न क्षेत्र कर्मियों को प्रदत्त शक्तियों से अधिक के मामलों में मंजूरी प्रदान करना और नियंत्रण करना सम्मिलित है. निदेशक मंडल ने विभिन्न समितियां बनाई हैं और विभिन्न कार्यक्षेत्रों में अधिकारों का प्रत्यायोजन किया है. निदेशक मंडल और समितियों की बैठक आवधिक अंतराल पर होती है.

3. बोर्ड / समिति की बैठकें और कार्यवाहियां

3.1 कार्यसूची मदों का निर्धारण और क्रमांकन

बोर्ड / समिति के सभी सदस्यों को बैठकों की सूचना पहले ही दे दी जाती है. बैठकें पूर्व निर्धारित कार्यसूची के अनुसार संपन्न होती हैं. बैठक से पहले कार्यसूची और व्याख्यात्मक नोट उपलब्ध करा दिये जाते हैं.

3.2 सदस्यों को जानकारी उपलब्ध कराना

कार्यसूची की सभी मदें विस्तृत जानकारी से परिपूर्ण होती हैं, जिससे सदस्य व्यापक समीक्षा कर उचित निर्णय ले सकें.

3.3 कार्यवाही के कार्यवृत्त रिकार्ड करना

बोर्ड / समिति की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त रिकार्ड किये जाते हैं. श्रेष्ठ कार्पोरेट गवर्नेंस सिद्धान्तों के आधार पर सभी कार्यसूची मदों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता हैं. बैठकों की कार्यवाहियां कार्यवृत्त बही में प्रविष्ट की जाती हैं.

3.4 अनुवर्ती कार्रवाई प्रक्रिया

बैंक के पास, बैठक के बाद की अनुवर्ती कार्रवाई, बोर्ड और समितियों द्वारा लिये गये निर्णयों की समीक्षा और रिपोर्टिंग प्रक्रिया हेतु प्रभावी प्रणाली मौजूद है. पिछली बैठक(कों) में लिए गए निर्णयों पर कृत कार्रवाई की रिपोर्ट/पिछली बैठक के कार्यवृत्त बोर्ड / समिति की अगली तिमाही बैठक में प्रस्तुत किए जाते हैं.

3.5 अनुपालन

बोर्ड द्वारा अनुपालन रिपोर्टों की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है ताकि सभी लागू होने वाले विधिक प्रावधानों, नियमों और दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके.

3.6 कार्पोरेट गवर्नेंस संहिता

उत्तम पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने कार्पोरेट गवर्नेंस की स्वैच्छिक संहिता तैयार की है. यह संहिता शीर्ष से ही अच्छी कार्पोरेट गवर्नेंस की भावना का विकास करती है. इसमें मूलत: सभी हितधारकों के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वाह में बैंक में प्रचलित कार्यप्रणालियां सम्मिलित एवं प्रलेखित हैं, यथा :

- निदेशक मंडल एवं उसकी विभिन्न समितियों की कार्यप्रणालियां
- अनुपालन एवं अनुश्रवण कार्यप्रणाली
- शेयरधारकों एवं ग्राहकों के साथ संबंध
- व्यापक स्तर पर सार्वजनिक प्रकटन
- कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और ;
- अन्य विविध मामले जैसे आचार संहिता, इनसाइडर ट्रेडिंग, कार्मिक मामले, सतर्कता आदि.

3.7 बोर्ड बैठकें

आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित तिथियों को 14 बोर्ड बैठकें संपन्न हुईं :

6 मई, 2010	27 अक्तूबर, 2010
7 मई, 2010	26 नवंबर, 2010
15 जून, 2010	23 दिसंबर, 2010
2 जुलाई, 2010	24 जनवरी, 2011
26 जुलाई, 2010	5 मार्च, 2011
21 अगस्त, 2010	16 मार्च, 2011
18 सितंबर, 2010	31 मार्च, 2011

वर्ष के दौरान हुई बोर्ड बैठकों में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति, बोर्ड समितियों की संख्या, जिनके कि वे सदस्य या अध्यक्ष हैं और अन्य कंपनियों / निगमों, जिनमें वे शेयरधारक एवं निदेशक हैं, का ब्यौरा निम्नानुसार है :

निदेशकों के ब्यौरे एवं वर्ष 2010-11 के दौरान आयोजित बैठकें

निदेशक का नाम एवं श्रेणी	जन्म-तिथि / आयु (वर्ष)	अर्हता	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति	निदेशक मंडल की समितियों की संख्या	शेयर धारिता	अन्य कंपनियों में निदेशक (यथा 31 मार्च 2011)
श्री एम वी नायर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (कार्यपालक)	03.03.52 59 वर्ष	बीएससी	14	14	एमसीएम, एससीआर एवं एएलएम, डीपीसी, डी पी सी (वी) एसटीसीबी, एससीएमएफ, सीएससीबी, एचआर	शून्य	2
श्री एस. रामन कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक)#	07.09.52 58 वर्ष	उसमानिया विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक (बी. कॉम) (द्वितीय रेंक)नागपुर विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर (प्रथम रेंक एवं स्वर्ण पदक) बिजनेस मैनेजमेंट में डिप्लोमा /जर्मन भाषा में सीनियर डिप्लोमा, भारतीय बैंकर्स संस्थान, मुंबई से सीएआईआईबी एवं चार्टर्ड इंस्टीच्यूट ऑफ बैंकर्स, लंदन से एसीआईबी	6	5	एमसीएम, एसीबी, एससीआर एवं एएलएम, एसआईजीसी, एसटीसीबी, सीएससीबी, एससीएमएफ, एचआर	शून्य	2
श्री एस. सी. कालिया कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक)	06.08.51 59 वर्ष	एम.ए. (राजनीति), स्वर्ण पदक विजेता, सीएआईआईबी	14	14	एमसीएम, एसीबी, एससीआर एवं एएलएम, एसआईजीसी, एसटीसीबी,सीएससीबी, एससीएमएफ, एचआर	शून्य	1
श्री एस. एस. मूंदड़ा कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक)$	18.07.54 56 वर्ष	पुणे विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातकोत्तर एवं आईआईबीएफ के प्रमाणपत्रित एसोसिएट	8	7	एमसीएम, एसीबी, एससीआर एवं एएलएम, एसआईजीसी, एसटीसीबी, सीएससीबी, एससीएमएफ, एचआर	शून्य	2
श्री के वी ईप्पन भारत सरकार द्वारा नामित (गैर कार्यपालक)	09.09.59 51 वर्ष	1984 के असम (मेघालय) संवर्ग के आईएएस अधिकारी और वर्तमान में संयुक्त सचिव (बैंकिंग प्रशासन) वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली. सेंट स्टीफन कालेज दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र, कला स्नातक एवं अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर, एमडीआई, गुड़गांव से मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रॅडफोर्ड, यूके में मैक्रो इकोनॉमिक्स एवं प्लानिंग में एमएससी	14	9	एसीबी, डीपीसी, डीपीसी (वी), एससीआर एवं एएलएम, एससीएमएफ,आरसीबी,	शून्य	1
श्री के शिवरामन भारिबैं नामिती# (गैर-कार्यपालक)	19.05.42 68 वर्ष	एमएससी (सांख्यिकी), सीएआईआईबी	5	4	एमसीएम, एसीबी, डीपीसी, डीपीसी (वी), एससीआर एवं एएलएम, आरसीबी, एनसीबी,	शून्य	शून्य
श्रीमती मीना हेमचंद्र $ भारिबैं नामिती (गैर-कार्यपालक)	20.11.57 53 वर्ष	बी.ए. - अर्थशास्त्र, इतिहास (कोलकता युनिवर्सिटी) एम. ए.-अर्थशास्त्र (मदुरै कामराज यूनिवर्सिटी) सीएआईआईबी, सीएफए(इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया, हैदराबाद)	9	6	एमसीएम, एसीबी, डीपीसी, डीपीसी (वी), एससीआर एवं एएलएम, आरसीबी, सीएससीबी,	शून्य	शून्य

निदेशक का नाम एवं श्रेणी	जन्म-तिथि / आयु (वर्ष)	अर्हता	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति	निदेशक मंडल की समितियों की संख्या	शेयर धारिता	अन्य कंपनियों में निदेशक (यथा 31 मार्च 2011)
श्री एन. शंकर वर्कमैन कर्मचारी निदेशक	20.05.58 52 वर्ष	बीएससी, आईसीडब्ल्यूए	14	14	एमसीएम, सीएससीबी एसटीसीबी एससीआर एवं एएलएम,	शून्य	शून्य
श्री अशोक सिंह# अंशकालिक गैर-अधिकारी निदेशक	02.07.53 57 वर्ष	विज्ञान स्नातक एवं लखनऊ विश्वविद्यालय से विधि में स्नातकोत्तर	11	11	एमसीएम, एसआईजीसी, एससीआर एवं एएलएम, सीएससीबी, एचआर, एनसीबी	शून्य	शून्य
डा. गुलफाम मुज़ीबी अंशकालिक गैर-अधिकारी (गैर-कार्यपालक)	27.04.45 65 वर्ष	रांची विश्वविद्यालय से स्वर्ण पदक के साथ स्नातकोत्तर एमए, पीएचडी, एलएलबी	14	12	एमसीएम, सीएससीबी, एनसीबी, एसआईजीसी	शून्य	शून्य
प्रो. एम एस श्रीराम शेयरधारक (गैर कार्यपालक)	16.05.62 48 वर्ष	इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद (आईआरएमए) से ग्रामीण प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (1984) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलूर के फेलो (1992). शिक्षा एवं परामर्श में दो दशकों से अधिक का अनुभव. वित्तीय लेखांकन, कृषि वित्त, सामाजिक उद्यमशीलता और सूक्ष्म वित्त में विशेषज्ञता.	14	12	एमसीएम, एससीआर एवं एएलएम, सीएससीबी, आरसीबी, एससीएमएफ, एसटीसीबी,एसीबी, एचआर	100	3
श्री अरुण कुमार नंदा $ शेयरधारक (गैर-कार्यपालक)	13.03.49 62 वर्ष	बी कॉम (ऑनर्स), विधि में स्नातक (एलएलबी), इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउण्ट्ंस ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज़ ऑफ इंडिया के फेलो मेंबर.	14	6	एसआईजीसी, आरसीबी, सीएससीबी, एमसीएम	200	14
श्री एस. रवि @ शेयरधारक (गैर-कार्यपालक)	12.07.59 51 वर्ष	बीएससी, एम. कॉम एवं एफसीए, सेंटर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, जेएमआई से पीएचडी कर रहे हैं.	14	13	एसीबी, एमसीएम, सीएससीबी	600	9

$ श्री बी एम शर्मा 16.04.2010 से बोर्ड में चुने गए.
श्रीमती मीना हेमचंद्रा 30.07.2010 से बोर्ड में चुनी गई.
श्री एस एस मूंदड़ा 01.09.2010 से बोर्ड में चुने गए.

@ एसीबी के अध्यक्ष

श्री के. शिवरामन की कार्यावधि निदेशक के रूप में 29.07.2010 को समाप्त हुई.
श्री एस. रामन की कार्यावधि निदेशक के रूप में 31.08.2010 को समाप्त हुई
श्री अशोक सिंह की कार्यावधि निदेशक के रूप में 25.01.2011 को समाप्त हुई

एमसीएम	-	निदेशक मंडल की प्रबंध समिति
एसीबी	-	निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति
एससीआर एवं एएलएम	-	जोखिम और आस्ति-देयता प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति
एसआईजीसी	-	निदेशक मंडल की शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति
डीपीसी	-	निदेशकों की पदोन्नति समिति
डीपीसी(वी)	-	निदेशकों की पदोन्नति समिति - सतर्कता / गैर-सतर्कता

एसटीसीबी	-	निदेशक मंडल की शेयर अंतरण समिति
एससीएमएफ	-	₹ 1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी मामलों के अनुश्रवण हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति
सीएससीबी	-	बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति
आरसीबी	-	बोर्ड की पारिश्रमिक समिति
एनसीबी	-	बोर्ड की नामांकन समिति
एचआर	-	मानव संसाधन मामलों से संबंधित बोर्ड की उप समिति

3.8 निदेशकों की समिति सदस्यता

श्री अरुण कुमार नंदा, निदेशक बैंक के बाहर निम्नलिखित लेखापरीक्षा समिति या निवेशक शिकायत समितियों की सदस्यता रखते हैं / के अध्यक्ष हैं :

1. महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लि. - सदस्य - शेयर अंतरण एवं शेयरधारक निवेशक शिकायत समिति.
2. महिन्द्रा होलीडेज़ एवं रिसोर्ट्स (इंडिया) लि. - अध्यक्ष - शेयर आबंटन अंतरण - सह - निवेशक शिकायत समिति.
3. महिन्द्रा लाइफस्पेस डवलपर्स लि. - अध्यक्ष - निवेशक शिकायत एवं शेयरधारक समिति.
4. महिन्द्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपर्स लि. - सदस्य, लेखापरीक्षा समिति.
5. महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लि. - सदस्य, लेखापरीक्षा समिति.
6. महिन्द्रा होल्डिंग्स लि. - अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति.

श्री एस. रवि, निदेशक बैंक के बाहर निम्नलिखित लेखापरीक्षा समिति या निवेशक शिकायत समितियों की सदस्यता रखते हैं / के अध्यक्ष हैं :

1. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स सर्विसेज़ लि. - अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति
2. एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस कार्पोरेशन लि. - अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति एवं सदस्य, निवेशक शिकायत समिति.
3. महिन्द्रा उजिन स्टील लि. - सदस्य, लेखापरीक्षा समिति एवं निवेशक शिकायत समिति.
4. यूटीआई ट्रस्टी कं. प्रा. लि. - सदस्य, लेखापरीक्षा समिति.
5. महाराष्ट्र हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कार्पोरेशन लि. - सदस्य, लेखापरीक्षा समिति.

3.9 निदेशकों का आपसी संबंध

कोई भी निदेशक आपस में रिश्तेदार नहीं हैं.

3.10 वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान निदेशक मंडल में शामिल किए गए नए निदेशकों का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है:

नाम	आयु	अनुभव	नियुक्ति की तारीख	वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तिथि	अन्य कं. में निदेशक पद
श्री बी. एम. शर्मा चार्टर्ड एकांडटेट निदेशक	54 वर्ष	श्री बी. एम. शर्मा बैंक के निदेशक मंडल में बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 के चार्टर्ड एकाउंटेंट श्रेणी खंड 9(3)(जी) के अंतर्गत दिनांक 16 अप्रैल, 2010 की अधिसूचना के जरिये नियुक्त किए गए हैं. श्री शर्मा अर्हता प्राप्त चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं जो 27 से अधिक वर्ष से प्रैक्टिस कर रहे हैं. इसके अतिरिक्त, वे अर्हताप्राप्त सूचना प्रणाली लेखारीक्षक भी हैं. उन्होंने अपने दो दशकों से अधिक के अनुभव के दौरान समवर्ती लेखापरीक्षा तथा बैंकों के कई अन्य कार्यों का संचालन भी किया है तथा उन्हें वित्त, बैंकिंग एवं कराधान में विशेषज्ञता प्राप्त है. यूनियन बैंक में अपने नामांकन से पहले श्री शर्मा चार्टर्ड एकाउंटेंट श्रेणी के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त विजया बैंक के निदेशक मंडल में थे. श्री शर्मा वर्ष 2009 के दौरान इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स ऑफ इंडिया की व्यावसायिक विकास समिति में विशेष आमंत्रित थे. व्यावसायिक विकास समिति से जुड़े होने के कारण उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी इक्विटी वित्तपोषण और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के क्षेत्रों में गहन अनुभव है.	16.04.2010	15.04.2013	शून्य

नाम	आयु	अनुभव	नियुक्ति की तारीख	वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तिथि	अन्य कं. में निदेशक पद
श्रीमती मीना हेमचंद्र (भारिबैं नामित)	53वर्ष	श्रीमती मीना हेमचंद्र -(भारतीय रिज़र्व बैंक नामिती) को 30 जुलाई, 2010 से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970/1980 के खंड 3 की उप धारा (1) के साथ पढ़ा जाए बैंकिंग कम्पनीज (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/ 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड सी के अंतर्गत, निदेशक के रूप में नामित किया गया है. श्रीमती मीना हेमचंद्र ने 1982 में भारतीय रिज़र्व बैंक में कार्यग्रहण किया. वे अर्थशास्त्र में स्नातक हैं और आईसीएफएआई, हैदराबाद से सीएफए हैं. रिज़र्व बैंक में, वे अधिक समय बैंकिंग पर्यवेक्षण और विदेशी मुद्रा विनिमय विभाग में रहीं. रिज़र्व बैंक स्टाफ कालेज में संकाय रहने के अलावा वे 1996 से 2001 के मध्य चार वर्ष तक भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण लिमि. से भी जुडी रहीं. 2004 से 2005 के बीच वे मुख्य महा प्रबंधक के रूप में मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय के बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग की प्रभारी रहीं और बैंक द्वारा प्रारंभ किए गए जोखिम आधारित पर्यवेक्षण से सक्रियता से जुड़ी रहीं. दिसम्बर 2005 से, वे बाह्य निवेश एवं परिचालन विभाग, जो विदेशी विनिमय आरक्षित की व्यवस्था करता है, की मुख्य महा प्रबंधक -प्रभारी हैं.	30.07.2010	अगले आदेश तक	-
श्री एस एस मूंदड़ा (कार्यपालक निदेशक)	56 वर्ष	श्री मूंदड़ा ने 1 सितंबर, 2010 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यग्रहण किया. उनका जन्म 18 जुलाई, 1954 को हुआ था. श्री मूंदडा पुणे विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक हैं और इंडियन इंस्ट्रीटयूट ऑफ बैंकिंग और वित्त के सर्टिफाइड एसोसिएट भी है. यूनियन बैंक में कार्यग्रहण से पूर्व श्री एस.एस. मूंदड़ा बैंक ऑफ बड़ौदा के महा प्रबंधक पद पर थे और 7 जनवरी, 2008 से उन्होंने बैंक के यूरोपियन परिचालन के मुख्य कार्यपालक का पद संभाला. इससे पहले उन्होंने मुंबई में महा प्रबंधक ट्रेजरी और संसाधन प्रबंधन के रूप में कार्यभार संभाला. उन्होंने 21 मार्च, 1977 में बैंक ऑफ बड़ौदा में सीधे भर्ती अधिकारी के रूप में कार्यग्रहण किया. तीन दशकों में फैले उनके बैंकिंग केरियर में उन्होंने देश विदेश में विभिन्न पदों पर कार्य किया. उनके केरियर की शुरुआत में वे बैंक के विभिन्न क्षेत्रीय/ अंचलीय कार्यालयों के ऋण संबंधी कार्य के प्रभारी भी रहे, वे बैंक की युगान्डा स्थित अनुषंगी में पदस्थापित थे. श्री मूंदड़ा 2001-2005 तक और वर्ष 2007 में पुन: बैंक के ट्रेजरी के कार्य में रहे. इस दौरान वे मनी मार्केट परिचालन, के प्रभारी, ट्रेजरी बैंक आफिस के प्रमुख, ट्रेजरी फ्रंट आफिस के प्रमुख और अंतत: संपूर्ण ट्रेजरी परिचालन के महा प्रबंधक के पद तक पहुंचे. 2005-2007 की अवधि के दौरान उन्हें बैंक के फालो ऑफ पब्लिक ऑफर की कमान सौंपी गई, जो अभूतपूर्व सफलता के साथ जनवरी 2006 माह में पूर्ण हुआ. तत्पश्चात उन्होंने बैंक के महाराष्ट्र और गोवा अंचल, जो 204 शाखाओं और रू.10 बिलियन का कारोबार स्तर रखता है और बृहद भौगोलिक क्षेत्र में फैला है, के अंचल प्रमुख का पद संभाला. अंचल में उनके कार्यकाल में बैंक की नई शुरुआतों जैसे एस एम ई ऋण फैक्ट्री, जन-नेकस्ट शाखा आदि का दौर था, जो बाद में बैंक के लिए सुदृढ़ कारोबारी माडेल के रूप में विकसित हुआ.	01.09.2010	सेवा निवृति की तिथि 31.07.2014 या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो	एनपीसीआई, यूनियन दाई-इची

नाम	आयु	अनुभव	नियुक्ति की तारीख	वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तिथि	अन्य कं. में निदेशक पद
		वे वर्ष 2006 में बैंक के निदेशक मंडल के सचिव भी थे ओर लंबे समय तक बैंक के निवेशक संबंध से भी जुड़े रहे. उन्होंने बहुत यात्राएं कीं और बैंक के कार्यों, सेमिनारों और कुछ विशेषीकृत प्रशिक्षणों के संबंध में कई देशों का भ्रमण किया. वे बैंक की प्रशिक्षण संस्थाओं और अन्य बैंकों के प्रशिक्षण संस्थानों और बैंकिंग निकायों के अतिथि संकाय भी रहे. भारत में श्री मूंदड़ा ने कई कम्पनियों जैसे मिटकॉन पुणे, सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज लिमि. (सीडीएसएल), मुंबई, क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमि.(सीसीआईएल), मुंबई और बॉब असेट मैनेजमेंट कम्पनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में बैंक का प्रतिनिधित्व किया. उन्हें बोर्ड ऑफ इंडिया इंफ्रास्टक्चर फाइनांस कम्पनी (यूके) लिमिटड (आईआईएफसीएल), लंदन में भारत सरकार के नामित निदेशक के रूप में नामांकित किया गया. श्री मूंदड़ा एक जिज्ञासु पाठक हैं और उनके पसंदीदा अध्ययन क्षेत्र में नेतृत्व साहित्य, बैंकिंग से लेकर योग और दर्शन तक का शुमार है.			

31.03.2011 के उपरात निदेशक मंडल के शामिल किये गये निदेशको का संक्षिप्त परिचय

श्री वैद्यनाथ भट्टचार्जी	56 वर्ष	केंद्र सरकार ने भारिबैं. से विचार विमर्श कर बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम 1970/ 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (एफ) के साथ-साथ राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970/ 1980 की धारा 9 की उपधारा (1) एवं (2) में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री बी.एन. भट्टाचार्जी को अधिकारी निदेशक के रूप में नामित किया है. श्री भट्टाचार्जी एक सक्रिय ट्रेड यूनियन नेता हैं एवं ट्रेड यूनियन उनका शौक है. उन्होंने अधिकारियों के हित के लिए अपने कैरियर एवं व्यक्तिगत सुख-सुविधाओं का भी त्याग कर दिया. लखनऊ यूनिवर्सिटी से स्नातक श्री भट्टाचार्जी ने विधि का भी अध्ययन किया है. वे एआईयूबीओएफ से 1989 में जुड़े एवं 1991 में इसकी सेंट्रल कमेटी के सदस्य मनोनीत किए गए. 1997 में, आप ऑल इंडिया यूनियन बैंक आफिसर्स फेडरेशन के कोषाध्यक्ष चुने गए एवं अभी तक उस पद पर बने हुए हैं. वर्तमान में, आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आफिसर्स एसोसिएशन, बंगाल व सिक्किम ईकाई के उपाध्यक्ष और एआईबीओसी एवं एआईएनबीओएफ की पश्चिम बंगाल ईकाई के भी उपाध्यक्ष हैं. आपका एआईएनओबीएफ की स्थापना में भी योगदान रहा. श्री भट्टाचार्जी की अनुशासनिक कार्रवाई संबंधी मामलों में काफी रूचि है एवं उन्होंने उप महा प्रबंधक स्तर के कार्यपालकों सहित बहुत से अधिकारियों को समुचित न्याय दिलाया है. आपकी फोटोग्राफी, अंकशास्त्र, हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत एवं लोकसंगीत में भी काफी रूचि है. आप सामाजिक राजनीतिक एवं आर्थिक विषयों से जुड़ी सम-सामयिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखते हैं. देश में बैंकिंग गतिविधियों की अच्छी समझ एवं पकड़ होने के कारण आप एआईयूबीओएफ की गृहपत्रिका यूनियन विज़न के उप संपादक भी हैं. प्रौद्योगिकी के प्रति अपने रूझान के कारण ही आप एआईयूबीओएफ की वेबसाइट के प्रशासक की भूमिका निभा रहे हैं.	04.05.2011	03.05.2014 तक या उस तारीख तक जब तक यूनियन बैंक में उनका अधिकारी के पद पर सेवाकाल पूरा ना हो जाए या अगले आदेशों तक, जो भी इनमें पहले हो.	शून्य

3.11 वार्षिक साधारण बैठक:

शेयर धारकों की आठवीं वार्षिक साधारण बैठक दि. 2 जुलाई, 2010 को आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे :

1.	श्री एम.वी.नायर	-	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री एस.सी.कालिया	-	कार्यपालक निदेशक
3.	श्री के.शिवरामन	-	निदेशक
4.	श्री एन शंकर	-	निदेशक
5.	श्री अशोक सिंह	-	निदेशक एवं शेयरधारक / निवेशक शिकायत समिति के अध्यक्ष
6.	श्री एस रवि	-	शेयर धारक निदेशक व लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष
7.	प्रो. एम एस श्रीराम	-	शेयरधारक निदेशक
8.	श्री बी एम शर्मा	-	निदेशक (सी. ए. संवर्ग)

4 निदेशक मंडल की समितियां

4.1 निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)

4.1.1 संघटन :

निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार किया गया है, जिसमें 6 निदेशक यथा - कार्यपालक निदेशक, भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती और 2 गैर सरकारी गैर कार्यपालक निदेशक, (जिनमें से एक चार्टर्ड एकाउटेंट) शामिल हैं. बैठकों की अध्यक्षता स्वतंत्र, गैर सरकारी निदेशक और चार्टर्ड एकाउटेंट श्री एस.रवि द्वारा की जाती है.

4.1.2 कार्य

लेखापरीक्षा समिति, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 10.11.2010 को जारी कैलेंडर मद के आदेश के अनुसार बैंक के कार्यों की समीक्षा करती है. निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) के प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं:

1. एसीबी बैंक के लेखापरीक्षा संबंधी समग्र कार्य का पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन करती है. समग्र लेखा परीक्षा कार्य में बैंक की आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण का संगठन,परिचालन तथा गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक की सांविधिक /बाह्य लेखापरीक्षा और भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल है.
2. एसीबी बैंक की आंतरिक निरीक्षण /लेखापरीक्षा कार्यों अर्थात् उसकी प्रणाली,गुणवत्ता और अनुवर्ती कार्रवाई की प्रभावकारिता की समीक्षा करती है. यह विशेषीकृत शाखाओं और बहुत बड़ी शाखाओं तथा असंतोषजनक रेटिंगवाली सभी शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टों की भी समीक्षा करती है. इसके द्वारा विशेष रूप से निम्नलिखित कार्यों पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाता है:
   - अंतर शाखा समायोजन खाते
   - अंतर बैंक खातों और नोस्ट्रो खातों में बहुत समय से बकाया प्रविष्टियां जिनका मिलान न हुआ हो.
   - विभिन्न शाखाओं में बहियों के तुलन की बकाया स्थिति.
   - धोखाधड़ी.
   - हाउसकीपिंग से संबंधित सभी प्रमुख क्षेत्र.
3. एसीबी भारिबैं. के अन्य दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों में नियुक्त अनुपालना अधिकारी से छमाही रिपोर्ट और सचीकरण तथा सेबी दिशानिर्देशों के अनुपालन की तिमाही रिपोर्ट की प्राप्त करती है एवं उसकी समीक्षा करती है.
4. सांविधिक लेखापरीक्षा के मामले में यह समिति लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गए सभी मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है. बैंक के छमाही/ वार्षिक वित्तीय लेखों और रिपोर्टों को अंतिम रूप प्रदान करने के पहले यह बाह्य लेखापरीक्षकों से चर्चा करती है.
5. लेखापरीक्षा समिति, बैंक की लेखा नीतियां, संबंधित पार्टी लेनदेन, प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण तथा बैंक के तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणामों की भी समीक्षा करती है.
6. एसीबी प्रत्येक वर्ष गुप्त सूचना (व्हिसिल ब्लोअर) हेतु अपनायी गई नीति की भी समीक्षा करती है.
7. यह बैंक की सभी वित्तीय और जोखिम प्रबंधन नीतियों की भी समीक्षा करती है.

4.1.3 एसीबी बैठकों में उपस्थिति

समिति की वर्ष 2010-11 के दौरान 12 बैठकें हुईं, जिनमें उनकी स्थिति निम्नानुसार है :

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री एस. रामन, का.नि.	5	5
श्री एस. सी. कालिया, का.नि.	12	12
श्री एस. एस. मूंदड़ा, का.नि.	7	7
श्री के. वी. ईप्पन, सरकार द्वारा नामित	12	9
श्री के.शिवरामन,भारिबैं द्वारा नामित	4	3
श्रीमती मीना हेमचंद्र, भारिबैं नामित	8	5
श्री एस. रवि (अध्यक्ष एसीबी)	12	12
प्रो. एम. एस. श्रीराम	2	2
श्री बी एम शर्मा	12	12

4.2 बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी)

4.2.1 संघटन

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) बैंकिंग प्रभाग द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान योजना) 1970 के अंतर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 19 फरवरी,2007 और उसके बाद 29 जून, 2007 तक किए गए संशोधनों द्वारा अब प्रबंधन समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक/निदेशकों,रिजर्व बैंक के नामित

निदेशक केन्द्र सरकार द्वारा धारा 9(3)(ई)(एफ)(जी) के अंतर्गत नामित एक चार्टर्ड एकाउटेंट जो समिति के नियमित सदस्य के रूप में कार्य करते हैं, शामिल हैं और निदेशक मंडल द्वारा धारा 9(3)(एच)एवं(आई) के अंतर्गत रोटेशन के आधार पर प्रत्येक छःमाह के लिए बोर्ड द्वारा नामित तीन अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक होते हैं. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बैठक की अध्यक्षता करते हैं.

4.2.2 कार्य

निदेशक मंडल ने प्रबधंन समिति का गठन वित्त मंत्रालय,भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार कारोबार संबंधी विभिन्न मामलों यथा ऋण प्रस्तावों की मंजूरी, ऋण समझौता/ बट्टे खाते डालने संबंधी प्रस्तावों,राजस्व एवं पूंजीगत व्ययों का अनुमोदन, परिसर अधिग्रहण और किराये पर लेना, निवेश और दान आदि पर विचार करने के लिए किया है.

4.2.3 एम सी बी बैठक में उपस्थिति

वर्ष 2010-11 के दौरान प्रबंधन समिति की 20 बैठकें हुईं, जिनमें उपस्थिति इस प्रकार रही : -

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री एम. वी. नायर, अ.एवं प्र.नि.	20	20
श्री एस. रामन, का. नि.	8	7
श्री एस. सी. कालिया, का. नि.	20	20
श्री एस. एस. मूंदड़ा, का. नि.	12	12
श्री के. शिवरामन, भारिबैं के नामिती	6	6
श्रीमती मीना हेमचंद्र, भारिबैं की नामिती	14	9
श्री बी एम शर्मा निदेशक (सीए श्रेणी)	20	20
प्रो. एम एस श्रीराम, शेयरधारक निदेशक	10	9
डॉ. गुलफाम मुजिबी, गैर-सरकारी निदेशक	10	7
श्री अशोक सिंह, अंशकालिक, गैर-सरकारी निदेशक	11	11
श्री एन. शंकर, वर्कमैन कर्मचारी निदेशक	10	10
श्री एस. रवि, शेयरधारक निदेशक	9	8
श्री अरुण कुमार नंदा, शेयर धारक निवेशक	10	8

4.3 जोखिम और आस्ति देयता प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति (एससीआर एण्ड एएलएम) :

4.3.1. संघटन

इस समिति में निदेशक मंडल के निम्नलिखित सदस्य यथा : अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार के नामित सदस्य तथा तीन अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक शामिल हैं. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं.

कार्य :

बैंक ने जोखिम और आस्ति देयता प्रबंधन के कार्यकलापों के पर्यवेक्षण के लिए निदेशक मंडल की जोखिम और आस्ति देयता प्रबंधन पर्यवेक्षी समिति गठित की है, यह बैंक के सभी जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और निगरानी करती है.

4.3.2. एससीआर एवं एएलएम बैठकों में उपस्थिति

वर्ष 2010-11 के दौरान समिति की 4 बैठकें हुईं, जिनमें उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री एम. वी. नायर, अ.एवं प्र.नि.	4	4
श्री एस. रामन, का. नि.	1	-
श्री एस. सी. कालिया, का. नि.	4	4
श्री एस.एस.मूंदड़ा, का. नि	3	3
श्री के. वी. ईप्पन, भारत सरकार नामिती	4	1
श्री के. शिवरामन, भारिबैं के नामिती	1	1
श्रामती मीना हेमचंद्र, भारिबैं की नामिती	1	1
प्रो. एम. एस. श्रीराम, शेयरधारक निदेशक	4	3
श्री अशोक सिंह, अंशकालिक गैर-सरकारी	3	3
श्री बी. एम शर्मा	1	1
श्री एन शंकर	2	2

4.4 बोर्ड की शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत संबंधी समिति (एसआईजीसी) :

4.4.1 संघटन

शेयरधारकों / निवेशकों की शिकायत संबंधी समिति में कार्यपालक निदेशक और दो गैर-कार्यपालक निदेशक हैं. समिति के अध्यक्ष डा. गुलफाम मुजिबी, स्वतंत्र गैर-कार्यपालक निदेशक हैं.

4.4.2 कार्य

सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसार बोर्ड द्वारा बोर्ड की शेयरधारकों / निवेशकों की शिकायत समिति (एसआईजीसी) का गठन किया गया है. यह समिति शेयरों के अंतरण, वापसी आदेश, शेयर प्रमाणपत्र, लाभांश आदि प्राप्त न होने संबंधी शेयरधारकों / निवेशकों की शिकायतों का निवारण करती है.

4.4.3 एसआईजीसी में उपस्थिति

वर्ष 2010-11 के दौरान समिति की 4 बैठकें हुईं, जिनमें उपस्थिति निम्न प्रकार है :-

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
डॉ. गुलफाम मुजीबी, (अध्यक्ष, एसआईजीसी)	1	1
श्री एस. रामन, का. नि.	2	2
श्री एस. सी. कालिया, का. नि.	4	4
श्री एस. एस. मूंदड़ा, का. नि.	2	2
श्री अशोक सिंह, अंशकालिक, गैर-सरकारी	3	3
श्री अरुण कुमार नंदा, शेयरधारक निदेशक	4	2

वित्तीय वर्ष दिनांक 31.03.2010 और 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के दौरान प्राप्त, उत्तरित और लंबित शिकायतों की तुलनात्मक सारणी निम्न प्रकार है :

		31.03.2011 को समाप्त वि. वर्ष के लिए	31.03.2010 को समाप्त वि. वर्ष के लिए
ए	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारकों की लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य
बी	वर्ष के दौरान प्राप्त शेयरधारकों की शिकायतों की संख्या	1385	1,646
सी	वर्ष के दौरान शेयरधारकों की निपटाई गई शिकायतों की संख्या	1385	1,646
डी	वर्ष की समाप्ति पर शेयरधारकों की लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य

श्रीमती मोनिका कालिया, कंपनी सचिव को निवेशकों की शिकायतों के लिए अनुपालन अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है.

4.5 बोर्ड की शेयर अंतरण समिति (एसटीसीबी)

4.5.1 संघटन

इस समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं/अथवा कार्यपालक निदेशक तथा कोई दो निदेशक शामिल हैं.

4.5.2 कार्य

बैंक ने शेयरों के शीघ्रतापूर्वक अंतरण के लिए निदेशक मंडल की शेयर अंतरण समिति गठित की है, जिसे शेयरों के अंतरण, प्रेषण, रीमैट एवं डुप्लीकेट शेयर जारी करने आदि की पुष्टि के अधिकार दिये गये हैं.

4.5.3 एसटीसीबी में उपस्थिति

वर्ष के दौरान, समिति की अंतरण, प्रेषण, रीमैट एवं डुप्लीकेट शेयर जारी करने इत्यादि पर कार्रवाई करने के लिए 21 बैठकें आयोजित की गयीं.

4.6 ₹ 1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी वाले मामलों के अनुश्रवण हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति (एससीएमएफ)

भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्रांक आरबीआई / 2004.15.डीबीएस.एफजीवी (एफ) नं.1004/23.04.01 ए / 2003-04, दिनांक 14.01.2004 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप ₹ 1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों के अनुश्रवण हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति का गठन किया गया है. वर्तमान में निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) से आंतरिक निरीक्षण, सांविधिक लेखापरीक्षा, अंतर शाखा / अंतर बैंक खातों, हाउसकीपिंग के प्रमुख क्षेत्रों इत्यादि का पर्यवेक्षण अपेक्षित है. समिति से यह भी अपेक्षित है कि वह बैंक में धोखाधड़ी के संबंध में निवारक पहलुओं तथा की जा रही अनुवर्ती कार्रवाई पर भी ध्यान दे. यह विशेष समिति ₹ 1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों का विशेष रूप से अनुश्रवण और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है. तथापि निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति सामान्य रूप से धोखाधड़ी के सभी मामलों का भी अनुश्रवण करना जारी रखेगी.

बोर्ड की विशेष समिति के कार्य की छमाही समीक्षा होती है तथा इसकी समीक्षा निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाती है.

4.6.1 संघटन

यह विशेष समिति, निदेशक मंडल के निम्नलिखित सदस्यों को शामिल कर गठित की गई है.

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति के दो सदस्य
- भारतीय रिज़र्व बैंक नामिती को छोड़कर निदेशक मंडल के दो अन्य सदस्य.

4.6.2 कार्य

इस विशेष समिति का प्रमुख कार्य ₹ 1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के सभी मामलों की समीक्षा एवं उनका अनुश्रवण करना होगा ताकि :

- धोखाधड़ी की संभावनाओं वाली कार्यप्रणालीगत कमियों को दूर किया जा सके और उन पर रोक लगाने हेतु आवश्यक उपाय किये जा सकें.
- धोखाधड़ी का पता लगाने और / या उच्च प्रबंधन या भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित करने में यदि कोई देरी हुई हो, तो उनके कारणों का पता लगाया जा सके,
- सीबीआई / पुलिस जांच एवं वसूली स्थिति की प्रगति का अनुश्रवण किया जा सके,
- सुनिश्चित किया जा सके कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में प्रत्येक स्तर पर स्टाफ उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाता है तथा स्टाफ संबंधी कार्रवाई यदि कोई है तो उसे तत्काल निपटाया जाता है.

- धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति रोकने हेतु आंतरिक नियंत्रणों को सुदृढ करने जैसी रक्षात्मक कार्रवाई के प्रभाव की समीक्षा की जा सके,
- धोखाधड़ी निरोधक उपायों को सुदृढ़ बनाने हेतु यथावश्यक अन्य उपाय लागू किये जा सकें.

4.6.3 एससीएमएफ में उपस्थिति

वर्ष 2010-11 के दौरान समिति की 5 बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें उपस्थिति निम्नानुसार रही :

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री एम. वी. नायर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	5	5
श्री एस. रामन, का. नि.	2	2
श्री एस. सी. कालिया, का. नि.	5	5
श्री एस. सी. मूंदड़ा, का. नि.	3	3
श्री के. वी. ईप्पन, भारत सरकार नामिती	5	4
प्रो. एम. एस. श्रीराम, शेयरधारक निदेशक	5	5

4.7 निदेशक मंडल की बैंक की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी)

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति का गठन किया गया है. समिति का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक, डीबीओडी के दिनांक 14 अगस्त 2004 के परिपत्र के संदर्भ में किया गया है.

4.7.1 संघटन

समिति में आठ सदस्य निम्नानुसार हैं :

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / कार्यपालक निदेशक
- शेयरधारकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो निदेशक
- तीन गैर कार्यपालक निदेशक
- विशेष आमंत्रित के रूप में ग्राहकों के दो प्रतिनिधि

4.7.2 कार्य

यह समिति निम्नलिखित कार्य करती है :

- सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु सुझाव देना.
- मौजूदा नीतियों एवं कार्यपद्धतियों को युक्तियुक्त बनाने तथा सरलीकरण की दृष्टि से उनके कार्यान्वयन की समीक्षा करना तथा निरंतर आधार पर परिवर्तनों को सुविधाजनक बनाने हेतु समुचित प्रोत्साहनों का सुझाव देना.
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित सार्वजनिक सेवा पर प्रक्रिया और कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा समिति (सीपीपीएपीएस) की सिफ़ारिशों के अनुपालन सहित बैंक की तदर्थ समिति के कार्यों का पर्यवेक्षण करना.

4.7.3 सीएससीबी में उपस्थिति

वर्ष 2010-11 के दौरान इस समिति की 4 बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें उपस्थिति के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री एम वी नायर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	4	4
श्री एस. रामन, का. नि.	1	-
श्री एस. सी. कालिया, का. नि.	4	4
श्री एस. एस. मूंदड़ा, का. नि.	3	3
श्री के शिवरामन, भारिबैं नामिती निदेशक	1	1
श्रीमती मीना हेमचंद्र, भारिबैं नामिती	1	1
प्रो.एम एस श्रीराम, शेयरधारक निदेशक	4	3
श्री एन. शंकर, वर्कमैन कर्मचारी निदेशक	4	4
डॉ गुलफाम मुज़ीबी, गैर सरकारी निदेशक	4	3
श्री अशोक सिंह, गैर सरकारी निदेशक	3	3
श्री ए के नंदा शेयरधारक निदेशक	1	-
श्री एस रवि शेयरधारक निदेशक	2	1

4.8 निदेशकों को पारिश्रमिक (आरसीबी) :

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग (बैंकिंग प्रभाग) ने अपने संप्रेषण एफ नं. 20/1/2005-बीओ.I दिनांक 09 मार्च, 2007 द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के पूर्णकालिक निदेशकों को कार्य निष्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन की एक योजना की घोषणा की है. भारत सरकार के संप्रेषण के अनुसार बोर्ड की एक उप-समिति बनाई गई है जिसे "पारिश्रमिक समिति" कहा गया है.

4.8.1 संघटन :

- सरकार द्वारा नामित निदेशक
- भारिबैं द्वारा नामित निदेशक
- दो अन्य निदेशक

4.8.2 कार्य :

भारत सरकार के उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को दिए जाने वाले कार्यनिष्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहनों का निर्धारण करना.

4.8.3 आरसीबी में उपस्थिति

वर्ष 2010-11 के दौरान इस समिति की 1 बैठक आयोजित की गई, जिसमें उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार हैं :

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री के. वी. ईप्पन, सरकार द्वारा नामित	1	1
श्री के शिवरामन भारिबैं नामित	1	1
प्रो.एम एस श्रीराम, शेयरधारक निदेशक	1	1
श्री अरुण कुमार नंदा, शेयरधारक निदेशक	1	-

4.9 बोर्ड की नामांकन समिति (एनसीबी):

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 (वर्ष 2006 में संशोधित किए अनुसार) की धारा 9 की उप-धाराएं (3ए) एवं (3एबी) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड के निदेशकों के रूप में चयनित किए गए व्यक्तियों द्वारा पूरे किए जाने के लिए विशिष्ट योग्य एवं उपयुक्त मानदंड निर्धारित किए हैं. भारिबैं ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में चयनित निदेशकों के लिए योग्य एवं उपयुक्त मानदंडों पर परिपत्र डीबीओडी सं.बीसी नं.47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01 नवंबर, 2007 जारी किया है.

बैंकों से अपेक्षा है कि वे अधिनियम की धारा 9 (3) (i) के अंतर्गत वर्तमान चयनित निदेशकों की योग्य एवं उपयुक्त स्थिति के निर्धारण के लिए ड्यू डिलिजेंस की प्रक्रिया करने के लिए नामांकन समिति का गठन करें. तदनुसार, बैंक ने निदेशकों की नामांकन समिति का गठन किया गया है.

4.9.1 संघटन :

- तीन गैर-कार्यपालक निदेशक

4.9.2 कार्य :

- ड्यू डिलीजेंस के कार्य की जिम्मेदारी लेना और चयनित निदेशक की योग्य एवं उपयुक्त स्थिति की जांच करना.
- यह देखना कि क्या किसी मानदंड यथा (i) शैक्षिक योग्यता (ii) विशेषज्ञता का अनुभव एवं क्षेत्र (iii) ट्रेक रिकॉर्ड एवं ईमानदारी का गैर-अनुपालन वर्तमान चयनित निदेशक / प्रस्तावित उम्मीदवार को बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में अपने कर्त्तव्यों को निभाने में रुकावट तो पैदा नहीं करता है. इसके अतिरिक्त, किसी प्राधिकार / नियामक एजेंसी से उम्मीदवार के बारे में प्रतिकूल सूचना या दिवालियापन अथवा किसी बैंक या किसी वित्तीय संस्था से किसी ऋण में चूक की सूचना उम्मीदवार को बैंक के बोर्ड में निदेशक होने के लिए अयोग्य एवं अनुपयुक्त कर देगी.
- हस्ताक्षरित घोषणा के आधार पर, नामांकन समिति उम्मीदवार को स्वीकार करने या अन्यथा का निर्णय करे और आवश्यक समझे जाने पर उपयुक्त प्राधिकारी / व्यक्तियों से संदर्भ (हवाले) प्राप्त करें ताकि इन अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके.

4.9.3 एनसीबी में उपस्थिति :

समिति की वर्ष 2010-11 के दौरान एक बैठक संपन्न हुईं, जिसमें उपस्थिति निम्नानुसार रही :

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री बी एम शर्मा, सी.ए. श्रेणी (अध्यक्ष)	1	1
श्री के. शिवरामन, भारिबैं नामिती	1	1
डा. गुलफाम मुजिबी	1	1

4.10 निदेशकों की पदोन्नति समिति (डीपीसी)

4.10.1संघटन :

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक
- भारिबैं. नामित निदेशक

4.10.2 कार्य

यह समिति उच्च कार्यपालक ग्रेड स्केल VII में पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों का चयन करने के साथ-साथ उच्च प्रबंधन ग्रेड स्केल VII में चयन / अनुमोदन न होने पर अधिकारियों द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर विचार करती है और उच्च कार्यपालक ग्रेड में अधिकारियों की सेवाएं जारी रखने संबंधी मामलों पर निर्णय लेती है.

4.10.3 डीपीसी में उपस्थिति

समिति की वर्ष 2010-11 के दौरान दो बैठक संपन्न हुईं, जिसमें उपस्थिति निम्नानुसार रही :

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री एम. वी. नायर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	2	2
श्री के. वी. ईप्पन, भारत सरकार नामिती	2	2
श्री के. शिवरामन, भारिबैं. नामिती	1	1
श्रीमती मीना हेमचंद्र, भारिबैं. नामिती	1	1

4.11 निदेशकों की पदोन्नति समिति - सतर्कता / गैर-सतर्कता

4.11.1 संघटन

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक
- भारिबैं. नामित निदेशक

इसके अतिरिक्त, कार्यपालक निदेशक भी इन बैठकों में विशेष आमंत्रित के रूप में उपस्थित रहते हैं.

4.11.2 कार्य

यह समिति तिमाही आधार पर सतर्कता, गैर-सतर्कता संबंधी अनुशासनात्मक मामलों और विभागीय जांचों की समीक्षा करती है.

4.11.3 डीपीसी - सतर्कता/गैर-सतर्कता में उपस्थिति

समिति की वर्ष 2010-11 के दौरान 4 बैठकें संपन्न हुईं, जिनमें उपस्थिति निम्नानुसार रही

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री एम. वी. नायर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	4	4
श्री के. वी. ईप्पन, भारत सरकार नामिती	4	3
श्री के. शिवरामन, भारिबैं. नामिती	1	1
श्रीमती मीना हेमचंद्र, भारिबैं. नामिती	3	3

4.12 निदेशकों की एचआर समिति

4.12.1 संघटन

इस समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और / या कार्यपालक निदेशक और कोई दो निदेशक होते हैं.

4.12.2 कार्य

निम्नलिखित पहलुओं का कार्यान्वयन और समीक्षा करना :

1. बैंक की समग्र रणनीति
   - समग्र जनबल आयोजना निर्धारण एवं कुशल जनबल में कमी की पहचान
   - उपयुक्त प्रतिभाशाली जनबल को आकर्षित करने एवं उन्हें कौशल प्रदान करने हेतु नीति, प्रक्रिया एवं संरचना तैयार करना
2. बैंक के सभी स्टाफ सदस्यों के लिए कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली विकसित करना
   - पारदर्शितापूर्ण प्रमुख उत्तरदायित्व क्षेत्र (केआरएएस) का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन
   - सभी स्टाफ सदस्यों को विकासात्मक फीडबैक प्रदान करने की प्रणाली विकसित करना
3. बैंक की कार्यप्रणाली एवं बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार नीतियों में सुधार करना
   - पुरस्कार एवं प्रोत्साहन
   - पदोन्नति
   - तैनाती
4. प्रशिक्षण
   - विशेषीकृत कारोबार कौशल प्रशिक्षण
   - सभी स्टाफ सदस्यों का सामान्य पुनर्प्रशिक्षण / पुनर्भिमुखीकरण प्रशिक्षण
5. मानव संसाधन संबंधी सभी गतिविधियों का आई टी आटोमेशन

4.12.3 निदेशकों की मानव संसाधन विकास समिति में उपस्थिति :

इस समिति की वर्ष 2010-11के दौरान 2 बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री एम. वी. नायर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	2	2
श्री एस. सी. कालिया, कार्यपालक निदेशक	2	2
श्री एस. एस. मूंदड़ा, कार्यपालक निदेशक	2	2
प्रो. एम. एस. श्रीराम, शेयरधारक निदेशक	2	2
श्री अशोक सिंह, अंशकालिक, गैर सरकारी निदेशक	1	1

5. साधारण सभा की बैठकें :

पिछले 3 वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की साधारण बैठकों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

बैठक का स्वरूप	दिनांक एवं समय	स्थान
छठी वार्षिक सामान्य बैठक	25 जून, 2008 शाम 4.00 बजे	रामा वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.
शेयरधारक निदेशकों के चुनाव के लिए असाधारण सामान्य बैठक	22 जून, 2009 प्रात: 10.30 बजे	रामा वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.
सातवीं वार्षिक सामान्य बैठक	22 जून, 2009 शाम 4.00 बजे	रामा वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.
आठवीं वार्षिक सामान्य बैठक	2 जुलाई, 2010 शाम 4.00 बजे	रामा वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.
असाधारण सामान्य बैठक	29 मार्च, 2011 प्रात: 11.00 बजे	रामा वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित सभी सामान्य बैठकों में से दिनांक 29.03.2011 को संपन्न असाधारण सामान्य बैठक में केवल एक विशेष प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया. उक्त प्रस्ताव से संबंधित विवरण निम्नानुसार है :

सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के विनियम 76(1) के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर भारत सरकार को ₹ 10/- (₹ दस मात्र) मूल्य के 1,92,14,515 (एक करोड़ बानवे लाख चौदह हजार पांच सौ पंद्रह) इक्विटी शेयर ₹ 354.94 प्रति शेयर की दर से कुल 682 करोड़ (छः सौ बयासी करोड़ मात्र) के नकद शेयर जारी एवं आवंटित करने हेतु विशेष प्रस्ताव पारित किया गया.

6. प्रकटन :

बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 द्वारा नियंत्रित है. सेबी ने स्पष्ट किया है कि उन सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों पर, जो कंपनी नहीं हैं परंतु अन्य अधिनियमों के अंतर्गत निगमित कार्पोरेट निकाय (अर्थात् प्राइवेट और सरकारी क्षेत्र के बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां आदि) हैं, सूची समझौते का खंड 49 उस सीमा तक ही लागू होगा कि वह उनके संबंधित अधिनियमों और संबंधित नियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन न करता हो. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह घोषणा की जाती है कि बैंक सूचीकरण समझौते के खंड 49 की सभी प्रयोज्य अनिवार्य अपेक्षाओं का पालन करता है. उक्त खंड के अंतर्गत गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं से संबंधित अनुपालन की जानकारी भी इस रिपोर्ट में दी गई है. खंड द्वारा निर्धारित अन्य प्रकटन अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं :

i. निदेशकों का पारिश्रमिक :

गैर-कार्यपालक निदेशकों को यात्रा व्यय और विराम व्ययों सहित पारिश्रमिक का निर्धारण भारिबैं की सलाह पर केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के खंड 17 की शर्तों के अनुसार किया जाता है.

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान और यात्रा व्ययों एवं विराम व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाती है. पूर्णकालिक कार्यपालकों की नियुक्ति के अन्य नियम एवं शर्तें राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के खंड 8 के अनुसार हैं, जिनके विस्तृत विवरण लेखों की टिप्पणियों में दिए गए हैं

ii महत्वपूर्ण लेनदेन एवं आर्थिक सम्बन्धों का प्रकटन :

बैंकिंग कारोबार की सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त, बैंक ने बड़े स्तर पर बैंक के हितों की संभाव्य प्रतिकूलता को ध्यान में रखते हुए अपने प्रवर्तकों, निदेशकों अथवा प्रबंधन, अपनी सहायक कंपनियों या रिश्तेदारों आदि के साथ ऐसा कोई महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया है, जिसका टकराव बैंक के हितों से होता हो. वर्ष के दौरान गैर-कार्यपालक निदेशक और बैंक के बीच कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं हुआ.

बैंक में यह स्थापित प्रथा रही है कि जब मामला निदेशकों या उनके रिश्तेदारों/फर्मों/कम्पनियों से संबंधित चर्चा का हो, तब संबंधित निदेशक बोर्ड के विचार-विमर्श और बोर्ड की अन्य उप समितियों में भाग नहीं लेते हैं.

iii सार्वजनिक निर्गमों, राइट निर्गमों, अधिमानी निर्गमों आदि के आगम :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने भारत सरकार को प्राथमिकता के आधार पर ₹ 10/- के 1,92,14,515 प्रति इक्विटी शेयर आवंटित कर अपनी इक्विटी शेयरधारिता में वृद्धि की. बैंक ने इसी वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार को ₹ 111 करोड़ के गैर संचयी शाश्वत बांड (पीएनसीपीएस) भी जारी किए.

बैंक ने समय-समय पर प्रामिसरी नोट (टीयर I एवं टीयर II) प्रकृति के गैर प्रवर्तनीय बांड जारी किए. इससे संबंधित जानकारी रिपोर्ट के अनुच्छेद 8.2 में दी गई है.

उक्त निधियां पूंजी पर्याप्तता अनुपात को सुदृढ़ बनाने एवं बैंक के दीर्घकालिक संसाधनों में सुधार लाने के प्रमुख उद्देश्य से ली गईं और उनका उपयोग भी इन्हीं कार्यों हेतु किया गया.

iv दंड एवं आक्षेप :

गत तीन वर्षों के दौरान बैंक पर किसी भी स्टॉक एक्सचेज, सेबी या अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर कोई अर्थदंड या आक्षेप नहीं लगाया गया है.

एफआईयू-आईएनडी ने, चार माह (दिसंबर 06 से मार्च 07) के संदिग्ध संव्यवहारों के परीक्षण, पता लगाने और रिपोर्ट करने की व्यवस्था स्थापित न कर पाने और इस प्रकार धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 12 में दिये गये दायित्व पूरा न कर पाने पर बैंक पर प्रति माह ₹ 1.00 लाख, कुल मिलाकर ₹ 4.00 लाख का दंड आरोपित करने का प्रस्ताव किया है.

बैंक ने इस आदेश के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील की है और इस आदेश के कार्यान्वयन पर स्थगनादेश प्राप्त कर लिया है.

v गुप्त सूचना नीति

बैंक ने गुप्त सूचना नीति लागू की है. लेखापरीक्षा समिति उक्त नीति के कार्य की आवधिक रूप से समीक्षा करती है. इसके अतिरिक्त, यह भी निर्दिष्ट किया जाता है कि किसी भी कर्मचारी को लेखापरीक्षा समिति से संपर्क करने से रोका नहीं गया है.

vi प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

इसे वार्षिक रिपोर्ट में अलग से दिया गया है.

7. संप्रेषण के साधन

बैंक के तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम फाईनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), फ्री प्रेस जर्नल (अंग्रेजी), नवभारत (हिंदी), नवशक्ति (मराठी) सहित अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए हैं. ये परिणाम बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर भी दर्शाये जाते हैं. इसी प्रकार बैंक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति, संबंधित प्रस्तुति, शेयरधारकों का पैटर्न, तिमाही एवं वार्षिक रिपोर्ट आदि भी बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है.

8. शेयरधारकों की सूचना

8.1 बैंक एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, जिसका प्रधान कार्यालय मुंबई में है. 31 मार्च 2011 को देश के विभिन्न भागों में बैंक के पास 3,016 (एक ओवरसीज़ शाखा सहित) शाखाओं का नेटवर्क था.

8.2 बैंक का शेयर मुम्बई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध हैं तथा उनके स्टॉक स्क्रिप कोड निम्न प्रकार हैं :-

शेयर बाजार, मुम्बई (बीएसई)	532477
राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई)	UNIONBANK-EQ

वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान शेयर बाजारों को 30.4.2011 के पूर्व कर दिया गया है.

बैंक ने समय-समय पर प्रामिसरी नोट (टियर I एवं II पूंजी) के रूप में गैर परिवर्तनीय-बांड जारी किए हैं. 31 मार्च 2011 को तत्संबंधित ब्यौरा निम्नानुसार है :

श्रृंखला	मात्रा (₹ करोड़ में)	आवंटन की तारीख	परिपक्वता तिथि	कूपन दर% (प्र.व.)	आईएसआईएन नं.
VI	250	03.09.2003	03.05.2013	5.95	आईएनई 692A09068
VII	450	08.02.2005	08.05.2015	7.15	आईएनई 692A09076
VIII- फ्लोटिंग	200	23.09.2005	23.04.2012	बेंच+ 55 बीपीएस	आईएनई 692A09092
VIII- नियत	600	23.09.2005	23.04.2015	7.45	आईएनई 692A09084
IX	200	19.05.2006	19.05.2016	8.33	आईएनई 692A09100
X- प्रथम खंड	300	10.10.2006	स्थाई	10 वर्ष तक 9.45 10 वर्ष के उपरांत 9.95	आईएनई 692A09118
X- द्वितीय खंड अपर टीयर -II	750	16.10.2006	16.10.2021	10 वर्ष तक 8.95 10 वर्ष के उपरांत 9.45	आईएनई 692A09126
XI लोअर टीयर - II प्रथम खंड	400	12.12.2007	12 .04.2018	9.35	आईएनई 692A09134
XI द्वितीय खंड - II	200	12.12.2007	स्थाई	10 वर्ष तक 9.90 10 वर्ष के उपरांत 10.40	आईएनई 692A09142
XII स्थाई	200	09.09.2008	स्थाई	10 वर्ष तक 11.15 10 वर्ष के उपरांत 11.65, यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई 692A09159
XII लोअर टीयर II	400	17.09.2008	17.09.2018	10.95	आईएनई 692A09167
XII लोअर टीयर II	200	23.12.2008	23.12.2018	9.50	आईएनई 692A09175*
XII लोअर टीयर II	200	30.12.2008	30.12.2018	8.60	आईएनई 692A09183*
XII स्थाई	140	30.03.2009	स्थाई	10 वर्ष तक 9.10 10 वर्ष के उपरांत 9.60, यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई 692A09191
XIV-ए II स्थाई	200	16.06.2009	स्थाई	10 वर्ष तक 8.85, 10 वर्ष के उपरांत 9.35, यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई 692A09209
XIV-बी अपर टीयर II	500	25.06.2009	15 वर्ष 25.06.2024	10 वर्ष तक 8.65, 10 वर्ष के उपरांत 9.15, यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई 692A09217
XIV-सी अपर टीयर II	500	27.01.2010	15 वर्ष 27.01.2025	10 वर्ष तक 8.55, 10 वर्ष के उपरांत 9.05, यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई 692A09225
XV- ए अपर टीयर II	500	28.06.2010	15 वर्ष 28.06.2025	10 वर्ष तक 8.48 10 वर्ष के उपरांत 8.98, यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई 692A09233
कुल	**6190**				

* अंकित अर्थात आईएनई 692A09175 और आईएनई 692A09183 के अतितिक्त ये सभी बांड राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हैं और बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को 2011-12 के लिए वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान कर दिया है.

8.3 लाभांश

बैंक के निदेशक मंडल ने 06.05.2011 को आयोजित बैठक में वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए 80% अर्थात् ₹ 8/- प्रति शेयर लाभांश की संस्तुति की है.

8.4 वार्षिक साधारण बैठक और वित्तीय कैलेंडर के ब्यौरे

8.4.1 वार्षिक साधारण बैठक के विवरण

लेखों और लाभांश पर विचार विमर्श के लिए बोर्ड की बैठक	6 मई, 2011
वार्षिक साधारण बैठक की तिथि, समय और स्थान	दि.29 जून, 2011 को अपराह्न 3.30 बजे **रामा वाटुमल ऑडिटोरियम**, के.सी.कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुंबई-400 020.
वार्षिक रिपोर्ट एवं वार्षिक साधारण बैठक के नोटिस का प्रेषण	01 जून, 2011 को या उसके पूर्व
बहियों के बंद रहने की तिथि	अंतिम लाभांश का भुगतान करने के लिए 18 जून, 2011 से 29 जून, 2011 (दोनों दिनों को मिलाकर)
लाभांश के भुगतान की तिथि	8 जुलाई, 2011

8.4.2 वित्तीय कैलेंडर

वित्तीय वर्ष 2011-12 के वित्तीय परिणामों की घोषणा की संभावित तिथियां निम्नलिखित हैं :

वित्तीय परिणाम	घोषणा की संभावित तिथि
30 जून, 2011 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	22 जुलाई, 2011
30 सितंबर, 2011 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	21 अक्तूबर, 2011
31 दिसंबर, 2011 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	23 जनवरी, 2012
31 मार्च, 2012 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	08 मई, 2012

8.5 शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशकों की शिकायतों का निवारण

बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी शेयरों का अंतरण उनको प्रस्तुत करने की तिथि से 1 माह के अंदर कर दिया जाए. बैंक ने शेयरों के अंतरण और उनसे संबंधित मामलों पर विचार के लिए बोर्ड की शेयर अंतरण समिति बनाई है.

शेयर अंतरण और निवेशकों संबंधी अन्य समस्त गतिविधियों पर कार्रवाई रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट डाटामेटिक्स फायनांशियल सर्विसेज लि. मुंबई के कार्यालय में संपादित की जाती हैं. शेयरधारक अपने अंतरण विलेख और अन्य दस्तावेज तथा शिकायतें रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं. बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, मुंबई में भी निवेशक सेवाएं प्रभाग स्थापित किया है. शेयरधारक अपनी शिकायतों के लिए कंपनी सेक्रेटरी, निवेशक सेवाएं प्रभाग से संपर्क कर सकते हैं. सूचीकरण करार के खण्ड 47 (एफ) के अनुसार नामित ई-मेल आई डी investorservices@unionbankofindia.com है.

रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट

डाटामेटिक्स फायनांशियल सर्विसेस लि.
प्लॉट नं बी-5 पार्ट बी,
क्रॉस लेन, एमआईडीसी,मरोल, अंधेरी (पूर्व),
मुंबई - 400 093.
फोन -(022) 66712151-60
फैक्स -(022) 66712230
ई-मेल: ubiinvestors@dfssl.com

निवेशक सेवाएं प्रभाग

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
बारहवीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय,
239 विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट,
मुंबई - 400 021.
फोन -(022) 2289 6643/36
फैक्स -(022) 22025238
ई-मेल: investorservices@unionbankofindia.com

बैंक ने अपने वेबसाइट पर निवेशक सेवाएं जैसे ब्यौरे के परिवर्तन, डुप्लीकेट शेयर/लाभांश वारंट के अंतरण/प्रेषण/जारी करने के संबंध में अक्सर पूछे गए प्रश्नों की सूची दी है. इस कार्यप्रणाली और प्रलेखीकरण को आसानी से समझने के लिए इसको देखा जा सकता है.

8.5.1 अन्य सूचनाएं

शेयरधारकों की समस्याओं का समय से जवाब देने के अलावा, बैंक अपनी तरफ से पत्राचार और अन्य उपायों के माध्यम से निवेशकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखता है.

इस साल भेजे गए पत्रों में निम्नलिखित मुद्दों पर जोर दिया गया :

I. छमाही कार्यनिष्पादन

II. अदत्त लाभांशों का दावा करने और बैंक विवरण / लाभांश मेंडेट फॉर्म को अद्यतन करने पर.

8.6 शेयरों का डीमैटीरियलाइजेशन

बैंक के शेयरों का क्रय-विक्रय अनिवार्यत: डीमैट रूप में ही होता है. बैंक ने दोनों डिपोजिटरियों यथा नेशनल सिक्यूरिटीज डिपोजिटरीज लि.(एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) से बैंक के शेयरों को डीमैट करने का करार किया है. बैंक के इक्विटी शेयरों के लिए आबंटित ISIN कोड, **INE 692 A01016** है. अत: यह अनुरोध है कि भौतिक रूप में धारित शेयर धारक अपने हित में अपने शेयरों को डीमैट कराएं, इससे वे शेयर प्रमाणपत्र की अभिरक्षा और शेयर प्रमाणपत्र के खो जाने / खराब हो जाने सरीखी समस्याओं से बच जाएंगे. इसके अलावा यह उन्हें तुरंत तरलता (नकदीकरण) भी प्रदान करेगा, क्योंकि बैंक के शेयर का व्यापार केवल डीमैट के रूप में ही किया जा सकता है. इससे लाभांश भुगतान भी तेजी और आसानी से हो सकेगा. 31.03.2011 को शेयरधारकों द्वारा डीमैट एवं भौतिक रूप में रखे गए शेयरों का विवरण निम्नानुसार है :

	शेयर धारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का%
भौतिक	68,727	3,47,03,032	6.62
डीमैट			
एनएसडीएल	81,177	19,84,89,503	37.86
सीडीएसएल	52,378	29,11,39,880	55.52
कुल	**2,02,282**	**52,43,32,415**	**100.00**

भारत सरकार द्वारा धारित 28,00,00,000 शेयर डीमेट रूप में हैं तथा भारत सरकार को 29.03.2011 को आवंटित 1,92,14,515 शेयरों को 15.04.2011 को डीमेट रूप में परिवर्तित कराया गया था.

इसके अतिरिक्त, सेबी द्वारा जारी परिपत्र के अनुसरण में व्यवसायरत चार्टर्ड एकाउन्टेंट/कंपनी सेक्रेटरी ने भी तिमाही आधार पर सेक्रेटरियल ऑडिट किया. सेक्रेटरियल ऑडिट के दौरान सदस्यों की बही के अद्यतनीकरण / रखरखाव में अथवा डीमैट अनुरोध की प्रासेसिंग में कोई विसंगति नहीं पायी गयी और भौतिक प्रणाली तथा डीमैट प्रणाली में रखी गई पूंजी का निर्गमित पूंजी से मिलान किया गया.

8.7 इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा / यूनियन बैंक के खाते में सीधे जमा

सेबी ने सभी सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा निवेशकों को उन स्थानों पर नेशनल इलैक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस (एनईसीएस) के जरिये लाभांश के वितरण के लिए डिपोजिटरी द्वारा प्रस्तुत बैंक खातों के ब्यौरों का प्रयोग करना अनिवार्य कर दिया है, जहां ईसीएस सेवा उपलब्ध हो. नेशनल इलैक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस न होने पर बैंक निवेशकों को लाभांश वितरण का भुगतान लिखतों के माध्यम से करेगा एवं उपलब्ध होने पर बैंक खाते का विवरण भी मुद्रित करेगा.

उपरोक्त के अलावा, बैंक ने लाभांश की रकम जमा करने के लिए निम्नलिखित तरीका अपनाया है :

ऐसे शेयरधारकों के खाते में सीधे जमा के द्वारा लाभांश का भुगतान करना, जिनके खाते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हैं.

लाभांश मैंडेट फार्म हमारी वेबसाइट **www.unionbankofindia.co.in** पर भी उपलब्ध है और इस वार्षिक रिपोर्ट में भी संलग्न किया गया है.

8.8 बाजार मूल्य, शेयर बाजार में क्रय-विक्रय किए गये शेयरों की मात्रा

माह	बीएसई			एनएसई			बीएसई सेंसेक्स	
	उच्चतम (₹)	न्यूनतम (₹)	मात्रा (संख्या)	उच्चतम (₹)	न्यूनतम (₹)	मात्रा (संख्या)	उच्चतम	न्यूनतम
अप्रैल 10	317.50	292.80	1723716	318.50	292.65	13815383	18047.86	17276.80
मई 10	312.50	275.15	2264349	348.80	275.00	10449859	17536.86	15960.15
जून 10	322.00	280.00	3154174	322.70	279.20	13085658	17919.62	16318.39
जुलाई 10	333.40	308.00	1977519	333.25	309.00	12924159	18237.56	17395.58
अगस्त 10	371.25	308.65	2172296	367.95	318.00	14555350	18475.27	17819.99
सितम्बर 10	392.95	330.00	2825839	393.20	320.95	12162237	20267.98	18027.12
अक्तुबर 10	426.80	372.20	3157070	426.95	372.00	19042967	20854.55	19768.96
नवम्बर 10	399.70	315.00	2772780	399.90	314.05	17717208	21108.64	18954.82
दिसम्बर 10	382.40	301.35	2024775	382.60	303.05	14833534	20552.03	19074.57
जनवरी 11	352.00	304.10	2008355	353.00	309.40	12247272	20664.80	18038.48
फरवरी 11	353.00	300.05	1017719	354.50	300.00	7517756	18690.97	17295.62
मार्च 11	351.50	315.00	1880559	351.80	314.25	12950254	19575.16	17792.17
31/3/2011 को अन्तिम मूल्य	347.45			347.25				
बाजार पूंजीकरण	18217.93 करोड़			18207.44 करोड़				

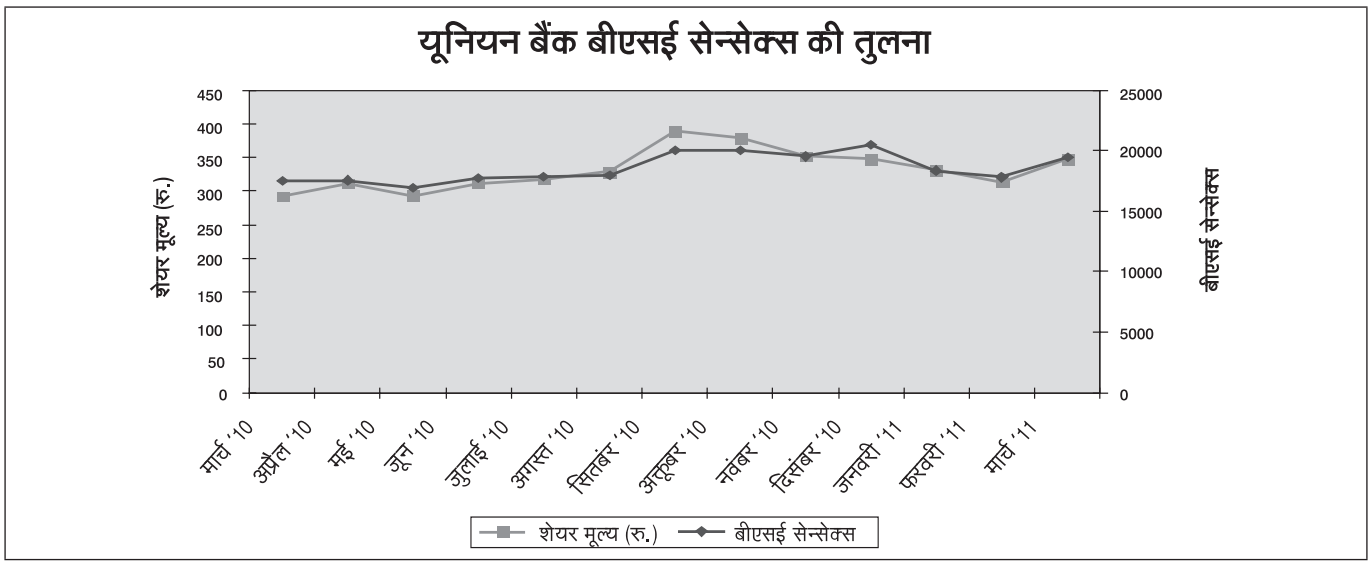

8.9 शेयरधारिता का वितरण

सरकार की शेयरधारिता 29.92 करोड़ शेयरों की है, जो ₹ 524.33 करोड़ की कुल जारी पूंजी में ₹ 299.21 करोड़ है. दिनांक 31.3.2010 तथा 31.3.2011 को शेयरधारिता का वितरण निम्न प्रकार है :-

	यथा 31/03/2010				यथा 31/3/2011			
शेयरधारिता	**शेयरधारकों की संख्या**	**कुल का%**	**शेयरों की संख्या**	**कुल का%**	**शेयरधारकों की संख्या**	**कुल का%**	**शेयरों की संख्या**	**कुल का%**
500 तक	185331	89.30	28611927	5.66	181521	89.74	27088868	5.17
501 से 1000	17733	8.54	11497917	2.28	16534	8.17	10739973	2.05
1001 से 2000	2992	1.44	4065467	0.81	2817	1.39	3845422	0.73
2001 से 3000	556	0.27	1370111	0.27	499	0.25	1226059	0.23
3001 से 4000	182	0.09	642871	0.13	179	0.09	629641	0.12
4001 से 5000	99	0.05	456295	0.09	85	0.04	394206	0.08
5001 से 10000	206	0.10	1485166	0.29	209	0.10	1518444	0.29
10001 एवं ऊपर	433	0.21	456988146	90.47	438	0.22	478889802	91.33
कुल	**207532**	**100.00**	**505117900**	**100.00**	**202282**	**100.00**	**524332415**	**100.00**

बैंक के शेयर का अंकित मूल्य रू.10/- है. बैंक ने भारत सरकार को ₹ 111 करोड़ के स्थायी गैरसंचयी अधिमान शेयर (पी एन सी पी एस) भी जारी किये.

8.10 शेयरधारिता का पैटर्न

दिनांक 31.3.2010 तथा 31.03.2011 को बैंक की शेयरधारिता का पैटर्न निम्नानुसार रहा :-

	यथा 31/3/2010		यथा 31/3/2011	
शेयरधारक की श्रेणी	**धारित शेयरों की संख्या**	**कुल का%**	**धारित शेयरों की संख्या**	**कुल का%**
भारत सरकार	28,00,00,000	55.43	29,92,14,515	57.07
अनिवासी (एफआईआई/ओसीबी/ एनआरआई)	8,81,69,325	17.46	7,90,67,763	15.08
बैंक/वित्तीय संस्थान/बीमा कं.	1,98,10,523	3.92	1,83,13,578	3.49
म्युच्युअल फंड / यूटीआई	4,42,74,751	8.76	4,62,26,261	8.82
देशी कंपनियां/निजी निगमित निकाय/ट्रस्ट	2,32,58,361	4.61	3,45,16,325	6.58
निवासी भारतीय	4,96,04,940	9.82	4,69,93,973	8.96
कुल	**50,51,17,900**	100.00	**52,43,32,415**	100.00

बैंक के 10 शीर्ष शेयरधारकों की सूची

31.03.2011 को शीर्ष 10 शेयरधारकों के नाम इस प्रकार हैं :

क्र.	नाम	शेयरों की संख्या	पूंजी का%
1.	भारत के राष्ट्रपति	29,92,14,515	57.07
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम	1,39,78,290	2.67
3.	एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	99,99,246	1.91
4	वैरिएबल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स फंड III- मिड कैप पोर्टफोलियो	76,99,690	1.47
5.	भारतीय जीवन बीमा निगम मनी प्लस	76,93,580	1.47
6.	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	66,77,400	1.27
7.	फिडेलटी एडवाइजर सीरीज I फिडेलिटी एडवाइजर मिड कैप II फंड	49,10,529	0.93
8.	एलआईसी ऑफ इंडिया मार्केट प्लस -1.	48,28,277	0.92
9.	बजाज एलायंज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि	47,85,952	0.91
10.	मेरिन लिंच कैपिटल मार्केट्स एस्पाना एस.ए.एस.वी	47,66,184	0.91
	कुल	36,45,53,663	69.53

8.11 अदावाकृत/ अदत्त लाभांश

अदत्त लाभांश खाते में लाभांश अंतरित किये जाने की तिथि से 7 वर्ष तक लाभांश की रकम का दावा न किये जाने पर वह रकम निवेशक शिक्षण एवं संरक्षण निधि में अंतरित कर दी जायेगी. इसके बाद खाते में अंतरित उस रकम के लिये बैंक अथवा उक्त निधि के सापेक्ष कोई दावा नहीं किया जा सकेगा. अब तक घोषित लाभांशों तथा विभिन्न लाभांश खातों के सापेक्ष दावा करने की अंतिम तिथि की सूची निम्नानुसार दी गई है:

लाभांश की अवधि	घोषित लाभांश का प्रतिशत	दावा करने की अंतिम तिथि
लाभांश - 2002-03 के लिए	21%	15.10.2013
अंतरिम लाभांश - 2003-04	20%	15.10.2013
अंतिम लाभांश - 2003-04	15%	15.10.2013
अंतरिम लाभांश - 2004-05	20%	15.10.2013
अंतिम लाभांश - 2004-05	15%	15.10.2013
लाभांश - 2005-06 के लिए	35%	15.10.2013
अंतरिम लाभांश - 2006-07	15%	01.02.2014
अंतिम लाभांश - 2006-07	20%	27.07.2014
लाभांश 2007-08 के लिए	40%	08.08.2015
लाभांश 2008-09 के लिए	50%	02.08.2016
लाभांश 2009-10 के लिए	55%	09.08.2017

जिन शेयरधारकों ने अभी तक उपर्युक्त लाभांश प्राप्त नहीं किये हों अथवा उनके दावे न किये हों, उनसे अनुरोध है कि यथाशीघ्र अपना दावा बैंक के निवेशक सेवाएं प्रभाग या रजिस्ट्रार को शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें. इससे संबंधित क्षतिपूर्ति बांड का प्रारूप बैंक की वेबसाइट **(www.unionbankofindia.co.in)** पर भी उपलब्ध है.

8.12 अदावाकृत शेयर

ए. डीमेट रूप में

सूचीकरण करार में हाल ही में हुए संशोधनों अर्थात् खंड 5 ए जुड़ने अर्थात् अदावाकृत शेयरों के लिए एकसमान पद्धति, के अंतर्गत बैंक ने सेबी द्वारा अनुदेशित पद्धति का कार्य पूर्ण करने के बाद मार्च 2010 में एक डीमैट उचंत (सस्पेंस) खाता खोला है. बैंक द्वारा आवेदकों को वर्ष 2006 में बैंक के एफपीओ के समय आबंटित शेयर, जो किन्हीं तकनीकी कारणों से उनके संबंधित डीमैट खातों में जमा न किए गए हों, इस खाते में नियंत्रित किए गए हैं. इस खाते में पड़े शेयरों के विस्तृत विवरण इस प्रकार हैं :

	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
डीमैट उचंत खाते में 01.04.2010 को शेष	261	33,033
वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान अंतरण हेतु संपर्क करने वाले शेयरधारक	15	1,896
वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए	15	1,896
31.03.2011 को डीमैट उचंत खाते में शेष	246	31,137

ऊपर बताए गए 31,137 शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक अवरुद्ध किए गए हैं जब तक इन शेयरों के सही मालिक इनका दावा नहीं करते हैं.

बी) भौतिक रूप में

सूचीकरण करार के वाक्यांश 5ए में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुसार जारीकर्ता भौतिक रुप में जारी अदावाकृत शेयरों के बारे में एक समान प्रक्रिया अपनाएगें.

बैंक के पंजीयक एवं अंतरण एजेंट मेसर्स डाटामैटिक्स फाइनेशियल सर्विसेज़ लि. के पास उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार, 900 शेयरों के ऐसे 7 मामले हैं, जिन्हें वर्ष 2002 में बैंक के आईपीओ के समय भौतिक रुप में शेयर जारी किए गए थे, जो अब तक अदावाकृत हैं. सूचीयन दिशानिर्देशों के अनुसार, जारीकर्ता द्वारा उन शेयरधारकों के बारे में सही जानकारी प्राप्त प्राप्त करने के लिए कम से कम 3 अनुस्मारक जारी किए जाने चाहिए. तीन अनुस्मारक भेजने, इन शेयरों को अदावाकृत उचंत खाते में अंतरित करने, उन्हें डीमैटीरियलाइज़ करने और उनके वोट देने के अधिकार को समाप्त करने के संबंध में निर्धारित दिशानिर्देशों का समुचित अनुपालन किया गया है.

9. सूचीकरण करार की गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति:

क्रमांक	गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाएं	अनुपालन की स्थिति
1[ए]	**निदेशक मंडल** एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के व्यय पर अध्यक्ष-कार्यालय का रखरखाव करने के लिए अधिकारी होता है तथा उसे अपने कर्तव्यपालन के संबंध में किये गये व्ययों की प्रतिपूर्ति की अनुमति होगी.	निदेशक मंडल के अध्यक्ष भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक कार्यपालक निदेशक हैं. अत: यह वाक्य खंड **लागू नहीं होता** है; क्योंकि यह एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा कार्यालय के रखरखाव से संबंधित है.
1[बी]	कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल कुल मिलाकर 9 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता.	राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के खंड 9 के अंतर्गत चुने गये निदेशकों का कार्यकाल 3 वर्ष है और उनको 3 वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए चुना जा सकता है. किंतु ऐसा कोई निदेशक 6 वर्ष से अधिक अवधि तक निदेशक नहीं रहेगा जबकि इस खंड में अनुमत अवधि 9 वर्ष है. अत: इसका अनुपालन हुआ है.
2	**पारिश्रमिक समिति**	भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) के पत्र क्र. एफ सं.20/1/2005-बीओ.1 दिनांक 09 मार्च, 2007 के अनुसार बैंक द्वारा एक पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है; जो बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को देय कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन राशि का निर्धारण करती है. इस समिति में सभी चारों गैर-कार्यपालक निदेशक हैं. अत: इसका अनुपालन हुआ है.
3	**शेयरधारकों के अधिकार** विगत छ: माह की प्रमुख घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की अर्धवार्षिक घोषणा प्रत्येक शेयर धारक को भेजी जाए.	अनुपालन किया गया है.
4	**लेखापरीक्षा में कमियां** कंपनी बिना कमियों वाले वित्तीय विवरणों की दिशा में अग्रसर होना चाहिए.	समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा संबंधी कोई कमी नहीं रही. अत: इसका अनुपालन हुआ है.

5	**बोर्ड के सदस्यों को प्रशिक्षण**	बैंक बोर्ड के सदस्यों को नवीनतम प्रगति से अवगत कराने हेतु विभिन्न आंतरिक प्रस्तुतियों के जरिये नवीनतम जानकारी दे रहा है. आलोच्य वर्ष के दौरान बैंक द्वारा कार्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित विषयों पर बोर्ड ओरिएन्टेशन कार्यक्रम के नाम से निदेशक मंडल के सदस्यों के लिए एक कस्टमाईज्ड प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया. अत: इस अपेक्षा को **पूरा किया गया है**.
6	**गैर कार्यपालक बोर्ड सदस्यों के मूल्यांकन की कार्यप्रणाली**	निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है. अत: यह वाक्यखंड लागू नही होता है.
7	**गुप्त सूचना नीति (Whistle Blower Policy)**	बैंक में जानकारी गुप्त रूप से दिये जाने की नीति लागू है तथा लेखा परीक्षा समिति द्वारा वार्षिक आधार पर इसकी कार्यप्रणाली की समीक्षा की जाती है. अत: इसका अनुपालन हुआ है.

10. आचार संहिता की घोषणा

बोर्ड द्वारा निदेशक मंडल के सभी सदस्यों तथा बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता का निर्धारण किया गया है तथा बैंक की वेबसाइट पर इसे प्रदर्शित भी किया गया है. निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा वर्ष 2010-11 के लिए संहिता के अनुपालन की पुष्टि की गई है.

कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

[एम.वी. नायर]
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई
दिनांक : 06.05.2011

प्रति

निदेशक मंडल
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
मुंबई.

संदर्भ :- लिस्टिंग- करार के खण्ड 49 के तहत प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि

[ए] हमने वर्ष (2010-11) के वित्तीय विवरणों एवं नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :

(i) इन विवरणों में कोई गलत बयानी या भूल-चूक या ऐसा कोई विवरण नही है; जिससे भ्रामक स्थिति पैदा हो.

(ii) ये विवरण बैंक के कार्यों का एक वास्तविक और उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं और इनमें मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों एवं विनियमों का अनुपालन किया गया हैं.

[बी] हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार बैंक द्वारा वर्ष के दौरान ऐसे किसी लेन-देन की प्रविष्टि नहीं की गई है, जो धोखाधड़ीपूर्ण या अवैध हों या जिससे बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन होता हो.

[सी] हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और उसके अनुपालन का दायित्व स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रामाणिकता का मूल्यांकन किया है तथा हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति को आंतरिक नियंत्रण को तैयार करने अथवा उसे व्यवहार में लाने में आने वाली हमें ज्ञात कमियों, जो कोई हों, और उन कमियों को सुधारने के लिए किये गये या प्रस्तावित उपायों की जानकारी दी है.

[डी] हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित की सूचना दी है:

(i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक नियंत्रण में हुए मुख्य परिवर्तन.

(ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में हुए व्यापक परिवर्तन और उनका वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में उल्लेख किया गया है, और

(iii) हमें ज्ञात धोखाधड़ी के सभी प्रमुख मामले, जिनमें यदि प्रबंधन या ऐसा कोई कर्मचारी जुड़ा है; जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है.

कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

[एन.एस. मेहता]
महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी

[एम.वी. नायर]
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई
दिनांक : 6 मई 2011

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यों के लिए

हमने स्टॉक एक्सचेंज के साथ उक्त बैंक के सूचीकरण करार के वाक्यखंड 49 में निर्धारित किए अनुसार 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की स्थिति की जांच की है.

कॉर्पोरेट नियंत्रण संबंधी शर्तो का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है. हमारी जांच कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनायी गयी पद्धतियों और उनके कार्यान्वयन तक सीमित है. यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों के बारे में हमारा अभिमत है.

हम अपनी राय एवं सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए स्पष्टीकरणों के आधार पर प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपर्युक्त सूचीकरण करार में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी शर्तों का अनुपालन किया है.

हमारा कथन है कि शेयरधारक / निवेशक शिकायत समिति द्वारा रखे गये रिकॉर्ड के अनुसार बैंक के विरुद्ध किसी भी निवेशक की शिकायत एक माह से अधिक अवधि के लिए लम्बित नहीं है.

हमारा यह भी कथन है कि उक्त अनुपालन का अभिप्राय बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के प्रति कोई आश्वासन नहीं है और न ही यह बैंक के कार्यकलापों के संचालन में प्रबंधन की कुशलता या प्रभावशीलता के विषय में कोई आश्वासन है.

जी.डी.आप्टे एंड कं.
सनदी लेखाकार

(चेतन आर.सप्रे)
भागीदार(सदस्य क्र.116952)
फर्म पंजी. सं. 100515 डब्ल्यू

कृते जे.एल.सेनगुप्ता एंड कं
सनदी लेखाकार

(एस.आर.अनंतकृष्णन)
भागीदार(सदस्य क्र.18073)
फर्म पंजी. सं. 307092 ई

कृते जगन्नाथन एंड सर्वेश्वरन
सनदी लेखाकार

(पी एस नरसिंहन)
भागीदार(सदस्य क्र.20936)
फर्म पंजी. सं. 001204 एस

कृते ओमप्रकाश एस.चपलोत एंड कं
सनदी लेखाकार

(महावीर चपलोत)
भागीदार(सदस्य क्र.403633)
फर्म पंजी. सं. 000127 सी

कृते अरुण कुमार अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

(विमल कुमार जैन)
भागीदार(सदस्य क्र.86657)
फर्म पंजी. सं. 003917 एन

कृते जी. एस. माथुर एंड कं
सनदी लेखाकार

(राजीव कुमार वधावन)
भागीदार (सदस्य क्र 091007)
फर्म पंजी. सं. 008744 एन

स्थान : मुंबई
दिनांक : 06 मई, 2011

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सदस्यगण,

1. हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 31 मार्च, 2011 के संलग्न वित्तीय विवरणों जिसमें 31 मार्च 2011 के तुलन पत्र तथा उसी तारीख को समाप्त अवधि के संलग्न लाभ-हानि खाते एवं नकदी प्रवाह विवरण और प्रमुख लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं का समावेश है, लेखा परीक्षण किया है, इन वित्तीय विवरणों में हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 20 शाखाओं, तथा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 2385 शाखाओं (एक विदेशी शाखा सहित) के विवरण सम्मिलित है. हमारे द्वारा तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को दिए गए निर्देशों के अनुसार किया गया है. इस तुलन पत्र और लाभ-हानि खाते में उन 611 शाखाओं के विवरणों का भी समावेश है जिनकी लेखापरीक्षा नहीं की गयी है. इन अलेखापरीक्षित शाखाओं का अग्रिम कुल अग्रिम का 0.68%,जमाराशि का 4.21%, ब्याज आय का 0.37% और ब्याज व्यय का 3.13% है.

वित्तीय विवरणों के लिये प्रबंधन का दायित्व

2. इन विवरणो को भारत के बैंकिंग विनियमन अधिनियम,1949 के अनुसार तैयार करवाना प्रबंधन का दायित्व है. इस दायित्व में इन विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण किसी प्रकार की सारवान गलती न होने के लिये इन विवरणों को तैयार करने की डिजाइन बनाने उसके आंतरिक नियंत्रणों का रखरखाव करने का समावेश है.

लेखा परीक्षकों का दायित्व

3. हमारा दायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत प्रकट करना है. हमने अपनी लेखा परीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंस ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है. उन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और अपनी लेखापरीक्षा यह युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिये करते हैं कि वित्तीय विवरणों में किसी प्रकार की सारवान गलती नहीं है.

4. लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया सम्मिलित है. इसके लिये प्रक्रिया का चुनाव, वित्तीय विवरणों में धोखाधडी या त्रुटि के कारण सारवान गलती की जोखिम के आकलन सहित लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित होती है. इस प्रकार के जोखिम आकलन में परिस्थितियों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रिया डिजाइन करने के लिये बैंक द्वारा वित्तीय विवरणों के तैयारी और उचित प्रस्तुतीकरण से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों को ध्यान में रखता है. लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और किये गये लेखांकन अनुमानों की युक्तियुक्तता तता वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी सम्मिलित होता है.

5. हम आश्वस्त हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारे लेखापरीक्षा मत के लिये पर्याप्त हैं और इसके लिये समुचित आधार प्रदान करते हैं.

मत

6. अपने मत को किसी प्रकार हल्का किये बिना हम अनुसूची 18 के नोट क्रमांक 4 पर ध्यान आकृष्ट करते हैं जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिये पेंशन का विकल्प पुन: खोलने पर, लेखा मानक 15 कर्मचारी लाभ के प्रावधान के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जारी परिपत्र (परिपत्र क्र डीबीओडी.बीपी.बीसी/80/21.04.018/2010-11 दिनांक 9 फरवरी, 2011), के अनुसरण में ₹ 1352.17 करोड़ की बैंक की पेंशन देयता आस्थगित करने का वर्णन है.

7. हमारे मत में, जैसा कि बैंक की बहियों में दर्शित है, हमारी सूचना और हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार

   (i) तुलन पत्र और उसके नोट मिलकर सभी आवश्यक विवरण वाला एक संपूर्ण और सही तुलनपत्र है जो भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतो का पालन करते हुए, बैंक के यथा 31 मार्च 2011के कार्यकलापों का सही और उचित चित्र सामने आ सके.

   (ii) लाभ हानि खाता और उसके नोट मिलकर, जिस वर्ष के लेखे हैं उस वर्ष के लाभ का भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतो के अनुरूप सही शेष दर्शाते हैं

   (iii) नकदी प्रवाह विवरण उस तारीख को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह को सही और उचित तरीके से दर्शाते हैं.

अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट :

8. तुलन पत्र और लाभ हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के ए और बी फार्मों में तैयार किए गए हैं

9. ऊपर पैराग्राफ 1 से 5 दर्शायी गयी लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंककारी कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अनुसार और उसमें अपेक्षित प्रकटन की सीमाओं के अधीन

क. हमने वे सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया.

ख. बैंक के लेनदेन जो हमारी जानकारी में आए हैं वे बैंक के अधिकारों के अंतर्गत किए गए हैं.

ग. बैंक के कार्यालय और शाखाओं से प्राप्त प्रविवरण हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त पाए गए

10. हमारे मतानुसार तुलन पत्र, लाभ हानि लेखे और नकदी प्रवाह विवरण, लागू लेखा मानकों के अनुरूप हैं.

जी.डी.आप्टे एंड कं.
सनदी लेखाकार

(चेतन आर.सप्रे)
भागीदार(सदस्य क्र.116952)
फर्म पंजी. सं. 100515 डब्ल्यू

कृते जे.एल.सेनगुप्ता एंड कं
सनदी लेखाकार

(एस.आर.अनंतकृष्णन)
भागीदार(सदस्य क्र.18073)
फर्म पंजी. सं. 307092 ई

कृते जगन्नाथन एंड सर्वेश्वरन
सनदी लेखाकार

(पी एस नरसिंहन)
भागीदार(सदस्य क्र.20936)
फर्म पंजी. सं. 001204 एस

कृते ओमप्रकाश एस.चपलोत एंड कं
सनदी लेखाकार

(महावीर चपलोत)
भागीदार(सदस्य क्र.403633)
फर्म पंजी. सं. 000127 सी

कृते अरुण कुमार अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

(विमल कुमार जैन)
भागीदार(सदस्य क्र.86657)
फर्म पंजी. सं. 003917 एन

कृते जी. एस. माथुर एंड कं
सनदी लेखाकार

(राजीव कुमार वधावन)
भागीदार (सदस्य क्र 091007)
फर्म पंजी. सं. 008744 एन

स्थान : मुंबई
तिथि : 6 मई, 2011

31 मार्च 2011 का तुलन पत्र

राशि हजार रुपयों में

	अनुसूची	31.03.2011	31.03.2010
पूंजी और दायित्व			
पूंजी	01	**6,35,33,24**	5,05,11,79
आरक्षित निधियां	02	**1,21,29,19,02**	99,18,66,29
जमाराशियां	03	**20,24,61,28,53**	17,00,39,74,14
उधार	04	**1,33,15,96,97**	92,15,30,64
अन्य देनदारियां एवं प्रावधान	05	**74,42,66,94**	54,83,01,44
जोड़		**23,59,84,44,70**	**19,51,61,84,30**
आस्तियां			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाशेष	06	**1,76,10,45,32**	1,24,68,24,43
बैंकों में जमाशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन	07	**24,87,99,06**	33,08,44,96
निवेश	08	**5,83,99,13,72**	5,44,03,52,71
अग्रिम	09	**15,09,86,08,32**	11,93,15,29,86
अचल आस्तियां	10	**22,92,78,42**	23,05,43,82
अन्य आस्तियां	11	**42,07,99,86**	33,60,88,52
जोड़		**23,59,84,44,70**	19,51,61,84,30
अनुषंगी दायित्व	12	**15,94,27,81,97**	7,23,38,05,14
संग्रहण के लिए बिल		**52,58,37,22**	45,65,80,31
उल्लेखनीय लेखा नीतियां	17		
खातों से संबंधित नोट	18		

उक्त अनुसूचियां तुलन पत्र का एक अंग हैं.

वी.एच. कामत
सहायक महा प्रबंधक

एन. एस. महेता
महा प्रबंधक

एस. एस. मूंदड़ा
कार्यपालक निदेशक

एस. सी. कालिया
कार्यपालक निदेशक

एम. वी. नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

मीना हेमचंद्र
निदेशक

बी. एम. शर्मा
निदेशक

एन. शंकर
निदेशक

डॉ. गुलफ़ाम मुज़िबी
निदेशक

प्रो. एम. एस. श्रीराम
निदेशक

अरुण कुमार नंदा
निदेशक

एस. रवि
निदेशक

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न है.

जी.डी.आप्टे एंड कं.
सनदी लेखाकार

(चेतन आर.सप्रे)
भागीदार(सदस्य क्र.116952)
फर्म पंजी. सं. 100515 डब्ल्यू

कृते जे.एल.सेनगुप्ता एंड कं
सनदी लेखाकार

(एस.आर.अनंतकृष्णन)
भागीदार(सदस्य क्र.18073)
फर्म पंजी. सं. 307092 ई

कृते जगन्नाथन एंड सर्वेश्वरन
सनदी लेखाकार

(पी एस नरसिंहन)
भागीदार(सदस्य क्र.20936)
फर्म पंजी. सं. 001204 एस

कृते ओमप्रकाश एस.चपलोत एंड कं
सनदी लेखाकार

(महावीर चपलोत)
भागीदार(सदस्य क्र.403633)
फर्म पंजी. सं. 000127 सी

कृते अरुण कुमार अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

(विमल कुमार जैन)
भागीदार(सदस्य क्र.86657)
फर्म पंजी. सं. 003917 एन

कृते जी. एस. माथुर एंड कं
सनदी लेखाकार

(राजीव कुमार वधावन)
भागीदार (सदस्य क्र 091007)
फर्म पंजी. सं. 008744 एन

स्थान : मुंबई
दिनांक : 06 मई, 2011.

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा

राशि हजार रुपयों में

		अनुसूची	31.03.2011	31.03.2010
I.	**आय**			
	अर्जित ब्याज	13	**1,64,52,61,50**	1,33,02,67,91
	अन्य आय	14	**20,38,78,37**	19,74,74,01
	जोड़		**1,84,91,39,87**	1,52,77,41,92
II.	**व्यय**			
	व्यय किया गया ब्याज	15	**1,02,36,41,71**	91,10,26,74
	परिचालन व्यय	16	**39,49,99,71**	25,07,84,75
	प्रावधान और आकस्मिक व्यय		**22,23,03,73**	15,84,38,56
	जोड़		**1,64,09,45,15**	1,32,02,50,05
III.	**वर्ष का शुद्ध लाभ**		**20,81,94,72**	20,74,91,87
	जोड़ें : आगे लाया गया लाभ		**1,63,27**	83,40
	जोड़		**20,83,57,99**	20,75,75,27
IV.	**विनियोजन**			
	कानूनी आरक्षित को अंतरण		**6,25,00,00**	6,25,00,00
	पूंजी आरक्षित को अंतरण		**61,20,07**	1,00,09,05
	राजस्व और अन्य आरक्षित निधियों को अंतरण		**6,22,00,00**	5,72,00,00
	प्रस्तावित लाभांश		**4,19,46,59**	2,77,81,49
	लाभांश कर		**68,59,50**	47,21,46
	विशेष आरक्षित में अंतरण [धारा36(i)(viii)]		**2,82,00,00**	4,52,00,00
	पीएनसीपीएस पर ब्याज हेतु प्रावधान		**5,15,92**	0
	लाभ व हानि लेखे में शेष		**15,91**	1,63,27
	जोड़		**20,83,57,99**	20,75,75,27
	प्रति शेयर अर्जन (बेसिक एवं डायल्यूटेड)		**39.71**	41.08

उक्त अनुसूचियां तुलन पत्र का एक अभिन्न अंग हैं.

वी.एच. कामत	**एन. एस. महेता**	**एस. एस. मूंदड़ा**	**एस. सी. कालिया**	**एम. वी. नायर**
सहायक महा प्रबंधक	महा प्रबंधक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
मीना हेमचंद्र	**बी. एम. शर्मा**	**एन. शंकर**	**डॉ. गुलफ़ाम मुज़िबी**	**प्रो. एम. एस. श्रीराम**
निदेशक	निदेशक	निदेशक	निदेशक	निदेशक
अरुण कुमार नंदा	**एस. रवि**			
निदेशक	निदेशक			

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न है.

जी.डी.आप्टे एंड कं.	**कृते जगन्नाथन एंड सर्वेश्वरन**	**कृते अरुण कुमार अग्रवाल एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
(चेतन आर.सप्रे)	**(पी एस नरसिंहन)**	**(विमल कुमार जैन)**
भागीदार(सदस्य क्र.116952)	भागीदार(सदस्य क्र.20936)	भागीदार(सदस्य क्र.86657)
फर्म पंजी. सं. 100515 डब्ल्यू	फर्म पंजी. सं. 001204 एस	फर्म पंजी. सं. 003917 एन
कृते जे.एल.सेनगुप्ता एंड कं	**कृते ओमप्रकाश एस.चपलोत एंड कं**	**कृते जी. एस. माथुर एंड कं**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
(एस.आर.अनंतकृष्णन)	**(महावीर चपलोत)**	**(राजीव कुमार वधावन)**
भागीदार(सदस्य क्र.18073)	भागीदार(सदस्य क्र.403633)	भागीदार (सदस्य क्र 091007)
फर्म पंजी. सं. 307092 ई	फर्म पंजी. सं. 000127 सी	फर्म पंजी. सं. 008744 एन

स्थान : मुंबई
दिनांक : 06 मई, 2011

31 मार्च 2011, के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

राशि हजार रुपयों में

			31.03.2011		31.03.2010
अनुसूची 1 - पूंजी:					
I.	**प्रधिकृत :**				
	₹10/- प्रति के 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर		**30,00,00,00**		**30,00,00,00**
II.	निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त :				
	i. 29,92,14,515 ईक्विटी शेयर प्रति ₹10/-,केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित (पी.वाई. 28,00,00,000 ईक्विटी शेयर)		**2,99,21,45**		2,80,00,00
	ii. 22,51,17,900 ईक्विटी शेयर प्रति ₹10/-, जनता द्वारा धारित		**2,25,11,79**		2,25,11,79
III.	शाश्वत गैर-संचयी अधिमानी अंश - वर्ष के दौरान वृद्धि		**1,11,00,00**		0
	जोड़		**6,35,33,24**		**5,05,11,79**
अनुसूची 2 - आरक्षित निधियां एवं अधिशेष					
I.	**कानूनी आरक्षित :**				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**32,73,00,00**		26,48,00,00	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**6,25,00,00**	**38,98,00,00**	6,25,00,00	32,73,00,00
II.	**पूंजी आरक्षित :**				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**6,04,31,98**		5,04,22,93	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**61,20,07**	**6,65,52,05**	1,00,09,05	6,04,31,98
III.	**शेयर प्रीमियम**				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**5,32,35,57**		5,32,35,57	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**6,62,78,55**	**11,95,14,12**	0	5,32,35,57
IV.	**पुनर्मूल्यांकन आरक्षित**				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**16,15,96,87**		16,85,97,86	
	वर्ष के दौरान घटाया	**42,12,80**	**15,73,84,07**	70,00,99	16,15,96,87
V.	**राजस्व और अन्य आरक्षित निधियां**				
	i) राजस्व और अन्य आरक्षित :				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**24,15,00,00**		18,43,00,00	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**6,22,00,00**		5,72,00,00	
	जोड़	**30,37,00,00**		24,15,00,00	
	ii) विशेष आरक्षित धारा 36(1)(viii)				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**14,72,00,00**		10,20,00,00	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**2,82,00,00**		4,52,00,00	
	जोड़	**17,54,00,00**		14,72,00,00	
	iii) विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधियां				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**4,38,59**		83,90	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**1,14,28**		3,54,69	
	जोड़	**5,52,87**	**47,96,52,87**	4,38,59	38,91,38,59
VI.	**लाभ व हानि लेखा में शेष**				
	लाभ व हानि लेखा में शेष		**15,91**		1,63,27
	जोड़		**1,21,29,19,02**		99,18,66,29

31 मार्च 2011, के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

राशि हजार रुपयों में

			31.03.2011		31.03.2010
अनुसूची 3 - जमाराशियां					
I.	**मांग जमा**				
	i) बैंकों से	**9,14,81,37**		10,71,32,85	
	ii) अन्य से	**1,87,03,18,45**	**1,96,17,99,82**	1,51,57,89,33	1,62,29,22,18
II.	**बचत बैंक जमाराशियां**		**4,46,89,17,47**		3,77,27,75,32
III.	**मियादी जमाराशियां**				
	i) बैंकों से	**56,36,30,09**		44,72,78,02	
	ii) अन्य से	**13,25,17,81,15**	**3,81,54,11,24**	1,16,09,98,62	1,60,82,76,64
	जोड़		**20,24,61,28,53**		17,00,39,74,14
	भारत में स्थित शाखाओं में जमाराशियां		**20,18,70,35,62**		16,96,69,95,94
	भारत से बाहर स्थित शाखाओं में जमाराशियां		**5,90,92,91**		3,69,78,20
	जोड़		**20,24,61,28,53**		17,00,39,74,14

अनुसूची 4 - उधार					
ए)	**उधार : पूंजी लिखत**				
	I. शाश्वत बांड	**10,40,00,00**		10,40,00,00	
	II. अपर टियर II बांड	**22,50,00,00**		17,50,00,00	
	III. अप्रतिभूत मोचनीय बांड	**29,00,00,00**		33,00,00,00	
बी)	**भारत में उधार**				
	I. भारतीय रिज़र्व बैंक	**2,30,00,00**		0	
	II. अन्य बैंक	**0**		0	
	III. अन्य संस्थाएं एवं अभिकरण	**1,95,72,24**	**66,15,72,24**	1,83,89,12	62,73,89,12
	II. भारत से बाहर उधार		**67,00,24,73**		29,41,41,52
	जोड़		**1,33,15,96,97**		92,15,30,64
	उक्त I एवं II में शामिल प्रतिभूत उधार		**1,35,01,05**		2,82,10

अनुसूची 5 - अन्य देयताएं एवं प्रावधान			
I. देय बिल	**16,46,65,46**		17,96,90,08
II. उपचित ब्याज	**6,15,78,06**		5,25,68,56
III. आस्थगित कर देयताएं	**34,06,51**		0
IV. अन्य (प्रावधानों सहित)	**51,46,16,91**		31,60,42,80
जोड़	**74,42,66,94**		54,83,01,44

अनुसूची 6 - नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाशेष			
I. धारित नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं)	**4,01,95,79**		3,92,61,47
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ जमाशेष चालू खाते में	**1,72,08,49,53**		1,20,75,62,95
जोड़	**1,76,10,45,32**		1,24,68,24,42

31 मार्च 2011, के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

राशि हजार रुपयों में

			31.03.2011		31.03.2010
अनुसूची 7 - बैंकों में जमाशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन					
I.	**भारत में बैंकों के पास जमाशेष**				
i)	ए) चालू खातों में	**2,18,38,38**		3,85,63,10	
	बी) अन्य जमा खातों में	**4,35,00,00**		7,07,50,00	
ii)	मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य धन				
	- बैंकों के साथ	**0**		5,75,00,00	
	- अन्य संस्थाओं के साथ	**0**		75,00,00	
	- सीबीएलओ के साथ	**0**	**6,53,38,38**	8,99,43,55	26,42,56,65
II.	**भारत के बाहर**				
i)	चालू खातों में	**1,12,47,67**		82,91,77	
ii)	अन्य जमा खातों में	**17,22,13,01**	**18,34,60,68**	5,82,96,54	6,65,88,31
iii)	मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य धन	**0**	**0**	0	0
	जोड़		**24,87,99,06**		33,08,44,96
अनुसूची 8 - निवेश					
I.	**भारत में निवेश**				
i)	सरकारी प्रतिभूतियों में		**4,64,06,05,74**		4,26,52,85,46
ii)	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में		**94,42,61**		1,76,30,99
iii)	शेयर		**7,43,69,91**		6,82,25,67
iv)	डिबेंचर एवं बांड		**32,08,59,69**		34,95,01,08
v)	सहायक एवं संयुक्त उद्यम		**1,32,63,19**		67,63,19
vi)	अन्य				
	- वाणिज्यिक पत्र	**5,84,79,03**		4,15,54,97	
	- जमाराशि प्रमाणपत्र	**42,56,50,84**		45,93,20,39	
	- पारस्परिक निधि	**3,69,73,74**		4,05,22,66	
	- आर आई डी एफ	**24,97,68,66**		19,04,77,69	
	- आर्सिल की प्रतिभूति रसीद	**40,97,19**	**77,49,69,46**	5,88,55	73,24,64,26
	जोड़		**5,83,35,10,60**		5,43,98,70,65
II.	**भारत के बाहर निवेश**				
i)	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जारी सहित)		**63,83,23**		4,62,17
ii)	शेयर		**19,89**		19,89
	जोड़		**64,03,12**		4,82,06
	जोड़		**5,83,99,13,72**		5,44,03,52,71
II.	**i) भारत में निवेश**				
	सकल मूल्य		**5,84,40,74,51**		5,44,78,19,52
	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		**1,05,63,90**		79,48,87
	शुद्ध मूल्य		**5,83,35,10,61**		5,43,98,70,65
ii)	भारत के बाहर निवेश				
	सकल मूल्य / शुद्ध मूल्य		**64,03,11**		4,82,06
	जोड़		**5,83,99,13,72**		5,44,03,52,71

31 मार्च 2011, के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

राशि हजार रुपयों में

			31.03.2011		31.03.2010	
अनुसूची 9 - अग्रिम						
I.	i)	खरीदे और भुनाए गए बिल	**64,51,53,60**		47,61,93,40	
	ii)	नकद साख, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय ऋण	**7,96,27,50,98**		6,23,71,18,00	
	iii)	मीयादी ऋण	**6,49,07,03,74**		5,21,82,18,46	
		जोड़	**15,09,86,08,32**		11,93,15,29,86	
II.	i)	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के पेटे अग्रिमों सहित)	**11,30,92,24,73**		8,84,39,17,52	
	ii)	बैंक / सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित	**58,70,06,90**		41,05,41,85	
	iii)	अप्रतिभूत	**3,20,23,76,69**		2,67,70,70,49	
		जोड़	**15,09,86,08,32**		11,93,15,29,86	
A.		**भारत में अग्रिम**				
	i)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	**4,83,78,76,27**		4,18,09,72,10	
	ii)	सार्वजनिक क्षेत्र	**1,37,24,52,67**		70,79,63,28	
	iii)	बैंक	**87,53,49,96**		26,12,18,72	
	iv)	अन्य	**7,41,87,78,77**		6,48,37,14,82	
		जोड़ - ए	**14,50,44,57,67**		11,63,38,68,92	
B.		**भारत से बाहर अग्रिम**				
	i)	अन्यों से देय				
		a) खरीदे एवं भुनाए गए बिल	**1,60,88,74**		1,42,45,53	
		b) सिंडिकेट ऋण	**57,68,32,67**		28,23,77,6	
		c) अन्य	**12,29,24**		10,37,77	
		जोड़ - बी	**59,41,50,65**		29,76,60,94	
		जोड़ - (ए + बी)	**15,09,86,08,32**		11,93,15,29,86	

अनुसूची10 - अचल आस्तियां

ए.	**मूर्त आस्तियां**					
I.	**परिसर**					
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर	**21,14,90,84**		21,12,18,30		
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**14,09,19**		2,72,54		
		21,29,00,03		21,14,90,84		
	घटाएं : आज की तारीख तक मूल्य ह्रास	**3,86,17,94**	**17,42,82,09**	3,34,81,30		17,80,09,54
II.	**प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य**					
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	**9,96,23**		7,85,65		
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**4,82,79**		3,31,51		
	वर्ष के दौरान कमी	**1,20,87**	**13,58,15**	1,20,93		9,96,23
III.	**भूमि**					
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	**13,52,04**		13,52,04		
		13,52,04		13,52,04		
	घटाएं : आज की तारीख तक मूल्य ह्रास	**2,22,60**	**11,29,44**	2,15,09		11,36,95

31 मार्च 2011, के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

राशि हजार रुपयों में

			31.03.2011		31.03.2010
IV.	**अन्य अचल आस्तियां**				
	(फर्नीचर एवं फिक्सचर्स सहित)				
	ए) पट्टे पर दी गई आस्तियां				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	**31,04,77**		31,04,77	
	घटाएं : आज की तारीख तक मूल्य ह्रास	**31,04,77**		31,04,77	
		0		0	
	बी) अन्य				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर	**12,20,00,15**		10,37,70,97	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**1,62,83,13**		1,95,34,16	
		13,82,83,28		12,33,05,13	
	वर्ष के दौरान कमी	**44,47,09**		13,04,98	
		13,38,36,19		12,20,00,15	
	घटाएं : आज की तारीख तक मूल्य ह्रास	**8,26,91,49**		7,33,49,15	
		5,11,44,70	**5,11,44,70**	4,86,51,00	4,86,51,00
बी.	**अमूर्त आस्तियां**				
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	**76,45,64**		72,12,65	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**10,02,60**		4,32,99	
		86,48,24		76,45,64	
	आज की तारीख तक परिशोधन	**72,84,20**	**13,64,04**	58,95,54	17,50,10
	जोड़		**22,92,78,42**		23,05,43,82

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां :					
I.	अंतर-कार्यालयीन समायोजन (निवल)		**6,36,68,34**		7,63,80,26
II.	उपचित ब्याज		**12,43,35,93**		10,36,88,12
III.	संदत्त/स्रोत पर काटा गया ब्याज (प्रावधानों के समायोजन के बाद)		**-4,19,55,47**		4,26,14,36
IV.	लेखन सामग्री और स्टैंप		**8,54,91**		10,04,33
V.	दावों के समाधान से अर्जित गैर बैंककारी आस्तियां		**3,90**		3,90
VI.	आस्थगित कर आस्तियां		**0**		32,38,48
VII.	अन्य		**27,38,92,25**		10,91,59,07
	जोड़		**42,07,99,86**		33,60,88,52
अनुसूची12 - अनुषंगी दायित्व					
I.	बैंक के विरुद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किया गया है		**12,47,99,00**		8,40,16,54
II.	अंशत: संदत्त निवेशों के लिए देयताएं		**59,20**		59,20
III.	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं		**13,32,27,01,83**		5,14,14,08,52
IV.	संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां				
	i) भारत में	**1,31,39,09,08**		1,10,21,30,40	
	ii) भारत के बाहर	**92,98,73**	**1,32,32,07,81**	1,95,25,42	1,12,16,55,82
V.	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं		**1,13,93,82,57**		86,61,54,85
VI.	अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रुप से उत्तरदायी है				
	i) अपील के अधीन विवादास्पद कर मांग	**3,16,94,00**		1,98,00,00	
	ii) अन्य	**9,37,56**	**3,26,31,56**	7,10,21	2,05,10,21
	जोड़		**15,94,27,81,97**		7,23,38,05,14

31 मार्च 2011 के लाभ एवं हानि लेखा के भाग के रूप में अनुसूचियां

राशि हजार रुपयों में

	31.3.2011	31.3.2010
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज		
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा	**1,20,31,24,06**	96,96,35,35
II. निवेशों पर आय	**40,02,67,64**	34,82,30,36
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के जमाशेषों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	**1,61,09,62**	55,33,26
IV. अन्य	**2,57,60,18**	68,68,94
जोड़	**1,64,52,61,50**	1,33,02,67,91
अनुसूची14 - अन्य आय		
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	**3,64,93,97**	3,51,76,46
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ - निवल	**4,64,38,49**	5,72,78,31
III. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ - निवल	**-35,91**	-64,12
IV. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ - निवल	**4,29,01,34**	3,22,67,58
V. विविध आय	**7,80,80,48**	7,28,15,78
जोड़	**20,38,78,37**	19,74,74,01
अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज		
I. जमाराशियों पर ब्याज	**95,37,94,00**	85,27,76,59
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	**1,13,44,43**	1,01,02,48
III. अन्य	**5,85,03,28**	4,81,47,66
जोड़	**1,02,36,41,71**	91,10,26,73
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय		
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	**25,99,68,95**	13,54,49,88
II. किराया, कर और प्रकाश	**2,35,21,09**	2,05,48,82
III. मुद्रण और लेखनसामग्री	**33,62,90**	32,14,07
IV. विज्ञापन एवं प्रचार	**94,07,76**	38,98,42
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास	**1,55,65,93**	1,60,14,28
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते एवं व्यय	**1,03,12**	90,69
VII. प्रबंध / कार्यपालक निदेशक को पारिश्रमिक	**56,33**	48,94
VIII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	**21,39,00**	27,45,38
IX. विधि प्रभार	**10,29,57**	11,19,71
X. डाक खर्च, तार और टेलीफोन आदि	**43,29,75**	58,23,03
XI. मरम्मत एवं अनुरक्षण	**56,03,27**	50,12,53
XII. बीमा	**1,75,86,10**	1,61,26,13
XIII. अन्य व्यय	**5,23,25,94**	4,06,92,87
जोड़	**39,49,99,71**	25,07,84,75

वर्ष 2010-2011 के लेखा की अनुसूचियां

अनुसूची 17-प्रमुख लेखा नीतियां:

1. परंपरागत लेखा प्रणाली:

संलग्न वित्तीय विवरण, जब तक कुछ अन्यथा न कहा गया हो, लाभ अर्जन करने वाले कारोबार सिद्धांत और परंपरागत लागत के आधार पर तथा सांविधिक प्रावधानों तथा भारत में प्रचलित सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन पद्धतियों के अनुरुप तैयार किए गए हैं.

2. राजस्व की पहचान:

i) अन्यथा उल्लेखित न हो तब तक, आय और व्यय की गणना सामान्यत: उपचय आधार पर की गई है.

ii) गैर निष्पादित अग्रिमों(एनपीए) पर आय की पहचान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली की गई सीमा तक की गई है.वर्ष के दौरान एनपीए के रुप में वर्गीकृत अग्रिमों के मामलों में विगत वर्ष लेखों में शामिल की गई तथा वसूली के लिए शेष रही आय को अमान्य किया गया है.

iii) अर्जित कमीशन, विनिमय एवं ब्रोकरेज, सुरक्षित जमा लॉकरों का किराया और बॉयोमैट्रिक्स कार्ड पर कमीशन प्राप्ति के बाद ही लेखांकित किए गए हैं.

3. निवेश :

i) बैंकिंग विनिमयन अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची के प्रारुप ए की अपेक्षाओं के अनुरुप निवेशों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :

ए) सरकारी प्रतिभूतियां

बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां

सी) शेयर

डी) ऋणपत्र एवं बांड

ई) अनुषंगी ईकाइयों एवं संयुक्त उपक्रम एवं

एफ) अन्य निवेश

बैंक के निवेश पोर्टफोलियो को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अधीन पुन: निम्नलिखित 3 संवर्गों अर्थात्

ए) परिपक्वता तक धारित(एचटीएम),

बी) बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) और

सी) व्यापार के लिए धारित (एचएफटी) में वर्गीकृत किया गया है.

ii) मूल्यांकन के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित सिद्धांत अपनाए गए हैं :

ए) i) "परिपक्वता तक धारित" में निवेश की गई प्रतिभूतियां - अधिग्रहण लागत पर. अंकित मूल्य से सम मूल्य से अधिक अधिग्रहण लागत, परिपक्वता की शेष अवधि पर परिशोधित है.

ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है.

iii) अनुषंगी ईकाइयों एवं संयुक्त उपक्रम में निवेश संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है.

ऐसे निवेशों के मूल्यांकन में स्थायी ह्रास, यदि कोई है, का प्रावधान कर दिया गया है.

बी) i) "बिक्री के लिए उपलब्ध" एवं "व्यापार के लिए धारित" श्रेणी में धारित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन वर्गवार एवं स्क्रिपवार किया गया है और प्रत्येक वर्गीकरण में शुद्ध ह्रास, यदि कोई हो, तो उसे लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है, जबकि शुद्ध वृद्धि, यदि कोई हो, तो उसको अनदेखा किया जाता है.

ii) प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है :

i.	भारत सरकार की प्रतिभूतियां	फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंव डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (एफआईएमएमडीए) द्वारा प्रसारित भावों के अनुसार
ii.	राज्य विकास ऋण केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा गारटीकृत प्रतिभूतियां, पी एस यू बांड,	फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एवं डेरिवेटिव एसोसिएशन (एफ आई एम एम डी ए) के अनुसार समुचित परिपक्वता आधार के लाभ पर
iii.	इक्विटी शेयर	यदि उपलब्ध हो तो बाज़ार मूल्य पर अन्यथा अद्यतन तुलन पत्र के अनुसार बही मूल्य पर, (यदि अद्यतन तुलन-पत्र एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं) . दोनों नहीं होने पर रू.1/- प्रति कपनी के अनुसार
iv.	अधिमानी शेयर	यदि उल्लेखित हो तो, बाजार मूल्य पर या एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशानुसार समुचित परिपक्वता आधार के लाभ पर लेकिन शोधन मूल्य से अधिक नहीं
v.	डिबेंचर / बांड	बाजार मूल्य पर, यदि उल्लेखित हो, अन्यथा एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशानुसार समुचित परिपक्वता आधार के लाभ पर
vi.	म्युचुअल फंड	स्टॉक एक्सचेंज द्वारा बताई गई दरों के अनुसार, यदि बताई गई हों. यदि दरें बताई न गई हों, तो म्युचुअल फंड द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य के अनुसार. यदि नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य घोषित न किया गया हो, तो शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) के अनुसार.
vii.	राजकोषीय बिल/वाणिज्यिक पत्र/जमा प्रमाणपत्र	संवहन लागत पर
viii.	जोखिम पूंजी निधियां	घोषित एनएवी पर अथवा लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार विश्लेषित एनएवी पर जो कि 18 माह से अधिक पुरानी न हो यदि एनएवी/ लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण लगातार 18 माह से अधिक के उपलब्ध न हो तो रू.1/-प्रति वीसीएफ पर
ix.	प्रतिभूति रसीदें	प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा घोषित एनएवी पर

iii) अंतर बैंक रेपो / रिवर्स रेपो लेनदेन की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देश के अनुसार की गई है.

iv) भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में प्रतिभूतियों की शिफ्टिंग निम्नानुसार की जाती है :

- विक्रय के लिये उपलब्ध/ट्रेडिंग के लिये धारित श्रेणी से परिपक्वता तक धारित, शिफ्टिंग की तारीख के बाजार मूल्य या बही मूल्य, दोनों में जो भी कम हो. यदि कोई मूल्यह्रास हो तो उसका पूरा प्रावधान किया जाय
- परिपक्वता तक धारित श्रेणी से विक्रय के लिये उपलब्ध/ट्रेडिंग के लिये धारित श्रेणी में
- यदि परिपक्वता तक धारित श्रेणी में प्रतिभूति मूलत: डिस्काउंट पर हो तो, अधिग्रहण लागत /बही मूल्य पर
- यदि प्रतिभूति मूलत: प्रीमियम पर हो, तो परिशोधित लागत पर

इस प्रकार शिफ्ट की गयी प्रतिभूतियों का तुरत पुनर्मूल्यांकन किया जाय और इसके परिणामस्वरूप मूल्य में होने वाली कमी के लिये पूरा प्रावधान किया जाय.

- विक्रय के लिये उपलब्ध से ट्रेडिंग के लिये धारित श्रेणी में या इसके विपरीत, बही मूल्य पर

v) गैर निष्पादक निवेश की पहचान की जाती है और भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यह्रास/प्रावधान किया जाता है.

vi) किसी भी श्रेणी के निवेश के विक्रय से होने वाली लाभ/हानि, लाभ और हानि खाते में लिखी जाती है.लेकिन परिपक्वता तक धारित श्रेणी के निवेश के विक्रय से होने वाले लाभ के बराबर राशि (कर घटाकर और सांविधक आरक्षित को अंतरित राशि घटाकर) पूंजी आरक्षित खाते में विनियोग की जाती है.

viii) कमीशन, दलाली, प्रतिभूतियों पर बीच की अवधि की ब्याज आदि लाभ और हानि खाते को जमा/नामे की जाती है.

viii) भारिबैं के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक निवेश संव्यवहारों के लेखांकन निपटान तारीख के हिसाब से करता है

डेरिवेटिव संविदा

i) वित्तीय विवरण में ब्याज वहन करने वाली आस्ति अथवा देयता को संरक्षण देने वाली ब्याज दर स्वैप उपचित आधार पर लगाया गया है. सिवाय उन स्वैप नामित आस्तियों और देयताओं के, जिन्हें लागत अथवा बाजार मूल्य, दोनों में जो कम हो, अथवा बाजार मूल्य पर लिया गया है. स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि का स्वैप की शेष संविदा अवधि अथवा आस्ति या देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के अनुसार निर्धारित किया गया है.

ii) ट्रेडिंग स्वैप संव्यवहार वित्तीय विवरण में दर्ज परिवर्तनों के साथ मार्क-टू-मार्केट आधार पर संपन्न किए जाते हैं :

iii) विकल्प संविदाओं के मामले में फेडाई द्वारा समय समय पर आय की पहचान, प्रीमियम और बट्टे के बारे में जारी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है.

4. अग्रिम :

i) सभी अग्रिमों को 4 श्रेणियों (ए) मानक, (बी) अवमानक, (सी) संदिग्ध तथा (डी) हानिकारक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा ऐसे अग्रिमों पर हानि के लिए आवश्यक प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विद्यमान विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार सुनिश्चित किया गया है.

ii) मानक अग्रिमों के कुछ संवर्ग यथा उपभोक्ता वस्तुओं के लिए ऋण, शैक्षिक ऋण, क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण और अन्य वैयक्तिक ऋणों के लिए सांविधिक अपेक्षा से 2% अधिक राशि का प्रावधान किया गया है.

iii) अग्रिम की राशि प्रावधानों तथा विविध खातों में रखे गए अप्राप्त ब्याज और गैर-निष्पादित आस्तियों से संबंधित सीजीटीएफ/ईसीजीसी से प्राप्त दावे की राशि कम करके बताई गई है. मानक अग्रिमों पर प्रावधान "अन्य देयताएं एवं प्रावधान" में किया गया है.

5. अस्थिर(फ्लोटिंग) प्रावधान

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक में विद्यमान फ्लेटिंग प्रावधान के अलावा अग्रिमों के फ्लोटिंग प्रावधानों के रूप में प्रतिवर्ष कुल एनपीए का न्यूनतम 1% उस समय तक अलग रखने की अनुमोदित नीति है, जब तक कि कुल एनपीए का कवरेज 100% तक नहीं हो जाता.

6. अचल आस्तियां

i) अचल आस्तियां परंपरागत लागत पर उल्लेखित की गई हैं, जब कि भूमि और भवन पुनर्मूल्यांकित रकम पर उल्लेखित है.

ii) सॉफ्टवेयर सिस्टम को अमूर्त आस्तियों के रूप में पूंजीकृत किया गया है.

iii) अचल आस्तियों के मूल्यह्रास का प्रावधान ह्रासित शेष प्रणाली के अनुसार प्रबंधन द्वारा उचित समझी गयी निम्नांकित दर पर किया गया

आस्तियों का प्रकार		मूल्य ह्रास की दर
i)	परिसर	5%
ii)	अन्य अचल आस्तियां - फर्नीचर और फिटिंग्स - इलेक्ट्रिक फिटिंग और उपस्कर, कार्यालय उपकरण, एसडीवी/लॉकर्स/स्ट्रांग रूम आदि - परिवहन वाहन - यू.पी.एस.	 10% 15% 20% 33.33%
iii)	आस्तियों के पुनर्मूल्याकन के परिणामस्वरूप जोड़ी गयी राशि पर	संबंधित आस्ति के आर्थिक अवशिष्ट काल के आधार पर्

iv) कम्प्यूटरों एवं सॉफ्टवेयर सिस्टम पर मूल्यह्रास 33.33% की दर से सीधी रेखा प्रणाली के आधार पर लगाया गया है.

v) 30 सितंबर तक आस्तियों के परिवर्द्धन पर मूल्यह्रास पूर्ण दर से और उसके बाद हुए परिवर्द्धन पर आधे दर से लगाया गया है.

vi) भूमि और भवन का मूल्य अलग-अलग पता न लगा पाने पर परिसर पर मूल्यह्रास संमिश्र लागत पर लगाया गया है.

vii) वर्ष के दौरान बेची/निपटान की गईं आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान नहीं किया गया है.

viii) पट्टे पर ली गयी भूमि का पट्टे की अवधि पर परिशोधन किया गया है.

7. विदेशी विनिमय वाले लेनदेन

विदेशी मुद्रा स्थिति का पुनर्मूल्यांकन तथा इनसे हुई लाभ - हानियों का लेखांकन

i) वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर मौद्रिक आस्तियों एवं देयताओं का पुनर्मूल्यन किया गया है और परिणामी लाभ / हानि को लाभ और हानि खाते में लिया गया है.

ii) आय एवं व्यय मदों को लेनदेन की तारीख पर विद्यमान विनिमय दरों पर अभिलिखित किया गया है.

iii) वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं को वायदा की तारीख पर विद्यमान विनिमय दर पर अभिलिखित किया गया है. फेडाई द्वारा विनिर्दिष्ट परिपक्वताओं और मध्यवर्ती परिपक्वताओं के संविदा के लिए इंटरपोलेटेड दर के अनुसार बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया है और परिणामी लाभ-हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया गया है.

iv) गारंटी, स्वीकरण, परांकन एवं अन्य बाध्यताओं के कारण आकस्मिक देयताएं वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दर के आधार पर दर्शायी गयी है.

v) भारत से बाहर बैंक के प्रतिनिधि कार्यालयों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एकीकृत परिचालन माना गया है.

8. गैर-एकीकृत विदेशी परिचालन के संबंध में लेखांकन :

अपतटीय बैंकिंग ईकाइयों (ओबीयू) एवं विदेशी शाखा का वर्गीकरण गैर-एकीकृत विदेशी परिचालन के रूप में किया गया है.

ए) अपतटीय बैंकिंग ईकाई (ओबीयू)एवं विदेशी शाखा

i) आस्तियों एवं देयताओं (मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक तथा आकस्मिक देयताओं सहित) को फेडाई द्वारा वर्ष की समाप्ति पर अधिसूचित बंद दरों पर दर्शाया गया है.

ii) आय एवं व्ययों को संबंधित तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित तिमाही औसत बंद दर पर परिवर्तित किया गया है.

iii) सभी परिणामी विनिमय अंतरों को एक अलग खाते विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित में संचित रखा गया है.

बी) विदेशी शाखा

i) **आय पहचान :** आय एवं व्यय की पहचान / लेखांकन संबंधित देशों के स्थानीय कानूनों के अनुसार किए गए हैं.

ii) **आस्ति वर्गीकरण और ऋण हानि का प्रावधान :** आस्ति वर्गीकरण और ऋण हानि के प्रावधान स्थानीय अपेक्षाओं या भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों, जो सुसंगत हों, के अनुसार किए गए हैं.

iii) अचल आस्तियां और मूल्यह्रास

ए) अचल आस्तियों का लेखांकन परंपरागत लागत पर किया गया है.

बी) विदेशी शाखा की अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देशों में लागू कानूनों के अनुसार किया गया है.

9. कर्मचारी लाभ :

ग्रेच्युटी निधि एवं पेंशन निधि को वार्षिक अंशदान तथा अवकाश नकदीकरण का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है और भविष्य निधि में अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है. वर्ष के दौरान शुद्ध बीमांकिक लाभों एवं हानियों की पहचान की गयी है.

10. कर निर्धारण

चालू एवं आस्थगित दोनों करों के लिए करों का प्रावधान किया जाता है. कर योग्य आय पर वर्तमान कर दर एवं कर नियमों के अनुसार प्रावधान किया जाता है. समय अंतराल के कारण उत्पन्न आस्तियों एवं आस्थगित कर देयताओं जिन्हें आगामी अवधियों में रिवर्स किया जाना है, की पहचान तुलन पत्र की तारीख तक लागू की गयी कर दरों एवं बनाए जा चुके कर नियमों के अनुसार की गयी है. आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण तब तक नहीं किया जाता है जब तक कि यह समुचित निश्चितता न हो कि ऐसी पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके पेटे ऐसे आस्थगित कर आस्तियों की उगाही की जाएगी. अनवशोषित मूल्यह्रास और कर-हानियों को अग्रेषित करने की स्थिति में "वास्तविक निश्चितता" उपलब्ध होने पर ही आस्थगित कर आस्तियों का अभिनिर्धारण किया जाता है.

11. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां :

पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप सृजित वर्तमान देयताओं के लिए परिमाणन के प्राक्कलन के ठोस स्तर वाले प्रावधानों का अभिनिर्धारण किया जाता है. यह संभव है कि संसाधनों का बहिर्वाह होगा तथा देयता की रकम का वास्तविक अनुमान किया जा सकेगा. वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों की न तो पहचान की गयी है न ही उन्हें उद्घाटित किया गया है. आकस्मिक देयताओं का प्रावधान नहीं किया गया है तथा टिप्पणियों के माध्यम से उन्हें उद्घाटित किया गया है.

अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स

1. बहियों का मिलान, अंतर शाखा/बैंक लेनदेनों का समाधान :

i) कुछ मामलों को छोड़कर विदेशी और अन्य बैंकों के साथ शेष की पुष्टि / समाधान सामान्यतया प्राप्त किया गया है / जाता है.

ii) उचंत खाता, विविध जमा, समाशोधन समायोजन, बैंक समाधान विवरण और विभिन्न अंतर-शाखा /कार्यालय खातों में बकाया प्रविष्टियों के समायोजन का काम जारी है. शाखाओं द्वारा रखे जाने वाले केन्द्रीय कार्यालय लेखा का समाधान 31 मार्च 2011 तक पूरा कर लिया गया है.

iii) उपर्युक्त 1 और 2 में यदि कोई अंतिम समाधान लंबित है तो प्रबंधन के विचार से उसका लेखों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

2. निवेश :

I. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, ₹ 61.20 करोड़ की राशि (पिछले वर्ष के लिए ₹ 100.09 करोड़) को "परिपक्वता के लिए धारित" संवर्ग की प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ के बराबर राशि "पूंजी आरक्षित निधि" खाता में अंतरित की गई है.

II. "परिपक्वता के लिए धारित" संवर्ग के संबंध में महत्वपूर्ण लेखा नीति क्र. 3(ii) (ए), में उल्लेख के अनुसार वर्ष के दौरान परिशोधित प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य पर अर्जन लागत का आधिक्य ₹ 79.06 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 96.21 करोड़) राशि रही है.

III. शेयर, परिवर्तनीय डिबेंचर्स तथा इक्विटी संबद्ध म्युचुअल फंड/ वेंचर्स कैपिटल फंड की यूनिटों में किया गया निवेश और शेयर के पेटे अग्रिम कुल ₹ 1362.33 करोड़ रहा (पिछले वर्ष ₹ 1289.39 करोड़ था).

3. अचल आस्तियां :

बैंक द्वारा धारित ₹ 6.50 करोड़ ह्रासित मूल्य की 5 अचल संपत्तियों के विषय में दस्तावेजीकरण औपचारिकताएं पूरी की जानी हैं, जिनके विषय में कार्रवाई की गई है (विगत वर्ष में ₹ 6.84 करोड़). भूमि और भवन का पुनर्मल्यांकन उचित बाजार मूल्य पर एक अनुमोदित मूल्यांकक द्वारा दिनांक 31.03.1995 को किया गया था, जिसे 30 नवंबर 2007 को अनुमोदित मूल्यांककों द्वारा उचित बाजार मूल्य पर फिर से पुनर्मूल्यांकित किया गया था. इन पुनर्मूल्यांकनों से हुई मूल्य में वृद्धि अर्थात् दिनांक 31.03.1995 के अनुसार ₹ 456.59 करोड़ की रकम और 30.11.2007 के अनुसार रु1290.68 करोड़ की रकम को पुनर्मूल्यांकन आरक्षिती में जमा किया गया है और उस पर आरोपित ₹ 42.06 करोड़ के मूल्यह्रास (पिछले वर्ष ₹ 69.94 करोड़) को उसमें से घटाया गया है.

4. टायर I तथा टायर II पूंजी के रुप में अर्जित निधि :

वर्ष के दौरान बैंक ने स्थायी बांडों के जरिए ₹ 500 करोड़ (पिछले वर्ष अपर टायर II बांडों के जरिए ₹ 200 करोड़ और शाश्वत बांडों के जरिए 240 करोड़ और गौड़ बांडों के जरिए ₹ 1000 करोड़) टायर II पूंजी के लिए अतिरिक्त निधियों का निर्माण किया है और इस राशि को तुलन पत्र की अनुसूची 4 में उधार के अंतर्गत दर्शाया गया है.

वर्ष के दौरान, बैंक ने भारत सरकार को ₹ 10/- के 11,10,00,000 शाश्वत गैर-संचयी वरीयता शेयर (पीएनसीपीएस), शेयर आवंटित किए हैं, जिनकी वार्षिक परिवर्तनशील ब्याज दर रेपो रेट से 100 आधार बिंदु अधिक होगी, जो प्रतिवर्ष संगत तारीख को लागू रेपो रेट के आधार पर समायोजित होगी.

वर्ष के दौरान, बैंक ने भारत सरकार को ₹ 10/- के 1,92,14,515 इक्विटी शेयर ₹ 344.94 की प्रीमियम राशि पर प्राथमिकता के आधार पर आवंटित किए हैं, जिसके परिणामस्वरुप भारत सरकार की शेयरधारिता 55.43% से बढ़कर 57.06% हो गई है.

5. मानक अग्रिमों पर प्रावधान :

भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार, मानक अग्रिमों और डेरीवेटिव्स में ऋण जोखिम एक्सपोज़र पर ₹ 663.77 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 516.06 करोड़) प्रावधान किया गया. कुछ विशिष्ट संवर्ग के मानक अग्रिमों, जैसे उपभोक्ता वस्तुओं के लिए ऋण, शिक्षा ऋण, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए ऋण तथा अन्य वैयक्तिक ऋणों के लिए 2% अतिरिक्त प्रावधान ₹ 76.07 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 52.38 करोड़) किया गया है, जो सांविधिक प्रावधानों के अतिरिक्त है.

6. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अतिरिक्त जानकारी इस प्रकार है :

6.1 पूंजी

(₹ करोड़ में)

		31.03.2011	31.03.2010
i)	सीआरएआर (%)	12.95	12.51
ii)	सीआरएआर - टायर I कैपिटल (%)	8.69	7.91
iii)	सीआरएआर - टायर I I कैपिटल (%)	4.26	4.60
iv)	भारत सरकार के शेयर होल्ड़िग का प्रतिशत	57.06	55.43
v)	आईपीडीआई के द्वारा अर्जित राशि	-	200.00
vi)	अपर टायर II लिखतों के द्वारा अर्जित राशि	500.00	1000.00

6.2 निवेश

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2011	31.03.2010
1	निवेश का मूल्य		
i)	निवेश का सकल मूल्य	**58504.78**	**54483.02**
	(क) भारत में	58440.75	54478.20
	(ख) भारत के बाहर	64.03	4.82
ii)	मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान	**105.64**	**79.49**
	(क) भारत में	105.64	79.49
	(ख) भारत के बाहर	-	-
iii)	निवेश का निवल मूल्य	**58399.14**	**54403.53**
	(क) भारत में	58335.11	54398.71

	विवरण	31.03.2011	31.03.2010
	(ख) भारत के बाहर	64.03	4.82
2	निवेश पर मूल्य ह्रास के पेटे किए गए प्रावधान का संचरण		
i)	आरंभिक शेष	79.49	196.83
ii)	जोड़ा : वर्ष के दौरान प्रावधान	60.28	0.50
iii)	घटाया : वर्ष के दौरान राइट-ऑफ / राइट बैक किया गया आधिक्य प्रावधान	34.13	117.84
iv)	अंतिम शेष	**105.64**	**79.49**

6.2.1 रेपो संव्यवहार

(₹ करोड़ में)

		वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान औसत दैनिक बकाया	यथा 31.03.2011
क	रेपो के अधीन बेची गई प्रतिभूतियां				
i)	सरकारी प्रतिभूतियां	-	200.00	1.64	-
ii)	कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-
B	रेपो के अधीन क्रय की गई प्रतिभूतियां				
i)	सरकारी प्रतिभूतियां	-	1734.28	72.07	-
ii)	कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-

6.2.2 गैर एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

i. गैर एसएलआर निवेशों का जारीकर्ता संमिश्र

(₹ करोड़ में)

क्र.	जारीकर्ता	राशि	निजी आबंटन की मात्रा	निवेश स्तर से नीचे प्रतिभूतियां	गैर निर्धारित प्रतिभूतियां*	गैर सूचीबद्ध प्रतिभूतियां*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i)	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	370.73	77.36	-	1.83	1.83
ii)	वित्तीय संस्थाएं	3857.76	3392.58	-	-	-
iii)	बैंक	5165.88	623.76	-	-	7.00
iv)	निजी कार्पोरेट	2033.68	1104.43	-	1.13	34.17
v)	सहायक कंपनियां / संयुक्त उपक्रम	113.48	113.48	-	-	-
vi)	अन्य	369.94	295.08	-	0.20	0.20
vii)	मूल्यह्रास के पेटे धारित प्रावधान	(95.81)	-	-	-	-
	योग	**11815.66**	**5606.69**	-	**3.16**	**43.20**

	31.03.2011	31.03.2010
शेयर	743.69	682.26
ऋण पत्र एवं बांड	3208.59	3,495.01
सहायक कंपनियां एवं संयुक्त उपक्रम	113.48	48.48
अन्य	7749.90	7,324.85
योग	**11815.66**	**11,550.60**

* तुलन पत्र की अनुसूची 8 में सहायक एवं संयुक्त उद्यमों में 19.16 करोड़ के निवेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शेयरों में बैंक द्वारा किया गया निवेश शामिल है, जो एसएलआर निवेश है.

घोषित की गई गैर श्रेणीबद्ध एवं गैर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में केवल उन्हीं प्रतिभूतियों को शामिल किया गया है, जिनकी रेटिंग व सूचीयन भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार वांछित है.

ii) गैर-निष्पादक गैर-एसएलआर निवेश :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2011	31.03.2010
आरंभिक शेष	5.93	5.54
वर्ष के दौरान 1 अप्रैल से परिवर्धन	53.14	0.50
वर्ष के दौरान उपर्युक्त अवधि में कमी	4.55	0.11
अंतिम शेष	54.52	5.93
धारित कुल प्रावधान	54.52	5.93

6.3 डेरीवेटिव्स

6.3.1 वायदा दर अनुबंध / ब्याज दर स्वैप

(₹ करोड़ में)

		31.03.2011	31.03.2010
i)	स्वैप लेनदेन की कल्पित मूल राशि	1895.95	699.00
ii)	संबंधित पक्षों द्वारा समझौते के अनुसार अपने दायित्वों की पूर्ति न किए जाने के फलस्वरुप होने वाली हानि	13.21	14.70
iii)	स्वैप प्रक्रिया अपनाने हेतु बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	शून्य	शून्य
iv)	स्वैप से आयी क्रेडिट जोखिम का संकेन्द्रण	बैंकिंग उद्योग	बैंकिंग उद्योग
v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	-(2.53)	1.90

नोट:

I) टायर II बांड्स, मियादी ऋणों एवं मियादी जमाराशियों की हेजिंग के लिए भारतीय रुपयों में ब्याज दर स्वैप को शामिल किया गया है.

II) बैंक ने वर्ष के दौरान ट्रेडिंग के लिए फ्लोटिंग से स्थायी या स्थायी से फ्लोटिंग ब्याज दर स्वैप लेनदेनों को अपनाया.

III) स्वैप हेज लेनदेन के लिए सभी अंडरलाइंग्स उपचय के आधार पर हैं.

6.3.2 विनिमयगत कारोबार की ब्याज दर डेरीवेटिव :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	राशि
i)	वर्ष के दौरान (लिखत वार) किए गए ब्याज दर डेरीवेटिव के विनिमयगत कारोबार की कल्पित मूल राशि	24.62
ii)	31 मार्च 2010 को (लिखत वार) किए गए ब्याज दर डेरीवेटिव को विनिमयगत कारोबार की बकाया कल्पित मूल राशि	शून्य
iii)	(लिखतवार) किए गए ब्याज दर डेरीवेटिव के विनिमयगत कारोबार की बकाया और "अधिक प्रभावित" न हुई कल्पित मूल राशि	शून्य
iv)	(लिखतवार) किए गए ब्याज दर डेरीवेटिव के विनिमयगत कारोबार की बकाया और "अधिक प्रभावित" न हुआ मार्क टू मार्केट मूल्य	शून्य

6.3.3 डेरीवेटिव्स में जोखिम एक्सपोज़र का प्रकटीकरण

क. <u>गुणात्मक प्रकटीकरण:</u>

गुणात्मक प्रकटीकरण

ए. बैंक भारिबैं के दिशानिर्देशों के अधीन दो समूहों में डेरिवेटिव लेनदेन करता है :

i. काउंटर पर डेरीवेटिव लेनदेन

ii. एक्सचेंज के माध्यम से लेनदेन

बैंक ओवर दि काउंटर डेरिवेटिव समूह में वायदा दर करारों, ब्याज दर स्वैप, क्रास करेंसी स्वैप करैंसी विकल्पों में लेन देन करता है.

बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई), बांबे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और एमसीएक्स - एस एक्स स्टॉक एक्सचेंज (एमसीएक्स - एस एक्स) जैसे 3 करेंसी फ्यूचर एक्सचेंजों का ट्रेडिंग एवं क्लीयरिंग सदस्य है. बैंक इन बाजारों (एक्सचेंजों) में वायदा मुद्रा में स्वामित्व ट्रेडिंग के साथ ही साथ ग्राहक की ओर से ट्रेडिंग करता है. बैंक ने फ्रंट, मिड एवं बैक आफिस परिचालनों के लिए आवश्यक मूलभूत संरचना का भी गठन किया है. इन बाजारों (स्टॉक एक्सचेंजों) के साथ दैनिक लेनदेन (मार्क-टू-मार्केट) और मार्जिन दायित्व, नियामक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुरुप निपटाए जाते हैं.

बैंक नेशनल स्टाक एक्सचेंज में ब्याज दर वायदा में ट्रेड करता है. बैंक के पास फ्रंट, मिड और बैक आफिस परिचालनों के लिये आवश्यक सुविधाएं हैं. दैनिक लेनदेन (मार्क-टू-मार्केट) और मार्जिन दायित्व, नियामक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुरुप निपटाए जाते हैं.

बैंक स्वयं के लिये ट्रेडिंग/मार्केटिंग, अपने तुलन पत्र की हेजिंग और लागू विनियमों के अंतर्गत अपनी जोखिम हेज करने के लिये ग्राहकों के लिये डेरिवेटिव संव्यवहार करता है. प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग/मार्केट मेकिंग पोजीशन रुपया ब्याज दर स्वैप, करेंसी वायदा और ब्याज दर वायदा में ली जाती हैं. यद्यपि डेरिवेटिव लिखतों में गैर ब्याज आय बढ़ाने और बाजार जोखिम से सुरक्षा के प्रचुर अवसर सन्निहित होते हैं किंतु इससे बैंक की जोखिम भी बढ़ जाती है. बैंक ने डेरिवेटिव संव्यवहारों से उत्पन्न होने वाली विभिन्न जोखिमों के प्रबंधन के लिये निम्न युक्तियां अपनायी हैं:

ट्रेज़री शाखा में परिचालन को निम्न तीन कार्यात्मक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जिन्हें आवश्यक मूलभूत संरचना एवं प्रशिक्षित अधिकारियों से सुसज्जित किया गया है और उनकी जिम्मेदारियां भी निर्धारित की गई हैं.:

I) फ्रंट कार्यालय : डीलिंग रूम. बैंक की नीति और भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार ट्रेड करने के निर्देश का पालन करता है.

II) मिड कार्यालय : जोखिम प्रबंधन, लेखांकन नीति और भारिबैं दिशानिर्देश

III) बैक कार्यालय : निपटान, मिलान और लेखांकन

मिड आफिस ट्रेडिंग बुक में लेनदेनों तथा आधिक्यों का अनुश्रवण करता है और यदि कोई आधिक्य है तो आवश्यक कार्रवाई के लिए उसे जोखिम प्रबंधन प्रभाग के ध्यान में लाता है. मिड आफिस एमटीएम के जरिए, दैनिक आधार पर ट्रेडिंग बुक में लेनदेनों के लिए वित्तीय जोखिमों को आंकता है और आस्ति एवं देयता प्रबंधन पर निदेशक मंडल की समिति को जोखिम प्रोफाइल की जानकारी देने के लिये दैनिक बाजार पोजीशन जोखिम प्रबंधन प्रभाग को रिपोर्ट करता है.

बैंक सुनिश्चित करता है कि कार्पोरेट ग्राहकों के साथ लेनदेन केवल अंतर्निहित ऋण-सीमा की मात्रा का निर्धारण करने के बाद किए जाते हैं और ग्राहक औचित्य एवं अनुकूलता के लिए ट्रेज़री पालिसी में निर्धारित अनुमोदन प्रक्रिया के अनुसार अनुमोदित किए जाते हैं तथा आवश्यक दस्तावेज यथा आईएसडीए करारनामा आदि निष्पादित किए जाते हैं. बैंक ने ऋण निवेश (एक्सपोज़र) के अनुश्रवण के लिए वर्तमान ऋण निवेश पद्धति अपनाई है.

बी) बैंक की ट्रेज़री नीति में वित्तीय व्युत्पन्न लिखत के प्रकार, प्रंचलन की गुंजाइश, अनुमोदन प्रक्रिया के साथ ही साथ, अनुमोदित लिखतों में ट्रेडिंग के लिए ओपन पोजीशन सीमा, डील साइज़ लिमिट और स्टॉप लॉस लिमिट और प्रतिपक्षी पार्टी एक्सपोजर सीमा जैसी लिमिटों का भी उल्लेख है. विभिन्न जोखिम सीमाएं तय की जाती हैं और उनके समक्ष वास्तविक एकसपोजर की निगरानी की जाती है.

ये सीमाएं बाजार की अस्थिरता, कारोबारी रणनीति और प्रबंधकीय अनुभव को ध्यान में रखकर तय की जाती हैं. रिस्क पैरामीटरों यथा पीवी01, स्टाप लॉस, प्रतिपक्षी पार्टी एक्सपोजर के लिये हैं. आवधिक अंतराल पर इन सीमाओं के समक्ष वास्तविक पोजीशन की समीक्षा की जाती है और उल्लंघन की रिपोर्ट तुरत की जाती है. बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी गैर आप्शन डेरिवेटिव संविदाओं से कुल पीवी01 पोजीशन बैंक की नेटवर्थ के 0.25% के अंदर रहे.

सी) बैंक अपने तुलन पत्र एक्सपोज़रों को हेज करने के लिए वित्तीय डेरीवेटिव्स लेनदेनों का भी प्रयोग करता है. बैंक की ट्रेज़री नीति में एक्सपोज़रों को हेजिंग करने के लिए अनुमोदन प्रक्रिया बताई गई है. हेज लेनदेनों को नियमित आधार पर अनुश्रवण किया जाता है और इन लेनदेनों पर पीवी01 एवं वीएआर बाजार दर (मार्क टू मार्केट) आधार पर परिकलित नोशनल लाभ या हानि प्रत्येक माह एल्को को रिपोर्ट किया जाता है. हेज प्रभाविता वह डिग्री है जिसमें परिवर्तन से हेज किये गये आइटम के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में होने वाला परिवर्तन, हेजिंग लिखत के नकदी प्रवाह या उचित मूल्य से शमित हो जाता है

डी) हेज एवं गैर एवं हेज लेनदेनों को अलग से रिकार्ड किया जाता है. हेज लेनदेनों की उपचय आधार पर गणना की जाती है. सभी ट्रेडिंग संविदा मार्क टू मार्केट किए जाते हें और आय विवरण में परिणामी लाभ या हानि रिकार्ड की जाती है.

ऑप्शन कांट्रैक्ट के मामले में आय की पहचान, प्रीमियम एवं छूट के लिए समय-समय पर फेडाई द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर कार्रवाई की जाती है.

क्रेडिट जोखिम के शमन के लिये बैंक द्वारा प्रतिपक्षी बैंकों और प्रतिपक्षी ग्राहकों की लिमिट तय करने के लिये नीति बनाई हुई है. बैंक काउंटर पक्ष एक्सपोजर की निगरानी के लिये आवधिक अंतराल पर करंट एक्सपोजर प्रणाली अपनाता है. डेरिवेटिव लिमिट मंजूर करते समय, सक्षम प्राधिकारी उचित समझी जाने वाली संपार्श्विक /मार्जिन लेने की शर्त लगा सकते हैं. अन्य ऋण लिमिटों के साथ ही डेरिवेटिव लिमिटों की आवधिक समीक्षा की जाती है,

ग्राहक से संबंधित डेरिवेटिव संव्यवहार प्रतिपक्षी बैंक के साथ प्रत्येक मामले में समकक्ष राशि और अवधि के लिये कवर होते हैं और इनमें कोई बाजार जोखिम नहीं होती है.

ख. मात्रात्मक प्रकटन :

(₹ करोड़ में)

		31.03.2011		31.03.2010	
क्र.	**विवरण**	**करेंसी डेरीवेटिव्स**	**ब्याज दर डेरीवेटिव्स**	**करेंसी डेरीवेटिव्स**	**ब्याज दर डेरीवेटिव्स**
i)	डेरीवेटिव (कल्पित मूल राशि)				
क	हेजिंग के लिए	0.00	100.00	224.50	100.00
ख	ट्रेडिंग के लिए	661.21	1795.95	1777.34	603.02
ii)	मार्क-टू-मार्केट स्थितियां (1)				
क	आस्तियां (+)	(+) 1.38		6.46	0.29
ख	देयताएं (-)		(-)0.70		
iii)	ऋण एक्सपोज़र (2)	82.60	33.65	198.99	21.92
iv)	बाजार दर में एक प्रतिशत (100. पीवी 01) परिवर्तन का संभाव्य परिणाम				
क	हेजिंग डेरीवेटिव	0.00	0.03	0.06	7.96
ख	ट्रेडिंग डेरीवेटिव पर	0.63	8.56	0.12	0.00
v)	वर्ष के दौरान पाया गया 100*पीवी01का अधिकतम एवं न्यूनतम				
1	अधिकतम				
	क. हेजिंग पर	1.15	7.45	2.88	7.96
	ख. ट्रेडिंग पर	0.63	8.56	0.12	0.76
2	न्यूनतम				
	क. हेजिंग पर	0.00	0.00	0.00	1.12
	ख. ट्रेडिंग पर	0.03	0.01	0.00	0.00

6.4 आस्ति गुणवत्ता:

6.4.1 गैर निष्पादक आस्तियां:

(₹ करोड़ में)

		31.03.2011	31.03.2010
i)	निवल अग्रिम में शुद्ध एनपीए (%)	1.19	0.81
ii)	एनपीए का संचरण (सकल)		
	(क) दिनांक 1 अप्रैल को आरंभिक शेष	2670.89	1923.35
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन (नए एनपीए)	2923.54	1785.23
	उप योग (क)	5594.43	3708.58
	(ग) घटाया :-		
	(i) अपग्रेडेशन	267.92	123.16
	(ii) वसूली (अपग्रेडेड खातों में हुई वसूली को छोड़कर)	577.69	401.29
	(iii) राइट-ऑफ	1126.00	513.24
	उप योग (ख)	1971.61	1037.69
	(घ) अंतिम शेष (क - ख)	3622.82	2670.89
iii)	एनपीए का संचरण (निवल)		
	(क) आरंभिक शेष	965.33	325.94
	(ख) अंतिम शेष	1803.44	965.33
iv)	एनपीए के प्रावधानों का संचरण		
	(मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)		
	(क) प्रारंभिक शेष	1643.34	1548.88
	(ख) वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	1187.69	698.92
	(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का राइट-ऑफ / राइट बैक	1054.42	604.46
	(घ) अंतिम शेष	1776.61	1643.34

6.4.2 पुनर्गठित खातों का विवरण :

(₹ करोड़ में)

		सी डी आर प्रक्रिया	एमएसएमई ऋण पुनर्संरचना	अन्य
पुनर्गठित मानक खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	2	135	723
	बकाया राशि	55.98	122.15	448.29
	छोड़ी गई रकम (उचित मूल्य में ह्रास)	8.26	2.09	11.29
पुनर्गठित अवमानक खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	1	2	9
	बकाया राशि	40.56	2.80	0.01
	छोड़ी गई रकम (उचित मूल्य में ह्रास)	13.01	0.	0.06
पुनर्गठित संदिग्ध खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0
	बकाया राशि	0	0	0
	छोड़ी गई रकम (उचित मूल्य में ह्रास)	0	0	0
योग	उधारकर्ताओं की संख्या	3	137	732
	बकाया राशि	96.54	124.95	448.30
	छोड़ी गई रकम (उचित मूल्य में ह्रास)	**21.27**	**2.09**	**11.35**

6.4.3 आस्ति पुर्नगठन के लिए प्रतिभूतिकरण / पुर्नगठन कंपनी को बेचे गए वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

		31.03.2011	31.03.2010
i)	खातों की संख्या	1	2
ii)	एससी / आरसी कं. को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों में से घटाकर)	0.00	0.00
iii)	कुल प्रतिफल	6.25#	26.79+
iv)	विगत वर्षों में अंतरित खातों में वसूल किया गया कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य
v)	निवल बही मूल्य पर कुल आय / हानि	6.25	26.79

पूर्ण राशि नकद प्राप्त.

+ ₹ 16.54 करोड़ संवर्ग बी की प्रतिभूतियों एवं ₹ 10.25 करोड़ नकद प्राप्तियों के माध्यम से.

6.4.4 बैंकों / वित्तीय संस्थाओं को खरीदी / बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के विवरण

क. खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2011	31.03.2010
1	क. वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
	ख. समग्र बकाया	शून्य	शून्य
2	क. वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
	ख. समग्र बकाया	शून्य	शून्य

ख. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2011	31.03.2010
1	बेचे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
2	समग्र बकाया	शून्य	शून्य
3	समग्र प्राप्तियां	शून्य	शून्य

ग. मानक आस्तियों पर प्रावधान:

(₹ करोड़ में)

मद	31.03.2011	31.03.2010
मानक आस्तियों पर प्रावधान	145.95	20.95

डेरीवेटिव्स पर ऋण जोखिम एक्सपोज़र हेतु प्रावधान के लिए ₹ 2.59 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4.39 करोड़) शामिल हैं.

6.5 कारोबार अनुपात

(₹ करोड़ में)

		31.03.2011	31.03.2010
i)	कार्यकारी निधियों में ब्याज आय के रुप में प्रतिशत	8.33	8.04
ii)	कार्यकारी निधियों में गैर-ब्याज आय के रुप में प्रतिशत	1.03	1.19
iii)	कार्यकारी निधियों में परिचालन लाभ के रुप में प्रतिशत	2.18	2.21
iv)	आस्तियों पर प्रतिफल	1.05	1.25
v)	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशि एवं अग्रिम) (लाख रुपयों में)	1043	853
vi)	प्रति कर्मचारी लाभ (लाख रुपयों में)	7.50	7.47

6.6 आस्ति देयता प्रबंधन

आस्ति एवं देयताओं का परिपक्वता पैटर्न यथा 31.03.2011

(₹ करोड़ में)

	जमाराशियां	अग्रिम	निवेश	उधार	विदेशी मुद्रा आस्ति	विदेशी मुद्रा देयताएं
1 दिन	2884.60	3616.50	73.25	689.61	401.68	1142.45
2-7 दिन	8858.11	3612.56	1691.89	142.74	1135.15	177.70
8-14 दिन	3239.00	2792.88	972.61	100.41	240.58	143.75
15 से 28 दिन	6883.34	5052.65	2090.06	97.95	569.93	187.35
29 दिन से 3 माह	15697.64	22159.90	2127.03	731.24	2591.77	1024.70
3 माह सें अधिक 6 माह तक	14964.14	13527.70	1283.70	1164.25	3018.31	1470.17
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	34142.76	20173.43	650.68	699.82	1803.71	2067.55
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	42025.52	45838.66	2405.37	1381.10	850.63	1029.99
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	12888.40	14946.42	7124.43	3618.56	728.05	2637.18
5 वर्ष से अधिक	60877.77	19265.38	39980.12	4690.30	642.63	0.00
योग	**202461.29**	**150986.08**	**58399.14**	**13315.97**	**11982.44**	**9880.84**

6.7 एक्सपोज़र

6.7.1 रीयल इस्टेट क्षेत्र में एक्सपोज़र

(₹ करोड़ में)

	संवर्ग	31.03.2011	31.03.2010
क)	प्रत्यक्ष निवेश		
i)	आवासीय बंधक - आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा उधार पूर्णत: प्रतिभूत अथवा जो उधारकर्ता द्वारा कब्जे में लिया जाएगा अथवा जो किराए पर हो; - जिसमें से ₹ 30.00 लाख (पिछले वर्ष ₹ 15.00 लाख) तक के वैयक्तिक गृह निर्माण ऋण .	11058.52 8258.63	9599.66 6967.01
ii)	वाणिज्यिक रीयल इस्टेट - वाणिज्यिक रीयल इस्टेट पर बंधक द्वारा प्रतिभूत उधार (कार्यालय भवन, रिटेल स्पेस, बहुउद्देश्यीय वाणिज्यिक परिसर, बहु परिवार आवासीय भवन, बहु किराए पर दिए गए वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक अथवा गोदाम की जगह, होटल, भूमि अर्जन, विकास तथा निर्माण आदि) निवेश में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं शामिल हैं :	2699.55	2838.70
iii)	बंधक समर्थित / प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूत एक्सपोज़र - क. आवासीय ख. वाणिज्यिक रीयल इस्टेट.	3.66 3.66 -	11.12 11.12 -
ख)	अप्रत्यक्ष निवेश राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा गृह निर्माण वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित एक्सपोज़र	4781.01	4093.78
	रीयल इस्टेट क्षेत्र में कुल एक्सपोज़र	**18542.74**	**16543.26**

6.7.2 पूंजी बाजार में निवेश

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2011	31.03.2010
i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांड्स, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों में सीधा निवेश, जिसकी आधारभूत निधि केवल कार्पोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई है.	789.83	772.55
ii)	शेयरों / बांड्स / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों या शेसरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांडस, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की ईकाइयों के पेटे अग्रिम	6.83	6.88
iii)	अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहां शेयरों, परिवर्तनीय बांड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की ईकाइयों को प्राथमिक प्रतिभूति के रुप में लिया गया है.	10.73	6.56
iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बांड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की ईकाइयों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित अन्य प्रयोजनों के अग्रिम, जहां शेयरों / परिवर्तनीय बांड्स / परिवर्तनीय डिबेचरों / इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की ईकाइयों को छोड़कर अन्य मूल प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णत: सुरक्षित नहीं करती है.	3.06	2.10
v)	स्टॉक ब्रोकरों को सुरक्षित एवं असुरक्षित अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों एवं मार्केट मेकर्स की ओर से जारी गारंटियां	871.60	788.01
vi)	शेयरों / बांड्स / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के पेटे या बढ़ते संसाधनों की प्रत्याशा में नयी कंपनियों के इक्विटी के लिए प्रोमोटर के अंशदान के लिए बेजमानती आधार पर कार्पोरेटों को मंजूर ऋण	0.01	-
vii)	संभावित इक्विटी प्रवाहों / निर्गमों के पेटे कंपनियों को पूरक (ब्रिज) ऋण	1.72	-
viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बांड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की ईकाइयों के मूल निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा प्रतिबद्धताओं की जिम्मेदारी लेना.	-	-
ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण	56.49	50.00
x)	वेंचर पूंजी निधियों के सभी निवेश (पंजीकृत एवं अपंजीकृत दोंनो) इक्विटी के समान माने जाएगें और इसलिए उन्हें अनुपालन हेतु पूंजी बाजार निवेश सीमाओं (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोंनो) के साथ हिसाब में लिया जाएगा. **	572.50	516.84
	पूंजी बाजार में कुल निवेश	**2312.77**	**2142.94**

**** ₹ 277.62 करोड़ की वेंचर पूंजी अनाहरित पूंजी प्रतिबद्धताएं शामिल हैं.**

6.7.3 जोखिम संवर्गवार कंट्री एक्सपोज़र

(₹ करोड़ में)

जोखिम संवर्ग	एक्सपोज़र (निवल) यथा 31.03.2011	प्रवधान यथा 31.03.2011	एक्सपोज़र (निवल) यथा 31.03.2010	प्रवधान यथा 31.03.2010
नगण्य	3272.92	-	1699.04	-
अल्प	1272.35	-	937.16	-
अल्प सामान्य	281.62	-	112.33	-
सामान्य	16.65	-	5.54	-
सामान्य उच्च	37.05	-	4.26	-
उच्च	1.02	-	1.26	-
अत्यधिक	0.09	-	0	-
सीमित	-	-	-	-
क्रेडिट से इतर	-	-	-	-
योग	**4881.70**	**-**	**2759.59**	**-**

6.7.4 बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता को दी गई सीमाओं (एसबीएल) का विवरण .

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम	एक्सपोज़र की सीमा (₹)	कुल एक्सपोज़र (₹)	पूंजी निधि का% एक्सपोज़र	31.03.11 की स्थिति	पूंजी निधि के% की स्थिति
1	पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लि.	* पूंजीगत निधि का 20% अर्थात् 3067.20	2593.75	16.91	2577.15	16.80

* व्यक्तिगत एक्सपोज़र की उच्चतम सीमा 15% है, परंतु भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति एवं बोर्ड के अनुमोदन से 5% अतिरिक्त एक्सपोज़र प्रदान किया गया है.

6.7.5 ऐसी समूह उधारकर्ता ऋण सीमा का ब्यौरा, जहां बैंक ने अधिक्रमण किया है :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम	एक्सपोजर की सीमा (₹)	कुल एक्सपोज़र (₹)	पूंजी निधि का% एक्सपोज़र	बोर्ड की मंजूरी का ब्यौरा	31.03.11 की स्थिति	पूजी निधि के% की स्थिति
शून्य							

समूह एक्सपोज़र की उच्चतम सीमा - 40%

आधारभूत सुविधाओं के लिए समूह एक्सपोज़र की उच्चतम सीमा 50% है.

बोर्ड के अनुमोदन से 5% अतिरिक्त एक्सपोज़र किया जा सकता है.

6.7.6 अमूर्त प्रतिभूतियों द्वारा सुरक्षित अग्रिम : शून्य

7. विविध

7.1 वर्ष के दौरान आयकर के लिए किए गए प्रावधान की रकम

(₹ करोड़ में)

	31.03.2011	31.03.2010
आयकर के लिए प्रावधान (आस्थगित देयताओं को छोड़कर)	807.00	758.00

7.2 भारिबैं द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण : शून्य

8. लेखा मानकों के अनुसार प्रकटन अपेक्षाएं, जिसमें भारिबैं ने "खाते के नोट" के लिए प्रकटन मदों के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं:

8.1 लेखा मानक 5 - वर्ष के दौरान निवल लाभ या हानि, पिछली अवधि की मदें एवं लेखानीतियों में परिवर्तन

पिछली अवधि की कोई ऐसी महत्वपूर्ण आय / व्यय नहीं थे, जिसका प्रकटन लेखा मानक - एएस 5 के अनुसार आवश्यक था.

8.2 लेखा मानक -9 आय पहचान

नकदी आधार पर की गई आय मदों की पहचान में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था, इसलिए लेखा मानक एएस-9 के अधीन कोई प्रकटन नहीं किया गया.

8.3 लेखा मानक 15 - कर्मचारी लाभ :

बैंक ने 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए कर्मचारी लाभों का समायोजन इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी मानकों एवं बीमांकक की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार किया है. प्रकटन इस प्रकार हैं :

(₹ करोड़ में)

		ग्रैच्युटी	पेंशन
i)	**मुख्य बीमांकक पूर्वानुमान का उपयोग**		
	पिछली डिस्काउंट दर	8.00%	8.00%
	पिछली प्लान आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर	8.00%	8.00%
	पिछली वेतन वृद्धि	4.00%	4.00%
	पिछली एट्रीशन दर	2.00%	2.00%
	चालू डिस्काउंट दर	8.00%	8.00%
	चालू प्लान आस्तियों पर प्रतिलाभ दर	8.00%	8.00%
	चालू वेतन वृद्धि	4.00%	4.00%
	चालू एट्रीशन दर	2.00%	2.00%

		ग्रैच्युटी	पेंशन
ii)	**लाभ बाध्यताओं में परिवर्तन दर्शाने वाला टेबल** :		
	वर्ष के आरंभ में देयता	518.27	1359.12
	ब्याज लागत	40.70	101.45
	चालू सेवा लागत	37.40	62.34
	पिछली सेवा लागत (गैर निहित लाभ)	325.00	1690.21
	पिछली सेवा लागत (निहित लाभ)	-	375.65
	देयता अंतरण आवक	-	1122.50
	देयता अंतरण जावक	-	-
	प्रदत्त लाभ	(93.82)	(306.64)
	बीमांकिक (अर्जन) / बाध्यताओं पर हानि	67.38	367.19
	वर्ष के अंत में देयताएं	**894.93**	**4771.82**
iii)	**योजना आस्तियों के उचित मूल्य का टेबल:**		
	वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	767.36	1158.11
	योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	68.45	115.58
	अंशदान	135.21	440.01
	अन्य कंपनी से अंतरण	-	1122.50
	अन्य कंपनी को अंतरण	-	-
	प्रदत्त लाभ	(93.82)	(306.64)
	प्लान आस्तियों पर बीमांकिक अर्जन / (हानि)	(4.15)	(15.87)
	वर्ष के अंत में प्लान आस्तियों का उचित मूल्य	873.05	2513.69
	अभिज्ञात किया जाने वाला कुल बीमांकिक अर्जन / (हानि)	**(71.53)**	**(383.06)**
iv)	**संक्रमणकालीन देयता की पहचान :**		
	प्रारंभिक संक्रमणकालीन देयता	-	-
	वर्ष के दौरान पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	-	-
	अंत में संक्रमणकालीन देयता	-	-
v)	**प्लान आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ :**		
	प्लान आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	68.45	115.58
	प्लान आस्तियों पर वास्तविक लाभ / (हानि)	(4.15)	(15.87)
	प्लान आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	**64.30**	**99.71**
vi)	**तुलन-पत्र में पहचानी गई रकम :**		
	वर्ष के अंत में देयता	894.93	4771.82
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य अंतर	873.05	2513.69
	न पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (गैर-निहित).... अंतिम शेष	(21.88)	(2258.13)
	न पहचानी गई संक्रमण देयता ..... अंतिम शेष	260.00	1352.17
	तुलन-पत्र में पहचानी गई रकम	-	-
		238.12	**(905.96)**
vii)	**आय विवरण में पहचाने गए व्यय**		
	वर्तमान सेवा लागत	37.40	62.34
	ब्याज लागत	40.70	101.45
	प्लान आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	(68.45)	(115.58)
	पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (गैरनिहित लाभ)	65.00	338.04
	पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ)	-	375.65
	संक्रमण देयता की पहचान	-	-
	बीमांकिक लाभ या हानि	71.53	383.06
	लाभ हानि खाते में पहचाने गए व्यय	**146.18**	**1144.96**

		ग्रैच्युटी	पेंशन
viii)	**तुलन पत्र समाधान:**		
	प्रारंभिक शुद्ध देयता (पिछले वर्ष तुलन-पत्र में चिन्हित निवल राशि)	(249.09)	201.01
	उपर्युक्त अनुसार व्यय	146.18	1144.96
	अन्य कंपनियों से अंतरित (निवल)	-	-
	अन्य कंपनियों को अंतरित (निवल)	-	-
	नियोक्ता का अंशदान	-	-
	तुलन-पत्र में चिन्हित राशि	(135.21)	(440.01)
		(238.12)	**905.96**
ix)	**अन्य विवरण :**		
	ग्रैच्युटी सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन की दर पर देय है, बशर्ते कि अधिकतम राशि ₹ 10,00,000 या बैंक की स्कीम के अनुसार हो.		
	पेंशन प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए वेतन का 1/66, अधिकतम 50%		
	घटना के वर्ष में समायोजित वास्तविक लाभ / हानि.		
	वेतन वृद्धि बैंक द्वारा बताए अनुसार समायोजित की गई है, जो पदोन्नति, कर्मचारियों की मांग एवं पूर्ति को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग उद्योग में लागू प्रैक्टिस के अनुसार है.		
	सदस्यों की संख्या	29,582	27856
	वेतन प्रति माह	95.14	84.45
	अगले वर्ष के लिए अंशदान	-	**273.62**
x)	**आस्तियों का संवर्ग:**		
	भारत सरकार आस्तियां	-	-
	कार्पोरेट बांड	-	-
	विशेष जमा योजना	-	-
	राज्य सरकार	-	-
	संपत्ति	-	-
	अन्य	873.05	2513.69
	बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां	-	-
	कुल	**873.05**	**2513.69**
xi)	**अनुभव समायोजन**		
	योजनागत देयताएं (लाभ) / हानि	**145.69**	**367.19**
	योजनागत आस्तियां (हानि) / लाभ	**(4.15)**	**(15.87)**

8.3.2 वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के लिए किए गए प्रावधानों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अन्य दीर्घकालिक लाभ	राशि
1	पेंशन	1145.96
2	अवकाश नकदीकरण	106.10
3	अवकाश यात्रा रियायत	0.96
4	बीमारी अवकाश	10.58

8.3.3 कर्मचारी लाभ एएस15 (संशोधित) 2005 के कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश के अनुसार नियोक्ता द्वारा स्थापित भविष्य निधि समाहित लाभ, जिस पर ब्याज कमी का प्रावधान आवश्यक है, को परिभाषित लाभ योजनाओं के रुप में माना जाए. बीमांकिक पूर्वानुमान करने वाले मामलों के परिप्रेक्ष्य में देयता निर्धारण के लंबित रहते हुए, इससे संबंधित प्रभाव को सुनिश्चित नहीं किया गया है. तदनुसार इस संबंध में अन्य संबंधित प्रकटन नहीं किए गए हैं तथा ₹ 22.88 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 30.55 करोड़) को भविष्य निधि योजना के व्यय के रुप में प्रावधान में शामिल किया गया है और इसे परिचालन व्यय के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए प्रावधान और भुगतान में शामिल किया गया है.

8.3.4 भारिबैं के परिपत्र क्र. डीबीओडी.बीपी.बीसी.80 / 21.04.018 / 2010-11 दिनांक 09.02.2011 के अनुसार ऐसे सेवारत कर्मचारियों से संबंधित अतिरिक्त पेंशन निधि दायित्वों का पांचवां हिस्सा ₹ 338.04 करोड़, जिन्होंने पेंशन का द्वितीय विकल्प स्वीकार किया है और सेवानिवृत्त / अलग हुए कर्मचारियों के ऐसे दायित्वों का शत प्रतिशत भाग ₹ 375.65 करोड़ अर्थात् कुल ₹ 713.69 करोड़ इस वर्ष के लाभ हानि खाते से निकाला गया है, जबकि ₹ 1352.17 करोड़ अगले 4 वर्षों में समायोजित किया जाना है.

8.3.5 ग्रैच्युटी सीमा ₹ 3.50 लाख से बढ़ाकर ₹ 10.00 लाख किए जाने के कारण बढ़ी हुई अतिरिक्त ग्रैच्युटी देयताओं का पांचवां हिस्सा ₹ 65.00 करोड़ भी इस वर्ष के लाभ हानि खाते से निकाला गया है, जबकि शेष ₹ 260.00 करोड़ की राशि अगले 4 वर्षों में समायोजित की जाएगी.

8.4 लेखा मानक 17 के अनुसार क्षेत्रवार रिपोर्टिंग

(₹ करोड़ में)

	व्यवसाय के क्षेत्र	31.03.2011 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	31.03.2010 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	31.03.2011 को समाप्त तिमाही (लेखापरीक्षित)	31.03.2010 को समाप्त तिमाही (समीक्षित)
(ए)	**क्षेत्रवार राजस्व**				
1	ट्रेज़री परिचालन	4932.41	4300.07	1282.72	1074.05
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	5657.77	4759.37	1585.70	1269.72
3	कार्पोरेट /थोक बैंकिंग	7794.18	6115.06	2319.63	1674.74
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	107.04	102.92	27.76	35.69
5	गैर निर्धारित	-	-	-	-
	योग	**18491.40**	**15277.42**	**5215.81**	**4054.20**
(बी)	**क्षेत्रवार परिणाम**				
1	ट्रेज़री परिचालन	1141.64	823.52	287.56	311.68
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	781.92	890.23	210.07	122.75
3	कार्पोरेट /थोक बैंकिंग	976.22	1058.09	208.70	351.46
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	55.82	61.08	9.95	21.61
5	गैर निर्धारित	-	-	-	-
	योग	**2955.60**	**2832.92**	**716.28**	**807.50**
(सी)	**आयकर**	**873.65**	**758.00**	**118.71**	**214.00**
(डी)	**शुद्ध लाभ**	**2081.95**	**2074.92**	**597.57**	**593.50**
(ई)	**क्षेत्रवार आस्तियां**				
1	ट्रेज़री परिचालन	78631.90	69499.20	78631.90	69499.20
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	51840.03	49096.16	51840.03	49096.16
3	कार्पोरेट /थोक बैंकिंग	101901.16	73983.48	101901.16	73983.48
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	-	-	-	-
5	गैर निर्धारित	3611.36	2583.00	3611.36	2583.00
	योग	**235984.45**	**195161.84**	**235984.45**	**195161.84**
(एफ)	**क्षेत्रवार देयताएं**				
1	ट्रेज़री परिचालन	74979.22	63606.33	74979.22	63606.33
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	49404.87	48029.71	49404.87	48029.71
3	कार्पोरेट /थोक बैंकिंग	97114.38	72376.47	97114.38	72376.47
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	-	-	-	-
5	गैर निर्धारित	1721.46	725.55	1721.46	725.55
6	पूंजी, निधियां एवं अधिशेष	12764.52	10423.78	12764.52	10423.78
	योग	**235984.45**	**195161.84**	**235984.45**	**195161.84**

I) बैंक ट्रेज़री, रिटेल, गैर-रिटेल एवं पैरा बैंकिंग अर्थात् चार क्षेत्रों में परिचालन करता है. उत्पाद और सेवाओं की जोखिम प्रोफाइल और प्रकृति, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, बैंक की संगठनात्मक संरचना और आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद, क्षेत्रवार रिपोर्टिंग से संबंधित लेखा मानक 17 के अनुसार इन क्षेत्रों की पहचान की गयी है. बैंक ने कारोबार क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में प्रकट किया है. लेखामानक 17 में विदेशी शाखा की इस अवधि की आय और अन्य पैरामीटर, लेखामनक 17 में बतायी गयी सीमा के अंतर्गत है अत: बैंक का रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक क्षेत्र केवल एक ही है.

II) सीधे तौर पर आवंटित न किये जा सकने योग्य आय, व्यय, आस्तियां और देयताएं उचित समझे जाने वाले अनुमानों के आधार पर रिपोर्ट किये जाने वाले क्षेत्रों में आवंटित कर दिये गये हैं.

8.5 लेखा मानक 18 - संबंधित पार्टियों का प्रकटन.

8.5.1 लेखा मानक 18 के अनुसार बैंक ने संबंधित पार्टी प्रकटन के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रमुख प्रबंधन अधिकारी के रुप में चिह्नित किया है:

8.5.1.1 संबंधित पार्टियों की सूची :

(क) लेखा मानक 18 के अनुसार बैंक ने संबंधित पार्टी प्रकटन के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रमुख प्रबंधन अधिकारी के रुप में चिन्हित किया है:

i. श्री एम. वी. नायर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ii. श्री एस. सी. कालिया, कार्यपालक निदेशक

iii. श्री एस. रामन, कार्यपालक निदेशक (31.08.2010 तक)

iv. श्री एस. एस. मूंदड़ा, कार्यपालक निदेशक (01.09.2010 से)

(ख) अनुषंगी :

यूनियन केबीसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि.

यूनियन केबीसी ट्रस्टी कं. प्रा. लि.

(ग) संयुक्त उपक्रम :

स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.

(घ) एसोसिएट :

बैंक द्वारा प्रायोजित दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात् काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक एवं रीवा सिधी ग्रामीण बैंक.

8.5.1.2 संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन :

(₹ करोड़ में)

मदें / संबंधित पार्टियां	एसोसिएट / संयुक्त उपक्रम		प्रमुख प्रबंधन कार्मिक		प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदार		योग	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
जमाराशि	2702.56	2309.55	-	-	-	-	2702.56	2309.55
प्रदत्त ब्याज	130.96	132.97	-	-	-	-	130.96	132.97

8.5.1.3 प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

(₹ लाख में)

	2010 -11	2009 -10
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को भुगतान किया गया पारिश्रमिक	21.83	27.27
कार्यपालक निदेशक को भुगतान किया गया पारिश्रमिक	34.50	31.07#
योग	56.33	58.34

 # पिछले वर्ष के दौरान बैंक द्वारा कार्यपालक निदेशक को भुगतान की गई ₹ 2.23 लाख की कार्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि शामिल है.

8.6 लेखा मानक 20 - प्रति शेयर अर्जन

बैंक ने लेखामानक 20 के अनुसार प्रति इक्विटी शेयर के अनुसार मूल प्रति शेयर अर्जन की रिपोर्ट की है. प्रति शेयर अर्जन वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों के भारित औसत संख्या से कर भुगतान के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित कर मूल अर्जन की गणना की गई है.

			31.03.2011	31.03.2010
I	मूल एवं डाइल्यूटेड ईपीएस	₹	39.71	41.08
ii	इक्विटी शेयर धारकों को कर के बाद उपलब्ध निवल लाभ (₹ करोड़ में)		2081.95	2074.92
iii	इक्विटी शेयरों की औसत संख्या (संख्या करोड़ में)	संख्या	52.433	50.51
iv	प्रति शेयर अंकित मूल्य	₹	10.00	10.00

8.7 लेखा मानक 22 - आय पर कर की गणना :

बैंक ने लेखाबंदी मानक ए एस 22 (आय पर कर की गणना) के अनुपालन में आय पर कर की गणना की है. तदनुसार, 31.03.2011 को आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं की पहचान की गई है. आस्थगित कर आस्ति और आस्थगित कर देयता के प्रमुख घटक निम्न प्रकार हैं :

(₹ करोड़ में)

		31.03.2011	31.03.2010
	आस्थगित कर आस्ति		
1	निवेश पर प्रीमियम का वर्षवार विवरण	185.68	224.90
2	कर्मचारी लाभ	145.82	151.95
3	अचल संपत्तियों पर मूल्य ह्रास	-	3.13
4	अवकाश नकदीकरण	35.21	-
	योग	366.71	379.98
	आस्थगित कर देयता		
1	प्रतिभूतियों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	-	26.41
2	अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास	26.67	-
3	प्रतिभूतियों पर उपचित ब्याज	374.11	321.19
	योग	400.78	347.60
	शुद्ध आस्थगित कर देयता	**34.07**	
	शुद्ध आस्थगित कर आस्ति	**-**	**32.38**

8.8 लेखा मानक 28

प्रबंधन की राय में वर्ष के दौरान उन आस्तियों के अनर्जक होने के कोई संकेत नहीं हैं, जिन पर लेखा मानक 28 लागू होता हो.

8.9 आकस्मिक देयताओं का उल्लेख अनुसूची -12 के क्र. (i) से (vi) में उल्लेख किया गया है, जो क्रमश: न्यायालय के निर्णय / विवाचन / न्यायालय के बाहर समझौते के आधार पर मांगी गई रकम, संविदागत दायित्व, संबंधित पक्षों द्वारा की गयी मांग एवं परिस्थितियों तथा अपीलों के निस्तारण पर निर्भर है.

9. प्रावधान एवं आकस्मिकताएं :

(लाभ हानि खाता शीर्ष के अंतर्गत "प्रावधान एवं आकस्मिकताओं" का ब्रेक-अप)

(₹ करोड़ में)

	2010-11	2009-10
निवेश पर मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान / (रिवर्सल)	26.65	(117.34)
एनपीए के लिए प्रावधान	1187.69	698.92
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	148.54	20.95
आयकर के लिए प्रावधान आस्थगित कर देयता (डीटीएल)	873.45	758.00

	2010-11	2009-10
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं:		
- शिफ्ट हानि	82.94	46.76
- अग्रिमों का पुनर्गठन	1.63	95.21
- अन्य	-95.86	81.89
योग	2223.04	1584.39

10. फ्लोटिंग प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2010-11	2009-10
i)	फ्लोटिंग प्रावधान में प्रारंभिक शेष	697.00	539.50
ii)	लेखा वर्ष के दौरान किए गए फ्लोटिंग प्रावधान	46.00	157.50
iii)	लेखावर्ष के दौरान समायोजित की गई राशि	-	0
iv)	फ्लोटिंग प्रावधान खाते में अंतिम शेष	743.00	697.00

11. आरक्षिती से आहरण

वर्ष के दौरान बैंक ने आरक्षिती से कोई आहरण नहीं किया है.

12. शिकायतों का प्रकटन

12.ए. ग्राहक शिकायतें

(क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	1531
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	13444
(ग)	वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	13947
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	1028

12.बी बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय

(क)	वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या	0
(ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	7
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	7
(घ)	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	0

13. जारी किए गए लेटर ऑफ कम्फर्ट का प्रकटन

(₹ करोड़ में)

पूर्व वर्षों में जारी लेटर ऑफ कम्फर्ट और 01.04.2009 को बकाया	1291.40
जोड़ा : वर्ष के दौरान जारी लेटर ऑफ कम्फर्ट	4608.17
घटाया : वर्ष के दौरान कालातीत लेटर ऑफ कम्फर्ट	4407.55
दिनांक 31.03.2010 को बकाया लेटर ऑफ कम्फर्ट	1492.02

14. जमाराशियों, अग्रिमों एक्सपोज़र एवं एनपीए का केन्द्रीकरण

14.1. जमाराशियों का केन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

20 सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशि	27064
बैंक की कुल जमाराशियों में 20 सबसे बड़े जमाकर्ताओं से प्राप्त जमाराशियों का प्रतिशत	13.37

14.2. अग्रिमों का केन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

20 सबसे बड़े अग्रिम खातों को दिए गए कुल अग्रिम	13160.09
बैंक के कुल अग्रिमों में 20 सबसे बड़े ऋणियों को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	8.60

14.3. एक्सपोज़र का केन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

20 सबसे बड़े ऋणियों / ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र	33408.45
बैंक के कुल ऋणियों / ग्राहकों के एक्सपोज़र में 20 बड़े ऋणियों / ग्राहकों के एक्सपोज़र का प्रतिशत	17.02

14.4. एन पी ए का केन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

4 बड़े एनपीए खातों में कुल एक्सपोज़र	538.95

14.5. सेक्टरवार एनपीए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सेक्टर	इस सेक्टर के कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत (31.03.2011)
1	कृषि एवं तत्संबंधी गतिविधियां	4.14
2	उद्योग(माइक्रो एवं छोटे, मध्यम एवं बड़े)	2.53
3	सेवाएं	2.10
4	वैयक्तिक ऋण	3.76

14.6. ओवरसीज़ आस्तियां, एनपीए एवं आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11
कुल आस्तियां	6374.80
कुल एनपीए	6.98
कुल आय	215.52

14. 7. तुलनपत्र के अलावा एसपीवी : शून्य

15. बैंक एश्युरेंस कारोबार का प्रकटन

क्र. सं.	आय का स्वरुप	(₹ लाख में)
1	जीवन बीमा पालिसियों की बिक्री से आय	2456.53
2	गैर जीवन बीमा पालिसियों की बिक्री से आय	495.86
3	अन्य (स्पष्ट करें)	-

16. प्रावधान कवरेज अनुपात

31.03.2011 को प्रावधान कवरेज अनुपात 67.58% रहा. वर्तमान भारिबैं. दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) से अधिक राशि का निर्धारित प्रावधान काउंटरसाइक्लिकल प्राविज़निंग बफर खाते में रखा जाएगा.

17. **पिछले वर्ष के आंकड़े यथावश्यक रुप से पुनर्समूहित / पुनर्व्यवस्थित किए गए हैं.**

अनुसूची 1 से 18 के हस्ताक्षरकर्ता

वी.एच. कामत सहायक महा प्रबंधक	**एन. एस. महेता** महा प्रबंधक	**एस. एस. मूंदड़ा** कार्यपालक निदेशक	**एस. सी. कालिया** कार्यपालक निदेशक	**एम. वी. नायर** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
मीना हेमचंद्र निदेशक	**बी. एम. शर्मा** निदेशक	**एन. शंकर** निदेशक	**डॉ. गुलफ़ाम मुज़ीबी** निदेशक	**प्रो. एम. एस. श्रीराम** निदेशक
अरुण कुमार नंदा निदेशक	**एस. रवि** निदेशक			

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न है.

कृते जी.डी.आप्टे एंड कं. सनदी लेखाकार	**कृते जगन्नाथन एंड सर्वेश्वरन** सनदी लेखाकार	**कृते अरुण कुमार अग्रवाल एंड एसोसिएट्स** सनदी लेखाकार
(चेतन आर.सप्रे) भागीदार(सदस्य क्र.116952) फर्म पंजी. सं. 100515 डब्ल्यू	**(पी एस नरसिंहन)** भागीदार(सदस्य क्र.20936) फर्म पंजी. सं. 001204 एस	**(विमल कुमार जैन)** भागीदार(सदस्य क्र.86657) फर्म पंजी. सं. 003917 एन
कृते जे.एल.सेनगुप्ता एंड कं सनदी लेखाकार	**कृते ओमप्रकाश एस.चपलोत एंड कं** सनदी लेखाकार	**कृते जी. एस. माथुर एंड कं** सनदी लेखाकार
(एस.आर.अनंतकृष्णन) भागीदार(सदस्य क्र.18073) फर्म पंजी. सं. 307092 ई	**(महावीर चपलोत)** भागीदार(सदस्य क्र.403633) फर्म पंजी. सं. 000127 सी	**(राजीव कुमार वधावन)** भागीदार (सदस्य क्र 091007) फर्म पंजी. सं. 008744 एन

स्थान : मुंबई.

दिनांक : 06 मई, 2011

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

(रु लाख में)

क्र सं	विवरण	31.03.2011 को समाप्त वर्ष	31.03.2010 को समाप्त वर्ष
ए	परिचालन कार्यों से नकदी प्रवाह	443,148	(50,507)
बी	निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह	(18,514)	(20,043)
सी	वित्तपोषण कार्यों से नकदी प्रवाह	7,541	49,726
		432,175	**(20,824)**
डी	वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समकक्ष	1,577,669	1,598,493
ई	वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष	2,009,844	1,577,669
एफ	**वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह (ए+बी+सी) या (ई+डी)**	**432,175**	**(20,824)**
	ब्रेकअप विवरण		
ए	**परिचालन कार्यों से नकदी प्रवाह**		
	वषे के दौरान अग्रिम आदि से प्राप्त ब्याज	1,624,615	1,317,604
	अन्य आय	203,992	197,829
घटाएं	जमारशि, उधारों आदि पर दिया गया ब्याज (गौण ऋण को छोड़कर)	(965,377)	(871,409)
	परिचालन व्यय तथा प्रावधान और आस्मिकताएं	(617,304)	(409,224)
जोड़ें	मूल्य ह्रास के लिये समायोजन	15,566	16,014
I.	**परिचालन से प्राप्त नकद लाभ**	**261,492**	**250,814**
II.	आस्तियों/देयताओं के परिचालन से नकदी प्रवाह {देयताओं में वृद्धि (कमी) }		
	जमाराशियां	3,242,154	3,133,692
	उधार	400,066	(75,959)
	आस्थगित कर आस्तियों/देयताओं के लिये समायोजन	3,407	
	अन्य देयताएं आदि (पूर्व के सालों में किये अधिक प्रावधानों के पुनर्लेखन सहित)	166,731	70,712
	आस्तियों में कमी/(वृद्धि)		
	अग्रिम	(3,167,078)	(2,278,107)
	निवेश	(399,561)	(1,140,657)
	अन्य	(64,063)	(11,002)
	परिचालन आस्तियों और देयताओं से नकदी प्रवाह	**181,656**	**(301,321)**
	परिचालन कार्यों शुद्ध नकदी प्रवाह (I+II)	**443,148**	**(50,507)**
बी	**निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह**		
	अचल आस्तियों का विक्रय/निपटान	664	528
	अचल आस्तियों की खरीद	(19,178)	(20,571)
	निवेश कार्यों से शुद्ध नकदी प्रवाह	**(18,514)**	**(20,043)**
सी	**वित्तपोषण कार्यों से नकदी प्रवाह**		
	लाभांश 2008-2009	-	(25,256)
	लाभांश कर 2008-09	-	(4,292)
	लाभांश 2009-10	(27,781)	
	लाभांश कर 2009-10	(4,721)	
	गौण ऋण टियर II पूंजी के आगम	(40,000)	
	टियर IIपूंजी पर ब्याज	(49,256)	(40,726)
	अधीनस्थ अपर टियर II पूंजी	50,000	100,000
	शाश्वत बांड	-	20,000
	पीएनसीपी	11,100	
	भारत सरकार से अंश पूंजी	**68,199**	
	वित्तपोषण कार्यों से शुद्ध नकदी प्रवाह	**7,541**	**49,726**

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

(रु लाख में)

क्र सं	विवरण	31.03.2011 को समाप्त वर्ष	31.03.2010 को समाप्त वर्ष
डी	**वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समकक्ष**		
	नकदी और रिजर्व बैंक के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	1,246,824	899,205
	बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा	330,845	699,288
	शुद्ध नकद और नकदी समकक्ष	**1,577,669**	**1,598,493**
ई	**वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष**		
	नकदी और रिजर्व बैंक के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	1,761,045	1,246,824
	बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा	248,799	330,845
	वर्ष के अंत में शुद्ध नकद और नकद समकक्ष	**2,009,844**	**1,577,669**

(एस. एस. मूंदड़ा)
कार्यपालक निदेशक

(एस. सी. कालिया)
कार्यपालक निदेशक

(एम. वी. नायर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

हम, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 31.03.2011 को समाप्त वर्ष का के लिये बैंक के उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण का सत्यापन किया है. यह विवरण स्टॉक एक्सचेंज के लिस्टिंग करार के खंड 32 की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया गया है और सदस्यों को दिनांक 6 मई 2011 की हमारी रिपोर्ट में सम्मिलित बैंक के लाभ हानि खाते तथा तुलन पत्र पर आधारित और उसके अनुरूप है.

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न है.

कृते जी.डी.आप्टे एंड कं.
सनदी लेखाकार

(चेतन आर.सप्रे)
भागीदार(सदस्य क्र.116952)
फर्म पंजी. सं. 100515 डब्ल्यू

कृते जे.एल.सेनगुप्ता एंड कं
सनदी लेखाकार

(एस.आर.अनंतकृष्णन)
भागीदार(सदस्य क्र.18073)
फर्म पंजी. सं. 307092 ई

कृते जगन्नाथन एंड सर्वेश्वरन
सनदी लेखाकार

(पी एस नरसिंहन)
भागीदार(सदस्य क्र.20936)
फर्म पंजी. सं. 001204 एस

कृते ओमप्रकाश एस.चपलोत एंड कं
सनदी लेखाकार

(महावीर चपलोत)
भागीदार(सदस्य क्र.403633)
फर्म पंजी. सं. 000127 सी

कृते अरुण कुमार अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

(विमल कुमार जैन)
भागीदार(सदस्य क्र.86657)
फर्म पंजी. सं. 003917 एन

कृते जी. एस. माथुर एंड कं
सनदी लेखाकार

(राजीव कुमार वधावन)
भागीदार (सदस्य क्र 091007)
फर्म पंजी. सं. 008744 एन

स्थान : मुंबई
तिथि : 6 मई, 2011

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सदस्यगण,

1. हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 31 मार्च, 2011 तक के संलग्न तुलन-पत्र तथा उसी तारीख को समाप्त अवधि के संलग्न समेकित लाभ-हानि खाते एवं समेकित नकदी प्रवाह विवरण का लेखा परीक्षण किया है. इन वित्तीय विवरणों के लिए बैंक प्रबंधन जिम्मेदार है और इनको प्रबंधन द्वारा पृथक वित्तीय विवरणों और सहायक कंपनियों तथा एसोसिएटों संबंधी अन्य वित्तीय सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है . हमारा दायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर अपना मत प्रकट करना है.

2. समेकित वित्तीय विवरण बैंक ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक 21 - समेकित वित्तीय विवरण की अपेक्षाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक (जब तक अन्यथा न कहा गया हो) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार,समेकित वित्तीय विवरणों में समाविष्ट बैंक, इसकी सहायक कंपनियों, संयुक्त उपक्रमों और निगमित एसोसिएटों के पृथक लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है.

3. हमने निम्नलिखित संस्थाओं के वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण नहीं किया है :

   (i) उन सहायक कंपनियों, जिनके 31 मार्च, 2011 के वित्तीय विवरण में ₹ 122.13 करोड़ की आस्तियां और इसी तारीख को कुल राजस्व ₹ 3.66 करोड़ है.

   (ii) उन संयुक्त उपक्रमों, जिनके उक्त तारीख को समाप्त वर्ष में ₹ 28.29 करोड़ की हानि है.

   (iii) उन एसोसिएटों, जिनके उक्त तारीख को शुद्ध लाभ ₹ 44.15 करोड़ हैं.

4. बैंक की जिन सहायक कंपनियों, संयुक्त उपक्रमों और एसोसिएटों की लेखापरीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गयी है और जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गयी हैं उनकी सम्मिलित की गयी राशि के बारे में हमारा मत पूर्णत: ऐसे अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है.

5. हमने समेकित वित्तीय विवरणों की अपनी लेखा परीक्षा भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा मानकों के अनुसार की हैं. इन मानकों की अपेक्षा है कि हम लेखापरीक्षा इस प्रकार की योजना व निष्पादन यह युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिये करते हैं कि वित्तीय विवरणों को सभी प्रकार से निश्चित वित्तीय रिपोर्टिंग फेमवर्क के अनुसार तैयार किया गया है और इनमें कोई सारवान सूचनाएं गलत नहीं है. लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में दी गयी राशि और प्रकटनों के समर्थन में दिये गये साक्ष्यों का नमूना आधार पर परीक्षण करना शामिल है और लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा किये गये अनुमानों का परीक्षण करना और समग्र वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना है. हम आश्वस्त हैं कि हमारा मत हमारी लेखापरीक्षा को समुचित आधार प्रदान करता है.

6. हमारी लेखापरीक्षा और पृथक वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और घटकों की अन्य वित्तीय सूचनाओं के आधार पर, और हमें दी गयी सूचनाओं और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों और ऊपर पैरा 3, 5 और 6 के अधीन हमारा मत है कि संलग्न समेकित वित्तीय विवरण, भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार हैं:

   (i) समेकित तुलन पत्र में, 31 मार्च, 2011 को बैंक, उसकी सहायक कंपनियों और एसोसिएटों और संयुक्त उपक्रमों (यूनियन बैंक समूह) में हितों के कार्यकलापों की समेकित स्थिति

   (ii) इसी तारीख के समेकित लाभ-हानि खाते में यूनियन बैंक समूह के लाभ ; और

   (iii) समेकित नकदी प्रवाह विवरण के मामले में समेकित नकदी प्रवाह विवरण वर्ष के नकदी प्रवाह की स्थिति की सही और उचित स्थिति दर्शाता है

जी.डी.आप्टे एंड कं.
सनदी लेखाकार

(चेतन आर.सप्रे)
भागीदार(सदस्य क्र.116952)
फर्म पंजी. सं. 100515 डब्ल्यू

कृते जगन्नाथन एंड सर्वेश्वरन
सनदी लेखाकार

(पी एस नरसिंहन)
भागीदार(सदस्य क्र.20936)
फर्म पंजी. सं. 001204 एस

कृते अरुण कुमार अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

(विमल कुमार जैन)
भागीदार(सदस्य क्र.86657)
फर्म पंजी. सं. 003917 एन

कृते जे.एल.सेनगुप्ता एंड कं
सनदी लेखाकार

(एस.आर.अनंतकृष्णन)
भागीदार(सदस्य क्र.18073)
फर्म पंजी. सं. 307092 ई

कृते ओमप्रकाश एस.चपलोत एंड कं
सनदी लेखाकार

(महावीर चपलोत)
भागीदार(सदस्य क्र.403633)
फर्म पंजी. सं. 000127 सी

कृते जी. एस. माथुर एंड कं
सनदी लेखाकार

(राजीव कुमार वधावन)
भागीदार (सदस्य क्र 091007)
फर्म पंजी. सं. 008744 एन

स्थान : मुंबई
तिथि : 6 मई, 2011

31 मार्च 2011 का समेकित तुलन पत्र

	अनुसूची	(000' को छोड़कर)
पूंजी और दायित्व		
पूंजी	1	6353324
आरक्षित निधियां	2	122971060
अल्पसंख्यक शेयरधारकों की हिस्सेदारी	2 ए	526555
जमाराशियां	3	2024000046
उधार	4	133159696
अन्य देनदारियां एवं प्रावधान	5	78618759
जोड़		**2365629440**
आस्तियां		
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाशेष	6	176448368
बैंकों में जमाशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन	7	24879905
निवेश	8	589131465
अग्रिम	9	1509932196
अचल आस्तियां	10	23015029
अन्य आस्तियां	11	42222477
जोड़		**2365629440**
अनुषंगी दायित्व	15	1594278197
संग्रहण के लिए बिल	16	52583722
उल्लेखनीय लेखा नीतियां	17	
खातों से संबंधित नोट	18	

वी.एच. कामत सहायक महा प्रबंधक	**एन. एस. महेता** महा प्रबंधक	**एस. एस. मूंदड़ा** कार्यपालक निदेशक	**एस. सी. कालिया** कार्यपालक निदेशक	**एम. वी. नायर** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
मीना हेमचंद्र निदेशक	**बी. एम. शर्मा** निदेशक	**एन. शंकर** निदेशक	**डॉ. गुलफ़ाम मुज़िबी** निदेशक	**प्रो. एम. एस. श्रीराम** निदेशक
अरुण कुमार नंदा निदेशक	**एस. रवि** निदेशक			

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न है.

जी.डी.आप्टे एंड कं.
सनदी लेखाकार

(चेतन आर.सप्रे)
भागीदार(सदस्य क्र.116952)
फर्म पंजी. सं. 100515 डब्ल्यू

कृते जे.एल.सेनगुप्ता एंड कं
सनदी लेखाकार

(एस.आर.अनंतकृष्णन)
भागीदार(सदस्य क्र.18073)
फर्म पंजी. सं. 307092 ई

कृते जगन्नाथन एंड सर्वेश्वरन
सनदी लेखाकार

(पी एस नरसिंहन)
भागीदार(सदस्य क्र.20936)
फर्म पंजी. सं. 001204 एस

कृते ओमप्रकाश एस.चपलोत एंड कं
सनदी लेखाकार

(महावीर चपलोत)
भागीदार(सदस्य क्र.403633)
फर्म पंजी. सं. 000127 सी

कृते अरुण कुमार अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

(विमल कुमार जैन)
भागीदार(सदस्य क्र.86657)
फर्म पंजी. सं. 003917 एन

कृते जी. एस. माथुर एंड कं
सनदी लेखाकार

(राजीव कुमार वधावन)
भागीदार (सदस्य क्र 091007)
फर्म पंजी. सं. 008744 एन

स्थान : मुंबई.
दिनांक : 06 मई, 2010.

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ एवं हानि लेखा

		अनुसूची	(000' को छोड़कर)
I.	**आय**		
	अर्जित ब्याज	13	164609431
	अन्य आय	14	20397190
	जोड़		**185006621**
II.	**व्यय**		
	व्यय किया गया ब्याज	15	102343142
	परिचालन व्यय	16	39742851
	प्रावधान और आकस्मिक व्यय		22230373
	जोड़		**164316366**
III.	**वर्ष का शुद्ध लाभ**		20690255
	जोड़ें : आगे लाया गया लाभ		-90420
	जोड़		**20599835**
	लाभ / हानि में असोसिएट का हिस्सा		1361373
	अल्पसंख्यकों का हिस्सा घटाने से पूर्व वर्ष का समेकित निवल लाभ /हानि		21961208
	घटाया अल्पसंख्यकों का हिस्सा		-27273
	समूह को वर्ष में प्राप्त निवल लाभ / हानि		21988481
	जोड़ा समूह का आगे लाया गया समेकित लाभ / हानि		0
	जोड़		**21988481**
IV.	**विनियोजन**		
	कानूनी आरक्षित को अंतरण		6250000
	पूंजी आरक्षित को अंतरण		612007
	राजस्व और अन्य आरक्षित निधियों को अंतरण		7372682
	प्रस्तावित लाभांश		4194659
	लाभांश कर		685950
	विशेष आरक्षित में अंतरण [धारा36(i)(viii)]		2820000
	पीएनसीपीएस पर ब्याज हेतु प्रावधान		51592
	लाभ व हानि लेखे में शेष		1591
	जोड़		**21988481**

वी.एच. कामत	**एन. एस. महेता**	**एस. एस. मूंदड़ा**	**एस. सी. कालिया**	**एम. वी. नायर**
सहायक महा प्रबंधक	महा प्रबंधक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
मीना हेमचंद्र	**बी. एम. शर्मा**	**एन. शंकर**	**डॉ. गुलफ़ाम मुज़िबी**	**प्रो. एम. एस. श्रीराम**
निदेशक	निदेशक	निदेशक	निदेशक	निदेशक
अरुण कुमार नंदा	**एस. रवि**			
निदेशक	निदेशक			

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न है.

जी.डी.आप्टे एंड कं.	**कृते जगन्नाथन एंड सर्वेश्वरन**	**कृते अरुण कुमार अग्रवाल एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
(चेतन आर.सप्रे)	**(पी एस नरसिंहन)**	**(विमल कुमार जैन)**
भागीदार(सदस्य क्र.116952)	भागीदार(सदस्य क्र.20936)	भागीदार(सदस्य क्र.86657)
फर्म पंजी. सं. 100515 डब्ल्यू	फर्म पंजी. सं. 001204 एस	फर्म पंजी. सं. 003917 एन
कृते जे.एल.सेनगुप्ता एंड कं	**कृते ओमप्रकाश एस.चपलोत एंड कं**	**कृते जी. एस. माथुर एंड कं**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
(एस.आर.अनंतकृष्णन)	**(महावीर चपलोत)**	**(राजीव कुमार वधावन)**
भागीदार(सदस्य क्र.18073)	भागीदार(सदस्य क्र.403633)	भागीदार (सदस्य क्र 091007)
फर्म पंजी. सं. 307092 ई	फर्म पंजी. सं. 000127 सी	फर्म पंजी. सं. 008744 एन

स्थान : मुंबई.
दिनांक : 06 मई, 2010.

31 मार्च 2011, के समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(000' को छोड़कर)

अनुसूची 1 - पूंजी:			
I. प्रधिकृत :			
₹ 10/- प्रति के 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर			30000000
II. निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त :			
i. 29,92,14,515 ईक्विटी शेयर प्रति ₹ 10/-, केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित			2992145
ii. 22,51,17,900 ईक्विटी शेयर प्रति ₹ 10/-, जनता द्वारा धारित			2251179
III. शाश्वत गैर-संचयी अधिमानी अंश - वर्ष के दौरान वृद्धि			1110000
जोड़			**6353324**
अनुसूची 2 - आरक्षित निधियां एवं अधिशेष			
I. कानूनी आरक्षित :		32730000	
पिछले तुलन पत्र के अनुसार		6250000	38980000
वर्ष के दौरान वृद्धि			
II. पूंजी आरक्षित :		6043198	
पिछले तुलन पत्र के अनुसार		612007	6655205
वर्ष के दौरान वृद्धि			
III. शेयर प्रीमियम		5323557	
पिछले तुलन पत्र के अनुसार		6627855	11951412
IV. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित			
पिछले तुलन पत्र के अनुसार		16159687	
वर्ष के दौरान कमी		421280	15738407
V. राजस्व और अन्य आरक्षित निधियां			
i) राजस्व और अन्य आरक्षित :			
		24467785	
वर्ष के दौरान वृद्धि		7581373	
जोड़		32049158	
ii) विशेष आरक्षित धारा 36(1)(viii)		0	
पिछले तुलन पत्र के अनुसार		14720000	
वर्ष के दौरान वृद्धि		2820000	
		17540000	
iii) विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधियां			
पिछले तुलन पत्र के अनुसार		43859	
वर्ष के दौरान वृद्धि		11428	
वर्ष के दौरान कमी			
जोड़		**55287**	**49644445**
VI. लाभ व हानि लेखा में शेष			
लाभ व हानि लेखा में शेष			1591
जोड़			**122971060**
अनुसूची 2 ए - अल्पसंख्यकों का हिस्सा			
वर्तमान अनुषंगी संबंध स्थापित होने की तारीख को अल्पसंख्यकों का हिस्सा			465745
बाद में हुई वृद्धि / कमी			60810
तुलन पत्र की तारीख को अल्पसंख्यकों का हिस्सा			**526555**

31 मार्च 2011, के समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(000' को छोड़कर)

अनुसूची 3 - जमाराशियां :

भारत स्थित शाखाओं की जमाराशियां			
I.	मांग जमाराशि		
	i) बैंकों से	9148137	
	ii) अन्यों से	187031418	196179555
II.	बचत बैंक जमाराशियां		446891747
III.	मीयादी जमाराशियां		
	i) बैंकों से	56363009	
	ii) अन्यों से	1324565735	1380928744
	जोड़		**2024000046**
	भारत स्थित शाखाओं की जमाराशियां		2018090755
	भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां		5909291
	जोड़		**2024000046**

अनुसूची 4 - उधार :

ए)	**उधार : पूंजी निवेश**		
	I. शाश्वत बांड	10400000	
	II. अपर टियर II बांड	22500000	
	III. अप्रतिभूत मोचनीय बांड	29000000	
बी.	भारत में उधार	0	
	i. भारतीय रिज़र्व बैंक	2300000	
	ii. अन्य संस्थाएं एवं अभिकरण	1957224	**66157224**
	II. भारत से बाहर उधार		67002472
	जोड़		**133159696**
उक्त I एवं II में शामिल प्रतिभूत उधार			1350105

अनुसूची 5 - अन्य देयताएं एवं प्रावधान :

I.	देय बिल	16466546
II.	उपचित ब्याज	6157806
III.	आस्थगित कर देयताएं	340652
IV.	अन्य (प्रावधानों सहित)	55653755
	जोड़	**78618759**

अनुसूची 6 - नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाशेष:

I.	धारित नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं)	4019625
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ जमाशेष चालू खाते में	172428744
	जोड़	**176448368**

31 मार्च 2011, के समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(000' को छोड़कर)

अनुसूची 7 - बैंकों में जमाशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन

I.	भारत में बैंकों के पास जमाशेष	
	i) ए) चालू खातों में	2183837
	बी) अन्य जमा खातों में	4350000
II.	भारत के बाहर	0
	i) ए) चालू खातों में	1124767
	बी) अन्य जमा खातों में	17221301
	iii) मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य धन	0
	जोड़	**24879905**

अनुसूची 8 - निवेश :

I.	भारत में निवेश	
	i) सरकारी प्रतिभूतियां	464060574
	ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	944262
	iii) शेयर	7436991
	iv) डिबेंचर एवं बांड	32085969
	v) सहायक एवं संयुक्त उद्यम	1552937
	vi) अन्य	
	- वाणिज्यिक पत्र	5847903
	- अन्य	47478560
	- म्युचुअल फंड	3697374
	- आरआईडीएफ	24976865
	- आर्सिल की प्रतिभूति रसीद	409719
	जोड़	**588491154**
II.	भारत के बाहर निवेश	
	i) सरकारी प्रतिभूतियों में (स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जारी सहित)	638322
	i) शेयरों में	1989
	जोड़	**640311**
	जोड़	**589131465**
III.	i) भारत में निवेश	
	सकल मूल्य	589547545
	मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान	1056391
	निवल मूल्य	**588491154**
	ii) भारत के बाहर निवेश	
	सकल मूल्य / निवल मूल्य	640311
	जोड़	**589131465**

31 मार्च 2011, के समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(000' को छोड़कर)

अनुसूची 9 - अग्रिम

I.	i)	खरीदे और भुनाए गए बिल	64515360
	ii)	नकद साख, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय ऋण	796275098
	iii)	मीयादी ऋण	649141738
	जोड़		**1509932196**
II.	i)	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के पेटे अग्रिमों सहित)	1130993837
	ii)	बैंक / सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित	58700690
	iii)	अप्रतिभूत	320237669
	जोड़		**1509932196**
ए.	**भारत में अग्रिम**		
	i)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	483787627
	ii)	सार्वजनिक क्षेत्र	137245267
	iii)	बैंक	87534996
	iv)	अन्य	741949241
	जोड़ - ए		**1450517131**
बी.	**भारत के बाहर अग्रिम**		
	अन्यों से देय		
	ए)	खरीदे एवं भुनाए गए बिल	1608874
	बी)	सिंडिकेट ऋण	57683267
	सी)	अन्य	122924
	जोड़ - बी		**59415065**
	जोड़ (ए + बी)		**1509932196**

अनुसूची 10 - अचल आस्तियां

ए.	**मूर्त आस्तियां**			
	I.	**परिसर**		
		पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर	21149084	
		वर्ष के दौरान वृद्धि	140919	
			21290003	
		घटाएं : आज की तारीख तक मूल्यह्रास	3861794	17428209
	II.	**प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य**		
		पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	99648	
		वर्ष के दौरान वृद्धि	71373	
		वर्ष के दौरान कमी	30477	140544
	III.	**भूमि**		
		पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	135204	
		घटाएं : आज की तारीख तक मूल्य ह्रास	22260	112944
	IV.	**अन्य अचल संपत्तियां**		
		(फर्नीचर एवं फिक्सचर्स सहित)		
	ए)	पट्टे पर दी गई आस्तियां		
		पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	310477	
			310477	
		घटाएं : आज की तारीख तक मूल्य ह्रास	310477	

31 मार्च 2011, के समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

			(000' को छोड़कर)
	बी) अन्य		
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर	12326467	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	1643676	
		13970143	
	वर्ष के दौरान कमी	451065	
		13519078	
	घटाएं : आज की तारीख तक मूल्य ह्रास	8322150	
			5196928
बी.	**अमूर्त आस्तियां**		
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर		
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	764564	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	100260	
		864824	
	आज की तारीख तक परिशोधन	728420	**136404**
	जोड़		**23015029**

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां :

I.	अंतर-कार्यालयीन समायोजन (निवल)	6366834
II.	उपचित ब्याज	12463874
III.	संदत्त/स्रोत पर काटा गया ब्याज (प्रावधानों के समायोजन के बाद)	
IV.	लेखन सामग्री और स्टैंप	-4195547
V.	दावों के समाधान से अर्जित गैर बैंककारी आस्तियां	85492
VI.	आस्थगित कर आस्तियां	390
VII.	अन्य	0
I.	अंतर-कार्यालयीन समायोजन (निवल)	27501435
	जोड़	**42222477**

अनुसूची 12 - अनुषंगी दायित्व :

I.	बैंक के विरुद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किया गया है	12479900
II.	अंशत: संदत्त निवेशों के लिए देयताएं	5920
III.	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं	1332270183
IV.	संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां	
	i) भारत में	131390908
	ii) भारत के बाहर	929873
V.	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं	113938257
VI.	अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रुप से उत्तरदायी है	
	i) अपील के अधीन विवादास्पद कर मांग	3169400
	ii) अन्य	93756
	जोड़	**1594278197**

31 मार्च 2011 के समेकित लाभ एवं हानि लेखा के भाग के रूप में अनुसूचियां

	31.03.2011 को समाप्त वर्ष
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज	
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा	120312406
II. निवेशों पर आय	40110045
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के जमाशेषों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	1610962
IV. अन्य	2576018
जोड़	**164609431**
अनुसूची 14 - अन्य आय	
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	3649397
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ - निवल	4643849
III. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ - निवल	-3591
IV. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ - निवल	4290134
V. विविध आय	7817401
जोड़	**20397190**
अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज	
I. जमाराशियों पर ब्याज	95358371
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	1134443
III. अन्य	5850328
जोड़	**102343142**
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय	
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	26042284
II. किराया, कर और प्रकाश	2370438
III. मुद्रण और लेखनसामग्री	337089
IV. विज्ञापन एवं प्रचार	943487
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास	1562316
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते एवं व्यय	10312
VII. प्रबंध / कार्यपालक निदेशक को पारिश्रमिक	5633
VIII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	214155
IX. विधि प्रभार	107338
X. डाक खर्च, तार और टेलीफोन आदि	433874
XI. मरम्मत एवं अनुरक्षण	561084
XII. बीमा	1759023
XIII. अन्य व्यय	5395819
जोड़	**39742851**

वर्ष 2010-2011 के समेकित लेखा की अनुसूचियां

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1.1 लेखांकन प्रथा एवं समेकन पद्धति

1.1 संलग्न समेकित वित्तीय विवरण, जब तक कुछ अन्यथा न कहा गया हो, निरंतर कारोबार सिद्धांत और सामान्यत: परंपरागत लागत के आधार पर भारतीय कार्यालयों / शाखाओं के संबंध में भारत में एवं विदेशी कार्यालयों / शाखाओं के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों एवं पद्धतियों के अनुरूप तैयार किए गए हैं.

1.2 वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन को वित्तीय विवरण की तारीख के रिपोर्ट किये आस्तियों और देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्टिंग अवधि के लिये रिपोर्ट किये गये आय और व्यय में अनुमानों और कल्पित मदों को शामिल करना होता है प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रयुक्त अनुमान विवेकपूर्ण व उचित हैं.

1.3 समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण में प्रयुक्त बैंक (पेरेंट) की लेखांकन नीतियां एवं व्यवहार , बैंकिंग उद्योग के व्यवहार को दर्शाती है जो भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउटेंट आफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक 21 " समेकित वित्तीय विवरण " के अनुसार हैं.

1.4 पेरेंट बैंक और उसके सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण, अंतरा-समूह लेनदेनों, अप्राप्त लाभ/हानि को निकालने और एकरूप लेखांकन नीतियों के अनुरूप आवश्यक समायोजन के बाद आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय जैसी मदों को लाइन-बाई-लाइन आधार पर जोड़कर मिलाये गए हैं. सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण पेरेंट बैंक की रिपोर्टिंग तारीख तक अर्थात् 31 मार्च 2011 तक के बनाये गये हैं.

1.5 समेकित वित्तीय विवरण में अल्पसंख्यक शेयरधारकों की हिस्सेदारी में सहायक कंपनियों की शुद्ध इक्विटी में अल्पसंख्यक शेयरधारकों के शेयर हैं .

1.6 एसोसिएट कंपनियों में निवेश का लेखांकन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउटेंट आफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक 23 " समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगियों में निवेश का लेखांकन " के अनुसार ईक्विटी विधि के अंतर्गत किया गया है.

2. राजस्व की पहचान

2.1 बैंकिंग कंपनियां

i अन्यथा उल्लेखित न हो तब तक, आय और व्यय की गणना सामान्यत: उपचय आधार पर की गई है.

ii. गैर निष्पादित अग्रिमों(एनपीए) पर आय की पहचान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली की गई सीमा तक की गई है.वर्ष के दौरान एनपीए के रूप में वर्गीकृत अग्रिमों के मामलों में विगत वर्ष लेखों में शामिल की गई तथा वसूली के लिए शेष रही आय को अमान्य किया गया है.

iii) अर्जित कमीशन, विनिमय एवं ब्रोकरेज, सुरक्षित जमा लॉकरों का किराया और बॉयोमैट्रिक्स कार्ड पर कमीशन प्राप्ति के बाद ही लेखांकित किए गए हैं.

iv) विदेशी शाखा : आय और व्यय की पहचान / लेखांकन संबंधित देशों के स्थानीय नियमों के अनुसार लिए गए हैं.

i) आस्ति वर्गीकरण एवं ऋण हानि प्रावधान

2.2 गैर बैंकिंग संस्थाएं :

बीमा :

ए) प्रीमियम आय:

प्रीमियम (सेवा कर निकालकर) देय होने पर आय माना गया है. सहयोगी ईकाइयां सृजित किये जाने पर सम्बद्ध (linked) कारोबार के लिए, प्रिमियम की पहचान की जाती है . टॉप-अप प्रिमियम को एक प्रीमियम माना गया है. व्यपगत पॉलिसियों पर प्रीमियम को आय, उन पालिसियों के पुन: बहाल होने पर माना जाता है. पुनर्बीमा कराने पर प्राप्त कमीशन को उस अवधि की आय माना जाता है जिस अवधि के लिये पुनर्बीमा प्रीमियम दिया गया हो

बी) सम्बद्ध निधियों से आय :

सम्बद्ध निधियों से आय जिसमें प्रिमियम आवंटन प्रभार, पॉलिसी प्रशासनिक प्रभार, मृत्यु प्रभार, निधि प्रबंधन प्रभार आदि शामिल होते हैं, जारी पॉलिसी की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार सम्बद्ध निधियों से वसूल किए जाते हैं.

सी) पुनर्बीमा प्रिमियम

अर्पित पुनर्बीमा की लागत पुनर्बीमाकर्ता के साथ समझौते या सैद्धांतिक व्यवस्था के अनुसार प्रिमियम आय की पहचान के समय हिसाब में ली जाती है. अर्पित पुनर्बीमा पर लाभ कमीशन पुनर्बीमा पर दिए गए प्रिमियम से कम कर लिया जाता है.

डी) प्रदत्त लाभ (दावों सहित) :

पॉलिसी लाभ सहित प्रदत्त लाभ एवं दावा निपटान लागतें, यदि कोई हों. मृत्यु, अनुवृद्धि एवं अभ्यर्पण दावे सूचना प्राप्त होने पर हिसाब में लिए जाते हैं. उत्तरजीविता लाभ दावे और परिपक्वता दावे देय होने पर हिसाब में लिए जाते हैं. सम्बद्ध पॉलिसियों के अंतर्गत आहरण एवं अभ्यर्पण संबंधित स्कीमों में तब हिसाब में लिए जाते हैं जब सहयोगी ईकाइयां रद्द हो जाती हैं. दावों पर पुनर्बीमा वसूलियां संबंधित दावों के अनुसार उसी अवधि में हिसाब में ली जाती हैं.

ई) अधिग्रहण लागतें :

अधिाग्रहण लागतें वे लागतें हैं जो बीमा संविदाओं के अधिग्रहण के साथ परिवर्तित होती हैं और मूल रूप से उनसे ही संबंधित होती हैं तथा उसी अवधि के व्यय में आती हैं जिसमें ये खर्च की गयी हों.

एफ) जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए देयता :

बीमांकिक दायित्व चालू जीवन पॉलिसियों एवं उन पॉलिसियों के लिए लागू होता है जिनके प्रिमियम बंद हो गए हैं परंतु देयता विद्यमान है. इसका निर्धारण स्वीकृत बीमांकिक पद्धति, बीमा अधिनियम 1938 की अपेक्षाएं, इरडा के विनियमों और भारतीय बीमांकिक संस्थान के निबंधनों के अनुसार सकल बीमा विधि का प्रयोग करके और समूह कारोबार के मामले में अनर्जित प्रिमियम विधि का प्रयोग करके नियत बीमांकिक द्वारा किया जाता है.

3 निवेश

i) बैंक के निवेश संविभाग को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तीन श्रेणियों में निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

a) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)

b) विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)

c) ट्रेडिंग के लिए धारित (एचटीएफ)

ii) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित सिद्धांतों को अपनाया गया है.

ए) i) परिपक्वता तक धारित श्रेणी में रखी गई प्रतिभूतियां- अधिग्रहण लागत पर. अंकित मूल्य से ऊपर अधिग्रहण लागत का आधिक्य परिपक्वता की शेष अवधि के लिए परिशोधित होता है.

बी) विक्रय के लिए उपलब्ध एवं ट्रेडिंग के लिए धारित श्रेणी में रखी गई प्रतिभूतियां

क्र. सं.	निवेश	मूल्यांकन मानदंड
i.	भारत सरकार की प्रतिभूतियां	फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंव डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (एफआईएमएमडीए) द्वारा प्रसारित भावों के अनुसार
ii.	राज्य विकास ऋण केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा गारटीकृत प्रतिभूतियां, पी एस यू बांड.	फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एवं डेरिवेटिव एसोसिएशन (एफ आई एम एम डी ए) के अनुसार समुचित परिपक्वता आधार के लाभ पर
iii.	इक्विटी शेयर	यदि उपलब्ध हो तो बाज़ार मूल्य पर अन्यथा अद्यतन तुलन पत्र के अनुसार बही मूल्य पर, (यदि अद्यतन तुलन-पत्र एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं) .दोनों नहीं होने पर रू.1/- प्रति कंपनी के अनुसार
iv.	अधिमानी शेयर	यदि उल्लेखित हो तो, बाजार मूल्य पर या एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशानुसार समुचित परिपक्वता आधार के लाभ पर लेकिन शोधन मूल्य से अधिक नहीं
v.	डिबेंचर	बाजार मूल्य पर, यदि उल्लेखित हो, अन्यथा एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशानुसार समुचित परिपक्वता आधार के लाभ पर
vi.	म्युचुअल फंड	स्टॉक एक्सचेंज द्वारा बताई गई दरों के अनुसार, यदि बताई गई हों. यदि दरें बताई न गई हों, तो म्युचुअल फंड द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य के अनुसार. यदि नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य घोषित न किया गया हो, तो शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) के अनुसार.
vii.	राजकोषीय बिल/ वाणिज्यिक पत्र/जमा प्रमाणपत्र	संवहन लागत पर
viii.	जोखिम पूंजी निधियां	घोषित एनएवी पर अथवा लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार विश्लेषित एनएवी पर जो कि 18 माह से अधिक पुरानी न हो. यदि एनएवी/लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण लगातार 18 माह से अधिक के उपलब्ध न हो तो रू.1/-प्रति वीसीएफ पर्
ix.	प्रतिभूति रसीदें	प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा घोषित एनएवी पर्
x	विदेशी शाखा	निवेशों का बर्गीकरण और मूल्यांकन स्थानीय नियमों के अनुसार किया गया है

सी i) "ट्रेडिंग के लिए धारित श्रेणी" में रखी गई प्रतिभूतियां- एफआईएमएमडीए द्वारा प्रस्तुत सरकारी प्रतिभूतियों के भावों के आधार पर बाजार दर पर.

ii) अंतर बैंक रेपो / रिवर्स रेपो लेनदेन वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार हिसाब में लिए गए हैं.

iii) "विक्रय के लिए उपलब्ध / ट्रेडिंग के लिए रखे गए " में निवेश ऋेणी-वार एवं स्क्रिप (शेयर)वार मूल्यांकित किए गए हैं.प्रत्येक ऋेणी में कुल मूल्यह्रास, यदि कोई है, तो उसे लाभ एवं हानि खाते से प्रभारित किया गया है जबकि कुल अधिमूल्यन (appreciation), यदि कोई है, तो उसपर ध्यान नहीं दिया गया है.

iv) एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण अभिग्रहण लागत / बही मूल्य / बाजार मूल्य के निम्नतर स्तर पर अंतरण की तारीख को किया गया है.ऐसा मूल्यह्रास, यदि कोई है, तो उसका अंतरण पर पूर्णत: प्रावधान किया गया है.

v) गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान की गई है और मूल्यह्रास/प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए हैं.

vi) किसी भी श्रेणी में निवेशों के विक्रय पर हुए लाभ / हानि लाभ एवं हानि खाते में लिए गए हैं. तथापि, परिपक्वता तक रखे गए श्रेणी के निवेशों के विक्रय पर लाभ के मामले में एक बराबर रकम (करों को घटाकर, यदि कोई हों, और सांविधिक आरक्षितियों के अंतर को घटाकर) को पूंजी आरक्षण लेखा में विनियोजित किया गया है.

vii) प्रतिभूतियों पर कमीशन, ब्रोकरेज, ब्रोकन अवधि ब्याज आदि लाभ एवं हानि खाते को नामे / जमा किए गए हैं.

डी. **डेरिवेटिव संविदा**

i) वित्तीय विवरण में ब्याज वहन करने वाली आस्ति अथवा देयता को संरक्षण देने वाली ब्याज दर स्वैप उपचित आधार पर लगाया गया है. सिवाय उन स्वैप नामित आस्तियों और देयताओं के, जिन्हें लागत अथवा बाजार मूल्य, दोनों में जो कम हो, अथवा बाजार मूल्य पर लिया गया है. स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि का स्वैप की शेष संविदा अवधि अथवा आस्ति या देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के अनुसार निर्धारित किया गया है.

ii) ट्रेडिंग स्वैप संव्यवहार वित्तीय विवरण में दर्ज परिवर्तनों के साथ मार्क-टू-मार्केट आधार पर संपन्न किए जाते हैं :

iii) विकल्प संविदाओं के मामले में फेडाई द्वारा समय समय पर आय की पहचान, प्रीमियम और बट्टे के बारे में जारी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है.

4. अग्रिम :

i) सभी अग्रिमों को 4 श्रेणियों (ए) मानक, (बी) अवमानक, (सी) संदिग्ध तथा (डी) हानिकारक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा ऐसे अग्रिमों पर हानि के लिए आवश्यक प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विद्यमान विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार सुनिश्चित किया गया है. मानक अग्रिमों के कुछ संवर्ग यथा उपभोक्ता वस्तुओं के लिए ऋण, शैक्षिक ऋण, क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण और अन्य वैयक्तिक ऋणों के लिए की संविधिक अपेक्षा से 2% अधिक राशि का प्रावधान किया गया है.

ii) अग्रिम की राशि प्रावधानों तथा विविध खातों में रखे गए अप्राप्त ब्याज और गैर-निष्पादित आस्तियों से संबंधित सीजीटीएफ/ईसीजीसी से प्राप्त दावे की राशि कम करके बताई गई है. मानक अग्रिमों पर प्रावधान "अन्य देयताएं एवं प्रावधान" में किया गया है.

iii) विदेशी शाखाओं का आस्ति वर्गीकरण एवं ऋण हानि प्रावधान स्थानीय अपेक्षाओं के अनुसार या भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार , इनमें जो अधिक सख्त है, किये गये हैं.

5. अस्थिर(फ्लोटिंग) प्रावधान

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक में विद्यमान फ्लोटिंग प्रावधान के अलावा अग्रिमों के फ्लोटिंग प्रावधानों के रूप में प्रतिवर्ष कुल एनपीए का न्यूनतम 1% उस समय तक अलग रखने की अनुमोदित नीति है, जब तक कि कुल एनपीए का कवरेज 100% तक नहीं हो जाता.

6. अचल आस्तियां

i) अचल आस्तियां परंपरागत लागत पर उल्लेखित की गई हैं, जबकि भूमि और भवन पुनर्मूल्यांकित रकम पर उल्लेखित हैं.

ii) सॉफ्टवेयर सिस्टम को अमूर्त आस्तियों के रूप में पूंजीकृत किया गया है.

iii) अचल आस्तियों के मूल्यह्रास का प्रावधान ह्रासित शेष प्रणाली के अनुसार प्रबंधन द्वारा उचित समझी गयी निम्नांकित दर पर किया गया

आस्तियों का प्रकार		मूल्य ह्रास की दर
i)	परिसर	5%
ii)	अन्य अचल आस्तियां	
	- फर्नीचर और फिटिंग्स	10%
	- इलेक्ट्रिक फिटिंग और उपस्कर, कार्यालय उपकरण, एसडीवी/लॉकर्स/स्ट्रांग रूम आदि	15%
	- परिवहन वाहन	20%
	- यू.पी.एस.	33.33%
iii)	आस्तियों के पुनर्मूल्याकन के परिणामस्वरूप जोड़ी गयी राशि पर	संबंधित आस्ति के आर्थिक अवशिष्ट काल के आधार पर्

iv) कम्प्यूटरों एवं सॉफ्टवेयर सिस्टम पर मूल्यह्रास 33.33% की दर से सीधी रेखा प्रणाली के आधार पर लगाया गया है.

v) 30 सितंबर तक आस्तियों के परिवर्द्धन पर मूल्यह्रास पूर्ण दर से और उसके बाद हुए परिवर्द्धन पर आधे दर से लगाया गया है.

vi) भूमि और भवन का मूल्य अलग-अलग पता न लगा पाने पर परिसर पर मूल्यह्रास संमिश्र लागत पर लगाया गया है.

vii) वर्ष के दौरान बेची/निपटान की गईं आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान नहीं किया गया है.

viii) पट्टे पर ली गयी भूमि का पट्टे की अवधि पर परिशोधन किया गया है.

ix) भारत के बाहर अचल आस्तियों और अनुषंगी / सहयोगी संस्थाओं की अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास नियामक की अपेक्षाओं / या सम्बन्धित देश / उद्योग के प्रचलित कार्य-व्यवहारों के अनुसार लगाया गया है.

7. विदेशी विनिमय वाले लेनदेन

विदेशी मुद्रा स्थिति का पुनर्मूल्यांकन तथा इनसे हुई लाभ - हानियों का लेखांकन

i) वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर मौद्रिक आस्तियों एवं देयताओं का पुनर्मूल्यन किया गया है और परिणामी लाभ / हानि को लाभ और हानि खाते में लिया गया है.

ii) आय एवं व्यय मदों को लेनदेन की तारीख पर विद्यमान विनिमय दरों पर अभिलिखित किया गया है.

iii) वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं को वायदा की तारीख पर विद्यमान विनिमय दर पर अभिलिखित किया गया है. फेडाई द्वारा विनिर्दिष्ट परिपक्वताओं और मध्यवर्ती परिपक्वताओं के संविदा के लिए इंटरपोलेटेड दर के अनुसार बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया है और परिणामी लाभ-हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया गया है.

iv) गारंटी, स्वीकरण, परांकन एवं अन्य बाध्यताओं के कारण आकस्मिक देयताएं वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दर के आधार पर दर्शायी गयी है.

v) भारत से बाहर बैंक के प्रतिनिधि कार्यालयों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एकीकृत परिचालन माना गया है.

8. गैर-एकीकृत विदेशी परिचालन के संबंध में लेखांकन :

अपतटीय बैंकिंग ईकाइयों (ओबीयू) एवं विदेशी शाखा का वर्गीकरण गैर-एकीकृत विदेशी परिचालन के रूप में किया गया है.

ए अपतटीय बैंकिंग ईकाई (ओबीयू)एवं विदेशी शाखा

i) आस्तियों एवं देयताओं (मौद्रिक एवं गैर -- मौद्रिक तथा आकस्मिक देयताओं सहित) को फेडाई द्वारा वर्ष की समाप्ति पर अधिसूचित बंद दरों पर दर्शाया गया है.

ii) आय एवं व्ययों को संबंधित तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित तिमाही औसत बंद दर पर परिवर्तित किया गया है.

iii) सभी परिणामी विनिमय अंतरों को एक अलग खाते विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित में संचित रखा गया है.

9. कर्मचारी लाभ :

ग्रेच्युटी निधि एवं पेंशन निधि को वार्षिक अंशदान तथा अवकाश नकदीकरण का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है और भविष्य निधि में अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है.वर्ष के दौरान शुद्ध बीमांकिक लाभों एवं हानियों की पहचान की गयी है.

10. कर निर्धारण

चालू एवं आस्थगित दोनों करों के लिए करों का प्रावधान किया जाता है. कर योग्य आय पर वर्तमान कर दर एवं कर नियमों के अनुसार प्रावधान किया जाता है. समय अंतराल के कारण उत्पन्न आस्तियों एवं आस्थगित कर देयताओं जिन्हें आगामी अवधियों में रिवर्स किया जाना है, की पहचान तुलन पत्र की तारीख तक लागू की गयीं कर दरों एवं बनाए जा चुके कर नियमों के अनुसार की गयी है. आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण तब तक नहीं किया जाता है जब तक कि यह "समुचित निश्चितता" न हो कि ऐसी पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके पेटे ऐसे आस्थगित कर आस्तियों की उगाही की जाएगी. अनवशोषित मूल्यह्रास और कर-हानियों को अग्रेषित करने की स्थिति में "वास्तविक निश्चितता" उपलब्ध होने पर ही आस्थगित कर आस्तियों का अभिनिर्धारण किया जाता है.

11. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां :

पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप सृजित वर्तमान देयताओं के लिए परिमाणन के प्राक्कलन के ठोस स्तर वाले प्रावधानों का अभिनिर्धारण किया जाता है.यह संभव है कि संसाधनों का बहिर्वाह होगा तथा देयता की रकम का वास्तविक अनुमान किया जा सकेगा.वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों की न तो पहचान की गयी है न ही उन्हें उद्घाटित किया गया है.आकस्मिक देयताओं का प्रावधान नहीं किया गया है तथा टिप्पणियों के माध्यम से प्रकट किया गया है.

अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स

1. बैंक (पेरेंट)वित्तीय विवरणों के साथ जिन सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण समेकित किये गये हैं उनका विवरण इस प्रकार है:

सहायक कंपनियों के नाम	निगमन का देश	31.03.2011 को बैंक (पेरेंट) के स्वामित्व का अनुपात
यूनियन केबीसी असेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि	भारत	51%
यूनियन केबीसी ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लि	भारत	51%

2. समेकित वित्तीय विवरण में सम्मिलित संयुक्त उपक्रमों के विवरण इस प्रकार हैं

संयुक्त उपक्रमों के नाम	निगमन का देश	स्वामित्व का अनुपात
स्टार यूनियन दाई इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. (गैर बैंकिंग)	भारत	26%

3. समेकित वित्तीय विवरण में सम्मिलित एसोसिएट के विवरण इस प्रकार हैं:

एसोसिएटों के नाम	निगमन का देश	स्वामित्व का अनुपात
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक		
i) काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक	भारत	35%
ii) रीवा सीधी ग्रामीण बैंक	भारत	35%

4. जिन सहायक कंपनियों, संयुक्त उपक्रमों और एसोसिएटों के वित्तीय विवरण समेकन के लिये उपयोग किये गये हैं वे उसी अवधि के लिये तैयार किये गये हैं जिस अवधि के वित्तीय विवरण बैंक (पेरेंट) के हैं अर्थात 31.03.2011 के

5 देशी एसोसिएट/सहायक कंपनियों के मामले में, पेरेंट बैंक और एसोसिएट/सहायक कंपनियों द्वारा अपनायी गयी अलग अलग लेखांकन नीतियों के कारण किये जाने वाले समायोजन, एसोसिएट/सहायक कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराये गये डाटा के आधार पर किये गये हैं.

6. समेकित वित्तीय विवरण, स्टार यूनियन दाई इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि , केबीसी असेट मैनेजमेंट कंपनी लि. और सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर तैयार किये गये हैं

7. पेरेंट बैंक के संदर्भ में कुछ मामलों को छोड़कर विदेशी और अन्य बैंकों के साथ शेष की पुष्टि / समाधान सामान्यतया प्राप्त किया गया है.

उचंत खाता, विविध जमा, समाशोधन समायोजन, बैंक समाधान विवरण और विभिन्न अंतर-शाखा /कार्यालय खातों में बकाया प्रविष्टियों के

समायोजन का काम जारी है. शाखाओं द्वारा रखे जाने वाले केन्द्रीय कार्यालय लेखा का समाधान 31 मार्च 2011 तक पूरा कर लिया गया है.

इनके अंतिम समाधान लंबित रहने का प्रबंधन के विचार से लेखों पर होने वाला समग्र प्रभाव उल्लेखनीय नहीं होगा.

8. आय कर

पेरेंट बैंक का मानना है कि इसके खातों में किया गया आयकर का प्रावधान पर्याप्त है.

9. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अतिरिक्त जानकारी इस प्रकार है :

9.1 पूंजी

(₹ करोड़ में)

		31.03.2011	31.03.2010
i)	सीआरएआर (%)	12.95	12.51
ii)	सीआरएआर - टायर I कैपिटल (%)	8.69	7.91
iii)	सीआरएआर - टायर I I कैपिटल (%)	4.26	4.60
iv)	भारत सरकार के शेयर होल्डिंग का प्रतिशत	57.06	55.43
v)	आईपीडीआई के द्वारा अर्जित राशि	-	200
vi)	अपर टायर II लिखतों के द्वारा अर्जित राशि	500.00	1000

9.2 प्रावधान और आकस्मिक निधियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2011	31.03.2010
एनपीए के लिये प्रावधान	1141.69	698.92
निवेश के मूल्य में कमी	**26.65**	**(117.34)**
कर के लिये प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	873.45	758.00
मानक आस्तियों के लिये प्रावधान	148.54	20.95
अन्य प्रावधान (फ्लोटिंग प्रावधान सहित)	**32.71**	**223.86**
सकल योग	2223.04	1584.39

9.3 फ्लोटिंग प्रावधान के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2011	31.03.2010
फ्लोटिंग प्रावधान में आरंभिक शेष	697.00	539.50
लेखा वर्ष के दौरान किया गया फ्लोटिंग प्रावधान	46.00	157.50
लेखा वर्ष के दौरान निकाली गयी राशि	0	0
फ्लोटिंग प्रावधान में आरंभिक शेष	743.00	697.00

10. लेखा मानक 15 (संशोधित) - कर्मचारी लाभ - 2010-11 (पेरेंट बैंक)

बैंक ने 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी लेखा मानक के अनुसार, बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर किया गया है.

(₹ करोड़ में)

		ग्रैच्युटी	पेंशन
i)	**मुख्य बीमांकक पूर्वानुमान का उपयोग**		
	पिछली डिस्काउंट दर	8.00%	8.00%
	पिछली प्लान आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर	8.00%	8.00%
	पिछली वेतन वृद्धि	4.00%	4.00%
	पिछली एट्रीशन दर	2.00%	2.00%
	चालू डिस्काउंट दर	8.50%	8.50%
	चालू प्लान आस्तियों पर प्रतिलाभ दर	8.00%	8.00%
	चालू वेतन वृद्धि	4.00%	4.00%
	चालू एट्रीशन दर	2.00%	2.00%
ii)	**लाभ बाध्यताओं में परिवर्तन दर्शाने वाला टेबल** :		
	वर्ष के आरंभ में देयता	518.27	1359.12
	ब्याज लागत	40.70	101.45
	चालू सेवा लागत	37.40	62.34
	पिछली सेवा लागत (गैर निहित लाभ)	325.00	1690.21
	पिछली सेवा लागत (निहित लाभ)	-	375.65
	देयता अंतरण आवक	-	1122.50
	देयता अंतरण जावक	-	-
	प्रदत्त लाभ	(93.82)	(306.64)
	बीमांकिक (अर्जन) / बाध्यताओं पर हानि	67.38	367.19
	वर्ष के अंत में देयताएं	**894.93**	**4771.82**

		ग्रैच्युटी	पेंशन
iii)	**योजना आस्तियों के उचित मूल्य का टेबल:**		
	वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	767.36	1158.11
	योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	6845	115.58
	अंशदान	135.21	440.01
	अन्य कंपनी से अंतरण	-	1122.50
	अन्य कंपनी को अंतरण	-	-
	प्रदत्त लाभ	(93.82)	(306.64)
	प्लान आस्तियों पर बीमांकिक अर्जन / (हानि)	(4.15)	(15.87)
	वर्ष के अंत में प्लान आस्तियों का उचित मूल्य	873.05	2513.69
	अभिज्ञात किया जाने वाला कुल बीमांकिक अर्जन / (हानि)	**(71.53)**	**(383.06)**
iv)	**संक्रमणकालीन देयता की पहचान :**		
	प्रारंभिक संक्रमणकालीन देयता	-	-
	वर्ष के दौरान पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	-	-
	अंत में संक्रमणकालीन देयता	-	-
v)	**प्लान आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ :**		
	प्लान आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	68.45	115.58
	प्लान आस्तियों पर वास्तविक लाभ / (हानि)	(4.15)	(15.87)
	प्लान आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	**64.30**	**99.71**
vi)	**तुलन-पत्र में पहचानी गई रकम :**		
	वर्ष के अंत में देयता	894.93	4771.82
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	873.05	2513.69
	अंतर	(21.88)	(2258.13)
	न पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (गैर-निहित).... अंतिम शेष	260.00	1352.17
	न पहचानी गई संक्रमण देयता ..... अंतिम शेष	-	-
	तुलन-पत्र में पहचानी गई रकम	**238.12**	**(905.96)**
vii)	**आय विवरण में पहचाने गए व्यय**		
	वर्तमान सेवा लागत	37.40	62.34
	ब्याज लागत	40.70	101.45
	प्लान आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	(68.45)	(115.58)
	पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (गैर निहित लाभ)	65.00	338.04
	पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ)	-	375.65
	संक्रमण देयता की पहचान	-	-
	बीमांकिक लाभ या हानि	71.53	383.06
	लाभ हानि खाते में पहचाने गए व्यय	**146.18**	**1144.96**
viii)	**तुलन पत्र समाधान:**		
	प्रारंभिक शुद्ध देयता (पिछले वर्ष तुलन-पत्र में चिन्हित निवल राशि)	(249.09)	201.01
	उपर्युक्त अनुसार व्यय	146.18	1144.96
	अन्य कंपनियों से अंतरित (शुद्ध)	-	-
	अन्य कंपनियों को अंतरित (शुद्ध)	-	-
	नियोक्ता का अंशदान	-	-
	तुलन-पत्र में चिन्हित राशि	(135.21)	(440.01)
		(238.12)	**905.96**

		ग्रैच्युटी	पेंशन
ix)	**अन्य विवरण :** ग्रैच्युटी सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन की दर पर देय है, बशर्ते कि अधिकतम राशि ₹ 10,00,000.00 या बैंक की स्कीम के अनुसार हो. पेंशन प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए वेतन का 1/66, अधिकतम 50% घटना के वर्ष में समायोजित वास्तविक लाभ / हानि. वेतन वृद्धि बैंक द्वारा बताए अनुसार समायोजित की गई है, जो पदोन्नति, कर्मचारियों की मांग एवं पूर्ति को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग उद्योग में लागू प्रैक्टिस के अनुसार है.		
	सदस्यों की संख्या	29,582	27586
	वेतन प्रति माह	95.14	84.45
	अगले वर्ष के लिए अंशदान	-	**273.62**
x)	**आस्तियों का संवर्ग:**		
	भारत सरकार आस्तियां	-	-
	कार्पोरेट बांड	-	-
	विशेष जमा योजना	-	-
	राज्य सरकार	-	-
	संपत्ति	-	-
	अन्य	873.05	2513.69
	बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां	-	-
	कुल	**873.05**	**2513.69**
xi)	**अनुभव समायोजन**		
	योजनागत देयताएं (लाभ) / हानि	**145.69**	**367.19**
	योजनागत आस्तियां (हानि) / लाभ	**(4.15)**	**(15.87)**

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के लिए किए गए प्रावधानों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अन्य दीर्घकालिक लाभ	राशि
1	पेंशन	1145.96
2	अवकाश नकदीकरण	106.10
3	अवकाश यात्रा रियायत	0.96
4	बीमारी अवकाश	10.58

कर्मचारी लाभ एएस15 (संशोधित) 2005 के कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश के अनुसार नियोक्ता द्वारा स्थापित भविष्य निधि समाहित लाभ, जिस पर ब्याज कमी का प्रावधान आवश्यक है, को परिभाषित लाभ योजनाओं के रूप में माना जाए. बीमांकिक पूर्वानुमान करने वाले मामलों के परिप्रेक्ष्य में देयता निर्धारण के लंबित रहते हुए, इससे संबंधित प्रभाव को सुनिश्चित नहीं किया गया है. तदनुसार इस संबंध में अन्य संबंधित प्रकटन नहीं किए गए हैं तथा ₹ 22.88 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 30.55 करोड़) को भविष्य निधि योजना के व्यय के रूप में प्रावधान में शामिल किया गया है और इसे परिचालन व्यय के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए प्रावधान और भुगतान में शामिल किया गया है.

भारिबैं के परिपत्र क्र. डीबीओडी.बीपी.बीसी.80 / 21.04.018 / 2010-11 दिनांक 09.02.2011 के अनुसार ऐसे सेवारत कर्मचारियों से संबंधित अतिरिक्त पेंशन निधि दायित्वों का पांचवां हिस्सा ₹ 338.04 करोड़, जिन्होंने पेंशन का द्वितीय विकल्प स्वीकार किया है और सेवानिवृत्त / अलग हुए कर्मचारियों के ऐसे दायित्वों का शत प्रतिशत भाग ₹ 375.65 करोड़ अर्थात् कुल ₹ 713.69 करोड़ इस वर्ष के लाभ हानि खाते से निकाला गया है, जबकि ₹ 1352.17 करोड़ अगले 4 वर्षों में समायोजित किया जाना है.

ग्रैच्युटी सीमा ₹ 3.50 लाख से बढ़ाकर ₹ 10.00 लाख किए जाने के कारण बढ़ी हुई अतिरिक्त ग्रैच्युटी देयताओं का पांचवां हिस्सा ₹ 65.00 करोड़ भी इस वर्ष के लाभ हानि खाते से निकाला गया है, जबकि शेष ₹ 260.00 करोड़ की राशि अगले 4 वर्षों में समायोजित की जाएगी.

11 लेखा मानक 17 के अनुसार क्षेत्रवार रिपोर्टिंग

(₹ करोड़ में)

	व्यवसाय के क्षेत्र	31.03.2011 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)
(ए)	**क्षेत्रवार राजस्व**	
1	ट्रेज़री परिचालन	4,932.41
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	5,657.77
3	कार्पोरेट /थोक बैंकिंग	7,794.18
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	107.04
5	गैर निर्धारित	145.40
	योग	**18,636.80**
(बी)	**क्षेत्रवार परिणाम**	
1	ट्रेज़री परिचालन	1,141.64
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	781.92
3	कार्पोरेट /थोक बैंकिंग	976.22
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	55.82
5	गैर निर्धारित	116.89
	योग	**3,072.49**
(सी)	आयकर	**873.65**
(डी)	**शुद्ध लाभ**	**2,198.84**
(ई)	**क्षेत्रवार आस्तियां**	
1	ट्रेज़री परिचालन	78,631.90
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	51,840.03
3	कार्पोरेट /थोक बैंकिंग	101,901.16
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	-
5	गैर निर्धारित	4189.85
	योग	**236,562.94**
(एफ)	**क्षेत्रवार देयताएं**	
1	ट्रेज़री परिचालन	74,979.22
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	49,404.87
3	कार्पोरेट /थोक बैंकिंग	97,114.38
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	-
5	गैर निर्धारित	2,299.95
6	पूंजी, निधियां एवं अधिशेष	12,764.52
	योग	**236,562.94**

I) बैंक चार क्षेत्रों यथा ट्रेजरी, फुटकर, गैर-फुटकर एवं सहायक बैंकिंग सेवाओं में परिचालन करता है. उत्पादों और सेवाओं की जोखिम प्रोफाइल और प्रकृति , लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, बैंक की संगठनात्मक संरचना और आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद, क्षेत्रवार रिपोर्टिंग से संबंधित लेखा मानक 17 के अनुसार इन क्षेत्रों की पहचान की गयी है. बैंक ने कारोबार क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में प्रकट किया है. लेखामानक 17 में विदेशी शाखा की इस अवधि की आय और अन्य पैरामीटर, लेखामानक 17 में बतायी गयी सीमा के अंतर्गत हैं. अत: बैंक का रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक क्षेत्र केवल एक ही है.

II) सीधे तौर पर आवंटित न किये जा सकने योग्य आय, व्यय, आस्तियां और देयताएं उचित समझे जाने वाले अनुमानों के आधार पर रिपोर्ट किये जाने वाले क्षेत्रों में आवंटित कर दिये गये हैं.

III) दो गैर बैंकिंग सहायक कंपनियों और एक संयुक्त उपक्रम की सूचनाएं अनावंटित क्षेत्र में शामिल किये गये हैं. लेखा मानक 17 के अनुसार रिपोर्ट करने योग्य क्षेत्र नहीं है.

12 लेखा मानक 18 - संबंधित पार्टियों का प्रकटन (पेरेंट बैंक)

12.1 संबंधित पार्टियों की सूची :

(क) लेखा मानक 18 के अनुसार बैंक ने संबंधित पार्टी प्रकटन के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रमुख प्रबंधन अधिकारी के रूप में चिन्हित किया है:

i. श्री एम. वी. नायर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ii. श्री एस. सी. कालिया, कार्यपालक निदेशक

iii. श्री एस. रामन, कार्यपालक निदेशक (31.08.2010 तक)

iv. श्री एस. एस. मूंदड़ा, कार्यपालक निदेशक (01.09.2010 से)

(ख) अनुषंगी :

यूनियन केबीसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि.

यूनियन केबीसी ट्रस्टी कं. प्रा. लि. \

(ग) संयुक्त उपक्रम :

स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.

(घ) एसोसिएट :

बैंक द्वारा प्रायोजित दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात् काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक एवं रीवा सिधी ग्रामीण बैंक.

12.2 संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन :

(₹ करोड़ में)

मदें / संबंधित पार्टियां	एसोसिएट / संयुक्त उपक्रम		प्रमुख प्रबंधन कार्मिक		प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदार		योग	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
जमाराशि	2702.56	2309.55	-	-	-	-	2702.56	2309.55
प्रदत्त ब्याज	130.96	132.97	-	-	-	-	130.96	132.97

12.3 प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

(₹ लाख में)

	2010 - 11	2009 -10
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को भुगतान किया गया पारिश्रमिक	21.83	27.27
कार्यपालक निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक	34.50	31.07#
योग	56.33	58.34

पिछले वर्ष के दौरान बैंक द्वारा कार्यपालक निदेशकों को भुगतान की गई ₹ 2.23 लाख की कार्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि शामिल है.

13 लेखा मानक 20 - प्रति शेयर अर्जन

बैंक ने लेखामानक 20 के अनुसार " प्रति इक्विटी शेयर " के अनुसार मूल प्रति शेयर अर्जन की रिपोर्ट की है. प्रति शेयर अर्जन वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों के भारित औसत संख्या से कर भुगतान के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित कर मूल अर्जन की गणना की गई है.

			31.03.2011	31.03.2010
I	मूल एवं डाइल्यूटेड ईपीएस	₹	39.71	41.08
ii	इक्विटी शेयर धारकों को कर के बाद उपलब्ध निवल लाभ (₹ करोड़ में)		2081.95	2074.92
iii	इक्विटी शेयरों की औसत संख्या (संख्या करोड़ में)	संख्या	52.433	50.51
iv	प्रति शेयर न्यूनतम मूल्य	₹	10.00	10.00

14 लेखा मानक 22 - आय पर कर की गणना :

बैंक ने लेखाबंदी मानक ए एस 22 (आय पर कर की गणना) के अनुपालन में आय पर कर की गणना की है. तदनुसार, 31.03.2011 को आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं की पहचान की गई है. आस्थगित कर आस्ति और आस्थगित कर देयता के प्रमुख घटक निम्न प्रकार हैं :

(₹ करोड़ में)

		31.03.2011	31.03.2010
	आस्थगित कर आस्ति		
1	निवेश पर प्रीमियम का वर्षवार विवरण	185.68	224.90
2	कर्मचारी लाभ	145.82	151.95
3	वेतन बकाया	-	3.13
4	अचल संपत्तियों पर मूल्य ह्रास	35.21	-
	योग	366.71	379.98
	आस्थगित कर देयता		
1	प्रतिभूतियों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	-	26.41
2	अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास	26.67	-
3	प्रतिभूतियों पर उपचित ब्याज	374.11	321.19
	योग	400.78	347.60
	शुद्ध आस्थगित कर देयता	**34.07**	
	शुद्ध आस्थगित कर आस्ति	**-**	**32.38**

15. पिछले वर्ष के आंकड़े यथावश्यक रूप से पुनर्समूहित / पुनर्व्यवस्थित किए गए हैं.

अनुसूची 1 से 18 के हस्ताक्षरकर्ता

वी.एच. कामत
सहायक महा प्रबंधक

एन. एस. महेता
महा प्रबंधक

एस. एस. मूंदड़ा
कार्यपालक निदेशक

एस. सी. कालिया
कार्यपालक निदेशक

एम. वी. नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

मीना हेमचंद्र
निदेशक

बी. एम. शर्मा
निदेशक

एन. शंकर
निदेशक

डॉ. गुलफ़ाम मुज़िबी
निदेशक

प्रो. एम. एस. श्रीराम
निदेशक

अरुण कुमार नंदा
निदेशक

एस. रवि
निदेशक

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न है.

जी.डी.आप्टे एंड कं.
सनदी लेखाकार

(चेतन आर.सप्रे)
भागीदार(सदस्य क्र.116952)
फर्म पंजी. सं. 100515 डब्ल्यू

कृते जगन्नाथन एंड सर्वेश्वरन
सनदी लेखाकार

(पी एस नरसिंहन)
भागीदार(सदस्य क्र.20936)
फर्म पंजी. सं. 001204 एस

कृते अरुण कुमार अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

(विमल कुमार जैन)
भागीदार(सदस्य क्र.86657)
फर्म पंजी. सं. 003917 एन

कृते जे.एल.सेनगुप्ता एंड कं
सनदी लेखाकार

(एस.आर.अनंतकृष्णन)
भागीदार(सदस्य क्र.18073)
फर्म पंजी. सं. 307092 ई

कृते ओमप्रकाश एस.चपलोत एंड कं
सनदी लेखाकार

(महावीर चपलोत)
भागीदार(सदस्य क्र.403633)
फर्म पंजी. सं. 000127 सी

कृते जी. एस. माथुर एंड कं
सनदी लेखाकार

(राजीव कुमार वधावन)
भागीदार (सदस्य क्र 091007)
फर्म पंजी. सं. 008744 एन

स्थान : मुंबई.
दिनांक : 06 मई, 2010.

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण (समेकित)

(₹ लाख में)

क्र सं	विवरण	31.03.2011 को समाप्त वर्ष
ए	परिचालन कार्यों से नकदी प्रवाह	448,884
बी	निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह	(20,811)
सी	वित्तपोषण कार्यों से नकदी प्रवाह	7,541
		435,614
डी	वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समकक्ष	1,577,669
ई	वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष	2,013,283
एफ	**वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह (ए+बी+सी) या (ई+डी)**	**435,614**
	ब्रेकअप विवरण	
ए	**परिचालन कार्यों से नकदी प्रवाह**	
	वषे के दौरान अग्रिम आदि से प्राप्त ब्याज	1,625,448
	अन्य आय	204,086
घटाएं	जमाराशि, उधारों आदि पर दिया गया ब्याज (गौण ऋण को छोड़कर)	(965,167)
	परिचालन व्यय तथा प्रावधान और आस्मिकताएं	(618,441)
जोड़ें	मूल्य ह्रास के लिये समायोजन	15,566
I.	परिचालन से प्राप्त नकद लाभ	**261,492**
II.	आस्तियों/देयताओं के परिचालन से नकदी प्रवाह	
	{देयताओं में वृद्धि (कमी)}	
	जमाराशियां	3,241,291
	उधार	400,066
	आस्थगित कर आस्तियों/देयताओं के लिये समायोजन	3,407
	अन्य देयताएं आदि (पूर्व के सालों में किये अधिक प्रावधानों के पुनर्लेखन सहित)	225,445
	आस्तियों में कमी/(वृद्धि)	
	अग्रिम	(3,167,792)
	निवेश	(450,962)
	अन्य	(64,063)
	परिचालन आस्तियों और देयताओं से नकदी प्रवाह	**187,392**
	परिचालन कार्यों शुद्ध नकदी प्रवाह (I+II)	**448,884**
बी	**निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह**	
	अचल आस्तियों का विक्रय/निपटान	664
	अचल आस्तियों की खरीद	(21,475)
	निवेश कार्यों सी शुद्ध नकदी प्रवाह	**(20,811)**
सी	**वित्तपोषण कार्यों से नकदी प्रवाह**	
	लाभांश 2008-2009	
	लाभांश कर 2008-09	
	लाभांश 2009-10	(27,781)
	लाभांश कर 2009-10	(4,721)
	गौण ऋण टियर II पूंजी के आगम	(40,000)
	टियर IIपूंजी पर ब्याज	(49,256)
	अधीनस्थ अपर टियर II पूंजी	50,000
	शाश्वत बांड	-
	पीएनसीपीएस	11,100
	भारत सरकार से अंश पूंजी	68,199
	वित्तपोषण कार्यों से शुद्ध नकदी प्रवाह	**7,541**

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण (समेकित)

(₹ लाख में)

क्र सं	विवरण	31.03.2011 को समाप्त वर्ष
डी	**वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समकक्ष**	
	नकदी और रिजर्व बैंक के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	1,246,824
	बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा	330,845
	शुद्ध नकद और नकदी समलक्ष	**1,577,669**
ई	**वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष**	
	नकदी और रिजर्व बैंक के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	1,764,484
	बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा	248,799
	वर्ष के अंत में शुद्ध नकद और नकद समकक्ष	**2,013,283**

(एस. एस. मूंदड़ा)
कार्यपालक निदेशक

(एस सी कालिया)
कार्यपालक निदेशक

(एम वी नायर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

हम, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 31.03.2011 को समाप्त वर्ष का के लिये बैंक के उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण का सत्यापन किया है. यह विवरण स्टॉक एक्सचेंज के लिस्टिंग करार के खंड 32 की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया गया है और सदस्यों को दिनांक 6 मई 2011 की हमारी रिपोर्ट में सम्मिलित बैंक के लाभ हानि खाते तथा तुलन पत्र पर आधारित और उसके अनुरूप है.

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न है.

कृते जी.डी.आप्टे एंड कं.
सनदी लेखाकार

(चेतन आर.सप्रे)
भागीदार(सदस्य क्र.116952)
फर्म पंजी. सं. 100515 डब्ल्यू

कृते जे.एल.सेनगुप्ता एंड कं
सनदी लेखाकार

(एस.आर.अनंतकृष्णन)
भागीदार(सदस्य क्र.18073)
फर्म पंजी. सं. 307092 ई

कृते जगन्नाथन एंड सर्वेश्वरन
सनदी लेखाकार

(पी एस नरसिंहन)
भागीदार(सदस्य क्र.20936)
फर्म पंजी. सं. 001204 एस

कृते ओमप्रकाश एस.चपलोत एंड कं
सनदी लेखाकार

(महावीर चपलोत)
भागीदार(सदस्य क्र.403633)
फर्म पंजी. सं. 000127 सी

कृते अरुण कुमार अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

(विमल कुमार जैन)
भागीदार(सदस्य क्र.86657)
फर्म पंजी. सं. 003917 एन

कृते जी. एस. माथुर एंड कं
सनदी लेखाकार

(राजीव कुमार वधावन)
भागीदार (सदस्य क्र 091007)
फर्म पंजी. सं. 008744 एन

स्थान : मुंबई
तिथि : 6 मई, 2011

जोखिम प्रबंधन

नये पूंजी पर्याप्तता संरचना दिशानिर्देश के अंतर्गत प्रकटन

- **बासल II (स्तंभ 3)मार्च 2011**

इस रिपोर्ट के प्रकटन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (पूर्णत:) से संबंधित हैं. बैंक का जोखिम भारित आस्तियों के सापेक्ष पूंजी अनुपात (सीआरएआर) निम्नानुसार है :

सीआरएआर%	12.95%
सीआरएआर-टियर 1 पूंजी%	8.69%
सीआरएआर - टियर 2 पूंजी%	4.26%

तालिका डीएफ-1

1. प्रयुक्ति की परिधि

गुणात्मक प्रकटन

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक है.सहायक कारोबार के रूप में यूनियन केबीसी असेट मैनेजमेंट कंपनी में 51% हिस्सेदारी है. कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी से सिद्धांतत: अनुमोदन मिल चुका है लेकिन व्यावसायिक गतिविधि अभी आरंभ नहीं हुई हैं. सहायक कंपनी ने अपनी लेखाबंदी प्रतिवर्ष 30 सितंबर को करने का निर्णय किया है

बैंक ने 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)- काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक, वाराणसी तथा रीवा सीधी ग्रामीण बैंक प्रायोजित किए हैं. इन आरआरबी में बैंक ने ₹ 19.15 करोड़ का निवेश किया है. दोनों ही आरआरबी लाभ कमा रहे हैं और संतोषजनक ढंग से कार्यरत हैं. इन दोनों आरआरबी में कोई भी पूंजी अभाव नहीं है. इन आरआरबी के वित्तीय आंकड़ों को बैंक के तुलन पत्र में समाहित नहीं किया गया है.

मात्रात्मक प्रकटन

बैंक ने बीमा के लिए संयुक्त उपक्रम करार किया है, जिसकी जानकारी नीचे दी गयी है तथा इस संयुक्त उपक्रम में किए गए निवेश को बैंक की पूंजी निधि में से घटाया नहीं गया है; किंतु जोखिम भारित निवेश के तौर पर लिया गया है, क्योंकि यह निवेश कंपनी की चुकता पूंजी के 30% से कम है.

- स्टार यूनियन दाइ-इची (एसयूडी) जीवन बीमा कंपनी, चुकता पूंजी में 26% अंशदान के साथ (बैंक ऑफ इंडिया 48% तथा दाइ-इची म्यूचुअल जीवन बीमा, जापान - 26%).

स्टार यूनियन दाइ-इची (एसयूडी) जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड का ब्यौरा

कंपनी का नाम :	**स्टार यूनियन दाइ-इची (एसयूडी) जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड**
समामेलन का देश :	भारत
स्वामित्व हित का अनुपात :	26%
वोट देने की शक्ति का अनुपात :	25% (अर्थात 2 वोट)
एसयूडी जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड की अधिकृत पूंजी	₹ 250.00 करोड़
चुकता पूंजी :	₹ 250.00 करोड़
चुकता पूंजी में यूनियन बैंक का हिस्सा (26%) :	₹ 65 करोड़

बैंक ने म्यूचुअल फंड कारोबार के लिए भी यूनियन केबीसी असेट मैनेजमेंट कं.बेल्जियम के साथ संयुक्त उपक्रम करार किया है. इस कंपनी में निवेश की गयी राशि पूंजी निधि से (टियर I से 50% और टियर 2 से 50%) घटा दी गयी है चूंकि निवेश की राशि कंपनी की चुकता पूंजी के 30 प्रतिशत से अधिक है.

इसके अंतर्गत एक संपदा प्रबंधन कंपनी और एक ट्रस्टी कंपनी का गठन किया गया है. इन कंपनियों के विवरण इस प्रकार हैं :

यूनियन केबीसी असेट प्रबंधन कंपनी प्रा. लि.के ब्यौरे

कंपनी का नाम :	**यूनियन केबीसी असेट प्रबंधन कं प्रा लि**
समामेलन का देश :	भारत
स्वामित्व हित का अनुपात :	51%
वोट देने की शक्ति का अनुपात :	50% (अर्थात 2 वोट)
यूनियन केबीसी असेट प्रबंधन कं प्रा. लि. की अधिकृत पूंजी	₹ 100.00 करोड़
चुकता पूंजी :	₹ 95.00 करोड़
चुकता पूंजी में यूनियन बैंक का हिस्सा (51%) :	₹ 48.45 करोड़

यूनियन केबीसी ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि. के ब्यौरे

कंपनी का नाम :	**यूनियन केबीसी ट्रस्टी कंपनी प्रा. लिमिटेड**
समामेलन का देश :	भारत
स्वामित्व हित का अनुपात :	51%
वोट देने की शक्ति का अनुपात :	50% (अर्थात 1 वोट)
यूनियन केबीसी ट्रस्टी कंपनी प्रा.लिमिटेड की अधिकृत पूंजी	₹ 5 लाख
यूनियन केबीसी ट्रस्टी कंपनी प्रा.लिमिटेड की चुकता पूंजी	₹ 5 लाख
चुकता पूंजी में यूनियन बैंक का हिस्सा (51%) :	₹ 2.55 लाख

तालिका डीएफ-2

2. पूंजी संरचना

गुणात्मक प्रकटन

2.1 अंश पूंजी:

2.1.1. बैंक की अधिकृत अंश पूंजी ₹ 3000.00 करोड़ है. 31 मार्च 2011 को बैंक की निर्गमित, अभिदत्त एवं चुकता पूंजी ₹ 524.33 करोड़ है, जिसमें शामिल प्रत्येक रू.10/- मूल्य वाले शेयरों की संख्या 52,43,32,415 है. 57.07% शेयरधारिता, जिसमें दिनांक 31.03.2011 को शामिल शेयरों की संख्या 29,92,14,515 है, भारत सरकार के पास है. बैंक को भारत सरकार से, ₹ 10/- मूल्य के 1,92,14,515 शेयर ₹ 344.94 के प्रीमियम पर जारी करके ₹ 682.00 करोड़ की पूंजी प्राप्त हुई है. वर्ष के दौरान बैंक ने भारत सरकार को 111000000 शाश्वत असंचयी वरीयता शेयर आवंटित किये हैं. बैंक के शेयर राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में सूचीबद्ध हैं.

2.2 ऋण पूंजी लिखत :

2.2.1. बैंक ने नमोन्वेषी शाश्वत बांड (टियर 1 पूंजी) तथा टियर 2 पूंजी में शामिल किए जाने हेतु पात्र अन्य बांड भी जारी किए हैं. बांडों की कुछ महत्वपूर्ण शर्तें इस प्रकार हैं:

ए. वचन पत्र के रूप में शाश्वत गैर-जमानती अपरिवर्तनीय अधीनस्थ बांड (टियर 1 बांड)

श्रेणी	आबंटन की तिथि	बांड की रकम (करोड़ ₹ में)	कूपन दर % (प्र.व.)	अवधि	कॉल ऑप्शन	पुट ऑप्शन
X - प्रथम ट्रांस	10.10.2006	300	10 वर्ष तक 9.45 10वें वर्ष से स्टेप अप 9.95 यदि काल ऑप्शन का प्रयोग न किया जाए.	शाश्वत	10 वे वर्ष के अंत में	कोई नहीं
XI- द्वितीय ट्रांस	12.12.2007	200	10 वर्ष तक 9.90 10वें वर्ष से स्टेप अप 10.40 यदि काल ऑप्शन का प्रयोग न किया जाए.	शाश्वत		कोई नहीं
XII	09.09.2008	200	10 वर्ष तक 11.15% 10वें वर्ष से स्टेप अप 11.65%, यदि काल ऑप्शन का प्रयोग न किया गया हो.	शाश्वत	10 वे वर्ष के अंत में	कोई नहीं
XII	30.03.2009	140	10 वर्ष तक 9.10% 10वें वर्ष से स्टेप अप 9.60%, यदि काल ऑप्शन का प्रयोग न हो.	शाश्वत	10 वे वर्ष के अंत में	कोई नहीं
XIV-A शाश्वत	16.06.2009	200	10 वर्ष तक 8.85% 10वें वर्ष से स्टेप अप 9.35%, यदि काल ऑप्शन का प्रयोग न हो.	शाश्वत	10 वे वर्ष के अंत में	कोई नहीं
कुल		**1040**				

बी. वचन पत्र के रूप में गैर-जमानती, शोध्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ बांड (अपर टियर 2 बांड) 10वें वर्ष की समाप्ति पर कॉल ऑप्शन के साथ

श्रेणी	आबंटन की तिथि	बांड की रकम (करोड़ ₹ में)	कूपन दर(प्र.व)	परिपक्वता	कॉल ऑप्शन	पुट ऑप्शन
X - द्वितीय ट्रांस अपर टीयर 2	16.10.2006	750	08.95% 10वें वर्ष से स्टेप अप 09.45%, यदि काल ऑप्शन का प्रयोग न हो.	16.10.2021	10वें वर्ष के अंत में काल	कोई नहीं
XIV-B - अपर टीयर 2	25.06.2009	500	08.65% 10 वर्ष तक 10वें वर्ष से स्टेप अप 09.15%, यदि काल ऑप्शन का प्रयोग न हो.	25.06.2024	10वें वर्ष के अंत में काल	कोई नहीं
XIV-C - अपर टीयर 2	27.01.2010	500	08.55% 10 वर्ष तक 10वें वर्ष से स्टेप अप 09.05%, यदि काल ऑप्शन का प्रयोग न हो.	27.01.2025	10वें वर्ष के अंत में काल	कोई नहीं
XV-A - अपर टीयर 2	28.06.2010	500	08.55% 10 वर्ष तक 10वें वर्ष से स्टेप अप 09.05%, यदि काल ऑप्शन का प्रयोग न हो.	28.06.2025	10वें वर्ष के अंत में काल	कोई नहीं
योग		**2250.00**				

सी. वचन पत्र के रूप में गैर-जमानती, शोध्य, अपरिवर्तनीय अधीनस्थ बांड (लोवर टीयर 2 बांड)

श्रेणी	आबंटन की तिथि	बांड की रकम (करोड़ ₹ में)	कूपन दर% (प्र.व.)	परिपक्वता तिथि	कॉल ऑप्शन	पुट ऑप्शन
VI	03.09.2003	250	5.95%	03.05.2013	कोई नहीं	कोई नहीं
VII	08.02.2005	450	7.15%	08.05.2015	कोई नहीं	कोई नहीं
VIII- फ्लोटिंग	23.09.2005	200	1वर्ष आईएनबीएमके + 0.55% बीपीएस	23.04.2012	कोई नहीं	कोई नहीं
VIII	23.09.2005	600	7.45%	23.04.2015	कोई नहीं	कोई नहीं
IX	19.05.2006	200	8.33%	19.05.2016	कोई नहीं	कोई नहीं
XI- प्रथम ट्रांस	12.12.2007	400	9.35%	12.04.2018	कोई नहीं	कोई नहीं
XII	17.09.2008	400	10.95%	17.09.2018	कोई नहीं	कोई नहीं
XII	23.12.2008	200	9.50%	23.12.2018	कोई नहीं	कोई नहीं
XII	30.12.2008	200	8.60	30.12.2018	कोई नहीं	कोई नहीं
कुल		**2900**				

डी. कुल सक्रिय बांड

(₹ करोड़ में)

कुल सक्रिय बांड (ए+बी+सी)	**6190**

मात्रात्मक प्रकटन

2.3 बैंक की टियर 1 पूंजी में शामिल है :

(₹ करोड़ में)

i)	चुकता अंश पूंजी	524.33
ii)	आरक्षित पूंजी (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित पूंजी को छोड़कर)	10549.82
III)	शाश्वत असंचयी वरीयता शेयर (भारत सरकार को जारी)	111.00
iv)	नमोन्वेषी शाश्वत बांड	1040
V)	अन्य पूंजी लिखत	--
कटौतियाँ		
vI)	अनुषंगियों में निवेशित अंश (50%)	33.82
vIi)	अमूर्त आस्तियाँ (आस्थगित कर आस्तियाँ + कंप्यूटर सॉफ्टवेअर)	13.64
टियर 1 पूंजी (i + ii + iii + iv + v - vi-vii)		12177.69

2.4 टियर 2 पूंजी (कटौतियों के बाद) की राशि ₹ 5968.18 करोड़ है.

कुल टियर 2 पूंजी	₹ 6002.00 करोड़
घटायें : अनुषंगी ईकाइयों में इक्विटी निवेश (50%) (केबीसी 24 करोड़ + क्षेत्रग्राबैं ₹ 10 करोड़)	₹ 33.82 करोड़
कटौतियों के बाद टियर 2 पूंजी	₹ 5968.18 करोड़

2.4.1. अपर टियर 2 पूंजी में शामिल किये जाने हेतु पात्र ऋण पूंजी:

(₹ करोड़ में)

कुल बकाया रकम	2250
जिसमें से चालू वर्ष के दौरान प्राप्त की गई रकम	500
पूंजी कोष के रुप मे चिह्नित पात्र रकम	2250

2.4.2. लोअर टियर 2 पूंजी में शामिल किये जाने हेतु पात्र अधीनस्थ ऋण:

(₹ करोड़ में)

कुल बकाया रकम	2900
जिसमें से चालू वर्ष के दौरान प्राप्त की गई रकम	-
पूंजी कोष के रुप मे चिह्नित पात्र रकम	2380

2.5 पूंजी में अन्य कोई कटौती नहीं है.

2.6 कुल पात्र पूंजी में शामिल हैं :

(₹ करोड़ में)

टियर I पूंजी	12177.69
टियर II पूंजी	5968.18
कुल पूंजी निधियां	18145.87

तालिका डीएफ-3

3. पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटन

3.1. बैंक अंशधारकों, खासकर जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा हेतु अनावृत, कारोबार आदि के मूल्य में हानि की जोखिम से सुरक्षा के रूप में पूंजी रखता है.

3.2. वर्तमान एवं भावी कारोबार कार्यकलापों के आधार पर पूंजी आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए बैंक में उचित प्रणाली कार्यरत है तथा निरंतर उसका अनुश्रवण किया जाता है. बैंक का मानना है कि पूंजी उपलब्धता संपूर्ण प्रक्रिया का केंद्रीय विषय है और इसकी गणना को नीति, रणनीति, कारोबार स्तर / संघटन, पर्यवेक्षी सरोकार एवं प्रकटन मुद्दों से जोड़ा जा सकता है. इस दिशा में बैंक ने आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आइ-सीएएपी) का एक अच्छा ढांचा तैयार किया है तथा स्तंभ 1 पूंजी गणना के अलावा बासल-II के स्तंभ 2 के अंतर्गत भी आवधिक अंतराल पर पूंजी गणना की जाती है. बैंक ने पूंजी पर्याप्तता पर प्रतिकूल दबाव परिदृश्यों के प्रभाव को आवधिक आधार पर मापने के लिए दबाव जांच नीति बनायी है.

3.2.1 रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप, बैंक ने नये पूंजी पर्याप्तता ढांचा - बासल-II को लागू करने के लिए निम्नलिखित अवधारणाओं को अपनाया है :

- ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत अवधारणा
- परिचालनात्मक जोखिम के लिए मूल सूचक अवधारणा
- बाजार जोखिम के लिए मानक अवधि अवधारणा

3.2.2 बैंक ने पूंजी आवश्यकताओं एवं तिमाही आधार पर उसकी समीक्षा करने की योजना बनाई है. बैंक ने 2011 तक पूंजी का मूल्यांकन किया है.

मात्रात्मक प्रकटन

3.2.3 दिनांक 31 मार्च, 2011 को ऋण, बाजार एवं परिचालन जोखिम और पूंजी पर्याप्तता अनुपात का सारांश इस प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

ए.	ऋण जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता	
	- मानक दृष्टिकोण के अध्यधीन संविभाग @ 9%	11356.78
	- प्रतिभूतिकरण निवेश	0
बी.	बाजार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता	
	- मानक अवधि दृष्टिकोण	
	- ब्याज दर जोखिम	295.42
	- विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित)	12.15
	- ईक्विटी जोखिम	195.02
सी.	परिचालन जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकताएं मूल संकेतक दृष्टिकोण (आरडब्ल्यूए - 5013 करोड़ @ 9%)	749.56
डी.	बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%)	12.95%
ई.	टियर 1 सीआरएआर (%)	8.69%

सामान्य गुणात्मक प्रकटन

3.3 जोखिम प्रबंधन : उद्देश्य एवं संगठनात्मक संरचना

बैंक के पास एक विश्वसनीय एवं व्यापक जोखिम प्रबंधन संरचना है और बैंक ने जोखिम प्रबंधन कार्यों को मजबूत बनाने के लिए कई पहल की हैं. बैंक जोखिम प्रबंधन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण रखता है. जोखिम प्रबंधन नीतियां कारोबार की आवश्यकताओं के अनुरूप और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं. जोखिम प्रबंधन सिस्टम में विभिन्न प्रकार के जोखिम आते हैं, जैसे ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम.

बैंक ने अपनी हांगकांग शाखा के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित देश-विशेष जोखिम नीति भी बनाई है और यह हांगकांग की अर्थव्यवस्था के जोखिम आयामों एवं बैंक की जोखिम क्षमता के आधार पर तैयार की गई है.

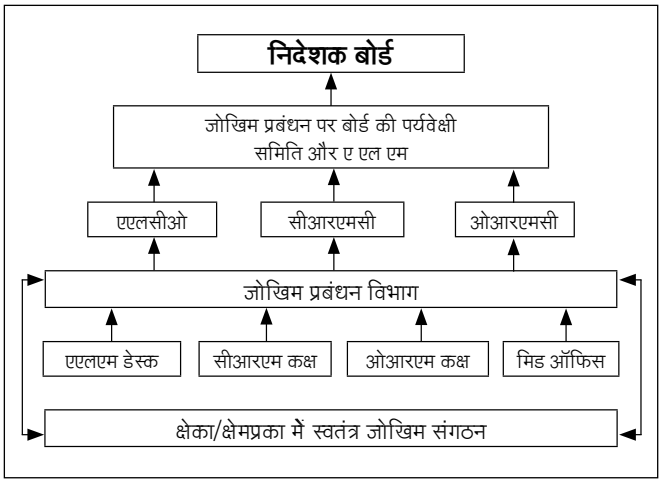

बैंक का निदेशक बोर्ड बैंक के जोखिम प्रबंधन कार्यों का पर्यवेक्षण करता है. जोखिम प्रबंधन पर बैंक की निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति विभिन्न जोखिम प्रबंधन कार्यों का निरीक्षण करने के लिए शीर्ष निकाय/ समिति है. बैंक के शीर्ष कार्यपालकों की अलग समितियां भी हैं, यथा ऋण जोखिम प्रबंधन समिति, आस्ति एवं देयता समिति (एएलसीओ) और परिचालन जोखिम समिति जो क्रमश: ऋण, बाजार एवं परिचालन जोखिम की देख-रेख करती हैं. इसके अतिरिक्त, बैंक की जोखिम प्रबंधन संगठनात्मक संरचना न केवल केन्द्रीय कार्यालय में अपितु क्षेत्रीय कार्यालयों/ क्षेत्र महा प्रबंधक कार्यालयों में भी है. बैंक की व्यापक जोखिम प्रबंधन संगठनात्मक संरचना नीचे प्रस्तुत की गई है :

3.3.1.ऋण जोखिम

ऋण जोखिम प्रशासन

- ऋण जोखिम में ब्याज एवं किस्तों का भुगतान देय तिथि पर न करने के कारण उधारकर्ता या काउंटर-पार्टी का अपनी वचनबद्धताओं का आदरण करने की अक्षमता शामिल है.
- बैंक उधार एवं निवेश कार्यों के जरिये ऋण जोखिम उठाता है.
- बैंक के पास सुनिर्धारित ऋण नीति, ऋण जोखिम प्रबंधन नीति, रीयल एस्टेट नीति और ऋण जोखिम शमन (सीआरएम) तकनीकें एवं सम्पार्श्विक प्रतिभूति प्रबंधन नीति हैं, जिनमें ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के सम्पूर्ण कार्य शामिल हैं. ऋण नीति एवं ऋण जोखिम प्रबंधन नीति में लक्ष्य-बाजार, जोखिम स्वीकरण/ अस्वीकरण, जोखिम संयम, विविधीकरण एवं संकेन्द्रन के वरीयता प्राप्त स्तर, ऋण जोखिम मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं नियंत्रण तंत्र के बारे में दिया गया है.
- बैंक के पास ऋण जोखिम का प्रबंधन करने के लिए निरीक्षण तंत्र सहित एक उपयुक्त एवं स्वतंत्र संगठनात्मक संरचना है, जिसमें शीर्ष कार्यपालकों की ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) और ऋण जोखिम पर्यवेक्षण के लिए एक अलग जोखिम प्रबंधन विभाग भी है. इसके अलावा, एक अलग बोर्ड स्तरीय समिति अर्थात् जोखिम प्रबंधन एवं एएलएम की कार्यप्रणाली का निरीक्षण करने के लिए बोर्ड की पर्यवेक्षी समिति है.
- ऋण जोखिम प्रबंधन समिति,ऋण नीति, पद्धतियों से संबंधित मामले देखती है और बैंक-व्यापी आधार पर ऋण जोखिम के लिए नियंत्रण के उपाय करती है.

ऋण मंजूरी प्रक्रिया

- बैंक की ऋण नीति में ऋण मंजूरी प्रक्रिया पर विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शामिल है :
  - महत्वपूर्ण और गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र
  - ड्यू डिलीजेंस मानदंड
  - केवाइसी मानदंड
  - वित्त मूल्यांकन की विधियां
  - न्यूनतम ऋण मानक
  - टेक ओवर कोड मानदंड आदि

ऋण अनुश्रवण प्रणाली :

ऋण अनुश्रवण एक सतत प्रकिया है. बैंक के पास ऋण अनुश्रवण की एक अलग नीति है, जिसमें निम्नलिखित पर दिशानिर्देश दिए गए हैं :

- ईएएस/ एसएमए खातों की पहचान और समय पर कार्रवाई शुरु करने के लिए प्रेरक बिन्दु
- ऋण की गुणवत्ता के आधार पर उधार खातों की समीक्षा की समयावधि. न्यून क्रेडिट रेटिंग वाले उधारकर्ता बार-बार (आवर्ती) समीक्षा के अध्यधीन हैं.
- आवधिक अनुश्रवण रिपोर्टों का प्रस्तुतीकरण
- अनुश्रवण के लिए विभिन्न चरणबद्ध स्तर.

क्रेडिट रेटिंग ढांचा (फ्रेमवर्क)

- बैंक के पास ऋण प्रशासन एवं अनुमोदन प्रक्रिया के लागू होने वाले आंतरिक क्रेडिट रेटिंग/ स्कोरिंग मॉडल्स हैं. क्रेडिट रेटिंग ढांचा परिमाणात्मक एवं गुणात्मक पहलुओं का संयोग है. क्रेडिट रेटिंग ऋण की गुणवत्ता का चित्रण करती है और चूक की संभावना की भविष्यवाणी करती है.
- क्रेडिट रेटिंग मॉडल्स उधारकर्ताओं की क्रेडिट रेटिंग, गैर-एसएलआर निवेश, अन्तर बैंक एक्सपोजर और एनबीएफसी में एक्सपोजर निवेश के लिए बनाये गये हैं.

- क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल्स खुदरा ऋण स्कीमों के लिए बनाये गये हैं.
- क्रेडिट रेटिंग का कार्य स्वतंत्रतापूर्वक किया जाता है और क्रेडिट रेटिंग की समीक्षा वार्षिक रुप से की जाती है तथा उच्च जोखिम के ऋणों के लिए छमाही में की जाती है.
- मानक श्रेणी में 8 जोखिम मूल्यांकन स्तर (ग्रेड) हैं और क्रेडिट रेटिंग- 5 तक निवेश ग्रेड निर्धारित किया गया है.
- बैंक उधारकर्ताओं के मूल्यांकनवार वितरण पर आभारी (obligor) आधार पर और संविभाग आधार पर आवधिक अंतरालों में विश्लेषण करता है और उसका अनुश्रवण करता है.

ऋण अनुमोदन ग्रिड प्रणाली

बैंक ने जोखिम प्रबंधन विभाग के प्रतिनिधित्व के साथ सभी ऋण निवेशों की जांच के लिए क्षेत्रीय कार्यालय/ क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय और केन्द्रीय कार्यालय में व्यापक ऋण अनुमोदन ग्रिड प्रणाली स्थापित की है.

ऋण संकेन्द्रण जोखिम

- जोखिम निम्नलिखित पर आधारित है :
- बैंक ने ऋण संविभाग के विविधीकरण के लिए अग्रिमों की विभिन्न श्रेणियों हेतु विवेकपूर्ण/ नियंत्रण सीमाएं निर्धारित की हैं.
- बैंक निवेश सीमाओं के पालन का अनुश्रवण तिमाही आधार पर करता है. बैंक के पास मासिक अनुश्रवण रिपोर्ट के जरिये बड़े निवेशों का अनुश्रवण करने का एक सुस्थापित सिस्टम भी है. बैंक का ऋण संविभाग किसी भी क्षेत्र में संकेन्द्रण को कम करने के लिए अच्छा लचीला है. बैंक के ऋण संविभाग विविधीकरण के वांछित स्तर से नीचे आने की स्थिति में जोखिम को व्यक्तिगत समूह निवेश/ उद्योग/ क्षेत्र आदि से शिफ्ट करने के लिए तत्काल उपाय किए जाते हैं.
- बैंक की ऋण जोखिम क्षमता विभिन्न प्रकार के निवेशों के लिए ऋण सीमाएं/ विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित करके और जोखिम प्रबंधन नीतियों में विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित करके वार्षिक बजटिंग प्रोसेस के जरिये निर्धारित की जाती है.

जोखिम प्रोफाइल

- बैंक तिमाही आधार पर क्रेडिट रिपोर्ट प्रोफाइल टेम्पलेट (आरपीटी) का संकलन भी करता है जिसके द्वारा यह निम्नलिखित आधार पर स्वाभाविक कारोबार जोखिम, आंतरिक नियंत्रण जोखिम और एकल उधारकर्ता/ समूह उधारकर्ताओं को परिणामी शुद्ध ऋण सुविधा के आधार पर ऋण जोखिम के स्तर एवं दिशा का मूल्यांकन करता है :
  - बड़ी ऋण सीमाएं
  - संवेदनशील क्षेत्रों यथा पूंजी बाजार/ रीयल एस्टेट और एनबीएफसी को एक्सपोजर
  - अप्रतिभूत अग्रिम एवं गारंटियां
  - शीर्ष 20 उधारकर्ताओं को ऋण सुविधाएं
  - उद्योगों /क्षेत्रों को एक्सपोजर
  - भौगोलिक क्षेत्र वार एक्सपोजर

3.3.2 बाजार जोखिम

- बाजार जोखिम प्रबंधन ट्रेजरी नीति और एएलएम नीति में आता है.
- फ्रंट आफिस, बैक आफिस और मिड आफिस में स्पष्ट रुप से भेद किया गया है.
- मिड आफिस जोखिम प्रबंधन विभाग को सीधे रिपोर्ट करता है.
- घरेलू एवं विदेशी विनिमय परिचालनों के लिए विभिन्न ऋण सीमाएं यथा ओवरनाइट पोजीशन सीमा, डे-लाइट ओपन पोजीशन सीमा, वीएआर सीमा, डील साइज सीमा, स्टाप हानि सीमा, सकल गैप सीमा (आईजीएल), एकल गैप लिमिट काउंटर पक्षकार सीमा आदि विद्यमान हैं.
- बिक्री के लिए उपलब्ध सरकारी प्रतिभूतियों: इक्विटी पोर्टफोलियो और विदेशी मुद्रा संव्यवहारों पर दैनिक आधार पर जोखिम पर मूल्य की निगरानी की जाती है.

3.3.2.1 बैंक बही में ब्याज दर जोखिम

- बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ईक्विटी के बाजार मूल्य पर ब्याज दरों में 200 बीपीएस तक परिवर्तन के प्रभाव जानने के लिए आवधिक गैप विश्लेषण (डीजीए) करता है.

3.3.3 परिचालन जोखिम

- एक सु-निर्धारित बोर्ड अनुमोदित परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति विद्यमान है.
- वर्तमान में, परिचालन जोखिम का प्रबंधन आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया के जरिये किया जाता है.
- न्यू प्रॉडक्ट अनुमोदन प्रक्रिया विद्यमान है.
- आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रभावोत्पादकता जानने के लिये धोखाधड़ियों का विश्लेषण परिचालन जोखिम के दृष्टिकोण से किया जाता है.
- बैंक की गतिविधियों एवं आय के चित्रण के दिशानिर्देश विद्यमान हैं.
- चूंकि आंतरिक परिचालन जोखिम हानि आंकड़ा बिन्दु सीमित संख्या में होते हैं, इसलिए बैंक ने सिद्धांतत: आईबीए के बाह्य डाटा पूलिंग कार्य के साथ चलने पर सहमति दी है.

टेबल डीएफ - 4

गुणात्मक प्रकटन

4. ऋण जोखिम - सामान्य प्रकटन

4.1 अतिदेय : बैंक द्वारा निर्धारित देय तिथि पर किसी भी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई भी रकम का भुगतान न किए जाने की स्थिति में वह अतिदेय (ओवरड्यू) हो जाती है.

4.2 अनर्जक आस्ति : अनर्जक आस्ति एक ऐसा ऋण या अग्रिम है जिससे बैंक की आय का अर्जन नहीं होता. गैर-निष्पादित आस्ति में निम्नलिखित ऋण या अग्रिम शामिल हैं :

ए मीयादी ऋण के मामले में 90 दिन से अधिक अवधि के लिए मूलधन का ब्याज और/ या किस्त अतिदेय हो जाना.

बी. कोई ओवरड्राफ्ट/ नकद साख (ओडी/ सीसी) खाता अनियमित हो जाता है यदि

- बकाया शेष, मंजूरी सीमा/ आहरण शक्ति से लगातार आधिक्य में रहता है
- ऐसे मामलों में जहां मूलधन परिचालन खाते में बकाया शेष मंजूर सीमा/ आहरण शक्ति से कम होता है, परन्तु बैलेंस शीट की तारीख पर लगातार 90 दिन तक उसमें कोई जमा नहीं होता और जमा रकम उस अवधि के दौरान नामे किये गये ब्याज को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो.

सी. खरीदे गए एवं भुनाए गए बिलों के मामले में बिल 90 दिन से अधिक अवधि तक अतिदेय होने की स्थिति में

डी फसल ऋण के मामले में

1. मूलधन या उस पर ब्याज की किस्त अल्प अवधि की फसलों के मामले में दो फसल सीजन के लिए अतिदेय रहने पर
2. लम्बी अवधि की फसल के मामले में मूलधन या उस पर ब्याज की किस्त एक फसल सीजन के लिए अतिदेय रहने पर.

ई. किसी तिमाही के दौरान प्रभारित ब्याज (मासिक ब्याज सहित) तिमाही के अंत से 90 दिन की अवधि में पूर्णत: प्राप्त न होने पर .

एफ. अन्य खातों के मामले में प्राप्त होने वाली कोई भी रकम 90 दिन से अधिक अवधि हेतु अतिदेय रहने पर.

4.3 ऋण जोखिम प्रबंधन नीति : बैंक के पास ऋण नीति के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम प्रबंधन नीति है. ऋण नीति में कारोबार के मामले आते हैं, जबकि ऋण जोखिम प्रबंधन नीति में जोखिम के मामले आते हैं.

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति में निम्नलिखित पर दिशानिर्देश दिए गए हैं :-

- ऋण जोखिम मूल्यांकन ढांचा एवं मूल्य निर्धारण
- ऋण ग्रिड अवधारणा
- विवेकपूर्ण मानदण्ड/ विनियामक उच्चतम सीमा जैसे उद्योगवार ऋण जोखिम,संवेदनशील ऋण जोखिम(पूंजी बाजार/ स्थावर संपदा ऋण जोखिम),
- ऋण समीक्षा तंत्र,
- पोर्टफोलियो प्रबंधन,
- तुलन-पत्र बाह्य ऋण जोखिम,
- समस्यामूलक ऋण प्रबंधन,
- बासल II कार्यान्वयन, आदि.

मात्रात्मक प्रकटीकरण

4.4 पूर्ण सकल ऋण जोखिम निम्न हैं:

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	राशि
निधि आधारित	153022.46
गैर निधि आधारित	36100.58
कुल	189123.04

4.5 ऋण जोखिम का भौगोलिक क्षेत्रवार संवितरण

(₹ करोड़ में)

	समुद्रपारीय	घरेलू
निधि आधारित	5941.00	147081.46
गैर निधि आधारित	208.10	35892.48
कुल	6149.10	182973.94

4.6 एक्सपोजर (निधि आधारित) का उद्योगवार वितरण निम्नानुसार है:

क्रमांक	कोड	उद्योग	31.03.2011	
			राशि (₹ करोड़ में)	5% से अधिक एक्सपोजर
1	1	कोयला	71	0.05
2	2	खनन	493	0.32
3	3	लोहा एवं इस्पात	6250	4.08
4	4	अन्य धातु व धातु उत्पाद	1180	0.77
5	5	समस्त इंजीनियरिंग	1281	0.84
6	6	विद्युत	10610	6.93
7	7	सूती कपड़ा	1964	1.28
8	8	जूट कपड़ा	82	0.05
9	9	अन्य कपड़ा	2914	1.90
10	10	शक्कर	870	0.57
11	11	चाय	182	0.12
12	12	खाद्य प्रसंस्करण	2146	1.40
13	13	खाद्य तेल और वनस्पति	476	0.31
14	14	तंबाकू व तंबाकू उत्पाद	51	0.03
15	15	कागज व कागज उत्पाद	416	0.27
16	16	रबर व रबर उत्पाद	726	0.48
17	17	रसायन,रंगाई,पैंट,आदि	2776	1.82
		जिसमें से उर्वरक	68	0.04
		जिसमें से पेट्रो-रसायन	379	0.25
18	18	सीमेन्ट	845	0.55
19	19	चमड़ा व चमड़ा उत्पाद	176	0.12
20	20	रत्न एवं जेवरात	1873	1.23
21	21	निर्माण	2805	1.83
22	22	पेट्रोलियम	3147	2.06
23	23	ऑटोमोबाइल ट्रक सहित	1098	0.72

24	24	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	971	0.63
25	25	आधारभूत संरचना	6706	4.38
26	26	एनबीएफसी	12423	8.12
27	27	अन्य उद्योग	3359	2.20
		कुल	**65891**	**43.06**
28	28	अवशिष्ट अन्य अग्रिम	87131	56.94
		कुल योग	**153022**	**100.00**

एक्सपोजर (गैर-निधि आधारित) का उद्योग प्रकार वितरण निम्नानुसार है:

क्रमांक	कोड	उद्योग	31.03.2011	
			राशि (₹ करोड़ में)	5% से अधिक ऋण जोखिम
1	1	कोयला	7.05	0.03
2	2	खनन	12.71	0.05
3	3	लोहा एवं इस्पात	1771.32	6.79
4	4	अन्य धातु व धातु उत्पाद	549.30	2.10
5	5	समस्त इंजीनियरिंग	1588.91	6.08
6	6	विद्युत	1292.44	4.95
7	7	सूती कपड़ा	144.37	0.55
8	8	जूट कपड़ा	2.67	0.01
9	9	अन्य कपड़ा	424.03	1.62
10	10	शक्कर	11.77	0.04
11	11	चाय	1.83	0.01
12	12	खाद्य प्रसंस्करण	181.79	0.70
13	13	खाद्य तेल और वनस्पति	82.76	0.32
14	14	तंबाकू व तंबाकू उत्पाद	12.18	0.05
15	15	कागज व कागज उत्पाद	22.22	0.09
16	16	रबर व रबर उत्पाद	177.31	0.68
17	17	रसायन, रंगाई, पैंट, आदि	376.74	1.44
		जिसमें से उर्वरक	1.55	0.01
		जिसमें से पेट्रो-रसायन	117.65	0.45
18	18	सीमेन्ट	28.25	0.11
19	19	चमड़ा व चमड़ा उत्पाद	203.92	0.78
20	20	रत्न एवं जेवरात	317.98	1.22
21	21	निर्माण	1531.05	5.87
22	22	पेट्रोलियम	101.89	0.39
23	23	ऑटोमोबाइल ट्रक सहित	1766.12	6.77
24	24	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	104.28	0.40
25	25	आधारभूत संरचना	875.49	3.35
26	26	एनबीएफसी व व्यापार	0.00	0.00
27	27	अन्य उद्योग	2031.03	7.78
		कुल	**13619.41**	**52.18**
28	28	अवशिष्ट अन्य अग्रिम	12481.59	47.82
		कुल योग	**26101.00**	**100.00**

4.7. आस्तियों का संविदागत परिपक्वता वर्गीकरण :

(₹ करोड़ में)

परिपक्वता पैटर्न	अग्रिम	निवेश (कुल)	विदेशी मुद्रा आस्तियां
आगामी दिवस	3616.50	73.25	401.68
2-7 दिन	3612.56	1691.89	1135.15
8-14 दिन	2792.88	972.61	240.58
15-28 दिन	5052.65	2090.06	569.93
29 दिन -3 माह	22159.90	2127.03	2591.77
>3 माह -6 माह	13527.70	1283.70	3018.31
>6 माह- 1 वर्ष	20173.43	650.68	1803.71
>1 वर्ष-3 वर्ष	45838.66	2405.37	850.63
>3 वर्ष-5वर्ष	14946.42	7124.43	728.05
>5 वर्ष	19265.38	39980.12	642.63
कुल	150986.08	58399.14	11982.44

4.8 कुल एनपीए निम्नानुसार हैं :

श्रेणी	(₹ करोड़ में)
अवमानक	2247
संदिग्ध-1	576
संदिग्ध-2	373
संदिग्ध-3	139
हानि	288
कुल एनपीए (सकल)	**3623**

4.9. निवल एनपीए की राशि रु.1803 करोड़ है.

4.10 एनपीए अनुपात निम्नानुसार है:

- कुल अग्रिमों का कुल एनपीए : 2.37%
- शुद्ध अग्रिमों का शुद्ध एनपीए : 1.19%

4.11 शुद्ध एनपीए का संचरण निम्नानुसार है: (₹ करोड़ में)

1) वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक शेष	2671
2) वर्ष के दौरान संवृद्धि	2924
3) वर्ष के दौरान कमी	1972
4) वर्ष के अंत में अंतिम शेष (i+ii-iii)	3623

4.12 एनपीए के लिए प्रावधान का संचरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

1) वर्ष के आरंभ में प्रारंभिक शेष	1643
2) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1288
3) वर्ष के दौरान किए गए अपलेखन /पुनरांकन	1154
4) वर्ष के अंत में अंतिम शेष (i+ii-iii)	1777

4.13 गैर-निष्पादित निवेश की राशि रु 54.62 करोड़ है.

4.14 गैर-निष्पादित निवेश के लिए धारित प्रावधानों की राशि रु 54.62 करोड़ है.

4.15 निवेश पर ह्रास के लिए प्रावधान की गति निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

1) वर्ष के आरंभ में प्रारंभिक शेष	79.49
2) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	60.28
3) वर्ष के दौरान किए गए अपलेखन / पुनरांकन	34.13
4) वर्ष के अंत में अंतिम शेष (i+ii-iii)	105.64

तालिका डीएफ-5

गुणात्मक प्रकटन

5. ऋण जोखिम : मानकीकृत अवधारणा के अध्यधीन संविभाग के लिए प्रकटन

5.1 बैंक ने सभी पात्र ऋण जोखिमों के लिए भारिबैं द्वारा मान्य निम्नलिखित 4 घरेलू ऋण रेटिंग एजेंसियों को अनुमोदित किया है.

- क्रिसिल
- केयर
- फिच इंडिया
- इक्रा

5.1.1. बैंक ने भारिबैं द्वारा अभिनिर्धारित निम्नलिखित 3 अंतर्राष्ट्रीय साख रेटिंग एजेंसियों को भी अनुमोदित किया है

- स्टैंडर्ड एंड पूअर
- मूडीज
- फिच

5.2 लार्ज कार्पोरेट ऋणियों और सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को अनुमोदित वाह्य रेटिंग एजेंसियों से रेटिंग प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है. सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रेटिंग को मैपिंग पर भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम भारित आस्तियों की गणना के प्रयोजन से मैप किया गया है.

मात्रात्मक प्रकटन

5.3 विभिन्न वर्गों में जोखिम शमन (मानकीकृत अवधारणा के अध्यधीन) के पश्चात् जोखिम राशि निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

1) 100% से कम जोखिम भार ऋण बकाया	123510.57
2) 100% जोखिम भार ऋण बकाया	71993.08
3) 100% से अधिक जोखिम भार ऋण बकाया	12988.23
कुल	208491.88

सारणी डीएफ-6

6. ऋण जोखिम शमन : मानकीकृत अवधारणा के लिए प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन

6.1 बैंक ऋण जोखिम शमन (सीआरएम)तकनीक व संपार्श्विक प्रबंधन पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति रखता है, जो संपार्श्विक के चयन, संपार्श्विक में जोखिम, संपार्श्विक के मूल्यांकन और निरीक्षण, पात्र वित्तीय संपार्श्विक गारंटियों और भारिबैं द्वारा निर्धारित हेयरकट के दिशानिर्देशों को कवर करती है.

6.2 बैंक द्वारा लिए गए मुख्य प्रकार के संपार्श्विक निम्न हैं :

6.2.1 नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे (एनसीएएफ) पर भारिबैं के दिशानिर्देश के अनुसार मानकीकृत अवधारणा के अंतर्गत ऋण जोखिम प्रशामकों के रुप में पहचाने गए पात्र वित्तीय संपार्श्विक.

नकद या नकद समतुल्य (बैंक जमाराशियां/ एनएससी/ केवीपी/ एलआइसी पालिसी आदि)

- सोना
- केंद्रीय/ राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां
- बीबीबी या बेहतर रेटेड कर्ज प्रतिभूतियां / अल्पावधि ऋण लिखत पीआर 3/पी 3/एफ 3/ए 3

6.2.1.1. बैंक, संपार्श्विकों के जोखिम शमन प्रभाव के कारण, पात्र वित्तीय संपार्श्विकों की हेयरकट-समायोजित मूल्य के अनुसार काउंटर पार्टी को ऋण एक्सपोजर कम कर देता है.

6.2.2. चल और अचल आस्तियां/ भू संपत्ति आदि.

6.2.3. गारंटी में कार्पोरेट, बैंक और व्यक्तिगत गारंटी शामिल हैं. इसमें ईसीजीसी, सीजीएफटीआइ और राज्य/ केन्द्र सरकार आदि द्वारा गारंटीकृत अग्रिम भी सम्मिलित हैं.

मात्रात्मक प्रकटन

6.4 ऋण जोखिम हेतु मानकीकृत अवधारणा के अंतर्गत ₹ 15523.80 करोड़ के पात्र वित्तीय संपार्श्विकों को प्रभाव देने के बाद कुल ऋण जोखिम निवेश ₹ 208491.87 करोड़ है.

(₹ करोड़ में)

जोखिम पोर्टफोलियो	प्रशामक करोड़ में	प्रतिशत सहयोग
सरकार पर दावे	65.13	0.42%
बैंकों पर दावे	27.27	0.18%
सार्वजनिक क्षेत्र के उदयमों पर दावे	4.16	0.03%
प्राथमिक डीलरों पर दावे	305.67	1.97%

कंपनियों पर दावे	9524.83	61.36%
नियामक रिटेल पर दावे	5070.83	32.65%
आवसीय संपत्ति द्वारा प्रतिभूत दावे	23.09	0.15%
वाणिज्यिक रीयल इस्टेट द्वारा प्रतिभूत दावे	78.12	0.50%
अनर्जक आस्तियां	34.44	0.22%
वैयक्तिक ऋण और क्रेडिट कार्ड प्राप्यों सहित उपभोक्ता ऋण	12.33	0.08%
पूंजी मार्केट एक्सपोजर	261.86	1.69%
एनबीएफसी पर दावे	46.68	0.30%
स्टाप अग्रिम	69.39	0.45%
कुल	15523.80	100.00%

6.5 ऋण जोखिम की मानकीकृत अवधारणा के अंतर्गत पात्र गारंटीकर्ताओं द्वारा कवर एक्सपोजर का विवरण निम्न प्रकार है

(₹ करोड़ में)

गारंटीकर्ता का प्रकार	जोखिम भार	कवर एक्सपोजर	प्रतिशत योगदान
केंद्र सरकार /सीजीटीएसआई/डीआईसीजीसी द्वारा गारंटीकृत दावे	0%	0.78	0.04
राज्य सरकार/ईसीजीसी द्वारा गारंटीकृत दावे	20%	2467.82	99.96
कुल		**2468.60**	**100.00%**

तालिका डीएफ-7

7. प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत अवधारणा हेतु प्रकटीकरण

7.1. इस समय प्रतिभूतिकरण में बैंक की भूमिका प्रतिभूतिकृत लिखत में निवेशक की हैं.

वर्तमान में 31.03.2011 को,प्रतिभूतिकरण में निवेश के रूप में बकाया राशि ₹ 3.66 करोड़ है.

तालिका डीएफ-8

8. व्यापारिक बही में बाजार जोखिम :

गुणात्मक प्रकटन

बाजार जोखिम ऑन अथवा ऑफ तुलन पत्र की उस स्थिति का मूल्यांकन है, जो वस्तुओं/ आस्तियों के मूल्यों एवं विनिमय दरों के कारण इक्विटी एवं ब्याज दर बाजार में संचरण से प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाती हैं.

ए) बाजार जोखिम के आकलन हेतु मानकीकृत अवधारणा द्वारा कवर किए गए पोर्टफोलियो निम्नानुसार हैं:

- व्यापार हेतु धारित (एचएफटी) के अंतर्गत धारित प्रतिभूतियां
- विक्रय हेतु उपलब्ध (एएफएस) के अंतर्गत धारित प्रतिभूतियां
- व्युत्पन्नों (डेरिवेटिव्स) में व्यापार स्थिति,
- ट्रेडिंग बुक एक्सपोजर की हेजिंग हेतु डेरिवेटिव
- दिन की समाप्ति पर विदेशी मुद्रा विनिमय स्थिति व दिन की समाप्ति पर गोल्ड स्थिति

शेष आस्तियां अर्थात् परिपक्वता पर धारित निवेश संविभाग एवं अग्रिमों को बैंकिंग बुक के रुप में माना गया है. बाजार जोखिम प्रबंधन के उद्देश्यों एवं नीतियों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है :

(I) रणनीतियां एवं प्रक्रियाएं:

नीतियां

बैंक में एक सुनिर्धारित कोषागार नीति (जिसमें निवेश संविभाग, विदेशी विनिमय परिचालन एवं डेरिवेटिव परिचालन निहित हैं) तथा आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति है, जो बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित है. इन नीतियों द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि प्रतिभूतियों, विदेशी विनिमयों एवं डेरिवेटिव्स के परिचालन सुदृढ़ एवं स्वीकार्य कारोबार नीतियों के अनुसार किये जा रहे हैं तथा वित्तीय लिखतों एवं वित्तीय बाजारों के लेनदेनों को नियंत्रित करने वाले कानूनों एवं नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार हैं. नीतियों की समीक्षा प्रतिवर्ष की जाती है और सरकार/ नियामक प्राधिकरण, आर्थिक परिवेश एवं कारोबार की अपेक्षाओं की स्थिति में नियमों एवं विनियमों में परिवर्तन कम अंतराल पर भी की जाती हैं.

तरलता जोखिम :

तरलता जोखिम की माप, अनुश्रवण एवं प्रबंधन के लिए बैंक द्वारा "नकदी प्रवाह अप्रोच" एवं "स्टॉक अप्रोच" का प्रयोग किया जाता है. परिपक्वता अथवा नकदी प्रवाह अन्तर के माध्यम से तरलता जोखिम का पता लगाया जाता है. तरलता जोखिम की माप हेतु परिपक्वता सोपान एवं चयनित परिपक्वता तिथियों पर निधियों के संचयी आधिक्य अथवा कमी की गणना जिसे "टाइम बॅकेट" के रुप में जाना जाता है, का प्रयोग मानक माध्यम के रुप में किया जाता है. अन्तरों के स्वीकार्य स्तर पर विवेकपूर्ण सीमाएं लागू हैं तथा पाक्षिक आधार पर इनका अनुश्रवण किया जाता है. स्टॉक अप्रोच के अंतर्गत अनेक अनुपात/ सीमाएं यथा मांग उधारी, अंतर बैंक देयता, थोक जमाराशि, प्रतिबद्धता अनुपात, तरल आस्ति सापेक्ष क्रय निधि अनुपात आदि लागू हैं. विपरीत स्थिति में विभिन्न स्तरों पर स्ट्रेस टेस्ट किये जाते हैं. दबाव की स्थितियों में तरलता/ निधि की आवश्यकता, निधि उगाही के स्रोत एवं लाभ-हानि इसके संभावित प्रभाव आदि की गणना तिमाही अंतराल पर की जाती है.

थोक जमाराशियों का अनुश्रवण दैनिक आधार पर किया जाता है. तरलता स्थिति के आकलन हेतु पाक्षिक आधार पर अल्पकालिक

गतिशील तरलता विवरण तैयार किया जाता है एवं अनुश्रवण किया जाता है, जिसमें कारोबार विकास को भी ध्यान में रखा जाता है.

ब्याज दर जोखिम

अल्प काल अर्थात वित्त वर्ष की समाप्ति तक बैंक की शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) पर प्रभाव के आकलन हेतु बैंक द्वारा परंपरागत गैप विश्लेषण (टीजीए) की गणना की जाती है. बैंक के निवेश संविभाग का अनुश्रवण आवधिक विश्लेषण के आधार पर किया जाता है.जोखिम पर मूल्य (वीएआर) कार्यप्रणाली का प्रयोग एसएलआर एवं ईक्विटी के अंतर्गत दिनांकित प्रतिभूतियों के लिए किया जाता है. जोखिम पर मूल्य (वीएआर) के लिए विवेकपूर्ण सीमा निर्धारित की गयी है और इसका अनुश्रवण दैनिक आधार पर किया जाता है तथा उच्च प्रबंधन को रिपोर्टिंग की जाती है.

भारतीय रिज़र्व के दिशानिर्देशों के अनुसार इक्विटी के बाजार मूल्य पर ब्याज दर में परिवर्तन के दीर्घकालीन प्रभाव के आकलन हेतु आवधिक गैप विश्लेषण का भी प्रयोग बैंक द्वारा किया जाता है.

विदेशी विनिमय जोखिम

बैंक द्वारा अनेक एक्सपोजर सीमाएं जैसे अधिकतम डे-लाइट सीमा, ओवरनाइट सीमा, सकल गैप सीमा (एजीएल), स्टॉप हानि सीमा एवं डील साइज सीमा आदि निर्धारित की गयीं हैं. बैंक द्वारा विदेशी विनिमय की स्थिति के लिए वीएआर सीमा निर्धारित की गयी है, जिसका अनुश्रवण दैनिक आधार पर किया जाता है. डेरिवेटिव लेनदेनों का अनुश्रवण ओपन स्थितियों के लिए विवेकपूर्ण सीमा एवं बकाया डेरिवेटिव के लिए पीवी01 सीमा द्वारा किया जाता है.

इक्विटी मूल्य जोखिम

बैंक की कोषागार नीति के अंतर्गत इक्विटी ट्रेडिंग के लिए बुक साइज, डील साइज, धारण अवधि एवं स्टॉप हानि सीमा आदि के लिए सीमाएं निर्धारित हैं. इन सीमाओं का अनुश्रवण दैनिक आधार पर किया जाता है.

(बी) बाजार जोखिम प्रबंधन कार्य का संगठन एवं संरचना

बाजार जोखिम के प्रबंधन को कवर करने वाली नीतियों का अनुमोदन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है. निदेशक मंडल की सहायता हेतु निम्नलिखित तीन स्तरों की व्यवस्था है -

- आस्ति देयता प्रबंधन एवं जोखिम प्रबंधन की पर्यवेक्षण समिति
- आस्ति देयता प्रबंधन समिति
- महाप्रबंधक (जोखिम प्रबंधन विभाग)

(सी) क्षेत्र

बाजार जोखिम के प्रबंधन, मापन एवं अनुश्रवण के लिए बैंक द्वारा अनेक सीमाएं यथा डे-लाइट सीमा, ओवरनाइट सीमा, डील साइज सीमा, सकल गैप सीमा (एजीएल), वैयक्तिक गैप सीमा, स्टॉप हानि सीमा, ट्रेडिंग बुक साइज, जारीकर्तावार सीमा, दर संवेदी सीमा, वीएआर सीमा आदि निर्धारित की गयी हैं.

इन सीमाओं का अनुश्रवण दैनिक आधार पर किया जाता है तथा उच्च प्रबंधन को समुचित रिपोर्टिंग की जाती है.

तरलता एवं बाजार जोखिम के लिए स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क की समुचित व्यवस्था है तथा तिमाही आधार पर स्ट्रेस टेस्ट किये जाते हैं. परिणामों की चर्चा आल्को में की जाती है तथा इसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है.

(IV) हेजिंग एवं शमन जोखिम

बैंक की हेजिंग पोजीशन की नीति, बैंक की ट्रेजरी नीति में दी गयी है. बैंक की बहियों के हेज संव्यवहारों की आवधित अंतराल पर समीक्षा की जाती है.

मात्रात्मक प्रकटन

बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना हेतु बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानक आवधिक अवधारणा को अपनाया है. बाजार जोखिम के लिए पूंजीगत अपेक्षा निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ ₹ में)

जोखिम श्रेणी	पूंजी प्रभार
ब्याज दर जोखिम	295.42
इक्विटी स्थिति जोखिम	195.02
विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	12.15
मानक आवधिक अवधारणा के अंतर्गत बाजार जोखिम हेतु कुल पूंजी प्रभार	**502.59**

तालिका डीएफ-9

9. परिचालनात्मक जोखिम

गुणात्मक प्रकटन

परिचालनात्मक जोखिम गवर्नेंस

- परिचालनात्मक जोखिम वह जोखिम है जो आंतरिक प्रक्रिया, जनबल एवं सिस्टम के अपर्याप्त या असफल होने के कारण अथवा बाहरी घटनाओं के कारण होता है.
- परिचालनात्मक जोखिम सभी कारोबार लाइनों एवं सभी स्तरों पर विद्यमान होता है.
- वर्तमान में परिचालनात्मक जोखिम का प्रबंधन अधिकांशत: आंतरिक नियंत्रण एवं लेखा परीक्षा व्यवस्था द्वारा किया जाता है.
- परिचालनात्मक जोखिम के नियंत्रण/ निवारण हेतु बैंक द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये हैं.

- प्रत्यायोजित प्राधिकार व्यवस्था, जिसमें ऋण एवं व्यय को कवर किया गया है.
- अनुदेश पुस्तिका एवं समय-समय पर परिपत्रों के माध्यम से अनुदेश जारी करना.
- निरंतर प्रशिक्षण की व्यवस्था
- निवारक सतर्कता
- बीमा
- जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा
- आउटसोर्सिंग नीति\
- अनुपालन नीति
- कारोबार निरंतरता नीति

- बैंक में परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति लागू है, जिसमें निम्न शामिल हैं:
  - संगठनात्मक संरचना
  - परिचालनात्मक जोखिम की पहचान, आकलन, अनुश्रवण एवं नियंत्रण.
  - परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी प्रभार
  - रिपोर्टिंग फ्रेंमवर्क
  - परिचालनात्मक जोखिम हानि आंकड़ों के संग्रहण एवं रिपोर्टिंग संबंधी दिशानिर्देश.
  - आठ कारोबारी स्तरों की गतिविधियों की मैपिंग हेतु नीति.
- बैंक में परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन हेतु पर्यवेक्षण मशीनरी सहित समुचित एवं स्वतंत्र संगठनात्मक संरचना की व्यवस्था है, जिसमें उच्च कार्यपालकों की परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) तथा परिचालनात्मक जोखिमों की देखरेख हेतु एक अलग जोखिम प्रबंधन विभाग भी कार्यरत है. इसके अतिरिक्त जोखिम प्रबंधन तथा एएलएम की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण हेतु बोर्ड स्तरीय समिति अर्थात बोर्ड की पर्यवेक्षण समिति भी कार्यरत है
- परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) बैंक के नये उत्पादों के अनुमोदन, धोखाधड़ियों के विश्लेषण, परिचालनात्मक जोखिम हानि आंकड़ों के विश्लेषण, बैंक की गतिविधियों एवं आय की मैपिंग की कार्यप्रणाली के विश्लेषण आदि का कार्य आठ कारोबारी स्तरों पर करती है.
- परिचालनात्मक जोखिम हेतु पूंजी प्रभार के परिकलन हेतु बैंक द्वारा बेसिक इंडीकेटर अवधारणा अपनायी जाती है.
- भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार बैंक को बेसिक इंडीकेटर अवधारणा (बीआईए) के अंतर्गत परिचालनात्मक जोखिम हेतु 31.03.2011 से पूंजी की व्यवस्था करनी है. बेसिक इंडीकेटर अवधारणा के अनुसार प्रभार ₹ 749.56 करोड़ है.

जोखिम प्रोफाइलिंग

बैंक तिमाही आधार पर परिचालनात्मक जोखिम प्रोफाइल टेंपलेट संकलित करता है, जिसके द्वारा निहित जोखिम, आंतरिक नियंत्रण जोखिम तथा परिणामी शुद्ध परिचालनात्मक जोखिम की दशा एवं दिशा का आकलन तथा निम्नांकित के आधार पर किया जाता है:

- जन जोखिम
- आउटसोर्सिंग जोखिम
- प्रोसेस जोखिम
- प्रौद्योगिकी जोखिम
- छवि जोखिम
- घटना जोखिम

टेबल डीएफ-10

10. बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम (आई आर आर बी बी)

(ए) गुणात्मक प्रकटन

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिसमें बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन का बैंक की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. इसके परिणामस्वरूप बैंक की आय (शुद्ध ब्याज आय) एवं बैंक का नेटवर्थ (कैपिटल फंड) प्रभावित हो सकता है. बैंक के पास विभिन्न परिपक्वता अवधियों अथवा पुनर्मूल्यांकन तिथियों तथा विभिन्न बेंचमार्क दरों से संबद्ध आस्तियां, देयताएं और ऑफ तुलनपत्र मदें विद्यमान हैं. इससे ब्याज दर के स्तर में अप्रत्याशित परिवर्तन से जोखिम उत्पन्न होता है .

फ्रेमवर्क

बैंक में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में आस्ति देयता प्रबंधन समिति (ALCO) का गठन किया गया है. जो तरलता/ बाजार जोखिम की पहचान एवं विश्लेषण तथा बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन नीति के लिए समुचित व्यवस्था एवं प्रक्रिया लागू करने हेतु उत्तरदायी है. आस्ति देयता प्रबंधन समिति को एक समर्पित एएलएम तथा एक स्वतंत्र मिड ऑफिस द्वारा सहायता प्रदान की जाती है. एएलएम एवं जोखिम प्रबंधन पर निदेशक मंडल की पर्यवेक्षण समिति द्वारा आस्ति देयता प्रबंधन के लिए सिस्टम के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण किया जाता है तथा आवधिक आधार पर इसकी समीक्षा की जाती है एवं मार्गदर्शन दिया जाता है.

परंपरागत गैप विश्लेषण (TGA) का प्रयोग दर संवेदी गैप (RSG)के माध्यम से ब्याज दर जोखिम के मापन एवं अनुश्रवण हेतु किया जाता है. शुद्ध ब्याज आय पर ब्याज दर में परिवर्तन के प्रभाव का आकलन किया जाता है. आय के दृष्टिकोण से ब्याज दर में परिवर्तन के प्रभाव को सीमित रखने हेतु 1 वर्ष तक की दर संवेदी गैप सीमा निर्धारित की गई है.

प्रत्येक महीने के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को ब्याज दर संवेदी विवरण तैयार किया जाता है. आस्ति देयता प्रबंधन समिति द्वारा मासिक आधार पर इसकी समीक्षा की जाती है. आस्तियों एवं देयताओं की व्यापक श्रेणी अर्थात् जमा, अग्रिम, निवेश आदि में परिवर्तन के प्रभाव की गणना वित्तीय वर्ष के अंत तक के लिए की जाती है.

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार बैंक की आस्तियों एवं देयताओं के आर्थिक मूल्य और इस प्रकार इक्विटी के बाजार मूल्य (MVE) पर ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रभाव की जानकारी हेतु तिमाही आधार पर आवधिक गैप विश्लेषण (DGA) भी किया जाता है. इस प्रभाव की गणना आय रेखा में 200 बीपीएस समानान्तर शिफ्ट के आधार पर की जाती है.

(बी) मात्रात्मक प्रकटन:

ब्याज दर में एक परिवर्तन शिफ्ट की कल्पना द्वारा इक्विटी के आर्थिक मूल्य एवं आय पर प्रभाव को निम्नानुसार दर्शाया गया है.

	पैरामीटर		**प्रभाव**
1.	आय पर जोखिम (NII) : 0.5% परिवर्तन पर	(राशि करोड़ ₹ में)	192.04
2.	इक्विटी का बाजार मूल्य : 200 बेसिस पॉइंट का उतार चढ़ाव	(राशि करोड़ ₹ में)	447.40
3.	इक्विटी मूल्य में गिरावट	(%)	4.31%

नियोजित पूंजी : (₹ करोड़ में)

आस्ति खंड	**31.03.2011**	**कुल आस्ति का%**	**आबंटित पूंजी**
ट्रेजरी परिचालन	78631.90	33.32%	6046.35
रिटेल बैंकिंग परिचालन	51840.03	21.97%	3986.21
कार्पोरेट/थोक बैंकिंग	101901.16	43.18%	7835.62
अन्य आस्तियां	3611.36	1.53%	277.69
कुल आस्तियां	235984.45	100.00%	-
कुल पूंजी	18,145.87		18,145.87

KEY FINANCIAL INDICATORS

S. No.	Particulars % (In Percentage)	31.03.2002	31.03.2003	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2006	31.03.2007	31.03.2008	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2011
1	Interest Income/Average Working Funds (AWF)	9.96	9.20	8.43	7.96	7.49	8.08	8.35	8.78	8.04	8.33
2	Interest Expenses/AWF	6.65	6.00	5.19	4.65	4.46	5.03	5.76	5.96	5.51	5.19
3	Interest Spread/AWF	3.31	3.20	3.24	3.31	3.03	3.05	2.59	2.82	2.53	3.14
4	Non-Interest Income/ AWF	1.24	1.76	1.55	1.23	0.63	0.75	1.20	1.09	1.19	1.03
5	Operating Expenses/ AWF	2.39	2.17	2.02	2.01	1.79	1.61	1.44	1.63	1.52	2.00
6	Cost Income Ratio	52.66	43.82	42.26	44.42	48.90	42.45	38.17	41.81	40.66	47.85
7	Gross (Operating) Profit/ AWF	2.16	2.79	2.77	2.52	1.87	2.19	2.34	2.28	2.21	2.18
8	Net Profit/AWF	0.78	1.18	1.33	1.15	0.86	0.92	1.26	1.27	1.25	1.05
9	Return on Net Worth	14.90	21.53	27.36	22.90	16.55	17.88	24.70	24.79	23.69	18.63
10	Return on Terminal Assets	0.71	1.08	1.22	0.99	0.76	0.82	1.12	1.07	1.06	0.88
11	Return on Average Assets	0.75	1.16	1.32	1.10	0.84	0.92	1.26	1.27	1.25	1.05
12	Yield on Advances	10.95	10.02	9.03	8.33	8.18	8.98	10.12	11.06	9.94	9.86
13	Cost of Deposits	7.03	6.46	5.64	4.97	4.75	5.23	6.19	6.50	5.94	5.53
14	Dividend payout Ratio to Net Profit (including Corporate Dividend Tax)	14.33	19.72	25.51	25.32	30.78	24.20	17.04	17.11	15.66	23.44
15	Credit - Deposit Ratio	56.45	59.55	61.17	67.96	75.50	76.46	75.55	73.22	73.71	78.11
16	Credit + Non SLR Investment (excluding Investments in Subsidiaries) - Deposit Ratio	63.30	67.36	73.74	77.86	84.29	81.49	78.44	76.75	80.75	84.08
17	Capital Adequacy Ratio	11.07	12.41	12.32	12.09	11.41	12.80	12.51	13.27	12.51	12.95
	Tier I	6.16	6.86	6.47	6.07	7.32	7.79	7.45	8.18	7.91	8.69
	Tier II	4.91	5.55	5.85	6.02	4.09	5.01	5.06	5.09	4.60	4.26

KEY FINANCIAL INDICATORS

S. No.	Particulars	31.03.2002	31.03.2003	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2006	31.03.2007	31.03.2008	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2011
1	Employees (Number)	25822	25706	25630	25645	25421	25969	25722	27510	27772	27746
2	Branches (Number)	2023	2020	2020	2051	2082	2206	2361	2558	2805	3016
3	Business per Employee (Rs in Crore) *	2.15	2.50	2.86	3.46	4.36	5.09	6.20	6.94	8.53	10.43
4	Gross Profit per Employee (Rs in Lacs)	3.37	5.07	5.79	6.13	5.77	7.70	10.03	11.20	13.18	15.52
5	Net Profit per Employee (Rs in Lacs)	1.22	2.15	2.78	2.81	2.66	3.25	5.39	6.28	7.47	7.50
6	Business per branch (Rs in Crore) *	27.41	31.78	36.35	43.35	53.29	59.94	67.52	74.61	84.49	95.93
7	Gross Profit per branch (Rs in Crore)	0.43	0.65	0.73	0.77	0.70	0.91	1.09	1.20	1.30	1.43
8	Net Profit per branch (Rs in Crore)	0.16	0.27	0.35	0.35	0.32	0.38	0.59	0.68	0.74	0.69
9	Earnings per Share (in Rupees)	9.29	13.95	15.47	15.64	14.58	16.74	27.46	34.18	41.08	39.71
10	Book Value per Share (in Rupees)	39.03	40.70	55.71	67.18	80.77	93.60	111.19	137.87	173.38	213.17

Note : * Average Business

Definitions :

Average Working Funds (AWF)	:	Fortnightly average of total assets
Average Deposits	:	Fortnightly average of total deposits
Average Advances	:	Fortnightly average of total advances
Average Business	:	Total average deposits and average advances
Average Investments	:	Fortnightly average of total investments
Interest Income/AWF	:	Total interest income divided by AWF
Interest Expenses/AWF	:	Total interest expenses divided by AWF
Interest Spread/AWF	:	Total interest income minus Total interest expenses divided by AWF
Non Interest Income/AWF	:	Total Non interest income divided by AWF
Operating Expenses	:	Total Expenses minus Interest Expenses
Operating Expenses/AWF	:	Operating profit divided by AWF
Cost Income Ratio	:	Operating Expenses / Non Interest Income plus interest spread
Gross Profit/AWF	:	Operating profit divided by AWF
Net Profit/AWF	:	Net Profit divided by AWF
Return on Net Worth	:	Net Profit / Net Worth (excluding revaluation reserves and intangible assets
Return on Assets	:	Net Profit / Total Assets
Return on Average Assets	:	Net Profit / AWF
Yield on Advances	:	Interest Earned on Advances / Average Advances
Cost of Deposits	:	Interest paid on deposits divided by average deposits
Dividend Payout Ratio	:	Dividend including corporate Dividend Tax / Net Profit (including Corporate dividend tax)
Credit Deposit Ratio	:	Total advances / Customer Deposits (i.e. Total Deposits minus Inter Bank Deposits)
Credit + Non SLR Investments (excluding Investment in Subsidiaries) - Deposit Ratio	:	Total Advances + Non-SLR Investments minus Investments in subsidiaries / Customer Deposits
Business per employee	:	Average Deposits (excluding Bank Deposits) plus Average Advances / Total No. of employees
Gross Profit per Employee	:	Gross Profit divided by total No. of employees
Net Profit per Employee	:	Net Profit / Total No. of Employees
Business per Branch	:	Average Deposits (excluding Bank Deposits) plus Average Advances / Total No. of branches
Gross Profit per Branch	:	Gross Profit / No. of Branches
Net Profit per Branch	:	Net Profit / No. of Branches
Earning per Share	:	Net Profit divided by equity multiplied by ten
Book Value per share	:	Net worth (excluding Revaluation Reserve and intangible assets)/ equity multiplied by ten

NOTICE

NOTICE is hereby given that the Ninth Annual General Meeting of the shareholders of Union Bank of India will be held on Wednesday, 29th June, 2011 at 3.30 p.m. at **Rama Watumull Auditorium,** K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020 to transact the following business:-

Item No. 1

To discuss, approve and adopt the Balance Sheet as at 31st March, 2011 and the Profit & Loss Account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

Item No. 2

To declare dividend on Equity Shares for the financial year 2010-11.

By Order of the Board of Directors

(M.V. Nair)
Chairman & Managing Director

Place : Mumbai
Dated : 06.05.2011

NOTES:

(i) APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE ANNUAL GENERAL MEETING IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The Proxy form, in order to be effective, must be received at the Head Office of the Bank not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting, i.e., on or before the closing hours of the Bank i.e. 5.00 p.m., on Friday, 24th June, 2011.

(ii) APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the Annual General Meeting as a duly authorized representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting, i.e., on or before the closing hours of the Bank i.e. 5.00 p.m., on Friday, 24th June, 2011.

(iii) ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this Report. Shareholders/ Proxy holders/Authorised Representatives are requested to affix their signatures at the space provided therein and surrender the Attendance Slip-cum-Entry Pass at the venue. Proxy/Authorized Representative of a shareholder should state on the Attendance Slip-Cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.

(iv) BOOK CLOSURE

The Register of the shareholders and the Share Transfer Register of the Bank will remain closed from Saturday, 18th June, 2011 to Wednesday, 29th June, 2011 (both days inclusive), for the purpose of Annual General Meeting and for ascertaining the shareholders entitlement to dividend, if declared at the Annual General Meeting.

(V) PAYMENT OF DIVIDEND

Payment of dividend to shareholders as proposed by the Board of Directors shall be paid to those shareholders holding shares in physical form, whose names appear on the Register of Shareholders of the Bank as on 29th June, 2011 and in respect of shares held in dematerialised form, the dividend will be paid on the basis of beneficial ownership as per details to be furnished by the depositories as at the end of business hours on 17th June, 2011 and the dividend shall be paid on 8th July' 2011.

(vi) **TRANSFERS**

Share certificates along with transfer deeds should be forwarded to the Registrar and Transfer Agent only for effecting the transfer.

(vii) BANK MANDATE FOR DIVIDEND OR NATIONAL ELECTRONIC CLEARING SERVICE (NECS)/DIRECT CREDIT TO UNION BANK ACCOUNT:

a) The shareholders are required to furnish their Bank Account number, 9 digit MICR code as appearing on MICR cheque, the name of the Bank and the Branch where they would like to deposit the Dividend warrants for encashment. If the dividend amount is not credited directly to

the account of shareholder the particulars of Bank Account will be printed on the cheque portion of Dividend warrants, besides the name of the shareholder so as to avoid fraudulent encashment of warrants. The above-mentioned details should be furnished by the first/sole shareholder holding shares in physical form directly to the Registrar & Transfer Agent, quoting the folio number and to the Depository Participant by shareholders holding shares in demat form.

b) The bank is also offering the facility of -

i. National Electronic Clearing Service (NECS)

ii. Direct credit to Union Bank Account holders.

This facility could be used by the shareholders instead of Bank Mandate system for receiving the credit of dividend. Option Form is annexed to this report and also available on the website of the Bank www.unionbankofindia.co.in.

(viii) UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend of previous periods, if any, are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for issue of the duplicate dividend warrant. Requisite format of Indemnity Bond is available on the website of the Bank www.unionbankofindia.co.in.

As per Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under Section 205C of the Companies Act, 1956 and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF.

(ix) CHANGE OF ADDRESS / BANK PARTICULARS / BANK ACCOUNT MANDATE

(a) For Shareholders holding shares in Physical Form:

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their registered address and/or Bank particulars, to the Registrar and Transfer Agent of the Bank at the following address:

Datamatics Financial Services Ltd.,
Unit: Union Bank of India,
Plot No.B-5, Part B, MIDC, Crosslane, Marol,
Andheri (East), MUMBAI- 400 093.

(b) For Shareholders holding shares in Demat Form:

Shareholders holding shares in dematerialised form are requested to intimate changes, if any, in their registered address and Bank Mandate / details only to their depository participant(s).

(x) RECORDING OF CHANGE OF STATUS

Non-Resident Indian Shareholders are requested to inform the Share Transfer Agent of the Bank, Datamatics Financial Services Ltd., immediately of :

a) the change in the Residential status on return to India for permanent settlement.

b) the particulars of the Bank Account maintained in India with complete name, branch, account type, account number and address of the Bank with PIN, if not furnished earlier.

(xi) CONSOLIDATION OF FOLIOS

Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names are requested to send their share certificates to the Share Transfer Agent of the Bank, Datamatics Financial Services Ltd., for consolidation into a single folio.

(xii) Shareholders/ Proxy holders/representatives are requested to bring their copies of the Annual Report and notice to the Annual General Meeting.

(xiii) Shareholders seeking any information on the Accounts are requested to write to the Bank, which should reach the Bank atleast one week before the date of the Annual General Meeting so as to enable the Management to keep the information ready. Replies will be provided only at the Annual General Meeting.

By Order of the Board of Directors

(M. V. Nair)
Chairman & Managing Director

Place : Mumbai
Date : 06.05.2011

DIRECTORS' REPORT

Dear Shareholders,

The Directors have pleasure in presenting the 92nd Annual Report of your Bank along with statement of Audited Balance Sheet, Profit & Loss Account, Cash-Flow Statement on standalone and consolidated basis and the Report on Management Discussion & Analysis for the financial year ended 31st March 2011. The Corporate Governance Report also forms part of the Annual Report.

1. Overview

a. Your Bank continued with the healthy performance track record during the year 2010-11 while pursuing its broad *Vision & Mission* objective of becoming the *Bank of first choice in chosen area*s. These objectives have short-term as well as long-term goalposts. In the short-run, customer acquisition, business expansion and a profitable growth are the key outcomes while in the long-run Bank pursues a sustainable improvement in the process efficiency, product enrichment and people productivity. Our journey towards accomplishing the *Vision* involves creating values for our customers, our employees and you, our shareholders.

b. During the fiscal year 2010-11, the business environment was not so benign; however, your Bank reported healthy results. Bank also launched two initiatives during the year, for achieving customer service excellence and building a strong human capital chain in the organization. These two initiatives, along with a number of enablers created in the recent years would help your Bank become one of the most preferred banks amongst the existing customer pool and the two emerging customer classes, namely the NextGen customers and new Bankable class. Your Bank is laying a strong foundation for a sustainable growth in the future that would enhance the market share and shareholders' value.

Table - 1

Key Performance Indicators (₹ crore)

	FY2010	FY2011	Annual Change
Total Business	291289	355483	22.04%
Net Interest Income	4192	6216	48.28%
Operating Profit	3659	4305	17.66%
Provisions	1584	2223	40.34%
Net Profit	2075	2082	0.34%
Net Interest Margin (NIM)	2.71%	3.33%	62 bps
Capital Adequacy Ratio	12.51%	12.95%	44 bps
Gross Profit per employee (₹ lakh)	13.18	15.52	17.75%
Dividend (₹ per share)	5.5	8.0	45.45%
Book Value per Share (₹)	173.38	213.17	22.95%

c. The brief highlight of the Bank's performance is discussed below, followed by a detailed report on *Management Discussion and Analysis.*

2. Business Performance

a. Total Business of your Bank increased by 22.04% from ₹ 2,91,289 crore as on March 31, 2010 to ₹ 3,55,483 crore as on March 31, 2011.

b. This comprised Deposit growth of 19.07% from ₹ 1,70,040 crore to ₹ 2,02,461 crore and Advances growth of 26.20% from ₹ 1,21,249 crore to ₹ 1,53,022 crore.

c. Bank has one branch outside India at Hong Kong. The business of Hong Kong branch increased by 94.53%, though on a lower base. Deposits increased from ₹ 370 crore to ₹ 570 crore and advances increased from ₹ 2,977 crore to ₹ 5,941crore.

3. Financial Performance

a. Net Interest Income recorded a growth rate of 48.28% from ₹ 4,192 crore for the year 2009-10 to ₹ 6,216 crore for the year 2010-11.

b. Total Income of the Bank increased by 21.04% from ₹ 15,277 crore to ₹ 18,491 crore. Interest income was the major contributor, within which interest on advances recorded a growth of 24.08% from ₹ 9,696 crore to ₹ 12,031 crore. Interest income on investments increased by 14.93% from ₹ 3,482 crore to ₹ 4,002 crore. Yield on advances stood at 9.86% for the year 2010-11 from 9.94% in the previous year. Yield on investments, however, increased to 6.55% for the year 2010-11 from 6.32% in the previous year, reflecting higher coupon on government securities. Total yield on funds also recorded an improvement of 29 basis points (bps) from 8.04% to 8.33%.

c. Non-interest income increased by 3.24% from ₹ 1,975 crore to ₹ 2,039 crore. The major drag was 19.02% fall in income from profit on sale of investments due to volatile and uncertain market conditions prevailing during the year. Excluding this item, non-interest income growth would be 12.34%.

Table - 2

(₹ In crore)

	FY-10	FY-11	Growth%
Inland Commision	352	365	3.69
Treasury Income	573	464	-19.02
Income from Forex transaction	323	429	32.82
Recovery in Written -off Accounts	183	212	15.85
Miscellaneous	544	569	4.60
Total	1975	2039	3.24

d. Total Expenses increased by 22.10% from ₹ 11,618 crore to ₹ 14,186 crore. Interest expenses growth was contained at 12.36% by prudent liability management. It increased from ₹ 9,110 crore to ₹ 10,236 crore. The cost of deposits was contained at 5.53% as of March 2011 compared to 5.94% in the previous year. Total cost of funds also declined from 5.51% to 5.19% despite tight liquidity conditions in the financial market and higher policy rates.

e. A decline in cost of funds and increase in yield on funds resulted in 62 bps gain in the Net Interest Margin from 2.71% in the year 2009-10 to 3.33% for 2010-11. NIM remained above 3% for all quarters of the year, and touching 3.44% during the last two quarters of the fiscal.

f. However, establishment expenses increased by 91.88% from ₹ 1,355 crore to ₹ 2,600 crore, mainly due to second pension option on account of implementation of bipartite wage settlement and gratuity liabilities due to statutory increase in gratuity limit from ₹ 3.5 lakh to ₹ 10 lakh. The liability on account of pension was ₹ 1,146 crore for the year 2010-11 as against ₹ 178 crore in the previous year. This additional provision impacted the profitability of the Bank. Further, in accordance with RBI guidelines pension liabilities of ₹ 1,352 crore and Gratuity liability of ₹ 260 crore have been carried forward to be charged over the next four years.

Table - 3

(₹ In crore)

	FY-10	FY-11	Growth%
Staff Expenses	1355	2600	91.88
Other Operating Expenses	1153	1350	17.09
Total Operating Expenses	2508	3950	57.50

g. The Operating Profit for the year 2010-11 was ₹ 4,305 crore, an increase of 17.66% over ₹ 3,659 crore recorded in the previous year.

h. Provisions for the year 2010-11 stood at ₹ 2,223 crore, an increase of 40.34% over ₹ 1,584 crore in the previous year. The increased provisions were mainly on account of non-performing assets.

i. The higher pension & gratuity liabilities, provisions for non-performing assets and lower treasury income impacted the Net Profit of the Bank. It stood at ₹ 2082 crore for the year 2010-11 compared to ₹ 2075 crore in the previous year. However, the major hits on the Net Profit of the Bank are one-time in nature.

Chart-1

(₹ In crore)

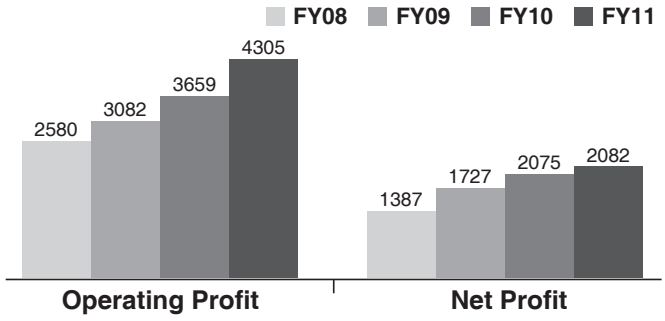

j. The factors impacting net profit also impacted efficiency and profitability ratios of the Bank. The Return on Average Assets for the year 2010-11 stood at 1.05% compared to 1.25% for 2009-10. During the same period, Cost-to-income Ratio increased to 47.85% from 40.66% reflecting sharp rise in establishment expenses.

4. Productivity Ratios

a. Average Business per employee recorded 18.93% average annual growth rate during the last four years. During the same period Average Business per branch and Gross Profit per Employee have shown average annual growth rate of 12.42% and 15.66% respectively. During the year 2010-11, Bank recorded growth in productivity indicators.

Table - 4

(₹ In Lakh)

	FY-08	FY-09	FY-10	FY-11	CAGR(%)
Average Business Per Employee	620	694	853	1043	18.93
Average Business Per Branch	6752	7461	8449	9593	12.42
Gross Profit Per Employee	10.03	11.2	13.18	15.52	15.66
Gross Profit per Branch	109	120	130	143	9.47

5. Dividend

Your Directors are pleased to recommend a dividend of 80% for the year 2010-11, i.e. ₹ 8.0 for each share with face value of ₹ 10.0, as compared to 55% in the previous

year. Total outflow on account of dividend is ₹ 488.06 crore including dividend tax. The dividend policy of your Bank intends to suitably reward the shareholders while pursuing the objective of adequate capital adequacy ratio for supporting the growth in business.

6. **Shareholders' Return**

Your Bank's net worth improved by 27.56% to ₹ 11172 crore from ₹ 8758 crore in the previous year. Thus, the Book Value per share increased to ₹ 213.17 from ₹ 173.38 in the previous year. Earnings per share stood at ₹ 39.71 from ₹ 41.08 in the previous year. Return on Equity was reported at 18.63% for the year 2010-11 from 23.69% in the previous year.

Chart-2

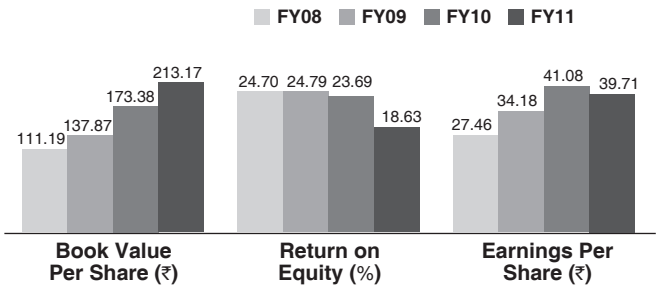

7. **Rating and Capital Raising**

a. CRISIL assigned 'AAA/Stable' rating to Union Bank of India's Upper Tier II bonds. The rating factors in Union Bank's healthy market position, comfortable resource profile, and adequate earnings profile.

b. Bank raised Capital through issuance of Tier II bonds of ₹ 500 crore during the financial year 2010 -2011.

c. The Bank received an amount of ₹ 111 crore on the 14th July, 2010 towards contribution of the central government in the Perpetual Non Cumulative Preference Shares (PNCPS) of the bank. Bank has allotted 11,10,00,000 Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS) of ₹ 10/- each to Govt. of India, carrying annual floating coupon benchmarked to Repo Rate with a spread of 100 bps, to be readjusted annually based on the prevailing Repo Rate on the relevant date.

d. Bank also allotted on preferential basis 1,92,14,515 equity shares of ₹ 10/- each at a premium of ₹ 344.94 to Govt. of India. Consequently the Government shareholding in the Bank increased from 55.43% to 57.06%. On account of this preferential issue to Government of India, Bank's capital increased by ₹ 682 crore.

8. **Capital Adequacy Ratio**

Capital Adequacy Ratio (CAR), as per Basel II stood at 12.95% as on March 31, 2011, reflecting an increase of 44 basis points from 12.51% in the previous year. The CAR of your Bank is well above the regulatory benchmark of 9%. Tier I CAR stood at 8.69% compared to 7.91% a year ago.

Table-5

(₹ In crore)

	FY-10	FY-11
Total Risk Weighted Assets	122598	140095
Capital Fund	15336	18146
Tier-I Capital	9697	12178
CAR-Basel-II	12.51%	12.95%
Tier-I	7.91%	8.69%
Tier-2	4.60%	4.26%

9. **Delivery Channels**

a. Your bank crossed a branch network milestone of 3000 during the year. As on March 31, 2011, Bank's total branches in India stood at 3015, including 211 new branches opened during the year 2010-11. Besides, Bank also has a branch in Honk Kong. The total number of outlets including extension counters and service branches is 3104 as on March 31, 2011 compared to 2910 outlets in the previous year. Total number of ATMs increased to 2634 during the year, implying an addition of 307 ATMs.

b. Your Bank believes that the customers must get choice of channels including alternative delivery channels. With this objective, Bank has channel facilities of Call Centre, internet banking and mobile banking besides branches and ATMs. There is continuous addition of services offered through these alternative channels and they are finding favour with the customers.

c. The overseas presence of the Bank includes one branch and five representative offices at Shanghai, Beijing (both in China), Abu Dhabi (UAE), Sydney (Australia) and London (UK). The office at London was opened during the year 2010-11.

d. During the year, Bank also received approval from the Reserve Bank of India for converting the representative office at Sydney into a branch and the representative office in London (UK) into a subsidiary.

Bank also has approvals for opening a branch in Antwerp (Belgium) and representative offices at Johannesburg (South Africa) and Toronto (Canada). Consequent to RBI's approvals, further processes are at different stages.

10. Brand Building

In today's competitive banking industry, brand building has become imperative for banks. Your Bank regained the brand power through a series of initiatives in the recent years including re-branding exercise undertaken during the year 2008-09. This continued during 2010-11 with various customer centric measures and publicity campaigns. 'Union Home 10 on 10' media campaign received wide publicity across all media. Similarly, Bank's brand power and brand recall gained positively during ICC World Cup. Your Bank is building a brand which is responsive and value creating for the customers and shareholders. Another aspect of brand building that your Bank pursues is becoming a strong 'employer brand' so that the Bank is able to attract and retain talents.

11. Awards & Accolades

Your Bank received recognition and awards for its performance and initiatives in many areas.

a. Dale Carnegie leadership award was conferred on Union Bank of India by Dale Carnegie Training for the Bank's transformation initiatives undertaken through project Nav Nirman. With this, your Bank is in the coveted club of previous winners like Ford Motor Company, Coca-Cola, Adidas, Boeing and Wipro Technologies.

b. *Award for Excellence* in Corporate governance was given at the 10th ICSI National Award for Excellence in Corporate Governance, 2010

c. Outlook Money recognized the Bank as the *Best Home Loan Provider*

d. *Skoch Financial Inclusion Award 2011* was received for innovative work in the area of financial inclusion, particularly financing of farmer members of Primary Agriculture Cooperative Societies

e. Bank received Special Prize from IDRBT for 'excellence in implementing Mobile Banking and Payment application'

f. Bank received 'Asian Banker (Singapore)' award for Best Implementation of Middleware

g. Bank received ABCI (Association of Business Communication of India) award for Marketing and Brand communication

h. Bank's in-house journal, *Union Dhara* bagged 7 awards along with most prestigious "*Magazine of the year Award"* at 50th Award ceremony of ABCI

i. For promotion of Official Language, Bank received *Reserve Bank Rajbhasha Shield* as First Prize under linguistic Region 'B" for the year 2009-10. Bank also received during the year *First Prize* under *Indira Gandhi Rajbhasha Shield* (2008-09) announced by the Government of India.

12. Directors

During the year, the following changes took place in the Board of Directors:

1. Shri B.M. Sharma, Chartered Accountant was nominated by the Government under sub-section 3 (g) of section 9 of Banking companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 w.e.f. April 16, 2010 as Non-Executive Director under Chartered Accountant category.

2. Smt. Meena Hemchandra, RBI Nominee Director was nominated by the Government under clause (c) of sub-section 3 of section 9 of Banking companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 read with sub clause (1) of clause 3 of The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970/1980 w.e.f. 30.07.2010, in place of Shri K. Sivaraman whose term ended on 29.07.2010.

3. Shri S. S. Mundra was appointed Executive Director by the Government of India and joined the Bank on September 1, 2010, in place of Shri S. Raman who was appointed as the Chairman & Managing Director of Canara Bank

4. The term of office of Shri Ashok Singh Part Time Non-official Director came to an end during the year under review on his resignation w.e.f. 25.01.2011. Appointment for the vacancy thereof by the Government is awaited.

5. While welcoming all the new Directors, the Board places on record the valuable services rendered by Shri K.Sivaraman, Shri S. Raman and Shri Ashok Singh.

13. Directors' Responsibility Statement

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2011.

1. The applicable accounting standards have been followed and there are no material departures from prescribed accounting standards.

2. The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied.

3. Reasonable and prudent judgement and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of the Bank for the year ended on March 31, 2011.

4. Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India and,

5. The accounts have been prepared on going concern basis.

14. Corporate Governance

The Board of the bank is committed to adopt good Corporate Governance practices in letter and spirit. A detailed report on Corporate Governance is given in a separate Section of the Annual Report. Bank has been awarded with "Certificate of Recognition" for excellence in Corporate Governance at the 10th ICSI National Award. The Bank was selected as one of the Top 25 companies in India for excellence in Corporate Governance practices by the Institute of Company Secretaries of India partnering with Ministry of Corporate Affairs, Government of India for the years 2008-09 and 2009-2010. The corporate Governance report for year 2010-2011 has no audit qualifications.

15. Corporate Social Responsibility

a. Your Bank is actively engaged in community and social development and pursues this goal under the aegis of specially set up '*Union Bank Social Foundation'.* Various activities are carried out by this Foundation through a widespread presence of *202 Village knowledge Centres (VKCs), 103 Union Adarsh Gram, 8 Financial Literacy and Credit Counseling Centres (FLCC), 13 R-SETIs (Rural Self-employment and Training Institutes)* across the country. This includes 1 VKC and 7 FLCC opened during the year.

b. Each VKC assists in overall development of the village by coordinating with various developmental agencies/Government departments and disseminate knowledge to farmers about latest developments in methods of cultivation, technologies, proper use of fertilizers, pesticides etc. Under *Union Adarsh Gram Yojana*, Bank undertakes a holistic development of the village by converting it into a model village. Similarly, R-SETI and FLCC extend financial literacy, counseling and training to the needy people so that they become part of the mainstream.

c. During the year 2010-11, your Bank extended a donation of ₹ 175.65 lakh to various entities for the purpose of education, health and medical emergency, relief, basic amenities etc. Your Bank is examining the possibility of providing the solar-powered lanterns to the households in the103 *Union Adarsh Gram.* The objective is to provide illumination to the electricity deprived villages that will facilitate livelihood by increasing the productive hours for rural entrepreneurs, help spread education, improve health, bio-conservation and moreover, a ray of hope for everyone.

16. Acknowledgement

The Board expresses its gratitude to the Government of India, Reserve Bank of India, Securities & Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Authority and Central Vigilance Commission for the valuable guidance and support received from them. The Board also thanks the financial institutions and correspondent banks for their co-operation and support. The Board acknowledges the unstinted support of customers, shareholders and all other stakeholders. The Board wishes to place on record its appreciation of the dedicated services and contribution made by members of staff in the overall performance of Bank.

For and on behalf of the Board of Directors,

(M. V. Nair)
Chairman & Managing Director

Place: Mumbai
Dated: 20th May, 2011

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1. Macro Economic Scenario

1.1 *Global Economy*

a. The global economy recorded a growth rate of 5.0% in the calendar year 2010 compared to a decline of half-a-percent in the previous year. There was recovery in advanced countries, particularly US, Japan and Canada; but a more pronounced recovery in emerging & developing economies which registered a growth rate of 7.3%. The unemployment situation remains a key concern in advanced economies and particularly weak housing sector growth in the US. The year was characterised by rise in international commodity and crude oil prices and political developments in the MENA (Middle East & North Africa). Further, devastating earthquake in Japan in early part of 2011 had bearing on investor sentiments.

b. Monetary and fiscal actions in the developed world remained accommodative while many emerging market Central Banks, including India continued with policy tightening where output gaps almost closed. The challenge in emerging economies is to contain demand pressures and inflationary expectations amidst very high global food and fuel prices.

c. World trade volume of goods and services recorded a growth rate of 12.4% in 2010 from a dip of 10.9% in the previous year. There was revival in import as well as export volume, well supported by advanced and emerging countries. Imports of emerging and developing countries are back to pre-crisis trends.

d. The outlook for growth in advanced countries is positive. The global purchasing managers' index for manufacturing and services sector indicate continued expansion. The growth in advanced countries in the year 2011 is projected by the International Monetary Fund at 2.4% and for emerging and developing countries at 6.5%. The key downside risk to growth is further spike in crude oil prices which is projected to average at $107 per barrel during the year. While inflation is the main risk in emerging economies as output gaps close, advanced economies faces three challenges going forward – regain fiscal credibility, reform financial sector and reduce high unemployment.

1.2 Domestic Economy

a. **Growth**: Indian economy registered a growth rate of 8.5% during the fiscal 2010-11, according to revised estimates of the Central Statistical Organization. The major improvement is in agriculture sector, which supported by a good monsoon recorded a growth rate of 6.6% compared to 0.4% in the previous year. Industry segments exhibited slowdown in the second half of the year, as reflected in Index of Industrial Production, particularly for capital goods. However, leading indicators of services sector like credit to services sector, production of commercial vehicles, telecom connections etc. showed acceleration. India continues to be a favourite investment destination; the World Investment Report 2010 reported India to be the second most attractive location for FDI for 2010-2012.

b. **External Sector:** India's merchandise exports reached $246 billion, registering a growth of 37.5 per cent while imports topped $351 billion, up 21.6 per cent year-on-year during financial year 2010-11. While the recovery had been happening at a sluggish rate in developed economies, bulk of the growth came from newer markets. The trade deficit stood at $105 billion. The good performance of exports is expected to continue as developed economies continue to recover, while rising crude oil prices poses an upward risk to imports bill. In FY 2010-11, growth in exports came mainly from engineering products rising by a staggering 84.8 per cent to $60.1 billion, petroleum soaring by 50.6 per cent at $42.5 billion, electronic goods by 34.5 per cent at $7.4 billion, textiles at $21 billion, drugs and pharmaceuticals at $10.3 billion and carpets at $1.1 billion. Total FDI inflow into the country was lower during the year at $27.0 billion compared to $37.8 billion during 2009-10. The country requires a healthy inflow of FDI to finance growth and also the current account deficit.

c. **Inflation:** The year 2010-11 continued to witness high level of prices driven by combination of factors, both structural and transitory. The initial phase of inflation was more due to supply side shocks caused by untimely rains in some parts of the country. Another significant development was the changing food habits of the people due to upward shifts in

income patterns, which led to high demand for protein sources such as milk, eggs, meat and fish. Though domestic fuel prices remained largely unchanged, high global crude oil & commodity prices resulted in imported price inflation to some extent. A combination of factors led to rise in inflation expectations and pass-through of food and fuel inflation to a more generalised inflation. The headline Wholesale Price Index based inflation rose to 9.04% (provisional) for the month of March 2011. The average WPI inflation rate for 2010-11 was 9.4% as compared to 3.6% during 2009-10.

1.3 **Financial Market**

a. **Liquidity:** During 2010-11, liquidity conditions were influenced by structural as well as frictional factors. The beginning of the year was the period of comfortable liquidity; however, outflow of money in May/June 2010 on account of spectrum license fee payment by mobile service operators for 3G and BWA services shifted liquidity into deficit mode. Soon after, Reserve Bank of India changed its monetary policy stance to keeping liquidity in deficit mode so as to enhance the effectiveness of monetary policy transmission. The factors like large government cash balances with the RBI, relatively lower deposit growth rate pushed liquidity deficit beyond RBI's stated tolerance level of 1% of Net Demand and Time Liabilities (NDTL) of banking system. The higher demand for currency also resulted in tight liquidity conditions. The Reserve Bank introduced a number of measures with the aim of limiting the scale of the deficit, including reduction in SLR on an enduring basis, Open Market Operations (OMOs), facility for banks to borrow up to 1% of NDTL against SLR portfolio.

b. **Money Supply:** RBI's indicative projection for broad money supply growth was at 17%. The actual growth in money supply during 2010-11 was 15.9%, due to lower deposit growth and higher than expected growth in currency with the public. The aggregate deposits of scheduled commercial banks recorded a growth rate of 15.9% as on last reporting Friday of the fiscal 2010-11. Time deposits increased by 18.7% as interest rates became attractive while demand deposits declined marginally by 0.6%.

c. **Bank Credit:** The demand for non-food credit remained above the targeted level. Flow of finance from non-banking sources lagged behind the incremental flow of bank credit. Non-food credit of banks recorded a growth rate of 21.3%. There was broad based trend in sectoral deployment of bank credit. Major part of the credit to industry was towards infrastructure sectors while there was a revival in demand for vehicle and housing loans during the year.

d. **Policy Environment:** RBI pursued the objective of normalization of policy rates which were drastically reduced in the aftermath of global financial crisis. The first step was taken in March 2010 itself with a 25 bps hike in both, reverse repo and repo rates. A total of 175 bps hike in repo rate and 225 bps in reverse repo rate were effected during the year. As prices started rising, policy rates also responded in order to anchor inflationary expectations. To make policy rates more effective and reduce the volatility in inter-bank money market, RBI narrowed the spread of liquidity adjustment facility by 50 bps and maintained the stance of keeping liquidity in the deficit mode. The statutory liquidity ratio (SLR) of banks was also reduced by 100 bps to 24 percent on an enduring basis. The overall stance of the policy was to contain the inflationary expectations and maintain interest rate regime consistent with price, output and financial stability. Besides, 'Base Rate' system of benchmark lending rate was implemented by banks with effect from June 1, 2010. This is intended to enhance the effectiveness of interest rate channel of monetary policy transmission.

e. **Capital Market**: The equity capital market exhibited mixed trend during 2010-11. Between July-November 2010, equity markets outperformed due to huge inflows from Foreign Institutional Investors (FIIs); however, the trend reversed during the next four months on slowdown in net FII inflows. The benchmark Sensex recorded an annual increase of 10.9% as on March 31, 2011. The resource raised from the primary market during the year was 15.4% higher than the previous year.

f. **Debt Market:** The prevalence of deficit liquidity conditions, elevated inflation and tight policy rate environment resulted in higher interest rates in the bond market and increase in yield on government securities. The central government raised a gross amount of ₹ 4,37,000 crore while state governments borrowed ₹ 1,04,309 crore from the market. The weighted average yield of central govt issuances was higher at 7.9% compared to 7.2% in 2009-10. The

net increase in the commercial paper issuances was around ₹ 5,000 crore but the net increase in certificate of deposits was over ₹ 80,000 crore.

g. **Forex Market:** The Indian rupee exhibited a two-way movement in the range of ₹ 44.03 to ₹ 47.58 per US dollar. With the sharp appreciation of the rupee during October 2010, forward premia firmed up across maturities, reflecting the increased demand for forward cover. Forward premia eased subsequently, but remained higher than in the first two quarters of 2010-11. Foreign Currency Assets stood at US $ 274.6 billion at end March 2011 compared to US$ 254.9 billion at end March 2010.

1.4 **Performance of Banking Industry**

a. The deposit growth of the scheduled commercial banks in the first half of the fiscal 2010-11 was subdued while credit growth was healthy, supported by demand from telecom companies and general broad basing of sectoral trend. With increase in deposit rates by banks, there was positive momentum in the resource mobilization in the second half but the annual growth in deposits remained at 15.9%, lower than the RBI's indicative projection of 17.0%. However, increase in bank credit of SCBs was 21.4%, higher than the projection of 20.0%. The credit to retail loan segments, including housing and vehicle loans registered revival in growth.

b. The growth in profit of most of the banks was lower during the year when compared to 2009-10. The lower treasury income and higher provision requirements impacted the profitability of banks. Majority of public sector banks witnessed deterioration in asset quality and gross NPA to gross advances ratio increased during the year.

2 *NEXSTEP* Nav Nirman

a. Your Bank embarked on a transformation journey in early 2007 with an objective of becoming the bank of first choice in chosen areas. This necessitated initiatives for technology adoption, centralization, creating a marketing organization, building a strong human capital and a brand value for the Bank. Between 2007 and 2010, your Bank took a number of measures in each of these areas that supported a higher growth compared to the banking industry. However, Bank is determined to prepare itself for seizing opportunities emanating from unfolding economic transformation of the country. It is imperative that the Bank creates a successful customer service model and integrates it with the internal customers, the employees.

b. Therefore, your Bank launched two key initiatives during the year for customer service excellence and human resource transformation. These are *nexstep Nav Nirman.* Bank derives value from the services it offers to the customers. The aspiration of the Bank is to become the *No 1 Retail Bank in Customer Service Excellence* by the year 2012. This has seven tenets:

i. Establish a new branch model by recalibrating traffic flows, branch format, choreography and staffing models

ii. Streamline call centre operations and other alternate channel operations

iii. Redesign key Moment of Truths using lean principles

iv. Develop a change leader program to sustainably scale up initiatives across Union Bank

v. Establish a customer grievance cell

vi. Institute Academy of Customer Service Excellence

vii. Create a world class Customer Intelligence Unit

c. As a first step, "branch-of-the-future" concept was implemented on pilot basis in 3 branches in Mumbai. The experience has been quite satisfying when measured by the customer feedback, incremental business mobilized and staff involvement. This was possible through innovative steps like queue management system, sales and service team, self-service kiosks and customer relationship management. The plan is to cover additional 250 branches with similar model by end of March 2012.

d. Simultaneously, Bank is focusing on Call Centre Operations, ATMs and has already taken steps for setting up a Customer Care Unit. This Customer Care Unit will provide service solutions and grievance redressal in ensuring flawless customer experience. This will include root-cause analysis and customer service initiatives as inputs for redefining systems and processes.

e. Yet another significant initiative is in the area of human resources. The challenges of human resources starts from manpower recruitment, training, retention and cover issues like succession planning, leadership development, performance management system etc. These challenges are common to all the public sector banks; however, your Bank has taken a lead in addressing the issues. The HR transformation project has three steps to it – diagnostic, design and implementation. During 2010-11, first two critical steps have been completed involving an in-depth study of the existing HR and training processes and policies in the Bank and benchmarking these against the best-in-class HR practices. Thereafter in the design phase, eight important steps involved designing HR structure, HR policies, job descriptions, performance management system, competency model, succession planning, career pathing and manpower planning. In all these areas, specific actions will emanate during the fiscal year 2011-12.

f. Your Bank firmly believes that the above initiatives would help in expanding the customer base and becoming one of the most preferred banks in the country.

Business Segment Update

3. **Resources**

a. The deposit mobilization of banks during the year was subdued, possibly due to negative real interest rate on deposits for major part of the year and inflation-induced high currency demand of the public. However, your Bank continued to focus on expanding client base and on building and nurturing customer relationship. As a result, Bank added 26.75 lakh new SB accounts and 69,000 new CD accounts, mobilizing over ₹ 8,200 crore, through these new relationships. During the second half of 2010-11, the Bank launched special deposit schemes viz. ***UNION 500 / 700 / 1100 DAYS*** and mobilised over 6.45 lakh accounts with deposit amount of ₹ 10,600 crore. The total deposits increased from ₹ 1,70,040 crore to ₹ 2,02,461 crore, registering a growth of 19.07%.

b. The low cost Current and Savings Account (CASA) deposit continued to remain core focus area. CASA portfolio increased by 19.18% from ₹ 53,957 crore as on 31.03.2010 to ₹ 64,307 crore as on 31.03.2011. The share of CASA to total deposits stood at 31.76%. The average CASA deposits increased by 26.07%, reflecting steady growth.

Table-6 : Deposit Segmentation

(₹ In Crore)

Parameter	F.Y.2010	F.Y.2011	% Y-O-Y Growth	% Share **
Total Deposit	1,70,040	2,02,461	19.07	
SB Deposit	37,728	44,689	18.45	22.07
Current Deposits	16,229	19,618	20.88	9.69
CASA	53,957	64,307	19.18	31.76
Term Deposit	1,16,083	1,38,154	19.01	68.24

** (Share represents share to total deposits.)

4 **Credit Management**

a. Bank's advances portfolio grew at 26.20% to ₹ 1,53,022 crore during 2010-11 from ₹ 1,21,249 crore in the previous year. The non-food credit growth was 26.11% to ₹1,50,324 crore as on March 31, 2011. There was broad based growth across the sectors; however major part of credit to industry was towards infrastructure sectors.

b. Retail advances registered a growth of 20.23% while Agriculture and MSME advances grown by 13.98% and 9.04% respectively. The break-up of advances portfolio is given below:

Table 7 : Advances Portfolio

(₹ in crore)

	FY10	FY11	%YOY
Total Advances	1,21,249	1,53,022	26.20%
of which:			
MSME Advances	22,685	24,735	9.04%
Agriculture Advances	18,464	21,046	13.98%
Retail Advances	13,506	16,238	20.23%

4.1 Retail Loans

a. The retail lending portfolio witnessed a growth of 20.23% in the year 2010-11, from ₹ 13,506 crore as on 31st March 2010 to ₹ 16,238 crore as on 31st March 2011. The share of total retail loans in the total domestic advances was 11.04% as of 31st March 2011.

Table 8: Retail Advances Portfolio

(₹ in crore)

	FY10	FY11	% YOY	Share in Retail Advances
Retail Advances	**13506**	**16238**	**20.23%**	**100%**
- Union HOME	8115	9211	13.51%	56.72 %
- Union Mile	1189	1230	3.45%	7.57%
- Union Education	1301	1582	21.60%	9.74 %
- Other Retail Loans	2901	4215	45.29%	1.97%

b. The Union Loan Points (ULPs) set up during *Nav Nirman* transformation for focused approach on retail lending has become centres of excellence in retail lending. Bank has 46 ULPs in various parts of the country that contributed more than 1/5th of total retail loans. Bank will continue to ensure that the ULP set-up is strengthened and its performance improves during FY 2011-12.

c. In order to cater to varying customer demands and to ensure a robust growth under the retail advances, different product modification and marketing initiatives were adopted. These include introduction of the Reverse Mortgage Loan-enabled Annuity plan, in tie-up with Star Union Dai-ichi Life Insurance Company, under the Union Reverse Mortgage scheme, incentive scheme for staff of the bank etc.

d. In FY 2010-11, the bank disbursed ₹ 414 crore under the Union Education scheme. The special education schemes for students of premier educational institutes like IIMs, ISB, XLRI were promoted during the year.

4.2. Corporate Credit

a. The credit needs of large corporate clients are addressed through 11 dedicated Wholesale Banking branches (WBB), 9 Industrial Finance Branches (IFB) and 2 overseas branches. This ensures fast movement of the proposals of corporate clients, providing industry specific specialized services.The performance under Corporate Credit is as under:

Table-9 - Performance of Corporate Credit

(₹ in crore)

	March 2009 (Act)	March 2010 (Act)	Growth %	March 2011 (Act)	Growth %
Total Advances	35,336	40,618	14.95	54,428	34
Non-Interest Income	151	226	49.66	250	10.62
Yield on Advances	10.05%	9.05%	-	9.58%	-

b. The Credit to large corporates crossed an important milestone of ₹ 50,000 crore as of 31.03.2011, constituting 36% of total advances of the bank. The Non Fund Based business grew by 38% and crossed a milestone of ₹ 10,000 crore.

c. The concept of Corporate Relationship Manager (CRM) has also been adopted with a specific objective of enhancing the Relationship value with thrust on gaining higher share in non-fund business limits and augmenting the non-interest income.

4.3 Micro, Small & Medium Enterprises (MSME)

a. Bank's Micro, Small & Medium Enterprises (MSMEs) portfolio has increased from ₹ 22,685 crore during the year 2009-10 to ₹ 24,735 crore during the current fiscal 2010-11, registering a growth of 9.04%. The lower growth is on account of higher base as category reclassification of some accounts was done as per RBI guidelines in the year 2009-10. The share of the MSME lending constituted 16.16% of the total advances. MSME is a focus area and Bank emphasizes on assured Turn Around Time (TAT), credit delivery at affordable prices, customized products, enhancing the base of MSME clientele and skilled manpower & resources.

b. The bank has 250 dedicated Business Banking Branches (BBBs) for promoting finance to MSMEs and 17 SARALs (Central Processing Centres) for speedy appraisal and sanction of MSME loans. These BBBs & SARALs are established in potential centres across the country which serve as the main driver for growth of MSME advances.

4.4 Rural and Agricultural Business

a. **Priority Sector:** The Bank is actively involved in pursuing the national policies for rural development and empowerment of rural populace through its wide network of rural and semi-urban branches. Priority

Sector Advances registered a growth of 13.27% and stood at ₹ 50,967 crore as on 31st March 2011, constituting 43.46% of the Adjusted Net Bank Credit (ANBC), higher than the mandatory stipulation of 40%.

b. Agriculture: Agriculture is one of the thrust areas for the Bank. The total agricultural advances increased from ₹ 18,464 Crore in the previous year to ₹ 21,046 crore, as on March 31, 2011 recording a growth of 13.98%. The share of agricultural advances to adjusted net bank credit (ANBC) was 14.52% as on March 31, 2011. Total disbursements of ₹ 8,034 crore were made under Special Agriculture Credit Plan (SACP) against the target of ₹ 7,500 Crore, recording an achievement of 107.12%.During 2010-11, additional 1,38,997 Kisan Credit Cards were issued with credit facility of over ₹ 845 Crore.

c. **Small Enterprises:** Total advances to Small Enterprises stood at ₹ 17,543 Crore, as on March 31, 2011 as against ₹ 15,790 Crore, in the previous year, registering a growth of 11.10%.

d. **Tertiary Sector:** The outstanding under Tertiary sector as of 31.03.2011 stood at ₹ 12,378 crore as against ₹ 10,739 crore as of 31.03.2010.

e. **Specific Lending For Social Upliftment:** With a view to encourage entrepreneurs among the women and to make them self-sufficient, your Bank is providing credit to women entrepreneurs. Bank has financed 5.35 lakh women beneficiaries and outstanding loans to women beneficiaries have improved from ₹ 5,066 crore to ₹ 6,307 crore, i.e. 5.38% of ANBC thereby surpassing the stipulated benchmark of 5% of ANBC set by the GOI/RBI. The assistance to Weaker Section improved from ₹ 9,449 crore to ₹ 11,867 crore, a growth of 25.59%. Advances to SC/ST covered 215609 beneficiaries, with outstanding loans of ₹ 1,450 crore as of March 31, 2011 from ₹ 1427 crore in the previous year.

f. **Lending to Minority Communities:** In line with Government of India directive on 'Welfare of Minorities', the assistance provided to Minority Communities has improved from ₹ 4,624.64 crore to ₹ 5,836.17 crore, covering 3,31,400 beneficiaries during 2010-11. The share of these advances to Total Priority Sector Advances stood at 11.45% as on March 31 2011.

4.5 **Self Help Groups (SHGs)**

a. Micro-financing through SHG formation and credit linkage is a cost effective way to extend banking services to the poor. During the year, 16,086 groups have been formed and 12,459 groups have been linked with financial assistance amounting to ₹ 166.27 crore. The progress in formation of Self Help Groups is mentioned below:

Table 10: Self Help Groups

(₹ in crore)

Particulars	March 2010	March 2011	Absolute Growth	% Growth
Groups formed (No.)	138160	154246	16086	11.64
Groups financed (No.)	101362	113821	12459	12.29
Amt. Financed (₹ in crore)	1006.37	1172.64	166.27	16.52
w/w Women SHGs (No.)	87828	98295	10467	11.92
Amt. (₹ in crore)	886.91	1020.76	133.85	15.09

With a view to make SHG programme more attractive, your Bank has introduced "Janashree Bima Yojana", a scheme of Life Insurance Corporation of India for the members of Women SHGs wherein they will get a cover of ₹ 50,000 by paying a nominal premium of ₹ 200, to be equally shared by SHG members and GOI.

5 **Lead Bank Scheme**

a. Bank has the lead bank responsibility in 14 districts spread over 4 States viz. Azamgarh, Jaunpur, Varanasi, Ghazipur, Maunath Bhanjan, Bhadohi and Chandauli in Uttar Pradesh; Rewa, Sidhi and Singrauli in Madhya Pradesh; Ernakulam and Idukki in Kerala and Khagaria & Samastipur in Bihar. With 428 branches in these districts, Bank's deposits and advances increased to ₹ 19,461 crore and ₹ 5,846 crore respectively during the year ended March 2011 as against ₹ 16,461 crore and ₹ 4,937 crore respectively in the previous year.

6 **Regional Rural Banks (RRBs)**

a. Bank has sponsored 2 RRBs, viz. Kashi Gomti Samyut Gramin Bank (KGSGB), Varanasi, in Uttar Pradesh and Rewa Sidhi Gramin Bank (RSGB), in Madhya Pradesh. Both the RRBs are profit making. Both the RRBs have 100% branches under CBS and are poised to install ATMs at prime branches/ locations to provide benefits of technology/alternative delivery channels to rural customers.

7 Financial Inclusion

7.1 Overview

a. The country has moved on to a higher growth trajectory. To sustain and accelerate the growth momentum, it is imperative to ensure increased participation of the economically disadvantaged segments of population in the process of economic growth. Financial inclusion of hitherto excluded segments of population is essential. Financial Inclusion has become the core of banking activities.

b. Your bank has been pioneer in providing meaningful Financial Inclusion to these economically disadvantaged segments of the society by extending banking services at their doorstep. Bank is working towards this as per Board approved 3 year Financial Inclusion Plan (2010-2013), encompassing bank's commitment to extend its reach to 32000 unbanked villages by March 2013 through branchless banking by adopting appropriate ICT based technology and engaging 20,000 Business Correspondents/ Customer Service Points to serve 10 million new customers by end of the plan period.

7.2 Achievement

a. Bank has achieved the following as part of its Financial Inclusion initiatives:

b. The Hon'ble Finance Minister announced in his budget speech for the year 2010-11 that banks may cover, by March 2012, all habitations in the country having population of over 2000, with banking services. Accordingly, your Bank was allotted 3159 villages with an intermediate target of 2500 villages up to March 2011. Your Bank has covered 2511 such villages, thereby surpassing the mandated target. Your Bank has established banking services in 16,242 villages to avail banking services through branchless doorstep banking.

c. Bank opened 31 lakh No-Frill accounts during the year taking the total number to 75 lakh (March 2011) from 44 lakh in the previous year.

d. Bank is also extending micro-loans and micro-insurance to deepen banking habit and promote economic activity among the rural/urban poor, as well as to provide insurence cover at nominal premium.

e. Bank introduced innovative scheme for financing farmer members of Primary Agricultural Co-operative Societies (PACs) through branchless banking. Under this project, Bank will extend finance to about 1.25 lakh farmer members of 650 PACs in the State of Andhra Pradesh targeting a loan disbursement of ₹ 500 crore. Your Bank has been awarded the "SKOCH Financial Inclusion Award - 2011" for this innovative project.

f. Micro remittance facility for migrants through BC model has been extended to newer locations like Kolkata-Bihar/U.P., Surat-Ganjam and Jalandhar/ Ludhiana to Eastern U.P. With this, Bank's remittance facility to migrant workers is being extended to six corridors.

g. Bank has also launched "Union Bank Money" with co-partner Nokia, a unique mobile based pre-paid banking service. This service is a first of its kind in India on a large scale, which will not only make money related transactions for millions of mobile users easy, simpler and secure but will also help to reach to such populace in the country where mobile has penetrated but banking services are yet to make an impact. Customers can transfer money to another person just by using the person's mobile phone number, pay utility bills as well as recharge their prepaid SIM card and make merchant transactions for goods and services. Using Union Bank Money Services to send money is as simple as making a voice call or sending a text and much more secure than handling cash. The service is operational in Gurgaon, Delhi, Noida and Faridabad. Pan India coverage will be available by end of 2011, with availability in all major cities and migrant corridors.

h. In order to make financial inclusion efforts meaningful and effective, spreading financial literacy is imperative. The Bank has established 8 Financial Literacy and Credit Counselling Centres (FLCCs) in the states of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar and Kerala. These centers are taking efforts to create awareness on formal banking and provide free counseling on various financial services.

i. With an objective to train unemployed youth in rural/ semi urban areas to take up self employment ventures and to arrest their migration to urban areas, Bank has set up Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs) in 13 Lead Districts viz. Ernakulam, Idukki, Varanasi, Mau, Azamgarh, Ghazipur, Jaunpur, Bhadohi, Chandauli, Samastipur, Khagaria, Rewa and Sidhi. Upto March 2011, 755 Training Programmes have been conducted and 17,419 beneficiaries have undergone training through these R-SETIs, out of which 11,673 beneficiaries have been settled with gainful employment and the settlement rate works out to 67.01%.

8 **Asset Quality**

a. The Bank's Gross NPA increased from ₹ 2,671 Crore to ₹ 3,623 Crore and Net NPA from ₹ 965 Crore to Rs 1,803 Crore. In percentage term, Gross NPA increased from 2.20% to 2.37%, while Net NPA increased from 0.81% to 1.19%. The reasons for increase in non-performing loans were large number of agricultural accounts that were not settled under the Agricultural Debt Wavier Scheme and slippages in high value accounts of certain clients dependent on export markets. Secondly, your Bank also adopted the system-based recognition of non-performing assets during the year. Major part of loan accounts has been moved to system-based recognition.

b. However, there is declining trend in slippages that indicates better outlook for asset quality in the coming year. Slippages in quarter ended September 2010 was ₹ 1130 crore, which declined sequentially to ₹ 765 crore (December 2010) and then to ₹ 406 crore in the fourth quarter.

c. **The movement of NPA is as indicated below:**

Table- 11 - Movement Of NPA

(₹ in Crore)

Particulars	31st March 2011		31st March 2010	
Gross NPAs (Opening)		2671		1923
Additions		2924		1785
Less:				
(I) Upgradation	268		123	
(II) Recoveries	578		401	
(III) Write-off	1126	1972	513	1037
Gross NPAs (Closing)		3623		2671
Net NPAs				
- Opening		965		326
- Closing		1803		965

d. The Cash recovery and upgradation was ₹ 846 Crore as compared to ₹ 524 Crore in the previous year. Percentage of recovery / upgradation to opening NPA level has shown robust growth from 27.24% in previous year to 31.67% in the current year. Bank has made highest ever recovery of ₹ 212 Crore in written off accounts.

e. Bank issued notices under Securitization & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act (SARFAESIA), 2002 to 9,457 defaulting borrowers involving dues of ₹ 1,444 Crore. One Time Settlement was approved in 562 cases, resulting in a recovery of ₹ 179 crore. Further, assets worth ₹ 626 Crore were seized in 2,282 cases and the Bank has recovered an amount of ₹ 85 Crore.

f. Under One Time Settlement (OTS Schemes), the Bank could settle more than 78,500 cases with settlement amount of ₹ 329.99 Crore, of which ₹ 207.55 Crore has already been recovered.

g. Bank has 10 Asset Recovery Branches across the country for providing focused attention to high value NPAs. This has given thrust to the recovery efforts. During the year, these branches could recover ₹ 97.29 Crore.

h. Bank had formulated a special scheme for settlement of low value NPAs with outstanding of less than ₹ 1 lakh. During the year Bank had settled 69,376 cases with settlement amount of ₹ 104.56 crore and recovered ₹ 79.78 crore from the same.

i. Forum of Lok Adalat was also utilized as an effective tool for recovery. During the year, Bank has organized 139 Lok Adalat and settled 5545 cases involving ₹ 25.53 Crore.

j. Bank conducted 5,528 recovery camps at various centers throughout the country, where 45,276 cases were settled and ₹ 155.82 Crore were recovered.

k. Big borrowal accounts in NPA category are reviewed at regular intervals by Controlling Offices at different levels. NPA position of the Bank is also reviewed at quarterly intervals by the Management Committee of Board.

9 **Treasury**

a. The total investment portfolio of the Bank stood at ₹ 58,505 crore as on March 31, 2011 against ₹ 54,483 crore as on March 31, 2010. This comprised investments made in Government Securities, State Development Loans and Other Approved Securities for maintenance of Statutory Liquidity Ratio (SLR) and Non-SLR investments like Equity Shares, Corporate Debentures, Public Sector Undertaking Bonds (PSU Bonds), Commercial Papers (CPs), Certificates of Deposit (CDs), Security Receipts, Mutual Funds, Venture Capital Funds, and Subsidiaries & Joint Ventures. The yield on investment portfolio was 6.55% for the year ended March 31, 2011 against 6.32% for the year ended March 31, 2010.

b. The Bank's total profit from Treasury operations in domestic and forex markets aggregated to ₹ 689.55 crore during the year as against ₹ 729.90 crore in the previous year.

c. Bank extends hedging facilities to customers through Derivative Transactions in addition to its Proprietary Trading in derivatives. The transactions are undertaken within the framework of RBI guidelines.

d. The Bank is one of the most active players to trade in currency futures market and operates on three exchanges viz. National Stock Exchange, MCX-SX and United Stock Exchange platforms. The Bank also offers currency futures to its customers.

10 **International Banking**

a. During the year 2010-11, Indian exports reached a level USD 246.00 billion (provisional), a growth of 39.38% over 2009-10. This supported the forex business of banks. The foreign exchange turnover of the bank increased by 18.62% to ₹ 1,02,789.26 crore as on March 31, 2011 as compared to ₹ 86,657 crore registered previous year.

b. Bank is having correspondent relationship with 322 leading International banks at all major international centres. The Bank has Rupee Drawing Arrangement (RDA) with 22 international Banks and 22 Exchange Houses as on March 31, 2010. The online remittance product for immediate credit to the account of the customers has seen wider acceptance.

c. The export credit of the Bank increased to ₹ 6,375 crore as of March 31, 2011 from ₹ 6,273 crore as of March 31, 2010, with a growth of 1.63% as on March 31, 2011 against a negative growth of 7.01% in the previous year.

11 **Overseas Operations**

a. The Bank has its overseas Branch in Hong Kong, operational since May 7, 2008. The Branch carries out normal commercial banking operations like acceptance of deposits, trade finance, External Commercial Borrowing (ECBs) and syndicated loans. Deposits reached a level of USD 128.15 million as of March 31, 2011 up from USD 82.00 million as of March 31, 2010 registering a growth of 56.28%. Advances reached a level of USD 1,337.95 million as of March, 2011 up from USD 664.00 million as of March 31, 2010 registering a growth of 101.50%. The operating profits reached USD 18.42 million as of March 31, 2011 up from USD 12.92 million as of March 31, 2010 registering a growth of 42.57%.

b. Bank opened its representative offices in London (UK) in April 2010. Besides, Bank has representative offices at Shanghai (China), Abu Dhabi (UAE), Beijing (China) and Sydney (Australia).

c. Bank issued CHF 160 million bonds in Swiss Market on 7th February 2011 under its Mid Term Note (MTN) Programme. The transaction marked the first Swiss Franc Bond issue by an Indian entity following a hiatus of 23 years and the third Swiss Franc transaction out of India.

d. During the current year, Bank received approval from Reserve Bank of India for converting the representative office at Sydney into Branch and the representative office in London (UK) into a subsidiary. Bank also has approvals for opening a branch in Antwerp (Belgium) and representative offices at Johannesburg (South Africa) and Toronto (Canada). Consequent to RBI's approvals, further processes are at different stages

e. The Bank has also put in place a system enabling all its branches to open Foreign Currency Non Resident Accounts in three major currencies.

12 **Transaction Banking**

12.1 **Alternate Channels** : Towards better customer service, Bank has endeavoured to extend multiple delivery channels to the customers besides brick and mortar branches. The alternative delivery channels like ATMs, internet banking, mobile banking and call centre provide convenience and speed to the customers. In March 2008, when all branches of the Bank were brought under core banking solution, the share of transactions through alternative delivery channels was mere 8%. This increased subsequently year after year and as at end-March 2011, share of such transactions was 50%.

Chart-3-Electronic Transactions

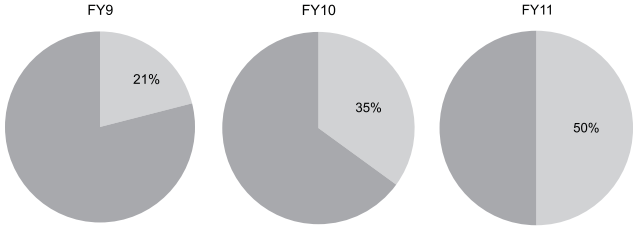

12.2 ATMs and Cards

a. Bank has added 307 ATMs to its network and issued more than 1.65 million debit cards. Bill payment and

tax payment facilities were introduced through ATMs during the year. Bank shall continue to focus on increasing the number of services a customer can avail at ATMs.

b. Advanced technology oriented facilities like ATM PIN Reset facility at IVR, self user creation facility to register for Internet and Mobile Banking through Bank's website, etc. are being extended to the customers.

Chart-4- Card Transactions

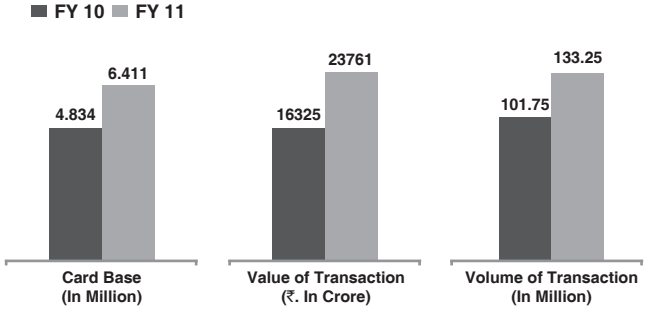

12.3. Internet and Mobile Banking

a. Introduction of two factor authentication has been a key initiative to enhance the security of internet banking transactions. Your bank is one of the first few to implement IMPS (inter mobile payment service) service that enables customers to make inter-bank fund transfers through mobile on real-time basis.

b. Bank has implemented a Cashless Campus Project in a University in Bhopal (Madhya Pradesh), an initiative to popularize internet and mobile banking channels among students by enabling them to make all payments like fee payments, fund transfers, canteen payments, mobile recharge using internet and mobile banking.

c. Bank has implemented payment gateway solutions on college/ university portals to collect fee payments and also introduced Mobile Point of Sale Terminal (PoT) which can be a powerful acquiring tool in future. Bank is planning to rollout the project in many more campuses across the country and attract customers to these secured low cost channels.

Chart-5- Users of Internet/SMS banking/Mobile banking

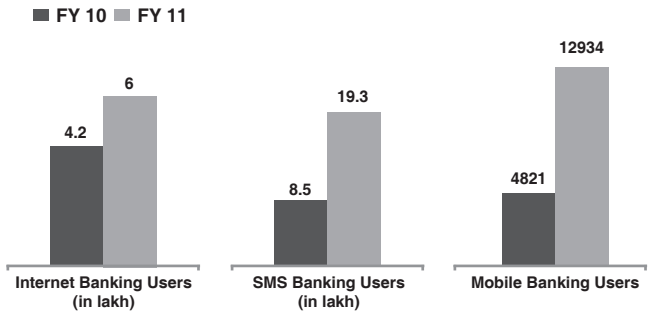

12.4. Acquiring Products

a. Your bank is the first to launch Cash at Point of Sale (PoS), a service to facilitate the low ticket cash withdrawals for the customers in unbanked areas at their nearest merchant using their debit cards at a nominal fee.

b. Bank has also implemented Credit/Debit Card payment gateway during the current year and has started adding online merchants for the facility.

c. Given a rich card base, the acquiring products will help bank to garner significant fee based and commission based income in future.

12.5 Currency Chest

a. Bank is adhering to RBI 'Clean Note Policy' by circulating clean, unstapled good quality notes to the public. In addition to 250 branches covered during 2009-2010, 162 more branches having average cash receipt of ₹ 50 lakh and above were provided with high-speed note sorting machines during this year.

b. Bank opened a new Currency Chest at Perumbavoor (Kerala) during the year.

c. RBI has come up with the concept of opening 'Cash Processing Centres' at different locations to facilitate processing of cash of large corporate clients in line with their 'Clean Note Policy'. The first 'Cash Processing Center' of the Bank was opened at Lahartara Currency Chest under Varanasi Region in the month of October 2010.

d. Bank is ensuring efficient cash management through in-house capabilities as well as selective outsourcing of professional cash handling services by a reputed

agency. This has also enabled introduction of doorstep banking services to customers. The facilities at Currency Chest have been upgraded by providing hygiene factors like masks, aprons, gloves, air purifiers, portable oxygen bottles besides Air Conditioners.

12.6 **Cash Management Services (CMS)**

a. The Bank mobilized 201 new connections under various CMS products and earned a fee Income of ₹ 6.18 crore on a turnover of Rs 36,211 crore during the year.

b. CMS facilitates the corporate customers to have a specialized service towards the receivables & payables management at a high speed, with minimal cost, supported by a customized MIS. The collection of cheques deposited at various locations is made faster and funds credited at a single point. Similarly CMS helps customers to manage their bulk payments from any single point. Collection products are Local Cheque Collection (LCC), Upcountry Cheque Collection (UCC), Virtual account etc. Payment products are Remote cheque printing, DD drawing arrangement & Corporate Cheque Payment (CC PAP). In CMS, activities such as Bulk RTGS/NEFT, Centralised cheque & Mandate based Debits and credits, are also carried out which facilitate clients like Mutual Funds, Non Banking Financial Companies (NBFC's) etc.

12.7 Trade & Channel Finance, Merchant Banking

a. Bank has made available ASBA (Application Supported by Blocked Amount) facility for applying in Public Issues through Internet Banking and also extended the facility of registration of applicant and their details.

b. Bank has gone live with the facility of Transmission of Inland Trade Messages from its 25 select branches, through Structured Financial Messaging System (SFMS) of IDRBT.

c. Bank has gone live with its Channel Finance software and will be driving Channel Finance business as a thrust area in the days to come.

d. Bank has turned active in handling of Payment and Collection assignments of corporate clients/PSUs.

12.8 **Third Party Product Distribution**

a. Under 'Third Party Products', Bank offers to its customers value-added products/services like Life Insurance, Non-life insurance, Mutual Fund, Stamp Vending etc.

b. During FY 2010-2011, Bank earned a commission income of ₹ 31.99 crore through distribution of insurance products (both life and non-life insurance), mutual fund and other third party products compared to last year's income of ₹ 27.54 crore.

c. Bank's JV Mutual Fund Company, "Union KBC Asset Management Company" received approval for launching of products in March 2011.

13 **Information Technology**

13.1 **Achievement**

a. Bank has taken a number of initiatives in technology implementations through Core Banking Solution (CBS) and other supporting systems such as Lending Automation Solution (LAS), Alternate Delivery Channels, and use of Business Intelligence tools for Management Reports and Dashboards, Document Management System, Unified Communications and Digital Media Signage. Increase in the technology intensity has helped in the product development and in achieving higher productivity.

b. To meet the increasing transaction volumes, the Data Centre servers were upgraded to 45 lakh transactions per day and the present transaction load is about 36 lakh per day. The Data Centre has been operating on 24x7x365 basis without any downtime.

c. With the focus on extending customer service through various delivery channels, Bank has launched many more services like Mobile top up, Multilanguage screens in Malayalam, Telugu, Oriya, Kannada, Tamil, Bengali, Marathi implemented in respective regional ATMs, Direct tax payment through ATM, E cash through ATMs, Debit Card PIN change through IVR and Mini statement, PIN change for other bank customers (NPCI)

d. Bank is presently having 2,634 ATMs. These ATMs can be used both by VISA and MasterCard holders of all Banks. Bank customers can access 60000+ ATMs across the country.

e. Bank has introduced Lobby Banking, whereby the customer on his own can update his Passbook, view his balance in the various accounts, and deposit cheques with the help of self deposit cheque machines.

f. Bank is facilitating National Electronic Funds Transfer (NEFT) and Real Time Gross Settlement (RTGS) services to branches across the country, covering 1894 centres. NEFT and RTGS, being very secure, efficient and fast method of sending/receiving funds to/from other Banks, has gained momentum in the banking industry. During the year, Bank carried out 13.99 lakh inward and 18.97 lakh outward RTGS transactions; 31.26 lakh inward and 14.35 lakh outward NEFT transactions

g. Through Bulk upload, branches are uploading large number of transactions at one go and thereby giving fastest service to customers across the country. Confirmation of NEFT to all our sender customers is provided.

h. Under Networking, Unified Communication has been implemented, which integrates voice, video and data on the desktop. It will help Officers to interact with each other over voice and video while sharing documents / presentations. Implementation of Unified Communications has increased the efficiency and lowered the costs.

i. Digital Media Signage (DMS) has been implemented at 50 branches across the country. DMS is a centrally controlled system to display the content addressed to customers and employees. While Bank's product features and benefits will be beamed to customers through DMS, the contents of circulars will be displayed to its employees. The information displayed through DMS will be broad based.

j. Bank is implementing Document Management System (DMS) comprising of document imaging, process workflow and archival of documents. It will address the business requirements by enabling the system to capture, manage, store, preserve and deliver information and digitized documents related to business and organizational processes.

13.2. **Future Projects**

a. Bank is undertaking an ambitious Data warehousing Project and implementation of analytical and operational CRM. This will bring efficiency in our operations and MIS function. This will also help to analyze the customer behavior and promote cross selling of products.

14. **Risk Management**

14.1 **Overview**

a. Bank has a proactive approach towards risk management. Its risk philosophy involves developing and maintaining a healthy portfolio within its risk appetite and regulatory framework. The Risk Management framework is specifically designed to identify key risk areas, measure, and monitor and manage them efficiently in order to deliver enhanced shareholder value by achieving an appropriate trade-off between risk and returns. Bank constantly endeavors to ensure that business function partners with the Risk Management function to derive value and the available capital is used most effectively.

b. The Risk Management Architecture of the Bank comprises of an Independent Risk Management Organisational structure both at the Corporate and Field level, Risk Management Policies, Risk Measurement Tools and Risk Monitoring and Management Systems. By posting Risk Officers at the field, Bank is a pioneer in inculcating a risk culture throughout the organization. Risk profiling of the Bank for various risk areas and for Regional Offices is being done on a quarterly basis. Bank has a well defined risk appetite statement and the independent risk function ensures that the Bank operates with its risk appetite framework.

c. The Board of Directors of the Bank are primarily responsible for laying down risk parameters and establishing an integrated risk management and control system. The Bank's Board approves Risk Management policies and also sets out limits taking into account the risk appetite of the Bank and the skills available for managing the risks. Board of Directors are supported by a Sub-Committee of the Board known as Supervisory Committee of the Board on Risk Management and Asset Liability Management (ALM), which in turn is supported by the Credit Risk

Management Committee(CRMC), Asset Liability Committee (ALCO) and Operational Risk Management Committee (ORMC). These Committees are Committees of Executives headed by Chairman and Managing Director.

14.2 **Credit Risk:**

a. The credit risk mechanism consists of policies and practices that ensure credit risk is measured, and monitored at account level and portfolio level. The Credit Risk Management policy along with Real Estate Lending Policy and Collateral Management Policy address the Credit Risk related to lending. Credit Approving Authority, Prudential Exposure Limits, Risk Rating System, Risk Based Pricing, Portfolio Management are the various instruments for management of Credit Risk.

b. Bank has standardized and well-defined approval processes for all credit proposals to minimize the credit risk associated with them. Bank has set up Credit Approval Grids at Regional Offices/ Field General Manager's Offices and Central Office. Bank has also developed credit rating models for exposure above ₹ 2 lakh and scoring model for Retail lending schemes. Entire credit portfolio of the bank is subject to internal credit rating. Bank has credit rating migration and default probability data for the last 9 years.

c. It continuously monitors portfolio concentrations by borrower, groups, industry, geography, etc and constantly strives to improve credit quality and maintain a risk profile that is diverse in terms of borrowers, products, industry types and geography.

14.3 **Market Risk:**

a. Asset Liability Management Policy and Treasury Policy aid the management of Market Risk in the Banking and trading books. Overall responsibility of managing the market risk lies with the Asset Liability Committee (ALCO). The Committee meets regularly and decides on the size, mix, tenor, pricing and composition of various assets and liabilities. It primarily does identification, measurement, monitoring and management of liquidity and interest rate risk. It uses tools such as Ratio analysis, Gap analysis reports – Structural liquidity, Dynamic Liquidity, Interest Rate Sensitivity etc, Value At Risk, Duration Gap Analysis etc for management of liquidity and interest rate risks. The fundamental focus is to add value both from the earnings perspective and from the economic value perspective. Bank has an independent mid office positioned in treasury and reporting to risk management. It ensures compliance in terms of exposure analysis, limits fixed and calculation of risk sensitive parameters like Value at Risk, PV01(Present Value), Duration, Defeasance Period etc and their analysis.

14.4 **Operational Risk:**

a. Comprehensive systems and procedures, internal control system and audit are used as primary means for managing Operational Risk. Bank has in place a Board approved Operational Risk Management Policy based on Reserve Bank guidelines. All new products introduced by the Bank pass through a New Product Approval Process to identify and address operational risk issues. Operational loss data has been captured for the last four years and mapped into 8 business lines and 7 loss events. Bank's income is also mapped into 8 business lines and Bank is in readiness to migrate to the Standardised Approach. It has also agreed to join External Data Pooling initiative of IBA.

b. As a good Corporate Governance measure, Bank has formulated a Disclosure Policy to have greater transparency in its working. It has also developed a Business Continuity Plan (BCP)and implemented the same. BCP provides a blueprint detailing a wide range of responses under a disruptive environment to protect its staff, assets and interest of the customers. BCP contains steps to be adhered to both at the Preventive as well as Recovery phase when challenged with real life incidents.

14.5 **Implementation of Basel-II:**

a. Bank has implemented the New Capital Adequacy Framework as per the timelines prescribed by RBI. While the Bank, to start with, has adopted Standardised Approach for Credit Risk, Standardised Duration method for market risk and Basic Indicator approach for Operational risk, the initiatives so far undertaken/ envisaged are geared towards enabling the Bank to comply with the standards set out for more advanced capital measurement approaches in the Basel-II Accord.

b. Bank has appointed a Consultant for Integrated Risk Management Consultancy; who would assess the preparedness for moving over to advanced approaches and assist the bank in developing necessary frameworks and taking necessary steps for migrating to advanced approaches.

c. Bank has set up an Internal Rating Based (IRB) Module which enables two dimensional obligor and facility rating required for moving over to advanced approaches. The module has been implemented and all accounts are now rated only through the system. To compute key IRB parameters viz. Probability of default (PD), Loss Given Default (LGD), Exposure at Default (EAD) & Maturity (M), Bank is in the process of collecting data and putting in place necessary framework for computation of the same. In the area of Operational risk, Bank has started the process of putting in place a Risk and Control Self-Assessment (RCSA) framework. Groundwork for development of Key Risk Indicators (KRI) is also on.

d. For enhancing manpower skills on risk management, Bank conducts in-house training programs and also nominates officials for attending training programs on risk management in reputed external training institutes. Bank has an excellent training system in place and its own Union Bank School of Management vide which it attempts to develop the professional and managerial skills of its employees. Bank has also recruited qualified professionals from reputed business schools who would help in refining the risk management practices, measurement and management tools.

e. Bank has also developed a framework for quantifying the Pillar-2 risks and has put in place comprehensive Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) framework in line with RBI guidelines. Bank is also in the process of introducing a Risk Based Performance measurement system to assess the profitability of its business units, products and customers.

f. The Bank strives to provide maximum returns to its stakeholders while maintaining a solid capital base to support the risks associated with its diversified businesses. It has a strong Tier 1 capital adequacy ratio in order to support the execution of its growth plans and business strategies, while meeting the regulatory capital requirements at all times.

15 **Compliance:**

a. In line with Reserve Bank guidelines and as part of its ongoing efforts to enhance sound practices, Bank has also set up a Compliance Department whose main role is to co-ordinate the identification of compliance issues, assess and mitigate compliance risk. Both the functions are bank-wide and continuous. Compliance Policy is framed and functional department wise compliance issues are identified. Role responsibility as regards compliance function is defined for every tier in the Bank. A reporting system has also been introduced to ensure compliance of regulatory and statutory compliance issues through

   i. Self certification

   ii. Random testing / monitoring through Risk Officers

b. A comprehensive database on various compliance issues for the Bank is being developed. It is our endeavor to create a robust compliance culture in the Bank. Comprehensive training programs on compliance are designed to create awareness among staff. In the journey towards vision 2020, Bank is envisioning not only growth in business parameters but also all round development of the Bank's value as a most trusted corporate citizen.

16. **KYC-AML**

a. Bank has taken various measures to strengthen Know your Customer - Anti Money Laundering (KYC-AML) compliance. A revised account opening form with additional features for customer profiling and a KYC checklist has been developed. Interview & Customer due Diligence form are revised to cover additional information. Efforts are being made to ensure customer profiling, risk categorization in all accounts. The KYC-AML software is being enhanced to cover additional features and reports. Special training sessions / workshops on KYC_AML are conducted and one session on KYC-AML is introduced in all internal trainings to sensitize all staff across the bank. Bank continuously strives to improve the compliance on KYC-AML.

17 **Human Resource Management**

The human capital is critical to the growth of your Bank. Keeping this in view, a HR transformation project was launched during the year to address the issues of manpower recruitment, training, performance management, succession planning, leadership development etc. The project is now in the implementation stage. During the year 2010-11, Bank focused on recruitment in various cadres as well as elevating the deserving staff to higher cadre/scale besides several employee related initiatives.

17.1 **Manpower Strength:** The total Manpower of the Bank as on 31.03.2011 stood at 29462.

Table-12 - Category wise Employees

Parameter	Officers	Clerks	Sub-staff	Total
Total Employees	13343	8914	7205	29462
Of Which				
Scheduled Castes (SCs)	2612	1853	2782	7247
Scheduled Tribes (STs)	808	431	590	1829
Other Backward Classes (OBCs)	1707	1144	1377	4228
Persons with Disability (PWD)	92	221	119	432
Ex-Servicemen	70	237	1366	1673
Women	1804	2412	876	5092

17.2 Recruitment

a. During the year, the Bank completed recruitment process for 2,122 posts, consisting of 693 officers, 207 Customer Relationship Executives, 1018 clerks & 204 sub-staff. This also included 480 Specialist Officers and 213 candidates selected from various campuses including IIMs. During 2010-11, a total of 1,735 new employees joined the Bank. Besides, at the end of the Financial Year, the Bank had four Recruitment projects on hand for recruitment of 547 officers through campus selection, 1165 Probationary Officers and 1640 clerks.

17.3 **Promotions**

a. In order to provide Career Progression opportunities to the performing/talented employees and to motivate them towards further excellence, the Bank promoted 1,552 staff during 2010-11 in various cadres. Further promotion processes for filling 3021 vacancies in various cadres was under progress at the end of financial year.

17.4 **Reservation Policy**

a. The department continued to have regular dialogues with the various SC/ST and OBC Welfare Associations in the bank and the platform was fully utilized to redress the grievances of the various reserved category employees including issues concerning policy matters. Reservations, Relaxations and Concessions were extended to the various reserved categories as per the extant government guidelines.

17.5 **Industrial Relations**

a. The Industrial Relations Scenario in the Bank continued to be cordial on account of the constant dialogue held with the majority Trade Unions and resolving all the contentious issues. Cases involving Disciplinary Matters were disposed of speedily in the most judicious manner and with a Human face.

17.6 **Staff Benefits**

a. **Pension:** As per the bipartite agreement, 2nd Pension Option was extended to all the existing PF optees including employees who retired after 29.09.1995. A Defined Contributory Pension Scheme on the lines of the New Pension Scheme applicable to the Central Government employees was introduced by the Bank for employees joining w.e.f 1.4.2010.

b. **Others:** Consequent to the Industry-wide settlement signed on 27.04.2010, the Pay and Allowances of the Bank's employees was revised upwards w.e.f 01.11.2007. Consequent to the amendment to the Payment of Gratuity Act 1972 and Income Tax Act 1961 by the Government of India, the ceiling on Tax-free Gratuity payable on cessation of service by employees was raised from ₹ 3,50,000 to ₹ 10,00,000 w.e.f 24.05.2010. Certain vital staff related benefits like Staff Housing Loan, Rental Ceiling for Residential Quarters for Officers, etc. were improved and made more attractive during the year.

17.7 **Policy Amendments**

a. To suit the changing Business environment and to provide the required impetus for the Bank in fulfilling its objectives, necessary Policy amendments were taken up during the year in respect of Recruitment and Promotions.

b. In order to reduce the time lag involved in the recruitment processes, the Bank amended its Recruitment Policy by incorporating the provisions of the Common Recruitment Programme on behalf of Public Sector Banks to be undertaken by the Institute of Banking Personnel Selection (IBPS).

c. Consequent to the rationalization of Special Pay carrying posts in the 9th Bipartite settlement the Bank's Management entered into a fresh agreement with the Majority Workmen Union for codifying the revised Higher Assignment Policy for its Clerical staff.

d. During the year, it was decided to abolish the post of Part-time Housekeepers and to convert them into Full-time Housekeepers with a new designation 'Housekeepers-cum-Peon' w.e.f 01.04.2011 and a Memorandum of Settlement to that effect was signed by Bank's Management with the Majority Workmen Union.

18 **Official Language Implementation**

During the year under review our Bank has taken various measures to promote the use of Official Language. Salient features of the same are as follows:

a. Introduction of Unicode enabled APS Saral Software for word processing requirements.

b. Publication of Books in Hindi on banking subjects.

'Samvyavahar Banking – Vividh Aayam'

c. Publication of comic strips in Hindi- 'Khushhali'

d. Holding On-line competition in Hindi on Banking Products for staff.

e. Introduction of language option (Marathi, Hindi, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Oriya and Bengali) in ATM Slips.

19 **Union Dhara:**

a. Our Bank's house journal 'Union Dhara' continued to be an excellent medium of internal communication between management and employees with objectives of creating oneness amongst the staff members and stimulating employees about their duties, loyalties and creativity. This year 'Union Dhara' clinched 7 prizes in all at the different competitions. RBI also awarded Union Dhara in the category of 'Bilingual House Journal'.

20 **Security**

a. During the year under review the Security Division made concerted efforts to enhance the level of Security in the Bank by strengthening the security infrastructure, imparting training and carrying out extensive security inspections to improve the Security Standard of branches. As part of our thrust to add electronic surveillance, Closed Circuit Television systems were installed in additional 1173 branches bringing the total number of branches with CCTV systems to 1803 branches. Training of security staff was given importance during the year.

b. Emphasis was also laid on security awareness among the staff members and to this end Security Division has commenced publication of 'UNION SENTINEL', an exclusive quarterly News Letter on security circulated among all branches and offices.

21 **Internal Audit**

a. The Bank has migrated to Risk Based Internal Audit w.e.f. 1st April 2009. During the current year the Bank has finetuned the risk parameters for various categories of branches viz. ULPs/business banking branches and Agri Banking Branches. The Bank is in the process of implementing Risk Based Internal Management Audit of Regional Offices. The Bank has put in place a well defined Audit Policy for 2010-12 both for Regular audit as well as Concurrent audit, duly approved by the Audit Committee of the Board.

b. Regular audit and IS audit of 2791 branches was conducted. This also includes, audits of 82 foreign exchange dealing branches, 45 Service Branches and 62 Currency Chests, 54 Management Audits of Regional Offices and one Field General Manager's Office. The Bank had 641 branches/offices covering 68.84% of the Banks business under Concurrent Audit by external firms of Chartered Accountants. The Audit Committee of the Board met 12 times during the year and made suggestions for improving operating efficiency and strengthening the systems and control.

22 **Vigilance**

a. Vigilance is an essential tool to bring about excellence in the organization as it plays an important and positive role in creating an ethical climate with discipline and safety of operations.An elaborate and well structured Vigilance system has been put in place, covering all areas of operations and in tune with the guidelines issued by the Central Vigilance Commission. Bank's thrust is on Preventive Vigilance,

as it helps in checking occurrence of frauds, achieve growth and profitability. Number of interactive sessions with field functionaries are arranged so as to create necessary awareness and sharpen their skills, enhance their knowledge of systems and procedures and to sensitize about the pitfalls. 197 such Preventive Vigilance visits were made to various offices of the Bank during the year 2010-2011. Improvements in systems and procedures are suggested wherever warranted.

23 Customer Service and Grievances Redressal Mechanism

23.1 Customer Service Excellence

Bank's aspiration of becoming the 'No.1 Retail Bank in Customer Service Excellence', aims at delivering consistent customer service through a motivated frontline, supported by simple processes which are fast, accurate and efficient. Bank has taken several initiatives for the improvement of customer service:

a. Re-model the branches to enable them to offer better customer service through efficient processes, empowered staff and automation.

b. Improvement in operation of Call Centres and Alternate Delivery Channels

c. Strengthen the Customer Grievance Cell (CGC) to resolve complaints and systematically eliminate the root causes of complaints. This Cell is designed on four key building blocks viz. People, IT infrastructure, Process and Performance. Adequate manpower, with necessary knowledge of the systems and procedures, is proposed for CGC, which can take care of all the solutions and training needs of staff, handling the grievances. The Cell is expected to start functioning by June, 2011.

d. Ombudsman cases have been brought down drastically by the Bank, particularly during the last 3 months of the year by pro-actively taking up compromises with the complainants. The Regional Heads were advised to personally seek intervention of the Ombudsman for an exclusive hearing on pending complaints against the Bank and resolution steps were taken. The Bank has also taken steps for preventing escalation of complaints to Ombudsman by sensitizing the staff to aim for resolution at the first instance itself.

e. Bank has taken certain initiatives to bring down incidence of complaints. Process flow and centralized response facility are crucial to bringing down complaints. For example, complaints on non-receipt of PIN generation for Internet Banking, ATM have come down drastically through self-user creation and IVR based re-setting of PIN facility. Strengthening Call Centre response capabilities in areas like non-delivery of cheque-book, non-dispensation of cash through ATM. An easy accessibility, with an assured Turn Around Time (TAT) is re-assuring to customers.

24 Geographical Reach

a. Bank opened 211 branches during the year, taking the total number of domestic branches to 3,015 as on 31.03.2011 from 2804 in the previous year. Bank also has a branch in Hong Kong. The total outlets including extension counters and service branches stood at 3,104. The distribution of the branches is diversified in rural, semi-urban, urban & metro areas.

Chart –6

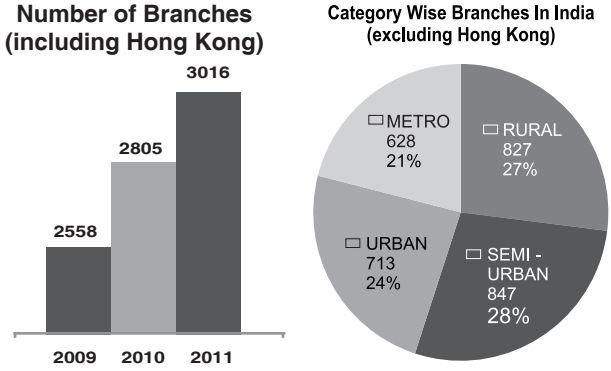

25. Opportunities

Your Bank is well placed to capture the emerging opportunities. Its expanded reach through branches and newer channels of delivery, rich product and service offerings, young and dynamic workforce and efficient responsiveness to customer needs will help in profitable business expansion during the year 2011-12. There is revival in retail demand and your Bank is set to create higher value for the customers through dedicated *Union Loan Points* as well as other branches. As we roll-out more and more 'branches-of-the-future', higher will be the financial relationship with the customers. Expecting a normal monsoon and demand for creating agriculture related infrastructure, Bank foresees ample opportunity in extending finance to this sector. Rural market, in general is exhibiting sound expansion led by government schemes and percolation of growth benefits. Bank will also pursue its goal for financial inclusion and is determined to reach out to all the allotted 3159 villages with population of over 2000 as per the mandated schedule.

26. Threats

a. The biggest threat during the year for the economy as well as banks is on inflation front that may further impact real GDP growth and several other sectors. The economic growth during the year 2011-12 is expected to be lower than the previous year as monetary tightening and fiscal prudence may dampen demand. This may exacerbate with further negative developments in the global economy, particularly rise in crude oil and commodity prices which are at their highest in recent times. Yet another threat may emanate from the domestic economy if prediction of a normal monsoon does not materialize.

27 **Outlook**

a. In its annual monetary policy statement for the year 2011-12, the Reserve Bank of India has given indicative projection of 17% growth in deposits and 19% growth in credit of scheduled commercial banks. The demand for credit from various sectors is likely to remain broad-based; however, some interest rate sensitive sectors like automobiles and consumer goods may show lower credit off-take. It is expected that the investment demand may revive in the latter part of the year which will give opportunity to banks. On the liabilities side, savings deposit as well time deposits may register good growth due to higher interest rates.

b. Your Bank has the capability to grow higher than the growth rate of scheduled commercial banks. This has been possible in recent years backed by various initiatives undertaken. The capacity building in the Bank is a continuous process. The *nexstep Nav Nirman* is the current initiative underway. Your Bank believes that the growth during the year will be profitable and rewarding to the shareholders.

CORPORATE GOVERNANCE REPORT

1. BANK'S PHILOSOPHY ON CORPORATE GOVERNANCE

1.1. Union Bank of India has a tradition of good corporate governance practices. The Bank has laid emphasis on the cardinal values of fairness, transparency and accountability for performance at all levels, thereby enhancing the shareholders' value and protecting the interest of the stakeholders.

1.2 The Bank considers itself as trustee of its shareholders and acknowledges its responsibility towards them for creation and safeguarding shareholders' wealth. During the year under review, the Bank continued its pursuit of achieving these objectives through adoption and monitoring of corporate strategies, prudent business plans, monitoring of major risks of the Bank's business and pursuing policies and procedures to satisfy its legal and ethical responsibilities.

During the year, the bank had been awarded with "Certificate of Recognition" for excellence in Corporate Governance at the 10th ICSI National Award, 2010. The Bank had been selected as one of the Top 25 companies in India for Excellence in Corporate Governance practices by The Institute of Company Secretaries of India partnering with Ministry of Corporate Affairs, Govt. of India for the years 2008 and 2009. The selection criteria for this award included best Board Systems and Procedures, Board Governance, Transparency and Disclosures, Stakeholder Value Enhancement, Corporate Social Responsibility, Creative and Contributive Capabilities of Top Management, Future Vision and other good corporate governance initiatives.

2. BOARD OF DIRECTORS

2.1 The composition of the Board of Directors is governed by the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. As on 31/03/2011, the Board comprised of three whole-time Directors viz. Chairman & Managing Director and two Executive Directors appointed by the Government of India besides eight Part-time Non-Executive Directors who are eminent personalities from various walks of life. Their rich and varied experience, guide the Bank in its progress and achievements in various spheres.

2.2 The responsibilities of the Board include formulation of policies, new initiatives, performance review and control and sanction of cases falling beyond the powers delegated to various functionaries in the Bank. The Board has constituted various sub-committees and delegated powers for different functional areas. The Board as well as its committees meet at periodical intervals.

3. BOARD/COMMITTEE MEETINGS AND PROCEEDINGS

3.1 Scheduling and Selection of Agenda Items

All Board/Committee Members are given notice of the meetings in advance. The meetings are governed by structured agenda. The agenda alongwith the explanatory notes are distributed well in advance.

3.2 Availability of Information to the Members

All items in the agenda are supported by detailed background information to enable the members to make comprehensive review and take informed decisions.

3.3 Recording minutes of the proceedings

Minutes of the proceedings of each Board/Committee meetings are recorded. In keeping with good corporate governance principles, the decisions on all agenda items are arrived by general consensus. The minutes of the proceedings of the meetings are entered in the minutes book.

3.4. Follow-up mechanism

The Bank has an effective mechanism for post meeting follow-up, review and reporting process for the actions taken on decisions of the Board and Committees. Action taken report on the decisions/minutes of the previous meeting(s) is placed to the Board at quarterly intervals.

3.5 Compliance

The Board periodically reviews the compliance reports to ensure adherence to all applicable provisions of law, rules and guidelines.

3.6 Code of Corporate Governance

Keeping in view the best practices, the Board has framed a voluntary code of corporate governance. The code helps to inculcate a spirit of good corporate governance right from the top. It basically encompasses and documents the practices followed in the bank in conduct of its duties towards all the stakeholders like ;

- procedures for Board and its various Committees
- Compliance and monitoring procedures
- relation with shareholders and Customers
- disclosures to public at large
- corporate social responsibility and ;
- other miscellaneous issues viz, Code of conduct, insider trading, staff matters, vigilance etc.

3.7 Board Meetings

During the year under review 14 Board Meetings were held on the following dates: -

6th May, 2010	27th October, 2010
7th May, 2010	26th November,2010
15th June, 2010	23rd December,2010
2nd July, 2010	24th January, 2011
26th July, 2010	5th March,2011
21st August, 2010	16th March, 2011
18th September,2010	31st March,2011

The details of attendance of each Director at the Board Meetings, number of other Board Committees, where he is a member or Chairman during the year, details of shareholding and directorship of other companies / corporations are furnished hereunder: -

Details of Directors and meetings held during 2010-11

Name of the Director & Category	DOB/ Age (years)	Qualification	No. of Board meetings held during their tenure	Meetings attended	Member of Board Committees	Share holding of the Bank	Other Director Ship (as at March 31, 2011)
Shri M.V. Nair CMD (Executive)	03.03.52 59 yrs	B.Sc.	14	14	MCM, SCR & ALM, DPC, DPC(V) STCB, SCMF, CSCB,HR	Nil	2
Shri S.Raman Executive Director (Executive)#	07.09.52 58yrs	A Commerce Graduate (B.Com.) from Osmania University (with a Second Rank) followed by an M.A.in Economics from Nagpur University (with First Rank and a Gold Medal). He also holds a Diploma in Business Management and a Senior Diploma in German Language besides CAIIB from the Indian Institute of Bankers and ACIB from the Chartered Institute of Bankers, London.	6	5	MCM,ACB, SCR & ALM, SIGC, STCB, CSCB,SCMF,HR	Nil	2
Shri S.C.Kalia Executive Director (Executive)	06.08.51 59 yrs	M.A. (Political Science) Gold Medalist, CAIIB	14	14	MCM,ACB, SCR & ALM, SIGC, STCB, CSCB,SCMF,HR	Nil	1
Shri S.S.Mundra Executive Director (Executive) **$**	18.07.54 56 yrs	Post Graduate in Commerce from University of Pune and is also a Certified Associate of IIBF.	8	7	MCM,ACB, SCR & ALM, SIGC, STCB, CSCB,SCMF HR.	Nil	2
Shri K.V. Eapen Govt. of India Nominee (Non-executive)	09.09.59 51yrs	An IAS Officer of the Assam -Meghalaya cadre of 1984 batch and is presently Joint Secretary, (Banking Administration), Department of Financial Services, Government of India, New Delhi. An alumni of St. Stephen's College, University of Delhi, he has a Bachelor of Arts degree and a Post Graduate degree in Economics. He also holds a Post Graduate Diploma in Management from Management Development Institute Gurgaon and an M.Sc. in Macro Economic Policy and Planning from the University of Bradford, United Kingdom.	14	9	ACB, DPC, DPC(V), SCR & ALM,SCMF, RCB.	Nil	1
Shri K. Sivaraman RBI-Nominee # (Non-executive)	19.05.42 68 yrs	M.Sc. (Statistics) CAIIB.	5	4	MCM,ACB, DPC,DPC(V), SCR & ALM RCB, NCB	Nil	Nil

Name of the Director & Category	DOB/ Age (years)	Qualification	No. of Board meetings held during their tenure	Meetings attended	Member of Board Committees	Share holding of the Bank	Other Director Ship (as at March 31, 2011)
Smt. Meena Hemchandra **$** RBI-Nominee (Non-executive)	20.11.57 53 yrs	B.A.-Economics, History (Kolkata University), M.A. - Economics (Madurai Kamraj University), CAIIB, CFA (Institute of Chartered Financial Analysts of India, Hyderabad)	9	6	MCM,ACB, DPC/DPC(V), SCR & ALM RCB, CSCB	Nil	Nil
Shri B.M.Sharma **$** Chartered Accountant (Non-executive)	15.07. 56 54 yrs	Chartered Accountant	14	14	MCM,ACB, SCR & ALM, NCB	Nil	Nil
Shri N. Shankar Workmen Employee (Non-executive)	20.05.58 52 yrs.	B.Sc., ICWA	14	14	MCM, CSCB, STCB, SCR & ALM	Nil	Nil
Shri Ashok Singh # Part-Time Non-Official (Non-executive)	02.07.53 57 yrs	Graduate in the faculty of Science and a post graduate in Law from Lucknow University.	11	11	MCM, SIGC, SCR & ALM, CSCB,HR, NCB	Nil	Nil
Dr Gulfam Mujibi Part-Time Non-Official (Non -executive)	27.04.45 65 years	Post Graduate (MA) with a gold medal from Ranchi University. Holds a Ph.D and LLB degree from Ranchi University	14	12	MCM,CSCB, NCB,SIGC	Nil	Nil
Prof. M.S.Sriram Shareholder (Non-executive)	16.05.62 48 yrs.	B.Com., Post Graduate Diploma in Rural Management from Institute of Rural Management, Anand (IRMA) (1984) and is a Fellow of the Indian Institute of Management, Bangalore (1992). He has more than two decades of experience in academia and consulting. His fields of expertise are Financial Accounting, Agricultural Finance, Social Entrepreneurship and Microfinance.	14	12	MCM, SCR & ALM, CSCB, RCB, SCMF STCB, ACB, HR	100	3
Shri Arun Kumar Nanda Shareholder (Non-executive)	13.03.49 62 yrs	B.Com (Hons), Degree in Law (LLB), Fellow Member of Institute of Chartered Accountants of India, Fellow Member of Institute of Company Secretaries of India	14	6	SIGC, RCB, CSCB, MCM	200	14
Shri S. Ravi @ Shareholder (Non-executive)	12.07.59 51 yrs	B.Sc, M.Com & FCA Pursuing Ph.D from the Centre of Management Studies, JMI	14	13	ACB, MCM, CSCB	600	9

$ Shri B. M. Sharma nominated on the Board w.e.f.16.04.2010

Smt. Meena Hemchandra nominated on the Board w.e.f. 30.07.2010

Shri S. S. Mundra nominated on the Board w.e.f. 01.09.2010

@ Chairman of ACB.

The Term as Director of Shri K. Sivaraman ended on 29.07.2010.

The Term as Executive Director of Shri S.Raman ended on 31.08.2010.

The Term as Director of Shri Ashok Singh ended on 25.01.2011.

MCM – Management Committee of Board

ACB – Audit Committee of Board

SCR&ALM – Supervisory Committee of Directors on Risk & Asset Liability Management
SIGC – Shareholders/Investors Grievance Committee of the Board
DPC – Directors' Promotion Committee
DPC (V) – Directors' Promotion Committee – Vigilance/Non-Vigilance
STCB – Share Transfer Committee of the Board
SCMF – Special Committee of Board of Directors for monitoring cases of frauds of ₹ 1 crore and above
CSCB – Customer Service Committee of the Board
RCB – Remuneration Committee of the Board
NCB – Nomination Committee of the Board
HR – Sub Committee of Board for HR issues.

3.8 Committee Membership of Directors

Shri Arun Kumar Nanda, Director holds membership/chairmanship of Audit Committee or Investor Grievance committees outside the Bank as under:

1. Mahindra & Mahindra Ltd., - Member Share Transfer & Shareholders / Investors Grievance Committee.
2. Mahindra Holidays & Resorts (India) Ltd., - Chairman – Share Allotment / Transfer-cum-Investor Grievances Committee.
3. Mahindra Lifespace Developers Ltd., - Chairman, Investors Grievance & Shareholders Committee.
4. Mahindra Infrastructure Developers Ltd., - Member, Audit Committee.
5. Mahindra World City (Jaipur) Ltd., - Member, Audit Committee.
6. Mahindra Holdings Ltd., - Chairman, Audit Committee

Shri S.Ravi, Director holds membership/chairmanship of Audit Committee or Investor Grievance committees outside the Bank as under:

1. IDBI Capital Markets Services Ltd. - Chairman, Audit Committee.
2. LIC Housing Finance Corporation Ltd. - Chairman, Audit Committee and member, Investor Grievance committee.
3. Mahindra Ugine Steel Limited - Member, Audit Committee and Investor Grievance committee.
4. UTI Trustee Company Pvt. Ltd. - Member, Audit Committee.
5. Maharishi Housing Development Finance Corporation Ltd. - Member, Audit Committee

3.9 Inter-se relationship of Directors

None of the Directors are related to each other.

3.10 A brief profile of the new directors inducted on the Board during the financial year 2010-11 is as under:-

Name	Age	Experience	Date of appointment	Expiry date of current term	Other Directorship
Shri. B.M.Sharma (C.A.Director)	54 yrs	Sh. B. M. Sharma has been appointed on the Board of the Bank vide notification dated 16th April,2010 under the clause 9(3)(g), Chartered Accountant Category of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980. Sh. B. M. Sharma is qualified Chartered Accountant practicing for more than 27 years. In addition he is also qualified Information System Auditor. During his span of experience of over two decades he has handled Concurrent Audit and various other assignments of banks and has gained experience in field of Finance, Banking and Taxation. Prior to his nomination to Union Bank of India Sh. Sharma had been on the Board of Vijaya Bank appointed by Central Government under Chartered Accountant Category. Sh. Sharma was also a special invitee to professional Development, Committee of the institute of Chartered Accountants of India during the year 2009. During his association with Professional Development Committee he has worked very closely in the fields of Public Sector Undertakings, Private Equity Financing and Regional Rural Banks.	16.04.2010	15.04.2013	Nil

Name	Age	Experience	Date of appointment	Expiry date of current term	Other Directorship
Smt. Meena Hemchandra (RBI Nominee)	53 yrs	Nominated by Government of India, as Director with effect from 30th July, 2010, under clause (c) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 read with sub-clause(1) of clause 3 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/80. Smt. Meena Hemchandra, joined Reserve Bank of India in 1982. She holds a degree in economics and is a CFA from ICFAI, Hyderabad. In Reserve Bank, she has largely been in the areas of banking supervision and foreign exchange. Apart from being a faculty for over three years with the Reserve Bank Staff College, she was also associated with the Bhartiya Reserve Bank Note Mudran Ltd. for four years between 1996 and 2001. As Chief General Manager, she was in-charge of the Mumbai Regional Office of the Department of Banking Supervision between 2004 to 2005 and was also actively associated with the Risk Based Supervision initiated by the Bank. Since December 2005, she is Chief General Manager-in-Charge of the Department of External Investments & Operations which manages the foreign exchange reserves.	30.07.2010	Until further instructions	-
Shri S.S. Mundra (Executive Director)	56 yrs	Sh. Mundra assumed charge as Executive Director of Union Bank of India w e f September 1, 2010 . Born on 18th July, 1954, Sh. Mundra is a Post Graduate in Commerce from the University of Pune and is also a Certified Associate of Indian Institute of Banking and Finance. Prior to joining Union Bank, Sh. S S Mundra was in the rank of General Manager of Bank of Baroda and took over as Chief Executive of Bank's European Operations w.e.f. 7th January, 2008. Earlier to this he was holding the charge as General Manager Treasury and Resource Management at Mumbai. He joined Bank of Baroda on 21st March, 1977 as a Directly Recruited Officer. In a Banking career, spanning over three decades, he has held various positions across the country as well as overseas. Early in his career, he had been Branch Manager at various branches of the Bank as also in charge of Credit functions of various Regional/Zonal offices of the bank. During the years 1994-1997 he was posted at Bank's subsidiary at Uganda. Sh. Mundra had been in Bank's Treasury function from the year 2001 to 2005 and again in the year 2007.During the stint, he has worked in various Treasury functions including in charge of Money Market Operations, Heading the Treasury Back Office, Heading the Treasury Front Office and finally rising to the post of General Manager of entire Treasury Operations. During the period 2005-2007, he was assigned to steer the bank's follow on Public Offer which was completed in the month of January, 2006 with a resounding success. Thereafter, he took over as the Zonal Head of Bank's Maharashtra and Goa Zone, spanning over a large geographical area consisting of 204 branches and business level of ₹ 10 Bn.	01.09.2010	31.07.2014 i.e. date of his super annuation or until further orders whichever is earlier.	NPCI, Star Union Dai-Ichi

Name	Age	Experience	Date of appointment	Expiry date of current term	Other Directorship
		Bank's new initiatives viz. "SME Loan Factory", "Gen- Next Branch" etc. were launched in the Zone during his time which later developed as a robust business model for the bank. He was also Secretary to the Board of Directors of the Bank in the year 2006 and has also been associated with Investor Relationship Function of the Bank for a long time. He has travelled widely and has visited several countries in the course of Bank's assignments, seminars and also for a few specialised trainings. He has also been a visiting faculty to the Bank's Training Institutions as well as Training Institutions of other Banks and Banking Bodies. In India, Sh. Mundra has represented the Bank as a Director on the Board of many companies viz. MITCON, Pune, Central Depositary Services Limited (CDSL), Mumbai, Clearing Corporation of India Limited (CCIL), Mumbai and BOB Asset Management Company. He had been nominated as a Nominee Director of Govt. of India on the Board of India Infrastructure Finance Company (UK) Limited (IIFCL), London. Sh. Mundra is an avid reader and his reading interests range from Leadership literature, Banking to Yoga and Philosophy.			

Profile of Director inducted in the Board after March 31, 2011

Shri Baidya Nath Bhattacharjee	56 yrs	Central Government after consultation with Reserve Bank of India nominated Sh. B.N. Bhattacharjee as an Officer Employee Director in exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section(3)of section 9 of The Banking Companies(Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 read with sub-clause (1) & (2) of clause 9 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous provisions) scheme 1970/1980. Sh. Bhattacharjee is an active trade-unionist with a great passion and sacrificed his career and personal comforts for the cause of the officers' fraternity. Sh. Bhattacharjee, a graduate from Lucknow University had pursued study of law. He became activist of the AIUBOF since 1989 and became central Committee member since 1991. In 1997, he was elected as the Treasurer of the All India Union Bank Officer's Federation and is continuing in the post till date. At present he is Vice President of Union Bank of India Officer's Association, WB & Sikkim, Vice President of the West Bengal state units of AIBOC and AINBOF. He is one of the founder activists towards formation of AINBOF. He takes keen interest in disciplinary proceedings and assisted number of cases of the officers including Deputy General Manager with flying colours. Sh. Bhattacharjee takes keen interest in photography, numerology, Hindustani classical and folk music. He is a keen observer of contemporary issues on socio-political and economic developments. With his great ability and fascination in banking activities in the country, he performs the duty of the sub-editor of Union Vision, the house journal of AIUBOF. Being a tech-savvy person, he is administrator of website of the AIUBOF as well.	04.05.2011	03.05.2014 or until he ceases to be an officer of UBI or until further orders whichever is the earlier.	Nil

3.11 Annual General Meeting:

The Eighth Annual General Meeting of the Shareholders was held on 2nd July 2010 where the following directors were present

1.	Shri M. V. Nair	-	Chairman & Managing Director
2.	Shri S.C. Kalia	-	Executive Director
3.	Shri K. Sivaraman	-	Director
4.	Shri N. Shankar	-	Director
5.	Shri Ashok Singh	-	Director & Chairman of Shareholder/ Investors' Grievances Committee
6.	Shri S. Ravi	-	Shareholder Director and Chairman of Audit Committee
7.	Prof. M.S. Sriram	-	Shareholder Director
8.	Shri B. M. Sharma	-	Director (C.A. Category)

4. COMMITTEES OF THE BOARD

4.1 Audit Committee of Board of Directors (ACB)

4.1.1 Composition:

Pursuant to the directives of Reserve Bank of India, Audit Committee of Board of Directors (ACB) has been constituted with six Directors viz. Executive Directors, Nominees of Govt. of India & Reserve Bank of India and two non-official non-executive directors of which one is a Chartered Accountant. Shri S. Ravi, Independent non-official director and a Chartered Accountant chairs the meetings of the Committee.

4.1.2 Functions

The Audit Committee reviews the functions of the Bank as mandated by calendar of items issued by RBI on 10th November, 2010. The major functions of ACB are enumerated below :

1. ACB provides direction as also oversees the operation of the total audit function in the Bank. Total audit function implies the organization, operationalization and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follow-up on the statutory / external audit of the Bank and inspection by RBI.
2. ACB reviews the internal inspection/audit functions in the Bank i.e., the system, its quality and effectiveness in terms of follow-up. It reviews the inspection reports of specialized and extra-large branches and all branches with unsatisfactory ratings. It also specially focuses on the follow-up of:
   - Inter-branch adjustment accounts
   - Un-reconciled long outstanding entries in inter-Bank accounts and Nostro accounts
   - Arrears in balancing of books at various branches
   - Frauds
   - All other major areas of housekeeping.
3. ACB obtains and reviews half-yearly reports from the Compliance Officers appointed in the bank in terms of other guidelines of RBI and quarterly reports on compliance of listing and other SEBI guidelines.
4. Regarding statutory audits, ACB follows up on all the issues raised in the Long Form Audit Reports. It interacts with the external auditors before and after the finalization of annual / semi-annual financial accounts and on the audit reports.
5. Audit Committee reviews the accounting policies, related party transactions, Management Discussion and Analysis and Quarterly and Annual Financial Results of the Bank.
6. ACB annually reviews the mechanism for whistle blower as well.
7. Review of all financial and Risk Management Policies of the Bank.

4.1.3 Attendance of ACB Meetings

The Committee met 12 times during the year 2010-11 and attendance details are as follows:-

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri S. Raman, ED	5	5
Shri S.C. Kalia, ED	12	12
Shri S.S. Mundra, ED	7	7
Shri K.V. Eapen, Govt. Nominee	12	9
Shri K. Sivaraman, RBI Nominee	4	3
Smt. Meena Hemchandra, RBI Nominee	8	5
Shri S. Ravi, Shareholder Director, Chairman ACB	12	12
Prof. M.S. Sriram, Shareholder Director	2	2
Shri B.M. Sharma, C. A. Category	12	12

4.2 Management Committee of the Board (MCB)

4.2.1. Composition:

Pursuant to the amendments made by Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Banking Division vide Notification dated 19th February, 2007 to the Nationalised Bank's (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and further amendment upto 29th June 2007, the Management Committee now consists of Chairman & Managing Director, Executive Director/s, RBI nominee Director, a Chartered Accountant nominated by the Central Government under Section 9(3)(g) who functions as regular member of the Committee and three other Non-Executive Directors under Section 9(3)(e),(f),(h) & (i) nominated by the Board for a period of six months each on rotation basis. The Chairman & Managing Director is the Chairman of the meeting.

4.2.2. Functions

Pursuant to the directives of Ministry of Finance, Government of India, Management Committee of Board

is constituted by the Board of Directors for considering various business matters viz. sanctioning of credit proposals, loan compromise/write-off proposals, approval of capital and revenue expenditure, acquisition and hiring of premises, investments, donations, etc.

4.2.3. Attendance of MCB Meetings

During the year 2010-11, 20 meetings of Management Committee were held and attendance details are as under: -

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri M. V. Nair, CMD	20	20
Shri S. Raman, ED	8	7
Shri S. C. Kalia, ED	20	20
Shri S.S. Mundra, ED	12	12
Shri K. Sivaraman, RBI Nominee	6	6
Smt. Meena Hemchandra, RBI Nominee	14	9
Shri B.M. Sharma, Director (C.A. Category)	20	20
Prof. M. S. Sriram, Shareholder Director	10	9
Dr. Gulfam Mujibi, Part-time Non-Official Director	10	7
Shri Ashok Singh, Part-time Non-Official Director	11	11
Shri N. Shankar, Workmen Employee Director	10	10
Shri S. Ravi, Shareholder Director	9	8
Shri Arun Kumar Nanda, Shareholder Director	10	8

4.3 Supervisory Committee of Directors on Risk & Asset Liability Management (SCR & ALM)

4.3.1. Composition:

The Committee consists of the following members of the Board of Directors: Chairman & Managing Director, Executive Directors, Nominee of Government of India and three Non-Executive Directors. The Chairman & Managing Director is the Chairman of the Committee.

Functions:

The Bank has constituted a Supervisory Committee of Directors on Risk and Asset Liability Management to supervise the functions of Risk and Asset Liability Management in the Bank. It is responsible for identifying, evaluating and monitoring the overall risks faced by the Bank.

4.3.2. Attendance of SCR & ALM Meeting

The Committee has held 4 meetings during the year 2010-11 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri M. V. Nair, CMD	4	4
Shri S. Raman, ED	1	-
Shri S. C. Kalia , ED	4	4
Shri S.S. Mundra, ED	3	3
Shri K. V. Eapen, Govt. Nominee	4	1
Shri K. Sivaraman, RBI Nominee	1	1
Smt. Meena Hemchandra, RBI Nominee	1	1
Prof. M. S. Sriram, Shareholder Director	4	3
Shri Ashok Singh, Part-time Non-Official	3	3
Shri B.M.Sharma, C.A. Category	1	1
Shri N. Shankar Workmen Employee Director	2	2

4.4 Shareholders' / Investors' Grievance Committee of the Board (SIGC)

4.4.1 Composition:

The Shareholders' /Investors' Grievance Committee consists of Executive Directors and two Non-executive Directors. The Chairman of the Committee is Dr. Gulfam Mujibi, an independent Non-executive director.

4.4.2 Functions:

Pursuant to clause 49 of the Listing Agreement, a Shareholders' / Investors' Grievance Committee of the Board (SIGC) has been constituted by the Board to look into the redressal of shareholders and investors complaints regarding transfer of shares, non-receipt of refund orders, share certificates, dividends, etc.

4.4.3 Attendance of SIGC

The Committee has held 4 meetings during the year 2010-11 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Dr. Gulfam Mujibi, Part-time Non-Official Director, Chairman of SIGC	1	1
Shri S. Raman, ED	2	2
Shri S. C. Kalia, ED	4	4
Shri S.S. Mundra, ED	2	2
Shri Ashok Singh, Part-time Non-Official Director	3	3
Shri Arun Kumar Nanda, Shareholder Director	4	2

A comparative chart showing number of complaints received, responded and pending for the financial year ended 31.03.2011 vis-à-vis 31.03.2010 is as under:-

		For F.Y. ended 31.03.2011	For F.Y. ended 31.03.2010
a.	No. of shareholders complaints pending at the beginning of the year	-NIL-	-NIL-
b.	No. of shareholders complaints received during the year	1385	1,646
c.	No. of shareholders complaints resolved during the year	1385	1,646
d.	No. of shareholders complaints pending at the end of the year	-NIL-	-NIL-

Mrs. Monika Kalia, Company Secretary has been designated as the Compliance Officer of the Bank for Investor Grievances.

4.5 Share Transfer Committee of the Board (STCB)

4.5.1 Composition:

The committee consists of Chairman & Managing Director and /or Executive Directors and any two directors.

4.5.2 Functions:

With a view to effecting speedy transfer of shares, the Bank has constituted a Share Transfer Committee of Board with powers to confirm transfer, transmission, remat and issue of duplicate shares etc.

4.5.3 Attendance of STCB:

During the year, the Committee attended 21 times to the transfer, transmission, remat and issue of duplicate shares etc.

4.6 Special Committee of Board of Directors for monitoring cases of Fraud of ₹ 1.00 crore and above (SCMF)

Special Committee of the Board of Directors for monitoring cases of frauds of ₹ 1 crore and above is constituted as per the guidelines issued by Reserve Bank of India vide RBI/2004.15. DBS.FGV (F) No.1004/23.04.01A /2003-04 dated 14.01.04. At present the Audit Committee of Board of Directors (ACB) is required to oversee the internal inspection, statutory audit, inter branch/inter bank accounts and major areas of housekeeping etc. The ACB is also required to focus attention on preventive aspects and follow –up action being initiated by the bank on frauds. However, this Special Committee focuses on Monitoring and following up of cases of frauds involving amounts of ₹ 1 crore and above exclusively while ACB continues to monitor all the cases of frauds in general.

The functioning of the Special Committee of the Board is reviewed on a half-yearly basis and the reviews are put up to the Board of Directors.

4.6.1 Composition:

The Special Committee is constituted with following members of the Board of Directors.

- Chairman & Managing Director
- Two members from ACB
- Two other members from the Board excluding RBI nominee

4.6.2 Functions:

The major functions of the Special Committee would be to monitor and review all the cases of frauds of ₹ 1 crore and above so as to:

- Identify the systemic lacunae if any that facilitated perpetration of the fraud and put in place measures to plug the same.
- Identify the reasons for delay in detection, if any and/ or reporting to top management of the Bank and RBI.
- Monitor progress of CBI /Police Investigation and recovery position.
- Ensure that the staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds and staff side action, if required, is completed quickly without loss of time.
- Review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls.
- Put in place other measures as may be considered relevant to strengthen preventive measures against frauds.

4.6.3 Attendance of SCMF

The Committee has held 5 meetings during the year 2010-11 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri M.V. Nair, CMD	5	5
Shri S. Raman, ED	2	2
Shri S.C. Kalia, ED	5	5
Shri S.S. Mundra, ED	3	3
Shri K. V. Eapen, Govt. Nominee Director	5	4
Prof. M.S. Sriram, Shareholder Director	5	5

4.7 Bank's Customer Service Committee of Board of Directors (CSCB)

Customer Service Committee of the Board is constituted as per the guidelines issued by Reserve Bank of India. It was constituted in terms of Reserve Bank of India, DBOD circular dated 14th August 2004.

4.7.1 Composition:

The Committee Comprises of eight members as under:

- Chairman & Managing Director/ Executive Directors
- Two Directors representing customer interest.
- Three Non-Executive Directors.
- Two representatives of Customers as special invitees

4.7.2 Functions

The Committee is undertaking the following tasks:

- To make suggestion on improving the quality of services.
- To review the implementation of the existing policies and procedures with a view to rationalize and simplify them and to suggest appropriate incentives to facilitate changes on an ongoing basis.
- To oversee the functioning of the Adhoc Committee of the Bank including compliance with recommendations of the Committee on Procedures and Performance Audit on Public Service (CPPAPS) set up by Reserve Bank of India.

4.7.3 Attendance of CSCB

The Committee has held 4 meetings during the year 2010-11 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri M.V. Nair, CMD	4	4
Shri S. Raman,ED	1	-
Shri S.C. Kalia, ED	4	4
Shri S.S. Mundra, ED	3	3
Shri K Sivaraman, RBI Nominee Director	1	1
Smt. Meena Hemchandra, RBI Nominee Director	1	1
Prof. M.S. Sriram, Shareholder Director	4	3
Shri N.Shankar, Workmen Employee Director	4	4
Dr. Gulfam Mujibi, Part-time Non Official Director	4	3
Shri Ashok Singh, Part-time Non Official Director	3	3
Shri A.K. Nanda, Shareholder Director	1	-
Shri S. Ravi, Shareholder Director	2	1

4.8 Remuneration Committee of Board (RCB)

Government of India (GOI) Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division) vide their communication F.No. 20/1 /2005-BO.I dated 9th March 2007 has announced a scheme of Performance Linked Incentive to the whole-time Directors of Public Sector Banks (PSBs). As per GOI communication, a Sub-committee of the Board of Directors called "Remuneration Committee" has been formed.

4.8.1 Composition:

- Government Nominee Director
- RBI Nominee Director
- Two other Directors

4.8.2 Functions:

To decide upon the performance linked incentive to be paid to the whole-time Directors of the Banks in terms of the above mentioned GOI guidelines.

4.8.3 Attendance of RCB

The Committee met one time during the year 2010-11 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri K.V. Eapen, Govt. Nominee	1	1
Shri K Sivaraman, RBI Nominee	1	1
Prof. M.S. Sriram, Shareholder Director	1	1
Shri Arun Kumar Nanda, Shareholder Director	1	-

4.9 Nomination Committee of Board (NCB)

In exercise of the powers conferred by sub-sections (3AA) and (3AB) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 (as amended in 2006), the Reserve Bank of India has laid down specific 'Fit and Proper' criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Boards of the Nationalised Banks. RBI has issued circular DBOD No.BCNo.47/29.39.001/2007-08 dated November 1, 2007 on 'Fit and Proper' criteria for elected directors on the boards of Nationalised Banks.

Banks are required to constitute Nomination Committee to undertake process of due diligence to determine the fit and proper status of existing elected directors under section 9 (3) (i) of the Act. Accordingly, the Bank has formed a Nomination Committee of the Board.

4.9.1 Composition:

- Three Non-Executive Directors.

4.9.2 Functions:

- To undertake the due diligence exercise afresh and examine the 'Fit and Proper ' status of the elected director.
- To ensure whether non adherence to any of the criteria such as (i) Educational Qualification (ii) Experience and Field of expertise (iii) Track record and integrity, would hamper the existing elected director/proposed candidate from discharging the duties as a director on the Board of the Bank. Further, the candidate coming to the adverse notice of any authority/regulatory agency or insolvency or default of any loan from any Bank or any Financial Institution would make the candidate unfit and improper to be a director on the Board of the bank.

- Based on the signed declaration, Nomination Committee should decide on the acceptance or otherwise of the candidate and make references, where considered necessary to the appropriate authority/persons, to ensure their compliance with the requirements indicated.

4.9.3 Attendance of NCB

The Committee met 1 time during the year 2010-11 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri B.M. Sharma, C. A. Category (Chairman)	1	1
Shri K Sivaraman, RBI Nominee Director	1	1
Dr. Gulfam Mujibi, Part-time Non Official Director	1	1

4.10 Directors Promotion Committee (DPC)

4.10.1 Composition:

- Chairman and Managing Director
- Government of India nominee Director
- RBI Nominee Director

4.10.2 Functions:

The Committee considers candidates for promotions to Top Executive Grade Scale VII as well as representation of officers against non selection / non approval to Top Executive Grade Scale VII, besides considering cases for continuation in service in respect of officers in Top Executive Grade.

4.10.3 Attendance of DPC

The Committee met 2 time during the year 2010-11 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri M. V. Nair, CMD	2	2
Shri K. V. Eapen, Govt. Nominee	2	2
Shri K. Sivaraman, RBI Nominee Director	1	1
Smt. Meena Hemchandra, RBI Nominee Director	1	1

4.11 Directors Promotion Committee – Vigilance/Non-vigilance

4.11.1 Composition:

- Chairman and Managing Director
- Government of India Nominee Director
- RBI Nominee Director

In addition, the Executive Directors also participate as special invitees in these meetings.

4.11.2 Functions:

The Committee reviews Vigilance, Non-Vigilance disciplinary cases and departmental enquiries on a quarterly basis.

4.11.3 Attendance of DPC –Vigilance/Non-vigilance

The Committee has held 4 meetings during the year 2010-11 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri M. V. Nair, CMD	4	4
Shri K. V. Eapen, Govt. Nominee	4	3
Shri K. Sivaraman, RBI Nominee	1	1
Smt. Meena Hemchandra, RBI Nominee	3	3

4.12 HR Committee of Directors

4.12.1 Composition:

The committee consists of Chairman & Managing Director and /or Executive Directors and any two directors.

4.12.2 Functions:

To oversee & review the implementation of following aspects

1. Overall strategy for the bank.
   - Overall manpower plan and skills gap identification.
   - Systems, Procedures and structures to attract and groom right talent.
2. Development of performance management system covering all staff in the Bank.
   - Performance assessment on transparent Key Responsibility Areas (KRAs)
   - System of providing developmental feedback to all staff
3. Fine tuning of policies in line with Bank's strategy and market realities.
   - Reward and Incentives
   - Promotion
   - Deployment
4. Training
   - Specialist business skills training
   - General retraining / reorientation for all staff
5. IT automation of all HR related activities.

4.12.3 Attendance of HR Committee of Directors

The Committee has held 2 meetings during the year 2010-11 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri M. V. Nair, CMD	2	2
Shri S.C. Kalia, ED	2	2
Shri S.S. Mundra, ED	2	2
Prof. M.S. Sriram, Shareholder Director	2	2
Shri Ashok Singh, Part-time Non-official Director	1	1

5. GENERAL BODY MEETINGS

The details of the General Body Meetings of the Shareholders held during last 3 years are given below:

Nature of Meeting	Date & Time	Venue
Sixth Annual General Meeting	25th June, 2008 at 4.00 p.m.	Rama Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020.
Extraordinary General Meeting for election of Shareholders' Directors	22nd June, 2009 at 10.30 a.m.	Rama Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020.
Seventh Annual General Meeting	22nd June, 2009 at 4.00 p.m.	Rama Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020.
Eighth Annual General Meeting	2nd July, 2010 at 4.00 p.m.	Rama Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020.
Extraordinary General Meeting	29th March, 2011 at 11.00 a.m.	Rama Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020.

Out of all the General Meetings held during the past three years, only one special resolution was placed for approval in the Extraordinary General Meeting held on 29th March, 2011. The details of the same are as under:

A special resolution to create, offer, issue and allot up to 1,92,14,515 (One Crore Ninety Two Lac Fourteen Thousand Five Hundred Fifteen) equity shares of ₹ 10/- each (Rupees Ten only) for cash at ₹ 354.94 in accordance with Regulation 76(1) of SEBI (ICDR) Regulations and aggregating up to ₹ 682/- crore (₹ Six Hundred Eighty Two Crore Only) on preferential basis to Government of India.

6. DISCLOSURES

The Bank is governed by the Banking Regulations Act 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. SEBI has clarified that for listed entities which are not companies, but body corporates (e.g. private and public sector banks, financial institutions, insurance companies etc.) incorporated under other statutes, clause 49 of the listing agreement will apply only to the extent that it does not violate their respective statutes and guidelines issued by the relevant regulatory authorities. Keeping in view the above, it is stated that the Bank is complying with all the applicable mandatory requirements of Clause 49 of the Listing Agreement. Compliance with respect to non-mandatory requirements under the said clause is also given in this report. The other disclosure requirements stipulated by the clause are as under:

i. Remuneration of Directors

The remuneration including traveling and halting expenses to Non-Executive Directors is being paid as decided by the Central Government in consultation with RBI from time to time in terms of clause 17 of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

The Chairman & Managing Director & Executive Directors are being paid remuneration and reimbursement of traveling & halting expenses as per the rules framed by Government of India in this regard. Other terms and conditions of the appointment of whole -time directors are as per clause 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The details of the same are given in the notes to accounts.

ii. Disclosure of Material Transactions and Pecuniary Relationship

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management, their subsidiaries or relatives etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the non-executive director vis-à-vis the bank during the year.

It is an established practice in the Bank that Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or to their relatives/firms/companies in which they are interested are discussed.

iii. Proceeds From Public issues, Right issues, Preferential issues etc.

During the year under review the Bank has increased its equity capital by way of allotment of 1,92,14,515 equity shares of ₹10/- each to Government of India on preferential basis. The Bank has also issued Perpetual Non-cumulative Preference Shares (PNCPS) to the extent of ₹111/- crore to the Government of India during this financial year.

The Bank issued Non Convertible Bonds in the nature of Promissory Notes (Tier I & II capital) from time to time. The relevant details are mentioned in para 8.2 of the report.

The funds were raised with the primary objective of augmenting Capital for strengthening Capital Adequacy Ratio and for improving the long- term resources of the Bank and the same were utilised for the said purpose.

iv. Penalties or Strictures

No penalties or strictures were imposed on the Bank by any of the Stock Exchanges, SEBI or any Statutory Authority on any matter relating to Capital Markets during the last three years.

However, FIU-IND proposed a penalty of ₹ 1 lac per month, totaling ₹ 4 lacs on the bank u/s 13 of PMLA (Prevention of Money Laundering Act) 2002 for failure on the part of the bank to evolve a mechanism for 4 months (Dec'06 to Mar'07) to examine, detect and report suspicious transactions and thereby failed to comply with the obligations u/s 12 of the PML Act.

Bank filed an appeal before that Appellate Authority under PMLA against the order. Bank has also obtained stay on the operation of the impugned order proposing the above penalty.

v. Whistle Blower Policy

The Bank has put in place the Whistle Blower Policy. The Audit Committee periodically reviews the functioning of the said policy. It is further stated that no employee has been denied access to the Audit Committee.

vi. Management Discussion and Analysis

The same has been given separately in the Annual Report.

7. MEANS OF COMMUNICATIONS

The quarterly, half-yearly and annual financial results of the Bank were published in leading newspapers including Financial Express (English), Free Press Journal (English), Navbharat (Hindi) and Navshakti (Marathi). The results are simultaneously displayed on the Bank's website- www.unionbankofindia.co.in. Similarly, the press releases issued by the Bank, related presentations, shareholding pattern, quarterly and annual results etc. are also simultaneously placed on bank's website.

8. SHAREHOLDERS' INFORMATION

8.1 The Bank is a Scheduled Commercial Bank with its Head Office at Mumbai. The Bank has its presence in different parts of the country with a network of 3,016 (including one Branch at Overseas) Branches as on March 31st, 2011.

8.2 The Bank's shares are listed on the Bombay Stock Exchange Limited and the National Stock Exchange of India Limited and its stock scrip code is as follows: -

Bombay Stock Exchange Limited (BSE)	532477
National Stock Exchange of India Limited (NSE)	UNIONBANK-EQ

The annual listing fee for the financial year 2011-12 has been paid to the Stock Exchanges before 30th April, 2011.

The Bank has issued Non Convertible Bonds in the nature of Promissory Notes (Tier I & II capital) from time to time. The relevant details thereof as on March 31, 2011 are as under:

SERIES	Size (₹ in Cr)	Date of Allotment	Maturity Date	Coupon Rate % (p.a.)	ISIN NO.
VI	250	03.09.2003	03.05.2013	5.95	INE692A09068
VII	450	08.02.2005	08.05.2015	7.15	INE692A09076
VIII-FLOATING	200	23.09.2005	23.04.2012	BENCH+55 BPS	INE692A09092
VIII-FIXED	600	23.09.2005	23.04.2015	7.45	INE692A09084
IX	200	19.05.2006	19.05.2016	8.33	INE692A09100
X-Ist TRANCHE	300	10.10.2006	PERPETUAL	9.45 UPTO 10YRS STEP UPTO 9.95 AFTER 10TH YR	INE692A09118
X-IInd TRANCHE UPPER TIER –II	750	16.10.2006	16.10.2021	8.95 WITH STEP UPTO 9.45 AFTER 10TH YR	INE692A09126
XI – LOWER TIER – II, –Ist TRANCHE	400	12.12.2007	12.04.2018	9.35	INE692A09134
XI –IInd TRANCHE	200	12.12.2007	PERPETUAL	9.90 UP TO 10 YRS STEP UP TO 10.40 AFTER 10TH YR	INE692A09142

XII PERPETUAL	200	09.09.2008	PERPETUAL	11.15 UP TO 10 YRS STEP UP TO 11.65 AFTER 10TH YR, IF CALL OPTION NOT EXERCISED	INE692A09159
XII LOWER TIER II	400	17.09.2008	17.09.2018	10.95	INE692A09167
XII LOWER TIER II	200	23.12.2008	23.12.2018	9.50	INE692A09175*
XII LOWER TIER II	200	30.12.2008	30.12.2018	8.60	INE692A09183*
XII PERPETUAL	140	30.03.2009	PERPETUAL	9.10 UP TO 10 YRS STEP UP TO 9.60 AFTER 10TH YR, IF CALL OPTION NOT EXCERISED	INE692A09191
XIV-A PERPETUAL	200	16.06.2009	PERPETUAL	8.85 UP TO 10 YRS STEP UP TO 9.35 AFTER 10TH YEAR, IF CALL OPTION NOT EXERCISED	INE692A09209
XIV-B UPPER TIER-II	500	25.06.2009	15 YEARS 25.06.2024	8.65 UP TO 10 YRS STEP UP TO 9.15 AFTER 10TH YEAR, IF CALL OPTION NOT EXERCISED	INE692A09217
XIV-C UPPER TIER-II	500	27.01.2010	15 YEARS 27.01.2025	8.55 UP TO 10 YRS STEP UP TO 9.05 AFTER 10TH YEAR, IF CALL OPTION NOT EXERCISED	INE692A09225
XV-A UPPER TIER-II	500	28.06.2010	15 YEARS 28.06.2025	8.48 UP TO 10 YRS STEP UP TO 8.98 FROM 11TH YEAR, IF CALL OPTION NOT EXERCISED	INE692A09233
TOTAL	**6190**				

All these bonds are listed on National Stock Exchange of India Ltd except marked * i.e. INE692A09175 & INE692A09183 and the Bank has paid the Annual listing fee for 2011-12 to the Stock Exchange.

8.3 Dividend

A dividend of 80% i.e. ₹ 8/- per share has been recommended by the Board of Directors for the financial year 2010-11 in its meeting held on 6th May, 2011.

8.4 Particulars of AGM & Financial Calendar

8.4.1 Particulars of AGM

Board Meeting for considering Accounts and Dividend	6th May, 2011
Date, Time & Venue of AGM	29th June, 2011 at 3.30 p.m. at **Rama Watumull Auditorium**, K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai –400 020.
Posting of Notices of AGM and Annual Report	On or before 1st June, 2011.
Dates of Book Closure	18th June, 2011 to 29th June, 2011(both days inclusive) for payment of dividend
Date of payment of dividend	8th July, 2011

8.4.2 Financial Calendar

Our tentative calendar for declaration of results for the financial year 2011-12 is given below:

Financial Results	**Likely release of results**
For the quarter ending June 30, 2011	July 22, 2011
For the quarter ending September 30, 2011	October 21, 2011
For the quarter ending December 31, 2011	January 23, 2012
For the year ending March 31, 2012	May 08, 2012

8.5 Share Transfer System and Redressal of Investors' Grievances

The Bank ensures that all transfers of shares are duly effected within the period of one month from the date of their lodgement with proper documents. The Bank has constituted the Share Transfer Committee of Board to consider the transfer of shares and other related matters.

Share Transfer and all other investor related activities are attended to and processed at the office of the Registrar & Transfer Agent, Datamatics Financial Services Ltd., Mumbai. The shareholders may lodge their transfer deeds and any other documents, grievances and complaints to the Registrar & Transfer Agent at the following address. The Bank has also established Investor Services Division at their Head Office, Mumbai. The shareholders may contact Company Secretary, Investor Services Division for any of their complaint / grievances. investorservices@unionbankofindia.com is the designated e-mail ID in terms of clause 47 (f) of the listing agreement.

Registrar & Transfer Agent
Datamatics Financial Services Ltd.
Plot No.B-5, Part B, Crosslane, MIDC, Marol,
Andheri (E), **Mumbai-400 093.**
Tel-(022) 66712151-60
Fax-(022) 66712230
E-mail: ubiinvestors@dfssl.com

Investor Services Division
Union Bank of India
12th Floor, Central Office, 239, Vidhan Bhavan Marg,
Nariman Point, **Mumbai-400 021**.
Tel-(022) 22896643/36
Fax-(022) 22025238
E-mail: investorservices@unionbankofindia.com

Also, the bank has placed a list of frequently asked questions about investor services like change of details, transfer/ transmission and issue of duplicate shares/dividend warrants on its website, the same can be checked for easy understanding of procedures and documentation.

8.5.1 Other communications

In addition to timely responses to the queries of the shareholders, the bank proactively sends a half yearly communication to the shareholders to promote good investors' relations.

The set of communication sent this year was focused on following areas:

i. Half-yearly performance

ii. Claiming unpaid dividends and updation of bank details/ Dividend Mandate Form

8.6 Dematerialisation of shares

The Bank's shares are traded compulsorily in Demat form only. The Bank has entered into agreements with both the Depositories viz. National Securities Depositories Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for dematerialisation of the Bank's shares. The ISIN code allotted to the Bank's Equity Shares is **INE692 A01016.** Therefore, it is requested that the shareholders holding the shares in physical mode may get their shares dematerialized in their own interest as it will save them from safe custody of the share certificates which at times may lead to loss/mutilation of share certificates. Besides, this would also provide them instant liquidity as the shares of the Bank can only be traded in demat form. This would also result in easy and faster collection of dividend payments. Particulars of shares in Demat and Physical form held by the shareholders as of 31/03/2011 are as under:-

	No. of shareholders	No. of shares	% shareholding
Physical	68,727	3,47,03,032	6.62
Demat			
NSDL	81,177	19,84,89,503	37.86
CDSL	52,378	29,11,39,880	55.52
Total	**2,02,282**	**52,43,32,415**	**100.00**

28,00,00,000 shares held by Govt. of India in demat form & 1,92,14,515 allotted to Government of India on 29.03.2011 were dematerialized on 15.04.2011.

Further, in pursuance of the circular issued by SEBI, a practicing Chartered Accountant / Company Secretary has also conducted Reconciliation of Share Capital Audit on a quarterly basis. During the course of Reconciliation of Share Capital audit no discrepancy in updation/maintenance of the Register of Members or processing of demat requests was found and the capital held in physical mode and demat mode tally with the issued capital.

8.7 Electronic Clearing Service / Direct Credit to Union Bank Account

SEBI has made it mandatory for all the listed companies to use the Bank Account details furnished by the Depositories for distribution of dividend through National Electronic Clearing Service (NECS) to the investors, wherever NECS facility is available. In the absence of NECS facility, the Bank shall print the Bank Account details, if available, on payment instruments for distribution of dividend to the investors.

In addition to above, the Bank has also provided facility of credit of dividend amount by way of-

Direct Credit of dividend amount to the account of the shareholders having their account with Union Bank of India.

The dividend mandate form is available on the website of the Bank **www.unionbankofindia.co.in** and is also enclosed in this Annual Report as well.

8.8 Market Price, Volume of shares traded in Stock Exchanges

Months	BSE			NSE			BSE Sensex	
	High (₹)	Low (₹)	Volume (Nos.)	High (₹)	Low (₹)	Volume (Nos.)	High	Low
April '10	317.50	292.80	1723716	318.50	292.65	13815383	18047.86	17276.80
May '10	312.50	275.15	2264349	348.80	275.00	10449859	17536.86	15960.15
June '10	322.00	280.00	3154174	322.70	279.20	13085658	17919.62	16318.39
July '10	333.40	308.00	1977519	333.25	309.00	12924159	18237.56	17395.58
August '10	371.25	308.65	2172296	367.95	318.00	14555350	18475.27	17819.99
September'10	392.95	330.00	2825839	393.20	320.95	12162237	20267.98	18027.12
October '10	426.80	372.20	3157070	426.95	372.00	19042967	20854.55	19768.96
November '10	399.70	315.00	2772780	399.90	314.05	17717208	21108.64	18954.82
December '10	382.40	301.35	2024775	382.60	303.05	14833534	20552.03	19074.57
January '11	352.00	304.10	2008355	353.00	309.40	12247272	20664.80	18038.48
February '11	353.00	300.05	1017719	354.50	300.00	7517756	18690.97	17295.62
March '11	351.50	315.00	1880559	351.80	314.25	12950254	19575.16	17792.17
As on 31/3/2011 Closing price	347.45			347.25				
Market Capitalization	18217.93 crore			18207.44 crore				

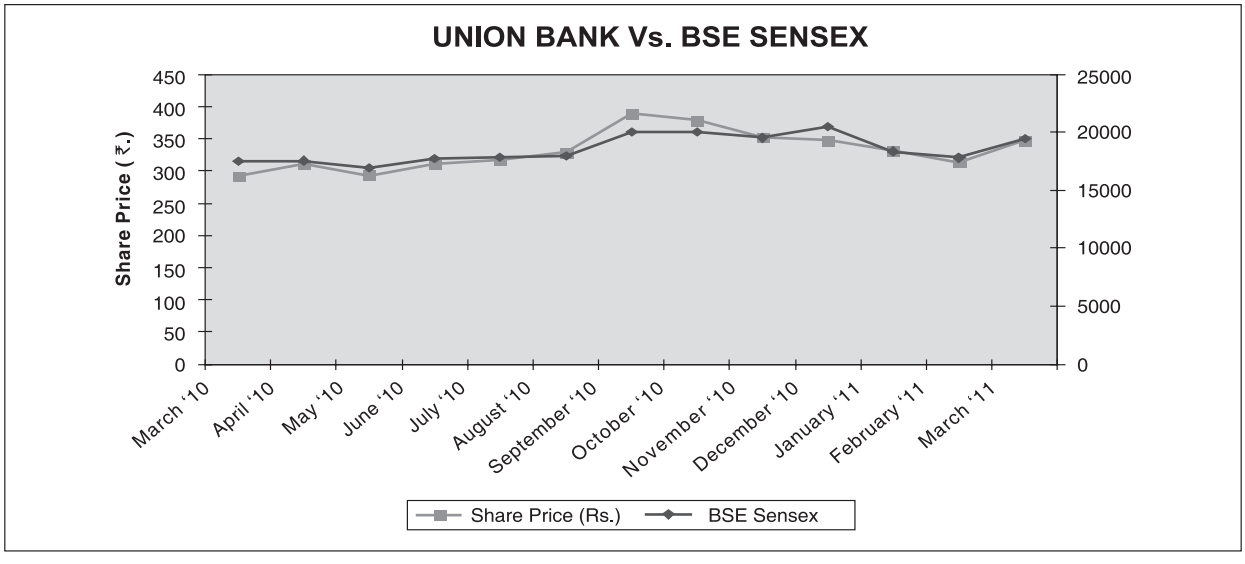

8.9 Distribution of Shareholding

The Government's shareholding in the Bank is 29.92 crore shares aggregating to ₹ 299.21 crore in the total issued capital of ₹ 524.33 crore. The distribution of shareholding as of 31/03/2010 and as of 31/3/2011 is as under:

	As of 31/03/2010				As of 31/03/2011			
Shareholding	No. of shareholders	% to total	No. of shares	% to total	No. of shareholders	% to total	No. of shares	% to total
upto 500	185331	89.30	28611927	5.66	181521	89.74	27088868	5.17
501 to 1000	17733	8.54	11497917	2.28	16534	8.17	10739973	2.05
1001 to 2000	2992	1.44	4065467	0.81	2817	1.39	3845422	0.73
2001 to 3000	556	0.27	1370111	0.27	499	0.25	1226059	0.23
3001 to 4000	182	0.09	642871	0.13	179	0.09	629641	0.12
4001 to 5000	99	0.05	456295	0.09	85	0.04	394206	0.08
5001 to 10000	206	0.10	1485166	0.29	209	0.10	1518444	0.29
10001 & above	433	0.21	456988146	90.47	438	0.22	478889802	91.33
Total	**207532**	**100.00**	**505117900**	**100.00**	**202282**	**100.00**	**524332415**	**100.00**

The face value of Bank's share is ₹ 10/-. The Bank has also issued Perpetual Non-cumulative Preference Shares (PNCPS) to the extent of ₹ 111 crore to the Government of India.

8.10 Shareholding pattern

The shareholding pattern of the Bank's shares as of 31/03/2010 and as of 31/03/2011 was as follows:-

	As of 31/03/2010		As of 31/03/2011	
Category of shareholder	**No. of shares held**	**% to total holding**	**No. of shares held**	**% to total holding**
Govt. of India	28,00,00,000	55.43	29,92,14,515	57.07
Non-Residents (FIIs/OCBs / NRIs)	8,81,69,325	17.46	7,90,67,763	15.08
Banks/Financial Institutions/Insurance Cos.	1,98,10,523	3.92	1,83,13,578	3.49
Mutual Funds/UTI	4,42,74,751	8.76	4,62,26,261	8.82
Domestic Companies/ Private Corporate Bodies/Trusts	2,32,58,361	4.61	3,45,16,325	6.58
Resident Individuals	4,96,04,940	9.82	4,69,93,973	8.96
Total	**50,51,17,900**	100.00	**52,43,32,415**	100.00

List of Top 10 Shareholders of the Bank:

The list of top 10 shareholders of the Bank as on 31.03.2011 is as follows:

Sr. No.	Name	No. of shares	% to Capital
1.	President of India	29,92,14,515	57.07
2.	Life Insurance Corporation of India	1,39,78,290	2.67
3.	HDFC Standard Life Insurance Company Limited	99,99,246	1.91
4.	Variable Insurance Products Fund III – Mid Cap Portfolio	76,99,690	1.47
5.	LIC of India Money Plus	76,93,580	1.47
6.	SBI Life Insurance Co. Ltd.	66,77,400	1.27
7.	Fidelity Advisor Series I Fidelity Advisor Mid Cap II Fund	49,10,529	0.93
8.	LIC of India Market Plus – 1	48,28,277	0.92
9.	Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd.	47,85,952	0.91
10.	Merrill Lynch Capital Markets Espana S.A. S.V.	47,66,184	0.91
TOTAL		36,45,53,663	69.53

8.11 Unclaimed /Unpaid Dividend

The amount of dividend remaining unclaimed for a period of seven years from the date of transfer of dividend to the Unpaid Dividend Account shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund. Thereafter, no claim shall lie against the Bank or the said fund in respect of dividend amounts that have been transferred to the said fund. The list of dividends declared so far and the last date for making claim for various dividend accounts are given below:

Period of the Dividend	% of dividend declared	Last date for making claim
Dividend for 2002-03	21%	15.10.2013
Interim Dividend 2003-04	20%	15.10.2013
Final Dividend 2003-04	15%	15.10.2013
Interim Dividend 2004-05	20%	15.10.2013
Final Dividend 2004-05	15%	15.10.2013
Dividend for 2005-06	35%	15.10.2013
Interim Dividend 2006-07	15%	01.02.2014
Final Dividend 2006-07	20%	27.07.2014
Dividend for 2007-08	40%	08.08.2015
Dividend for 2008-09	50%	02.08.2016
Dividend for 2009-10	55%	09.08.2017

The shareholders who have not received or claimed the above dividends till now are requested to make a claim at the earliest to the Registrars or the Investor Services Division of the Bank. A format of indemnity bond in this respect is available on the website of the bank **(www.unionbankofindia.co.in)**

8.12 Unclaimed Shares

a) In Demat Form:

As per Clause 5A of the listing agreement i.e. Uniform procedure for dealing with unclaimed shares, the Bank has opened a Demat Suspense Account in March' 2010 after completion of procedure as instructed by SEBI. The shares allotted to the applicants at the time of Bank's FPO during 2006 but not credited to their respective demat account due to some technical reasons are controlled in this account. The details of the shares lying in this account are as follows:

	No. of shareholders	No. of shares
Balance as of 01.04.2010 lying in Demat Suspense Account	261	33,033
Shareholders approached for transfer during the financial year 2010-11	15	1,896
Shareholders to whom shares were transferred during the year 2010-11	15	1,896
Balance as on 31.03.2011 lying in Demat Suspense Account	246	31,137

The voting rights on above mentioned 31,137 shares shall remain frozen till the rightful owner of these shares claims the same.

b) In Physical Form:

As per recent amendment to Clause 5A of the listing agreement the issuer has to follow uniform procedure to deal with unclaimed shares in physical form.

As per records available with Registrar & Transfer Agent (RTA) of the Bank, Datamatics Financial Services Ltd., there are 7 cases constituting 900 shares whose shares were issued in physical form at the time of IPO of the Bank in the year 2002 and are still unclaimed. As per listing guidelines, the issuer has to send atleast three reminders asking for the correct particulars. The prescribed guidelines with respect to sending three reminders, transferring these shares to Unclaimed Suspense Account, dematerialising these shares and freezing of voting rights are being duly adhered to.

9. Extent of Compliance with non-mandatory requirements of Listing Agreement

S.No.	Non-Mandatory Requirement	Extent of Compliance
1 (a)	**Board** A non-executive Chairman should be entitled to maintain a Chairman's Office at the company's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties	The Chairman of the Board is an Executive Director appointed by Govt. of India, hence, the clause is **not applicable** as it relates to maintenance of office by a non-executive Chairman.
1 (b)	Independent Directors may have a tenure not exceeding, in the aggregate, a period of nine years, on the Board of a company.	In terms of clause 9 of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the tenure of Elected Directors is fixed as three years with further re-election for another period of three years, provided that no such director shall hold office continuously for a period exceeding six years as against maximum number of nine years stipulated by the clause, hence the same is **complied with**.
2	**Remuneration Committee**	The Bank has formed a remuneration Committee in terms of Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division) letter no. F.No. 20/1/2005-BO.1 dated 9th March, 2007 to look into performance linked incentive payable to whole-time Directors of the Bank. The Committee comprises of four directors all of whom are non-executive directors. Hence **complied with.**
3	**Shareholder Rights** A half-yearly declaration of financial performance including summary of significant events in last six months, may be sent to each household of shareholders.	**Complied with**.
4	**Audit Qualification** Company may move towards a regime of unqualified financial statements.	There has been no audit qualification during the year under review, hence **complied with**.

5.	**Training of Board members**	The Bank has been updating the Board Members on latest developments through various in-house presentations. Besides the in-house presentantions, during the year under review, the bank had conducted a customized training programme for Directors of the Bank, titled "Board Orientation Programme" on issues related to Corporate Governance conducted by Mahindra & Ardneham Consulting Pvt. Ltd. Hence, the requirement is **complied with**.
6	**Mechanism for evaluating non-executive Board Members**	Composition of Board of Directors is regulated by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. Hence this clause is **not applicable**.
7	**Whistle Blower Policy**	The Bank has a Whistle Blower Policy in place and the functioning of the same is reviewed by the Audit Committee annually. Hence, **complied with**.

10 DECLARATION OF CODE OF CONDUCT

The Board has laid down a Code of Conduct for all the Board Members and Senior Management of the Bank and the same is posted on the website of the Bank. The Board Members and Senior Management have affirmed compliance with the Code of Conduct for the year 2010-11.

For **Union Bank of India**

(M.V. Nair)
Chairman and Managing Director

Place : Mumbai
Date : 06.05.2011

To

The Board of Directors
Union Bank of India
Mumbai.

Re: **Certificate Under Clause 49 of the Listing Agreement**

This is to certify that

(a) We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year (2010-11) and that to the best of our knowledge and belief:

(i) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

(ii) these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

(b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

(c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of internal controls, if any, of which we were aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

(d) We have indicated to the auditors and the Audit committee -

(i) significant changes in internal control over financial reporting during the year;

(ii) significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

(iii) instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

For Union Bank of India

(N S Mehta)
General Manager & CFO

(**M.V. Nair)**
Chairman & Managing Director

Place : Mumbai
Date : 6th May, 2011

TO THE MEMBERS OF UNION BANK OF INDIA

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Union Bank of India for the year ended on 31st March, 2011 as stipulated in Clause - 49 of the Listing Agreement of the said Bank with Stock Exchanges.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the abovementioned Listing Agreement.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank as per the records maintained by the shareholders/Investors Grievances Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For G. D. APTE & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(CHETAN R. SAPRE)
PARTNER (M. No. 116952)
Firm Regn. No.: 100515W

For JAGANNATHAN & SARABESWARAN
CHARTERED ACCOUNTANTS

(P S NARASIMHAN)
PARTNER (M. No.20936)
Firm Regn. No.: 001204S

For ARUN K. AGARWAL & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

(VIMAL KUMAR JAIN)
PARTNER (M. No.86657)
Firm Regn. No.: 003917N

For J. L. SENGUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(S. R. ANANTHAKRISHNAN)
PARTNER (M. No.18073)
Firm Regn. No.: 307092E

For OM PRAKASH S. CHAPLOT & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(MAHAVEER CHAPLOT)
PARTNER (M. No.403633)
Firm Regn. No.: 000127C

For G. S. MATHUR & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(RAJIV KUMAR WADHAVAN)
PARTNER (M. No.091007)
Firm Regn. No.: 008744N

Place : MUMBAI
Date : 6th May, 2011

AUDITORS' REPORT

To The Members

1. We have audited the accompanying financial statements of Union Bank of India as at March 31, 2011, which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2011, and Profit and Loss Account and the cash flow statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches audited by us and 2385 branches (including one foreign branch) audited by branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Statement of Profit and Loss are the returns from 611 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 0.68% of advances, 4.21% of deposits, 0.37% of interest income and 3.13% of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with the Banking Regulation Act, 1949 of India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosure in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. Without qualifying our opinion, we draw attention to Note No.4 of schedule 18, which describes deferment of pension liability of the Bank to the extent of ₹ 1352.17 crore pursuant to the circular issued by the Reserve Bank of India to the public sector banks on the provisions of AS 15, Employee Benefits (circular no. DBOD.BP.BC/80/21.04.018/2010-11 dated February 9, 2011) on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks.

7. In our opinion, as shown by the books of the bank, to the best of our information and according to the explanations given to us:

   (i) The Balance Sheet read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2011 in conformity with accounting principles generally accepted in India;

   (ii) The Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of the Profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and.

   (iii) The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements:

8. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms `A' and `B' respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

9. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

   a. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.

b. The transactions of the Bank, which have come to our notice have been within the powers of the Bank.

c. The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

10. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

For G. D. APTE & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(CHETAN R. SAPRE)
PARTNER (M. No. 116952)
Firm Regn. No.: 100515W

For JAGANNATHAN & SARABESWARAN
CHARTERED ACCOUNTANTS

(P S NARASIMHAN)
PARTNER (M. No.20936)
Firm Regn. No.: 001204S

For ARUN K. AGARWAL & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

(VIMAL KUMAR JAIN)
PARTNER (M. No.86657)
Firm Regn. No.: 003917N

For J. L. SENGUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(S. R. ANANTHAKRISHNAN)
PARTNER (M. No.18073)
Firm Regn. No.: 307092E

For OM PRAKASH S. CHAPLOT & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(MAHAVEER CHAPLOT)
PARTNER (M. No.403633)
Firm Regn. No.: 000127C

For G. S. MATHUR & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(RAJIV KUMAR WADHAVAN)
PARTNER (M. No.091007)
Firm Regn. No.: 008744N

Place : MUMBAI

Date : 6th May, 2011

BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2011

(000' Omitted)

	Schedule	As on 31.3.2011	As on 31.3.2010
Capital and Liabilities			
Capital	**01**	**6,35,33,24**	5,05,11,79
Reserves and Surplus	**02**	**1,21,29,19,02**	99,18,66,29
Deposits	**03**	**20,24,61,28,53**	17,00,39,74,14
Borrowings	**04**	**1,33,15,96,97**	92,15,30,64
Other Liabilities and Provisions	**05**	**74,42,66,94**	54,83,01,44
Total		**23,59,84,44,70**	19,51,61,84,30
Assets			
Cash and Balances with Reserve Bank Of India	**06**	**1,76,10,45,32**	1,24,68,24,43
Balances with Banks and money at call and short notice	**07**	**24,87,99,06**	33,08,44,96
Investments	**08**	**5,83,99,13,72**	5,44,03,52,71
Advances	**09**	**15,09,86,08,32**	11,93,15,29,86
Fixed Assets	**10**	**22,92,78,42**	23,05,43,82
Other Assets	**11**	**42,07,99,86**	33,60,88,52
Total		**23,59,84,44,70**	19,51,61,84,30
Contingent Liabilities	**12**	**15,94,27,81,97**	7,23,38,05,14
Bills for Collection		**52,58,37,22**	45,65,80,31
Significant accounting policies	**17**		
Notes on Accounts	**18**		

The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet

V. H. KAMATH ASST. GEN. MANAGER	**N.S.MEHTA** GENERAL MANAGER	**S. S. MUNDRA** EXECUTIVE DIRECTOR	**S. C. KALIA** EXECUTIVE DIRECTOR	**M.V. NAIR** CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR
MEENA HEMCHANDRA DIRECTOR	**B. M. SHARMA** DIRECTOR	**N SHANKAR** DIRECTOR	**DR. GULFAM MUJIBI** DIRECTOR	**PROF. M.S.SRIRAM** DIRECTOR
ARUN KUMAR NANDA DIRECTOR	**S. RAVI** DIRECTOR			

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED

For G. D. APTE & Co. CHARTERED ACCOUNTANTS	**For JAGANNATHAN & SARABESWARAN** CHARTERED ACCOUNTANTS	**For J. L. SENGUPTA & CO.** CHARTERED ACCOUNTANTS
(CHETAN R. SAPRE) PARTNER (M.No. 116952) Firm Regn. No.: 100515W	**(P S NARASIMHAN)** PARTNER (M.No.20936) Firm Regn. No.: 001204S	**(S. R. ANANTHAKRISHNAN)** PARTNER (M.No.18073) Firm Regn. No.: 307092E
For ARUN K. AGARWAL & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS	**For OM PRAKASH S. CHAPLOT & CO.** CHARTERED ACCOUNTANTS	**For G. S. MATHUR & CO.** CHARTERED ACCOUNTANTS
(VIMAL KUMAR JAIN) PARTNER (M. No.86657) Firm Regn. No.: 003917N	**(MAHAVEER CHAPLOT)** PARTNER (M. No.403633) Firm Regn. No.: 000127C	**(RAJIV KUMAR WADHAWAN)** PARTNER (M. No.091007) Firm Regn. No.: 008744N

Place : Mumbai
Date : 06.05.2011

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2011

(000' Omitted)

		Schedule	Year Ended 31.3.2011	Year Ended 31.3.2010
I.	**Income**			
	Interest earned	**13**	**1,64,52,61,50**	1,33,02,67,91
	Other income	**14**	**20,38,78,37**	19,74,74,01
	Total		**1,84,91,39,87**	1,52,77,41,92
II.	**Expenditure**			
	Interest expended	**15**	**1,02,36,41,71**	91,10,26,74
	Operating expenses	**16**	**39,49,99,71**	25,07,84,75
	Provisions and contingencies		**22,23,03,73**	15,84,38,56
	Total		**1,64,09,45,15**	1,32,02,50,05
III.	**Net profit for the year**		**20,81,94,72**	20,74,91,87
	Add : Profit brought forward		**1,63,27**	83,40
	Total		**20,83,57,99**	20,75,75,27
IV.	**Appropriations**			
	Transfer to statutory reserve		**6,25,00,00**	6,25,00,00
	Transfer to capital reserve		**61,20,07**	1,00,09,05
	Transfer to revenue and other reserves		**6,22,00,00**	5,72,00,00
	Proposed dividend		**4,19,46,59**	2,77,81,49
	Dividend tax		**68,59,50**	47,21,46
	Transfer to special reserve [sec36(i)(viii)]		**2,82,00,00**	4,52,00,00
	Provision for int. on PNCPS		**5,15,92**	0
	Balance in Profit and Loss Account		**15,91**	1,63,27
	Total		**20,83,57,99**	20,75,75,27
	Earnings per share (basic and diluted)		**39.71**	41.08

The Schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account

V. H. KAMATH ASST. GEN. MANAGER	**N.S.MEHTA** GENERAL MANAGER	**S. S. MUNDRA** EXECUTIVE DIRECTOR	**S. C. KALIA** EXECUTIVE DIRECTOR	**M.V. NAIR** CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR
MEENA HEMCHANDRA DIRECTOR	**B. M. SHARMA** DIRECTOR	**N SHANKAR** DIRECTOR	**DR. GULFAM MUJIBI** DIRECTOR	**PROF. M.S.SRIRAM** DIRECTOR
ARUN KUMAR NANDA DIRECTOR	**S. RAVI** DIRECTOR			

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED

For G. D. APTE & Co. CHARTERED ACCOUNTANTS	**For JAGANNATHAN & SARABESWARAN** CHARTERED ACCOUNTANTS	**For J. L. SENGUPTA & CO.** CHARTERED ACCOUNTANTS
(CHETAN R. SAPRE) PARTNER (M.No. 116952) Firm Regn. No.: 100515W	**(P S NARASIMHAN)** PARTNER (M.No.20936) Firm Regn. No.: 001204S	**(S. R. ANANTHAKRISHNAN)** PARTNER (M.No.18073) Firm Regn. No.: 307092E
For ARUN K. AGARWAL & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS	**For OM PRAKASH S. CHAPLOT & CO.** CHARTERED ACCOUNTANTS	**For G. S. MATHUR & CO.** CHARTERED ACCOUNTANTS
(VIMAL KUMAR JAIN) PARTNER (M. No.86657) Firm Regn. No.: 003917N	**(MAHAVEER CHAPLOT)** PARTNER (M. No.403633) Firm Regn. No.: 000127C	**(RAJIV KUMAR WADHAWAN)** PARTNER (M. No.091007) Firm Regn. No.: 008744N

Place : Mumbai
Date : 06.05.2011

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2011

(000' Omitted)

		As on 31.3.2011		As on 31.3.2010
SCHEDULE 1 - CAPITAL :				
I. Authorised :				
300,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10 each		**30,00,00,00**		**30,00,00,00**
II. Issued, Subscribed & Paid up :				
i. 29,92,14,515 Equity Shares of ₹ 10 each, held by Central Government (P.Y. 28,00,00,000 Equity Shares)		**2,99,21,45**		2,80,00,00
ii. 22,51,17,900 Equity Shares of ₹ 10 each, held by Public		**2,25,11,79**		2,25,11,79
III. Perpetual No-Cumulative Pref. Shares Addition During The Year		**1,11,00,00**		0
TOTAL		**6,35,33,24**		**5,05,11,79**
SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS				
I. Statutory Reserve :				
As per last Balance Sheet	**32,73,00,00**		26,48,00,00	
Addition during the year	**6,25,00,00**	**38,98,00,00**	6,25,00,00	32,73,00,00
II. Capital Reserve :				
As per last Balance Sheet	**6,04,31,98**		5,04,22,93	
Addition during the year	**61,20,07**	**6,65,52,05**	1,00,09,05	6,04,31,98
III. Share Premium				
As per last Balance Sheet	**5,32,35,57**		5,32,35,57	
Addition during the year	**6,62,78,55**	**11,95,14,12**	0	5,32,35,57
IV. Revaluation Reserve				
As per last Balance Sheet	**16,15,96,87**		16,85,97,86	
Deduction during the year	**42,12,80**	**15,73,84,07**	70,00,99	16,15,96,87
V. Revenue and other Reserves				
i) Revenue and other Reserves :				
As per last Balance Sheet	**24,15,00,00**		18,43,00,00	
Addition during the year	**6,22,00,00**		5,72,00,00	
Total	**30,37,00,00**		24,15,00,00	
ii) Special Reserve Sec 36(1)(viii)				
As per last Balance Sheet	**14,72,00,00**		10,20,00,00	
Addition during the year	**2,82,00,00**		4,52,00,00	
Total	**17,54,00,00**		14,72,00,00	
iii) Foreign Currency Translation Reserve				
As per last Balance Sheet	**4,38,59**		83,90	
Addition during the year	**1,14,28**		3,54,69	
Total	**5,52,87**	**47,96,52,87**	4,38,59	38,91,38,59
VI. Balance in Profit and Loss Account				
Balance in Profit and Loss Account		**15,91**		1,63,27
TOTAL		**1,21,29,19,02**		**99,18,66,29**

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2011

(000' Omitted)

			As on 31.3.2011		As on 31.3.2010
SCHEDULE 3 - DEPOSITS					
I.	**Demand Deposits**				
	i) From Banks	**9,14,81,37**		10,71,32,85	
	ii) From Others	**1,87,03,18,45**	**1,96,17,99,82**	1,51,57,89,33	1,62,29,22,18
II.	**Savings Bank Deposits**		**4,46,89,17,47**		3,77,27,75,32
III.	**Term Deposits**				
	i) From Banks	**56,36,30,09**		44,72,78,02	
	ii) From Others	**13,25,17,81,15**	**3,81,54,11,24**	1,16,09,98,62	1,60,82,76,64
	TOTAL		**20,24,61,28,53**		17,00,39,74,14
	Deposits of branches in India		**20,18,70,35,62**		16,96,69,95,94
	Deposits of branches outside India		**5,90,92,91**		3,69,78,20
	TOTAL		**20,24,61,28,53**		17,00,39,74,14
SCHEDULE 4 - BORROWINGS					
I.	**A) Borrowings : Capital Instruments**				
	I. Perpetual Bonds	**10,40,00,00**		10,40,00,00	
	II. Upper Tier II Capital	**22,50,00,00**		17,50,00,00	
	III. Unsecured Redeemable Bonds	**29,00,00,00**		33,00,00,00	
	B) Borrowings in India				
	I. Reserve Bank of India	**2,30,00,00**		0	
	i. Other Banks	**0**		0	
	ii. Other Institutions and agencies	**1,95,72,24**	**66,15,72,24**	1,83,89,12	62,73,89,12
II.	**Borrowings Outside India**		**67,00,24,73**		29,41,41,52
	TOTAL		**1,33,15,96,97**		92,15,30,64
	Secured Borrowings included in I & II above		**1,35,01,05**		2,82,10
SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS					
I.	Bills payable		**16,46,65,46**		17,96,90,08
II.	Interest Accrued		**6,15,78,06**		5,25,68,56
III.	Deferred Tax Liability		**34,06,51**		0
IV.	Others (including provisions)				
			51,46,16,91		31,60,42,80
	TOTAL		**74,42,66,94**		54,83,01,44
SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK					
I.	Cash in hand (including foreign currency notes)		**4,01,95,79**		3,92,61,47
II.	Balances with Reserve Bank of India In current Account		**1,72,08,49,53**		1,20,75,62,95
	TOTAL		**1,76,10,45,32**		1,24,68,24,42

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2011

(000' Omitted)

			As on 31.3.2011		As on 31.3.2010
SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE					
I.	Balances with banks in India				
i)	a) In Current Accounts	**2,18,38,38**		3,85,63,10	
	b) In Other Deposit Accounts	**4,35,00,00**		7,07,50,00	
ii)	Money at Call and short notice				
	- with Banks	**0**		5,75,00,00	
	- with Other Institutions	**0**		75,00,00	
	- CBLO Lending	**0**	**6,53,38,38**	8,99,43,55	26,42,56,65
II.	Outside India				
i)	In Current Accounts	**1,12,47,67**		82,91,77	
ii)	In other Deposit Accounts	**17,22,13,01**	**18,34,60,68**	5,82,96,54	6,65,88,31
iii)	Money at call and short notice	**0**	**0**	0	0
	TOTAL		**24,87,99,06**		33,08,44,96
SCHEDULE 8 - INVESTMENTS					
I.	**Investments in India**				
i)	Government Securities		**4,64,06,05,74**		4,26,52,85,46
ii)	Other approved securities		**94,42,61**		1,76,30,99
iii)	Shares		**7,43,69,91**		6,82,25,67
iv)	Debentures and Bonds		**32,08,59,69**		34,95,01,08
v)	Subsidiaries and joint ventures		**1,32,63,19**		67,63,19
vi)	Others				
	- Commercial Paper	**5,84,79,03**		4,15,54,97	
	- Certificates of Deposits	**42,56,50,84**		45,93,20,39	
	- Mutual Funds	**3,69,73,74**		4,05,22,66	
	- RIDF	**24,97,68,66**		19,04,77,69	
	- Security Receipt by ARCIL	**40,97,19**	**77,49,69,46**	5,88,55	73,24,64,26
	Total		**5,83,35,10,60**		5,43,98,70,65
II.	**Investments outside India**				
i)	Govt. Securities (Incuding Local Authorities)		**63,83,23**		4,62,17
ii)	Shares		**19,89**		19,89
	Total		**64,03,12**		4,82,06
	TOTAL		**5,83,99,13,72**		5,44,03,52,71
II.	**i) Investments in India**				
	Gross Value		**5,84,40,74,51**		5,44,78,19,52
	Provision for Depreciation		**1,05,63,90**		79,48,87
	Net Value		**5,83,35,10,61**		5,43,98,70,65
ii)	Investments outside India				
	Gross Value/Net Value		**64,03,11**		4,82,06
	TOTAL		**5,83,99,13,72**		5,44,03,52,71

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2011

(000' Omitted)

			As on 31.3.2011	As on 31.3.2010
SCHEDULE 9 - ADVANCES				
I.	i)	Bills purchased and discounted	**64,51,53,60**	47,61,93,40
	ii)	Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	**7,96,27,50,98**	6,23,71,18,00
	iii)	Term Loans	**6,49,07,03,74**	5,21,82,18,46
		TOTAL	**15,09,86,08,32**	11,93,15,29,86
II.	i)	Secured by tangible assets (includes Advance against Book Debts)	**11,30,92,24,73**	8,84,39,17,52
	ii)	Covered by Bank/Government Guarantees	**58,70,06,90**	41,05,41,85
	iii)	Unsecured	**3,20,23,76,69**	2,67,70,70,49
		TOTAL	**15,09,86,08,32**	11,93,15,29,86
A.	**Advances in India**			
	i)	Priority Sector	**4,83,78,76,27**	4,18,09,72,10
	ii)	Public Sector	**1,37,24,52,67**	70,79,63,28
	iii)	Banks	**87,53,49,96**	26,12,18,72
	iv)	Others	**7,41,87,78,77**	6,48,37,14,82
		TOTAL A	**14,50,44,57,67**	11,63,38,68,92
B.	**Advances Outside India**			
	Due from Others			
	a)	Bills Purchased and Discounted	**1,60,88,74**	1,42,45,53
	b)	Syndicated loans	**57,68,32,67**	28,23,77,6
	c)	Others	**12,29,24**	10,37,77
		TOTAL B	**59,41,50,65**	29,76,60,94
		TOTAL (A + B)	**15,09,86,08,32**	11,93,15,29,86

SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS						
A.	**TANGIBLE ASSETS**					
I.	**Premises**					
	At cost/valuation as per last Balance Sheet	**21,14,90,84**		21,12,18,30		
	Additions during the year	**14,09,19**		2,72,54		
		21,29,00,03		21,14,90,84		
	Less: Depreciation to date	**3,86,17,94**	**17,42,82,09**	3,34,81,30		17,80,09,54
II.	**Capital Work in Progress**					
	At cost as per last Balance Sheet	**9,96,23**		7,85,65		
	Additions during the year	**4,82,79**		3,31,51		
	Deductions during the year	**1,20,87**	**13,58,15**	1,20,93		9,96,23
III.	**Land**					
	At cost as per last Balance Sheet	**13,52,04**		13,52,04		
		13,52,04		13,52,04		
	Less : Depreciation to date	**2,22,60**	**11,29,44**	2,15,09		11,36,95

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2011

(000' Omitted)

		As on 31.3.2011		As on 31.3.2010	
IV.	**Other Fixed Assets**				
	(including Furniture and Fixtures)				
	a) Assets given on lease				
	At cost as per last Balance Sheet	**31,04,77**		31,04,77	
	Less: Depreciation to date	**31,04,77**		31,04,77	
		0		0	
	b) Others				
	At cost/valuation as per last Balance Sheet	**12,20,00,15**		10,37,70,97	
	Additions during the year	**1,62,83,13**		1,95,34,16	
		13,82,83,28		12,33,05,13	
	Deductions during the year	**44,47,09**		13,04,98	
		13,38,36,19		12,20,00,15	
	Less: Depreciation to date	**8,26,91,49**		7,33,49,15	
		5,11,44,70	**5,11,44,70**	4,86,51,00	4,86,51,00
B.	**INTANGIBLE ASSETS**				
	Computer Software				
	At cost as per last Balance Sheet	**76,45,64**		72,12,65	
	Additions during the year	**10,02,60**		4,32,99	
		86,48,24		76,45,64	
	Amortisation till date	**72,84,20**	**13,64,04**	58,95,54	17,50,10
	TOTAL		**22,92,78,42**		23,05,43,82
SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS :					
I.	Inter-office adjustments (net)		**6,36,68,34**		7,63,80,26
II.	Interest accrued		**12,43,35,93**		10,36,88,12
III.	Tax paid/Tax deducted at source (net of provision)		**-4,19,55,47**		4,26,14,36
IV.	Stationery and stamps		**8,54,91**		10,04,33
V.	Non-Banking assets acquired in satisfaction of claims		**3,90**		3,90
VI.	Deffered Tax Assets		**0**		32,38,48
VII.	Others		**27,38,92,25**		10,91,59,07
	TOTAL		**42,07,99,86**		33,60,88,52
SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES					
I.	Claims against the bank not acknowledged		**12,47,99,00**		8,40,16,54
II.	Liability for partly paid investments		**59,20**		59,20
III.	Liability on account of outstanding forward exchange contracts		**13,32,27,01,83**		5,14,14,08,52
IV.	Guarantees given on behalf of Constituents				
	i) In India	**1,31,39,09,08**		1,10,21,30,40	
	ii) Outside India	**92,98,73**	**1,32,32,07,81**	1,95,25,42	1,12,16,55,82
V.	Acceptances, endorsements and other obligations		**1,13,93,82,57**		86,61,54,85
VI.	Other items for which the bank is contingently liable				
	i) Disputed Tax demands under appeals	**3,16,94,00**		1,98,00,00	
	ii) Others	**9,37,56**	**3,26,31,56**	7,10,21	2,05,10,21
	TOTAL		**15,94,27,81,97**		7,23,38,05,14

SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2011

(000' Omitted)

	Year Ended 31.3.2011	Year Ended 31.3.2010
SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED		
I. Interest/discount on advances/bills	**1,20,31,24,06**	96,96,35,35
II. Income on investments	**40,02,67,64**	34,82,30,36
III. Interest on balances with RBI & other inter bank funds	**1,61,09,62**	55,33,26
IV. Others	**2,57,60,18**	68,68,94
TOTAL	**1,64,52,61,50**	1,33,02,67,91
SCHEDULE 14 - OTHER INCOME		
I. Commission, Exchange and Brokerage	**3,64,93,97**	3,51,76,46
II. Profit on sale of investments - net	**4,64,38,49**	5,72,78,31
III. Profit on sale of land, buildings & other assets - net	**-35,91**	-64,12
IV. Profit on exchange transactions - net	**4,29,01,34**	3,22,67,58
V. Miscellaneous Income	**7,80,80,48**	7,28,15,78
TOTAL	**20,38,78,37**	19,74,74,01
SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED		
I. Interest on deposits	**95,37,94,00**	85,27,76,59
II. Interest on Reserve Bank of India/Inter-bank borrowing	**1,13,44,43**	1,01,02,48
III. Others	**5,85,03,28**	4,81,47,66
TOTAL	**1,02,36,41,71**	91,10,26,73
SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES		
I. Payments to and provisions for employees	**25,99,68,95**	13,54,49,88
II. Rent, taxes and lighting	**2,35,21,09**	2,05,48,82
III. Printing and stationery	**33,62,90**	32,14,07
IV. Advertisement and publicity	**94,07,76**	38,98,42
V. Depreciation on Bank's property	**1,55,65,93**	1,60,14,28
VI. Directors' fees, allowances and expenses	**1,03,12**	90,69
VII. Remuneration to Managing/Executive Director	**56,33**	48,94
VIII. Auditors' fees and expenses(including branch auditors)	**21,39,00**	27,45,38
IX. Law Charges	**10,29,57**	11,19,71
X. Postage, Telegrams, Telephones, etc.	**43,29,75**	58,23,03
XI. Repairs and maintenance	**56,03,27**	50,12,53
XII. Insurance	**1,75,86,10**	1,61,26,13
XIII. Other expenditure	**5,23,25,94**	4,06,92,87
TOTAL	**39,49,99,71**	25,07,84,75

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR 2010-2011

SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES :

1 Accounting Convention

The accompanying financial statements are prepared by following going concern concept and on historical cost basis unless otherwise stated and conform to the statutory provisions and generally accepted accounting practices prevailing in India.

2 Revenue Recognition

i) Income and Expenditure is generally accounted for on accrual basis unless otherwise stated.

ii) Income on Non-performing Assets (NPAs) is recognised to the extent realised as per the prudential norms prescribed by the Reserve Bank of India. Income accounted for in the preceding year and remaining unrealized is derecognised in respect of assets classified as NPAs during the year.

iii) Commission, exchange and brokerage earned, rent on Safe Deposit Lockers and commission on bio matrix card are accounted for on realization basis.

3 Investments

i) In conformity of the requirements in form A of the Third Schedule to the Banking Regulations Act, 1949, investments are classified as under:

a) Government Securities

b) Other Approved Securities

c) Shares

d) Debentures & Bonds

e) Investments in Subsidiaries & Joint Ventures, and

f) Other Investments

The Investment portfolio of the Bank is further classified in accordance with the Reserve Bank of India guidelines into three categories viz.,

a) Held to Maturity (HTM)

b) Available for Sale (AFS)

c) Held for Trading (HFT)

ii) As per Reserve Bank of India guidelines, the following principles have been adopted for the purpose of valuation:

a) i) Securities held in "Held to Maturity" – at acquisition cost.

The excess of acquisition cost over the face value is amortised over the remaining period of maturity.

ii) Investments in Regional Rural Banks are valued at carrying cost.

iii) Investments in Subsidiaries and Joint Ventures are valued at carrying cost.

Permanent diminution, if any, in valuation of such investments is provided for.

b) i) Securities held in "Available for Sale" and "Held for Trading" categories are valued classification-wise and scrip-wise and net depreciation, if any, in each classification is charged to Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored.

ii) Valuation of securities is arrived at as follows:

i	Govt. of India Securities	As per quotations put out by Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA)
ii	State Development Loans, Securities guaranteed by Central / State Government, PSU Bonds	On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA
iii	Equity Shares	As per market rates, if quoted, otherwise at Book value as per latest **Audited** Balance Sheet (not more than 1 year old). **In the absence of both** at Re 1/- per company.
iv	Preference Shares	As per market rates, if quoted, if quoted, or on appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per FIMMDA guidelines
v	Debentures/**Bonds**	As per market rates, if quoted, otherwise on appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA guidelines.
vi	Mutual Funds	As per stock exchange quotations, if quoted. **In case of unquoted units, as per latest Repurchase price declared by MF. In cases where latest repurchase price is not available, as per Net Asset Value (NAV)**
vii	Treasury Bills / Certificate of Deposits / Commercial papers	At carrying cost

viii	Venture Capital Funds	At declared NAV or Break-up NAV as per audited Balance sheet which is not more than 18 months old. If NAV / audited financial statements for more than 18 months continuously are not available, at Re.1/- per VCF
ix	Security Receipts	At NAV as declared by Securitisation companies

iii) Inter bank REPO/ Reverse REPO transactions are accounted for in accordance with extant RBI guidelines.

iv) As per the extant RBI guidelines, the shifting of securities from one category to another is accounted for as follows:

- From AFS/HFT categories to HTM category, at lower of book value or market value as on the date of shifting. Depreciation, if any, is fully provided for.
- From HTM category to AFS/HFT category,
- If the security is originally placed at discount in HTM category, at acquisition cost/ book value
- If the security is originally placed at a premium, at amortised cost.

  The securities so shifted are revalued immediately and resultant depreciation is fully provided for.
- From AFS to HFT category and vice versa, at book value.

v) The non-performing investments are identified and depreciation/ provision is made as per RBI guidelines.

vi) Profit/ loss on sale of investments in any category is taken to the Profit and Loss account. However, in case of profit on sale of investments in "Held to Maturity" category, an equivalent amount (net of taxes and net of transfer to Statutory Reserves) is appropriated to the Capital Reserve account.

vii) Commission, brokerage, broken period interest etc on securities are debited/credited to Profit & Loss Account.

viii) As per the extant RBI guidelines, bank follows 'Settlement Date' for accounting of investments transactions.

Derivative Contracts

i) The Interest Rate Swap which hedges interest bearing asset or liability are accounted for on accrual basis except the swap designated with an asset or liability that is carried at market value or lower of cost or market value in the financial statement. Gains or losses on the termination of swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the asset/liability.

ii) Trading swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements.

iii) In the case of option contracts, guidelines issued by FEDAI from time to time for recognition of income, premium and discount are being followed.

4 Advances

i) All advances are classified under four categories, i.e. (a) Standard, (b) Sub-standard, (c) Doubtful and (d) Loss assets. Provisions required on such advances are made as per the extant prudential norms issued by the Reserve Bank of India.

ii) Certain category of standard advances such as loans for consumer durables, educational loans, loans through credit cards and other personal loans carries an additional provision of 2% over and above the statutory requirement.

iii) Advances are stated net of provisions and unrecovered interest held in sundry / claims received from CGTF / ECGC relating to non-performing assets. The provision on standard advances is held in "Other Liabilities and Provisions".

5 Floating Provisions

In accordance with the Reserve Bank of India guidelines, the Bank has an approved policy to set apart 1% of gross NPAs as floating provisions for advances till the coverage comes up to 100% of the gross NPAs.

6 Fixed Assets

i) Fixed Assets are stated at historical cost. Revalued Land and Buildings are stated at revalued amount.

ii) Software systems are capitalized as intangible assets.

iii) Depreciation on Fixed Assets is provided for on the diminishing balance method at the rates considered appropriate by the management as under:

	Type of Asset	Rate of Depreciation
I.	Premises	5 %
II.	Other Fixed Assets	
	- Furniture and Fittings	10 %
	- Electric Fittings and Equipment, Office Appliances and SDV Lockers/Strong rooms etc.	15 %
	- Transport Vehicles	20 %
	- U.P.S.	33.33 %
III.	On the amount added consequent upon revaluation of the assets	over the economic residual life of the respective assets

iv) Depreciation on computers and software is provided at 33.33% on straight-line method.

v) Depreciation on additions to assets made upto 30th September of the year is provided at full rate and on additions made thereafter, at half the rate.

vi) Depreciation on premises is provided on composite cost, wherever the value of land and buildings is not separately identifiable.

vii) No depreciation is provided on assets sold / disposed off during the year.

viii) Leasehold land is amortised over the period of lease.

7 Transactions involving Foreign Exchange

Revaluation of Foreign Currency Position and booking Profits / Losses:

i) Monetary assets and liabilities are revalued at the exchange rates notified by FEDAI at the close of the year and resultant gain / loss is recognized in the Profit and Loss Account.

ii) Income and Expenditure items are recognised at the exchange rates prevailing on the date of the transaction.

iii) Forward exchange contracts are recorded at the exchange rate prevailing on the date of commitment. Outstanding forward exchange contracts are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities and at interpolated rates for contracts of 'in-between' maturities. The resultant gains or losses are recognised in the profit and loss account.

iv) Contingent liabilities on account of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated at the exchange rates notified by FEDAI at the close of the year.

v) Representative offices of the bank outside India are treated as Integral Operation Unit as per RBI guidelines.

8 Accounting for Non – Integral foreign operations

Offshore Banking Units (OBU) and foreign branches are classified as non- integral foreign operations.

a) Offshore Banking Unit (OBU) & Foreign Branch:

i. Assets and Liabilities (both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year-end.

ii. Income and expenses are translated at the quarterly average closing rate notified by FEDAI at the end of respective quarter.

iii. All resulting exchange differences are accumulated in 'Foreign Currency Translation Reserve'.

b) Foreign Branch:

i) Revenue Recognition

Income and expenditure are recognized / accounted for as per the local laws of the respective countries.

ii) Asset Classification and Loan loss Provisioning

Asset classification and loan loss provisioning are made as per local requirement or as per RBI guidelines whichever is more stringent.

iii) Fixed Assets and Depreciation

a) Fixed Assets are accounted for at historical cost

b) Depreciation on fixed assets of foreign branch is provided as per the applicable laws of the respective countries.

9 Employee Benefits

Annual contribution to Gratuity Fund, Pension Fund and provision towards leave are accounted for on the basis of actuarial valuation and contribution to the Provident Fund is charged to Profit and Loss Account. Net actuarial gains and losses are recognized during the year.

10 Taxation

Provision for Tax is made for both current and deferred taxes. Current tax is provided on the taxable income using applicable tax rate and tax laws. Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognized unless there is 'reasonable certainty' that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized. In case of carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses, deferred tax assets are recognized only if there is "virtual certainty".

11 Provisions, contingent liabilities and contingent assets

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that there will be an outflow of resources and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. Contingent Assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements. Contingent liabilities are not provided for and are disclosed by way of notes.

SCHEDULE 18 – NOTES ON ACCOUNTS:

1 BALANCING OF BOOKS, RECONCILIATION OF INTER BRANCH / BANK TRANSACTIONS:

i) Confirmation / reconciliation of balances with foreign and other banks has been obtained /carried out except in a few cases and reconciliation is in progress.

ii) Adjustment of outstanding entries in Suspense Accounts, Sundry Deposits, Clearing Adjustments and various inter-branch/office accounts is in progress. Reconciliation of Central Office Accounts maintained by branches has been completed up to 31st March 2011.

iii) Pending final clearance of (i) and (ii) above, the overall impact, if any, on the accounts, in the opinion of the management will not be significant.

2 INVESTMENTS

i) As per RBI guidelines, an amount of ₹ 61.20 crore (previous year ₹ 100.09 crore), being an amount equivalent to the profit on sale of "Held to Maturity" category securities is transferred to "Capital Reserve Account".

ii) In respect of "Held to Maturity" category, as stated in significant Accounting Policy No.3, the excess of acquisition cost over face value of the securities amortised during the year amounted to ₹ 79.06 crore (previous year ₹ 96.21 crore).

iii) Total investments made in shares, convertible debentures and units of equity linked mutual funds / venture capital funds and also advances against shares aggregate to ₹ 1362.33 crore (previous year ₹ 1289.39 crore).

3 FIXED ASSETS

Documentation formalities are yet to be completed in respect of five immovable properties held by the Bank at written down value of ₹ 6.50 crores (previous year ₹ 6.84 crores) in respect of which steps have already been initiated. Land and Buildings revalued as on 31st March,1995 at fair market value as determined by an approved valuer, have further been revalued as on 30th November, 2007 at fair market value by approved value ₹ The resultant increase in value thereof on such revaluations amounting to ₹ 456.59 crore as on 31st March, 1995 and ₹ 1,290.68 crore as on 30th November, 2007 have been credited to Revaluation Reserve and depreciation amounting to ₹ 42.06 crore (previous year ₹ 69.94 crore) attributable thereto has been deducted there from.

4 FUNDS RAISED RANKING FOR TIER I AND TIER II CAPITAL

During the year, the Bank has raised additional funds ranking for Tier - II capital by way of issue of Upper Tier II Bonds of ₹ 500 crores (previous year: Upper Tier II Bonds of ₹ 200 crore, Perpetual Bonds of ₹ 240 crore and sub-ordinated Bonds of ₹ 1000 crore) and the amount is reflected under "Borrowings" in Schedule 4 of the Balance Sheet.

During the year bank has allotted 11,10,00,000 Perpetual Non-cumulative Preference Shares (PNCPS) of ₹ 10/- each to Govt. of India, carrying annual floating coupon benchmarked to Repo rate with a spread of 100 bps. to be readjusted annually based on the prevailing Repo rate on the relevant date.

During the year, the bank has allotted on preferential basis 1,92,14,515 equity shares of ₹ 10/- each at a premium of ₹ 344.94, to Govt. of India. Consequently the Government share holding has increased from 55.43% to 57.06%.

5 PROVISION ON STANDARD ADVANCES

As per RBI guidelines, provision for Standard Advances and credit risk exposure on derivatives amounts to ₹ 663.77 crore (previous year ₹ 516.06 crore). For certain category of standard advances such as loans for consumer durables, educational loans, loans through credit cards and other personal loans, additional provision of 2% amounting to ₹ 76.07 crore (previous year ₹ 52.38 crore) over and above the statutory requirement has been made.

6 ADDITIONAL DISCLOSURES IN TERMS OF THE RESERVE BANK OF INDIA GUIDELINES :

6.1 Capital

(₹ in crore)

		31.03.2011	31.03.2010
i)	CRAR (%)	12.95	12.51
ii)	CRAR - Tier I Capital (%)	8.69	7.91
iii)	CRAR - Tier II Capital (%)	4.26	4.60
iv)	Percentage of the shareholding of the Government of India.	57.06	55.43
v)	Amount raised by issue of IPDI	-	200.00
vi)	Amount raised by issue of Upper Tier II instruments	500.00	1000.00

6.2 Investments

(₹ in crore)

	Particulars	31.03.2011	31.03.2010
1	Value of Investments		
i)	Gross Value of Investments	58504.78	54483.02
	(a) In India	58440.75	54478.20
	(b) Outside India	64.03	4.82
ii)	Provisions for Depreciation	105.64	79.49
	(a) In India	105.64	79.49
	(b) Outside India	-	-
iii)	Net Value of Investments	58399.14	54403.53
	(a) In India	58335.11	54398.71
	(b) Outside India	64.03	4.82

	Particulars	31.03.2011	31.03.2010
2	Movement of provisions held towards depreciation on investments		
i)	Opening balance	79.49	196.83
ii)	Add: Provisions made during the year	60.28	0.50
iii)	Less: Write-off/write-back of excess provisions during the year	34.13	117.84
iv)	Closing balance	105.64	79.49

6.2.1 REPO Transactions

(₹ in crore)

		Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	As on 31.03.2011
A	Securities sold under Repos				
	i) Government securities	-	200.00	1.64	-
	ii) Corporate debt securities	-	-	-	-
B	Securities purchased under reverse repos				
	i) Government securities	-	1734.28	72.07	-
	ii) Corporate debt securities	-	-	-	-

6.2.2 Non-SLR Investment Portfolio

i. Issuer composition of Non SLR Investments

(₹ in crore)

No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Unrated' Securities #	Extent of 'Unlisted' Securities #
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i)	PSUs	370.73	77.36	-	1.83	1.83
ii)	FIs	3857.76	3392.58	-	-	-
iii)	Banks	5165.88	623.76	-	-	7.00
iv)	Private Corporate	2033.68	1104.43	-	1.13	34.17
v)	Subsidiaries/ Joint Ventures*	113.48	113.48	-	-	-
vi)	Others	369.94	295.08	-	0.20	0.20
vii)	Provision held towards depreciation	(95.81)	-	-	-	-
	Total	**11815.66**	**5606.69**	**-**	**3.16**	**43.20**

	31.03.2011	31.03.2010
Shares	743.69	682.26
Debentures and Bonds	3208.59	3,495.01
Subsidiaries and Joint Ventures	113.48	48.48
Others	7749.90	7,324.85
TOTAL	**11815.66**	**11,550.60**

* Investments of ₹ 19.16 crore in Subsidiaries and Joint Ventures in Schedule 8 to Balance Sheet includes Bank's investment in shares of Regional Rural Banks which are SLR investments.

Unrated & unlisted securities disclosed includes only Ratings and Listing of securities required as per extant RBI guidelines.

ii. Non performing Non-SLR investments

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2011	31.03.2010
Opening balance	5.93	5.54
Additions during the year since 1st April	53.14	0.50
Reductions during the year above period	4.55	0.11
Closing balance	54.52	5.93
Total provisions held	54.52	5.93

6.3 Derivatives

6.3.1 Forward Rate Agreement/Interest Rate Swap

(₹ in crore)

		31.03.2011	31.03.2010
i)	The notional principal of swap agreements	1895.95	699.00
ii)	Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements	13.21	14.70
iii)	Collateral required by the bank upon entering into swaps	Nil	Nil
iv)	Concentration of credit risk arising from the Swaps	Banking Industry	Banking Industry
v)	The fair value of the swap book	(-)2.53	1.90

Note:

I) Interest rate swaps in Indian rupees were undertaken for hedging Tier II Bonds, Term Loans and Term Deposits.

II) The Bank has entered into Floating to Fixed or Fixed to Floating Interest Rate Swap transactions for trading during the year.

III) All underlyings for hedge transactions are on accrual basis.

6.3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives :

(₹ in crore)

S. No	Particulars	Amount
i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	24.62
ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2011 (instrument-wise)	Nil

S. No	Particulars	Amount
iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	Nil
iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	Nil

6.3.3 Disclosures on risk exposures in derivatives

A. QUALITATIVE DISCLOSURE:

a) The Bank deals in two groups of derivative transactions within the framework of RBI guidelines.

i) Over the Counter Derivatives

ii) Exchange Traded Derivatives

The Bank deals in Forward Rate Agreement, Interest Rate Swaps, Cross Currency Swap, and Currency Options in Over the Counter Derivatives group.

In Exchange Traded Derivatives Group, the Bank trades in Currency Futures and Interest Rate Futures. The Bank is Trading & clearing member with three Exchanges viz. National Stock Exchange (NSE), United Stock Exchange (USE) & MCX-SX Stock Exchange (MCX-SX), on their Currency Derivative segment, as permitted by Reserve Bank of India. The Bank carries out proprietary trading as well as trading on behalf of its customers in currency futures on these exchanges. The Bank has set up the necessary infrastructure for Front, Mid and Back office operations. Daily Mark to Market (MTM) and Margin obligations are settled with the exchanges as per guidelines issued by the Regulator

Bank trades in Interest Rate Futures on National Stock Exchange. The bank has necessary infrastructure for Front, Mid and Back office operations in place. Daily Mark to Market (MTM) and Margin obligations are settled with the exchanges as per guidelines issued by The Regulator

The Bank undertakes derivative transactions for proprietary trading/market making, hedging own balance sheet and for offering to customers, who use them for hedging their risks within the prevalent regulations. Proprietary trading/market making positions are taken in Rupee Interest Rate Swap, Currency Futures and Interest Rate Futures. While derivative instruments present immense opportunity for making a quantum leap in non-interest income and also for hedging market risk, it exposes the Bank to various risks. The Bank has adopted the following mechanism for managing different risks arising out of derivative transactions.

In terms of the structure, operations in the Treasury Branch are segregated into following three functional areas, which are provided with trained officers with necessary systems support and their responsibilities are clearly defined.

I) Front Office—Dealing Room. Ensures Compliance with trade origination requirements as per Bank's policy and RBI guidelines.

II) Mid-Office---Risk Management, Accounting Policies and Management.

III) Back Office- Settlement, Reconciliation, Accounting.

Mid Office monitors transactions in the trading book and excesses, if any, are reported to Risk management Department for necessary action. Mid Office also measures the financial risk for transactions in the trading book on a daily basis, by way of Mark to Market. Daily Mark to Market position is reported to Risk Management Department, for onward reporting of the risk profile to the Directors' Committee on the Assets and Liability Management.

In case of corporate clients transactions are concluded only after the inherent credit exposures are quantified and approved in terms of approval process laid down in the Treasury Policy for customer appropriateness and suitability. The necessary documents like ISDA agreements are duly executed. The bank has adopted Current Exposure Method for monitoring credit exposures.

b) Treasury Policy of the Bank lays down the types of financial derivative instruments, scope of usages, and approval process as also the limits like the open position limits, deal size limits, stop loss limits and counterpart exposure limit for trading in approved instruments.

Various Risk Limits are set up and actual exposures are monitored vis-à-vis the limits.

These limits are set up taking in to account market volatility, business strategy and management experience. Risk limits are in place for risk parameters viz. PV01, stop loss, counterparty credit exposure. Actual positions are measured against these limits periodically and breaches if any are reported promptly. The Bank ensures that the Gross PV01 position arising out of all non option derivative contracts is within the 0.25% of net worth of the Bank.

c) The Bank also uses financial derivative transactions for hedging its own Balance Sheet Exposures. Treasury Policy of the Bank spells out approval process for hedging the exposures. The hedge transactions are monitored on a regular basis. The notional profit or loss calculated on Mark to Market basis, PV01 and VaR on these deals are reported to the Assets Liability Committee (ALCO) every month. Hedge effectiveness is the degree to which changes in the fair value or cash flows of the hedged items that are attributed to a hedged risk are offset by changes in the fair value or cash flows of the hedging instruments. This exercise is carried out periodically to ensure hedge effectiveness.

d) The hedged/un-hedged transactions are recorded separately. The hedged transactions are accounted for on accrual basis. All trading contracts are mark-to-market and resultant gross gain or loss is recorded in income statement.

In case of Option contracts, guidelines issued by FEDAI from time to time for recognition of income, premium, and discount are being followed.

To mitigate the credit risk, Bank has policy in place to sanction limits to counterparty Banks and Counterparty clients. Bank adopts Current Exposure method for monitoring counterparty exposure periodically. While sanctioning derivative limit, the competent authority may stipulate condition of obtaining collaterals/margin as deemed appropriate. The derivative limit is reviewed periodically along with other credit limits.

The customer related derivative transactions are covered with counterparty banks, on back-to-back basis for identical amount and tenure and the bank does not carry any market risk.

B. QUANTITATIVE DISCLOSURES

(₹ in crore)

		31.03.2011		31.03.2010	
Sr. No	**Particulars**	**Currency Derivatives**	**Interest Rate Derivatives**	**Currency Derivatives**	**Interest Rate Derivatives**
i)	Derivatives (Notional Principal Amount)				
a	For hedging	0.00	100.00	224.50	100.00
b	For trading	661.21	1795.95	1777.34	603.02
ii)	Marked to Market Positions (1)				
a	Asset (+)	(+)1.38		6.46	0.29
b	Liability (-)		(-)0.70		
iii)	Credit Exposure (2)	82.60	33.65	198.99	21.92
iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
a	On hedging derivatives	0.00	0.03	0.06	7.96
b	On trading derivatives	0.63	8.56	0.12	0.00
v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
1	Maximum				
	a. On hedging	1.15	7.45	2.88	7.96
	b. On trading	0.63	8.56	0.12	0.76
2	Minimum				
	a. On hedging	0.00	0.00	0.00	1.12
	b. On trading	0.03	0.01	0.00	0.00

6.4 Asset Quality:

6.4.1 Non Performing Assets:

(₹ in crore)

		31.03.2011	31.03.2010
i)	Net NPAs to Net Advances (%)	1.19	0.81
ii)	Movement of NPAs (Gross)		
	(a) Opening balance as on 1st April	2670.89	1923.35
	(b) Additions (Fresh NPAs) during the year	2923.54	1785.23
	Sub-total (A)	5594.43	3708.58
	(c) Less:-		
	(i) Upgradations	267.92	123.16
	(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	577.69	401.29
	(iii) Write-offs	1126.00	513.24
	Sub-total (B)	1971.61	1037.69
	(d) Closing balance (A-B)	3622.82	2670.89
iii)	Movement of NPAs (Net)		
	(a) Opening Balance	965.33	325.94
	(b) Closing balance	1803.44	965.33
iv)	Movement of provisions for NPAs		
	(excluding provisions on standard assets)		
	(a) Opening balance	1643.34	1548.88
	(b) Provisions made during the year	1187.69	698.92
	(c) Write-off/write-back of excess Provisions	1054.42	604.46
	(d) Closing balance	1776.61	1643.34

6.4.2 Particulars of Accounts Restructured

(₹ in crore)

		CDR Mechanism	MSME Debt Restructuring	Others
Standard advances restructured	No. of Borrowers	2	135	723
	Amount outstanding	55.98	122.15	448.29
	Sacrifice (diminution in the fair value)	8.26	2.09	11.29
Sub standard advances restructured	No. of Borrowers	1	2	9
	Amount outstanding	40.56	2.80	0.01
	Sacrifice (diminution in the fair value)	13.01	0	0.06
Doubtful advances restructured	No. of Borrowers	0	0	0
	Amount outstanding	0	0	0
	Sacrifice(diminution in the fair value)	0	0	0
Total	No. of Borrowers	3	137	732
	Amount outstanding	96.54	124.95	448.30
	Sacrifice(diminution in the fair value)	**21.27**	**2.09**	**11.35**

6.4.3 Details of financial assets sold to Securitisation/ Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(₹ in crore)

		31.03.2011	31.03.2010
i)	No. of accounts	1	2
ii)	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	0.00	0.00
iii)	Aggregate consideration	6.25#	26.79+
iv)	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier year	Nil	Nil
v)	Aggregate gain/(loss) over net book value.	6.25	26.79

Entire amount received in cash.

+ ₹ 16.54 crores by way of class B securities receipts and ₹ 10.25 crores in cash.

6.4.4 Details of non performing financial assets purchased /sold to Banks/FIs.

A. Details of non performing financial assets purchased

(₹ in crore)

	Particulars	31.03.2011	31.03.2010
1	a. No. of accounts purchased during the year b. Aggregate outstanding	Nil Nil	Nil Nil
2	a. Of these, number of accounts restructured during the year b. Aggregate outstanding	Nil Nil	Nil Nil

B. Details of non performing financial assets sold

(₹ in crore)

	Particulars	31.03.2011	31.03.2010
1	No. of accounts sold	Nil	Nil
2	Aggregate outstanding	Nil	Nil
3	Aggregate consideration received	Nil	Nil

C. Provision on Standard Assets:

(₹ in crore)

Item	31.03.2011	31.03.2010
Provision towards Standard Assets	145.95	20.95

Includes ₹ 2.59 crores (previous year ₹ 4.39 crores) towards provision for credit risk exposure on derivatives.

6.5 Business Ratios

		31.03.2011	31.03.2010
i)	Interest Income as a percentage to Working Funds	8.33	8.04
ii)	Non-interest income as a percentage to Working Funds	1.03	1.19
iii)	Operating Profit as a percentage to Working Funds	2.18	2.21
iv)	Return on Assets	1.05	1.25
v)	Business (Deposits plus advances) per employee (₹ in lacs)	1043	853
vi)	Profit per employee (₹ in lacs)	7.50	7.47

6.6 Asset Liability Management

Maturity pattern of Assets and Liabilities as on 31.03.2011

(₹ in crore)

	Deposits	Advances	Investments	Borrowings	Foreign Currency assets	Foreign Currency liabilities
Day 1	2884.60	3616.50	73.25	689.61	401.68	1142.45
2-7 days	8858.11	3612.56	1691.89	142.74	1135.15	177.70
8-14 days	3239.00	2792.88	972.61	100.41	240.58	143.75
15 to 28 days	6883.34	5052.65	2090.06	97.95	569.93	187.35
29 days to 3 months	15697.64	22159.90	2127.03	731.24	2591.77	1024.70
Over 3 months & up to 6 months	14964.14	13527.70	1283.70	1164.25	3018.31	1470.17
Over 6 months & up to 1 year	34142.76	20173.43	650.68	699.82	1803.71	2067.55
Over 1 year & up to 3 years	42025.52	45838.66	2405.37	1381.10	850.63	1029.99
Over 3 years & up to 5 years	12888.40	14946.42	7124.43	3618.56	728.05	2637.18
Over 5 years	60877.77	19265.38	39980.12	4690.30	642.63	0.00
Total	**202461.29**	**150986.08**	**58399.14**	**13315.97**	**11982.44**	**9880.84**

6.7 Exposures

6.7.1 Exposure to Real Estate Sector

(₹ in crore)

	Category	31.03.2011	31.03.2010
a)	Direct exposure		
	i) Residential Mortgages - Lendings fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; - of which individual housing loans up to ₹ 30 lakh eligible for inclusion in priority sector.	11058.52 8258.63	9599.66 6967.01
	ii) Commercial Real Estate - Lendings secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.) Exposure includes non-fund based (NFB) limits:	2699.55	2838.70
	iii) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures - a. Residential, b. Commercial Real Estate.	3.66 3.66 -	11.12 11.12 -
b)	Indirect Exposure Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	4781.01	4093.78
	Total Exposure to Real Estate Sector	**18542.74**	**16543.26**

6.7.2 Exposure to Capital Market

(₹ in crore)

	Particulars	31.03.2011	31.03.2010
i)	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity – oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	789.83	772.55
ii)	Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds	6.83	6.88
iii)	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security	10.73	6.56
iv)	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances	3.06	2.10
v)	Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers	871.60	788.01
vi)	Loans sanctioned to corporates against the security of shares /bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources	0.01	-
vii)	Bridge loans to companies against expected equity flows /issues.	1.72	-
viii)	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures and units of equity oriented mutual funds	-	-
ix)	Financing to stock brokers for margin trading	56.49	50.00
x)	All exposures to venture capital funds (both registered and unregistered) will be deemed to be on par with equity and hence will reckoned for compliance with the capital market exposure.**	572.50	516.84
	Total exposure to Capital Market	**2312.77**	**2142.94**

**** Including undrawn capital commitments of venture capital amounting to** ₹ 277.62 crore.

6.7.3 Risk Category wise Country Exposure

(₹ in crore)

Risk Category	Exposure (net) as at March 31, 2011	Provision held as at March31, 2011	Exposure (net) as at March 31, 2010	Provision held as at March 31,2010
Insignificant	3272.92	-	1699.04	-
Low	1272.35	-	937.16	-
Moderately low	281.62	-	112.33	-
Moderate	16.65	-	5.54	-
Moderately high	37.05	-	4.26	-
High	1.02	-	1.26	-
Very High	0.09	-	0	-
Restricted	-	-	-	-
Off-credit	-	-	-	-
Total	**4881.70**	**-**	**2759.59**	**-**

6.7.4 Details of Single Borrower Limit (SBL) exceeded by the Bank.

(₹ in crore)

S. No	Name of the Borrower	Exposure Ceiling (₹)	Total Exposure (₹)	Exposure as % of Capital Fund	Position as on 31.03.11	Position as % of Capital Fund
1	Power Finance Corporation Ltd.	*20% of capital fund i.e. 3067.20	2593.75	16.91	2577.15	16.80

* Individual borrower exposure limit for NBFC (IFC) is 15%. However, 5% additional exposure taken with the approval of the Board as permitted by Reserve Bank of India.

6.7.5 Details of Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank.

(₹ In crore)

Sr No.	Name of the borrower	Exposure Ceiling (₹)	Total Exposure (₹)	Exposure as % of Capital Fund	Board Sanction Details	Position as on 31.03.2011 (₹)	Position as % of Capital Fund
NIL							

Group Exposure Limit – 40%
For Infrastructure, Group Exposure ceiling is 50%
5% additional exposure can be taken with the permission of the Board

6.7.6 Advances secured by intangible securities : Nil

Advances backed by Annuity under Build Operate Transfer (BOT) model and toll collection rights have been considered secured as per RBI circular DBOD.BP.BC.96/08.12.014/2009-10 dated 23 April 2010

7 Miscellaneous

7.1 Amount of Provisions made for Income-tax during the year:

(₹ in crore)

	31.03.2011	31.03.2010
Provision for Income Tax (Excluding Deferred tax liability)	807.00	758.00

7.2 Disclosure of Penalties imposed by RBI. : Nil

8 Disclosure Requirements as per Accounting Standards where RBI has issued guidelines in respect of disclosure items for 'Notes to Account':

8.1 Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies.

There were no material prior period Income/Expenditure requiring disclosure under AS–5.

8.2 Accounting Standard 9 - Revenue Recognition.

Income items recognized on cash basis were not material and hence no disclosure under AS – 9 has been made.

8.3 Accounting Standard 15 – Employee Benefits :

8.3.1 The Bank has accounted for employee benefits as per Accounting Standards issued by the Institute of Chartered accountants of India, as per actuarial valuation report for the year ended March 31, 2011. The disclosure is as under:-

(₹ in crore)

		Gratuity	Pension
i)	**Principal actuarial assumption used**		
	Discount Rate Prev.	8.00%	8.00%
	Rate of return on Plan Assets Prev.	8.00%	8.00%
	Salary Escalation Prev.	4.00%	4.00%
	Attrition Rate Prev.	2.00%	2.00%
	Discount Rate Current	8.50%	8.50%
	Rate of Return on Plan Assets Current	8.00%	8.00%
	Salary Escalation Current	4.00%	4.00%
	Attrition Rate Current	2.00%	2.00%
ii)	**Table showing change in Benefit Obligation** :		
	Liability at the beginning of the year	518.27	1359.12
	Interest Cost	40.70	101.45
	Current Service Cost	37.40	62.34
	Past Service Cost (Vested Benefit Amortised)	325.00	1690.21
	Past Service Cost (Vested Benefit)	-	375.65
	Liability Transfer in	-	1122.50
	Liability Transfer out	-	-
	Benefit paid	(93.82)	(306.64)
	Actuarial (gain) / loss on obligations	67.38	367.19
	Liability at the end of the year	**894.93**	**4771.82**
iii)	**Table of Fair value of Plan Assets:**		
	Fair value of Plan Assets at the beginning of the year	767.36	1158.11
	Expected return on Plan Assets	68.45	115.58
	Contributions	135.21	440.01
	Transfer from Other Company	-	1122.50
	Transfer to Other Company	-	-
	Benefit paid	(93.82)	(306.64)
	Actuarial Gain/(loss) on Plan Assets	(4.15)	(15.87)
	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	873.05	2513.69
	Total Actuarial Gain/(loss) to be recognized	**(71.53)**	**(383.06)**
iv)	**Recognition of Transitional Liability :**		
	Transitional Liability at start	-	-
	Transitional Liability recognized during the year	-	-
	Transitional Liability at end	**-**	**-**
v)	**Actual return on Plan Assets :**		
	Expected Return on Plan Assets	68.45	115.58
	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	(4.15)	(15.87)
	Actual return on Plan Assets	**64.30**	**99.71**
vi)	**Amount recognized in the Balance Sheet :**		
	Liability at the end of the year	894.93	4771.82
	Fair value of Plan Assets at the end of the year	873.05	2513.69
	Difference	(21.88)	(2258.13)
	Unrecognized Past Service Cost (Non Vested)… Closing Balance	260.00	1352.17
	Unrecognized Transition Liability… Closing Balance	-	-
	Amount Recognized in the Balance Sheet	**238.12**	**(905.96)**
vii)	**Expenses recognized in the Income Statement**:		
	Current Service Cost	37.40	62.34
	Interest Cost	40.70	101.45
	Expected Return on Plan Assets	(68.45)	(115.58)
	Past Service Cost (Vested Benefit Amortised) recognized	65.00	338.04

		Gratuity	Pension
	Past Service Cost (Vested Benefit) recognized	-	375.65
	Recognition of Transition Liability	-	-
	Actuarial Gain or Loss	71.53	383.06
	Expenses Recognized in P & L	**146.18**	**1144.96**
viii)	**Balance Sheet Reconciliation:**		
	Opening Net Liability (Last year's net amount recognized in the balance sheet)	(249.09)	(201.01)
	Expenses as above	146.18	1144.96
	Transfer from other Company (Net)	-	-
	Transfer to other Company (Net)	-	-
	Employer's Contribution	(135.21)	(440.01)
	Amount recognized in Balance Sheet	**(238.12)**	**905.96**
ix)	**Other Details :**		
	Gratuity is payable at the rate of 15 days salary for each year of service subject to maximum of ₹10,00,000 or as per Bank's scheme.		
	Pension is payable at the rate of 1/66 salary for each year of service subject to maximum of 50%.		
	Actuarial gain / loss is accounted for in the year of occurrence.		
	Salary escalation is considered is in line with the industry practice considering promotion and demand and supply of the employees.		
	No. of Members	29582	27856
	Salary Per Month	95.14	84.45
	Contribution for next year	**-**	**273.62**
x)	**Category of assets:**		
	Government of India Assets	-	-
	Corporate Bonds	-	-
	Special Deposits Scheme	-	-
	State Govt.	-	-
	Property	-	-
	Other	873.05	2513.69
	Insurer Managed Funds	-	-
	Total	**873.05**	**2513.69**
xi)	**Experience Adjustment**		
	On plan liability (Gain) / Loss	**145.69**	**367.19**
	On plan Assets (Loss) / Gain	**(4.15)**	**(15.87)**

8.3.2 Details of Provisions made for various Long Term Employees Benefits during the year are as follows:

(₹ in crore)

Sr. No.	Other Long Term Benefits	Amount
1	Pension	1145.96
2	Leave Encashment	106.10
5	Leave Travel Concession	0.96
6	Sick Leave	10.58

8.3.3 AS-15 (revised 2005) Employee Benefits states benefits involving employer established provident funds, which require interest shortfall to be provided, are to be considered as defined benefit plans. Pending determination of liability in view of issues in making reasonable actuarial assumptions, effect in this respect has not been ascertained. Accordingly, other related disclosures in this respect have not been made and ₹ 22.88 crore (previous year ₹ 30.55 crore) has been recognized as an expense towards provident fund scheme and have been included in payments to and provisions for employees under operating expenses.

8.3.4 In accordance with RBI circular no.DBOD.BP.BC.80 / 21.04.018/ 2010-11 dated 09.02.2011 one-fifth of the additional pension fund liability of ₹ 338.04 crore towards serving employees, who have exercised second option and 100% of such liability of ₹ 375.65 crore towards retired / separated employees aggregating to ₹ 713.69 crore has been charged to Profit & Loss account this year, with ₹ 1352.17 crore carried forward to be charged over the next 4 years.

8.3.5 In addition one fifth of the additional gratuity liability which arose on enhancement of Gratuity limit from ₹ 3.50 lacs to ₹ 10 lacs amounting to ₹ 65 crore has also been charged to the Profit and Loss account with the balance of ₹ 260 crore being carried forward to be charged over the next 4 years.

8.4 SEGMENT REPORTING AS PER ACCOUNTING STANDARD – 17

(₹ in crore)

	Business Segment	Year ended (Audited) 31.03.2011	Year ended (Audited) 31.03.2010	Quarter ended (Audited) 31.03.2011	Quarter ended (Reviewed) 31.03.2010
(a)	**Segment Revenue**				
1	Treasury Operations	4932.41	4,300.07	1282.72	1074.05
2	Retail Banking Operations	5657.77	4,759.37	1585.70	1269.72
3	Corporate /Wholesale Banking	7794.18	6,115.06	2319.63	1674.74
4	Other Banking Operations	107.04	102.92	27.76	35.69
5	Unallocated		-		-
	Total	**18491.40**	**15,277.42**	**5215.81**	**4054.20**
(b)	**Segment Results**				
1	Treasury Operations	1141.64	823.52	287.56	311.68
2	Retail Banking Operations	781.92	890.23	210.07	122.75
3	Corporate /Wholesale Banking	976.22	1,058.09	208.70	351.46
4	Other Banking Operations	55.82	61.08	9.95	21.61
5	Unallocated	-	-	-	-
	Total	**2955.60**	**2,832.92**	**716.28**	**807.50**
(c)	**Income Tax**	873.65	758.00	118.71	214.00
(d)	**Net Profit**	**2,081.95**	**2,074.92**	**597.57**	**593.50**
(e)	**Segment Assets**				
1	Treasury Operations	78631.90	69,499.20	78631.90	69499.20
2	Retail Banking Operations	51840.03	49,096.16	51840.03	49096.16
3	Corporate/Wholesale Banking	101901.16	73,983.48	101901.16	73983.48
4	Other Banking Operations	-	-	-	-
5	Unallocated Assets	3611.36	2,583.00	3611.36	2583.00
	Total	**235,984.45**	**195,161.84**	**235984.45**	**195161.84**
(f)	**Segment Liabilities**				
1	Treasury Operations	74979.22	63,606.33	74979.22	63606.33
2	Retail Banking Operations	49404.87	48,029.71	49404.87	48029.71
3	Corporate /Wholesale Banking	97114.38	72,376.47	97114.38	72376.47
4	Other Banking Operations	-	-	-	-
5	Unallocated Liabilities	1721.46	725.55	1721.46	725.55
6	Capital, Reserves & Surplus	12764.52	10,423.78	12764.52	10423.78
	Total	**235,984.45**	**195,161.84**	**235984.45**	**195161.84**

i) The Bank operates in four segments viz., Treasury, Retail, Non-Retail and Para Banking. These segments have been identified in line with AS-17 on segment reporting after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profiles, the organizational structure and the internal reporting system of the bank. The bank has disclosed the business segment as primary segment. The revenue and other parameters prescribed in AS-17 of foreign branch for the period are within the threshold limits as stipulated under AS-17 and hence the bank has only one reportable geographical segment.

ii) Segment wise income, expenditure, assets and liabilities which are not directly allocable have been allocated to the reportable segments based on assumptions considered appropriate.

8.5 Accounting Standard 18 – Related Party Disclosures.

8.5.1 The Bank has identified the following persons to be the Key Management Personnel as per AS – 18 on Related Party Disclosures:

8.5.1.1 List of Related Parties:

a) The Bank has identified the following persons to be the Key Management Personnel as per AS – 18 on Related Party Disclosures:

i. Shri M. V. Nair, Chairman & Managing Director

ii. Shri S. C. Kalia, Executive Director

iii. Shri S. Raman, Executive Director (till 31.08.2010)

iv. Shri S. S. Mundra, Executive Director (from 01.09.2010)

b) Subsidiaries:

Union KBC Asset Management Company Private Ltd.

Union KBC Trustee Company Private Ltd.

c) Joint Ventures:

Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company Ltd.

d) Associates:

Two Regional Rural Banks sponsored by the Parent Bank viz., Kashi Gomti Samyut Gramin Bank and Rewa Sidhi Gramin Bank.

8.5.1.2 Transactions with Related Parties

(₹ In crore)

Items / Related Parties	Associates / Joint ventures		Key Management Personnel		Relatives of Key Management Personnel		Total	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
Deposit	2702.56	2309.55	-	-	-	-	2702.56	2309.55
Interest paid	130.96	132.97	-	-	-	-	130.96	132.97

8.5.1.3 Key Management Personnel

(₹ in lacs)

	2010 - 11	2009 – 10
Remuneration paid to Chairman and Managing Director	21.83	27.27
Remuneration paid to Executive Directors	34.50	31.07#
Total	56.33	58.34

Includes performance based incentives of ₹ 2.23 lacs paid an executive Director of the Bank during the previous year.

8.6 Earning per Share – Accounting Standard – 20

The Bank reports basic earnings per equity share in accordance with Accounting Standard 20 on "Earning per Share". Basic Earning per Share is computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

			31.03.2011	31.03.2010
I	Basic and Diluted EPS	₹	39.71	41.08
ii	Net Profit after Tax available for equity shareholders (₹ In crore)		2081.95	2074.92
iii	Average number of equity shares (No. in crore)	No.	52.433	50.51
iv	Nominal value per share	₹	10.00	10.00

8.7 Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income

The Bank has accounted for Income Tax in compliance with AS 22 on Accounting for Taxes on Income. Accordingly, Deferred Tax Assets and Liabilities are recognized. Tax effect on the components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities as on 31st March 2011 are as under:

(₹ in crore)

		31.03.2011	31.03.2010
	Deferred Tax Assets		
1	Amortization of Premium on Investments	185.68	224.90
2	Employee Benefits	145.82	151.95
3	Depreciation on Fixed Assets	-	3.13

		31.03.2011	31.03.2010
4	Leave Encashment	35.21	-
	Total	366.71	379.98
	Deferred Tax Liabilities		
1	Provision for diminution in value of securities	-	26.41
2	Depreciation on Fixed Assets	26.67	-
3	Accrued interest on securities	374.11	321.19
	Total	400.78	347.60
	Net Deferred Tax Liability	**34.07**	
	Net Deferred Tax Asset	**-**	**32.38**

8.8 Accounting Standard 28

In the opinion of the Management, there is no indication for impairment during the year with regard to the assets to which Accounting Standard 28 applies.

8.9 Contingent liabilities referred to in Schedule-12 at S.No.(i) to (vi) are dependent upon, the outcome of court/arbitration/out of court settlement, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by parties concerned, disposal of appeals respectively.

9 Provisions & Contingencies:

(Break up of 'Provision & Contingencies' shown under the head in Profit & Loss)

(₹ in crore)

	2010-11	2009-10
Provision / (Reversal) for Depreciation on Investment	26.65	(117.34)
Provision towards NPA	1187.69	698.92
Provision towards Standard Assets	148.54	20.95
Provision made towards Income Tax (IT)/Deferred tax liability (DTL)	873.45	758.00
Other Provision and Contingencies:		
- Shifting Loss	82.94	46.76
- Restructured Advances	1.63	95.21
- Others	-95.86	81.89
TOTAL	2223.04	1584.39

10 Floating Provisions

(₹ in crore)

	Particulars	2010-11	2009-10
i)	Opening Balance in the floating provisions	697.00	539.50
ii)	Floating provisions made during the accounting year	46.00	157.50
iii)	Amount of drawdown made during the accounting year	0	0
iv)	Closing balance in the floating provision account	743.00	697.00

11 Draw Down from Reserves

The Bank has not made any drawdown from the reserves during the year.

12 Disclosure of complaints

13. A. Customer Complaints

(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	1531
(b)	No. of complaints received during the year	13444
(c)	No. of complaints redressed during the year	13947
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	1028

B. Awards passed by the Banking Ombudsman

(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	0
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsmen during the year	7
(c)	No. of Awards implemented during the year	7
(d)	No. of unimplemented Awards at the end of the year	0

C. Disclosure of Letter of Comfort (LoCs) issued

(₹ in crore)

Letter of Comfort issued in earlier years and outstanding as on 01.04.2010	1291.40
Add : Letter of Comfort issued during the year	4608.17
Less : Letter of Comfort expired during the year.	4407.55
Letter of Comfort outstanding as on 31.03.2011	1492.02

14 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

14.1 Concentration of Deposits

(₹ in crore)

Total Deposits of twenty largest depositors	27064
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank.	13.37

14.2 Concentration of Advances

(₹ in crore)

Total Advances of twenty largest borrowers	13160.09
Percentage of Advances of twenty largest borrowers to Total Advances of the bank.	8.60

14.3 Concentration of Exposures

(₹ in crore)

Total Exposures of twenty largest borrowers/customers	33408.45
Percentage of Exposures of twenty largest borrowers/customers to Total Exposures of the bank on borrowers / customers	17.02

14.4 Concentration of NPAs

(₹ in crore)

Total Exposures to top four NPA accounts	538.95

14.5 Sector-wise NPAs

(₹ in crore)

Sr. No.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that sector (31.03.2011)
1	Agriculture & allied activities	4.14
2	Industry (Micro & small, Medium and Large)	2.53
3	Services	2.10
4	Personal Loans	3.76

14.6 Overseas Assets, NPAs and Revenue

(₹ in crore)

Particulars	2010-11
Total Assets	6374.80
Total NPAs	6.98
Total Revenue	215.52

14.7 Off – balance Sheet SPVs : Nil.

15 Disclosure of – Bancassurance Business

S. No.	Nature of Income	(₹ in lacs)
1	For selling life insurance policies	2456.53
2	For selling non life insurance policies	495.86
3	Others (specify)	-

16 Provision Coverage Ratio (PCR)

Provision Coverage Ratio as on 31.03.2011 is 67.58%. Any excess provision held over the stipulated Provision Coverage Ratio (PCR) would be held under “Countercyclical Provisioning Buffer account” as per the extant RBI guidelines.

17 The figures of the previous year have been regrouped / rearranged wherever considered necessary.

SIGNATORIES TO SCHEDULES 1 TO 18

V. H. KAMATH ASST. GEN. MANAGER	N.S.MEHTA GENERAL MANAGER

S. S. MUNDRA EXECUTIVE DIRECTOR	S. C. KALIA EXECUTIVE DIRECTOR	M.V. NAIR CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR
MEENA HEMCHANDRA DIRECTOR	B. M. SHARMA DIRECTOR	N SHANKAR DIRECTOR
DR. GULFAM MUJIBI DIRECTOR	PROF. M.S.SRIRAM DIRECTOR	ARUN KUMAR NANDA DIRECTOR
	S. RAVI DIRECTOR	

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED

For G. D. APTE & Co. CHARTERED ACCOUNTANTS	**For JAGANNATHAN & SARABESWARAN** CHARTERED ACCOUNTANTS	**For J. L. SENGUPTA & CO.** CHARTERED ACCOUNTANTS
(CHETAN R. SAPRE) PARTNER (M.No. 116952) Firm Regn. No.: 100515W	**(P S NARASIMHAN)** PARTNER (M.No.20936) Firm Regn. No.: 001204S	**(S. R. ANANTHAKRISHNAN)** PARTNER (M.No.18073) Firm Regn. No.: 307092E
For ARUN K. AGARWAL & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS	**For OM PRAKASH S. CHAPLOT & CO.** CHARTERED ACCOUNTANTS	**For G. S. MATHUR & CO.** CHARTERED ACCOUNTANTS
(VIMAL KUMAR JAIN) PARTNER (M. No.86657) Firm Regn. No.: 003917N	**(MAHAVEER CHAPLOT)** PARTNER (M. No.403633) Firm Regn. No.: 000127C	**(RAJIV KUMAR WADHAWAN)** PARTNER (M. No.091007) Firm Regn. No.: 008744N

Place : Mumbai
Date : 06.05.2011

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2011

(₹. in lacs)

Sr. No.	Particulars	Year Ended 31.03.2011	Year Ended 31.03.2010
A	Cash flow from operating activities	443,148	(50,507)
B	Cash flow from investing activities	(18,514)	(20,043)
C	Cash flow from financing activities	7,541	49,726
		432,175	**(20,824)**
D	Cash and cash equivalents at the beginning of the year	1,577,669	1,598,493
E	Cash and cash equivalents at the end of the year	2,009,844	1,577,669
F	Total Cash Flow during the year (A+B+C) or (E-D)	**432,175**	**(20,824)**
	BREAK UP DETAILS		
A	**CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**		
	Interest received during the year from advances, investments etc.,	1,624,615	1,317,604
	Other Income	203,992	197,829
	Less : Interest paid on deposits, borrowings etc. (excl. subordinated debts)	(965,377)	(871,409)
	Operating expenses including provisions and contingencies	(617,304)	(409,224)
	Add : Adjustment for depreciation	15,566	16,014
	I. Cash profit generated from operations	**261,492**	**250,814**
	II. Cash flow from operating assets & liabilities		
	[increase/(decrease)]in liabilities		
	Deposits	3,242,154	3,133,692
	Borrowings	400,066	(75,959)
	Adjustment for Deferred Tax Assets/Liability	3,407	
	Other liabilities etc. (including write back of excess provision made in earlier years)	166,731	70,712
	Decrease/(Increase) in Assets		
	Advances	(3,167,078)	(2,278,107)
	Investments	(399,561)	(1,140,657)
	Others	(64,063)	(11,002)
	Cash flow from operating assets & liabilities	181,656	(301,321)
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (I+II)	443,148	(50,507)
B	**CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
	Sale/disposal of fixed assets	664	528
	Purchase of fixed assets	(19,178)	(20,571)
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES	**(18,514)**	**(20,043)**
C	**CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**		
	Dividend 2008-2009		(25,256)
	Dividend Tax 2008-09		(4,292)
	Dividend 2009-10	(27,781)	
	Dividend Tax 2009-10	(4,721)	
	Proceeds of subordinated debts - Tier II Capital	(40,000)	
	Interest on Tier II Capital	(49,256)	(40,726)
	Subordinate Upper Tier II Capital	50,000	100,000
	Perpetual Bonds	-	20,000
	PNCPS	11,100	
	Share Capital from GOI	68,199	
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES	**7,541**	**49,726**

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2011

(₹ in lacs)

Sr. No.	Particulars	Year Ended 31.03.2011	Year Ended 31.03.2010
D	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR**		
	Cash and Balances with RBI (including FC notes)	1,246,824	899,205
	Balances with banks and Money at call	330,845	699,288
	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year	**1,577,669**	**1,598,493**
E	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR**		
	Cash and Balance with RBI (including FC notes)	1,761,045	1,246,824
	Balances with banks and Money at call	248,799	330,845
	Net cash and cash equivalents at the end of the year	**2,009,844**	**1,577,669**

(S. S. MUNDRA)
EXECUTIVE DIRECTOR

(S. C. KALIA)
EXECUTIVE DIRECTOR

(M. V. NAIR)
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

Auditors Certificate :

We, the undersigned Statutory Auditors of the Union Bank of India, have verified the above Cash Flow Statement of the Bank for the year ended 31.03.2011. The statement has been prepared in accordance with the requirements of the clause 32 of the listing agreement with the Stock Exchange and is based on and in agreement with the corresponding Profit & Loss Account and the Balance Sheet of the Bank covered by our report of the 6th May, 2011 to the members.

For G. D. APTE & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(CHETAN R. SAPRE)
PARTNER (M.No. 116952)
Firm Regn. No.: 100515W

For JAGANNATHAN & SARABESWARAN
CHARTERED ACCOUNTANTS

(P S NARASIMHAN)
PARTNER (M.No.20936)
Firm Regn. No.: 001204S

For J. L. SENGUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(S. R. ANANTHAKRISHNAN)
PARTNER (M.No.18073)
Firm Regn. No.: 307092E

For ARUN K. AGARWAL & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

(VIMAL KUMAR JAIN)
PARTNER (M. No.86657)
Firm Regn. No.: 003917N

For OM PRAKASH S. CHAPLOT & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(MAHAVEER CHAPLOT)
PARTNER (M. No.403633)
Firm Regn. No.: 000127C

For G. S. MATHUR & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(RAJIV KUMAR WADHAWAN)
PARTNER (M. No.091007)
Firm Regn. No.: 008744N

Place : MUMBAI
Date : 6th May 2011

AUDITORS' REPORT

To
The Members

1. We have audited the attached Consolidated Balance Sheet of UNION BANK OF INDIA (the "Bank") as on 31st March, 2011 and also the Consolidated Profit and Loss Account for the year ended on that date as also the Consolidated Cash Flow Statement for the year ended on that date, annexed thereto. These Financial Statements are the responsibility of the Bank's management and have been prepared by the management on the basis of separate financial statements and other financial information regarding subsidiaries and associates. Our responsibility is to express our opinion on these Financial Statements based on our audit.

2. The Consolidated Financial Statements have been prepared by the Bank in accordance with the requirements of Accounting Standard 21 – "Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the guidelines issued by the Reserve Bank of India (except as otherwise stated) and on the basis of the separate Audited Financial Statements of the Bank, its Subsidiary, Joint Venture and Associates incorporated in the Consolidated Financial Statements.

3. We have not audited the Financial Statements of :

   (i) The Subsidiaries, whose Financial Statements reflect Total Assets of Rs.122.13 crore as on 31st March 2011 and Total Revenue of Rs.3.66 crore on that date; and

   (ii) Joint Venture reflecting loss of Rs.28.29 crore for the year ended on that date; and

   (iii) Associates reflecting Net Profit of Rs.44.15 crores for the year ended on that date.

4. Our opinion, in so far as it relates to the amounts included in respect of the subsidiary, joint venture and associates of the Bank which have been audited by other auditors and whose reports have been furnished to us, is based solely on the reports of such other auditors.

5. We conducted our audit of the Consolidated Financial Statements in accordance with Generally Accepted Auditing Standards in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the Financial Statements are prepared, in all material respects, in accordance with an identified financial reporting framework and are free of material misstatements. An audit includes examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements and audit also includes assessing made by the management as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

6. Based on our audit and on consideration of reports of other auditors on separate financial statements and on the other financial information of the components, and to the best of our information and according to the explanations given to us and subject to paragraphs 3, 5 and 6 above, we are of the opinion that the attached consolidated financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

   (i) in the case of the Consolidated Balance Sheet, of the consolidated state of affairs of the Bank, its Subsidiaries and interests in the Associates and joint ventures (Union Bank Group) as on 31st March 2011;

   (ii) in the case of the consolidated profit and loss account of the profit of Union Bank Group on that date; and

   (iii) in the case of Consolidated Cash Flow Statement, of the cash flows for the year covered by the Consolidated Financial Statements.

For G. D. APTE & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(CHETAN R. SAPRE)
PARTNER (M. No. 116952)
Firm Regn. No.: 100515W

For JAGANNATHAN & SARABESWARAN
CHARTERED ACCOUNTANTS

(P S NARASIMHAN)
PARTNER (M. No.20936)
Firm Regn. No.: 001204S

For ARUN K. AGARWAL & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

(VIMAL KUMAR JAIN)
PARTNER (M. No.86657)
Firm Regn. No.: 003917N

For J. L. SENGUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(S. R. ANANTHAKRISHNAN)
PARTNER (M. No.18073)
Firm Regn. No.: 307092E

For OM PRAKASH S. CHAPLOT & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(MAHAVEER CHAPLOT)
PARTNER (M. No.403633)
Firm Regn. No.: 000127C

For G. S. MATHUR & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(RAJIV KUMAR WADHAVAN)
PARTNER (M. No.091007)
Firm Regn. No.: 008744N

Place : MUMBAI
Date : 6th May, 2011

CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2011

	Schedule	Amt in ' 000s
Capital and Liabilities		
Capital	1	6353324
Reserves and Surplus	2	122971060
Minority Interest	2A	526555
Deposits	3	2024000046
Borrowings	4	133159696
Other Liabilities and Provisions	5	78618759
Total		**2365629440**
Assets		
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	176448368
Balances with Banks and money at call and short notice	7	24879905
Investments	8	589131465
Advances	9	1509932196
Fixed Assets	10	23015029
Other Assets	11	42222477
Total		**2365629440**
Contingent Liabilities	15	1594278197
Bills for Collection	16	52583722
Significant Accounting Policies	17	
Notes on Accounts	18	

The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet

V. H. KAMATH ASST. GEN. MANAGER	**N.S.MEHTA** GENERAL MANAGER	**S. S. MUNDRA** EXECUTIVE DIRECTOR	**S. C. KALIA** EXECUTIVE DIRECTOR	**M.V. NAIR** CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR
MEENA HEMCHANDRA DIRECTOR	**B. M. SHARMA** DIRECTOR	**N SHANKAR** DIRECTOR	**DR. GULFAM MUJIBI** DIRECTOR	**PROF. M.S.SRIRAM** DIRECTOR
ARUN KUMAR NANDA DIRECTOR	**S. RAVI** DIRECTOR			

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED

For G. D. APTE & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS	**For JAGANNATHAN & SARABESWARAN** CHARTERED ACCOUNTANTS	**For ARUN K. AGARWAL & ASSOCIATES** CHARTERED ACCOUNTANTS
(CHETAN R. SAPRE) PARTNER (M. No. 116952) Firm Regn. No.: 100515W	**(P S NARASIMHAN)** PARTNER (M. No.20936) Firm Regn. No.: 001204S	**(VIMAL KUMAR JAIN)** PARTNER (M. No.86657) Firm Regn. No.: 003917N
For J. L. SENGUPTA & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS	**For OM PRAKASH S. CHAPLOT & CO.** CHARTERED ACCOUNTANTS	**For G. S. MATHUR & CO.** CHARTERED ACCOUNTANTS
(S. R. ANANTHAKRISHNAN) PARTNER (M. No.18073) Firm Regn. No.: 307092E	**(MAHAVEER CHAPLOT)** PARTNER (M. No.403633) Firm Regn. No.: 000127C	**(RAJIV KUMAR WADHAVAN)** PARTNER (M. No.091007) Firm Regn. No.: 008744N

Place : MUMBAI
Date : 6th May 2011

CONSOLIDATED PROFIT & LOSS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2011

		Schedule	Amt in ' 000s
I.	**Income**		
	Interest earned	13	164609431
	Other Income	14	20397190
	Total		**185006621**
II.	**Expenditure**		
	Interest expended	15	102343142
	Operating expenses	16	39742851
	Provisions and Contingencies		22230373
	Total		**164316366**
III.	Net Profit for the Year		20690255
	Add : Profit brought forward		-90420
	Total		**20599835**
	Share of Earning/Loss in Associates		1361373
	Consolidated Net Profit/Loss for the year before deducting Minorities Interest		21961208
	Less Minorities Interest		-27273
	Consolidated Net Profit/Loss for the year Attributable to the Group		21988481
	Add brought forward Consolidated Profit/Loss Attributable to the Group		0
	Total		**21988481**
IV.	Appropriations		
	Transfer to statutory reserve		6250000
	Transfer to capital reserve		612007
	Transfer to revenue and other reserves/adjustments		7372682
	Proposed Dividend		4194659
	Dividend Tax		685950
	Transfer to Special Reserve [Sec36(I)(Viii)]		2820000
	Provision for Interest on PNCPS		51592
	Balance in Profit and Loss Account		1591
	Total		**21988481**

V. H. KAMATH ASST. GEN. MANAGER	**N.S.MEHTA** GENERAL MANAGER	**S. S. MUNDRA** EXECUTIVE DIRECTOR	**S. C. KALIA** EXECUTIVE DIRECTOR	**M.V. NAIR** CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR
MEENA HEMCHANDRA DIRECTOR	**B. M. SHARMA** DIRECTOR	**N SHANKAR** DIRECTOR	**DR. GULFAM MUJIBI** DIRECTOR	**PROF. M.S.SRIRAM** DIRECTOR
ARUN KUMAR NANDA DIRECTOR	**S. RAVI** DIRECTOR			

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED

For G. D. APTE & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS	**For JAGANNATHAN & SARABESWARAN** CHARTERED ACCOUNTANTS	**For ARUN K. AGARWAL & ASSOCIATES** CHARTERED ACCOUNTANTS
(CHETAN R. SAPRE) PARTNER (M. No. 116952) Firm Regn. No.: 100515W	**(P S NARASIMHAN)** PARTNER (M. No.20936) Firm Regn. No.: 001204S	**(VIMAL KUMAR JAIN)** PARTNER (M. No.86657) Firm Regn. No.: 003917N
For J. L. SENGUPTA & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS	**For OM PRAKASH S. CHAPLOT & CO.** CHARTERED ACCOUNTANTS	**For G. S. MATHUR & CO.** CHARTERED ACCOUNTANTS
(S. R. ANANTHAKRISHNAN) PARTNER (M. No.18073) Firm Regn. No.: 307092E	**(MAHAVEER CHAPLOT)** PARTNER (M. No.403633) Firm Regn. No.: 000127C	**(RAJIV KUMAR WADHAVAN)** PARTNER (M. No.091007) Firm Regn. No.: 008744N

Place : MUMBAI
Date : 6th May 2011

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2011

Amt in ' 000s

SCHEDULE 1 - CAPITAL :

I.	**Authorised :**		
	300,00,00,000 Equity Shares of Rs.10 each		30000000
	Issued, Subscribed & Paid up :		
II.	29,92,14,515 Equity Shares of Rs.10 each, held by Central Government		2992145
III.	22,51,17,900 Equity Shares of Rs.10 each, held by Public		2251179
IV.	Perpetual Non-Cumulative Pref. Shares		1110000
	TOTAL		**6353324**

SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS :

I.	Statutory Reserve :			
	As per last Balance Sheet		32730000	
	Addition during the year		6250000	38980000
II.	Capital Reserve :			
	As per last Balance Sheet		6043198	
	Addition during the year		612007	6655205
III.	Share Premium :			
	As per last Balance Sheet		5323557	
	Addition during the year		6627855	11951412
IV.	Revaluation Reserve :			
	As per last Balance Sheet		16159687	
	Deduction during the year		421280	15738407
V.	Revenue and other Reserves :			
	i) Revenue and other Reserves :		24467785	
	Addition during the year		7581373	
	Total		**32049158**	
	ii) Special Reserve Sec 36(1)(viii)		0	
	As per last Balance Sheet		14720000	
	Addition during the year		2820000	
			17540000	
	III) Foreign Currency Translation Reserve			
	As per last Balance Sheet		43859	
	Addition during the year		11428	
	Deduction during the year			
	Total		**55287**	**49644445**
VI.	Balance in Profit and Loss Account			
	Balance in Profit and Loss Account			1591
	TOTAL			**122971060**

SCHEDULE 2 A Minority Interest

Minority Interest at the date on which the present subsidiary relationship came into existence	465745
Subsequent increase/decrease	60810
Minority Interest on the date of Balance Sheet	**526555**

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2011

Amt in ' 000s

SCHEDULE 3 - DEPOSITS :			
Deposits of Branches in India			
I. Demand Deposits			
i) From Banks		9148137	
ii) From Others		187031418	196179555
II. Savings Bank Deposits			446891747
III. Term Deposits			
i) From Banks		56363009	
ii) From Others		1324565735	1380928744
	TOTAL		**2024000046**
Deposits of branches in India			2018090755
Deposits of branches outside India			5909291
	TOTAL		**2024000046**
SCHEDULE 4 - BORROWINGS :			
A. Borrowings : Capital Instruments			
I. Perpetual Bonds		10400000	
II. Upper Tier II Bonds		22500000	
III. Tier II Bonds		29000000	
B. Borrowings in India		0	
i. Reserve Bank of India		2300000	
ii. Other Institutions and agencies		1957224	**66157224**
C. Borrowings Outside India			67002472
	TOTAL		**133159696**
Secured Borrowings included in I & II above			1350105
SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS :			
I. Bills payable			16466546
II. Interest Accrued			6157806
III. Deferred Tax Liability			340652
IV. Others (including provisions)			55653755
	TOTAL		**78618759**
SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANKOF INDIA :			
I. Cash in hand (including foreign currency notes)			4019625
II. Balances with Reserve Bank of India /Other Banks			172428744
	TOTAL		**176448368**
SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE :			
I. Balances with banks in India			
i) a) In Current Accounts			2183837
b) In Other Deposit Accounts			4350000
II. Outside India			0
i) In Current Accounts			1124767
ii) In other Deposit Accounts			17221301
iii) Money at call and short notice			0
	TOTAL		**24879905**

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2011

		Amt in ' 000s
SCHEDULE 8 - INVESTMENTS :		
I.	Investments in India	
i)	Government Securities	464060574
ii)	Other approved securities	944262
iii)	Shares	7436991
iv)	Debentures and Bonds	32085969
v)	Subsidiaries and joint ventures	1552937
vi)	Others	
-	Commercial Paper	5847903
-	Others	47478560
-	Mutual Funds	3697374
-	R I D F	24976865
-	Security receipt by ARCIL	409719
	TOTAL	**588491154**
II.	Investments outside India	
i)	Govt Securities (incl Local Authorities)	638322
i)	Shares	1989
	Total	**640311**
	TOTAL	**589131465**
III. i)	Investments in India	
	Gross Value	589547545
	Provision for Depreciation	1056391
	Net Value	**588491154**
ii)	Investments outside India	
Gross Value/Net Value		640311
	TOTAL	**589131465**
SCHEDULE 9 - ADVANCES		
I. i)	Bills purchased and discounted	64515360
ii)	Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	796275098
iii)	Term Loans	649141738
	TOTAL	**1509932196**
II. i)	Secured by tangible Assets (includes Advance against Book Debts)	1130993837
ii)	Covered by Bank/Government Guarantees	58700690
iii)	Unsecured	320237669
	TOTAL	**1509932196**
A.	Advances in India	
i)	Priority Sector	483787627
ii)	Public Sector	137245267
iii)	Banks	87534996
iv)	Others	741949241
	TOTAL - A	**1450517131**
B.	Advances outside India	
	Due from Others	
a)	Bills Purchased and Discounted	1608874
b)	Syndicated loans	57683267
c)	Others	122924
	TOTAL - B	**59415065**
	TOTAL (A + B)	**1509932196**

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2011

Amt in ' 000s

SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS

A.	**TANGIBLE ASSETS**		
	I. Premises		
	At cost/valuation as per last Balance Sheet	21149084	
	Additions during the year	140919	
		21290003	
	Less: Depreciation to date	3861794	17428209
	II. Capital Work in Progress		
	At cost as per last Balance Sheet	99648	
	Additions during the year	71373	
	Deductions during the year	30477	140544
	III. Land		
	At cost as per last Balance Sheet	135204	
	Less : Depreciation to date	22260	112944
	IV. Other Fixed Assets		
	(including Furniture and Fixtures)		
	a) Assets given on lease		
	At cost as per last Balance Sheet	310477	
	Less: Depreciation to date	310477	
		0	
	b) Others		
	At cost/valuation as per last Balance Sheet	12326467	
	Additions during the year	1643676	
		13970143	
	Deductions during the year	451065	
		13519078	
	Less: Depreciation to date	8322150	
		5196928	**5196928**
B.	**INTANGIBLE ASSETS**		
	Computer Software		
	At cost as per last Balance Sheet	764564	
	Additions during the year	100260	
		864824	
	Amortisation till date	728420	**136404**
	TOTAL		**23015029**

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2011

Amt in ' 000s

SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS :

I.	Inter-office adjustments (net)	6366834
II.	Interest accrued	12463874
III.	Tax paid/Tax deducted at source (net of provision)	-4195547
IV.	Stationery and stamps	85492
V.	Non-Banking assets acquired in satisfaction of claims	390
VI.	Deffered Tax Assets	0
VII.	Others	27501435
	TOTAL	**42222477**

SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES :

I.	Claims against the bank not acknowledged as debts	12479900
II.	Liability for partly paid investments	5920
III.	Liability on account of outstanding forward exchange contracts	1332270183
IV.	Guarantees given on behalf of Constituents	
	i) In India	131390908
	ii) Outside India	929873
V.	Acceptances, endorsements and other obligations	113938257
VI.	Other items for which the bank is	
	i) Disputed Tax demands under appeals	3169400
	ii) Others	93756
	TOTAL	**1594278197**

SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2011

	Year Ended As on 31.3.2011
SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED :	
I. Interest/discount on advances/bills	120312406
II. Income on investments	40110045
III. Interest on balances with RBI & other inter bank funds	1610962
IV. Others	2576018
TOTAL	**164609431**
SCHEDULE 14 - OTHER INCOME :	
I. Commission, Exchange and Brokerage	3649397
II. Profit on sale of investments - net	4643849
IV. Profit on sale of land, buildings & other assets -net	-3591
V. Profit on exchange transactions - net	4290134
VI. Miscellaneous Income	7817401
TOTAL	**20397190**
SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED :	
I. Interest on deposits	95358371
II. Interest on Reserve Bank of India/ Inter-bank borrowing	1134443
III. Others	5850328
TOTAL	**102343142**
SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES :	
I. Payments to and provisions for employees	26042284
II. Rent, taxes and lighting	2370438
III. Printing and stationery	337089
IV. Advertisement and publicity	943487
V. Depreciation on Bank's property	1562316
VI. Directors' fees, allowances and expenses	10312
VII. Remuneration to Managing / Executive Director	5633
VIII. Auditors' fees and expenses (including branch auditors)	214155
IX. Law Charges	107338
X. Postage, Telegrams, Telephones, etc.	433874
XI. Repairs and maintenance	561084
XII. Insurance	1759023
XIII. Other expenditure	5395819
TOTAL	**39742851**

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR 2010-2011

SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES :

1 ACCOUNTING CONVENTION & CONSOLIDATION PROCEDURE:

1.1 The accompanying Consolidated Financial Statements (CFS) have been prepared by following the going concern concept, generally on a historical cost basis and conform to the statutory provisions and practices prevailing in India in respect of Indian Offices/Branches and respective foreign countries in respect of Foreign Offices/Branches, except as otherwise stated.

1.2 The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the fi nancial statements are prudent and reasonable.

1.3 The accounting policies and practices of the Bank (parent) used in the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statement (CFS) reflect the banking industry practices, conform to the generally accepted accounting principles in India and the guidelines issued by the Reserve Bank of India and in accordance with Accounting Standard 21 “Consolidated Financial Statements”, issued by the Institute of Chartered Accountants of India. (ICAI).

1.4 The financial statements of the parent bank and its subsidiaries are combined on a line by line basis by adding together like items of assets, liabilities, income and expenses after eliminating intra-group transactions, unrealised profit/loss and making necessary adjustments wherever required to conform to uniform accounting policies. The financial statements of the subsidiaries are drawn upto the same reporting date as that of parent i.e. 31st March 2011.

1.5 Minority interest in the Consolidated Financial Statement consists of the share of the minority shareholders in the net equity of the subsidiaries.

1.6 Accounting for Investment in associate companies is done under Equity method in accordance with Accounting Standard 23, “Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements”, issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

2 Revenue Recognition

2.1 Banking entities:

i) Income and Expenditure is generally accounted for on accrual basis unless otherwise stated.

ii) Income on Non-performing Assets (NPAs) is recognised to the extent realised as per the prudential norms prescribed by the Reserve Bank of India. Income accounted for in the preceding year and remaining unrealized is derecognised in respect of assets classified as NPAs during the year.

iii) Commission, exchange and brokerage earned, rent on Safe Deposit Lockers and commission on bio matrix card are accounted for on realization basis.

iv) Foreign Branch: Income and expenditure are recognized / accounted for as per the local laws of the respective countries.

i) Asset Classification and Loan loss Provisioning

2.2 Non Banking entities:

Insurance:

a) Premium Income:

Premium (net of service tax) is recognised as income when due. For linked business, premium is recognized when the associated units are created. Top up premiums are considered as single premium. Premium on lapsed policies is recognised as income when such policies are reinstated. Commission received on reinsurance ceded is recognised as income in the period in which reinsurance premium is ceded.

b) Income from linked funds:

Income from linked funds which includes premium allocation charges, policy administrative charges, mortality charges, fund management charges etc. are recovered from the linked funds in accordance with the terms and conditions of policies issued.

c) Reinsurance Premium:

Cost of reinsurance ceded is accounted for at the time of recognition of premium income in accordance with the treaty or in-principle arrangement with the reinsurer. Profit commission on reinsurance ceded is netted off against premium ceded on reinsurance.

d) Benefits paid (including claims):

Benefits paid comprise of policy benefits & claim settlement costs, if any. Death, rider & surrender claims are accounted for on receipt of intimation. Survival benefit claims and maturity claims are accounted for when due. Withdrawals & surrenders under linked policies are accounted for in the respective schemes when the associated units are cancelled. Reinsurance recoveries on claims are accounted for, in the same period as the related claims.

e) Acquisition Costs:

Acquisition costs are costs that vary with and are primarily related to acquisition of insurance contracts and are expensed in the period in which they are incurred.

f) Liability for life policies:

Actuarial liability for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but a liability exists, is determined by the Appointed Actuary using the gross premium method and in case of group business unearned premium reserve method, in accordance with accepted actuarial practice, requirements of Insurance Act, 1938, IRDA regulations and the stipulations of Institute of Actuaries of India.

3 Investments

i) The Investment portfolio of the Bank is classified in accordance with the Reserve Bank of India guidelines into three categories viz.:

a) Held to Maturity (HTM),

b) Available for Sale (AFS),

c) Held for Trading (HFT).

ii) As per Reserve Bank of India guidelines, the following principles have been adopted for the purpose of valuation:

a) i) Securities held in "Held to Maturity" category - at acquisition cost.

The excess of acquisition cost over the face value is amortised over the remaining period to maturity.

b) Securities held in "Available for Sale" and "Held for Trading" category.

S. No.	Instrument	Valuation Norms
i.	Govt. of India Securities	At market price as per quotations put out by Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA).
ii.	State Development Loans, Securities guaranteed by Central / State Government, PSU Bonds	At appropriate additional spread upon yield curve as per FIMMDA.
iii.	Equity Shares	As per market rates, if quoted, otherwise at Book value as per latest Balance Sheet (not more than 1 year old). In the absence of both at Rs. 1/- per company.
iv.	Preference Shares	At market price, if quoted, or on appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per FIMMDA guidelines.
v.	Debentures	At market price, if quoted, otherwise on appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA guidelines.
vi.	Mutual Funds	At market price, if quoted, otherwise at Repurchase Price / Net Asset Value.
vii.	Treasury Bills / Certificate of Deposits / Commercial Papers	At carrying cost.
viii.	Venture Capital Funds	At declared NAV or break-up NAV as per audited Balance Sheet which is not more than 18 months old. If NAV / audited financial statements are not available for more than 18 months continuously, at Rs.1/- per VCF.
ix.	Security Receipts	At NAV as declared by Securitisation companies.
x	Foreign Branch	Investments are categorised and valued as per local laws.

c) i) Securities held in "Held for Trading" category - At market price based on quotations of Government Securities put out by FIMMDA.

ii) Inter bank REPO / Reverse REPO transactions are accounted for in accordance with extant RBI guidelines.

iii) Investments in "Available for Sale / Held for Trading" are valued category-wise and scrip-wise. Net depreciation, if any, in each category is charged to Profit and Loss Account while net appreciation, if any, is ignored.

iv) The shifting of Securities from one category to another category is carried out at lower of acquisition cost / book value / market value on the date of transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

v) The non-performing investments are identified and depreciation / provision is made as per RBI guidelines.

vi) Profit / loss on sale of investments in any category is taken to the Profit and Loss Account. However, in case of profit on sale of investments in "Held to Maturity" category, an equivalent amount (net of taxes if any, and net of transfer to Statutory Reserves) is appropriated to the Capital Reserve Account.

vii) Commission, brokerage, broken period interest etc. on Securities are debited / credited to Profit and Loss Account.

d. Derivative Contracts

i) The Interest Rate Swap which hedges interest bearing asset or liability are accounted for on accrual basis except the swap designated with an asset or liability that is carried at market value or lower of cost or market value in the financial statement. Gains or losses on the termination of swaps are recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the asset / liability.

ii) Trading swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements.

iii) In the case of option contracts, guidelines issued by FEDAI from time to time for recognition of income, premium and discount are being followed.

4 Advances

i) All advances are classified under four categories, i.e. (a) Standard, (b) Sub-standard, (c) Doubtful and (d) Loss assets. Provisions required on such advances are made as per the extant prudential norms issued by the Reserve Bank of India. Certain category of standard advances such as loans for consumer durables, educational loans, loans through credit cards and other personal loans carries an additional provision of 2% over and above the statutory requirement.

ii) Advances are stated net of provisions and unrecovered interest held in sundry / claims received from CGTF / ECGC relating to non-performing assets. The provision on standard advances is held in "Other Liabilities and Provisions".

iii) Asset classification and loan loss provisioning of foreign branches are made as per local requirement or as per RBI guidelines whichever is more stringent.

5 Floating Provisions

In accordance with the Reserve Bank of India guidelines, the Bank has an approved policy to set apart 1% of gross NPAs as floating provisions for advances till the coverage comes up to 100% of the gross NPAs.

6 Fixed Assets

i) Fixed Assets are stated at historical cost. Revalued Land and Buildings are stated at revalued amount.

ii) Software systems are capitalized as intangible assets.

iii) Depreciation on Fixed Assets is provided for on the diminishing balance method at the rates considered appropriate by the management as under:

	Type of Asset	Rate of Depreciation
I.	Premises	5 %
II.	Other Fixed Assets	
	- Furniture and Fittings	10 %
	- Electric Fittings and Equipment, Office Appliances and SDV Lockers/Strong rooms etc.	15 %
	- Transport Vehicles	20 %
	- U.P.S.	33.33 %
III.	On the amount added consequent upon revaluation of the assets	over the economic residual life of the respective assets

iv) Depreciation on computers and software is provided at 33.33% on straight-line method.

v) Depreciation on additions to assets made upto 30th September of the year is provided at full rate and on additions made thereafter, at half the rate.

vi) Depreciation on premises is provided on composite cost, wherever the value of land and buildings is not separately identifiable.

vii) No depreciation is provided on assets sold / disposed off during the year.

viii) Leasehold land is amortised over the period of lease.

ix) Depreciation on fixed assets outside India and fixed assets of subsidiaries/associates is provided as per regulatory requirements/or prevailing practices of respective country/industry.

7 Transactions involving Foreign Exchange

Revaluation of Foreign Currency Position and booking Profits / Losses:

i) Monetary assets and liabilities are revalued at the exchange rates notified by FEDAI at the close of the year and resultant gain / loss is recognized in the Profit and Loss Account.

ii) Income and Expenditure items are recognised at the exchange rates prevailing on the date of the transaction.

iii) Forward exchange contracts are recorded at the exchange rate prevailing on the date of commitment. Outstanding forward exchange contracts are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities and at interpolated rates for contracts of 'in-between' maturities. The resultant gains or losses are recognised in the profit and loss account.

iv) Contingent liabilities on account of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated at the exchange rates notified by FEDAI at the close of the year.

v) Representative offices of the bank outside India are treated as Integral Operation Unit as per RBI guidelines.

8 Accounting for Non – Integral foreign operations

Offshore Banking Units (OBU) and foreign branches are classified as non- integral foreign operations.

a) Offshore Banking Unit (OBU):

i) Assets and Liabilities (monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year-end.

ii) Income and expenses are translated at the quarterly average closing rate notified by FEDAI at the end of respective quarter.

iii) All resulting exchange differences are accumulated in 'Foreign Currency Translation Reserve'.

9 Employee Benefits

Annual contribution to Gratuity Fund, Pension Fund and provision towards leave are accounted for on the basis of actuarial valuation and contribution to the Provident Fund is charged to Profit and Loss Account. Net actuarial gains and losses are recognized during the year.

10 Taxation

Provision for Tax is made for both current and deferred taxes. Current tax is provided on the taxable income using applicable tax rate and tax laws. Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognized unless there is 'reasonable certainty' that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized. In case of carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses, deferred tax assets are recognized only if there is "virtual certainty".

11 Provisions, contingent liabilities and contingent assets

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that there will be an outflow of resources and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. Contingent Assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements. Contingent liabilities are not provided for and are disclosed by way of notes.

SCHEDULE 18 – NOTES ON ACCOUNTS:

1 The particulars of the subsidiaries whose financial statements are consolidated with the standalone financial statement of the bank (the parent) are as under :

Names of Subsidiaries	Country of Incorporation	Proportion of Ownership by the parent as on 31.03.2011
Union KBC Asset Management Company Private Ltd.	India	51%
Union KBC Trustee Company Private Ltd.	India	51%

2 The particulars of Joint Ventures considered in the Consolidated Financial Statements are as under :

Names of Joint Ventures	Country of Incorporation	Proportion of Ownership
Star Union Dai–Ichi Life Insurance Company Ltd. (Non-Banking)	India	26%

3 The particulars of Associates considered in the Consolidated Financial Statements are as under :

Names of Associates	Country of Incorporation	Proportion of Ownership
Regional Rural Banks:	India	35%
i) Kashi Gomti Samyut Gramin Bank	India	35%
ii) Rewa Sidhi Gramin Bank		

4 The financial statements of the subsidiaries, joint ventures and associates which are used in the consolidation have been drawn upto the same reporting date as that of the Parent i.e. 31st March 2011.

5 In case of Domestic Associates/subsidiaries, accounting adjustments arising due to different accounting policies followed by parent bank and associates/subsidiaries have been carried out on the basis of data provided by associates/ subsidiaries.

6 The Consolidated Financial Statements have been prepared on the basis of Audited financial statements of Star Union Dai-ichi Life insurance Company Ltd., KBC Asset Management Co Ltd. and all the Regional Rural Banks for the financial year ended 31.03.2011.

7 In respect of Parent Bank, confirmation / reconciliation of balances with foreign and other banks has been obtained /carried out except in a few cases.

Adjustment of outstanding entries in Suspense Accounts, Sundry Deposits, Clearing Adjustments, Bank Reconciliation statements and various inter-branch/office accounts is in progress. Reconciliation of Central Office Accounts maintained by branches has been completed up to 31st March 2011. Pending final

clearance of above, the overall impact, if any, on the accounts, in the opinion of the management will not be significant.

8 INCOME TAX

The Parent Bank considers that provision for Income tax held in its accounts is adequate.

9 ADDITIONAL DISCLOSURES IN TERMS OF THE RESERVE BANK OF INDIA GUIDELINES:

9.1 Capital

(₹ in crore)

		31.03.2011	31.03.2010
i)	CRAR (%)	12.95	12.51
ii)	CRAR - Tier I Capital (%)	8.69	7.91
iii)	CRAR - Tier II Capital (%)	4.26	4.60
iv)	Percentage of the shareholding of the Government of India.	57.06	55.43
v)	Amount raised by issue of IPDI	-	200
vi)	Amount raised by issue of Upper Tier II instruments	500	1000

9.2 Provisions & Contingencies

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2011	31.03.2010
Provision for NPA	1141.69	698.92
Depreciation in value of investments	**26.65**	**(117.34)**
Provision for Taxation (including deferred tax)	873.45	758.00
Provision on standard assets	148.54	20.95
Other Provisions (including floating provisions)	**32.71**	**223.86**
Grand Total	2223.04	1584.39

9.3 Details of Floating Provisions (Parent Bank)

(₹ in crore)

Particulars	2010-11	2009-10
Opening Balance in the floating provisions	697.00	539.50
Floating provisions made during the accounting year	46.00	157.50
Amount of drawdown made during the accounting year	0	0
Closing balance in the floating provision account	743.00	697.00

10 Accounting Standard 15 (Revised) – Employee Benefits-2010-11 (Parent Bank) :

The Bank has accounted for employee benefits as per Accounting Standards issued by the Institute of Chartered accountants of India, as per actuarial valuation report for the year ended March 31, 2011. The disclosure is as under:-

(₹ in crore)

		Gratuity	Pension
i)	**Principal actuarial assumption used**		
	Discount Rate Prev.	8.00%	8.00%
	Rate of return on Plan Assets Prev.	8.00%	8.00%
	Salary Escalation Prev.	4.00%	4.00%
	Attrition Rate Prev.	2.00%	2.00%
	Discount Rate Current	8.50%	8.50%
	Rate of Return on Plan Assets Current	8.00%	8.00%
	Salary Escalation Current	4.00%	4.00%
	Attrition Rate Current	2.00%	2.00%
ii)	**Table showing change in Benefit Obligation** :		
	Liability at the beginning of the year	518.27	1359.12
	Interest Cost	40.70	101.45
	Current Service Cost	37.40	62.34
	Past Service Cost (Vested Benefit Amortised)	325.00	1690.21
	Past Service Cost (Vested Benefit)	-	375.65
	Liability Transfer in	-	1122.50
	Liability Transfer out	-	-
	Benefit paid	(93.82)	(306.64)
	Actuarial (gain) / loss on obligations	67.38	367.19
	Liability at the end of the year	**894.93**	**4771.82**

		Gratuity	Pension
iii)	**Table of Fair value of Plan Assets:**		
	Fair value of Plan Assets at the beginning of the year	767.36	1158.11
	Expected return on Plan Assets	68.45	115.58
	Contributions	135.21	440.01
	Transfer from Other Company	-	1122.50
	Transfer to Other Company	-	-
	Benefit paid	(93.82)	(306.64)
	Actuarial Gain/(loss) on Plan Assets	(4.15)	(15.87)
	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	873.05	2513.69
	Total Actuarial Gain/(loss) to be recognized	**(71.53)**	**(383.06)**
iv)	**Recognition of Transitional Liability :**		
	Transitional Liability at start	-	-
	Transitional Liability recognized during the year	-	-
	Transitional Liability at end	**-**	**-**
v)	**Actual return on Plan Assets :**		
	Expected Return on Plan Assets	68.45	115.58
	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	(4.15)	(15.87)
	Actual return on Plan Assets	**64.30**	**99.71**
vi)	**Amount recognized in the Balance Sheet :**		
	Liability at the end of the year	894.93	4771.82
	Fair value of Plan Assets at the end of the year	873.05	2513.69
	Difference	(21.88)	(2258.13)
	Unrecognized Past Service Cost (Non Vested)… Closing Balance	260.00	1352.17
	Unrecognized Transition Liability… Closing Balance	-	-
	Amount Recognized in the Balance Sheet	**238.12**	(905.96)
vii)	**Expenses recognized in the Income Statement**:		
	Current Service Cost	37.40	62.34
	Interest Cost	40.70	101.45
	Expected Return on Plan Assets	(68.45)	(115.58)
	Past Service Cost (Vested Benefit Amortised) recognized	65.00	338.04
	Past Service Cost (Vested Benefit) recognized	-	375.65
	Recognition of Transition Liability	-	-
	Actuarial Gain or Loss	71.53	383.06
	Expenses Recognized in P & L	**146.18**	**1144.96**
viii)	**Balance Sheet Reconciliation:**		
	Opening Net Liability (Last year's net amount recognized in the balance sheet)	(249.09)	201.01
	Expenses as above	146.18	1144.96
	Transfer from other Company (Net)	-	-
	Transfer to other Company (Net)	-	-
	Employer's Contribution	(135.21)	(440.01)
	Amount recognized in Balance Sheet	**(238.12)**	**905.96**

		Gratuity	Pension
ix)	**Other Details :** Gratuity is payable at the rate of 15 days salary for each year of service subject to maximum of ₹10,00,000 or as per Bank's scheme. Pension is payable at the rate of 1/66 salary for each year of service subject to maximum of 50%. Actuarial gain / loss is accounted for in the year of occurrence. Salary escalation is considered is in line with the industry practice considering promotion and demand and supply of the employees.		
	No. of Members	29582	27856
	Salary Per Month	95.14	84.45
	Contribution for next year	**-**	**273.62**
x)	**Category of assets:**		
	Government of India Assets	-	-
	Corporate Bonds	-	-
	Special Deposits Scheme	-	-
	State Govt.	-	-
	Property	-	-
	Other	873.05	2513.69
	Insurer Managed Funds	-	-
	Total	**873.05**	**2513.69**
xi)	**Experience Adjustment**		
	On plan liability (Gain) / Loss	**145.69**	**367.19**
	On plan Assets (Loss) / Gain	**(4.15)**	**(15.87)**

Details of Provisions made for various Long Term Employees Benefits during the year are as follows:

(₹ in crore)

Sr. No.	Other Long Term Benefits	Amount
1	Pension	1145.96
2	Leave Encashment	106.10
5	Leave Travel Concession	0.96
6	Sick Leave	10.58

AS-15 (revised 2005) Employee Benefits states benefits involving employer established provident funds, which require interest shortfall to be provided, are to be considered as defined benefit plans. Pending determination of liability in view of issues in making reasonable actuarial assumptions, effect in this respect has not been ascertained. Accordingly, other related disclosures in this respect have not been made and ₹ 22.88 crore (previous year ₹ 30.55 crore) has been recognized as an expense towards provident fund scheme and have been included in payments to and provisions for employees under operating expenses.

In accordance with RBI circular no.DBOD.BP.BC.80 / 21.04.018/ 2010-11 dated 09.02.2011 one-fifth of the additional pension fund liability of ₹ 338.04 crore towards serving employees, who have exercised second option and 100% of such liability of ₹ 375.65 crore towards retired / separated employees aggregating to ₹713.69 crore has been charged to Profit & Loss account this year, with ₹ 1352.17 crore carried forward to be charged over the next 4 years.

In addition one fifth of the additional gratuity liability which arose on enhancement of Gratuity limit from ₹ 3.50 lacs to ₹10 lacs amounting to ₹ 65 crore has also been charged to the Profit and Loss account with the balance of ₹ 260 crore being carried forward to be charged over the next 4 years.

11 SEGMENT REPORTING AS PER ACCOUNTING STANDARD - 17

(₹ in crore)

	Business Segment	Year ended (Audited) 31.03.2011
(a)	**Segment Revenue**	
1	Treasury Operations	4,932.41
2	Retail Banking Operations	5,657.77
3	Corporate /Wholesale Banking	7,794.18
4	Other Banking Operations	107.04
5	Unallocated	145.40
	Total	**18,636.80**
(b)	**Segment Results**	
1	Treasury Operations	1,141.64
2	Retail Banking Operations	781.92
3	Corporate /Wholesale Banking	976.22
4	Other Banking Operations	55.82
5	Unallocated	116.89
	Total	**3,072.49**
(c)	**Income Tax**	**873.65**
(d)	**Net Profit**	**2,198.84**
(e)	**Segment Assets**	
1	Treasury Operations	78,631.90
2	Retail Banking Operations	51,840.03
3	Corporate/Wholesale Banking	101,901.16
4	Other Banking Operations	-
5	Unallocated Assets	4,189.85
	Total	**236,562.94**
(f)	**Segment Liabilities**	
1	Treasury Operations	74,979.22
2	Retail Banking Operations	49,404.87
3	Corporate /Wholesale Banking	97,114.38
4	Other Banking Operations	-
5	Unallocated Liabilities	2,299.95
6	Capital, Reserves & Surplus	12,764.52
	Total	**236,562.94**

i) The Bank operates in four segments viz., Treasury, Retail, Non-Retail and Para Banking. These segments have been identified in line with AS-17 on segment reporting after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profiles, the organizational structure and the internal reporting system of the bank. The bank has disclosed the business segment as primary segment. The revenue and other parameters prescribed in AS-17 of foreign branch for the period are within the threshold limits as stipulated under AS-17 and hence the bank has only one reportable geographical segment.

ii) Segment wise income, expenditure, assets and liabilities which are not directly allocable have been allocated to the reportable segments based on assumptions considered appropriate.

iii) Information in respect of two non-banking subsidiaries and one joint venture, has been included under unallocated segment, since they are not reportable segment as per AS-17.

12 Accounting Standard 18 – Related Party Disclosures (Parent Bank):

12.1 List of Related Parties:

a) The Bank has identified the following persons to be the Key Management Personnel as per AS – 18 on Related Party Disclosures:

i. Shri M. V. Nair, Chairman & Managing Director

ii. Shri S. C. Kalia, Executive Director

iii. Shri S. Raman, Executive Director (till 31.08.2010)

iv. Shri S. S. Mundra, Executive Director (from 01.09.2010)

b) Subsidiaries:

Union KBC Asset Management Company Private Ltd.

Union KBC Trustee Company Private Ltd.

c) Joint Venture:

Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company Ltd.

d) Associates:

Two Regional Rural Banks sponsored by the Parent Bank viz., Kashi Gomti Samyut Gramin Bank and Rewa Sidhi Gramin Bank.

12.2 Transactions with Related Parties

(₹ In crore)

Items / Related Parties	Associates / Joint ventures		Key Management Personnel		Relatives of Key Management Personnel		Total	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
Deposit	2702.56	2309.55	-	-	-	-	2702.56	2309.55
Interest paid	130.96	132.97	-	-	-	-	130.96	132.97

12.3 Key Management Personnel

(₹ in lacs)

	2010 - 11	2009 – 10
Remuneration paid to Chairman and Managing Director	21.83	27.27
Remuneration paid to Executive Directors	34.50	31.07#
Total	56.33	58.34

Includes performance based incentives of ₹ 2.23 lacs paid to one Executive Director of the Bank during the previous year.

13 Earning per Share – Accounting Standard – 20

The Bank reports basic earnings per equity share in accordance with Accounting Standard 20 on "Earning per Share". Basic Earning per Share is computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

			31.03.2011	31.03.2010
I	Basic and Diluted EPS	₹	39.71	41.08
ii	Net Profit after Tax available for equity shareholders (₹ In crore)		2081.95	2074.92
iii	Average number of equity shares (No. in crore)	No.	52.433	50.51
iv	Nominal value per share	₹	10.00	10.00

14 Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income

The Bank has accounted for Income Tax in compliance with AS 22 on Accounting for Taxes on Income. Accordingly, Deferred Tax Assets and Liabilities are recognized. Tax effect on the components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities as on 31st March 2011 are as under:

(₹ in crore)

		31.03.2011	31.03.2010
	Deferred Tax Assets		
1	Amortization of Premium on Investments	185.68	224.90
2	Employee Benefits	145.82	151.95
3	Depreciation on Fixed Assets	-	3.13
4	Leave Encashment	35.21	-
	Total	366.71	379.98
	Deferred Tax Liabilities		
1	Provision for diminution in value of securities	-	26.41
2	Depreciation on Fixed Assets	26.67	-
3	Accrued interest on securities	374.11	321.19
	Total	400.78	347.60
	Net Deferred Tax Liability	**34.07**	
	Net Deferred Tax Asset	**-**	**32.38**

15 The figures of the previous year have been regrouped / rearranged wherever considered necessary.

SIGNATORIES TO SCHEDULES 1 TO 18

V. H. KAMATH ASST. GEN. MANAGER	**N.S.MEHTA** GENERAL MANAGER	**S. S. MUNDRA** EXECUTIVE DIRECTOR	**S. C. KALIA** EXECUTIVE DIRECTOR	**M.V. NAIR** CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR
MEENA HEMCHANDRA DIRECTOR	**B. M. SHARMA** DIRECTOR	**N SHANKAR** DIRECTOR	**DR. GULFAM MUJIBI** DIRECTOR	**PROF. M.S.SRIRAM** DIRECTOR
ARUN KUMAR NANDA DIRECTOR	**S. RAVI** DIRECTOR			

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED

For G. D. APTE & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS	**For JAGANNATHAN & SARABESWARAN** CHARTERED ACCOUNTANTS	**For ARUN K. AGARWAL & ASSOCIATES** CHARTERED ACCOUNTANTS
(CHETAN R. SAPRE) PARTNER (M. No. 116952) Firm Regn. No.: 100515W	**(P S NARASIMHAN)** PARTNER (M. No.20936) Firm Regn. No.: 001204S	**(VIMAL KUMAR JAIN)** PARTNER (M. No.86657) Firm Regn. No.: 003917N
For J. L. SENGUPTA & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS	**For OM PRAKASH S. CHAPLOT & CO.** CHARTERED ACCOUNTANTS	**For G. S. MATHUR & CO.** CHARTERED ACCOUNTANTS
(S. R. ANANTHAKRISHNAN) PARTNER (M. No.18073) Firm Regn. No.: 307092E	**(MAHAVEER CHAPLOT)** PARTNER (M. No.403633) Firm Regn. No.: 000127C	**(RAJIV KUMAR WADHAVAN)** PARTNER (M. No.091007) Firm Regn. No.: 008744N

Place : MUMBAI

Date : 6th May 2011

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2011

(₹ in lacs)

Sr. No.	Particulars	Year Ended 31.03.2011
A	Cash flow from operating activities	448,884
B	Cash flow from investing activities	(20,811)
C	Cash flow from financing activities	7,541
		435,614
D	Cash and cash equivalents at the beginning of the year	1,577,669
E	Cash and cash equivalents at the end of the year	2,013,283
F	Total Cash Flow during the year (A+B+C) or (E-D)	**435,614**
	BREAK UP DETAILS	
A	**CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**	
	Interest received during the year from advances, investments etc.,	1,625,448
	Other Income	204,086
	Less : Interest paid on deposits, borrowings etc. (excl. subordinated debts)	(965,167)
	Operating expenses including provisions and contingencies	(618,441)
	Add : Adjustment for depreciation	15,566
	I. Cash profit generated from operations	**261,492**
	II. Cash flow from operating assets & liabilities	
	[increase/(decrease)]in liabilities	
	Deposits	3,241,291
	Borrowings	400,066
	Adjustment for Deferred Tax Assets/Liability	3,407
	Other liabilities etc. (including write back of excess provision made in earlier years)	225,445
	Decrease/(Increase) in Assets	
	Advances	(3,167,792)
	Investments	(450,962)
	Others	(64,063)
	Cash flow from operating assets & liabilities	**187,392**
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (I+II)	**448,884**
B	**CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**	
	Sale/disposal of fixed assets	664
	Purchase of fixed assets	(21,475)
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES	**(20,811)**
C	**CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**	
	Dividend 2008-2009	
	Dividend Tax 2008-09	
	Dividend 2009-10	(27,781)
	Dividend Tax 2009-10	(4,721)
	Proceeds of subordinated debts - Tier II Capital	(40,000)
	Interest on Tier II Capital	(49,256)
	Subordinate Upper Tier II Capital	50,000
	Perpetual Bonds	-
	PNCPS	11,100
	Share Capital from GOI	68,199
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES	**7,541**

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2011

(₹ in lacs)

Sr. No.	Particulars	Year Ended 31.03.2011
D	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR**	
	Cash and Balances with RBI (including FC notes)	1,246,824
	Balances with banks and Money at call	330,845
	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year	**1,577,669**
E	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR**	
	Cash and Balance with RBI (including FC notes)	1,764,484
	Balances with banks and Money at call	248,799
	Net cash and cash equivalents at the end of the year	**2,013,283**

(S. S. MUNDRA)
EXECUTIVE DIRECTOR

(S. C. KALIA)
EXECUTIVE DIRECTOR

(M. V. NAIR)
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

Auditors Certificate :

We, the undersigned Statutory Auditors of the Union Bank of India, have verified the above Cash Flow Statement of the Bank for the year ended 31.03.2011. The statement has been prepared in accordance with the requirements of the clause 32 of the listing agreement with the Stock Exchange and is based on and in agreement with the corresponding Profit & Loss Account and the Balance Sheet of the Bank covered by our report of the 6th May, 2011 to the members.

For G. D. APTE & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(CHETAN R. SAPRE)
PARTNER (M. No. 116952)
Firm Regn. No.: 100515W

For JAGANNATHAN & SARABESWARAN
CHARTERED ACCOUNTANTS

(P S NARASIMHAN)
PARTNER (M. No.20936)
Firm Regn. No.: 001204S

For ARUN K. AGARWAL & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

(VIMAL KUMAR JAIN)
PARTNER (M. No.86657)
Firm Regn. No.: 003917N

For J. L. SENGUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(S. R. ANANTHAKRISHNAN)
PARTNER (M. No.18073)
Firm Regn. No.: 307092E

For OM PRAKASH S. CHAPLOT & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(MAHAVEER CHAPLOT)
PARTNER (M. No.403633)
Firm Regn. No.: 000127C

For G. S. MATHUR & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(RAJIV KUMAR WADHAVAN)
PARTNER (M. No.091007)
Firm Regn. No.: 008744N

Place : MUMBAI
Date : 6th May 2011

RISK MANAGEMENT

Disclosure under the New Capital Adequacy Framework

Guidelines - Basel II (Pillar 3) – March 2011

Disclosures in this report pertain to Union Bank of India (Solo). The Capital to Risk-weighted Assets Ratio (CRAR) of the bank is as under:

CRAR %	12.95%
CRAR – Tier 1 Capital %	8.69%
CRAR – Tier 2 Capital %	4.26%

Table DF-1

1. Scope of Application

Qualitative Disclosures

Union Bank of India is one of the top Public Sector Banks in India. The bank holds 51% shareholding as a subsidiary business in Union KBC Asset Management Company Pvt. Ltd. The company has already received in principle approval from RBI and SEBI but is yet to commence the commercial activities. The subsidiary is yet to close its books as it has decided to close its books on 30th September every year.

The Bank has sponsored 2 RRBs Kashi Gomati Samyut Gramin Bank Varanasi and Rewa Sidhi Gramin Bank. Bank's investments in these RRBs are Rs.19.15 crs. Both the RRBs are profit making and are working satisfactorily. There is no capital deficiency in these two RRBs. The financials of these RRBs are not consolidated with the balance sheet of the bank.

Quantitative Disclosures

The Bank has entered into joint venture agreement for insurance, which is furnished below and the investment in the joint venture is not deducted from the capital funds of the bank but is assigned risk –weights as an investment as the investment is less than 30% of paid up capital of the company.

- Star Union Dai-ichi (SUD) Life Insurance Co., with 26% in the paid-up capital (Bank of India 48% & Dai-ichi Mutual Life insurance, Japan – 26%).

Details of Star Union Dai-ichi (SUD) Life Insurance Co. Ltd.

Name of the Company :	**Star Union Dai-ichi (SUD) Life Insurance Co. Ltd.**
Country of Incorporation :	India
Proportion of ownership interest :	26%
Proportion of Voting Power :	25% (viz. 2 votes)
Authorised Capital of SUD Life Insurance : Co.Ltd	₹ 250.00 crs
Paid up Capital :	₹ 250.00 crs
Union Bank's share in paid up : capital (viz.26%)	₹ 65.00 crs

Further, the Bank has entered into joint venture with KBC Asset Management Co., Belgium for Mutual Fund business and the investment amount in this company is deducted from the capital funds (50% from Tier 1 capital and 50% from Tier 2 capital) of the bank as the investment is more than 30% of paid up capital of the company.

Under the same, an asset management and a trustee company has been formed. The details of the companies are furnished as under:

Details of Union KBC Asset Management Company Pvt. Ltd.

Name of the Company :	**Union KBC Asset Management Company Pvt. Ltd.**
Country of Incorporation :	India
Proportion of ownership interest of Union Bank :	51%
Proportion of Voting Power :	50% (viz. 2 votes)
Authorised Capital of Union KBC Asset Management : Co. Pvt. Ltd	₹ 100.00 crs
Paid up Capital :	₹ 95.00 crs
Union Bank's share in paid up : capital (viz.51%)	₹ 48.45 crs

Details of Union KBC Trustee Company Pvt. Ltd.

Name of the Company :	**Union KBC Trustee Company Pvt. Ltd.**
Country of Incorporation :	India
Proportion of ownership interest of Union Bank :	51%
Proportion of Voting Power :	50% (viz. 1 vote)
Authorised Capital of Union KBC Trustee : Co. Pvt. Ltd	₹ 5 lakhs
Paid up Capital of Union KBC Trustee Co. Pvt. Ltd	₹ 5 lakhs
Union Bank's share in paid up : capital (viz.51%)	₹ 2.55 lakhs

Table DF-2

2. Capital Structure

Qualitative Disclosures

2.1 Equity Capital:

2.1.1. The bank has authorized share capital of ₹ 3000.00 crore. As on 31st March 2011, the bank has issued, subscribed and paid up equity capital of ₹ 524.33 crore, constituting 52,43,32,415 number of shares of ₹ 10/ each. 57.07% shareholding constituting 29,92,14,515 number of shares is with the Government of India as of 31.03.2011. The bank has received a capital infusion of ₹ 682.00 crore from the Government of India through issue of 1,92,14,515 equity shares of ₹ 10/- each at a premium of ₹ 344.94. During the year bank has allotted 111000000/- Perpetual Non Cumulative Preference Shares (PNCPS) of ₹ 10/- each to Government of India. The bank's shares are listed on the National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE).

2.2 Debt Capital Instruments:

2.2.1. Bank has issued Innovative Perpetual Bonds (Tier 1 capital) and also other bonds eligible for inclusion in Tier 2 capital. Some of the important terms of the bonds are as under:

a. Perpetual Unsecured Non-Convertible Subordinated bonds in the nature of promissory notes (Tier 1 bonds)

Series	Date of Allotment	Bond Amount (₹ in crs)	Coupon Rate % (p.a.)	Tenor	Call Option	Put Option
X-Ist TRANCHE	10.10.2006	300.00	9.45 with step upto 9.95% after 10th yr if call option not exercised	Perpetual	End of 10th Yr.	None
XI-2nd TRANCHE	12.12.2007	200.00	9.90 with step upto 10.40% after 10th yr if call option not exercised	Perpetual	End of 10th Yr.	None
XII	09.09.2008	200.00	11.15 with step upto 11.65% after 10th yr if call option not exercised	Perpetual	End of 10th Yr.	None
XII	30.03.2009	140.00	9.10 with step upto 9.60% after 10th yr if call option not exercised	Perpetual	End of 10th Yr.	None
XIV-A	16.06.2009	200.00	8.85 upto 10th yrs step up to 9.35% after 10th yr, if call option not exercised	Perpetual	End of 10th Yr.	None
Total		**1040.00**				

b. Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated bonds in the nature of promissory notes (Upper tier 2 bonds) with call option at the end of 10th year

Series	Date of Allotment	Bond Amount (Rs.in crs)	Coupon Rate% (p.a.)	Maturity Date	Call Option	Put Option
X-IIND TRANCHE Upper tier II	16.10.2006	750.00	8.95 with step upto 9.45% after 10th yr if call option not exercised	16.10.2021	End of 10th Yr.	None
XIV-B Upper tier II	25.06.2009	500.00	8.65 upto 10th yrs step up to 9.15% after 10th yr if call option not exercised	25.06.2024	End of 10th Yr.	None
XIV-C Upper tier II	27.01.2010	500.00	8.55 upto 10th yrs step up to 9.05% after 10th yr if call option not exercised	27.01.2025	End of 10th Yr.	None
XV-A Upper tier II	28.06.2010	500.00	8.55 upto 10th yrs step up to 9.05% after 10th yr if call option not exercised	28.06.2025	End of 10th Yr.	None
Total		**2250.00**				

c. Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated bonds in the nature of promissory notes (Lower Tier 2 bonds)

Series	Date of Allotment	Bond Amount (₹ in crs)	Coupon Rate % (p.a)	Maturity Date	Call Option	Put Option
VI	03.09.2003	250	5.95%	03.05.2013	None	None
VII	08.02.2005	450	7.15%	08.05.2015	None	None
VIII-FLOATING	23.09.2005	200	1-year INBMK + 0.55%bps	23.04.2012	None	None
VIII	23.09.2005	600	7.45%	23.04.2015	None	None
IX	19.05.2006	200	8.33%	19.05.2016	None	None
XI- Ist Tranche	12.12.2007	400	9.35%	12.04.2018	None	None
XII	17.09.2008	400	10.95%	17.09.2018	None	None
XII	23.12.2008	200	9.50%	23.12.2018	None	None
XII	30.12.2008	200	8.60%	30.12.2018	None	None
Total		**2900**				

d. Total Active Bonds

(₹ in crs)

TOTAL ACTIVE BONDS (a+b+c)	**6190**

Quantitative Disclosures

2.3 The tier 1 capital of the bank comprises:

(₹ in crs)

i)	Paid up share capital	524.33
ii)	Reserves (excluding revaluation reserves)	10549.82
iii)	Perpetual Non Cumulative Preference Shares (issued to GoI)	111.00
iv)	Innovative Perpetual Bonds	1040.00
v)	Other Capital Instruments	--
Deductions		
vi)	Equity Investment in subsidiaries (50%)	33.82
vii)	Intangible Assets:(Deferred Tax Assets +Computer Software)	13.64
Tier I Capital (i + ii + iii + iv +v –vi-vii)		12177.69

2.4 The amount of Tier 2 capital (net of deductions) is ₹ 5968.18 Crs.

Total Tier 2 capital	6002.00 crs
Less: equity investment in subsidiaries (50%) (KBC:24 cr + RRBs: 10 cr)	33.82 crs
Tier 2 capital after deductions	5968.18 crs

2.4.1. The debt capital instruments eligible for inclusion in Upper tier 2 capital are:

(₹ in crs)

Total amount outstanding	2250
Of which amount raised during the current year	500
Amount eligible to be reckoned as capital funds	2250

2.4.2. The subordinated debts eligible for inclusion in Lower Tier 2 capital is :

(₹ in crs)

Total amount outstanding	2900
Of which amount raised during the current year	-
Amount eligible to be reckoned as capital funds	2380

2.5 There are no other deductions from capital.

2.6 The total eligible capital comprises:

(₹ in crs)

Tier – I Capital	12177.69
Tier – II Capital	5968.18
Total Capital Funds	18145.87

Table DF-3

3. Capital Adequacy

Qualitative Disclosures

3.1. Bank maintains capital as a cushion towards the risk of loss in value of exposure, businesses, etc., to protect the interest of stake holders, more particularly, depositors.

3.2. Bank has system in place for assessing the capital requirements based on current and future business activities and monitoring the same on an ongoing basis. The bank considers that capital availability is the central theme in the whole process and its computation is relatable to policy, strategy, business level/composition, Supervisory concern and Disclosure issues. Towards this, bank has evolved a well laid down Internal Capital Adequacy Assessment Process (I-CAAP) framework and carries out capital calculation under Pillar-2 also of Basel-II at periodical intervals besides Pillar 1 Capital calculation. The bank has formulated Stress Testing policy to measure impact of adverse stress scenarios on the adequacy of capital at periodical intervals.

3.2.1 In line with RBI guidelines, the bank has adopted following approaches for implementation of New Capital Adequacy Framework – Basel II.

- Standardised Approach for credit risk
- Basic Indicator Approach for operational risk
- Standardised Duration Approach for market risk

3.2.2 Bank plans capital requirements and reviews the same on quarterly basis. Bank has done capital assessment upto 2011.

Quantitative Disclosures

3.2.3 A summary of the bank's capital requirement for credit, market and operational risk and the capital adequacy ratio as on 31st March 2011 is given as hereunder:

(₹ in crs)

A.	Capital Requirements for Credit Risk:	
	- Portfolios subject to Standardized Approach @ 9%	11356.78
	- Securisation Exposures	Nil
B.	Capital Requirements for Market Risk	
	- Standardized Duration Approach	
	- Interest Rate Risk	295.42
	- Foreign Exchange Risk (including gold)	12.15
	- Equity Risk	195.02
C.	Capital Requirements for Operational Risk	
	- Basic Indicator Approach (RWA – 5013 crs @ 9%)	749.56
D.	Capital Adequacy Ratio of the Bank (%)	12.95%
E.	Tier 1 CRAR (%)	8.69%

General Qualitative disclosures

3.3. Risk Management: Objectives and Organization Structure

The bank has a credible and comprehensive risk management structure and taken various initiatives to strengthen the risk management practices. The Bank has an integrated approach for management of risk. The risk management policies are commensurate with the business requirements and are as per the guidelines of Reserve Bank of India. The risk management system

encompasses the different types of risks viz. credit risk, market risk and operational risk.

The bank has also formulated board approved country specific risk policy for its Hong kong branch and the policies are drawn based on the risk dimensions of Hong Kong economy and the bank's risk appetite.

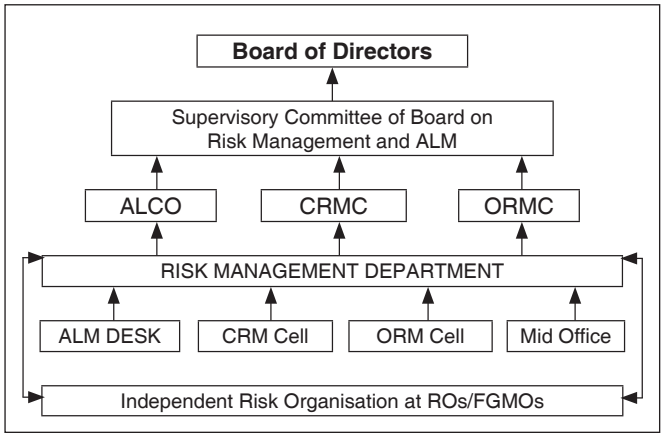

The Board of Directors of the Bank has an oversight of Risk Management activities of the Bank. The Bank's Supervisory Committee of Directors on Risk Management is the Apex Body/Committee to oversee various Risk Management activities. The Bank also has separate Committees of Top Executives i.e., Credit Risk Management Committee (CRMC), Asset & Liability Committee (ALCO) and Operational Risk Management Committee (ORMC) to deal with Credit, Market and Operational Risk respectively. Further, the bank has Risk Management organizational structure in place not only at corporate office but also at Regional Offices/Field General Manager's Offices. The broad risk management organizational structure of the bank is furnished as under:

3.3.1. Credit Risk:

Credit Risk Governance

- Credit Risk covers the inability of a borrower or counterparty to honour commitments on due date in respect of payment of interest and instalments.
- The Bank is exposed to Credit Risk through Lending and Investment activities.
- Bank has well laid down Loan Policy, Credit Risk Management Policy, Real Estate Policy and Credit Risk Mitigation (CRM) Techniques & Collateral Management Policy which covers guidelines on the entire gamut of Credit Risk Management Process. Loan Policy & Credit Risk Management Policy, spells out the target markets, risk acceptance/avoidance, risk tolerance, preferred levels of diversification and concentration, credit risk measurement, monitoring and controlling mechanisms.
- Bank has an appropriate and independent organizational structure with an oversight mechanism for management of credit risk, which includes Credit Risk Management Committee (CRMC) of Top Executives and a separate Risk Management Department looking after the Credit Risk. Besides, there is a separate Board Level Committee i.e., Supervisory committee of the Board to oversee the functioning of Risk Management and ALM.
- CRMC deals with issues relating to credit policy, procedures and control measures for credit risk on a Bank-wide basis.

Credit Granting Process

- Loan Policy of the bank covers in detail guidelines on credit granting process which among other things include
  - Thrust area and non thrust area
  - Due diligence criteria
  - KYC norms
  - Method of assessment of finance
  - Minimum credit standards
  - Take over code norms, etc.

Credit Monitoring System

Credit monitoring is a continuous process. Bank has separate policy on credit monitoring which includes guidelines on:

- Identification of EAS/SMA accounts and trigger points for initiating timely action.
- Periodicity of review of the borrowal accounts based on credit quality. Borrowers with lower credit rating are subject to more frequent reviews.
- Submission of periodical monitoring reports.
- Different hierarchical levels for monitoring.

Credit Rating Framework

- Bank has comprehensive internal credit rating/ scoring models being applied in the Credit Administration and Approval process. Credit rating framework is a combination of quantitative and qualitative aspects. Credit Rating depicts credit quality and predicts probability of default.
- Credit Rating models are in place for Credit Rating of Borrowers, Non-SLR Investments, Inter Bank Exposures and Exposure to NBFC.
- Credit scoring models are in place for retail lending schemes.
- Independent assignment of Credit Rating is in place. The Credit Rating is reviewed annually and for high-risk credits half-yearly.
- There are 8 risk-rating grades in standard category and upto Credit Rating-5 is fixed as 'investment grade'.
- The bank carries out analysis on rating wise distribution of borrowers on obligor basis and portfolio basis at periodical intervals and monitors the same.

Credit Grid System

- Bank has established comprehensive Credit Grid System at Regional Offices/Field General Manager's Offices and Central Office to examine all credit exposures with representative of risk management department.

Credit Concentration Risk

- risk based on the following:
- Exposure to The bank has fixed prudential / regulatory ceilings for various category of advances for diversifying the credit portfolio. The bank has well diversified credit portfolio.
- Bank monitors the adherence to the exposure ceilings on a quarterly basis. Bank also has a well-established system of monitoring large exposure through monthly monitoring report. The credit portfolio of the bank is well diversified so as to reduce concentration in any area. If bank's portfolio falls below the desired degree of diversification, immediate steps are initiated to shift risk away from individual - group exposure/industry/sector, etc.
- Credit Risk appetite of the Bank is defined through Annual Budgeting Process by fixing ceilings / prudential limits for different types of exposures and fixing prudential limits in the risk management policies.

Risk Profiling

- Bank also compiles a Credit Risk Profile Template (RPT) on a quarterly basis, by which it assesses the level and direction of inherent business risks, internal control risk and resultant net credit single borrower/ group borrowers
  - Substantial exposure limits
  - Exposure to sensitive sectors i.e., capital market/ Real Estate and NBFC.
  - Unsecured advances and guarantees
  - Exposure to top 20 borrowers
  - Exposure to industries/sectors
  - Geography-wise exposure

3.3.2. Market Risk

- Market Risk Management is covered in Treasury Policy and ALM Policy.
- There is a clear-cut separation between front office, back office and mid-office in Treasury operations.
- Mid-office directly reports to the Risk Management Department.
- Various Limits – for domestic and foreign exchange operations, e.g. Overnight Position limit, Daylight Open Position limit, VaR limits, Deal size limits, Stop Loss limits, Aggregate Gap Limit (AGL), Individual Gap Limit (IGL), counterparty limits etc. are in place.
- Value at Risk (VaR) is being monitored on AFS G-sec, equity Portfolio and forex transactions on a daily basis.

3.3.2.1 Interest Rate Risk In banking Book:

- Bank carries out Duration Gap Analysis (DGA) to capture impact of changes in interest rates by 200 bps on market value of equity in terms of RBI Guidelines.

3.3.3. Operational Risk

- A well laid down board approved Operational Risk Management Policy is in place.
- Presently, Operational Risk is managed through Internal Control System, Internal Audit Process.
- New Product Approval Process is in place.
- Analysis of frauds is done from the angle of operational risk to assess the adequacy and efficacy of internal controls.
- Guidelines for mapping bank's activities and income are in place.
- Since internal Operational Risk (OR) Loss Data points are limited in number, bank has agreed in principle to join external data pooling exercise of IBA.

Table DF-4

Qualitative Disclosures

4. Credit Risk - General Disclosures

4.1. Overdue: Any amount due to the bank under any credit facility is "overdue" if it is not paid on the due date fixed by the bank.

4.2. An impaired Asset: An impaired asset is a loan or an advance when it ceases to generate income for the bank. A Non Performing Asset (NPA) is a loan or an advance where:

a) Interest and/or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan.

b) The account remains out of order in respect of an overdraft/cash credit (OD/CC):
   - if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power.
   - In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of balance sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period.

c) In case of bills purchased & discounted, if the bill remains overdue for a period of more than 90 days.

d) In case of Crop Loans
   1. The installment of principal or interest thereon, remains overdue for two crop seasons in case of short duration crop.
   2. Installment of principal or interest there on, remains overdue for one crop season in case of long duration crop.

e) If interest charged (including monthly interest) during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter.

f) Any amount to be received remains overdue for a period of more than 90 days in respect of other accounts.

4.3. Credit Risk Management Policy: Bank has board-approved Credit Risk Management Policy besides Loan Policy. While Loan Policy covers business issues, Credit Risk Management Policy deals with risk issues.

Credit Risk Management Policy covers guidelines on:

- Credit Risk Rating framework and pricing
- Credit Grid Approach,

- Prudential/Regulatory ceilings, such as industry wise exposure, sensitive sector exposure (capital market/ real estate exposure,
- Loan review mechanism,
- Portfolio management,
- Off-balance sheet exposure,
- Problem loan management,
- Basel II implementation, etc.

Quantitative Disclosures

4.4 The total gross credit risk exposures are:

(₹ in Crores)

Category	Amount
Fund Based	153022.46
Non Fund Based	36100.58
TOTAL	189123.04

4.5 The geographic distribution of exposures is:

(₹ in Crores)

	Overseas	Domestic
Fund Based	5941.00	147081.46
Non-fund based	208.10	35892.48
Total	6149.10	182973.94

4.6. Industry type distribution of exposures (Fund Based) is as under:

31.03.2011

Sr. No.	Code	Industry	(₹ in crs)	Exposure above 5%
1	1	Coal	71	0.05
2	2	Mining	493	0.32
3	3	Iron and Steel	6250	4.08
4	4	Other Metal & Metal Products	1180	0.77
5	5	All Engineering	1281	0.84
6	6	Electricity	10610	6.93
7	7	Cotton Textiles	1964	1.28
8	8	Jute Textiles	82	0.05
9	9	Other Textiles	2914	1.90
10	10	Sugar	870	0.57
11	11	Tea	182	0.12
12	12	Food Processing	2146	1.40
13	13	Vegetable Oils & Vanaspati	476	0.31
14	14	Tobacco & Tobacco Products	51	0.03
15	15	Paper & Paper Products	416	0.27
16	16	Rubber & Rubber Products	726	0.48
17	17	Chemicals, Dyes, Paints etc.	2776	1.82
		of which Fertilisers	68	0.04
		of which Petrochemicals	379	0.25
18	18	Cement	845	0.55
19	19	Leather & Leather Products	176	0.12
20	20	Gems and Jewellery	1873	1.23
21	21	Construction	2805	1.83
22	22	Petroleum	3147	2.06
23	23	Automobiles including Trucks	1098	0.72
24	24	Computer Software	971	0.63
25	25	Infrastructure	6706	4.38
26	26	NBFCs	12423	8.12
27	27	Other Industries	3359	2.20
		TOTAL	**65891**	**43.06**
28	28	Residuary Other Advances	87131	56.94
		Grand Total	**153022**	**100.00**

Industry type distribution of exposures (Non-Fund Based) is as under:

31.03.2011

Sr. No.	Code	Industry	(₹ in crs)	Exposure above 5%
1	1	Coal	7.05	0.03
2	2	Mining	12.71	0.05
3	3	Iron and Steel	1771.32	6.79
4	4	Other Metal & Metal Products	549.30	2.10
5	5	All Engineering	1588.91	6.08
6	6	Electricity	1292.44	4.95
7	7	Cotton Textiles	144.37	0.55
8	8	Jute Textiles	2.67	0.01
9	9	Other Textiles	424.03	1.62
10	10	Sugar	11.77	0.04
11	11	Tea	1.83	0.01
12	12	Food Processing	181.79	0.70
13	13	Vegetable Oils & Vanaspati	82.76	0.32
14	14	Tobacco & Tobacco Products	12.18	0.05
15	15	Paper & Paper Products	22.22	0.09
16	16	Rubber & Rubber Products	177.31	0.68
17	17	Chemicals, Dyes, Paints etc.	376.74	1.44
		of which Fertilisers	1.55	0.01
		of which Petrochemicals	117.65	0.45
18	18	Cement	28.25	0.11
19	19	Leather & Leather Products	203.92	0.78
20	20	Gems and Jewellery	317.98	1.22
21	21	Construction	1531.05	5.87
22	22	Petroleum	101.89	0.39
23	23	Automobiles including Trucks	1766.12	6.77
24	24	Computer Software	104.28	0.40
25	25	Infrastructure	875.49	3.35

Sr. No.	Code	Industry	(₹ in crs)	Exposure above 5%
26	26	NBFCs	0.00	0.00
27	27	Other Industries	2031.03	7.78
		TOTAL	**13619.41**	**52.18**
28	28	Residuary Other non fund based credit facilities	12481.59	47.82
		Grand Total	**26101.00**	**100.00**

4.7. The residual contractual maturity break down of assets is:

(₹ in Crore)

Maturity Pattern	Advances	Investments	Foreign Currency Assets
Next day	3616.50	73.25	401.68
2 - 7 days	3612.56	1691.89	1135.15
8 -14 days	2792.88	972.61	240.58
15- 28 days	5052.65	2090.06	569.93
29days - 3months	22159.90	2127.03	2591.77
>3months-6months	13527.70	1283.70	3018.31
>6months-1yr	20173.43	650.68	1803.71
>1yr-3yrs	45838.66	2405.37	850.63
>3yrs-5yrs	14946.42	7124.43	728.05
>5yrs	19265.38	39980.12	642.63
Total	150986.08	58399.14	11982.44

4.8 The gross NPAs are:

Category	(₹ in Crores)
Sub Standard	2247
Doubtful – 1	576
Doubtful – 2	373
Doubtful – 3	139
Loss	288
Total NPAs (Gross)	**3623**

4.9 The amount of net NPAs is ₹ 1803 Crores.

4.10 The NPA ratios are as under:

- Gross NPAs to Gross Advances: 2.37 %
- Net NPAs to Net Advances: 1.19 %

4.11 The movement of gross NPAs is as under:

(₹ in Crores)

i) Opening Balance at the beginning of the year	2671
ii) Addition during the year	2924
iii) Reduction during the year	1972
iv) Closing Balance as at the end of the year (i + ii - iii)	3623

4.12 The movement of provision for NPAs is as under:

(₹ in Crores)

i) Opening Balance at the beginning of the year	1643
ii) Provisions made during the year	1288
iii) Write-off made during the year / Write –back	1154
iv) Closing Balance as at the end of the year (i + ii - iii)	1777

4.13. The amount of non-performing investment is ₹ 54.62 cr.

4.14. The amount of provisions held for non-performing investment is ₹ 54.62 cr.

4.15 The movement of provisions for depreciation on investments is as under:

(₹ in Crore)

i)	Opening balance at the beginning of the year	79.49
ii)	Provisions made during the year	60.28
iii)	Write-off made during the year / Write-back	34.13
iv)	Closing balance as at the end of the year (i + ii –iii)	105.64

Table DF-5

Qualitative Disclosures

5. Credit Risk: disclosures for portfolios subject to the standardized approach

5.1. Bank has approved the following 4 domestic credit rating agencies accredited by RBI for all eligible exposures.

- CRISIL
- CARE
- FITCH India
- ICRA

5.1.1. Bank has also approved the following 3 international credit rating agencies identified by RBI.

- Standard & Poor
- Moody's
- FITCH

5.2. Corporate borrowers and Public Sector Enterprises are being encouraged to solicit ratings from approved external rating agencies. The ratings available in public domain are mapped for the purpose of calculation of risk-weighted assets as per RBI guidelines on mapping.

Quantitative Disclosures

5.3. The exposure amounts after risk mitigation (subject to the standardized approach) in different risk buckets are as under:

(₹ in crore)

i)	Below 100% risk weight exposure outstanding	123510.57
ii)	100% risk weight exposure outstanding	71993.08
iii)	More than 100% risk weight exposure outstanding	12988.23
	Total	208491.88

Table DF-6

6. Credit Risk Mitigation: disclosures for standardized approaches

Qualitative Disclosures

6.1. Bank has board approved policy on Credit Risk Mitigation (CRM) Techniques & Collateral Management, which covers guidelines for selection of collaterals, risk

in collaterals, valuation and inspection of collaterals, eligible financial collaterals, guarantees and RBI stipulated haircuts.

6.2. The main types of collaterals taken by the bank are as under:

6.2.1. Eligible financial collaterals recognized as Credit Risk Mitigants under the Standardised Approach as per RBI guidelines on New Capital Adequacy Framework (NCAF),

- √ Cash or cash equivalent (bank deposits/ NSCs /KVP/ LIC Policy, etc),
- √ Gold
- √ Securities issued by Central / State Governments
- √ Debt securities rated BBB- or better/PR3/P3/F3/A3 for short term debt instruments

6.2.1.1. Bank reduces its credit exposure to a counter party with the haircut-adjusted value of eligible financial collaterals to factor risk mitigation effect of the collaterals.

6.2.2. Movable and immovable assets/landed properties etc.

6.2.3. The guarantees include guarantees given by corporate, bank and personal guarantees. This also includes advances guaranteed by ECGC, CGFTI and State / Central Governments, etc.

Quantitative Disclosures

6.4. Under the standardised approach for credit risk, the total credit risk exposure, after giving effect to eligible financial collateral of ₹15523.80 crs, is ₹ 208491.87crs. The Risk portfolio wise break up of eligible financial collateral is as follows:

(₹ in crore)

RISK_PORTFOLIO	Mitigants (In Crores)	% Contribution
Claims On Domestic Sovereign	65.13	0.42%
Claims On Banks	27.27	0.18%
Calaims On Foreign Banks	4.16	0.03%
Claims On Public Sector Enterprises	305.67	1.97%
Claims On Corporate	9524.83	61.36%
Claims On Regulatory Retail	5070.83	32.65%
Claims Secured By Residential Property	23.09	0.15%
Claims Secured By Commercial Real Estate	78.12	0.50%
Non Performing Assets	34.44	0.22%
Consumer Credit Including Personal Loans & Credit Card Receivables	12.33	0.08%
Capital Market Exposures	261.86	1.69%
Claims On Nbfcs	46.68	0.30%
Staff Advances	69.39	0.45%
Grand Total	15523.80	100.00%

6.5. Under the Standardised approach for Credit Risk, following is the break up of exposure covered by the eligible Guarantors:

(₹ in crore)

Guarantor Type	Risk Weight	Exposure Covered	Percentage Contribution
Claims guaranteed by Central Government/ CGTSI/DICGC	0%	0.78	0.04%
Claims guaranteed by State Government/ ECGC	20%	2467.82	99.96%
TOTAL		**2468.60**	**100.00%**

Table DF-7

7. Securitisation: disclosure for standardized approach

7.1. At present, the bank's role in securitisation has been as an investor in securitized instrument.

Bank's outstanding in securitized instrument by way of investment as on 31.03.2011 is Rs.3.66 crs.

Table DF-8

8. Market Risk in Trading Book

Qualitative Disclosures

Market Risk is "the risk that value of 'on' or 'off' Balance Sheet positions will be adversely affected by movements in equity and interest rate markets, caused by exchange rates and commodity/ asset prices".

(a) The portfolios covered by the standardised approach for computation of market risk are as under:

- Securities Held under Held for Trading (HFT),
- Securities Held under Available for Sale (AFS),
- Trading position in Derivatives,
- Derivatives entered into for Hedging Trading Books exposures,
- Open Foreign Exchange Position & Open Gold Position.

The rest of the assets – i.e. Investments under Held to Maturity portfolio and advances – are treated as Banking Book. Brief description of the Market Risk Management objectives and policies are as below:

(i) Strategies and Processes:

Policies

Bank has well laid out Treasury Policy (covering Investment Portfolio, Foreign Exchange Operations & Derivative Operations) and Asset Liability Management (ALM) Policy in place duly approved by the Board. The policies ensure that operations in Securities, Foreign Exchange and Derivatives are conducted in accordance with sound & acceptable business practices and are as per the extant Regulatory Guidelines, Laws Governing Transactions in Financial Instruments & Financial Markets. The policies are reviewed every year; and if required more frequently, to incorporate changes in Rules & Regulations by Regulatory Authorities / Government, Business Requirements and Economic Environment.

Liquidity Risk

Bank uses 'Cash-Flow Approach' & 'Stock Approach' for managing, monitoring & measuring liquidity risk. Liquidity Risk is tracked through maturity or cash flow mismatches. Use of maturity ladder and calculation of cumulative 'surplus' or 'deficit' of funds at selected maturity dates, known as 'time-buckets', is adopted as standard tool for measuring Liquidity Risk. Prudential limits on tolerance level of mismatches are in place and monitored on fortnightly basis. Under stock approach, various ratios / limits are in place e.g. – Call Borrowing, Inter-Bank Liabilities, Wholesale Deposits, Commitment Ratio, Purchased Funds to Liquid Assets Ratio etc. Stress tests are carried out at various levels of adversity. The Liquidity / Funds requirements under Stress Situations, sources of raising the funds & its possible impact on Profit & Loss are worked out at quarterly interval.

Wholesale Deposits are monitored on a daily basis. Short-term Dynamic Liquidity Statement is prepared and monitored on a fortnightly basis to assess the Liquidity Position, which takes into account the Business Growth.

Interest Rate Risk

Bank uses Traditional Gap Analysis (TGA) to assess the impact on the Net Interest Income (NII) of the bank in short run, i.e. upto end of Financial Year. Bank's investment portfolio is monitored on basis of duration analysis. VaR methodology is followed for dated securities under SLR and Equities. Prudential limits for VaR have been fixed and monitored on a daily basis and reported to the Top Management.

Bank also uses Duration Gap Analysis (DGA) to assess long-term impact of changes in interest rate on Market Value of Equity (MVE) in terms of RBI Guidelines.

Foreign Exchange Risk

The Bank has fixed various exposure limits such as Maximum Daylight Limit, Overnight Limit, Aggregate Gap Limit (AGL), Stop Loss Limit and Deal Size Limits. Bank has also fixed VaR limit on Foreign Exchange position which is being monitored on daily basis. Derivative transactions are monitored by fixing prudential limit for open position and a cap for PV01 on the outstanding derivatives.

Equity Price Risk

In terms of Banks' Treasury Policy, limits are in place with respect to Trading Book size in Equity, Deal size, Holding Period & Stop Loss Limits. These limits are monitored on a daily basis.

(b) Structure and Organisation of Market Risk Management function:

The Board of Directors approves policies covering management of Market Risk. The Board is supported by three levels:

- Supervisory Committee of ALM & Risk Management
- Asset Liability Management Committee
- General Manager (Risk Management Department)

(c) Scope:

Bank has put in place various limits to measure, monitor & manage market risk. Day Light Limits, Overnight Limits, Deal-size Limits, Aggregate Gap Limits (AGL), Individual Gap Limits (IGL), Stop Loss Limits, Trading Book size, Issuer wise Limits, Rate Sensitivity Limits, VaR limits, etc.

The limits are monitored on daily basis and a reporting system to the top management is in place.

Stress testing Framework for Liquidity & Market Risk is in place & stress tests are conducted on quarterly basis. The results are deliberated at ALCO & placed before the Board.

(iv) Hedging & mitigating risk:

Policies for hedging Banks' position are laid down in the Bank's Treasury Policy. Hedge transactions for banking books are assessed/ reviewed at periodic intervals.

Quantitative Disclosures

Bank has adopted the Standardised Duration Approach as prescribed by RBI for computation of capital charge for market risk. The capital requirements for market risk are as under:

(₹ in Cr)

Risk Category	Capital Charge
Interest Rate Risk	295.42
Equity Position Risk	195.02
Foreign Exchange Risk (including gold)	12.15
Total capital charge for market risk under standardised duration approach	**502.59**

Table DF-9

9. Operational Risk

Qualitative Disclosures

Operational Risk Governance

- Operational Risk is the risk of losses resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events.
- Operational Risk exists at all levels and at all business lines.
- At present, operational risk is largely managed through internal controls and audit system.
- Bank has put in place the following measures to control / mitigate operational risk.
  - System of delegated authority covering credit and expenditure
  - Book of instructions and issuance of instructions through circulars from time to time
  - Continuous training process
  - Preventive vigilance
  - Insurance
  - Risk Based Internal Audit
  - Outsourcing policy
  - Compliance Policy
  - Policy on Business Continuity

- Bank has well laid down Operational Risk Management Policy, which covers :
  - Organisational structure
  - Identification, assessment, monitoring and control of operational risk.
  - Capital Charge for operational risk
  - Reporting framework
  - Guidelines on reporting and collection of Operational Risk Loss Data
  - Policy on mapping of activities to 8 business lines
- Bank has an appropriate and independent organizational structure with oversight mechanism for management of Operational risk, which includes Operational Risk Management Committee (ORMC) of Top Executives and a separate Risk Management Department looking after the Operational Risk. Besides, there is a separate Board Level Committee i.e., Supervisory committee of the Board to oversee the functioning of Risk Management and ALM.
- ORMC deals with new product approval process, analysis of frauds, analysis of operational risk loss data, analysis of the exercise of mapping bank's activities and income into 8 business lines.
- The bank has adopted Basic Indicator Approach for calculating capital charge for operational risk.
- As per RBI directives, the bank has to maintain capital for operational risk under Basic Indicator approach (BIA) w.e.f.31.03.2011. The capital charge as per BIA is ₹ 749.56 crores.

Risk Profiling

Bank compiles Operational Risk Profile Template (RPT) on a quarterly basis by which it assesses the level and direction of inherent risk, internal control risk and resultant net Operational Risk based on the following:

- People Risk
- Outsourcing Risk
- Process Risk
- Technology Risk
- Reputation Risk
- Event Risk

Table DF-10

10. Interest rate risk in the banking book (IRRBB)

(a) Qualitative Disclosures

Interest rate risk is the risk where changes in market rates might adversely affect bank financial condition resulting in impact on earnings (Net Interest Income) and Bank's net worth (Capital funds). Bank holds assets, liabilities and off balance sheet items with different maturities or repricing dates and linked to different benchmark rates. This creates exposure to unexpected changes in level of interest rates.

Framework:

Bank has formed Asset Liability Management Committee (ALCO), headed by Chairman and Managing Director, which is responsible for evolving appropriate system and procedures for identification and analysis of liquidity/market risk and laid down ALM policy of the bank. The ALCO is assisted by a dedicated 'ALM Desk' and an independent 'Mid-Office'. Supervisory Committee of the board of directors on ALM and risk management oversees the implementation of the system for Asset Liability Management (ALM) and reviews its functions periodically and provides directions.

Traditional Gap Analysis (TGA) is used to measure and monitor Interest rate risk through Rate Sensitive Gap (RSG). Impact of changes in interest on Net Interest Income (NII) is computed. Limit on RSG upto 1 Year is fixed to limit impact of interest rate changes from earning perspective.

Interest rate sensitivity statement is prepared as on the last reporting Friday of each month. ALCO reviews the same on monthly basis. Impact of changes in broad categories of assets and liabilities, i.e. deposits, advances, investments, etc upto the end of the financial year is worked out.

In terms of RBI guidelines, Bank also carries out Duration Gap Analysis (DGA) on quarterly basis to capture impact of changes in interest rates on economic value of bank's assets and liabilities in banking book and thereby on Market Value of Equity (MVE). The impact is worked out assuming 200 bps parallel shifts in yield curve.

(b) Quantitative Disclosures

The impact of earnings and economic value of equity assuming a percentage shift in interest rates is as under:

	Parameter		Impact
1	Earnings at Risk (NII): At 0.50% change	(Amt in ₹ Cr.)	192.04
2	Market value of Equity: 200 bps shock	(Amt in ₹ Cr.)	447.40
3	Drop in equity value	(%)	4.31%

Capital Employed (₹ in crs)

Segment Assets	31.03.2011	% to total assets	Capital Allocated
Treasury Operations	78631.90	33.32%	6046.35
Retail Banking Operations	51840.03	21.97%	3986.21
Corporate/ Wholesale Banking	101901.16	43.18%	7835.62
Other Assets	3611.36	1.53%	277.69
Total Assets	235984.45	100.00%	-
Total Capital	18,145.87		18,145.87

शेयर धारकों के लिये महत्वपूर्ण संदेश

कंपनी कार्य मंत्रालय ने कंपनियों द्वारा कागज रहित अनुपालन की अनुमति प्रदान करके "कार्पोरेट गवर्नेंस में हरित पहल" की है और अपने शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट सहित नोटिस/दस्तावेज ई मेल के माध्यम से भेजना अनुमत करने के लिये परिपत्र जारी किया है. सरकार की हरित पहल का समर्थन करते हुए और एक अच्छी कार्पोरेट गवर्नेंस के हिस्से के रूप में शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी इलैक्ट्रानिक धारिता के संदर्भ में अपने डिपाज़िटरी प्रतिभागी के माध्यम से डिपाज़िटरी में अपना ई मेल पता पंजीकृत करा लें. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक से अपना ई मेल पता बैंक के रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट मैसर्स डाटामैटिक्स फाइनैंशियल सर्विसेज़ लि. के पास दर्ज कराने का अनुरोध है.

IMPORTANT COMMUNICATION TO SHAREHOLDERS

The Ministry of Corporate Affairs has taken a "Green Initiative in the Corporate Governance" by allowing paperless compliances by the companies and has issued circulars stating that service of notice/documents including Annual Report can be sent by e-mail to its shareholders. To support this green initiative of the Government and as a part of good Corporate Governance, shareholders are requested to register their e-mail addresses, in respect of electronic holdings with the Depository through their concerned Depository participants. Shareholders who hold shares in physical form are requested to register the same with Registrar and Transfer Agent of the Bank, M/s. Datamatics Financial Services Ltd.

खाते में सीधे जमा / एनईसीएस का मैन्डेट फार्म

भविष्य में शीघ्र, सुरक्षित एवं सही लाभांश का भुगतान प्राप्त करने के लिए कृपया निम्नलिखित मैन्डेट फार्म यदि अब तक न प्रस्तुत किया गया हो, तो प्रस्तुत करें. (यदि शेयर भौतिक रुप में है, तो रजिस्ट्रार को और यदि डीमैट / इलेक्ट्रानिक फार्मे है, तो डिपॉज़िटरी सहभागी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए).

प्रिय महोदय

विषय: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के इक्विटी शेयर्स-

खाते में सीधे जमा / एनईसीएस** के जरिये लाभांश प्राप्त करने का विकल्प

मेरे / हमारे पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के इक्विटी शेयर्स हैं.

मैं / हम आपसे अनुरोध करता हूँ / करती हूँ / करते हैं कि मेरे / हमारे लाभांश का भुगतान सीधे जमा/ एनईसीएस** के जरिये करें तथा मेरे / हमारे खाते में जमा करें, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

प्रथम/एकल शेयरधारक का नाम : _____

फोलियो क्र. (यदि शेयर्स डिमैटिरियलाइज़ नही हैं) : _____

डीपीआईडी/क्लाइंट आइडी (यदि शेयर्स डिमैटिरियलाइज़ हैं) : _____

क. सीधे जमा (केवल यूनियन बैंक खाताधारकों के लिए) : _____

1. पूर्ण खाता संख्या (15 अंकों की) : _____
2. खाते का नाम (जैसाकि पास बुक में दर्शाया गया है) : _____
3. शहर के पिन कोड सहित शाखा का नाम एवं पता : _____

या

ख. राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस)

1. बैंक का नाम : _____
2. बैंक का नाम एवं पता - शहर के पिन कोड सहित : _____
3. बैंक शाखा का दूरभाष क्रमांक : _____
4. बैंक / शाखा का 9 अंकों का कोड, जैसाकि बैंक द्वारा जारी एमआईसीआर चेक पर दर्शाया गया हो : | | | | | | | | | |
5. खाते का प्रकार (बचत खाता/चालू खाता / कैश क्रेडिट खाता - कोड सहित 10/11/13) : _____
6. खाता संख्या (जैसीकि चेक बुक में दर्शायी गई हो) : _____

मैं एतदद्वारा घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि ऊपर दिये गये ब्यौरे सही तथा पूर्ण हैं. यदि अधूरी अथवा गलत जानकारी के कारण लेनदेन में विलंब हुआ अथवा वह न हो सका, तो मैं जारीकर्ता संस्थान को जिम्मेदार नहीं मानूंगा/मानूंगी. मैं समझता हूँ / समझती हूँ कि सीधे जमा / एनईसीएस के जरिये लाभांश भुगतान को प्रभावित करने वाली कोई अप्रत्याशित स्थिति, जो बैंक के नियंत्रण के बाहर हो, के कारण बैंक मुझे देय लाभांश को लाभांश वारंट के रुप में भेजने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

भवदीय,

दिनांक:: प्रथम/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

(कृपया केवल एक विकल्प चुनें. कृपया उक्त ब्यौरों के सत्यापन के लिए अपने बैंक द्वारा जारी चेक की फोटोप्रति अथवा कोरा र किया चेक संलग्न करें.**

रजिस्ट्रार का पता : डाटामैटिक्स फायनांशियल सर्विसेज लि.,
प्लॉट क्र. ए-16 एवं 17
पार्ट बी, एमआईडीसी, क्रॉस लेन, मरोल
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 093
ईमेल : ubiinvestors@dfssl.com

Direct Credit/NECS Mandate Form

To facilitate prompt, safe and correct payment of the future dividend please submit the mandate form, if not submitted earlier. {To be submitted to Registrar if shares are in physical form and to the Depository Participant (DP) if shares are in demat/electronic form}.

Dear Sirs,

Sub: Equity Shares of Union Bank of India – Option to receive dividend through Direct Credit/NECS**

I/We hold equity shares of Union Bank of India.

I/We request you to arrange for payment of my/our dividend through Direct Credit/NECS** and credit the same to my/our account as per particulars given below: -

First/Sole Shareholder's Name	
Folio No.(If shares are not dematerialized)	
DPID / Client ID (If shares are dematerialized)	
E-mail ID	

A. DIRECT CREDIT (ONLY FOR UNION BANK ACCOUNT HOLDERS)	
1. Full Account No. (15 Digits)	
2. Account Name (as appearing on Pass Book)	
3. Branch Name and Address with city PIN Code	

OR

B. NECS	
1. Bank Name	
2. Branch Name and Address with City PIN code	
3. Telephone No. of the Bank Branch	
4. 9 Digit Code No. of Bank/Branch as appearing on MICR cheque issued by the Bank	
5. Account Type (SB/CD/CC with code 10/11/13)	
6. Account No. (as appearing on Cheque book)	

I, hereby, declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I would not hold the user institution responsible. I understand that the bank also reserves the right to send the dividend payable to me by a physical warrant on account of any unforeseen circumstances beyond the control of the Bank, that may affect the payment of dividend through Direct Credit/NECS.

Yours Faithfully,

( )

Date: Signature of the First/Sole Shareholder

(Please select one option only. Please attach a blank cancelled cheque or photocopy of a cheque issued by your bank for verification of the bank account details.)**

Address of the Registrar: Datamatics Financial Services Ltd.
Plot No.B-5, Part B, MIDC, Crosslane, Marol,
Andheri (East), Mumbai-400 093.
Tel. No.: 022-66712151-60
Fax No.: 022-66712230
E-mail Id: ubiinvestors@dfssl.com

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय: यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021

परोक्षी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षर किया जाये)

पंजीकृत फोलियो सं. (यदि डिमैटिरियलाइज न किया गया हो)
डी.पी.आई.डी एवं ग्राहक आईडी क्र. (यदि डिमैटिरियलाइज किया गया हो)

मैं/हम _____ निवासी _____

जिला _____ राज्य _____ शेयरधारक/यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के शेयरधारकों में हूं एतद्द्वारा

श्री/श्रीमती _____ निवासी _____

जिला _____ राज्य _____ अथवा उनके न होने पर

श्री/श्रीमती _____ निवासी _____

जिला _____ राज्य _____ को **बुधवार, दिनांक 29 जून 2011** को शाम 3.30 बजे **रामा वाटुमल ऑडिटोरियम,** के.सी.कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुंबई - 400 020 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की **8 वीं वार्षिक साधारण सभा** में या उसके स्थगित होने पर मेरी/हमारी ओर से वोट देने के लिए परोक्षी के रूप में नियुक्त करता/करती हूं.

दिनांक _____, 2011 को हस्ताक्षरित

कुपया रसीदी टिकट लगाएं

_____ परोक्षी का हस्ताक्षर

_____ प्रथम शेयरधारक/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम : _____

पता : _____

परोक्षी फार्म पर हस्ताक्षर करने और जमा करने संबंधी अनुदेश

1. परोक्षी लिखत तभी वैध माना जाएगा जब कि वह,
   ए) एकल शेयरधारक व्यक्ति के मामले में यह उसके द्वारा/उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित विधिवत प्राधिकृत व लिखित में हो.
   बी) संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक या उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित विधिवत् प्राधिकृत व लिखित में हो.
   सी) निगमित निकाय के मामले में इसके अधिकारी या अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित विधिवत् प्राधिकृत व लिखित में हो.
2. परोक्षी लिखत किसी शेयरधारक द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए किंतु किसी कारणवश शेयरधारक अपना नाम लिखने में असमर्थ हो और यदि उसके अंगूठे का निशान लगा हो तो यह न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के किसी अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित होना चाहिए.
3. परोक्षी निम्नलिखित के साथ
   ए) पावर ऑफ अटॉर्नी या अन्य प्राधिकारी (यदि कोई है) जिसके अंतर्गत यह हस्ताक्षरित है, अथवा
   बी) उस पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रति या प्राधिकार की प्रति जिसे नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा सत्य प्रमाणित किया गया हो, वार्षिक साधारण बैठक के **चार दिन** पूर्व अर्थात **शुक्रवार 24 जून, 2011** को कार्य समाप्ति पर अर्थात् सायं 5.00 बजे तक कंपनी सचिव, निवेशक सेवाएं प्रभाग, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 में जमा कर देनी चाहिए.
4. परोक्षी का कोई भी लिखत विधिवत् स्टैम्प के बिना वैध नहीं होगा.
5. बैंक के पास जमा किया गया परोक्षी का लिखत अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगा.
6. यदि परोक्षी लिखत वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के लिए हो तो एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा.
7. परोक्षी के पक्ष में लिखत निष्पादित करनेवाला शेयरधारक उक्त लिखत से संबंधित वार्षिक साधारण सभा में स्वयं मतदान करने का हकदार नहीं होगा.
8. किसी भी ऐसे व्यक्ति को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा परोक्षी नियुक्त नहीं किया जाएगा जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी अथवा कर्मचारी हो.

UNION BANK OF INDIA

Head Office: Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021.

PROXY FORM (FORM 'B')

(to be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. Folio (If not dematerialised)
DP ID & Client ID (If dematerialised)

I/We_____resident(s)

of _____in the district of_____in the

state of_____ being a shareholder(s) of Union Bank of India, Mumbai hereby appoint

Shri/Smt._____resident of _____in

the district of _____ in the state of _____or failing him / her,

Shri/ Smt. _____resident of_____ in the

district of _____ in the state of_____ as my / our proxy to vote for me / us and on my / our behalf at the 9th Annual General Meeting of the shareholders of Union Bank of India to be held on Wednesday, 29th June, 2011 at 3.30 p.m. at **Rama Watumull Auditorium**, K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020 and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2011.

Please Affix Revenue Stamp

_____ _____

Signature of Proxy Signature of First named/Sole Shareholder

Name : _____

Address : _____

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless
   a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
   b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
   c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Union Bank of India.
3. The proxy together with
   a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
   b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of Union Bank of India with the Company Secretary, Investor Services Division, Union Bank of India, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai – 400 021 not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank i.e. 5.00 p.m. on Friday, 24th June, 2011.
4. No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
8. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Union Bank of India.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

उपस्थिति पर्ची

(नियत स्थान पर प्रवेश करते समय सौंपी जाए)

दिनांक : बुधवार, दिनांक 29 जून 2011

समय : अपराह्न 3.30 बजे

स्थान : **रामा वाटुमल ऑडिरोरियम**, के.सी. कालेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुंबई 400-020.

मैं एतदद्वारा बैंक की 8वीं वार्षिक साधारण सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करता / करती हूँ.

उपस्थित शेयरधारक / परोक्षी / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	

पंजीकृत फोलियो	**डीपी आईडी**	
	क्लायंट आईडी	
(यदि डिमैटिरियलाइज न किया गया हो)	(यदि डिमैटिरियलाइज किया गया हो)	
शेयरधारक का नाम		
शेयरों की संख्या		

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

प्रवेश पत्र

(बैठक के दौरान साथ रखा जाए)

उपस्थित शेयरधारक / परोक्षी / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	

पंजीकृत फोलियो	**डीपी आईडी**	
	क्लायंट आईडी	
(यदि डिमैटिरियलाइज न किया गया हो)	(यदि डिमैटिरियलाइज किया गया हो)	
शेयरधारक का नाम		
शेयरों की संख्या		

शेयरधारक / परोक्षी अथवा शेयरधारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि से अनुरोध है कि बैठक के स्थान पर प्रवेश हेतु बैंक के पास दर्ज उनके नमूना हस्ताक्षर के अनुरुप विधिवत हस्ताक्षरित उक्त उपस्थिति पर्ची, प्रवेश पत्र के साथ प्रस्तुत करें. तथापि, प्रवेश आवश्यकतानुसार सत्यापन / जांच के अध्यधीन होगा. किसी भी परिस्थिति में बैठक के प्रवेश द्वारा पर डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी.

UNION BANK OF INDIA

ATTENDANCE SLIP

(to be surrendered at the time of Entry to the Venue)

Date: Wednesday, 29th June, 2011.

Time: 3.30 p.m.

Place: **RAMA WATUMULL AUDITORIUM,** K. C. COLLEGE, DINSHAW WACHA ROAD, CHURCHGATE, MUMBAI – 400 020.

I hereby record my presence at the 9th Annual General Meeting of the Bank.

Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present	

Regd. Folio	**DP ID**	
	Client ID	
(If not dematerialised)	(If dematerialised)	
Name of the Shareholder		
Number of Shares		

UNION BANK OF INDIA

ENTRY PASS

(to be retained throughout the meeting)

Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present	

Regd. Folio	**DP ID**	
	Client ID	
(If not dematerialised)	(If dematerialised)	
Name of the Shareholder		
Number of Shares		

Shareholders / proxy or authorised representative of shareholders are requested to produce the above attendance slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, alongwith the entry pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate attendance slip will be issued at the entrance to the meeting.